VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

समसामयिकी त्रैमासिक रिवीजन

मार्च 2025 - मई 2025

अहमदाबाद | बेंगलुरु | भोपाल | चंडीगढ़ | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | राँची

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
SANDHAN

संधान के जरिए पर्सनलाइज्ड तरीके से UPSC प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए

(ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज)

UPSC प्रीलिम्स की तैयारी के लिए सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही काफी नहीं होता है; बल्कि इसके लिए स्मार्ट तरीके से टेस्ट की प्रैक्टिस भी जरूरी होती है।

अभ्यर्थियों की तैयारी के अलग-अलग स्तरों और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, हमने संधान टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है। यह ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत ही एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज है।

संधान की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

प्रश्नों का विशाल संग्रह: इसमें UPSC द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों (PYQs) के साथ-साथ VisionIAS द्वारा तैयार किए गए 25,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रश्न उपलब्ध हैं।

पर्सनलाइज्ड टेस्ट: अभ्यर्थी अपनी जरूरत के अनुसार विषयों और टॉपिक्स का चयन करके पर्सनलाइज्ड टेस्ट तैयार कर सकते हैं।

प्रश्नों के चयन में फ्लेक्सिबिलिटी: अभ्यर्थी टेस्ट के लिए Vision IAS द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों या UPSC के विगत वर्षों के प्रश्नों में से चयन कर सकते हैं।

समयबद्ध मूल्यांकन: अभ्यर्थी परीक्षा जैसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय समय-सीमा में टेस्ट के जरिए अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल का मूल्यांकन कर उसे बेहतर बना सकते हैं।

प्रदर्शन में सुधार: टेस्ट में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर, सुधार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों पर पर्सनलाइज्ड फीडबैक दिया जाएगा।

स्टूडेंट डैशबोर्ड: स्टूडेंट डैशबोर्ड की सहायता से अभ्यर्थी हर विषय में अपने प्रदर्शन और ओवरऑल प्रगति को ट्रैक कर सकेंगे।

संधान के मुख्य लाभ

अपनी तैयारी के अनुरूप प्रैक्टिस: अभ्यर्थी अपनी जरूरतों के हिसाब से विषयों और टॉपिक्स का चयन कर सकते हैं। इससे अपने मजबूत पक्षों के अनुरूप तैयारी करने में मदद मिलेगी।

पर्सनलाइज्ड असेसमेंट: अभ्यर्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार टेस्ट तैयार करने के लिए Vision IAS द्वारा तैयार प्रश्नों या UPSC में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का चयन कर सकते हैं।

कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज: प्रश्नों के विशाल भंडार की उपलब्धता से सिलेबस की संपूर्ण तैयारी सुनिश्चित होगी।

लक्षित तरीके से सुधार: टेस्ट के बाद मिलने वाले फीडबैक से अभ्यर्थियों को यह पता लग सकेगा कि उन्हें किन विषयों (या टॉपिक्स) में सुधार करना है। इससे उन्हें तैयारी के लिए बेहतर रणनीति बनाने में सहायता मिलेगी।

प्रभावी समय प्रबंधन: तय समय सीमा में प्रश्नों को हल करने से टाइम मैनेजमेंट के लिए कौशल विकसित करने में मदद मिलेगी।

आत्मविश्वास में वृद्धि: कस्टमाइज्ड सेशन और फीडबैक से परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की तैयारी का स्तर तथा उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।

यह अपनी तरह की एक इनोवेटिव टेस्ट सीरीज है। संधान के जरिए, अभ्यर्थी तैयारी की अपनी रणनीति के अनुरूप टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे उन्हें UPSC प्रीलिम्स पास करने के लिए एक समग्र तथा टार्गेटेड अप्रोच अपनाने में मदद मिलेगी।

रजिस्ट्रेशन करने और "ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज" का ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

संधान पर्सनलाइज्ड टेस्ट कैसे एक परिवर्तनकारी प्लेटफ़ॉर्म बन सकता है, यह जानने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | राँची

अभ्यर्थियों के लिए संदेश

प्रिय अभ्यर्थी,

हमें यह साझा करते हुए खुशी है कि हमारी नई पहल **"त्रैमासिक रिवीजन" डॉक्यूमेंट** का अगला अंक अब आपके लिए उपलब्ध है। इसे आपकी तैयारी को अधिक प्रभावी बनाने और रिवीजन प्रक्रिया को और भी सुगठित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट को काफी सावधानीपूर्वक और बारीकी से तैयार किया गया है। इससे आपको सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक लर्निंग एवं रिवीजन के लिए मजबूत आधार मिलेगा।

इस डॉक्यूमेंट में हमने मार्च 2025 से मई 2025 तक तीन माह के मासिक समसामयिकी मैगजीन से सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को कवर किया है। इससे महत्वपूर्ण टॉपिक्स का रिवीजन करने के लिए आपको एक समग्र और सटीक रिसोर्स मिलेगा।

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की पृष्ठभूमि, आयु, वर्किंग शेड्यूल और पारिवारिक जिम्मेदारियां अलग-अलग होती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हमने त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट को तैयार किया है। इससे उन अभ्यर्थियों को तैयारी में काफी सहायता मिलेगी, जिनका शेड्यूल अधिक व्यस्त होता है, जिन्हें मासिक समसामयिकी मैगजीन को पढ़ने व रिवीजन करने के लिए कम समय मिलता है और सिलेबस के बारे में बुनियादी एवं थोड़ी बहुत समझ होती है।

त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट की कुछ मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

- **एकीकृत कवरेज:** इस डॉक्यूमेंट में तीन महीने के करेंट अफेयर्स को कवर किया गया है, जिससे समय और मेहनत की बचत होगी।
- **परीक्षा-केंद्रित अध्ययन सामग्री:** इसमें विषय विशेषज्ञों द्वारा चुने गए केवल प्रासंगिक और परीक्षा-केंद्रित टॉपिक को शामिल किया गया है।
- **सटीक और संक्षिप्त:** इसे क्विक रिवीजन के लिए डिजाइन किया गया है, साथ ही यह भी ध्यान रखा गया है कि गहन अध्ययन और अवधारणात्मक स्पष्टता से कोई समझौता न हो।
- **कामकाजी अभ्यर्थियों के लिए आदर्श:** नौकरी एवं पढ़ाई या अन्य प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन बनाने वालों के लिए अत्यंत उपयोगी।
- **प्रश्नोत्तरी:** MCQs और मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी।

अपनी तैयारी के दौरान अपडेटेड और आत्मविश्वास से भरे रहने के लिए त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट को अपना विश्वसनीय साथी बनाएं।

"एकाग्र रहिए, निरंतरता बनाए रखिए - सफलता आपकी सोच से भी अधिक निकट है।"

हार्दिक शुभकामनाएं!
करेंट अफेयर्स टीम
VisionIAS

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था (POLITY) 8

1.1. जातिगत जनगणना (CASTE CENSUS) 9

1.2. राज्य के विधेयकों पर स्वीकृति (ASSENT TO STATE BILLS) . 10

1.3. गैर-सरकारी विधेयक (PRIVATE MEMBER BILL). 11

1.4. शक्तियों का पृथक्करण (SEPARATION OF POWERS) 11

1.5. राज्यों की स्वायत्तता की मांग (STATES' DEMAND FOR AUTONOMY). 12

1.6. न्यायिक जवाबदेही (JUDICIAL ACCOUNTABILITY) 13

1.7. स्वामित्व योजना के 5 वर्ष (5 YEARS OF SVAMITVA SCHEME) 14

1.8. बिग टेक कंपनियों का विनियमन (REGULATING BIG TECH) 15

1.9. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS) 16

1.10. अपने ज्ञान का परीक्षण कीजिए (TEST YOUR LEARNING) . 20

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (INTERNATIONAL RELATIONS). 21

2.1. सिंधु जल संधि (INDUS WATERS TREATY). 22

2.2. भारत-चीन संबंधों के 75 वर्ष (75 YEARS OF INDIA-CHINA RELATIONS) 24

2.3. चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CHINA PAKISTAN ECONOMIC CORRIDOR: CPEC). 25

2.4. भारत-श्रीलंका संबंध (INDIA – SRI LANKA RELATIONS) . 26

2.5. भारत-मॉरीशस द्विपक्षीय संबंध (INDIA-MAURITIUS BILATERAL RELATIONS) 27

2.6. भारत-सऊदी अरब संबंध (INDIA-SAUDI ARABIA RELATIONS) 28

2.7. भारत-संयुक्त अरब अमीरात संबंध (INDIA-UAE RELATIONS) 29

2.8. भारत–तुर्किये संबंध (INDIA–TURKEY RELATIONS) 30

2.9. भारत - न्यूजीलैंड संबंध (INDIA NEW ZEALAND RELATIONS) 31

2.10. भारत-यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौता {INDIA-UK FREE TRADE AGREEMENT (FTA)} 31

2.11. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा पाकिस्तान को ऋण {INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF) LENDING TO PAKISTAN} 33

2.12. द्विपक्षीय निवेश संधि (BILATERAL INVESTMENT TREATY: BIT) 34

2.13. उभरती विश्व व्यवस्था (EMERGING WORLD ORDER). . . . 34

2.14. अंतर्मुखी विकास रणनीतियां (INWARD-LOOKING DEVELOPMENT STRATEGIES) 35

2.15. छठा बिम्सटेक शिखर सम्मेलन (6TH BIMSTEC SUMMIT) 36

2.16. इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (INDIAN OCEAN RIM ASSOCIATION: IORA) 37

2.17. भारतीय प्रवासी (INDIAN DIASPORA). 38

2.18. चीन द्वारा दुर्लभ भू-धातुओं के निर्यात पर नियंत्रण (CHINA'S RARE EARTH ELEMENTS EXPORT CONTROL) 39

2.19. संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना (UNITED NATIONS PEACEKEEPING). 40

2.20. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS). 42

2.21. अपने ज्ञान का परीक्षण कीजिए (TEST YOUR LEARNING) . 46

3. अर्थव्यवस्था (ECONOMY) 47

3.1. 'संवृद्धि के अग्रदूत' के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र (NORTHEAST AS 'FRONTRUNNER OF GROWTH') 48

3.2. प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण (PRIORITY SECTOR LENDING) . . 49

3.3. संशोधित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण {REVAMPED PERIODIC LABOUR FORCE SURVEY (PLFS)} 50

3.4. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PRADHAN MANTRI MUDRA YOJANA: PMMY) 52

3.5. एक राज्य, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (ONE STATE, ONE RRB) 53

3.6. माइक्रोफाइनेंस के 50 वर्ष (50 YEARS OF MICROFINANCE) 54

3.7. तरलता घाटा (LIQUIDITY DEFICIT). 55

3.8. कम मूल्य वाले BHIM-UPI लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए

प्रोत्साहन योजना (INCENTIVE SCHEME FOR PROMOTION OF LOW-VALUE BHIM-UPI TRANSACTIONS) 56

3.9. इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण में आत्मनिर्भरता (SELF-RELIANCE IN ELECTRONICS COMPONENT MANUFACTURING) 56

3.10 . इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना (ELECTRONICS COMPONENT MANUFACTURING SCHEME: ECMS) . . . 58

3.11. राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NATIONAL TECHNICAL TEXTILES MISSION: NTTM) 59

3.12. भारत के विकास के लिए कोयला क्षेत्रक (COAL SECTOR FOR INDIA'S DEVELOPMENT) 60

3.13. भारत की जैव-अर्थव्यवस्था (INDIA'S BIO-ECONOMY) . . 61

3.14. जिला खनिज फाउंडेशन (THE DISTRICT MINERAL FOUNDATION: DMF) 63

3.15. राष्ट्रीय जलमार्ग (जेटी/ टर्मिनल का निर्माण) विनियम, 2025 {NATIONAL WATERWAYS (CONSTRUCTION OF JETTIES/ TERMINALS) REGULATIONS, 2025} 64

3.16. विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह (VIZHINJAM INTERNATIONAL SEAPORT) 65

3.17. राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड (NATIONAL ROAD SAFETY BOARD) 66

3.18. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NATIONAL PROGRAMME FOR DAIRY DEVELOPMENT: NPDD) 68

3.19. किसान उत्पादक संगठन (FARMER PRODUCER ORGANISATIONS: FPOS) 69

3.20. डीप टेक के लिए इनोवेशन इकोसिस्टम (INNOVATION ECOSYSTEM FOR DEEP TECH) 71

3.21. यूनिफाइड पेंशन स्कीम {UNIFIED PENSION SCHEME (UPS)} 72

3.22. भारत को विप्रेषण (REMITTANCES TO INDIA) 73

3.23. इक्विलाइजेशन लेवी (EQUALISATION LEVY) 73

3.24. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS) 74

3.25. अपने ज्ञान का परीक्षण कीजिए (TEST YOUR LEARNING) 83

4. सुरक्षा (SECURITY) 84

4.1. भारत का नया सुरक्षा सिद्धांत (INDIA'S NEW SECURITY DOCTRINE) 85

4.2. राज्य प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत के कूटनीतिक प्रयास (INDIA'S DIPLOMATIC OUTREACH AGAINST STATE SPONSORED TERRORISM) 86

4.3. रक्षा प्रौद्योगिकी और ऑपरेशन सिंदूर (DEFENSE TECHNOLOGY AND OPERATION SINDOOR) 87

4.4. जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद (TERRORISM IN JAMMU AND KASHMIR) 89

4.5. ब्रह्मोस एयरोस्पेस परीक्षण सुविधा का शुभारंभ (BRAHMOS AEROSPACE TESTING FACILITY LAUNCHED) 90

4.6. भारत का रक्षा निर्यात (INDIA'S DEFENCE EXPORTS) . . . 91

4.7. सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर्स और राष्ट्रीय सुरक्षा (SOCIAL MEDIA INFLUENCERS' AND NATIONAL SECURITY) 92

4.8. जैविक हथियार अभिसमय (BIOLOGICAL WEAPONS CONVENTION: BWC) 93

4.9. क्रिप्टोकरेंसी और हवाला गठजोड़ (CRYPTOCURRENCY HAWALA NEXUS) 94

4.10. राष्ट्रीय सुरक्षा में क्वांटम कंप्यूटिंग की भूमिका (ROLE OF QUANTUM COMPUTING IN NATIONAL SECURITY) . . . 95

4.11. नक्सलवाद (NAXALISM) 96

4.12. गोल्डन डोम (GOLDEN DOME) 97

4.13. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS) 99

4.14. अपने ज्ञान का परीक्षण कीजिए (TEST YOUR LEARNING) 103

5. पर्यावरण (ENVIRONMENT) 105

5.1. बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन के पक्षकारों का सम्मेलन 2025 (2025 CONFERENCES OF THE PARTIES TO THE BASEL, ROTTERDAM, AND STOCKHOLM CONVENTION) 106

5.2. पारिस्थितिकी-केंद्रित दृष्टिकोण (ECO-CENTRIC APPROACH) 107

5.3. जैव-विविधता (पहुंच और लाभ साझाकरण) विनियमन 2025 {BIOLOGICAL DIVERSITY (ACCESS AND BENEFIT SHARING) REGULATION 2025} 108

5.4. हिमालय पर्वतमाला की पारिस्थितिकी (THE HIMALAYAN MOUNTAIN SYSTEM ECOLOGY) 109

5.5. FAO की "वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियों (GIAHS)" में छह नवीन साइटें शामिल की गई (SIX NEW SITES JOIN FAO'S GIAHS) 110

5.6. जैव ईंधन (BIOFUELS) 111

5.7. बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर (BIO-INPUT RESOURCE CENTRES) 112

5.8. राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NATIONAL BOARD FOR WILDLIFE: NBWL) . . . 112

5.9. फंक्शनल डी-एक्सटिंक्शन (FUNCTIONAL DE-EXTINCTION) . . . 113

5.10. प्रोजेक्ट लायन और IUCN ग्रीन स्टेटस ऑफ़ स्पीशीज (PROJECT LION AND IUCN GREEN STATUS OF SPECIES) . . . 114

5.11. नदी डॉल्फिन (RIVER DOLPHINS) . . . 115

5.12. जंपिंग स्पाइडर्स (JUMPING SPIDERS) . . . 116

5.13. मरीन हीटवेव्स (MARINE HEATWAVES) . . . 117

5.14. शहरी बाढ़ (URBAN FLOODS) . . . 118

5.15. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA: GSI) . . . 119

5.16. उद्योगों का संशोधित वर्गीकरण (REVISED CLASSIFICATION OF INDUSTRIES) . . . 120

5.17. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS) . . . 121

5.18 अपने ज्ञान का परीक्षण कीजिए (TEST YOUR LEARNING) अपने . . . 131

6. सामाजिक मुद्दे (SOCIAL ISSUES) . . 132

6.1. महिलाओं के नेतृत्व में विकास (WOMEN-LED DEVELOPMENT) . . . 133

6.2. सिनेमा और समाज (CINEMA AND SOCIETY) . . . 134

6.3. सोशल मीडिया और किशोर (SOCIAL MEDIA AND ADOLESCENTS) . . . 135

6.4. पारिवारिक संस्था में बदलाव (CHANGING INSTITUTION OF FAMILY) . . . 136

6.5. कार्यस्थल ऑटोमेशन (WORKPLACE AUTOMATION) . . 137

6.6. मानव विकास रिपोर्ट 2025: बढ़ती असमानता (HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2025: WIDENING INEQUALITY) 138

6.7. सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) रिपोर्ट 2021 (SAMPLE REGISTRATION SYSTEM (SRS) REPORT 2021) . . . 139

6.8. शहरी गरीबी (URBAN POVERTY) . . . 141

6.9. मिजोरम ने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर हासिल की (MIZORAM ACHIEVES FULL FUNCTIONAL LITERACY) . 142

6.10. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS) . . . 143

6.11. अपने ज्ञान का परीक्षण कीजिए (TEST YOUR LEARNING) 145

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (SCIENCE AND TECHNOLOGY) . . . 146

7.1. सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं (SATELLITE INTERNET SERVICES) . . . 147

7.2. मानव संवर्धन (HUMAN ENHANCEMENT) . . . 148

7.3. भारत की हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना (GREEN HYDROGEN CERTIFICATION SCHEME OF INDIA: GHCI) 149

7.4. रणनीतिक क्रिप्टो रिजर्व (STRATEGIC CRYPTO RESERVE: SCR) . . . 150

7.5. लाइट सुपरसॉलिड (LIGHT SUPERSOLID) . . . 151

7.6. एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी दवाइयां {ANTI-RETROVIRAL THERAPY (ART) DRUGS} . . . 152

7.7. जीन एडिटिंग (GENE EDITING) . . . 153

7.8. डीपफेक (DEEPFAKES) . . . 154

7.9. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS) . . . 155

7.10. अपने ज्ञान का परीक्षण कीजिए (TEST YOUR LEARNING) . 161

8. संस्कृति (CULTURE) . . . 162

8.1. यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल (UNESCO WORLD HERITAGE SITES) . . . 163

8.2. भगवद् गीता और नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियां (MANUSCRIPTS OF BHAGAVAD GITA AND NATYASHASTRA) . . . 168

8.3. सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि {AGRICULTURE IN INDUS VALLEY CIVILIZATION (IVC)} . . . 169

8.4. वायकोम सत्याग्रह (VAIKOM SATYAGRAHA) . . . 170

8.5. सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व: सर चेत्तूर शंकरन नायर (1857-1934) {PERSONALITY IN FOCUS: SIR CHETTUR SANKARAN NAIR (1857-1934)} . . . 171

8.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS) . . . 172

8.7. अपने ज्ञान का परीक्षण कीजिए (TEST YOUR LEARNING) 175

9. नीतिशास्त्र (ETHICS) . . . 176

9.1. अनुनय (PERSUASION) . . . 177

9.2. प्रसन्नता/ सुख (HAPPINESS) . . . 178

9.3. परोपकार: सामाजिक भलाई के लिए एक नैतिक अनिवार्यता (PHILANTHROPY: A MORAL IMPERATIVE FOR SOCIAL GOOD) . . . 179

9.4. मृत्युदंड और नैतिक आयाम (ETHICS OF CAPITAL PUNISHMENT) 180

9.5. गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार (RIGHT TO DIE WITH DIGNITY) 181

9.6. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और उपभोक्ता व्यवहार (SOCIAL MEDIA INFLUENCER AND CONSUMER BEHAVIOR) . . 182

9.7. व्यावसायिक छंटनी की नैतिकता (ETHICS OF BUSINESS DOWNSIZING) 183

9.8. बॉडी शेमिंग के नैतिक आयाम (ETHICAL DIMENSIONS OF BODY SHAMING) 184

9.9. अपने ज्ञान का परीक्षण कीजिए (TEST YOUR LEARNING) 185

10.9. अपने ज्ञान का परीक्षण कीजिए (TEST YOUR LEARNING) 189

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS). 186

1. राजव्यवस्था (POLITY)

विषय सूची

1.1. जातिगत जनगणना (CASTE CENSUS) 9

1.2. राज्य के विधेयकों पर स्वीकृति (ASSENT TO STATE BILLS) . 10

1.3. गैर-सरकारी विधेयक (PRIVATE MEMBER BILL). 11

1.4. शक्तियों का पृथक्करण (SEPARATION OF POWERS) 11

1.5. राज्यों की स्वायत्तता की मांग (STATES' DEMAND FOR AUTONOMY). 12

1.6. न्यायिक जवाबदेही (JUDICIAL ACCOUNTABILITY) 13

1.7. स्वामित्व योजना के 5 वर्ष (5 YEARS OF SVAMITVA SCHEME) 14

1.8. बिग टेक कंपनियों का विनियमन (REGULATING BIG TECH) 15

1.9. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS) 16

1.10. अपने ज्ञान का परीक्षण कीजिए (TEST YOUR LEARNING) . . 2

1.1. जातिगत जनगणना (CASTE CENSUS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने **2026 में लद्दाख** और **2027 में पूरे भारत** में शुरू होने वाली जनगणना की अधिसूचना जारी की है, जिसमें जातिगत जनगणना भी शामिल है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **स्वतंत्रता के बाद पहली बार:** अनुसूचित जातियों (SCs) और जनजातियों (STs) से आगे बढ़कर **सभी जातियों का डेटा** एकत्र किया जाएगा।
- **राज्य स्तरीय जातिगत सर्वेक्षणों में विसंगतियां:** जैसे- बिहार, कर्नाटक आदि।

भारत में जनगणना

- **प्रत्येक 10 वर्षों में एक बार** जनगणना होती है, जो देश के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकीय, सामाजिक और आर्थिक आंकड़े प्रदान करती है।
  - **1881 से नियमित रूप से हर दस साल** में होती आ रही है, लेकिन **2021** की जनगणना कोविड-19 के कारण टल गई थी।
- **कानूनी आधार**
  - **संवैधानिक प्रावधान:** सातवीं अनुसूची के अंतर्गत **संघ सूची की प्रविष्टि 69 (अनुच्छेद 246)।**
  - **कानून: जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियम, 1990** – इनमें जनगणना अधिकारियों की जिम्मेदारियां व कर्तव्य तय किए गए हैं।
    - ◊ **रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त (RG&CC)** जनगणना का स्वरूप तय करते हैं।

जातिगत जनगणना का इतिहास

- **स्वतंत्रता से पहले:** 1881 से 1941 तक नियमित रूप से, लेकिन 1941 के आंकड़े प्रकाशित नहीं किए जा सके (विश्व युद्ध के कारण)।
- **1951 के बाद:** केवल **SC/ ST के आंकड़े** लिए जाते हैं; अन्य जातियों की गणना बंद कर दी गई।
- **1961 से:** राज्य सरकारें अपनी तरफ से **OBC** का सर्वे कर सकती थीं।
- **2011:** जनगणना के साथ ही **सामाजिक-आर्थिक-जातिगत जनगणना (SECC)** हुई थी, लेकिन उसका जातिगत डेटा **प्रकाशित नहीं** किया गया।

जाति जनगणना की आवश्यकता क्यों?

- **संवैधानिक आधार:** अनुच्छेद 340 के तहत।
- **डेटा पर आधारित नीति निर्माण**, जैसे कि OBCs का यह दावा कि आंकड़ों के अभाव में उनकी अक्सर उपेक्षा की जाती है।
- **सकारात्मक कार्रवाई:** सुप्रीम कोर्ट ने जाति को 'पिछड़े वर्ग को परिभाषित करने के लिए एक प्रासंगिक और एकमात्र मानदंड' माना है, और जातिगत आंकड़े मांगे हैं।
  - मराठा (महाराष्ट्र), जाट (हरियाणा) जैसी जातियों के OBC आरक्षण दावों के लिए डेटा जरूरी है।
- **OBCs में उपवर्गीकरण:** ताकि सभी समूहों को समान लाभ मिल सके।
- **सशक्त और निष्पक्ष गवर्नेंस:** डेटा आधारित गवर्नेंस के लिए जरूरी है।

जातिगत जनगणना से जुड़ी समस्याएं

- **डेटा की सटीकता:** लोग स्वयं अपनी जाति बताते हैं, जिससे **त्रुटियां, दोहराव और गलत वर्तनी** होती है। जैसे- 2011 SECC में बहुत सारी गलतियां थीं।
- **वर्गीकरण:** केंद्र/ राज्य की अलग-अलग सूचियां विसंगतियां पैदा करती हैं (जैसे, हरियाणा बनाम उत्तर प्रदेश में जाट)।
- **राजनीतिक संवेदनशीलता:** एक जाति की मान्यता से **अन्य जातियां भी मांग** करने लगती हैं — जैसे गुज्जर समुदाय की ST में शामिल होने की मांग।
- **पहचान आधारित राजनीति:** इससे समाज में **विभाजन या संघर्ष** बढ़ सकते हैं।
- **निजता का सवाल:** डेटा के दुरुपयोग की आशंका।

आगे की राह

- **परामर्श प्रक्रिया:** भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय को शिक्षा जगत के विशेषज्ञों, जातीय समूहों, राजनीतिक संगठनों तथा आम जनता से परामर्श करना चाहिए, ताकि जातिगत गणना कराने के सही तरीकों को तैयार किया जा सके।
- **जाति निर्देशिका:** राज्यों में जातियों की सूची को मानकीकृत करने के लिए जातियों की एक राष्ट्रीय निर्देशिका।
- अधिकारियों का प्रशिक्षण और तकनीक **(AI, बिग डेटा)** का उपयोग करना चाहिए।

1.2. राज्य के विधेयकों पर स्वीकृति (ASSENT TO STATE BILLS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मामले** में सुप्रीम कोर्ट (SC) ने राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को समय पर मंजूरी देने के निर्देश जारी किए।

अन्य संबंधित तथ्य

- SC **संविधान के अनुच्छेद 142** के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करता है। यह अनुच्छेद SC को **पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक डिक्री/ आदेश पारित** करने का अधिकार देता है।

राज्य विधेयक पर सहमति के संबंध में संवैधानिक प्रावधान	
राज्यपाल (अनुच्छेद 200)	**राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयकों पर राष्ट्रपति (अनुच्छेद 201)**
• **स्वीकृति प्रदान** कर सकता है। • **स्वीकृति रोक** सकता है। • **पुनर्विचार के लिए लौटा** सकता है (धन विधेयक के अतिरिक्त)- यदि विधान-मंडल इसे फिर से पारित करता है, तो राज्यपाल को स्वीकृति देनी होगी। • **राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित** कर सकता है।	• **स्वीकृति प्रदान** कर सकता है। • **स्वीकृति रोक** सकता है। • **पुनर्विचार के लिए लौटा** सकता है। विधान-मंडल को **6 महीने के भीतर कार्यवाही** करनी होती है; पुनर्विचार के बाद भी राष्ट्रपति **विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार** कर सकता है।
राज्यपाल के विपरीत, राष्ट्रपति पुनर्विचारित विधेयक को स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है।	

निर्णय के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **निष्क्रियता असंवैधानिक है:** राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास कोई **पॉकेट या आत्यंतिक वीटो** की शक्ति नहीं है।
  - यदि राज्यपाल /राष्ट्रपति निष्क्रियता प्रदर्शित करते हैं, तो राज्य सरकार सक्षम न्यायालय से **परमादेश रिट** की मांग कर सकती है।
- **विधान सभा द्वारा फिर से पारित विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता:** विधेयक को पहले ही चरण में राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित किया जा सकता है।
  - इसका अपवाद तब है दूसरी बार में प्रस्तुत किया गया विधेयक पहली बार में प्रस्तुत किए गए विधेयक से **मूल रूप से भिन्न** हो।
- **विधेयकों की स्वीकृति के लिए निर्धारित समय-सीमा**
- **अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास पूर्ण विवेकाधिकार नहीं है** और उसे मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह का पालन करना अनिवार्य है, सिवाय निम्नलिखित स्थितियों के:
  - **ऐसे राज्य विधेयक** जो उच्च न्यायालय की शक्तियों का हनन करते हैं, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना प्रभावी नहीं होंगे; समवर्ती सूची में सूचीबद्ध विषय से संबंधित विधेयक।
- **अनुच्छेद 200 के तहत विवेकाधिकार न्यायिक समीक्षा के अधीन है:** राज्यपाल द्वारा अपने विवेकाधिकार का उपयोग करके किसी विधेयक को मंजूरी न देने या उसे आरक्षित रखने के फैसले को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है,
- **राष्ट्रपति को आरक्षित विधेयकों की असंवैधानिकता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करना चाहिए (अनुच्छेद 143)।**

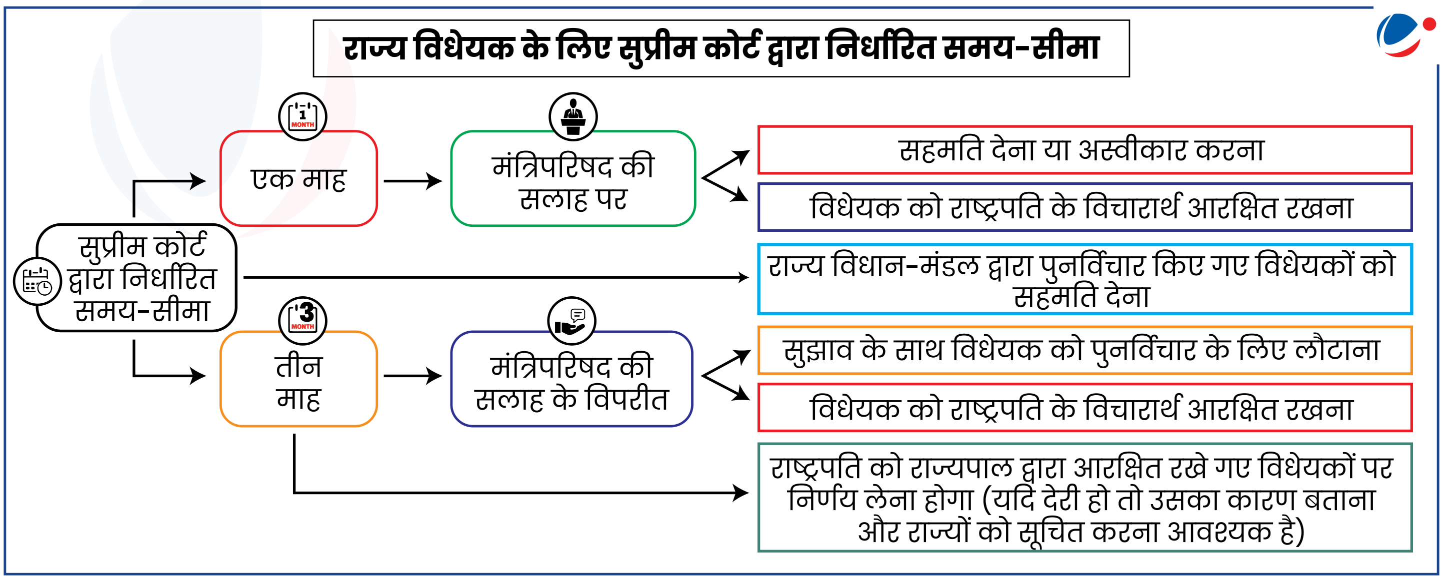

1.3. गैर-सरकारी विधेयक (PRIVATE MEMBER BILL)

सुर्ख़ियों में क्यों?

PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, हालिया वर्षों में संसद के दोनों सदनों में गैर-सरकारी विधेयकों को मिलने वाले समय में कमी आई है।

गैर-सरकारी विधेयक (PMB) क्या है?

- संसद में कोई भी विधेयक, यदि **किसी मंत्री के अलावा** अन्य कोई सांसद प्रस्तुत करता है, उसे गैर-सरकारी विधेयक कहते हैं।
- इसे प्रस्तुत करने से पहले **सदन के पीठासीन अधिकारी को एक महीने का नोटिस** देना होता है।
  - **लोक सभा** में **हर शुक्रवार** को **आखिरी ढाई घंटे PMB** के लिए होते हैं।
  - **राज्यसभा** एक शुक्रवार को छोड़कर प्रत्येक अगले शुक्रवार को **ढाई घंटे** आवंटित करती है।
  - **पहला सफलतापूर्वक पारित PMB:** मुस्लिम वक्फ विधेयक, 1952 (सैयद मोहम्मद अहमद क़ासमी द्वारा प्रस्तुत) था।

PMB का महत्त्व:

- **नीतिगत नवाचार:** सांसद नए विचार प्रस्तावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए- **"राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक, 2019"** - कर्मचारी कार्य समय के बाद कार्य-संबंधी संचार से अलग हो सकते हैं।
- **सुधार की क्षमता: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2014** जैसे प्रयास।
- **पार्टी लाइन से स्वतंत्र अभिव्यक्ति:** सांसद को व्हिप **(10वीं अनुसूची)** से छूट प्रदान करता है।
- **नियंत्रण और संतुलन:** सरकार को जवाबदेह बनाता है।

PMB की संख्या में गिरावट क्यों आई है?

- **कार्यवाही में बाधा:** उदाहरण के लिए- 17वीं लोक सभा में 729 में से केवल 2 पर और राज्य सभा में 705 में से केवल 14 PMBs पर चर्चा हुई थी।
- **प्रक्रियागत मुद्दे:** PMBs के लिए सीमित समय आवंटित किया गया है **और अध्यक्ष/ सभापति की विधेयकों को स्वीकार या अस्वीकार करने की विवेकाधीन** शक्ति होती है।
- गैर-सरकारी सदस्यों के पास **संसाधनों की कमी** होती है।
- **कम सफलता:** अब तक केवल **14 PMBs कानून बने हैं,** आखिरी बार 1970 में।
- **राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी।**

आगे की राह:

- **प्रक्रियाओं को सरल बनाना:** PMBs के लिए निर्बाध समय आवंटित करना चाहिए। ऐसे बिलों की डिजिटल ट्रैकिंग करनी चाहिए।
  - आवंटित समय की सुरक्षा के लिए प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों में संशोधन करना चाहिए।
- **शोध सहायता:** सांसदों की सहायता के लिए समर्पित अनुसंधान इकाई, जैसे- **UK की पब्लिक बिल कमेटी।**
- **संस्थागत तंत्र:** प्राथमिकता सूची की सिफारिश करने और सभी दलों के समर्थन को प्रोत्साहित करने के लिए विधेयकों की जांच हेतु एक समर्पित समीक्षा समिति का गठन करना चाहिए।
  - **UK का 10-मिनट नियम मॉडल अपनाना:** सांसद अपना पक्ष रखने के लिए संक्षिप्त विधेयक पेश कर सकते हैं।

1.4. शक्तियों का पृथक्करण (SEPARATION OF POWERS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के उपराष्ट्रपति ने यह ज़ोर देकर कहा कि सरकार के तीनों अंगों – विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। उन्होंने सचेत किया कि यदि इन संस्थाओं के बीच कोई अतिक्रमण होता है, तो यह **"संस्थागत अतिक्रमण"** का खतरा पैदा करता है।

शक्तियों का पृथक्करण

- इसका अर्थ है सरकार के तीनों अंगों- **कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका** में अधिकार एवं कर्तव्यों का स्पष्ट विभाजन।
- **उत्पत्ति:** अरस्तू ने पहली बार सरकार के कार्यों को तीन श्रेणियों यथा- **विचार-विमर्श, मजिस्ट्रेट संबंधी और न्यायिक** में वर्गीकृत किया था।
  - हालांकि, इस सिद्धांत का आधुनिक प्रतिपादक फ्रांसीसी न्यायविद **'मोंटेस्क्यू'** को माना जाता है।
- **आधुनिक सिद्धांत:** अपनी पुस्तक **द स्पिरिट ऑफ द लॉज़** (1748) में, मोंटेस्क्यू ने शक्तियों के पृथक्करण के अपने सिद्धांत को प्रतिपादित और स्पष्ट किया था।

शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत

अनन्यता सिद्धांत (Exclusivity Principle):	कार्यात्मक सिद्धांत (Functional Principle):	नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत (Check and Balance Principle):	पारस्परिकता सिद्धांत (Mutuality Principle):
सरकार को तीन संरचनात्मक अंगों में विभाजित करना।	सभी अंगों की सीमाओं का निर्धारण करना और यह भी सुनिश्चित करना कि एक अंग दूसरे के कार्यों का अतिक्रमण नहीं करे।	प्रत्येक अंग द्वारा एक-दूसरे पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य एवं कर्तव्य संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहें।	सद्भाव पैदा करना - मतभेद नहीं करना, सहयोग करना - टकराव नहीं करना, संलग्न होना - विरोधी नहीं होना, आदि।

भारत में शक्तियों का पृथक्करण

- **नाजुक संतुलन:** भारतीय संविधान **शक्तियों के सीमित पृथक्करण के एक नाजुक संतुलन पर आधारित** है। सरकार के अलग-अलग अंगों के भिन्न-भिन्न कार्य हैं, लेकिन उनके बीच परस्पर नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी की गई है।
- **एक-दूसरे के कार्यों का आपस में टकराव:**
    - राष्ट्रपति (कार्यकारी प्रमुख), अध्यादेश जारी करने के रूप में विधायी शक्तियों का प्रयोग करता है।
    - विधायिका **राष्ट्रपति और न्यायाधीशों को हटाने, अपने विशेषाधिकार का उल्लंघन करने आदि मामलों में न्यायिक कार्य** करती है।
    - न्यायपालिका **कार्यपालिकाओं को दिशा-निर्देश** जारी करने और कुछ विधायी संशोधन करने में विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करती है।
- सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को **संविधान के मूल ढ़ांचे का हिस्सा** माना है।
- **अंगों के बीच संघर्ष:**
    - **न्यायिक हस्तक्षेप:** सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित राज्य विधेयकों पर तीन माह के भीतर निर्णय लेना होगा।
    - **विधायी अतिक्रमण:** राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम। इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति में केंद्रीय कानून मंत्री और दो प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल थे।
    - **कार्यपालिका द्वारा अतिक्रमण:** अधिकरणों में कार्यपालिका के सदस्यों का बहुमत, बार-बार अध्यादेश जारी करना आदि।

निष्कर्ष

सरकार के अंग पूरी तरह से अलग-अलग ढंग से कार्य नहीं कर सकते, इसलिए कुछ कार्यात्मक टकराव और पर्याप्त नियंत्रण एवं संतुलन के साथ शक्तियों का व्यापक पृथक्करण लोकतंत्र को सशक्त बनाता है।

1.5. राज्यों की स्वायत्तता की मांग (STATES' DEMAND FOR AUTONOMY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

तमिलनाडु सरकार ने **राज्य की स्वायत्तता और संघवाद को मजबूत** करने के तरीके सुझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के **पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता** में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया।

समिति को सौंपे गए कार्य

- केंद्र-राज्य संबंधों के संवैधानिक, कानूनी और नीतिगत पहलुओं की समीक्षा करना; राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित विषयों को फिर से राज्य सूची में लाने के उपाय सुझाना आदि।

भारतीय संविधान की संघीय योजना

- भारत **राज्यों का संघ है, राज्यों के पास संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं** है।
- एकल संविधान, एकल नागरिकता, समान अखिल भारतीय सेवाएँ, समान चुनाव आयोग और एक एकीकृत न्यायपालिका है।
- **सातवीं अनुसूची में अनुच्छेद 246** के तहत विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है।
- भारतीय संघवाद को अक्सर **अर्ध-संघीय** कहा जाता है, जिसमें केंद्र सरकार राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है।

भारत ने केंद्रीकृत संघवाद क्यों अपनाया?

- **भारत की एकता और अखंडता की रक्षा** करने के लिए, क्योंकि विभाजन की विभीषिका ने विभाजनकारी प्रवृत्तियों के उभरने की आशंका पैदा कर दी थी।
- **संपदा और विकास का समृद्ध एवं गरीब राज्यों के बीच समान वितरण** सुनिश्चित करना।
- **न्याय, संसदीय लोकतंत्र, स्वतंत्रता आदि के मूल संवैधानिक मूल्यों** को बढ़ावा देना। उन्हें एक मजबूत केंद्र के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है।
- **कानूनों की एकरूपता को बढ़ावा** देने के लिए।

राज्यों की स्वायत्तता को कम करने वाले प्रमुख मुद्दे

- **राज्य सूची के तहत विषयों में केंद्रीय हस्तक्षेप:** दक्षिणी राज्यों ने **विश्वविद्यालय की फैकल्टी और कुलपतियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति से संबंधित UGC के मसौदा विनियमों** को चुनौती दी है।
  - **तमिलनाडु ने मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए NEET का विरोध** किया है।
- **राजकोषीय शक्तियों का केंद्रीकरण:** GST के तहत सीमित कराधान शक्तियां, कर हस्तांतरण में देरी और अनुदान में कटौती की जा रही है।
- **राज्य विविधता की अनदेखी करने वाली एकसमान नीतियां:** तमिलनाडु द्वारा त्रिभाषा नीति की मांग का विरोध करना।
- **संस्थागत निगरानी में कमी: योजना आयोग का गठन कार्यकारी आदेश** द्वारा किया गया था, इसमें **संवैधानिक जवाबदेही** का अभाव था। राज्यपाल राज्य विधेयकों को मंजूरी देने में देरी कर रहे है।
- **केंद्रीकरण के बढ़ते उदाहरण:** उदाहरण के लिए- **तमिलनाडु में अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा अनुमति देने की शक्तियों का अनुचित उपयोग**, पश्चिम बंगाल ने राज्य की सहमति के बिना केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा जांच का विरोध किया आदि।

केंद्र-राज्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए प्रमुख पहलें

- **अंतर-राज्य परिषद (अनुच्छेद 263):** इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को बढ़ावा देना है।
- **योजना आयोग का प्रतिस्थापन:** नीति आयोग अधिक राज्य भागीदारी के साथ सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है।
- **कर हस्तांतरण में वृद्धि:** 14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 32% से बढ़ाकर 42% की।
- **GST परिषद:** यह GST नीतियों को तय करने के लिए **अनुच्छेद 279A के तहत स्थापित केंद्र और राज्य दोनों के सदस्यों वाला एक संयुक्त मंच** है।
- **केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) में कमी:** 130 से घटाकर 75 की गई, और भविष्य में इन्हें कम करके 50 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है।
- **विकेंद्रीकरण:** 73वें और 74वें संशोधनों ने पंचायतों एवं नगरपालिकाओं को अधिकार दिए हैं।

राज्य स्वायत्तता की मांग का प्रभावी रूप से समाधान करने के उपाय

- सरकारिया आयोग (1983) की मुख्य सिफारिशों को लागू करना
  - **सभी अवशिष्ट शक्तियों** (कराधान को छोड़कर) **को समवर्ती सूची में स्थानांतरित** किया जाना चाहिए। **संघ को समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने से पहले राज्यों से परामर्श** करना चाहिए।
- **समावेशी विकास को बढ़ावा देना:** पुंछी आयोग (2007) के अनुसार, पिछड़े राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण बढ़ाया जाना चाहिए। **भौतिक और मानव संसाधन अवसंरचना को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित** किया जाना चाहिए।
- **अंतर-राज्य परिषद का उपयोग करना:** वेंकटचलैया आयोग के अनुसार, परिषद् का उपयोग सामूहिक और व्यक्तिगत राज्य परामर्श दोनों के लिए किया जाना चाहिए।
- **समन्वय और नीतिगत सहमति को बढ़ावा देना:** यह कार्य क्षेत्रीय परिषदों, GST परिषद, नीति आयोग तथा अन्य सहकारी मंचों के माध्यम से किया जा सकता है।

निष्कर्ष

जैसा कि अन्नादुरई ने 1967 में कहा था, **"आपसी सद्भावना और समझदारी के माध्यम से हमें भाईचारे एवं परस्पर लाभकारी संबंध की स्थापना करनी चाहिए।"**

1.6. न्यायिक जवाबदेही (JUDICIAL ACCOUNTABILITY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

दिल्ली हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश के आवास पर करोड़ों रुपये नकद मिलने से **भारत की उच्चतर न्यायपालिका में जवाबदेही को लेकर चिंताएं बढ़** गई हैं।

जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा प्रमुख तंत्र

- **पद से हटाया जाना:** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 तथा न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968 द्वारा शासित।
- **1999 की आंतरिक जांच प्रक्रिया:** यह न्यायिक नैतिकता को नियंत्रित करने वाले दो महत्वपूर्ण चार्टर्स - **न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन, 1997** और **न्यायिक आचरण संबंधी बैंगलोर सिद्धांत, 2002** पर आधारित है।
  - **CJI सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और हाई कोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीशों के आचरण के खिलाफ शिकायतें प्राप्त** कर सकता है। हाई कोर्ट के

मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों के आचरण के खिलाफ शिकायतों का निपटान कर सकता है।

- **तीन सदस्यीय समिति** शिकायत की जांच करती है और पद से हटाने या आपराधिक कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है।
  - **किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत के मामले में** गठित जांच समिति में उस हाई कोर्ट को छोड़कर **अन्य हाई कोर्ट्स के दो मुख्य न्यायाधीश तथा एक न्यायाधीश शामिल** होता है।
  - **किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत** के मामले में गठित जांच समिति में **सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश तथा अन्य हाई कोर्ट्स के दो मुख्य न्यायाधीश** शामिल होते हैं।
  - **सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत** के मामले में समिति में **सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीश** शामिल होते हैं।
- **न्यायिक आचरण संबंधी बैंगलोर सिद्धांत:** स्वतंत्रता (Independence), सत्यनिष्ठा (Integrity), समानता (Equality), निष्पक्षता (Impartiality), सजगता/ औचित्य (Propriety), योग्यता और कर्मठता (Competence and Diligence)

भारत में न्यायिक जवाबदेही से संबंधित चिंताएं

- **न्यायिक स्वतंत्रता के साथ टकराव**
- **पद से हटाने की जटिल प्रक्रिया**
- **कोई अनिवार्य परिसंपत्ति प्रकटीकरण मानदंड नहीं**
- **सीमित नियंत्रण और संतुलन:** न्यायपालिका अपने अधिकांश पहलुओं जैसे **न्यायाधीशों की नियुक्ति** आदि को स्वयं नियंत्रित करती है।
- **जवाबदेही में बाधा डालने वाले अन्य प्रावधान: आपराधिक कार्रवाई से छूट/ उन्मुक्ति, RTI पर प्रतिबंध।**

न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आगे की राह

- **न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक:** इसे **15वीं लोक सभा** में पेश किया गया था, लेकिन **लोक सभा भंग होने के कारण यह व्यपगत** हो गया।
- **राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (NJC):** नियुक्तियों और कदाचार की जांच के लिए **भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट (80वीं व 121वीं)** द्वारा प्रस्तावित।
- **स्थायी अनुशासन समिति।**
- **न्यायिक निरीक्षण:** न्यायाधीशों के लिए एक स्थायी **प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली** विकसित की जा सकती है।

1.7. स्वामित्व योजना के 5 वर्ष (5 YEARS OF SVAMITVA SCHEME)

सुर्ख़ियों में क्यों?

स्वामित्व (ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा गांवों का सर्वेक्षण और मानचित्रण) योजना ने अपने शुभारंभ के 5 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं।

स्वामित्व के बारे में

- **आरंभ:** 2020
- **कार्यान्वयन:** पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग।
- **मुख्य प्रौद्योगिकी भागीदार:** भारतीय सर्वेक्षण विभाग, और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक. (NICSI)
- **प्रमुख घटक**
  - **कंटीन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंसिंग सिस्टम (CORS) नेटवर्क की स्थापना:** सटीक भू-संदर्भ और भूमि सीमांकन के लिए उपयोग।
  - **ड्रोन मैपिंग:** इससे संपत्ति का सटीक मानचित्र या नक्शा तैयार करके भू स्वामित्व अधिकार जारी किया जाता है।
  - **सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) पहल:** स्थानीय आबादी को योजना के तरीकों एवं लाभों के बारे में शिक्षित किया जाता है।
  - **ग्राम मानचित्र में सुधार:** ड्रोन सर्वेक्षणों से प्राप्त डिजिटल स्थानिक डेटा ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने वाले विश्लेषणात्मक टूल्स को सशक्त बनाता है।

योजना का महत्त्व

- **कानूनी सशक्तीकरण और विवाद समाधान:** यह योजना संपत्ति कार्ड जारी करती है। अब तक 1.3 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड जारी किए जा चुके है।
- **वित्तीय समावेशन के माध्यम से आर्थिक परिवर्तन:** संपत्ति कार्ड्स का उपयोग ऋण प्राप्त करने के क्रम में जमानत के रूप में किया जा रहा है।
- **गवर्नेंस में क्रांति और संसाधनों का इष्टतम उपयोग: एखातपुर-मुंजवाड़ी गाँव (महाराष्ट्र) ने अद्यतन संपत्ति रिकॉर्ड के माध्यम से स्वयं के स्रोत राजस्व (OSR) में वृद्धि** की है।
- **ग्रामीण विकास में तकनीकी नवाचार:** योजना में CORS नेटवर्क के

स्वामित्व योजना

- **ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण** और संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना।
- **विभागीय उपयोग के लिए सर्वेक्षण अवसंरचना** और GIS मानचित्रों का निर्माण करना।
- **GIS मानचित्रों का उपयोग** करके बेहतर गुणवत्ता वाली **ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP)** तैयार करना।
- नागरिकों को अपनी संपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाकर **वित्तीय संधारणीयता** प्रदान करना।
- संपत्ति कर का निर्धारण करना, जो सीधे ग्राम पंचायतों को उन राज्यों में मिलेगा जहां इसे हस्तांतरित किया गया है या फिर इसे राज्य के खजाने में जोड़ा जाएगा।

साथ सर्वेक्षण-ग्रेड ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है।

- **समग्र ग्रामीण परिवर्तन और योजना:** हरियाणा और उत्तराखंड में (ड्रोन सर्वेक्षण और संपत्ति कार्ड तैयारी दोनों में 100% पूर्णता), यह योजना योजनाबद्ध, सतत ग्रामीण विकास के लिए एक खाका तैयार करती है।

योजना के कार्यान्वयन के समक्ष चुनौतियां

- **संपत्ति कार्ड की अस्पष्ट कानूनी वैधता:** कई वित्तीय संस्थान स्वामित्व के निर्णायक प्रमाण के रूप में संपत्ति कार्ड को मान्यता नहीं देते हैं।
- **राज्य भूमि कानूनों और रिकॉर्ड रखने की प्रथाओं में भिन्नताएं:** आंध्र प्रदेश भू-अभिलेख के मामले में **पंजीकृत और अपंजीकृत, दोनों प्रकार की देनदारियों का रिकॉर्ड** रखता है, जबकि कई अन्य राज्य केवल **पंजीकृत बंधकों का ही रिकॉर्ड** रखते हैं।
- **संपत्ति कर संग्रह के सीमित अधिकार:**
  - ओडिशा ने **ग्राम पंचायतों को संपत्ति कर एकत्र करने का अधिकार नहीं** दिया है।
  - उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, जिला पंचायतें (ग्राम पंचायतें नहीं) संपत्ति कर एकत्र करती हैं।
- **हाशिए पर रहे समुदायों के लिए अपर्याप्त सुरक्षा:** हाशिए पर रही आबादी की अनदेखी की जा सकती है। इससे प्रभावशाली समूह अपने हित में भूमि प्राप्त कर सकते हैं।
- **डेटा प्रबंधन:** पारदर्शिता बनाए रखने के लिए गैर-व्यक्तिगत भूमि डेटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने से संबंधित प्रावधान भी अस्पष्ट हैं।

आगे की राह

- **कानूनी फ्रेमवर्क को मजबूत बनाना:** संपत्ति कार्ड को स्टांप ड्यूटी दस्तावेजों के रूप में शामिल करने के लिए राज्य राजस्व अधिनियमों में संशोधन करके वित्तीय संस्थानों द्वारा संपत्ति कार्ड को कानूनी मान्यता देना सुनिश्चित करना चाहिए।
- **रिकॉर्ड-कीपिंग को मानकीकृत करना:** संपत्ति कार्ड पर सभी देनदारियों को रिकॉर्ड करने के लिए एक समान प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए।
- **सभी ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना:** कानूनी संशोधनों के माध्यम से संपत्ति कर एकत्र करना चाहिए और व्यापक संपत्ति वर्गीकरण प्रणाली लागू करनी चाहिए।
- **हाशिये पर रहे समुदायों की रक्षा करना:** SC/ ST समूहों, महिलाओं और बटाईदारों के अधिकारों को पहचानने के लिए सर्वेक्षणकर्ताओं को प्रशिक्षित करना चाहिए, सक्रिय सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए आदि।
- **डेटा प्रबंधन को बढ़ाना:** पारदर्शिता में सुधार के लिए गैर-व्यक्तिगत भूमि डेटा को सार्वजनिक रूप से सुलभ बनाना चाहिए, समान भू-स्थानिक डेटा मानकों को लागू करना चाहिए आदि।

1.8. बिग टेक कंपनियों का विनियमन (REGULATING BIG TECH)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) ने **डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून समिति की रिपोर्ट** पर जनता से फीडबैक मांगा है।

पृष्ठभूमि

- इस समिति ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में नई चुनौतियों का समाधान करने के लिए **प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002** की समीक्षा की है।
- बिग टेक कंपनियों की **प्रतिस्पर्धा-विरोधी पद्धतियों पर बढ़ती वैश्विक चिंताओं** ने गूगल, मेटा, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और एक्स जैसी बिग टेक कंपनियों के लिए मजबूत विनियामक उपायों की मांग की है। जैसे- **मेटा और व्हाट्सएप बनाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (भारत, 2024-25) आदि।**

बिग टेक कंपनियों के विनियमन की आवश्यकता क्यों है?

- **संप्रभुता के लिए खतरा:** यूजर डेटा को अवैध रूप से एकत्रित करके और उसे देश के बाहर के सर्वरों पर भेजने से उसके दुरुपयोग का खतरा रहता है।
- **नेटवर्क प्रभाव:** बिग टेक कंपनियां नेटवर्क प्रभाव का उपयोग करके तेजी से आगे बढ़ती हैं। इसका अर्थ है कि उनके पास जितने अधिक यूजर्स होंगे, वे उतनी ही मजबूत होंगी। इससे नए प्रतिस्पर्धियों के लिए प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो जाएगा।
- **राजकोष को राजस्व हानि:** बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कर दुरुपयोग के कारण **भारत को प्रतिवर्ष लगभग 10 बिलियन डॉलर का नुकसान** होता है।
- **डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा जोखिम:** बड़े पैमाने पर डेटा संग्रहण से उसके दुरुपयोग, निगरानी एवं उल्लंघन की संभावना बढ़ जाती है।
- **नैतिक चिंताएं:** पारदर्शिता और जवाबदेही, लोक हित बनाम कॉर्पोरेट लाभ, डिजिटल डिवाइड और समानता, नैतिक नीति निर्माण और विनियमन, पर्यावरणीय जिम्मेदारी।

बिग टेक कंपनियों को विनियमित करने में चुनौतियां

- **विनियामक शून्यता: प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002** एक्स-पोस्ट मॉडल पर आधारित है, जिसमें प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार के घटित होने के बाद कार्रवाई की जाती है।
- **प्रवर्तन में देरी:** उदाहरण के लिए- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDPA), 2025 को अभी लागू किया जाना है।
- **विनियामक तंत्र का एकसमान न होना:** बड़ी टेक कंपनियां वैश्विक स्तर पर काम करती हैं, लेकिन विनियामक प्रतिक्रियाएं अलग-अलग देशों में अलग-अलग होती हैं।

- **टेक्नो-राष्ट्रवाद और संरक्षणवाद:** इससे देश घरेलू कंपनियों के पक्ष में हो जाते हैं।
- **कानून की अस्पष्टता:** एक्स ने आई.टी. अधिनियम की **धारा 69A के बजाय धारा 79 (3) (b)** को लागू करके सोशल मीडिया पर कंटेंट को हटाने के सरकारी आदेश को चुनौती दी, **सहयोग पोर्टल, सुप्रीम कोर्ट का श्रेया सिंघल फैसला।**
    - **आई.टी. अधिनियम की धारा 69A:** सरकार **अनुच्छेद 19 (2)** का उल्लंघन करने पर ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है।

बिग टेक कंपनियों को विनियमित करने के लिए प्रमुख कानून

भारत में

- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDPA), 2023:** डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रोसेसिंग के लिए प्रावधान करता है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) या आईटी नियम, 2021:** भारत में बड़े यूजर आधार वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को **महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्तियों (SSMIs)** के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- **प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002**
- **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019:** इसमें भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए कंपनियों को दंडित करने का प्रावधान है।

वैश्विक

- **यूरोपीय संघ:** डेटा संरक्षण और डिजिटल विनियमन के क्षेत्र में यूरोपीय संघ के प्रमुख कदमों में **जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR), 2016** और डिजिटल सर्विसेज एक्ट पैकेज के तहत प्रस्तावित **डिजिटल मार्केट एक्ट (DMA)** शामिल हैं।
- **संयुक्त राष्ट्र:** वर्ष 1980 में, संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंधात्मक व्यावसायिक प्रथाओं पर आयोजित सम्मेलन के तहत "प्रतिबंधात्मक व्यापारिक गतिविधियों के नियंत्रण के लिए बहुपक्षीय रूप से सहमत न्यायसंगत सिद्धांतों और नियमों के एक सेट" को स्वीकृति प्रदान की थी।

बिग टेक कंपनियों को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए आगे की राह

डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:

- **डिजिटल प्रतिस्पर्धा के पूर्व-विनियमन की आवश्यकता।**
- **प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण डिजिटल उद्यम (SSDE):** मुख्य सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं को नामित करना चाहिए।
- **SSDEs के वर्गीकरण के लिए सीमाएं।**
- **एसोसिएट डिजिटल एंटरप्राइजेज़ (ADEs):** उद्यमों को अपने समूह के अंतर्गत उन सभी अन्य उद्यमों की पहचान करनी चाहिए जो मुख्य डिजिटल सेवा की प्रदायगी में शामिल हैं।
- **SSDEs के दायित्व: SSDEs को निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन नहीं करना चाहिए;**
- अपने स्वयं के या संबंधित पक्ष के उत्पादों को प्राथमिकता देना या तीसरे पक्ष के ऐप्स को ब्लॉक करना।
- **नियमों को ठीक से लागू करना:** CCI को अपनी **तकनीकी क्षमता में सुधार** करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, **तेजी से अपील के लिए NCLAT की एक अलग पीठ गठित** की जानी चाहिए।
- **दंड:** उल्लंघन करने पर **SSDEs के वैश्विक कारोबार के 10% तक जुर्माना** लगाया जाना चाहिए।

1.9. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS)

1.9.1. समावेशी डिजिटल पहुंच संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है: सुप्रीम कोर्ट (INCLUSIVE DIGITAL ACCESS PART OF ARTICLE 21: SUPREME COURT)

हाल ही में, **अमर जैन बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले** में सुप्रीम कोर्ट ने कहा डिजिटल पहुंच, **जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है।**

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जुड़े हुए मुख्य बिंदु

- **डिजिटल KYC मानदंडों को संशोधित करने का निर्देश दिया गया:** यह सुनिश्चित करना होगा कि एसिड अटैक के कारण चेहरे की विकृति वाले व्यक्ति और दृष्टिहीन दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत सेवाओं के लाभ से वंचित न हों।
- **'मौलिक समानता के सिद्धांत' को लागू करना:** डिजिटल परिवर्तन समावेशी और न्यायसंगत दोनों होना चाहिए।।
- **राज्य का दायित्व:** संविधान के **अनुच्छेद 21, 14, 15 और 38** के तहत, राज्य सभी कमजोर एवं हाशिए पर रहने वाली आबादी के लिए डिजिटल अवसंरचना सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है।
    - **अनुच्छेद 38: राज्य समाजिक न्याय को बढ़ावा देगा।**

समावेशी डिजिटल पहुंच का महत्त्व: आवश्यक सरकारी योजनाओं तक पहुंच; ग्रामीण-शहरी विभाजन में कमी; ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म्स और वित्तीय प्रौद्योगिकियों तक पहुंच; विकास प्रक्रिया में हाशिए पर रहे लोगों का शामिल होना आदि।

इंटरनेट एक्सेस से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के अन्य निर्णय

साबू मैथ्यू जॉर्ज बनाम भारत संघ (2017)	अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020)
साबू मैथ्यू जॉर्ज बनाम भारत संघ (2017): जन्मपूर्व लिंग निर्धारण से संबंधित विज्ञापनों को सक्रिय तौर पर ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि, इससे सूचना तक पहुंच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में कटौती नहीं होनी चाहिए।	**अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020):** अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार को मान्यता दी गई।

1.9.2. पैदल यात्रियों के अधिकार (RIGHTS OF PEDESTRIANS)

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में **पैदल यात्रियों के संवैधानिक अधिकारों को मान्यता** दी।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश:

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि **"बिना किसी अवरोध और दिव्यांगजन-अनुकूल फुटपाथ के अधिकार" को अनुच्छेद 21 के तहत** गारंटी प्रदान की गई है।
- **सुप्रीम कोर्ट के निर्देश:**
    - सभी **सार्वजनिक सड़कों पर फुटपाथ** होने चाहिए, और वे **दिव्यांगजनों के लिए सुलभ एवं उपयोग योग्य** होने चाहिए।
    - **फुटपाथ से अतिक्रमण हटाना अनिवार्य** है।
    - सभी राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश **ऐसी नीतियां तैयार करें, जो फुटपाथों की उपलब्धता और रखरखाव सुनिश्चित** करें।

1.9.3. लोक सभा उपाध्यक्ष (DEPUTY SPEAKER OF THE LOK SABHA)

वर्ष 2019 से उपसभापति (DS) का पद लंबे समय से रिक्त है, जो संवैधानिक विसंगति की ओर इशारा करता है।

लोक सभा उपाध्यक्ष के बारे में

- यह पद **भारत सरकार अधिनियम, 1919** के तहत 1921 में अस्तित्व में आया था।
    - **सच्चिदानंद सिन्हा** ने पहली बार केंद्रीय विधान सभा में इस पद को संभाला था।
    - **एम. ए. अयंगर** स्वतंत्रता के बाद पहले निर्वाचित उपाध्यक्ष बने थे।
- **चुनाव (अनुच्छेद 93):** लोक सभा, यथाशीघ्र अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में सदन के दो सदस्यों का चयन करती है।
    - लंबे समय से चली आ रही परंपरा- उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाता रहा है।
- अध्यक्ष अपना त्याग-पत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है, जबकि उपाध्यक्ष अपना त्याग-पत्र अध्यक्ष को सौंपता है। (अनुच्छेद 94)।
- **कर्तव्य:** अनुच्छेद 95 के अनुसार, अध्यक्ष की अनुपस्थिति या रिक्ति की स्थिति में उपाध्यक्ष उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

रिक्ति से जुड़ी समस्याएं

- सभी प्रक्रियात्मक शक्तियों का अध्यक्ष (सत्ताधारी दल से) के पास केंद्रीकरण।
- संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना।
- समावेशिता और सहमति की राजनीति को दरकिनार करना।

उपाध्यक्ष के पद का महत्त्व

- **संवैधानिक अनिवार्यता:** उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के बराबर दर्जा दिया गया है।
- **निरंतरता, स्थिरता और संस्थागत संतुलन के लिए आवश्यक:** यह पद आपातकाल की स्थिति में **द्वितीय नेतृत्व** प्रदान करता है।
    - **1956 में अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर के निधन के बाद एम. ए. अय्यंगर** ने कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था।
- **विधायी जिम्मेदारियाँ:** उपाध्यक्ष महत्वपूर्ण सत्रों की अध्यक्षता करता है, समितियों का नेतृत्व करता है और गंभीर वाद-विवाद का संचालन निष्पक्षता एवं प्राधिकार के साथ करता है।

निष्कर्ष

एक निश्चित समय सीमा (जैसे, नई लोक सभा की पहली बैठक के 60 दिन) या एक **वैधानिक व्यवस्था की शुरुआत** की जा सकती है, ताकि समय सीमा के भीतर उपाध्यक्ष का चयन किया जा सके।

1.9.4. दल-बदल की याचिकाओं पर अध्यक्ष की निष्क्रियता (INACTION BY SPEAKERS ON DEFECTION PETITIONS)

सुप्रीम कोर्ट ने **दल-बदल याचिकाओं पर अध्यक्ष की लंबे समय तक निष्क्रियता की निंदा** की।

- **कानूनी प्रश्न:** क्या कोर्ट अर्ध-न्यायिक अधिकरण के रूप में कार्य करने वाले अध्यक्ष को दल-बदल विरोधी याचिकाओं पर एक तय समय-सीमा के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दे सकता है?

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ

- SC ने कहा कि यदि अध्यक्ष दल-बदल याचिकाओं पर **"अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं करता है" तो कोर्ट उस पर निर्णय देने में सक्षम है।**
- न्यायालय को उचित **समय-सीमा निर्धारित करने का अधिकार** है।
    - उदाहरण के लिए- **केशम मेघचंद्र सिंह बनाम मणिपुर विधान सभा के माननीय अध्यक्ष और अन्य वाद (2020)।**
- **यदि अध्यक्ष कार्रवाई करने में विफल रहता है:** तो **SC अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का उपयोग** कर सकता है।

अन्य SC टिप्पणियाँ:

- **किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हु (1992):** यदि अध्यक्ष कार्रवाई में देरी करता है, तो न्यायालयों को हस्तक्षेप करने का अधिकार है
- **रवि एस. नाइक बनाम भारत संघ (1994):** अध्यक्ष को एक राजनीतिक व्यक्ति की बजाय एक तटस्थ निर्णायक के रूप में कार्य करना चाहिए।
- **कर्नाटक विधायकों की अयोग्यता का मामला (2020):** इस संबंध में अध्यक्ष द्वारा शक्तियों को एक स्वतंत्र अधिकरण को हस्तांतरित करने पर विचार किया जाना चाहिए

दल-बदल विरोधी कानून: 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा दसवीं अनुसूची को जोड़कर पेश किया गया था।

1.9.5. दया याचिकाओं के लिए समर्पित सेल (DEDICATED CELL FOR MERCY PETITIONS)

महाराष्ट्र ने **मृत्युदंड** की सजा पाए दोषियों की **दया याचिकाओं पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए अतिरिक्त सचिव (गृह) के अधीन एक समर्पित सेल** की स्थापना की है। महाराष्ट्र सरकार का यह निर्णय **सुप्रीम कोर्ट के निर्देश (2024)** का पालन करता है।

दया याचिका (Mercy Petition) के बारे में

- न्यायालय द्वारा सजा मिलने के बाद, दोषी व्यक्ति के पास राष्ट्रपति या राज्यपाल के समक्ष दया याचिका (mercy petition) दायर करने का अंतिम संवैधानिक उपाय होता है।
- दया याचिका और क्षमा राष्ट्रपति या राज्यपाल की **विवेकाधीन** शक्तियों के अंतर्गत आते हैं, ये कानूनी अधिकार नहीं हैं।

- दया का उपयोग **क्षमादान की शक्ति** के माध्यम से किया जाता है, जिसे माफ़ करने की शक्ति के रूप में भी जाना जाता है।

क्षमादान की शक्ति

- **राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (अनुच्छेद 72)**
  - **क्षमा (Pardon):** सजा से पूर्ण मुक्ति।
  - **विराम (Respite):** दिव्यांगता या गर्भावस्था जैसी विशेष परिस्थितियों के कारण मूल सजा के स्थान पर कम सजा देना।
  - **स्थगन (Reprieve):** कुछ समय के लिए किसी सजा (विशेषकर मृत्युदंड) के निष्पादन पर रोक लगाना। इसका उद्देश्य दोषी को राष्ट्रपति से क्षमा या लघुकरण प्राप्त करने के लिए समय देना है।
  - **परिहार (Remit):** सजा की अवधि कम कर दी जाती है, जबकि इसकी प्रकृति वही रहती है।
  - **लघुकरण (Commute):** सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे- मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना।
- **राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति** कोर्ट मार्शल के मामलों, संघीय कानूनों के उल्लंघन और मृत्युदंड के मामलों पर लागू होती है।
- **राज्यपाल की क्षमादान शक्ति (अनुच्छेद 161):** राज्यपाल के पास भी क्षमादान शक्तियां हैं, लेकिन ये **मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल के मामलों तक विस्तारित नहीं हैं।**
- **मारू राम बनाम भारत संघ मामले (1980)** में, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने माना था कि **राष्ट्रपति और राज्यपाल स्वतंत्र रूप से नहीं, बल्कि सरकार की सलाह** पर कार्य करते हैं।

1.9.6. माध्यस्थम् के निर्णयों में संशोधन करने की न्यायालय की शक्तियां (POWER OF COURTS TO MODIFY ARBITRAL AWARDS)

सुप्रीम कोर्ट ने **गायत्री बालासामी बनाम आईएसजी नोवासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड** मामले में निर्णय दिया कि न्यायालय के पास आर्बिट्रेशन या माध्यस्थम् के निर्णयों में संशोधन करने की सीमित शक्तियां हैं। इसके अलावा, **माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996** के तहत निम्नलिखित परिस्थितियों में ही इनका प्रयोग किया जा सकता है:

- जब निर्णयों के **वैध हिस्सों में से अवैध हिस्सों को हटा करके लागू** किया जाता है।
  - सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ओम्ने माजूस कॉन्टिनेत इन से माइनस' सिद्धांत का उल्लेख किया। इसका अर्थ है **'बड़ी शक्ति में कम शक्ति निहित होती है'।** न्यायिक शब्दावली में इसका आशय है कि किसी **माध्यस्थम् के निर्णय को रद्द करने की शक्ति में आंशिक रूप से रद्द करने की शक्ति भी निहित** है।
- किसी **लिपिकीय, गणना संबंधी या टंकण संबंधी त्रुटि को सही** करने के लिए।
- कुछ मामलों में **निर्णय के पश्चात देय ब्याज में संशोधन** करने के लिए।
- **अनुच्छेद 142 (पूर्ण न्याय)** के तहत यह शक्ति 1996 के अधिनियम के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए।

भारत में माध्यस्थम् व्यवस्था (Arbitration in India):

- **अर्थ:** अदालत के बाहर, सहमति से विवाद-समाधान प्रक्रिया— वैकल्पिक विवाद समाधान (मध्यस्थता, सुलह के साथ) का एक भाग।
- **महत्त्व:** यह तरीका कम टकराव वाला, लचीला व त्वरित है।
- **कानूनी फ्रेमवर्क:** भारत में **माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996** के तहत इस तरह से विवाद सुलझाए जाते हैं। इस अधिनियम को **संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग (UNCITRAL) के मॉडल लॉ ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, 1985** के अनुसार बनाया गया है।
  - **अधिनियम की धारा 34(1)** के अनुसार, माध्यस्थम् के निर्णय को रद्द करने के लिए केवल अदालत का ही सहारा लिया जा सकता है।
  - **अधिनियम की धारा 37** में यह कहा गया है कि किन आदेशों के खिलाफ अदालत में अपील की जा सकती है।

1.9.7. रोहिंग्या तथा शरणार्थियों व निर्वासन से संबंधित प्रावधान (ROHINGYAS AND PROVISIONS RELATED TO REFUGEES AND DEPORTATION)

सुप्रीम कोर्ट ने **रोहिंग्या शरणार्थियों** से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि वे **संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR)-कार्ड** के आधार पर राहत का दावा नहीं कर सकते।

- UNHCR **शरणार्थियों, जबरन विस्थापित समुदायों और राज्य-विहीन लोगों की रक्षा करने वाला एक वैश्विक संगठन** है।

शरणार्थियों से संबंधित अन्य प्रावधान

भारत गैर-वापसी सिद्धांत का पालन करता है (बैंकॉक सिद्धांत, 1966)	**मोहम्मद सलीमुल्लाह बनाम भारत संघ (2021) वाद:** निर्वासित न किए जाने का अधिकार **अनुच्छेद 19 के तहत निवास या बसने के अधिकार का सहायक या सहवर्ती है।**

शरणार्थियों और निर्वासन से संबंधित भारत के वैधानिक प्रावधान

- भारत में **'शरणार्थियों' से संबंधित मुद्दे से निपटने के लिए कोई अलग कानून नहीं** है। इसलिए **शरणार्थी के 'दर्जे'** से जुड़े पहलुओं को अलग-अलग मामलों के आधार पर निपटाया जाता है। इसमें **द्विपक्षीय नीति को ध्यान** में रखा जाता है। भारत ने **"शरणार्थी कन्वेंशन 1951"** और इसके **'प्रोटोकॉल 1967'** पर हस्ताक्षर **नहीं** किए हैं।
  - भारत में शरणार्थी **'विदेशी' और 'विदेशी नागरिक'** की परिभाषा में आते हैं।
- **विदेशी विषयक अधिनियम, 1946:** यह **केंद्र सरकार को देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को हिरासत में लेने और निर्वासित करने की शक्ति** प्रदान करता है।
- **पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920:** केंद्र सरकार किसी भी ऐसे **विदेशी नागरिक को भारत से बाहर निकाल सकती है, जो बिना पासपोर्ट और वीजा के भारत में प्रवेश** करता है।
  - संविधान के **अनुच्छेद 258(1) और 239(1)** के अनुसार, **राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को भी उपर्युक्त अधिकार** सौंपे गए हैं।

1.9.8. आप्रवास और विदेशी विषयक विधेयक 2025 (IMMIGRATION AND FOREIGNERS BILL, 2025)

प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य **आप्रवास (आव्रजन) और विदेशियों से संबंधित विविध सेवाओं को सुव्यवस्थित** करना है। इसमें भारत में उनका **प्रवेश, निकास और रहना** शामिल है।

- यह विधेयक आव्रजन और विदेशियों से संबंधित सेवाओं को शासित करने वाले **मौजूदा चार कानूनों को निरस्त करता है-**
    - विदेशी विषयक अधिनियम, 1946,
    - पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम (1920),
    - विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम (1939), और
    - आप्रवास (वाहक-दायित्व) अधिनियम (2000)।

विधेयक के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र

- **प्रवेश करने या ठहरने से रोकने के लिए आधार:** यदि विदेशियों को राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, लोक स्वास्थ्य या विदेशी संबंधों के लिए खतरा माना जाता है, तो उन्हें देश में प्रवेश करने से वंचित किया जा सकता है।
    - इस संबंध में **आव्रजन अधिकारियों के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी** होंगे।
- **विदेशियों की ट्रैकिंग: शैक्षणिक प्रतिष्ठानों, अस्पतालों और नर्सिंग होम** जैसे संस्थानों को विदेशी नागरिकों की सूचना आव्रजन अधिकारियों को देनी होगी।
- **अन्य:** कानून के उल्लंघन पर **कठोर दंड का प्रावधान** किया गया है, जैसे- वैध दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करने पर **5 साल की कैद या 5 लाख रुपये तक का जुर्माना** आदि।

1.9.9. ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट जारी की गई (STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ REPORT)

इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में उजागर किया है कि 2024-25 की तुलना में 2025-26 के लिए बजट अनुमान (BE) संबंधी आवंटन में मामूली वृद्धि की गई है।

रिपोर्ट में की गई प्रमुख टिप्पणियां एवं सिफारिशें

आधार	टिप्पणी	सिफारिशें
बजट आवंटन	**संशोधित अनुमानों की तुलना में बजट अनुमान कम रहने की निरंतर प्रवृत्ति** देखी गई है।	यह सुनिश्चित करना चाहिए कि **राज्य फंड संबंधी अपनी मांग को समय पर प्रस्तुत करें** तथा आवंटित बजट का पूर्ण उपयोग करें।
योजनाओं का कार्यान्वयन	**प्रभावी तरीके से लागू नहीं** किया जा रहा है; उदाहरण- संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान।	ठोस कार्य योजना विकसित करना।
प्रशिक्षित जनशक्ति	सहायक कर्मचारियों की भारी कमी है।	**डिजिटल गवर्नेंस संबंधी पहलों** को अपनाना चाहिए।
अनुदान के प्रकार	**सशर्त (Tied) अनुदान (आवंटन का 60%)** का उपयोग निर्धारित कार्य या योजनाओं के लिए होता है, जबकि **बिना शर्त (Untied) वाले अनुदान (40%)** का उपयोग स्थानीय आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है।	**सशर्त और बिना शर्त वाले अनुदान का विलय** कर देना चाहिए।
पंचायत चुनाव	अलग-अलग राज्यों में **पंचायत चुनावों में देरी देखी** जा रही है, जैसे- कर्नाटक।	**समय पर चुनाव** कराना चाहिए।
राजस्व सृजन	**सरकार से मिलने वाले अनुदान पर अत्यधिक निर्भरता** बनी हुई है।	पंचायतों को संपत्ति कर, उपयोगकर्ता शुल्क और अन्य स्थानीय शुल्कों को लगाने का अधिकार देकर **उन्हें अपने स्रोतों से राजस्व सृजित करने के लिए सशक्त** बनाना चाहिए।

1.9.10. सिक्किम को राज्य का दर्जा मिलने की 50वीं वर्षगांठ (50TH ANNIVERSARY OF SIKKIM'S STATEHOOD)

सिक्किम राज्य की स्थापना के बारे में:

- सिक्किम को **36वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1975** के तहत **भारत संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा** दिया गया था।
    - इससे पहले, **35वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1974** द्वारा सिक्किम को संविधान के **अनुच्छेद 2A** के अंतर्गत भारत के **"संबद्ध राज्य" (Associate State) का दर्जा** दिया गया था।
        - बाद में **36वें** संविधान संशोधन द्वारा **अनुच्छेद 2A को निरस्त** कर दिया गया था।
- सिक्किम **भारत का 22वां राज्य** बना।
- **अनुच्छेद 371F में सिक्किम के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान** किए गए हैं।

1.10. अपने ज्ञान का परीक्षण कीजिए (TEST YOUR LEARNING)

MCQ

1. जनगणना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

a. भारत के इतिहास में जातिगत डेटा (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा) को आधिकारिक तौर पर एकत्र नहीं किया गया है।

b. सर्वेक्षणों के विपरीत, जनगणना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है।

c. महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त को जनगणना प्रपत्र (Census proforma) डिजाइन करने का अधिकार है।

d. यह सातवीं अनुसूची के तहत संघ सूची में शामिल है।

2. गैर- सरकारी विधेयकों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करने से दो महीने पहले इसकी सूचना देनी होती है।
2. ऐसा विधेयक 1970 में पारित हुआ था।
3. लोक सभा में प्रत्येक शुक्रवार के अंतिम ढाई घंटे चर्चा के लिए निर्धारित होते हैं।
4. राज्य सभा में प्रत्येक वैकल्पिक शुक्रवार के ढाई घंटे का समय निर्धारित होता है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है?

a. 1 और 2

b. 2 और 3

c. 3 और 4

d. 4 और 1

3. भारत की शरणार्थी और निर्वासन नीति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. भारत, शरणार्थी कन्वेंशन 1951 और इसके प्रोटोकॉल 1967 का हस्ताक्षरकर्ता हैं।
2. विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 राज्य सरकार को अवैध विदेशी नागरिकों को हिरासत में लेने और निर्वासित करने की शक्ति प्रदान करता है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है?

a. केवल 1

b. केवल 2

c. 1 और 2 दोनों

d. न तो 1, न ही 2

4. भारत में शक्तियों के पृथक्करण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

a. यह बिना किसी ओवरलैप के पूर्ण पृथक्करण है।

b. प्रत्येक निकाय पूर्ण अलगाव के रूप में कार्य करता है।

c. भारत शक्तियों के कठोर पृथक्करण का पालन करता है।

d. भारत कार्यात्मक ओवरलैप और जांच व संतुलन के साथ एक व्यापक पृथक्करण का पालन करता है।

5. उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश पारित करने की शक्ति प्राप्त है?

a. अनुच्छेद 32

b. अनुच्छेद 142

c. अनुच्छेद 136

d. अनुच्छेद 226

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

Q1. गैर-सरकारी विधेयक (PMB) सहभागी लोकतंत्र की भावना को प्रतिबिम्बित करते हैं, फिर भी उनकी प्रभावशीलता लगातार सीमित होती जा रही है। भारत की संसदीय प्रक्रिया में गैर-सरकारी विधेयकों की घटती संख्या के कारणों पर चर्चा कीजिए। उनकी प्रासंगिकता को पुनर्जीवित करने के उपाय सुझाइए। (150 शब्द)

Q2. भारतीय संदर्भ में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। सरकार के तीनों अंगों के बीच संतुलन बनाए रखने में संवैधानिक प्रावधानों, न्यायिक निर्णयों और व्यावहारिक चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। (250 शब्द)

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (INTERNATIONAL RELATIONS)

विषय सूची

2.1. सिंधु जल संधि (INDUS WATERS TREATY). 22

2.2. भारत-चीन संबंधों के 75 वर्ष (75 YEARS OF INDIA-CHINA RELATIONS) 24

2.3. चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CHINA PAKISTAN ECONOMIC CORRIDOR: CPEC). 25

2.4. भारत-श्रीलंका संबंध (INDIA – SRI LANKA RELATIONS) 26

2.5. भारत-मॉरीशस द्विपक्षीय संबंध (INDIA-MAURITIUS BILATERAL RELATIONS) 27

2.6. भारत-सऊदी अरब संबंध (INDIA-SAUDI ARABIA RELATIONS) 28

2.7. भारत-संयुक्त अरब अमीरात संबंध (INDIA-UAE RELATIONS) 29

2.8. भारत–तुर्किये संबंध (INDIA–TURKEY RELATIONS) . . . 30

2.9. भारत - न्यूजीलैंड संबंध (INDIA NEW ZEALAND RELATIONS) 31

2.10. भारत-यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौता {INDIA-UK FREE TRADE AGREEMENT (FTA)} 31

2.11. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा पाकिस्तान को ऋण {INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF) LENDING TO PAKISTAN} 32

2.12. द्विपक्षीय निवेश संधि (BILATERAL INVESTMENT TREATY: BIT) 34

2.13. उभरती विश्व व्यवस्था (EMERGING WORLD ORDER). . . . 34

2.14. अंतर्मुखी विकास रणनीतियां (INWARD-LOOKING DEVELOPMENT STRATEGIES) 35

2.15. छठा बिम्सटेक शिखर सम्मेलन (6TH BIMSTEC SUMMIT) 36

2.16. इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (INDIAN OCEAN RIM ASSOCIATION: IORA) 37

2.17. भारतीय प्रवासी (INDIAN DIASPORA). 38

2.18. चीन द्वारा दुर्लभ भू-धातुओं के निर्यात पर नियंत्रण (CHINA'S RARE EARTH ELEMENTS EXPORT CONTROL) 39

2.19. संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना (UNITED NATIONS PEACEKEEPING). 40

2.20. संक्षिप्त सुर्खियां (NEWS IN SHORTS). 42

2.21. अपने ज्ञान का परीक्षण कीजिए (TEST YOUR LEARNING) . 46

2.1. सिंधु जल संधि (INDUS WATERS TREATY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को समर्थन दिए जाने का हवाला देते हुए सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया।

अन्य संबंधित तथ्य

- '**निलंबन**' शब्द अस्थायी निष्क्रियता या स्थगन की स्थिति को दर्शाता है। हालांकि, यह अंतर्राष्ट्रीय संधि कानून के तहत **कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त अवधारणा नहीं** है।
- न तो **सिंधु जल संधि (IWT)** और न ही **वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज (VLCT), 1969** किसी संधि के दायित्वों को स्थगित करने के लिए 'निलंबन' को एक वैध आधार के रूप में स्वीकार करता है।
- **सिंधु जल संधि में एकतरफा निलंबन का प्रावधान** नहीं है।

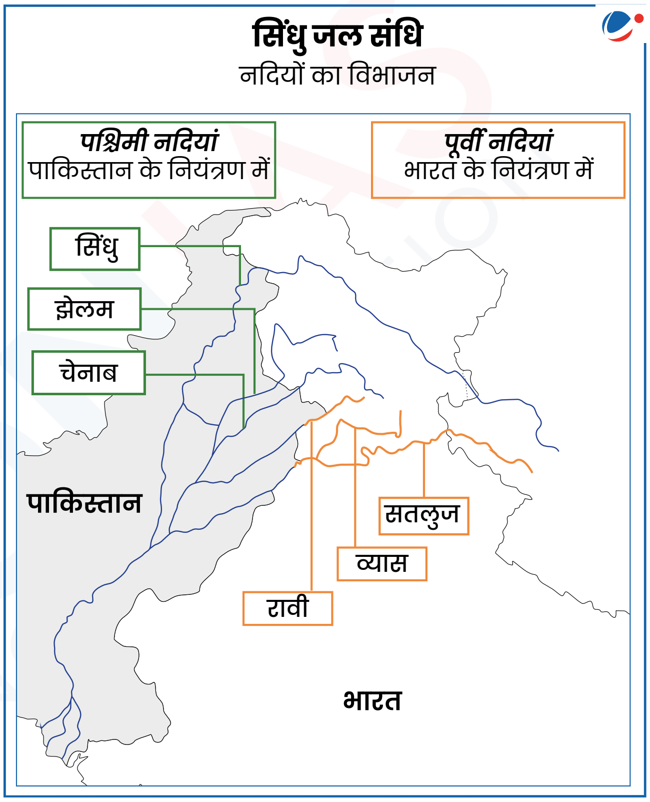

सिंधु जल संधि के बारे में

- **उत्पत्ति: 1960 में भारत और पाकिस्तान ने हस्ताक्षर** किए थे। इस संधि पर **विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता** की गई थी।
- **उद्देश्य:** सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल का **वितरण** सुनिश्चित करना।
- **नदी जल का बंटवारा:**
  - **पूर्वी नदियां (रावी, व्यास, सतलुज):** भारत द्वारा पूर्ण उपयोग।
  - **पश्चिमी नदियां (सिंधु, झेलम, चिनाब):** पाकिस्तान को आवंटित; भारत ने गैर-उपभोग्य उपयोग की अनुमति दी।
  - **अनुच्छेद III(1):** पश्चिमी नदियों के जल के प्रवाह को पाकिस्तान में बहने देने के लिए बाध्य है।
  - **डेटा का आदान-प्रदान:** नदी के प्रवाह और उपयोग के संबंध में जानकारी का आदान-प्रदान।
- **विवाद समाधान (3-चरण):**
  - **स्थायी सिंधु आयोग (PIC)**- दो आयुक्त; वार्षिक बैठक करते हैं।
  - **तटस्थ विशेषज्ञ**- विश्व बैंक द्वारा नियुक्ति। इसके निर्णय बाध्यकारी है।

मध्यस्थता न्यायालय (CoA)- 7 सदस्यीय न्यायाधिकरण। इसमें बहुमत से निर्णय लिए जाते है।

सिंधु जल संधि के निलंबन के निहितार्थ	
भारत पर	**पाकिस्तान पर**
• **विश्वसनीयता: एकतरफा कार्रवाई** एक जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय पक्षकार के रूप में भारत की विश्वसनीयता कमजोर हो सकती है। • **जल संसाधनों का शस्त्रीकरण: ब्रह्मपुत्र के संबंध में चीन** द्वारा भी यही **रणनीति** अपनाई जा सकती है।।	• **खाद्य सुरक्षा:** विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, 80% फसलें सिंधु नदी की सिंचाई पर निर्भर हैं। • **आर्थिक प्रभाव: गेहूं, धान और कपास की खेती** मुख्य रूप से सिंधु नदी तंत्र पर निर्भर है। इनसे **2022 में 4.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर** प्राप्त हुए थे। • **विद्युत और जल की कमी:** पाकिस्तान की **एक-तिहाई बिजली जलविद्युत** से आती है, और पाकिस्तान पहले से ही जल की कमी से ग्रस्त देश है।

IWT से संबंधित अन्य मुद्दे

- **बांधों पर आपत्ति:** पाकिस्तान किशनगंगा (झेलम) और रतले (चिनाब) बांधों पर आपत्ति जताई है।
- **विवाद समाधान-तंत्र का पालन न करना:** भारत की किशनगंगा जलविद्युत परियोजना पर पाकिस्तान ने तटस्थ विशेषज्ञ तंत्र को दरकिनार करते हुए सीधे **हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA)** में मामले को ले गया था, जो यह संधि के विवाद समाधान तंत्र का उल्लंघन करता है।
- **जैव विविधता पर प्रभाव: शाहपुरकंडी और उझ (रावी) परियोजनाएं सिंधु डॉल्फिन** को प्रभावित कर सकते हैं।
- **आतंकवाद से संबंध:** 2016 में, कश्मीर में एक आतंकवादी हमले के बाद भारत ने चेतावनी दी थी कि "पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते"।
- **नियमित डेटा साझाकरण नहीं:** नदी बेसिन की स्थिति को समझने के लिए **जल प्रवाह संबंधी डेटा साझाकरण महत्वपूर्ण रूप से आवश्यक है।**

अंतर्राष्ट्रीय जल साझाकरण पर अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत

- **हेलसिंकी नियम, 1966:** इसे इंटरनेशनल लॉ एसोसिएशन द्वारा अपनाया गया है; अंतर्राष्ट्रीय जल निकासी बेसिनों के उपयोग को नियंत्रित करता है।
- **हेलसिंकी कन्वेंशन, 1992:** यह **सीमा-पार जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए एक कानूनी ढांचा** प्रदान करता है।
- **यू.एन. वाटरकोर्स कन्वेंशन, 1997: यह सीमा-पार जलमार्गों के गैर-नौवहन उपयोग** पर कानून को संहिताबद्ध करता है।
  - **भारत, चीन और पाकिस्तान** ने इस पर हस्ताक्षर **नहीं** किए हैं।

निष्कर्ष

भारत का 'निलंबन' का प्रयोग एक रणनीतिक संदेश है, संधि को अस्वीकार करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये संधियां व्यावहारिक राजनीतिक परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करनी चाहिए और भारत के हितों की रक्षा के लिए सभी पक्ष अपनी विश्वसनीयता बनाए रखें।

2.1.1. शिमला समझौता (SHIMLA AGREEMENT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पाकिस्तान ने शिमला समझौते सहित भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौतों में अपनी भागीदारी को 'निलंबित' रखेगा।

शिमला समझौता

- **पृष्ठभूमि:** भारत-पाकिस्तान ने **1971 के युद्ध के बाद 1972 में हस्ताक्षर किए थे**। इसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ।
- **मुख्य प्रावधान**
  - **संबंधों का सामान्यीकरण:** संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांत संबंधों को विनियमित करेंगे, युद्धबंदियों और नागरिकों की स्वदेश वापसी को भी सुगम बनाया।
  - **द्विपक्षीय समाधान:** द्विपक्षीय वार्ता या आपसी समझौते के माध्यम से आपसी विवादों को सुलझाना।
  - **नियंत्रण रेखा (LoC):** जम्मू और कश्मीर में LoC में 1971 की संघर्ष विराम रेखा को औपचारिक रूप दिया गया।
  - **संप्रभुता का सम्मान:** पारस्परिक गैर-हस्तक्षेप और क्षेत्रीय सम्मान।
  - **भविष्य की बैठकें:** शिखर-स्तरीय शांति वार्ता के लिए प्रावधान।

शिमला समझौते का महत्त्व

- **द्विपक्षीय ढांचा:** इसने कश्मीर समस्या का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के पाकिस्तान के प्रयासों का मुकाबला किया।
- **LoC को स्थिर करना:** इसने नियंत्रण रेखा को अंतर्राष्ट्रीय वैधता प्रदान की।
- **सहयोग की संभावनाएं:** करतारपुर कॉरिडोर, 2012 वीज़ा समझौता जैसे प्रयासों को संभव बनाया।
- **विश्वास निर्माण:** आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से बचते हुए संवाद को बढ़ावा दिया।

शिमला समझौते के निलंबन के निहितार्थ

- **सांकेतिक और राजनयिक प्रभाव:** मुख्यतः प्रतीकात्मक, क्योंकि यह समझौता बार-बार उल्लंघनों (जैसे पुलवामा 2019) के कारण व्यावहारिक प्रासंगिकता कम हो गई है।
- **LoC के लिए सामरिक निहितार्थ:** LoC को वास्तविक सीमा के रूप में मान्यता न देने से यथास्थिति को बदलने के प्रयास हो सकते हैं, जैसा कि कारगिल युद्ध में देखा गया था।
- **क्षेत्रीय स्थिरता:** परमाणु-सशस्त्र पड़ोसियों के बीच शांति को कमजोर कर सकता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण:** पाकिस्तान की अविश्वसनीयता संबंधी भारत के आरोपों को बल मिल सकता है।
- **भारत के लिए सामरिक लाभ:** भारत सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ अधिक कठोर रुख अपना सकता है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) पर अपने दावों पर नए सिरे से फैसला ले सकता है।

भारत और पाकिस्तान के बीच अन्य महत्वपूर्ण समझौते

- **नेहरू-लियाकत समझौता (1950):** यह दोनों देशों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- **धार्मिक तीर्थस्थलों की यात्राओं पर द्विपक्षीय प्रोटोकॉल (1974):** यह सीमा पार धार्मिक यात्राओं की सुविधा प्रदान करता है।
- **परमाणु अनाक्रमण समझौता (1988):** इसके तहत दोनों **देश प्रतिवर्ष 1 जनवरी को परमाणु सुविधा सूचियों का आदान-प्रदान** करते है।
- **मिसाइलपरीक्षण की पूर्व-सूचना पर समझौता (2005):** इसके तहत बैलिस्टिक मिसाइल के उड़ान परीक्षण की अग्रिम सूचना देनी होगी।
- **करतारपुर गलियारा समझौता (2019):** पाकिस्तान के गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर की वीजा-मुक्त यात्रा की सुविधा प्रदान करता है।
- **अन्य:** हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की रोकथाम और सैन्य विमानों द्वारा ओवरफ्लाइट एवं लैंडिंग की अनुमति पर समझौता (1991) आदि।

निष्कर्ष

शिमला समझौता द्विपक्षवाद और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांतों ने स्थिरता के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य संबंधों को फिर से स्थापित करने, ऐतिहासिक शिकायतों को दूर करने और आपसी विश्वास को बढ़ावा देने के लिए मदद करना है।

2.2. भारत-चीन संबंधों के 75 वर्ष (75 YEARS OF INDIA-CHINA RELATIONS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

चीन के राष्ट्रपति ने भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष के अवसर पर "ड्रैगन-एलिफेंट टैंगो" का प्रस्ताव रखा है।

अन्य संबंधित तथ्य:

- **"ड्रैगन-एलिफेंट टैंगो"** का उपयोग चीन और भारत के बीच शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक संबंधों के विजन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है।
- **ड्रैगन चीन का प्रतिनिधित्व** करता है और **एलीफेंट (हाथी) भारत** का प्रतिनिधित्व करता है।

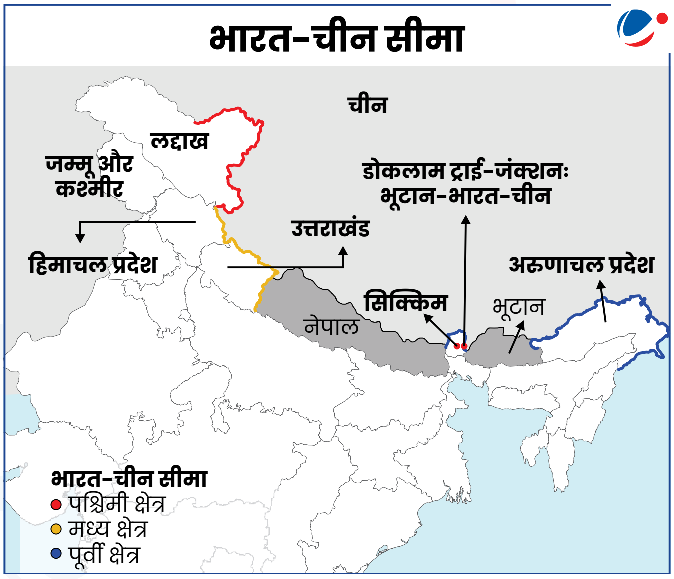

शांतिपूर्ण भारत-चीन संबंधों का महत्व

- **क्षेत्रीय शांति:** सीमा तनाव कम होंगे, विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा।
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समृद्धि:** सामरिक तनाव को कम करके, क्षेत्रीय सहयोग बढ़ेगा।
- **व्यापार और निवेश:** उदाहरण के लिए, **चीन सक्रिय फार्मास्युटिकल घटकों (APIs) की आपूर्ति करता है, तथा भारतीय स्टार्ट-अप्स में निवेश** करता है।
  - **चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापार (118.4 बिलियन डॉलर)** भागीदार है।
- **संसाधनों तक पहुँच:** चीन भारत के फार्मास्युटिकल उद्योग के लिए **सक्रिय फार्मास्युटिकल घटकों (APIs)** का मुख्य स्रोत है। साथ ही वह भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में बड़ा निवेशक भी है।
- **वैश्विक प्रभाव:** दोनों BRICS, SCO में सहयोग कर रहे है तथा WTO, IMF और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं में सुधार के लिए दबाव बनाया जा सकता है।
- **वैश्विक चुनौतियों का सामना करना:** जलवायु परिवर्तन, लोक स्वास्थ्य और ऊर्जा मुद्दों पर संयुक्त कार्रवाई कर सकते है।

भारत-चीन संबंधों में मुख्य चिंताएं/ समस्याएं

- **सीमा-निर्धारण स्पष्ट नहीं होना:** भारत और चीन के बीच 3,488 किमी लंबी सीमा (LAC) अब तक स्पष्ट नहीं है, जिससे टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण: **डोकलाम (2017), गलवान घाटी संघर्ष (2020)।**
- **व्यापार असंतुलन:** 2023-24 में **भारत का व्यापार घाटा चीन के साथ 85 बिलियन डॉलर** तक पहुंच गया।
  - भारत **चीन पर सेमीकंडक्टर, दवाओं में उपयोग होने वाले APIs** आदि के लिए निर्भर है।
- **चीन-पाकिस्तान गठजोड़:** भारत पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) से गुजरने वाले चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन मानता है।
- **आक्रामकता: स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स** जैसी रणनीतियों के माध्यम से चीन की मालदीव, श्रीलंका, दक्षिण चीन सागर में उपस्थिति।
- **जल शक्ति:** चीन का भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र से बहने वाली नदियों पर नियंत्रण है। उसने **जांगमू, जियाचा जैसे बांध** बनाए हैं।

आगे की राह

- **राजनयिक संवाद बनाए रखना:** ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन, G20 और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) का उपयोग संवाद के लिए किया जाना चाहिए।
- **एक-दूसरे का सम्मान करना:** सम्मान, संवेदनशीलता और हितों पर आधारित संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- **रणनीतिक संतुलन:** कूटनीतिक रूप से जुड़ते हुए संप्रभुता की रक्षा की जानी चाहिए।
- **जल संसाधन प्रबंधन:** दोनों देशों में बहने वाली नदियों के लिए हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करने पर सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है।
- **विश्वास निर्माण उपाय (CBM):** सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों का विस्तार किया जाना चाहिए।

स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति

- **चीन की रणनीति:** इसका उद्देश्य **ऊर्जा आपूर्ति मार्गों की सुरक्षा करने और क्षेत्र में अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए IOR में वाणिज्यिक और सैन्य ठिकानों का निर्माण** करना है।
- **प्रमुख सैन्य ठिकान: पाकिस्तान (ग्वादर), श्रीलंका (हंबनटोटा), बांग्लादेश (चटगांव) और म्यांमार (सितवे और कोको द्वीप), और जिबूती में उसका एक सैन्य अड्डा भी है।**

भारत की "हीरों का हार(Necklace of Diamonds)" रणनीति

- यह एक बहुआयामी अप्रोच है जिसमें शामिल हैं:
  - **नौसैनिक अड्डों का विकास और पहुंच सुनिश्चित करना:** उदाहरण के लिए, चाबहार (ईरान), ओमान, चांगी नौसेना बेस (सिंगापुर)।
  - **क्षेत्रीय भागीदारी: एक्ट ईस्ट नीति, आसियान, क्वाड, आदि के माध्यम से संबंधों को मजबूत** करना।
  - **समुद्री दृष्टि:** क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के लिए **सागर/ SAGAR** और महासागर/ MAHASAGAR।

2.3. चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CHINA PAKISTAN ECONOMIC CORRIDOR: CPEC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में **चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने CPEC को अफगानिस्तान तक बढ़ाने** पर सहमति व्यक्त की।

CPEC क्या है?

- यह **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)** की एक प्रमुख परियोजना है। BRI को **2015 में शुरू** किया गया था।
- यह **सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और मैरीटाइम सिल्क रोड** के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करेगा।
- CPEC के अंतर्गत अधिकांश परियोजनाएं **ऊर्जा और अवसंरचना** से संबंधित हैं।
- इसमें लगभग **3000 किलोमीटर की सड़कें, रेल लाइंस और पाइपलाइंस का नेटवर्क** शामिल है, जो **ग्वादर बंदरगाह** (पाकिस्तान) को **काशगर** (शिनजियांग, चीन) से जोड़ता है।

बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के बारे में

- BRI की शुरुआत चीन ने **वर्ष 2013** में की थी, जिसका उद्देश्य अंतरमहाद्वीपीय स्तर पर कनेक्टिविटी और सहयोग को बढ़ाना है।
- BRI को **वन बेल्ट वन रोड (OBOR)** के नाम से भी जाना जाता है। **इसके दो घटक हैं-**
  - **सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट ("बेल्ट"):** यह भूमि-आधारित बेल्ट चीन को मध्य एशिया एवं दक्षिण एशिया से और आगे यूरोप से जोड़ती है।
  - **न्यू मैरीटाइम सिल्क रोड ("रोड"):** यह मैरीटाइम रोड चीन को दक्षिण-पूर्व एशिया, खाड़ी देशों तथा पूर्वी और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ते हुए यूरोप तक जाता है।

अफगानिस्तान के CPEC में शामिल होने को लेकर भारत की चिंताएं

- **भू-सामरिक चिंता:** CPEC का अफगानिस्तान तक विस्तार होने से भारत की पहलों जैसे **चाबहार बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC)** की रणनीतिक उपयोगिता सीमित हो जाएगी।
  - **रणनीतिक घेराबंदी:** चीन "स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स" के तहत सामरिक बंदरगाहों जैसे कि **हंबनटोटा (श्रीलंका), ग्वादर (पाकिस्तान) और चटगाँव (बांग्लादेश)** में अपनी पकड़ बना चुका है। CPEC का अफगानिस्तान में विस्तार भारत के पश्चिमी मोर्चे पर दबाव बढ़ाएगा।
- **चीन–पाकिस्तान–अफगानिस्तान धुरी:** यह पाकिस्तान की अफगानिस्तान पर पकड़ को मजबूत करती है तथा भारत की सॉफ्ट पावर और विकास संबंधी प्रभाव **(जैसे- जरांज-डेलाराम राजमार्ग)** को दरकिनार करती है।
- **सुरक्षा संबंधी जोखिम:** तालिबान शासन, यदि **चीन की फंडिंग और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों** के सहयोग से काम करता है, तो वह **भारत-विरोधी आतंकवाद** (जैसे कि जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा) का केंद्र बन सकता है।
- **आर्थिक चिंताएं: अफगानिस्तान का लिथियम और दुर्लभ भू तत्व भंडार** CPEC के माध्यम से चीनी नियंत्रण में जा सकते हैं, जिससे भारत को नुकसान होगा।

CPEC के प्रत्युत्तर में भारत द्वारा उठाए गए कदम

- **चाबहार बंदरगाह:** यह **ग्वादर और CPEC** को बायपास करते हुए **अफगानिस्तान व मध्य एशिया** तक सीधी पहुंच उपलब्ध कराता है।
- **INSTC:** यह **भारत-ईरान-रूस** द्वारा स्थापित एक **मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क** है, जो **कैस्पियन सागर के माध्यम से हिंद महासागर को यूरोप** से जोड़ता है।
- **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) (2023): भारत, यूरोप और मध्य-पूर्व** को **UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजरायल तथा यूरोपीय संघ** के माध्यम से जोड़ना।
- **क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग (QUAD): भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया** का एक सुरक्षा मंच है। यह **मुक्त इंडो-पैसिफिक** को सुनिश्चित करने और चीन के बढ़ते प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने के लिए कार्य करता है।

निष्कर्ष

भारत को चाबहार को आगे बढ़ाना चाहिए, अफगानिस्तान के साथ वार्ता करनी चाहिए और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पारदर्शी, समावेशी एवं सतत क्षेत्रीय अवसंरचना पर बल देना चाहिए।

2.4. भारत-श्रीलंका संबंध (INDIA – SRI LANKA RELATIONS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के प्रधान मंत्री को श्रीलंका की राजकीय यात्रा के दौरान **श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार "मित्र विभूषण"** से सम्मानित किया गया।

यात्रा के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **रक्षा सहयोग:** समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए; श्रीलंका ने आश्वासन दिया कि उसकी भूमि का **उपयोग भारत के खिलाफ नहीं होने दिया** जाएगा।
- **ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग:** भारत-श्रीलंका-संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त रूप से **त्रिंकोमाली में** एक **एनर्जी हब** का विकास करेंगे।
- **अनुदान सहायता:** भारत ने त्रिंकोमाली में **थिरु कोणेश्वरम मंदिर**, नुवारा एलिया में **सीता एलिया मंदिर** और अनुराधापुरा में **सेक्रेड सिटी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट** के विकास के लिए अनुदान सहायता की घोषणा की।

भारत-श्रीलंका संबंधों का महत्त्व

दोनों देशों के लिए महत्त्व

- **वैश्विक सहयोग: ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए** श्रीलंका के आवेदन का भारत ने समर्थन किया। श्रीलंका ने UNSC में 2028-29 के कार्यकाल के लिए **अस्थायी सदस्यता** हेतु भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है।
- **समुद्री सुरक्षा: हिंद महासागर क्षेत्र (IOR)** में पारंपरिक और गैर-पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए साझा प्रयास।
- **ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग:** इंटर-ग्रिड कनेक्टिविटी, LNG, पाइपलाइन, संपूर पावर प्रोजेक्ट पर वार्ता की।
- **बहुपक्षीय सहयोग:** दोनों की राष्ट्रमंडल, IORA और बिम्सटेक में सक्रिय भूमिका।
- **सैन्य सहयोग:** संयुक्त अभ्यास - SLINEX (नौसेना अभ्यास) और मित्र शक्ति (थल सेना अभ्यास); मिलन (MILAN) में शामिल हुआ।

श्रीलंका के लिए महत्त्व	भारत के लिए महत्त्व
वित्तीय सहायता: भारत ने 4 बिलियन डॉलर की सहायता (2022-23) प्रदान की; कांकेसंथुराई बंदरगाह के जीर्णोद्धार के लिए सहायता किया। **IMF बेलआउट पैकेज:** भारत से आश्वासन मिलने पर श्रीलंका को 2.9 बिलियन डॉलर का **IMF पैकेज (2023)** मिला। **आर्थिक महत्व:** भारत श्रीलंका का **सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक**, और **सबसे अधिक पर्यटक भेजने वाला देश** है। **अन्य:** मानवीय सहायता।	**हिंद महासागर सुरक्षा: क्षेत्रीय समुद्री स्थिरता** के लिए श्रीलंका की अहम भूमिका है। **नीतिगत प्राथमिकता:** श्रीलंका, भारत की **'पड़ोस प्रथम' नीति** और **महासागर (MAHASAGAR)** सिद्धांत का केंद्रीय स्थान है। **भारतीय मूल के तमिल (IOTs):** लगभग **16 लाख IOTs** श्रीलंका के चाय बागानों और कोलंबो के व्यापारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं।

भारत-श्रीलंका संबंधों में बाधाएं

- **चीनी प्रभाव:** हंबनटोटा बंदरगाह जैसी **चीनी परियोजनाओं को लेकर रणनीतिक चिंताएँ**।
- **मछुआरों के बीच विवाद:** श्रीलंका **बॉटम ट्रॉलिंग** का विरोध करता है; साथ ही **कच्चातिवु द्वीप** को लेकर **सीमा विवाद** भी बना रहता है।
- **तमिल नृजातीय मुद्दा:** 13वें संशोधन (इंडो-लंका समझौते, 1987 के तहत लाया गया) में देरी से राजनीतिक तनाव पैदा होता है। इस समझौते का सिंहली राष्ट्रवादियों द्वारा विरोध किया जाता है, तथा तमिल समूहों द्वारा समर्थन किया जाता है।

आगे की राह

- **भारत की पाँच "S" की नीति: सम्मान** (Samman), **संवाद** (Samvad), **सहयोग** (Sahyog), **शांति** (Shanti); तथा **सार्वभौमिक समृद्धि** (Samriddhi) के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने की नीति पर चलना चाहिए।
- **रचनात्मक सहयोग:** मछुआरों के लिए **द्विपक्षीय तंत्र स्थापित** करना चाहिए; **संवाद के माध्यम से 13वें संशोधन को लागू करने की आवश्यकता** है।
- **सॉफ्ट पावर और संस्कृति:** तकनीक और प्रवासी समुदाय का उपयोग करके **बौद्ध सर्किट, रामायण ट्रेल के तहत धार्मिक पर्यटन को संयुक्त रूप** से बढ़ावा देना चाहिए।
- **बहुपक्षीय सहयोग:** समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक एकीकरण के लिए बिम्सटेक और IORA का उपयोग किया जाना चाहिए।

2.5. भारत-मॉरीशस द्विपक्षीय संबंध (INDIA-MAURITIUS BILATERAL RELATIONS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के प्रधान मंत्री की मॉरीशस यात्रा के दौरान, भारत और मॉरीशस ने **उन्नत रणनीतिक साझेदारी के लिए एक संयुक्त विज़न** का अनावरण किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत ने **'ग्लोबल साउथ' के लिए भारत के नए विज़न की भी घोषणा** की। इसे **"महासागर/ MAHASAGAR (क्षेत्रों में सुरक्षा एवं विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति)** नाम दिया गया है।
- **सेंट ब्रैंडन द्वीप** का एक नौवहन चार्ट भी मॉरीशस को सौंपा गया।

भारत के लिए मॉरीशस का महत्त्व:

भारत ने **1948** में मॉरीशस की स्वतंत्रता से पहले ही उसके साथ **राजनयिक संबंध** स्थापित कर लिए थे।

मॉरीशस
(राजधानी: पोर्ट लुई)

- भौगोलिक दृष्टि से यह **मैस्करीन द्वीप** समूह का हिस्सा है।
- यह एक **ज्वालामुखीय द्वीप** है और **लगभग पूरी तरह से प्रवाल भित्तियों से घिरा हुआ है।**
- **चागोस द्वीपसमूह पर अभी UK का अधिकार है, जबकि मॉरीशस इसे अपना क्षेत्र मानता है।**
- हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने चागोस द्वीपसमूह को मॉरीशस को सौंपने की UK की योजना को मंजूरी दे दी है।

आयाम	विवरण
सामरिक स्थिति	यह भारत को **समुद्री डकैती, आतंकवाद, तस्करी और अवैध मत्स्यन जैसे मुद्दों से निपटने में मदद** करता है।
भू-राजनीतिक महत्त्व	**"हिंद महासागर का सितारा और कुंजी"** रूप में जाना जाता है। **चीन ने जिबूती में सैन्य अड्डा बनाया है,** जिससे मॉरीशस की सामरिक भूमिका और बढ़ गई है।
समुद्री सुरक्षा भागीदार	यह **कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (CSC) का हिस्सा** है।
सहयोग	भारत ने मॉरीशस के **अगालेगा द्वीप पर नई हवाई पट्टी और जेटी का उद्घाटन** किया है।
अफ्रीका के लिए प्रवेश द्वार	**अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (AfCFTA)** का हिस्सा। **भारत-मॉरीशस दोहरा कराधान बचाव समझौता (DTAA)।**
सांस्कृतिक संबंध	**मॉरीशस की लगभग 70% आबादी भारतीय मूल की है।** **गिरमिटिया (भारतीय बंधुआ मजदूर) की विरासत** भारत और मॉरीशस के बीच एक गहरा ऐतिहासिक संबंध बनाती है।

भारत-मॉरीशस संबंधों में चुनौतियां

- **चीन का प्रभाव:** प्रमुख अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं का वित्त-पोषण, जैसे- हवाई अड्डा टर्मिनल, बांध, और क्रूज शिप टर्मिनल।
- **नृजातीय संलग्नता संतुलन:** विविध समुदायों (भारतीय, अफ्रीकी व यूरोपीय समुदाय) के साथ संलग्न होने की आवश्यकता।
- **मादक पदार्थों की तस्करी:** मॉरीशस मादक पदार्थों की तस्करी का केंद्र बन गया है, जो भारत के समुद्री हितों के समक्ष जोखिम पैदा कर रहा है।
- **पर्यावरणीय खतरे:** समुद्र का बढ़ता जलस्तर, चक्रवात, तटीय कटाव आदि।

महासागर/ MAHASAGAR विज़न क्या है?

- **विकास:** ग्लोबल साउथ पर फोकस के साथ SAGAR (2015) का विस्तार।
- **फोकस क्षेत्र:** व्यापार, सुरक्षा, तकनीक-साझाकरण व वित्तीय सहायता।
- **नई पहलें:**
  - **IOS सागर:** IOR के देशों के साथ समुद्री सहयोग।
  - **AIKEYME:** अफ्रीका-भारत नौसैनिक अभ्यास। संस्कृत में अर्थ 'एकता'।

नोट:

- **'महासागर':** इसे **भारतीय नौसेना ने 2023 में लॉन्च** किया था। यह भारत के सागर/ SAGAR विज़न के अनुरूप है।
- इसे 10 IOR देशों (मॉरीशस, सेशेल्स, आदि) के साथ **वर्ष में दो बार** आयोजित किया जाता है।

2.6. भारत-सऊदी अरब संबंध (INDIA-SAUDI ARABIA RELATIONS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के प्रधान मंत्री ने सऊदी अरब की यात्रा की।

यात्रा के मुख्य परिणाम

- **रणनीतिक भागीदारी परिषद (SPC):** द्वितीय SPC बैठक में रक्षा सहयोग और पर्यटन एवं सांस्कृतिक सहयोग पर समितियां **गठित** कीं।
  - **भारत, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन के बाद सऊदी अरब** के साथ ऐसी परिषद गठित करने वाला चौथा देश है।
- **निवेश पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स (HLTF):** इसका उद्देश्य ऊर्जा, तकनीक, अवसंरचना आदि में सऊदी अरब के 100 बिलियन डॉलर के निवेश को तेजी से आगे बढ़ाना है।
  - भारत में **दो रिफाइनरियां स्थापित करने पर सहमत** हुए हैं।

द्विपक्षीय संबंधों का महत्त्व

दोनों देशों के लिए महत्त्व

- **भारत-सऊदी अरब संबंध भारत की मध्य पूर्व नीति में बदलाव का परिचायक है:** पहले संबंध विप्रेषण (रेमिटेंस) और धार्मिक कूटनीति तक ही सीमित थे। अब निवेश, रणनीतिक वार्ता और रक्षा सहयोग तक विस्तारित हुए है।
  - उदाहरण के लिए, **हाइड्रोकार्बन ऊर्जा साझेदारी को व्यापक ऊर्जा साझेदारी** में बदल दिया गया है।
- **द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना:** राजनयिक संबंध 1947 में स्थापित हुए; रियाद घोषणा-पत्र (2010) के माध्यम से रणनीतिक साझेदारी में बदल (अपग्रेड) दिया गया।
  - **द्विपक्षीय रक्षा संबंध:** अल-मोहद-अल हिंदी (नौसैनिक अभ्यास), **सदा तनसीक** (थल सेना)
- **क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा और व्यापार गलियारों में भागीदार:** उदाहरण के लिए, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS), और कंबाइंड मेरीटाइम फोर्स (CMF)।

भारत के लिए

- **ऊर्जा सुरक्षा:** 2023-24 में सऊदी अरब भारत के लिए कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का **तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता स्रोत** बना रहा।
- **व्यापार:** 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार **लगभग 43 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुंच गया। सऊदी अरब **भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार** है।
- **निवेश:** लगभग 10 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश किया। 2019 में, इसने 100 बिलियन अमरीकी डॉलर और निवेश करने की योजना की घोषणा की थी।
- **लोगों के बीच आपसी और सांस्कृतिक संबंध:** कुल विप्रेषण का 6.7% (2024) सऊदी अरब से आया। भारत का हज कोटा (2025) बढ़ाया है।
- **सुरक्षा सहयोग:** जबीउद्दीन अंसारी (2008 मुंबई हमला) की गिरफ्तारी, अब्दुल सलाम (नकली मुद्रा रैकेट) के निर्वासन और ऑपरेशन कावेरी (संघर्ष प्रभावित सूडान से भारतीयों की निकासी) में मदद की।
- **उदारवादी इस्लाम के लिए समर्थन:** क्राउन प्रिंस के सुधारों से दक्षिण एशिया को प्रभावित करने वाली कट्टरपंथी विचारधाराओं पर अंकुश लगाने में मदद मिली, जहाँ 400 मिलियन भारतीय मुसलमान रहते हैं।

भारत-सऊदी अरब संबंधों में चुनौतियां

श्रम नीतियां: सऊदीकरण भारतीयों की नौकरी तक पहुँच को सीमित करता है।	**व्यापार घाटा:** भारत का घाटा लगभग 31.3 बिलियन डॉलर (वित्त वर्ष 2022-23) है।	**परियोजना में देरी:** 50 बिलियन डॉलर की वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना रुकी हुई है।	**FTA वार्ता:** भारत-GCC FTA 2004 से रुका हुआ है।	**भू-राजनीतिक मतभेद:** सऊदी-पाकिस्तान संबंध भारत के लिए चिंता का विषय है।	**भू-राजनीतिक विसंगतियां: ईरान के साथ संबंध** और सऊदी अरब का **चीन की ओर झुकाव,** रणनीतिक मतभेद पैदा करते हैं।

निष्कर्ष

भारत और सऊदी अरब के संबंध रक्षा, ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के क्षेत्रों में प्रगाढ़ हो रहे हैं, जबकि दोनों देश जटिल चुनौतियों के बीच अपनी रणनीतिक साझेदारी बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं।

2.7. भारत-संयुक्त अरब अमीरात संबंध (INDIA-UAE RELATIONS)

सुर्खियों में क्यों?

दुबई के क्राउन प्रिंस ने भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा की।

संयुक्त अरब अमीरात

यात्रा के दौरान की गई प्रमुख घोषणाएं

- **इंडिया मार्ट और वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर (VTC):** यह द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देगा और **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEEC)** को आगे बढ़ाएगा।
    - भारत मार्ट **भारत की वेयरहाउसिंग फैसिलिटी** है।
- **शिप रिपेयर क्लस्टर (कोच्चि और वडीनार):** यह भारत के समुद्री क्षेत्रक के विकास में योगदान देगा।

दोनों देशों के लिए द्विपक्षीय संबंधों का महत्व

- **बढ़ते राजनीतिक संबंध:** प्रधान मंत्री की 2015 की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद संबंधों को **व्यापक रणनीतिक साझेदारी** के रूप में अपग्रेड कर दिया गया।
- **रणनीतिक वैश्विक भागीदारी:** दोनों देश **BRICS, I2U2 (भारत-इजराइल-UAE-संयुक्त राज्य अमेरिका)** और **UAE -फ्रांस-भारत (UFI) जैसे त्रिपक्षीय समूह** में सक्रिय हैं।
- **क्षेत्रीय सहयोग में भूमिका का विस्तार:** दोनों देश **IMEEC** और **हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS)** से जुड़े हुए हैं।
    - **नौसेना संलग्नता और संयुक्त अभ्यास: डेजर्ट साइक्लोन** (भारत-UAE); तथा त्रिपक्षीय अभ्यास: **डेजर्ट नाइट** (भारत-फ्रांस-UAE) के माध्यम से दोनों देश समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत कर रहे हैं।

नए और उभरते क्षेत्रों में भारत-UAE सहयोग

करेंसी पैक्ट उदाहरण के लिए: 2023 RBI-UAE केंद्रीय बैंक **स्थानीय मुद्रा निपटान (LCS) प्रणाली।**	**डिजिटल भुगतान** NPCI ने UAE में भारतीयों के लिए **UPI** को सक्षम बनाया है।
खाद्य सुरक्षा गलियारा 7 बिलियन डॉलर के इस समझौते पर 2022 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसका उद्देश्य 2025 तक खाद्य व्यापार को **तीन गुना बढ़ाना** है।	**असैन्य परमाणु सहयोग** भारत द्वारा **बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र** के संचालन और रखरखाव पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

भारत के लिए

- **प्रमुख ऊर्जा साझेदार:** UAE भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा स्रोत और **LNG और LPG का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत** है। यह भारत को **रणनीतिक तेल भंडार** की सुविधा भी देता है।
- **मजबूत व्यापारिक संबंध: द्विपक्षीय व्यापार लगभग 85 बिलियन डॉलर (2022-23)** तक पहुंच गया। UAE, भारत का **तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार** और **दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य** बन गया है।

- **आर्थिक एकीकरण और निवेश:** UAE एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ **व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) (2022)** और **द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) (2023)** दोनों हैं।
    - 2000 से 2024 तक UAE भारत में **सातवां सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक** रहा है।
- **लोगों से लोगों के बीच और सांस्कृतिक संबंध:** UAE में 3.5 मिलियन भारतीय रहते है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को कुल रेमिटेंस का 19.2% (लगभग 11.7 बिलियन डॉलर) UAE से प्राप्त हुआ था।
    - **सांस्कृतिक मील का पत्थर:** UAE में पहला हिंदू मंदिर **'BAPS मंदिर'** वास्तव में खाड़ी क्षेत्र में अपनी तरह का सबसे बड़ा मंदिर है।

भारत-UAE संबंधों में मौजूद चुनौतियां

- **प्रवासन और श्रम संबंधी मुद्दे:** कफाला प्रणाली (स्पॉन्सरशिप-आधारित श्रम प्रणाली) श्रमिकों का शोषण करती है।
- **व्यापार असंतुलन:** वित्त वर्ष 2022 में, UAE के साथ भारत का व्यापार घाटा 16.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया था।
- **ऊर्जा मूल्य निर्धारण संघर्ष:** UAE का ओपेक सदस्य होने से उनकी नीतियां भारत की मूल्य निर्धारण आवश्यकताओं से मेल नहीं खाता है।
- **वायु सेवा समझौता विवाद:** भारत स्थानीय एयरलाइनों की आर्थिक सुरक्षा के लिए UAE की उड़ान विस्तार को सीमित करता है।
- **क्षेत्रीय संकट:** गाजा में युद्ध संकट और लाल सागर पर हमले ने IMEEC जैसी क्षेत्रीय परियोजनाओं को प्रभावित किया है।
- **भू-राजनीतिक टकराव:** भारत-ईरान संबंध बनाम UAE-चीन संबंध।

निष्कर्ष

भारत-संयुक्त अरब अमीरात संबंध एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी है, लेकिन निरंतर विकास के लिए भू-राजनीतिक संतुलन, ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी चिंताओं और प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं से सावधानीपूर्वक निपटने की आवश्यकता है।

2.8. भारत-तुर्किये संबंध (INDIA-TURKEY RELATIONS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में **आतंकवाद-रोधी कार्रवाइयां** की थी। इन कार्रवाइयों की **तुर्किये ने आलोचना** की थी। इसके कारण **भारत-तुर्किये संबंधों में कड़वाहट** आई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- तुर्किये ने **ऑपरेशन सिंदूर** की निंदा करते हुए इसे **"उकसावे वाला" कदम** बताया है। साथ ही, संबंध बिगड़ने की भी चेतावनी दी।
    - भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान द्वारा उपयोग किए गए **सोंगर ड्रोन** को निष्क्रिय कर दिया था। ये **ड्रोन तुर्की** में निर्मित थे।
- भारत ने तुर्की की कंपनी **'सेलेबी एविएशन' का 9 हवाई अड्डों पर सिक्योरिटी क्लीयरेंस प्रमाण-पत्र रद्द** कर दिया।

भारत के लिए तुर्किये का महत्त्व

- **तुर्किये की सामरिक अवस्थिति:** तुर्किये यूरोप और एशिया को जोड़ता है। यह **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC)** का हिस्सा है।
- **क्षेत्रीय प्रभाव:** मध्य पूर्व और काला सागर क्षेत्र में तुर्की का प्रभाव भारत को रणनीतिक लाभ देता है।
- **वैश्विक मंच:** दोनों देश G-20 के सदस्य हैं। तुर्किये ने **UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन** किया है।

भारत-तुर्किये संबंधों में वर्तमान चुनौतियां

- **पाकिस्तान को सैन्य सहयोग:** तुर्किये, पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता है, जो ड्रोन, मिसाइल और एफ-16 के उन्नयन में मदद करता है।
- **कश्मीर मुद्दे में हस्तक्षेप:** तुर्की, अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध करता है और संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के रुख का समर्थन करता है।
- **विचारधारा के जरिए अस्थिरता:** तुर्किये समर्थित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कश्मीर और भारत के आंतरिक मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाकर भारत के खिलाफ नकारात्मक धारणाएं पैदा करते हैं।
- **तुर्की-अज़रबैजान-पाकिस्तान गठजोड़:** ऑपरेशन सिंदूर की संयुक्त निंदा, इस त्रिपक्षीय समन्वय को दर्शाती है।
    - **ऐतिहासिक संबंध:** तुर्की और पाकिस्तान के संबंध बगदाद पैक्ट, सेंटो (CENTO) और क्षेत्रीय विकास सहयोग (RCD) जैसे समझौतों के माध्यम से ऐतिहासिक रूप से जुड़े हुए हैं।
- **इस्लामी रुख:** एर्डोगन ने **वैश्विक मुस्लिम एकजुटता** संबंधी दृष्टिकोण के कारण भारत की आंतरिक नीतियों की आलोचना की है। इससे दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव बढ़ा है।

निष्कर्ष

तुर्किये के पाकिस्तान समर्थक रुख के कारण भारत-तुर्किये संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। भारत को रणनीतिक संतुलन बनाए रखने और जहां संभव हो, वहां व्यावहारिक पुनः-संलग्नता की संभावनाएं तलाशने के लिए **विचारधारा संबंधी खतरों से निपटना चाहिए, बहुपक्षीय मंचों का लाभ उठाना चाहिए, और तुर्किये के क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों के साथ संबंधों को गहरा** करना चाहिए।

2.9. भारत - न्यूजीलैंड संबंध (INDIA NEW ZEALAND RELATIONS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

न्यूजीलैंड के प्रधान मंत्री ने **भारत की पांच दिवसीय आधिकारिक यात्रा** की।

यात्रा के मुख्य परिणामों पर एक नज़र

- न्यूजीलैंड **IPOI** और **CDRI** में शामिल हुआ।
- **FTA के लिए भी वार्ता** का शुभारंभ किया गया।

द्विपक्षीय संबंधों की समकालीन प्रासंगिकता

- **द्विपक्षीय व्यापार: 1.75 बिलियन डॉलर (2023-24)।** भारत का व्यापार अधिशेष **0.07 बिलियन** अमेरिकी डॉलर रहा।
  - **न्यूजीलैंड द्वारा निर्यात:** ऊन, लोहा व इस्पात, फल एवं मेवे तथा एल्युमीनियम।
  - **भारत द्वारा निर्यात:** फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, कीमती पत्थर आदि।
- **रक्षा सहयोग:** दोनों देशों की नौसेनाएं हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा के लिए **संयुक्त टास्क फोर्स-150** में मिलकर काम कर रही हैं।
- **बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग:** दोनों देश **संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकता की वकालत** करते हैं। न्यूजीलैंड संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में **स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन** करता है।
- **साझा सामरिक हित:**
  - परमाणु निरस्त्रीकरण, नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक।
  - न्यूजीलैंड ने **2011 की अपनी "भारत के लिए दरवाजे खोलने" की नीति** में भारत को प्राथमिकता वाले देश के रूप में मान्यता दी थी।
- **प्रवासी:** भारत न्यूजीलैंड में **कुशल प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत** है और **अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत** है।
- **हरित ऊर्जा साझेदारी:** न्यूजीलैंड 2024 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का सदस्य बन गया था।
- **घनिष्ठ खेल संबंध:** क्रिकेट/हॉकी संबंध; खेल संबंधों के 100 वर्षों को मान्यता देने के लिए **2026 में 'स्पोर्टिंग यूनिटी' कार्यक्रम** की योजना।

द्विपक्षीय संबंधों में चुनौतियां

- **लंबे समय से विलंबित FTA:** 2010-2015 के बीच 10 दौर की वार्ता के बावजूद, भारत-न्यूजीलैंड FTA आर्थिक मतभेदों, विशेष रूप से **डेयरी निर्यात और कृषि शुल्कों** के कारण रुका हुआ है।
- **सुरक्षा संबंधी चिंताएं:** भारत ने न्यूजीलैंड में **'सिख फॉर जस्टिस'** समूह द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शनों और खालिस्तान जनमत संग्रह सहित **भारत विरोधी गतिविधियों पर अपनी चिंता जताई है।**
- **अन्य चिंताएं:** कम द्विपक्षीय व्यापार अप्रयुक्त क्षमता को दर्शाता है; **न्यूजीलैंड के चीन के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध** हैं आदि।

2.10. भारत-यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौता {INDIA-UK FREE TRADE AGREEMENT (FTA)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत और यूनाइटेड किंगडम (UK) ने तीन वर्षों की औपचारिक वार्ता के बाद **मुक्त व्यापार समझौते (FTA)** पर हस्ताक्षर की घोषणा की।

अन्य संबंधित तथ्य

- **कानूनी दस्तावेज** को अंतिम रूप दिए जाने के बाद FTA को लागू किया जाएगा, जिसमें **27 अध्याय** (जैसे, **डिजिटल व्यापार, पर्यावरण**) शामिल होंगे।
- दोनों देशों ने पारस्परिक **डबल कंट्रिब्यूशंस कन्वेंशन (DCC)** पर भी सहमति व्यक्त की। **DCC** एक प्रकार का **सामाजिक सुरक्षा समझौता** है।
  - DCC यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी और नियोक्ता केवल एक ही देश में (3 वर्ष तक के कार्यकाल के लिए) सामाजिक सुरक्षा का भुगतान करें।
  - इससे **लाभ** तक पहुंच या **यूनाइटेड किंगडम (UK) आप्रवासन स्वास्थ्य अधिभार** के भुगतान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- **भारत-UK व्यापार संबंध:** 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है। इसे **2030 तक दोगुना** करने का लक्ष्य है।

भारत-UK FTA की मुख्य विशेषताएं

- **शून्य-शुल्क बाजार पहुंच:** लगभग **99% भारतीय निर्यात पर UK के बाजार में कोई शुल्क (ड्यूटी) नहीं** लगेगा।
  - भारत **90% ब्रिटिश उत्पादों पर शुल्क कम** करेगा, जिनमें से **85% उत्पाद अगले 10 वर्षों में पूरी तरह शुल्क-मुक्त** हो जाएंगे।
- **भारतीय पेशेवरों के लिए आवागमन को आसान बनाता है:** यह समझौता सेवा प्रदाताओं, व्यवसाय के काम से आने-जाने वाले लोगों, निवेशकों, कंपनियों के अंदर स्थानांतरित कर्मचारियों और स्वतंत्र पेशेवरों (जैसे योग प्रशिक्षक) को कवर करता है।
- **सरकारी खरीद प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति:** अब UK की कंपनियां भारत में केंद्र सरकार और सरकारी कंपनियों को जरूरी वस्तुओं, सेवाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए आपूर्ति से जुड़ी खरीद के लिए बोली लगा सकेंगी।

मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के बारे में

- FTA देशों या व्यापारिक समूहों के बीच ऐसे समझौते होते हैं, जिनका उद्देश्य **आयात-निर्यात पर लगने वाले टैक्स (टैरिफ) और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम या खत्म** करना होता है।
- ये **सामान, सेवाएं और बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)** जैसे क्षेत्रकों को कवर करते हैं।
  - **अर्ली हार्वेस्ट स्कीम, FTA की पूर्ववर्ती योजना है।**
- FTA, WTO के **"सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (MFN)"** सिद्धांत का अपवाद होता है।
- **स्थिति:** भारत ने पिछले पांच वर्षों में **13 FTAs** पर हस्ताक्षर किए हैं (जैसे- **मॉरीशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया**) - SBI की एक रिपोर्ट।

FTAs को लेकर भारत का अनुभव

- **व्यापार असंतुलन:** भारत के FTA भागीदारों के साथ निर्यात में 31% की वृद्धि हुई है, जबकि आयात में 82% की वृद्धि हुई है (2017-2022)।
- **कम उपयोग:** विकसित देशों के **70-80%** की तुलना में भारत में FTA का उपयोग केवल **~25%** है।
- **गैर-टैरिफ बाधाएं:** 2020-24 तक, वैश्विक स्तर पर व्यापार एवं निवेश से संबंधित 26,000 से अधिक नए प्रतिबंध लगाए गए हैं (ग्लोबल ट्रेड अलर्ट)।
- **असमान प्रतिस्पर्धा:** उदाहरण के लिए- दक्षिण कोरिया और आसियान ने इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे प्रमुख क्षेत्रकों में भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है।
- **अन्य मुद्दे:** प्रमाणन आवश्यकता और उत्पत्ति के नियम संबंधी जटिलता आदि विद्यमान हैं।

नोट: FTA का मूल्यांकन केवल व्यापार संतुलन के आधार पर नहीं किया जा सकता। **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, आपूर्ति श्रृंखला, बेहतर आपसी संबंध, व्यापार से संबंधित निवेश प्रवाह, विविध प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं तक बेहतर पहुंच,** आदि जैसे फायदे भी होते हैं।

भारत-UK FTA भविष्य के अन्य FTAs को आकार देने में कैसे मदद कर सकता है?

- **त्वरित वार्ता:** भारत–EU की लंबी चली वार्ता (2007 से) की तुलना में यह समझौता तेज़ प्रगति का उदाहरण है।
- **संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा:** डेयरी, प्लास्टिक जैसे कृषि और औद्योगिक उत्पादों को छूट सूची से बाहर रखकर भारत के हितों की रक्षा की गई है।
- **शुल्कों में चरणबद्ध कटौती:** इससे घरेलू उद्योगों को प्रतिस्पर्धा के अनुसार स्वयं को ढालने का समय मिलेगा।
- **परस्पर लाभ पर ज़ोर:** जैसे- UK की कार कंपनियों को सीमित कोटा के तहत उनके वाहनों पर आयात शुल्क 100% से घटाकर 10% कर दिया जाएगा।

निष्कर्ष

भारत–UK FTA विकसित देशों के साथ भविष्य में होने वाले समझौतों के लिए एक **रणनीतिक मॉडल** के रूप में कार्य करता है – जो **आर्थिक वृद्धि, आधुनिक व्यापार से जुड़े मुद्दों और घरेलू हितों की सुरक्षा** के बीच संतुलन बनाता है।

2.11. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा पाकिस्तान को ऋण {INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF) LENDING TO PAKISTAN}

सुर्ख़ियों में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने **एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (EFF)** व्यवस्था के तहत **पाकिस्तान के आर्थिक सुधार कार्यक्रम की पहली समीक्षा पूरी** कर ली है।

अन्य संबंधित तथ्य

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने **एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (EFF)** के तहत 1 बिलियन डॉलर {विशेष आहरण अधिकार (SDR) 760 मिलियन} का वितरण किया है।
    - यह सुविधा उन देशों की सहायता करती है, जो संरचनात्मक समस्याओं, धीमी वृद्धि या कमजोर भुगतान संतुलन के कारण गंभीर वित्तीय असंतुलन का सामना कर रहे हैं।
- साथ ही, **रेज़िलिएंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी (RSF) के तहत 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर (SDR 1 बिलियन) के ऋण** को भी मंजूरी दी है।
- इस मंज़ूरी पर भारत ने मतदान से स्वयं को दूर रखा और इसकी आलोचना की।

IMF फंड के प्रमुख ऋण साधन		
जनरल रिसोर्सेज अकाउंट (GRA)	**पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट (PRGT)**	**रेसिलिएंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट (RST)**
• **ऋण प्रकार:** वित्तीय लेन-देन योजना तंत्र के माध्यम से **गैर-रियायती शर्तों (बाजार आधारित ब्याज दरों) पर ऋण** दिया जाता है। • **उद्देश्य:** किसी देश के भुगतान संतुलन (BoP) की समस्याओं का समाधान करना। • **ऋण सुविधाएं:** स्टैंड-बाय अरेंजमेंट (SBA); **एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (EFF);** रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट (RFI); फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन (FCL); आदि।	• **ऋण प्रकार: निम्न-आय वाले देशों को रियायती वित्तीय सहायता प्रदान** करना, जिसमें ब्याज-मुक्त वित्त-पोषण भी शामिल है। • **उद्देश्य:** BoP संकट की स्थिति से निपटने में निम्न-आय वाले देशों की मदद करना। • **ऋण सुविधाएं:** रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी (RCF); स्टैंडबाय क्रेडिट फैसिलिटी (SCF); और **एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी (ECF)।**	• **ऋण प्रकार:** दीर्घावधि का रियायती वित्त-पोषण प्रदान करना। • **उद्देश्य: निम्न-आय और निम्न-मध्यम आय वाले देशों की जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसे बाहरी आघातों के प्रति लचीलापन** विकसित करने में मदद करना। • **ऋण सुविधाएं:** रेज़िलिएंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी (RSF) आदि।

IMF के ऋण पर भारत द्वारा जताई गई चिंताएं

- **धन का दुरुपयोग:** इस संभावना का जोखिम है कि इस **धन का सैन्य या सीमा-पार आतंकवाद के लिए उपयोग** किया जा सकता है।
- **सेना की भूमिका:** मजबूत सैन्य भागीदारी **सुधारों को बाधित** कर सकती है।
- **वैश्विक मूल्यों को कमजोर करना:** ऋण देना **आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों की शासन व्यवस्था को वैधता** प्रदान कर सकता है। इससे **ऋण दाता की विश्वसनीयता खतरे** में पड़ सकती है।
- **IMF संसाधनों का लंबे समय तक उपयोग:** पाकिस्तान को **35 में से 28 साल** तक IMF से सहायता मिली है, जिससे उसका ऋण बोझ बढ़ गया है।
- **IMF कार्यक्रम की प्रभावशीलता को कम करना:** बार-बार मिल रही सहायता **IMF की निगरानी और पाकिस्तान की प्रतिबद्धता पर सवाल** उठाती है।

IMF से जुड़ी अन्य प्रमुख चुनौतियां/ चिंताएं

- **अप्रभावशाली मतदान प्रक्रिया:** ऋण के खिलाफ **औपचारिक रूप से मतदान करने का कोई विकल्प नहीं** है। उदाहरण के लिए- भारत ने मतदान से स्वयं को दूर रखा।
- **अलोकतांत्रिक शासन संरचना:** मतदान शक्ति **संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान** के पक्ष में है (उदाहरण के लिए- 2010 में ग्रीस के बेलआउट नियमों को बदल दिया गया था)।
- **अप्रभावशाली मूल्यांकन प्रक्रिया:** IMF द्वारा स्थापित स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय (IEO) में **वास्तविक स्वतंत्रता की कमी** है, क्योंकि इसे IMF द्वारा ही वित्त-पोषित व शासित किया जाता है।
- **मिश्रित सफलता:** IMF की शर्तों के कारण **राजकोषीय समेकन उपाय (या आत्मसंयम) अपनाने के कारण गरीबी में वृद्धि और सामाजिक व्यय में गिरावट** भी देखी जाती है।

निष्कर्ष

IMF वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक बना हुआ है, लेकिन यह **असंतुलित गवर्नेंस, अपारदर्शी ऋण और असमान शर्तों से बाधित** है। प्रासंगिक बने रहने के लिए इसे **कोटा सुधार, निष्पक्ष मतदान अधिकार और पारदर्शी निरीक्षण सुनिश्चित** करने होंगे, जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं की अभिव्यक्ति को दर्शाते हों।

2.12. द्विपक्षीय निवेश संधि (BILATERAL INVESTMENT TREATY: BIT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय बजट 2025 में मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) के प्रावधानों में संशोधन के संबंध में घोषणा की गई थी, ताकि इसे और अधिक निवेशक-अनुकूल बनाया जा सके।

द्विपक्षीय निवेश संधियों (BIT) के बारे में

- **परिभाषा:** मेजबान देशों के विनियामक अधिकारों को संरक्षित करते हुए विदेशी निवेशकों की सुरक्षा करने वाले समझौते।
- **उद्देश्य:** निवेशक-राज्य विवाद निपटान (ISDS) या राज्य-राज्य विवाद निपटान को सक्षम बनाना।
- **भारत का मॉडल BIT 2015:** 1993 के संस्करण को प्रतिस्थापित किया गया; BIT/ FTA वार्ताओं का मार्गदर्शन करता है (उदाहरण के लिए, 2024 में उज्बेकिस्तान व यू.ए.ई. के साथ समझौते)।
- **हाल ही में जिन देशों के साथ BIT पर हस्ताक्षर किए गए:** उज्बेकिस्तान (2024) और यू.ए.ई. (2024)।

वैश्विक आर्थिक सद्भाव के लिए द्विपक्षीय निवेश संधियों को बढ़ावा देना

घरेलू माध्यस्थम हब
NDIAC को मजबूत करना और घरेलू माध्यस्थम क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विशेष वकीलों को प्रशिक्षण देना।

शर्तों में स्पष्टता
संधि के उल्लंघनों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना, ताकि स्पष्ट समझ और प्रवर्तन सुनिश्चित हो सके।

लचीला विवाद समाधान
संघर्ष समाधान को सरल और त्वरित बनाने के लिए प्रत्यक्ष माध्यस्थम की अनुमति देना।

संतुलित MFN/FET
निवेशक अधिकारों और राज्य संप्रभुता को संतुलित करने के लिए निवेशकों के साथ समान व्यवहार किया जाए, BITs में MFN के प्रावधानों को उचित शर्तों के साथ शामिल किया जाना चाहिए

ICSID अभिवृद्धि और कर सुधार
ISDS अधिकरणों को अपमानजनक या भेदभावपूर्ण कर संबंधी कार्रवाइयों की समीक्षा करने की अनुमति देनी चाहिए।

मॉडल BIT 2015 की प्रमुख विशेषताएं

- **निवेश की "उद्यम" आधारित परिभाषा:** मेजबान देश के कानूनों के अनुपालन की आवश्यकता है।
- **गैर-भेदभाव और राष्ट्रीय उपचार:** विदेशी/ घरेलू निवेशकों के लिए समान स्तर।
- **एक्सप्रोप्रिएशन (स्वत्वाधिहरण) के खिलाफ सुरक्षा:** राष्ट्र द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण को सीमित करता है।
- **कुछ गतिविधियों को इसके दायरे से बाहर रखा जाना:** जैसे- सरकारी खरीद, कराधान, सब्सिडी, अनिवार्य लाइसेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा।
- **ISDS तंत्र:** कम-से-कम पांच वर्ष की अवधि के लिए उस देश के स्थानीय विवाद निपटान तंत्र का उपयोग अनिवार्य।

भारत के वर्तमान BIT ढांचे से जुड़ी समस्याएं

- **अस्पष्टता:** "निवेश" जैसे अस्पष्ट शब्द विवादों को बढ़ावा देते हैं (37 नोटिस व 8 सक्रिय मामले)।
- **न्यायिक देरी:** 5-वर्षीय विवाद निपटान नियम स्थानीय अदालतों में और कार्य बोझ बढ़ाता है।
- **ISDS अधिकरणों के अधिकार क्षेत्र पर प्रतिबंध:** उन्हें घरेलू न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय के "मेरिट" की समीक्षा करने से रोक दिया गया है।
- **निवेशक प्रतिबंध:** कोई MFN/ निष्पक्ष व समान व्यवहार (FET) धाराएं नहीं; कर-संबंधी विनियामक उपाय शामिल नहीं, पैसे के रूप में मुआवजा आदि।
- **गैर-ICSID सदस्यता:** प्रवर्तन में बाधा (भारत विश्व बैंक के ICSID का हिस्सा नहीं है)।

2.13. उभरती विश्व व्यवस्था (EMERGING WORLD ORDER)

सुर्ख़ियों में क्यों?

बिम्सटेक की बैठक में विदेश मंत्री ने कहा कि नई विश्व व्यवस्था क्षेत्रीय और एजेंडा-विशेष आधारित होगी।

विश्व व्यवस्था के बारे में

परिभाषा: शक्ति और अधिकार की व्यवस्था जो वैश्विक स्तर पर कूटनीति और विश्व राजनीति के संचालन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है।

नई विश्व व्यवस्था के पीछे कारक

- **युद्धोत्तर बहुपक्षीय व्यवस्था का पतन:** उदाहरण के लिए, रूस-यूक्रेन युद्ध और गाजा संकट में संयुक्त राष्ट्र की विफलता।
- **बहुसंकट का उदय:** उदाहरण के लिए, युद्ध, जलवायु, महामारी, साइबर खतरे।

- **क्षेत्रीय और एजेंडा-विशिष्ट भू-राजनीति:** उदाहरण के लिए, ब्रिक्स का उद्देश्य पारंपरिक शक्तियों पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ाना है।
- **बहुध्रुवीयता:** विश्व व्यवस्था पर अब एक (एकध्रुवीय) या दो (द्विध्रुवीय) महाशक्तियों का वर्चस्व नहीं।

उभरती हुई विश्व व्यवस्था में भारत के लिए अवसर

- **वॉयस ऑफ़ द ग्लोबल साउथ:** गैर-पश्चिमी लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए, G-20 (वसुधैव कुटुम्बकम), वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ, विश्व-मित्र विजन।
- **संतुलित बहुध्रुवीयता:** ब्रिक्स, SCO, क्वाड और G20, आदि के साथ जुड़ता है।
- **मुद्दे-आधारित सहयोग:** उदाहरण के लिए- बिम्सटेक का कनेक्टिविटी और आपदा प्रबंधन पर फोकस; इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF); आदि।
- **डिजिटल और तकनीकी नेतृत्व:** CoWIN, UPI, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC), आदि के माध्यम से।
- **जलवायु कूटनीति:** हरित विकास, वित्त सुधार का समर्थन करता है। उदाहरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) और आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (CDRI)
- **सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर:** उदाहरण के लिए- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, भारतीय प्रवासी कूटनीति, बौद्ध धर्म कूटनीति।

निष्कर्ष

भारत को अपने बहुध्रुवीय विजन को आगे बढ़ाने और समावेशी, भविष्य के लिए तैयार वैश्विक नियमों को आकार देने के लिए विकसित विश्व व्यवस्था का उपयोग करना चाहिए।

आधुनिक विश्व व्यवस्था का उद्विकास
वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णायक घटक (1648-वर्तमान तक)

1648 — **वेस्टफेलियन प्रणाली**
संप्रभु राज्य वैश्विक राजनीति में केंद्रीय अभिकर्ता बन गए। वेस्टफेलिया की शांति ने धार्मिक युद्धों का अंत कर दिया और आधुनिक कूटनीति को जन्म दिया।

1776-1800s — **क्रांतियों का युग**
उदारवादी विचारधारा, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक वैधता का उदय हुआ। ये अमेरिकी क्रांति व फ्रांसीसी क्रांति से मजबूत हुए थे।

1919 — **प्रथम विश्व युद्ध के बाद**
लीग ऑफ़ नेशंस का सहयोग व शांति की ओर झुकाव। आत्मनिर्णय एक मुख्य सिद्धांत के रूप में उभरा।

1945 — **द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और शीत युद्ध का दौर**
द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था: संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम सोवियत संघ।
उपनिवेशवाद का उन्मूलन तथा मानवाधिकार आंदोलनों द्वारा अंतरराष्ट्रीय कानून का विस्तार।

1991 — **शीत युद्ध के बाद का दौर**
आरंभ में अमेरिकी वर्चस्व अर्थात एकध्रुवीयता। बाद में बहुध्रुवीयता की ओर क्रमिक बदलाव।

2.14. अंतर्मुखी विकास रणनीतियां (INWARD-LOOKING DEVELOPMENT STRATEGIES)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अमेरिका ने सभी आयातों पर 10% का बेसलाइन टैरिफ के साथ पारस्परिक प्रशुल्क योजना की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य व्यापार अधिशेष वाले राष्ट्र हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह कदम बहिर्मुखी नीतियों से हटकर, **अंतर्मुखी** विकास रणनीतियों की ओर बदलाव का संकेत देता है।
- **अंतर्मुखी विकास रणनीतियों के अन्य प्रमुख उदाहरण:**
  - **चीन:** जर्मेनियम जैसी दुर्लभ भू-धातुओं पर लगाया गया निर्यात नियंत्रण।
  - **भारत:** मेक इन इंडिया, PLI योजना और आत्मनिर्भर भारत अभियान

अंतर्मुखी विकास रणनीतियां

- **परिभाषा:** स्वदेशी कच्चे माल और घरेलू उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसका उद्देश्य स्थानीय उद्योगों रक्षा करना और बाहरी निर्भरता को कम करना है।
- **उत्पत्ति:**
  - **लैटिन अमेरिका:** प्रथम विश्व युद्ध एवं आर्थिक महामंदी के बाद, लैटिन अमेरिका ने 19वीं सदी से मुक्त व्यापार संकटों से निपटने के लिए अपनाया गया है।
  - **भारत:** स्वतंत्रता के बाद, औपनिवेशिक शोषण और आर्थिक स्वायत्तता के लक्ष्य से प्रेरित होकर, संरक्षणवाद को बढ़ावा दिया।

अंतर्मुखी विकास रणनीतियों के प्रमुख उद्देश्य और दृष्टिकोण क्या हैं?

उद्देश्य	पद्धतियां
राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक स्वायत्तता	➤ संकट के दौरान निर्भरता कम करने के लिए घरेलू आपूर्ति श्रृंखला (जैसे, सेमीकंडक्टर, फार्मा) विकसित करते है। ➤ उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का CHIPS अधिनियम (सेमीकंडक्टर सब्सिडी)
आर्थिक संप्रभुता को पुनः प्राप्त करना	➤ **विश्व व्यापार संगठन और IMF जैसी वैश्विक संस्थाएँ** अमीर देशों का पक्ष लेते हैं; **आंतरिक रणनीतियाँ अधिक** नियंत्रण प्रदान करती हैं। ➤ उदाहरण के लिए, **भारत का आत्मनिर्भर भारत अभियान (20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज), चीन की दोहरी सर्कुलेशन नीति**।
घरेलू विनिर्माण से संबंधित रोजगार को पुनर्जीवित करना और आर्थिक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना	➤ **अंतर्मुखी नीतियां आयात प्रतिस्थापन और रोजगार सृजन को बढ़ावा देती हैं।** ➤ **उदाहरण के लिए, भारत की 5 सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां**
व्यापार असंतुलन का समाधान	➤ **निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के लिए टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं** का उपयोग। ➤ उदाहरण के लिए, **भारत सरकार ने रक्षा बजट का 75% घरेलू खरीद के लिए आरक्षित** रखता है।

अंतर्मुखी विकास रणनीतियों के संभावित नकारात्मक प्रभाव

- **उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि:** टैरिफ/ आयात प्रतिबंध लागत बढ़ाते हैं, प्रतिस्पर्धा में कमी करते हैं, और विकल्प सीमित हो जाते हैं।
- **दक्षता की कमी:** रीशोरिंग/ फ्रेंडशोरिंग महंगा और कम लचीला हो सकता है।
- **आपूर्ति श्रृंखला का विखंडन:** इलेक्ट्रॉनिक्स/ ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में देरी, उच्च लागत और नवाचार में कमी का सामना करना पड़ता है।
- **व्यापार तनाव और युद्ध में वृद्धि:** संरक्षणवाद जवाबी कार्रवाई उपायों को ट्रिगर करता है।
- **ब्लॉक गठन:** द्विपक्षीयता को बढ़ावा देता है, बहुपक्षवाद को कमजोर करता है, लघु देशों को बाहर कर सकता है।

निष्कर्ष

अंतर्मुखी-रणनीतियां **आर्थिक संप्रभुता सुनिश्चित** कर सकती हैं, लेकिन उपभोक्ताओं के लिए **आर्थिक दक्षता में कमी** कर सकता है। सफल कार्यान्वयन के लिए आमतौर पर घरेलू उत्पादक क्षमता, तकनीकी क्षमताओं और कौशल विकास की आवश्यकता होती है; एक चयनात्मक दृष्टिकोण अलगाव के लिए बेहतर है।

2.15. छठा बिम्सटेक शिखर सम्मेलन (6TH BIMSTEC SUMMIT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

थाईलैंड की अध्यक्षता में बैंकॉक में छठा बिम्सटेक (BIMSTEC) शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ।

छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भारत के नेतृत्व में शुरू की गई महत्वपूर्ण पहलें

- **बोधि (मानव संसाधन अवसंरचना के संगठित विकास के लिए बिम्सटेक):** इसका उद्देश्य पेशेवरों, छात्रों, शोधकर्ताओं आदि को प्रशिक्षण एवं छात्रवृत्ति प्रदान करके युवाओं को कुशल बनाने का कार्यक्रम है।
- **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर: भारत** क्षेत्र में इसकी आवश्यकता का आकलन करने के लिए एक **पायलट अध्ययन** आयोजित करेगा।

अन्य मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **बिम्सटेक बैंकॉक विजन 2030:** यह आर्थिक एकीकरण, कनेक्टिविटी और मानव सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए **समृद्ध, सक्षम और खुले या "प्रो बिम्सटेक"** के निर्माण के लिए पहला रणनीतिक विज़न तैयार किया गया है।
- **समुद्री परिवहन सहयोग समझौता:** इस पर क्षेत्रीय समुद्री संपर्क बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर किए गए।

बिम्सटेक (BIMSTEC) के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसकी स्थापना 1997 में **बैंकॉक घोषणा-पत्र** पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। शुरुआत में इसे BIST-EC (बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड) नाम दिया गया था।
- **सचिवालय:** ढाका, बांग्लादेश
- **उद्देश्य:** बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना।

- **7 प्राथमिकता वाले क्षेत्र/ स्तंभ (प्रत्येक का नेतृत्व 1 सदस्य देश द्वारा किया जाता है):** उदाहरण के लिए- **भारत सुरक्षा स्तंभ** के लिए नेतृत्वकर्ता देश है।

बिम्सटेक भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों को पूरा करने में कैसे मदद कर सकता है?

- **सार्क (SAARC) का विकल्प: बिम्सटेक में पाकिस्तान शामिल नहीं** है, जिससे भारत को क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक अधिक कार्यात्मक मंच मिल गया है।
- **भारत की विदेश नीति के साथ संरेखित:** यह भारत की एक्ट ईस्ट, नेबरहुड फर्स्ट, इंडो-पैसिफिक और क्वाड जैसे लक्ष्यों को सहयोग प्रदान करती हैं।
- **रणनीतिक सेतु:** थाईलैंड और म्यांमार जैसे देशों के माध्यम से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ेगा।
- **नीली अर्थव्यवस्था और समुद्री सुरक्षा:** बंगाल की खाड़ी, समुद्री डकैती विरोधी अभियानों, आपदा प्रबंधन में मदद करता है। यह **सागर/ SAGAR** और **महासागर/ MAHASAGAR** विज़न के साथ भी प्रभावी रूप से संरेखित है।
- **दक्षिण एशियाई एकीकरण: बिम्सटेक मास्टर प्लान के माध्यम** से कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है।

बिम्सटेक के साथ मुद्दे

- **धीमी प्रगति:** चार्टर को 27 वर्षों बाद लागू किया गया। पिछले 27 वर्षों में केवल 6 शिखर सम्मेलन आयोजित हुए हैं।
- **भू-राजनीतिक चुनौतियां:** भारत और भूटान को छोड़कर सभी बिम्सटेक सदस्य देश BRI परियोजनाओं का हिस्सा हैं।
- **कम अंतर-क्षेत्रीय व्यापार:** BIMSTEC देशों के बीच कुल व्यापार का लगभग 6-7% व्यापार होता है।
  - 2004 में शुरू किया गया **बिम्सटेक FTA कई वार्ताओं के बावजूद लागू नहीं** हो पाया है।
- **अवसंरचना और कनेक्टिविटी में अंतर:** भारत-म्यांमार-थाईलैंड (IMT) त्रिपक्षीय राजमार्ग और बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN) मोटर वाहन समझौता लागू होने में काफी देरी हो रही है।
- **राजनीतिक अस्थिरता:** उदाहरण के लिए म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका में आंतरिक राजनीतिक संकट।
- **तनावपूर्ण सदस्य संबंध:** बांग्लादेश-म्यांमार (रोहिंग्या) और भारत-नेपाल सीमा जैसे मुद्दे भी सहयोग को प्रभावित करते हैं।

निष्कर्ष

सार्क के विपरीत, बिम्सटेक भारत के क्षेत्रीय लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यावहारिक मंच के रूप में कार्य करता है।

2.16. इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (INDIAN OCEAN RIM ASSOCIATION: IORA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत 2025 में अगले **दो वर्षों के लिए इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA)** की अध्यक्षता ग्रहण करेगा।

इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) के बारे में

- **उत्पत्ति:** यह एक **अंतर-सरकारी** संगठन है। इसकी स्थापना **1997** में हुई थी। इसका विज़न **1995 में नेल्सन मंडेला** की भारत यात्रा के दौरान सामने आया था।
- **उद्देश्य:** हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास को प्रोत्साहित करना।
- **सचिवालय:** मॉरीशस
- **सदस्य:** 23 सदस्य और 12 संवाद साझेदार

IORA के सदस्य देश

संवाद भागीदार (*)
यूरोपीय संघ भी संवाद भागीदार है

भारत के लिए IORA का महत्त्व

- **भू-सामरिक और आर्थिक: वैश्विक व्यापार का 75% परिवहन** हिंद महासागर से होता है।
- **वैकल्पिक मंच:** सार्क/ बिम्सटेक की तुलना में कम विवादास्पद; क्वाड जैसी

प्रतिद्वंद्विता से बचता है।

- **समुद्री सुरक्षा:** UNCLOS को कायम रखता है; समुद्री सुरक्षा पर कार्यशालाएं आयोजित करता है।

चुनौतियां

- **वित्त-पोषण:** अपर्याप्त संसाधन; बिम्सटेक/ IONS के साथ प्रतिस्पर्धा।
- **संस्थागत सीमाएँ:** मॉरीशस में सचिवालय की कमजोर क्षमता।
- **भू-राजनीति:** भारत-पाकिस्तान तनाव, चीन का BRI प्रभाव।
- **अन्य मुद्दे:** निजी क्षेत्र की भूमिका का अभाव, समुद्री खतरे (समुद्री डकैती, हूती विद्रोहियों द्वारा हमले)।

2.17. भारतीय प्रवासी (INDIAN DIASPORA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विदेश मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति (2024-25) ने विदेशों में रहने वाले भारतीय प्रवासियों पर रिपोर्ट जारी की।

भारतीय प्रवासियों के बारे में

- **परिभाषा:** भारतीय मूल के वे लोग जो दीर्घकालिक वीज़ा पर पर या कई पीढ़ियों पहले से विदेश में रह रहे है।
- **भारतीय प्रवासियों में शामिल हैं:**
  - **भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO):** ऐसा व्यक्ति जो या जिसके पूर्वजों में से कोई भारतीय नागरिक था और जो वर्तमान में किसी अन्य देश की नागरिकता/ राष्ट्रीयता रखता है यानी उसके पास विदेशी पासपोर्ट है।
  - **प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI):** नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7A के तहत OCIs कार्डधारक के रूप में पंजीकृत व्यक्ति। **2015 में** PIO और OCI कार्डधारकों को एक श्रेणी OCI के तहत विलय कर दिया गया था।
  - **अनिवासी भारतीय (NRI):** एक भारतीय नागरिक जो भारत से बाहर रहता है और जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है।
- **वर्तमान स्थिति:** जनवरी 2024 तक, 35.42 मिलियन (15.85 मिलियन NRIs और 19.57 मिलियन PIOs और OCIs)
- **भौगोलिक वितरण:** USA, UK, कनाडा, खाड़ी देश, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया और कैरिबियन द्वीप समूह में संख्या अधिक है।

भारतीय प्रवासियों का महत्त्व और योगदान

- **विप्रेषण:** भारत शीर्ष वैश्विक प्राप्तकर्ता देश; 118.7 बिलियन अमरीकी डॉलर (2023-24)
- **व्यापार और निवेश:** प्रमुख FDI योगदानकर्ता, उद्यमिता का समर्थन करता है
- **प्रौद्योगिकी, ज्ञान और कौशल हस्तांतरण:** IT, चिकित्सा, वित्त, शिक्षा में कुशल
- **सॉफ्ट डिप्लोमेसी:** भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देता है - योग, फ़िल्में, त्यौहार, व्यंजन
- **मेजबान देशों के लिए महत्व:** उदाहरण के लिए, UK की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में अधिकांश डॉक्टर भारतीय मूल के हैं

समिति द्वारा उजागर की गई भारतीय प्रवासियों से संबंधित प्रमुख चिंताएं

- **सीमित मताधिकार:** NRIs को वोट डालने के लिए स्वयं उपस्थित होना पड़ता है, इसी कारण मतदान प्रतिशत बहुत कम रहता है।
- **कैदियों का प्रत्यर्पण:** समझौते होने के बावजूद, पिछले 3 वर्षों में केवल 8 भारतीय कैदियों को ही विदेशों से भारत लाया गया है।
- **नौकरी रैकेट में फंसे पेशेवर:** भारतीय नागरिकों को दक्षिण-पूर्व एशिया (जैसे कंबोडिया, म्यांमार) में साइबर अपराध करने के लिए फर्जी नौकरी भर्ती दिखा कर ले जाया जा रहा है।
- **प्रवासियों का पुनः एकीकरण:** वर्ष 2019–24 के बीच 5.95 लाख लोग आर्थिक संकट आदि के कारण लौटे आए हैं। इनके पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई नीति नहीं है।
- **भारतीय छात्रों की सुरक्षा:** वर्ष 2018–24 के दौरान विदेशों में 403 भारतीय छात्रों की मृत्यु मुख्यतः दुर्घटना, बीमारी आदि कारणों से हुई।

आगे की राह: समिति की सिफारिशें

- **NRIs को वोटिंग अधिकार:** उन्हें **ETPBS (इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलट सिस्टम)** के माध्यम से दूरस्थ मतदान की सुविधा दी जाए।
- **कैदियों का स्थानांतरण: कैदियों की सुगम वापसी की सुविधा के लिए** मौजूदा समझौतों में संशोधन करना चाहिए या नए समझौते करने चाहिए।
- **पेशेवरों को नौकरी रैकेट से बचाना:** HRD/ MEA-प्रमाणित प्रमाण-पत्रों की आवश्यकता होनी चाहिए। सत्यापित प्लेटफॉर्म्स (जैसे, ग्लासडोर, लिंक्डइन) का उपयोग किया जाना चाहिए।
- **वापस लौटे प्रवासियों का एकीकरण:** प्रवासियों हेतु पुनः एकीकरण योजनाओं के लिए केरल मॉडल को अपनाया जाना चाहिए।
- **विदेश में छात्रों की सुरक्षा:** संघर्ष ग्रस्त क्षेत्रों में भारतीय छात्रों की सुरक्षा के लिए नीतिगत ढांचे को विकसित करने की आवश्यकता है।

- **उत्प्रवास विधेयक, 2024:** पुराने उत्प्रवास अधिनियम, 1983 में संशोधन किया जाना चाहिए।
    - साथ ही, उत्प्रवास विधेयक में छात्र प्रवासन का समाधान करने की भी सिफारिश की है।

प्रवासी भारतीयों के लिए भारत द्वारा की गई पहलें

- **भारत को जानो कार्यक्रम (KIP), 2003:** इसकी शुरुआत **PIO युवाओं (21-35 वर्ष)** को आधुनिक भारत से परिचित कराने के लिए की गई है।
- **ज्ञान साझाकरण कार्यक्रम:** उदाहरण के लिए- विजिटिंग एडवांस्ड ज्वाइंट रिसर्च (वज्र/ VAJRA)) फैकल्टी स्कीम, प्रवासी भारतीय एकेडमिक एंड साइंटिफिक संपर्क (प्रभास/ PRABHASS), वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक (वैभव/ VAIBHAV) फेलोशिप कार्यक्रम आदि।
- **प्रवासी भारतीय दिवस (PBD), 2003:** 9 जनवरी 1915 **को महात्मा गांधी** दक्षिण अफ्रीका से **भारत लौटे** थे। इसी दिन को **सम्मानित करने** के लिए 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत हुई थी।
- **भारतीय समुदाय कल्याण कोष (ICWF), 2009:** इसका संचालन 17 इमीग्रेशन क्लीयरेंस रिक्वायर्ड (ECR) देशों एवं मालदीव में स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से किया जाता है।
- **अन्य:** प्रवासी भारतीय बीमा योजना (PBBY), आदि।

2.18. चीन द्वारा दुर्लभ भू-धातुओं के निर्यात पर नियंत्रण (CHINA'S RARE EARTH ELEMENTS EXPORT CONTROL)

सुर्ख़ियों में क्यों?

चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रशुल्क/ टैरिफ बढ़ाने के जवाब में **सात REEs और मैग्नेट्स के निर्यात पर प्रतिबंध** लगा दिया है।

दुर्लभ भू-धातु (REEs) क्या हैं?

- **दुर्लभ भू-धातु 'दुर्लभ' नहीं हैं:** यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के अनुसार, ये तत्त्व पृथ्वी की भूपर्पटी (क्रस्ट) में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। हालांकि, इनकी सांद्रता कम होने की वजह से ये आर्थिक रूप से कम लाभकारी हैं।
- **18वीं-19वीं सदी में इन्हें "दुर्लभ भू-धातु"** कहा गया, क्योंकि ये चूना या मैग्नेशिया जैसे अन्य "भ-धातुओं" की तुलना में ये अपेक्षाकृत दुर्लभ थे।
- **IUPAC की परिभाषा (2005):** 17 धात्विक जिनमें उच्च घनत्व और उच्च चालकता जैसे समान गुण मौजूद हैं।
    - **इसमें शामिल हैं:** सेरियम (Ce), डिस्प्रोसियम (Dy), एर्बियम (Er), यूरोपियम (Eu), गैडोलीनियम (Gd), होल्मियम (Ho), लैंटानम (La), आदि।
- **स्रोत:** REEs के मुख्य स्रोत **बास्टनासाइट, लोपेराइट और मोनाजाइट** जैसी खनिजें हैं।

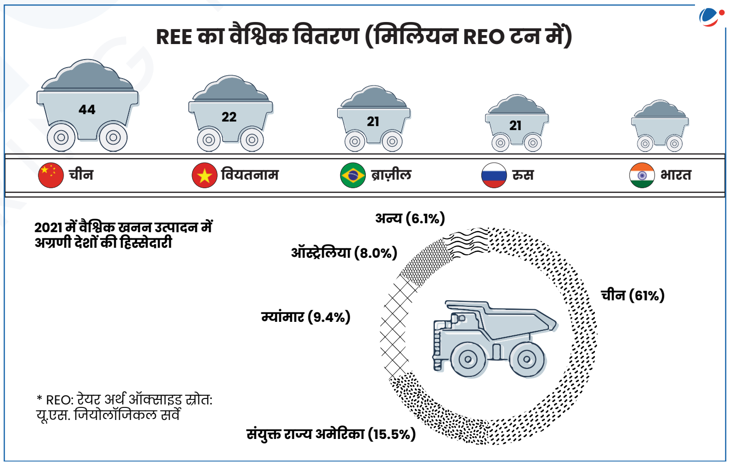

दुर्लभ भू-धातु (REEs) के हालिया निर्यात नियंत्रण का भू-रणनीतिक महत्व

- **टैरिफ युद्ध में बढ़त हासिल करना:** यह अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई है और चीनी सामानों के निर्यात में गिरावट के कारण चीन के उद्योग को नुकसान हो सकता है।
- **क्रिटिकल प्रौद्योगिकियों पर प्रभाव:** उदाहरण के लिए, **यट्रियम** और **डिस्प्रोसियम** रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और जेट इंजनों के लिए आवश्यक हैं। चीन के इस कदम से इन धातुओं की **लागत बढ़** सकती है और **तकनीकी इनोवेशन में देरी** हो सकती है।
- **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान:** अमेरिका, जापान, वियतनाम और जर्मनी जैसे **प्रमुख आयातकों** पर प्रभाव पड़ सकता है।
- **REEs का सैन्यीकरण:** उदाहरण के लिए, 2010 में जापान के साथ इन धातुओं का निर्यात बंद किया और 2023-25 में गैलियम और जर्मेनियम पर निर्यात प्रतिबंध लगाए।
- **भू-रणनीतिक विकल्प:** देश रीशोरिंग (उत्पादन को वापस अपने देश में लाना) और फ्रेंड-शोरिंग (व्यवसाय साझा मूल्यों वाले देशों में माल का स्रोत या उत्पादन करना) का विकल्प चुन रहे हैं।
    - REEs के लिए चीन के विकल्प अफ्रीका (विशेष रूप से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और मलावी), दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया हो सकते हैं।

REEs के लिए चीन पर निर्भरता कम करने के वैश्विक प्रयास

- **2019 में क्रिटिकल मिनरल्स मैपिंग इनिशिएटिव (CMMI) की शुरुआत:** यह पहल REEs सहित खनिज मानचित्रण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने शुरू की।
- **क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की समिति:** इसे क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स के उचित प्रबंधन के लिए रोडमैप बनाने का कार्य सौंपा गया है।
- **मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप (MSP):** इसमें भारत भी शामिल है। यह तकनीक, रक्षा, ऊर्जा, उद्योग के लिए प्रमुख खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करता है।

REEs उत्पादन के लिए भारतीय पहलें

- **नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM) (बजट 2024-25):** क्रिटिकल मिनरल्स की निरंतर आपूर्ति सुरक्षित करना है।
- **खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023:** निजी कंपनियों को REEs सहित क्रिटिकल मिनरल्स की खोज की नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी गई है।
- **द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग:** जैसे कि **भारत-ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप** की शुरुआत।
- **खोज संबंधी प्रयास:** परमाणु ऊर्जा विभाग ने राजस्थान के बालोतरा में इन-सीटू रेयर अर्थ एलिमेंट्स ऑक्साइड (REO) का एक बड़ा भंडार खोजा है।

निष्कर्ष

चीन पर REEs की निर्भरता को कम करने के लिए रणनीतिक भंडार, घरेलू उत्पादन और रिफाइनिंग तकनीक की आवश्यकता है, जिसे गहरे समुद्र में खनन, रीसाइक्लिंग, नियामक सुधारों और निजी क्षेत्र के प्रोत्साहनों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

2.19. संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना (UNITED NATIONS PEACEKEEPING)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना की मंत्रिस्तरीय बैठक, 2025 जर्मनी के बर्लिन में संपन्न हुई।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना की मंत्रिस्तरीय बैठक 2025 के बारे में

- इसकी मेजबानी **जर्मनी** ने शांति स्थापना के भविष्य पर एक उच्च-स्तरीय मंच के रूप में की।
- इस मंत्रिस्तरीय बैठक में, भारत ने **क्विक रिएक्शन फोर्स (QRF) की एक कंपनी, महिला-नेतृत्व वाली एक पुलिस यूनिट, SWAT पुलिस की एक यूनिट और शांति स्थापना प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण एवं भागीदारी की घोषणा** की।

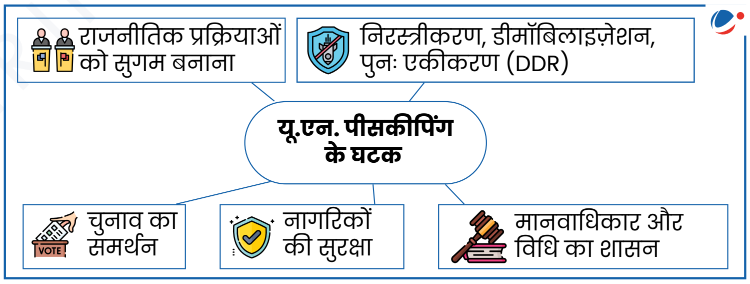

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के बारे में

- **उत्पत्ति:** यह 1948 में मध्य पूर्व में **UNTSO** के साथ शुरू हुआ था।
- **अधिदेश (Mandate):** इसे **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** द्वारा संकल्पों के माध्यम से अधिदेश दिया जाता है।
  - **फंडिंग:** इसे **संयुक्त राष्ट्र महासभा** द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
- **मूल सिद्धांत:**
  - पक्षकारों की सहमति;
  - निष्पक्षता; तथा
  - आत्मरक्षा या अधिदेश की रक्षा को छोड़कर बल का उपयोग न करना।
- **गवर्नेंस:** 1992 से **शांति अभियान विभाग (DPO)** द्वारा प्रबंधित।
- **मान्यता:** इसे **1988 में नोबेल शांति पुरस्कार** मिला था।
- **सिद्धांत:**
  - **कैपस्टोन सिद्धांत:** यह संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों के **मार्गदर्शक सिद्धांतों और मुख्य उद्देश्यों** को निर्धारित करता है।
  - **रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट (R2P) का सिद्धांत (2005):** यह सिद्धांत **जन अत्याचार और नृजातीय संहार को समाप्त** करने के लिए एक **राजनीतिक प्रतिबद्धता** का प्रतीक है।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में भारत के महत्वपूर्ण योगदान

- **सबसे बड़ा सैनिक योगदान: 50 से अधिक मिशनों में 2.9 लाख** से अधिक शांति रक्षक भेजे हैं।
  - वर्तमान में **नेपाल, रवांडा और बांग्लादेश के बाद चौथा सबसे बड़ा योगदानकर्ता** है।
- **क्षमता निर्माण:** शांति स्थापना प्रशिक्षण के लिए **नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र (CUNPK)** की मेजबानी करता है।
- **लैंगिक समानता को बढ़ावा: पूरी तरह से महिला सैन्य कर्मियों से युक्त टुकड़ी (2007, लाइबेरिया)** को तैनात करने वाला पहला देश है।

शांति स्थापना के समक्ष प्रमुख चुनौतियां

- **शांति रक्षक सैनिकों को निशाना बनाना:** उदाहरण के लिए- **इजरायल-लेबनान संघर्ष में UNIFIL** के कर्मियों का घायल होना।
- **मेजबान देशों से विरोध:** उदाहरण के लिए- **सूडान ने दारफुर में अफ्रीकी संघ-संयुक्त राष्ट्र हाइब्रिड ऑपरेशन (UNAMID)** का विरोध किया था।
- **विश्वसनीयता के मुद्दे:** उदाहरण के लिए- 1990 के दशक में संयुक्त राष्ट्र **रवांडा और सेब्रेनिक नरसंहारों को रोकने** में विफल रहा।
- **संघर्षों की बदलती प्रकृति: अंतर-राज्यीय संघर्षों, आतंकवादी रणनीति और आधुनिक हथियारों** के प्रसार में वृद्धि।
- **अन्य:** आवाजाही पर प्रतिबंध, राजनीतिक समाधान में देरी, सुव्यवस्थित, सुसज्जित और प्रशिक्षित बलों की कमी; निर्णय लेने में प्रमुख सैन्य योगदान देने वाले देशों की भागीदारी की कमी, आदि।

निष्कर्ष

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना को **ब्राहिमी रिपोर्ट (2000) और शांति अभियानों पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च-स्तरीय स्वतंत्र पैनल (HIPPO) (2015)** के अनुसार सुधारों की आवश्यकता है। इन सुधारों में **शुरुआती कार्रवाई, आधुनिक खतरों के प्रति अनुकूलन; लैंगिक एवं अधिकार-केंद्रित दृष्टिकोण; प्रशिक्षित, जवाबदेह और सुसज्जित बलों को सुनिश्चित करना** आदि शामिल है।

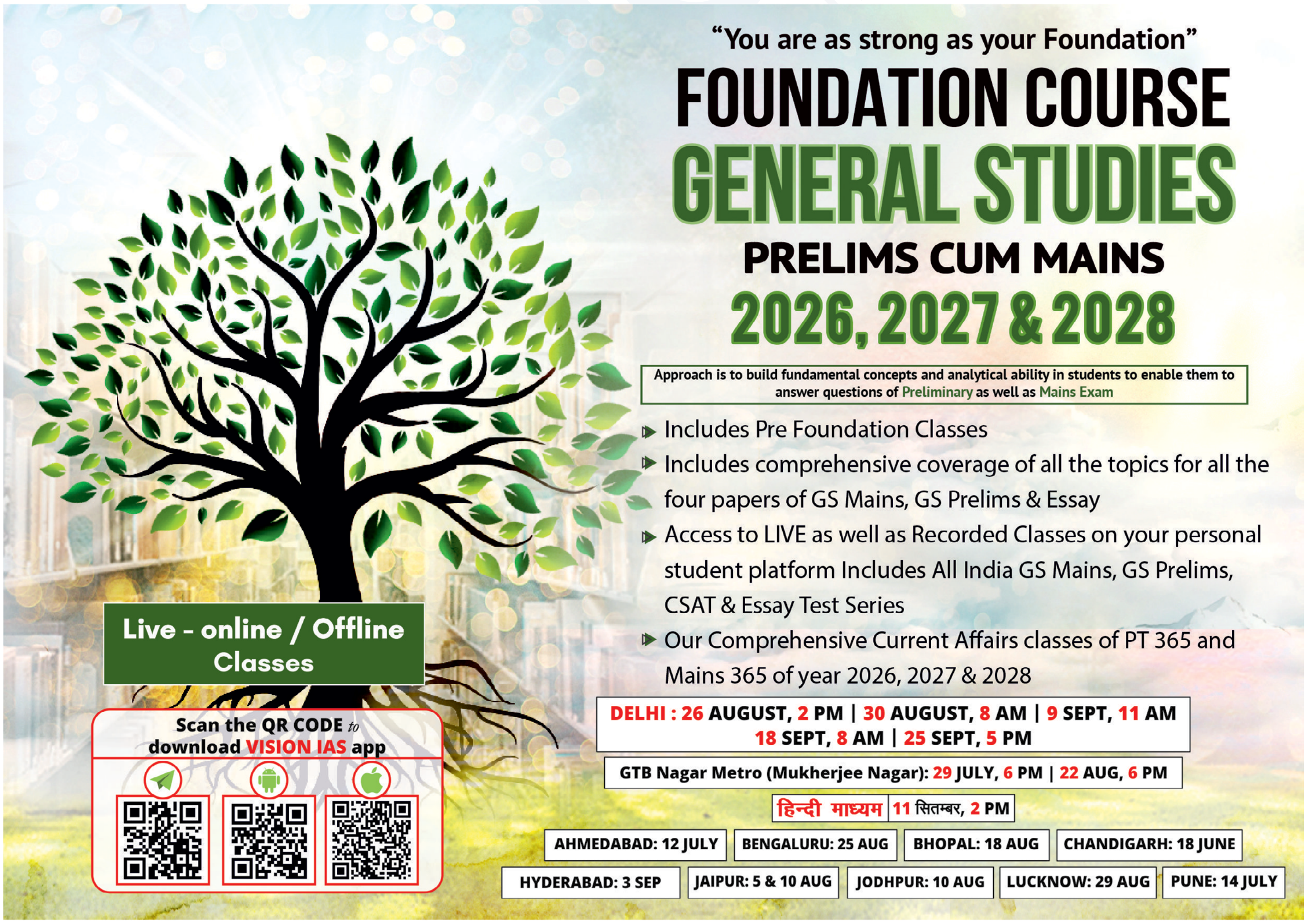

त्रैमासिक रिवीजन (मार्च 2025 - मई 2025)

2.20. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS)

2.20.1. बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी (TRANSSHIPMENT FACILITY FOR BANGLADESH)

भारत ने 2020 के उस समझौते को रद्द कर दिया जिसमें बांग्लादेश को तीसरे देशों के साथ व्यापार के लिए भारतीय भूमि पर स्थित सीमा शुल्क स्टेशंस के माध्यम से निर्यात की अनुमति दी गई थी।

- भारत ने समझौते को रद्द करने का कारण **बंदरगाह/ हवाई अड्डे की भीड़भाड़ है, जिससे भारत के अपने निर्यात कार्यों पर प्रभाव पड़** रहा है।
- यह कदम ऐसे समय में आया है जब **भारत-बांग्लादेश संबंधों में तनाव** है और बांग्लादेश ने भारत की हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में **नेट सुरक्षा प्रदाता** की भूमिका पर सवाल उठाए हैं।

IOR में नेट सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका

- **भू-रणनीतिक:** हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की केंद्रीय स्थिति; **लगभग 7,500 किलोमीटर की तटरेखा;** और मलक्का जलडमरूमध्य, बाब अल-मंदेब जैसे **प्रमुख चोकपॉइंट्स** से भारत की निकटता; आदि इसे IOR में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते है।
- **समुद्री सुरक्षा:** भारत एंटी-पायरेसी और तस्करी-रोधी अभियान संचालित करता है। इससे समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
- **विकास और HADR:** क्षेत्र में पहला मददगार देश-सुनामी (2004), **मालदीव जल संकट, श्रीलंका आर्थिक सहायता (2022)** आदि।

2.20.2. भारत-थाईलैंड रणनीतिक साझेदारी (INDIA-THAILAND STRATEGIC PARTNERSHIP)

भारत-थाईलैंड ने रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने की दिशा में संयुक्त घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए।

भारत-थाईलैंड रणनीतिक साझेदारी का महत्त्व

- **पारस्परिक रूप से लाभकारी लक्ष्य:** इंडो-पैसिफिक क्षेत्र और **आसियान की केंद्रीयता** में साझा हित।
- **रणनीतिक अवस्थिति:** थाईलैंड भारत का समुद्री पड़ोसी है जो **क्षेत्रीय शांति** सुनिश्चित करने में सहायक है।
- **पूरक नीतियां:** भारत की एक्ट ईस्ट नीति और थाईलैंड की एक्ट वेस्ट नीति एक दूसरे की पूरक है।
- **क्षेत्रीय समूह:** थाईलैंड आसियान, बिम्सटेक आदि में भागीदार है।

अन्य प्रमुख समझौते हस्ताक्षरित

- **क्षेत्रीय सहयोग पर समझौता ज्ञापन:** लोथल में **राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC)** और **पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास (MDoNER)** पर सहयोग।
- **व्यापार सुविधा:** स्थानीय मुद्रा आधारित निपटान तंत्र की स्थापना।

भारत-थाईलैंड संबंधों का अवलोकन

राजनयिक:
भारत और थाईलैंड के बीच राजनयिक **संबंध वर्ष 1947** से स्थापित हुए थे।

आर्थिक:
वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार **लगभग 15 बिलियन** डॉलर तक पहुंच गया था।

रक्षा:
अभ्यास मैत्री, इंडो-थाई कॉर्पेट आदि।

2.20.3. भारत के साथ आर्थिक सहयोग के लिए ऑस्ट्रेलिया का नया रोडमैप (AUSTRALIA'S NEW ROADMAP FOR ECONOMIC ENGAGEMENT WITH INDIA)

ऑस्ट्रेलिया का यह महत्वाकांक्षी रोडमैप भारत के साथ अपने व्यापार एवं निवेश संबंधों को और अधिक गहरा करने तथा उन्हें विविध बनाने पर केंद्रित है। इस रोडमैप में "विकास के चार अहम मार्गों" की पहचान की गई है।

रोडमैप के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:

- फोकस करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में **लगभग 50 विशेष अवसरों को चिन्हित** किया गया है।
- **'ऑस्ट्रेलिया-भारत व्यापार और निवेश प्रोत्साहन निधि'।**
- **ऑस्ट्रेलिया-इंडिया बिजनेस एक्सचेंज (AIBX):** बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) भागीदारी में तेजी लाएगा।
- **ऑस्ट्रेलिया-भारत CEO फोरम का नवीनीकरण।**
- **मैत्री अनुदान कार्यक्रम।**

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विकसित होते संबंध

- **व्यापार: आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ECTA) 2021.**
- **परमाणु सहयोग:** 2014 में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने **असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर** किए थे।
- **रक्षा सहयोग:** म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
    - दोनों देशों के बीच आयोजित होने वाले प्रमुख संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं- **ऑस्ट्राहिंद (AUSTRAHIND), ऑसिन्डेक्स (AUSINDEX)** और **पिच ब्लैक।**

2.20.4. न्यू डेवलपमेंट बैंक (NEW DEVELOPMENT BANK)

अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) का 9वां सदस्य बना।

एनडीबी (NDB) के बारे में

- **मुख्यालय: शंघाई,** चीन .
- **स्थापना:** 2015 में **ब्रिक्स (BRICS)- ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका** द्वारा।
- **उद्देश्य:** उभरते बाजार और विकासशील देशों (EMDCs) में

अवसंरचना एवं सतत विकास के लिए धन जुटाना।

- **सदस्य:** ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, यूएई, मिस्र और अल्जीरिया।
    - **संभावित सदस्य: उरुग्वे** (औपचारिक प्रवेश की प्रतीक्षा में)।
    - **सदस्यता:** यह सभी **संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों (ऋण लेने वाले और ऋण न लेने वाले दोनों)** के लिए खुली है।
- **पूंजी: 100 बिलियन डॉलर** की अधिकृत पूंजी; **50 बिलियन डॉलर 5 संस्थापक सदस्यों** द्वारा समान रूप से साझा किए गए हैं।
- **मतदान शक्ति:** संस्थापक सदस्यों को कम-से-कम **55% हिस्सेदारी** रखनी होगी।

अन्य प्रमुख क्षेत्रीय वित्तीय संस्थान

संस्थान	उद्देश्य	सदस्य
एशियाई विकास बैंक (मुख्यालय: मनीला, फिलीपींस)	**एशिया और प्रशांत क्षेत्र में** सामाजिक एवं आर्थिक विकास, क्षेत्रीय एकीकरण, आदि।	**69** (50 एशिया-प्रशांत क्षेत्र से, 19 क्षेत्र के बाहर से), **भारत भी सदस्य है।**
एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (मुख्यालय: बीजिंग, चीन)	**मुख्य रूप से एशिया में** वैश्विक पहुंच के साथ संधारणीय अवसंरचना और विकास परियोजनाओं को वित्त-पोषित करना।	**110** अनुमोदित (100 पूर्ण + 10 संभावित) सदस्य **(भारत, एक पूर्ण सदस्य है)।**

क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों का महत्व

- **सतत विकास:** 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में NDB द्वारा समर्थित **4.87 बिलियन डॉलर मूल्य की लगभग 20 परियोजनाएं चल** रही हैं।
- **अंतर को कम करना:** यह **दीर्घकालिक अवसंरचना के वित्त-पोषण को सक्षम** बनाता है और निजी निवेश को बढ़ावा देता है।
- **क्षेत्रीय एकीकरण:** यह **दक्षिण-दक्षिण सहयोग** को मजबूत करता है (उदाहरण के लिए- **NDB और AIIB** में भारत की भूमिका)।

2.20.5. आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (ASEAN-INDIA TRADE IN GOODS AGREEMENT: AITIGA)

भारत ने AITIGA पर **संयुक्त समिति की 8वीं बैठक** की मेजबानी की।

AITIGA के बारे में

- **उत्पत्ति: AITIGA पर 2009 में हस्ताक्षर** किए गए थे और यह **2010 में लागू** हुआ था।
- **अधिदेश:** प्रत्येक पक्ष को **GATT, 1994 के अनुसार दूसरे पक्षों की वस्तुओं को नेशनल ट्रीटमेंट** प्रदान करना होगा।
- **व्यापार:** भारत और आसियान के बीच द्विपक्षीय व्यापार **121 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2023-24)** तक पहुंच गया है।
    - **भारत के वैश्विक व्यापार** में आसियान की हिस्सेदारी लगभग **11%** है।

2.20.6. एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गनाइजेशन (ASIAN PRODUCTIVITY ORGANIZATION: APO)

भारत ने **2025-26** के लिए औपचारिक रूप से **एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गनाइजेशन (APO) की अध्यक्षता** ग्रहण की।

एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गनाइजेशन (APO) के बारे में

- **स्थापना:** यह एक **अंतर-सरकारी संगठन** है। इसकी स्थापना **1961 में आठ संस्थापक सदस्य देशों** ने की थी। **भारत भी इन संस्थापक सदस्यों में शामिल** है।
- **उद्देश्य:** एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग के माध्यम से उत्पादकता को बढ़ाना।
- **सदस्य:** इसमें एशिया-प्रशांत क्षेत्र की **21 अर्थव्यवस्थाएं** शामिल हैं।
- **मुख्य भूमिकाएं:**
    - सदस्य देशों की नई आवश्यकताओं पर अनुसंधान करना और उन पर कार्य के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना।
    - सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना।
    - प्रत्येक सदस्य देश की आर्थिक एवं विकास नीतियों और प्रदर्शन का सर्वेक्षण करना, आदि।

2.20.7. फाइव आइज इंटेलिजेंस एलायंस {FIVE EYES INTELLIGENCE (FVEY) ALLIANCE}

हाल ही में, कई देशों के खुफिया अधिकारी **दिल्ली** में एकत्रित हुए जिनमें **फाइव आइज (FVEY) एलायंस के प्रतिनिधि** भी शामिल थे।

फाइव आइज इंटेलिजेंस (FVEY) एलायंस के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसकी नींव **1946** में हस्ताक्षरित **BRUSA समझौते** के साथ रखी गई थी, जो **सिग्नल्स इंटेलिजेंस (SIGINT)** पर केंद्रित था।
- **सदस्य:** संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा (1948), ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड (1956 में शामिल)।
- **गवर्नेंस:** FIORC (2016) गैर-राजनीतिक खुफिया समीक्षा/ सुरक्षा की देखरेख करता है।

2.20.8. स्क्वाड एलायंस (SQUAD ALLIANCE)

फिलीपींस ने भारत से 'स्क्वाड' एलायंस में शामिल होने का आग्रह किया।

स्क्वाड एलायंस के बारे में

- यह एक **अनौपचारिक मिनिलैटरल (लघुपक्षीय)** गठबंधन है। इसमें **संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस** शामिल हैं।
- **उद्देश्य:** हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्र में आक्रामकता से निपटना, स्थिरता को बनाए रखना आदि।
- यह **क्वाड से अलग है**, जिसमें **भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया** शामिल हैं।

2.20.9. ओटावा कन्वेंशन (OTTAWA CONVENTION)

उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के सदस्य **पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया रूस से सैन्य खतरे के कारण ओटावा कन्वेंशन से अलग होने की योजना** बना रहे हैं।

ओटावा कन्वेंशन के बारे में

- **आधिकारिक नाम:** 'कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द यूज, स्टॉकपिलिंग, प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ एंटी-पर्सनल माइंस

एंड ऑन देयर डिस्ट्रक्शन' है।

- **उद्देश्य:** यह पक्षकार देशों को किसी भी परिस्थिति में **एंटी-पर्सनल माइंस का उपयोग, विकास या भंडारण न करने हेतु बाध्य** करता है।
- **अंगीकरण व प्रवर्तन:** **ओस्लो (1997)** में अपनाया गया था। **ओटावा** में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया था और **1999** में प्रभावी हुआ था।
- **हस्ताक्षरकर्ता:** 133 देश, **भारत हस्ताक्षरकर्ता नहीं** है।

2.20.10. अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY: IAEA)

रक्षा मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) से **पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार की निगरानी करने** का आग्रह किया।

IAEA के बारे में

- **उत्पत्ति:** यह संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक **स्वायत्त संगठन** है, जो **1957** में अस्तित्व में आया था।
- **सदस्य: 180** (**भारत** इसका सदस्य है)
  - **उत्तर कोरिया** 1974 में शामिल हुआ, **1994 में इससे बाहर हो गया था।**
- **जनरल कॉन्फ्रेंस:** सभी सदस्य देश प्रतिवर्ष **वियना** में मिलते हैं।
- **सम्मान:** शांतिपूर्ण परमाणु उपयोग और वैश्विक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए **2005 में नोबेल शांति पुरस्कार** से सम्मानित किया गया था।
- **IAEA और NPT: IAEA** परमाणु अप्रसार संधि (NPT) का **सदस्य नहीं है,** लेकिन यह संधि के अनुपालन की पुष्टि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - NPT के तहत **प्रत्येक परमाणु-हथियार विहीन देश को IAEA के साथ एक व्यापक सुरक्षा समझौते (CSA) पर हस्ताक्षर** करना आवश्यक है, ताकि IAEA उनके दायित्व की पूर्ति को सत्यापित कर सके।

IAEA की भूमिका

वैश्विक केंद्र बिंदु परमाणु सहयोग के लिए वैश्विक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है।	**शांतिपूर्ण उपयोग** सदस्य देशों को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने में सहायता करता है।
सुरक्षा मानक परमाणु सुरक्षा मानकों का विकास करता है तथा सुरक्षा के उच्च स्तरों को बढ़ावा देता है।	**सत्यापन और अनुपालन** यह सत्यापित करता है कि राष्ट्र केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु सुविधाओं का उपयोग करने की प्रतिबद्धताओं का अनुपालन कर रहे हैं।

- **मुख्यालय: वियना (ऑस्ट्रिया)।**

NPT के बारे में

- **NPT एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है,** जिसका **उद्देश्य परमाणु हथियारों एवं परमाणु हथियारों से संबंधित प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना** है।
- यह **1970 में लागू** हुई थी और **1995** में इसे **अनिश्चित काल के लिए** बढ़ा दिया गया था।
- अब तक **191 देश इस संधि में शामिल** हो चुके हैं, जिनमें सभी **पांच मान्यता प्राप्त परमाणु-हथियार संपन्न देश (चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका)** भी शामिल हैं।
  - **भारत, इजरायल और पाकिस्तान** इसमें शामिल नहीं हुए हैं, जबकि **उत्तर कोरिया 2003 में इससे बाहर** हो गया था।

परमाणु प्रसार को रोकने के लिए मौजूद अन्य प्रमुख संधियां

- **आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि (PTBT) 1963:** यह संधि **वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष और जल** के भीतर परमाणु हथियारों के परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाती है। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और इसकी पुष्टि भी की है।
- **व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT), 1996:** सभी तरह के परमाणु हथियारों के **परीक्षण विस्फोटों पर प्रतिबंध** लगाती है। भारत ने इस पर **हस्ताक्षर नहीं** किए हैं।
- **परमाणु हथियार निषेध संधि (TPNW), 2017: किसी भी प्रकार की परमाणु हथियार गतिविधि में भाग लेने पर प्रतिबंधों** का एक व्यापक सेट शामिल है। **भारत** ने इस पर हस्ताक्षर **नहीं** किए हैं।

2.20.11. प्रत्यर्पण (EXTRADITION)

26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया।

प्रत्यर्पण

- **यू.एन. ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम (UNODC)** के अनुसार, **प्रत्यर्पण का अर्थ** है किसी ऐसे व्यक्ति का आत्मसमर्पण करना जिसे अनुरोधकर्ता राज्य द्वारा प्रत्यर्पण योग्य अपराध के लिए आपराधिक अभियोजन के लिए मांगा जाता है।
- **प्रत्यर्पण योग्य अपराध में शामिल हैं**
  - प्रत्यर्पण संधि में उल्लिखित अपराध, या
  - किसी भी देश में कम-से-कम 1 वर्ष की सजा का प्रावधान (संधि नहीं हुई है तो)

प्रत्यर्पण संबंधी सिद्धांत

पारस्परिकता
यह सिद्धांत देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देता है, ताकि प्रत्यर्पण की प्रक्रिया सुगम हो सके।

डबल क्रिमिनैलिटी
प्रत्यर्पण तभी संभव है जब वह कृत्य दोनों देशों में अपराध माना जाता हो।

दोहरी सजा का निषेध
यदि किसी अपराध के लिए पहले ही सजा मिल चुकी है, तो उस अपराध के लिए प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता।

विशिष्टता
प्रत्यर्पित व्यक्ति पर केवल उसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसके लिए प्रत्यर्पण किया गया है। अन्य मामलों में मुकदमा चलाना नियमों के विरुद्ध है।

निष्पक्ष सुनवाई
यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि प्रत्यर्पित व्यक्ति को न्यायसंगत और निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया का अवसर मिले।

प्रत्यर्पण के लिए फ्रेमवर्क क्या है?

- **भारत में**

- **प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1993 में संशोधित)**
  - **विदेश मंत्रालय नोडल प्राधिकरण है।**
  - भारत ने अमेरिका और बांग्लादेश सहित 48 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियां की हैं।
- निर्णय लेने की अंतिम शक्ति भारत सरकार के पास है; उच्च न्यायालयों में अपील की जा सकती है।

- **विश्व स्तर पर: प्रत्यर्पण पर संयुक्त राष्ट्र मॉडल संधि (1990), प्रत्यर्पण पर संयुक्त राष्ट्र मॉडल कानून (2004), अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (2000),** आदि।

प्रत्यर्पण कानून में चुनौतियां

- **डबल क्रिमिनैलिटी सिद्धांत का दुरुपयोग:** अपराधी ऐसे देशों में भाग जाते हैं जहां यह कृत्य अपराध नहीं है।
- **लंबी प्रक्रिया:** व्यापक दस्तावेज़ीकरण और लालफीताशाही के कारण देरी होती है।
- **कम देशों के साथ संधियां:** केवल 48 देशों ने भारत के साथ प्रत्यर्पण संधियां की हैं।

2.20.12. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की 1267 प्रतिबंध समिति {UN SECURITY COUNCIL'S (UNSC) 1267 SANCTIONS COMMITTEE}

भारतीय अधिकारियों ने UNSC की 1267 प्रतिबंध समिति की निगरानी टीम को **द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF)** की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी।

1267 प्रतिबंध समिति के बारे में

- इसे **ISIS और अल-कायदा प्रतिबंध समिति** भी कहा जाता है।
- इसकी स्थापना **1999** में ISIS, अल-कायदा और संबंधित समूहों से जुड़े आतंकवाद से निपटने के लिए की गई थी।
- UNSC के सभी **स्थायी और अस्थायी सदस्य** इसमें शामिल हैं।
- यह समिति **आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध, आतंकियों की यात्रा पर रोक और उनकी संपत्ति जब्त** करने जैसे फैसले लेती है। ये सभी फैसले UNSC के प्रस्ताव **1267 (1999), 1989 (2011), और 2253 (2015)** के तहत लागू किए जाते हैं।

2.20.13. भारत ने महाद्वीपीय मग्न-तट पर अपने दावे को बढ़ाया (INDIA'S EXTENDED CONTINENTAL SHELF CLAIM)

भारत ने अपने **"विस्तारित महाद्वीपीय मग्न-तट** के तहत **मध्य अरब सागर जलक्षेत्र में लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर** तक अपने दावे को बढ़ा दिया है और पाकिस्तान के साथ समुद्री सीमा को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद से बचने के लिए **अपने पहले के दावे में भी संशोधन** किया है।

समुद्री सीमा पर विवाद के बारे में

- **अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ):** इसके तहत समुद्र तट से **200 समुद्री मील** तक भारत को **खनन और मछली पकड़ने के विशेष अधिकार** होते हैं। यह पूरा क्षेत्र **विस्तारित महाद्वीपीय मग्न-तट का हिस्सा** माना जाता है।
- **भारत का दावा:**
  - भारत ने **2009 में** संयुक्त राष्ट्र की **महाद्वीपीय सीमा आयोग (CLCS)** के समक्ष अपना **पहला दावा** प्रस्तुत किया था।
  - **2021 में, पाकिस्तान ने सर क्रीक विवाद का हवाला देते हुए आपत्ति जताई।**
  - **मार्च 2023 में CLCS ने भारत के पूरे दावे को अस्वीकार कर दिया था,** लेकिन 'संशोधित दावे' प्रस्तुत करने की अनुमति दी थी।

सर क्रीक के बारे में

- **विवादित क्षेत्र: अरब सागर** में स्थित एक **96 कि.मी. लंबा विवादित ज्वारनदमुख** है, जो **पाकिस्तान के सिंध प्रांत को भारत के गुजरात के कच्छ क्षेत्र** से अलग करता है।
- **भारत का रुख (1947):** भारत चाहता था कि इसे **थालवेग सिद्धांत** के अनुसार सुलझाया जाए। इसके अनुसार यदि राष्ट्रों की सीमाएं जलमार्ग में स्थित हैं तो फिर सीमा केवल नौगम्य जल-क्षेत्र के मध्य में निर्धारित की जानी चाहिए।
- **पाकिस्तान का रुख:** दावा है कि **सर क्रीक नौगम्य नहीं** है, इसलिए थालवेग सिद्धांत लागू नहीं हो सकता।

2.20.14 . हर्ड और मैकडोनाल्ड द्वीप (HEARD AND MCDONALD ISLAND)

अमेरिकी राष्ट्रपति ने हर्ड और मैकडोनाल्ड द्वीप सहित कई अमेरिकी व्यापार भागीदारों पर 10% टैरिफ की घोषणा की।

द्वीपों के बारे में

- यह **दक्षिणी महासागर में निर्जन उप-अंटार्कटिक द्वीप** है।
- यह **ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रशासित** है।
- केवल **ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय उप-अंटार्कटिक द्वीप - भू-आकृति और हिमनद प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण** है।
- **ये द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के रूप** में शामिल है।

2.20.15. मोराग एक्सिस (MORAG AXIS)

इजरायल ने मोराग एक्सिस के नाम से विख्यात एक नए सिक्योरिटी कॉरिडोर को अपने अधीन कर लिया।

मोराग एक्सिस बारे में

- यह क्षेत्र **खान यूनिस और राफा** के बीच स्थित है। यह मुख्यतः कृषि भूमि है, जो गाजा पट्टी में पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई है।
- **"मोराग"** नाम एक **अवैध इजरायली बस्ती** को संदर्भित करता है, जो **1972 और 2005** के बीच इस क्षेत्र में स्थापित की गई थी।

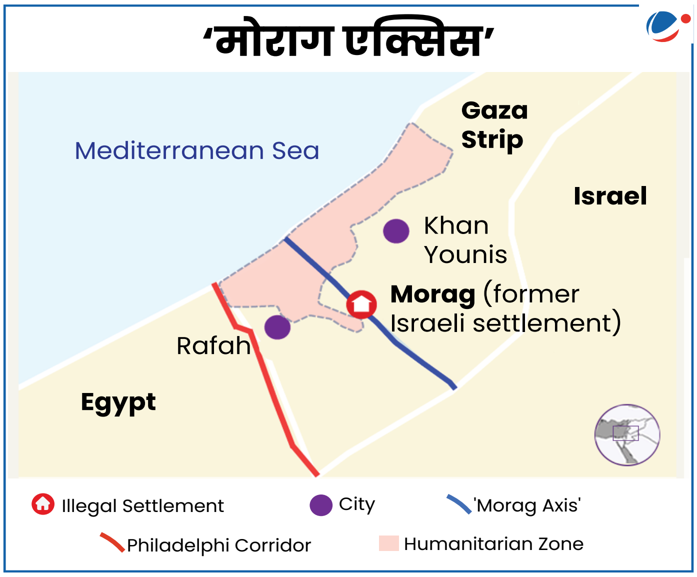

2.21. अपने ज्ञान का परीक्षण कीजिए (TEST YOUR LEARNING)

MCQ

1. फाइव आइज इंटेलिजेंस (FVEY) एलायंस के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इस एलायंस के सदस्य हैं।
2. फाइव आइज इंटेलिजेंस ओवरसाइट एंड रिव्यू काउंसिल को 2016 में सदस्य देशों की "गैर-राजनीतिक खुफिया निगरानी, समीक्षा और सुरक्षा संस्थाओं" के रूप में गठित किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a. केवल 1
b. केवल 2
c. 1 और 2 दोनों
d. न तो 1, न ही 2

2. ओटावा कन्वेंशन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) रूस से सैन्य खतरे के कारण ओटावा कन्वेंशन से अलग हो गया है।
2. कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द यूज, स्टॉकपिलिंग, प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ एंटी-पर्सनल माइंस एंड ऑन देयर डिस्ट्रक्शन को ओटावा कन्वेंशन कहा जाता है।
3. यह कन्वेंशन पक्षकार देशों पर किसी भी परिस्थिति में एंटी-पर्सनल माइंस का उपयोग, विकास और भंडारण न करने का दायित्व डालता है।
4. भारत इस कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a. केवल 1
b. केवल 2 और 3
c. केवल 1, 2 और 4
d. उपर्युक्त सभी

3. कभी-कभी सुर्ख़ियों में रहने वाले 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' को किसके द्वारा शुरू किया गया?

a. संयुक्त राज्य अमेरिका
b. फ्रांस
c. यूरोपीय संघ
d. चीन

4. IMF और विश्व बैंक को सामूहिक रूप से किन नामों से जाना जाता है:

a. वाशिंगटन सर्वसम्मति संस्थाएं
b. ब्रेटन वुड्स संस्थाएं
c. जी20 वित्तीय शाखाएं
d. न्यूयॉर्क समझौता एजेंसियां

5. न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किन देशों के समूह द्वारा की गई थी?

a. G7
b. आसियान
c. ब्रिक्स
d. सार्क

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

Q1. IORA की प्रमुख महत्वपूर्ण पहलें क्या हैं? वे क्षेत्रीय सहयोग में कैसे योगदान करती हैं? (150 शब्द)

Q2. भारत की क्षेत्रीय रणनीति के लिए चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) को अफगानिस्तान तक विस्तारित करने के निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

विषय सूची

3.1. 'संवृद्धि के अग्रदूत' के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र (NORTHEAST AS 'FRONTRUNNER OF GROWTH') . . . 48

3.2. प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण (PRIORITY SECTOR LENDING) . . 49

3.3. संशोधित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण {REVAMPED PERIODIC LABOUR FORCE SURVEY (PLFS)} . . . 50

3.4. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PRADHAN MANTRI MUDRA YOJANA: PMMY) . . . 52

3.5. एक राज्य, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (ONE STATE, ONE RRB) 53

3.6. माइक्रोफाइनेंस के 50 वर्ष (50 YEARS OF MICROFINANCE) . . . 54

3.7. तरलता घाटा (LIQUIDITY DEFICIT) . . . 55

3.8. कम मूल्य वाले BHIM-UPI लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना (INCENTIVE SCHEME FOR PROMOTION OF LOW-VALUE BHIM-UPI TRANSACTIONS) . . . 56

3.9. इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण में आत्मनिर्भरता (SELF-RELIANCE IN ELECTRONICS COMPONENT MANUFACTURING) . . . 56

3.10 . इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना (ELECTRONICS COMPONENT MANUFACTURING SCHEME: ECMS) . . . 58

3.11. राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NATIONAL TECHNICAL TEXTILES MISSION: NTTM) . . . 59

3.12. भारत के विकास के लिए कोयला क्षेत्रक (COAL SECTOR FOR INDIA'S DEVELOPMENT) . . . 60

3.13. भारत की जैव-अर्थव्यवस्था (INDIA'S BIO-ECONOMY) . . 61

3.14. जिला खनिज फाउंडेशन (THE DISTRICT MINERAL FOUNDATION: DMF) . . . 63

3.15. राष्ट्रीय जलमार्ग (जेटी/ टर्मिनल का निर्माण) विनियम, 2025 {NATIONAL WATERWAYS (CONSTRUCTION OF JETTIES/ TERMINALS) REGULATIONS, 2025} . . . 64

3.16. विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह (VIZHINJAM INTERNATIONAL SEAPORT) . . . 65

3.17. राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड (NATIONAL ROAD SAFETY BOARD) . . . 66

3.18. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NATIONAL PROGRAMME FOR DAIRY DEVELOPMENT: NPDD) . . . 68

3.19. किसान उत्पादक संगठन (FARMER PRODUCER ORGANISATIONS: FPOS) . . . 69

3.20. डीप टेक के लिए इनोवेशन इकोसिस्टम (INNOVATION ECOSYSTEM FOR DEEP TECH) . . . 71

3.21. यूनिफाइड पेंशन स्कीम {UNIFIED PENSION SCHEME (UPS)} . . . 72

3.22. भारत को विप्रेषण (REMITTANCES TO INDIA) . . . 73

3.23. इक्विलाइजेशन लेवी (EQUALISATION LEVY) . . . 73

3.24. संक्षिप्त सुर्खियां (NEWS IN SHORTS) . . . 74

3.25. अपने ज्ञान का परीक्षण कीजिए (TEST YOUR LEARNING) 83

3.1. 'संवृद्धि के अग्रदूत' के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र (NORTHEAST AS 'FRONTRUNNER OF GROWTH')

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट 2025 का उद्घाटन किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- प्रधान मंत्री ने पूर्वोत्तर भारत की रणनीतिक (भौगोलिक) अवस्थिति aके महत्व को रेखांकित करते हुए **EAST (एम्पॉवर, एक्ट, स्ट्रेंथन, एंड ट्रांसफॉर्म)** के विजन को प्रस्तुत किया।
- प्रधान मंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के **आठ राज्यों को 'अष्ट-लक्ष्मी' (देवी लक्ष्मी के आठ रूप)** की संज्ञा दी।
- उन्होंने **बायो-इकोनॉमी, बांस, चाय उत्पादन, पेट्रोलियम, खेल, इको-टूरिज्म** जैसे सेक्टर्स में पूर्वोत्तर को उभरता हुआ हब बताया।

राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट 2025 में पूर्वोत्तर के फोकस क्षेत्रकों की मुख्य विशेषताएं

क्षेत्रक (सेक्टर्स)	मुख्य बिंदु
वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प	53% से अधिक करघों, 78.5% पारंपरिक परिधानों में योगदान देता है तथा अद्वितीय जीआई-टैग प्रदान करता है।
नवीकरणीय ऊर्जा	पूर्वोत्तर क्षेत्र में 60 गीगावाट जल विद्युत क्षमता है, जो देश की कुल क्षमता का 40% है।
सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और IT-सक्षम सेवाएं (IT & ITeS)	पार्कों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों और इनोवेशन हब के साथ तीव्र IT विकास।
इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स	पुल (**ढोला-सादिया, बोगीबील**), हवाई अड्डे और **जोगीघोपा अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल-लिंक्ड लॉजिस्टिक्स पार्क।**
पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी	पूर्वोत्तर क्षेत्र द्वारा यूनेस्को साइटों (काजीरंगा, मानस) और स्वदेश दर्शन और प्रसाद जैसी योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।
शिक्षा	उच्च साक्षरता, युवा आबादी नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देती है।
स्वास्थ्य	फाइटोफार्मास्युटिकल क्षमता और PPP-आधारित स्वास्थ्य सेवा शहरी चिकित्सा बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देती है।
कृषि	कृषि-समृद्ध क्षेत्र में मुख्यतः जैविक और उच्च मूल्य वाली फसलें उगाई जाती हैं; 70% किसान हैं।
खेल	**स्वदेशी खेल** (तीरंदाजी, थांग-टा, पोलो आदि)। राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय एथलीट तैयार करता है। **स्टेडियम:** इंदिरा गांधी एथलेटिक (असम), खुमान लम्पक (मणिपुर) निवेश के साथ केन्द्र बन सकते हैं।

'विकास का अग्रदूत' बनने में पूर्वोत्तर क्षेत्र की क्षमता

- **भू-रणनीतिक: दक्षिण-पूर्व एशिया** का प्रवेशद्वार, भारत की **एक्ट ईस्ट नीति के लिए महत्वपूर्ण।**
- **ऊर्जा:** कोयला, यूरेनियम, तेल, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत।
- **विविध सांस्कृतिक विरासत:** पर्यटन और हस्तशिल्प निवेश को बढ़ावा देता है।
- **कम लागत वाला विनिर्माण केंद्र:** कम श्रम लागत।
- **भारत का ग्रीन हब:** समृद्ध जैव विविधता इको-टूरिज्म और **कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देती है।**

पूर्वोत्तर क्षेत्र में चुनौतियां

- **बेहतर कनेक्टिविटी नहीं होना: सिलीगुड़ी कॉरिडोर** के ज़रिए; एकमात्र भू-संपर्क मार्ग की वजह से क्षेत्र अलग-थलग पड़ जाता है, जिससे आवागमन और लॉजिस्टिक्स प्रभावित होती है।
- **विद्रोही समूह और सशस्त्र संघर्ष:** स्वायत्तता या जनजातीय अधिकारों की मांग, **उदाहरण के लिए,** NSCN-IM, कुकी-मेइती संघर्ष।
- **नार्को आतंकवाद:** यह स्वर्ण त्रिभुज के निकट होने के कारण पनपता है; **सीमाओं की पूरी बाड़बंदी नहीं की गई है, जिस का फायदा उठाता है।**
- **मानवाधिकार हनन:** AFSPA के लंबे समय तक लागू रहने पर।

* **प्राकृतिक आपदाओं का खतरा:** बाढ़, भूस्खलन और भूकंप, विशेष रूप से ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए शुरू की गई पहलें

भारतीय स्तर पर	अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखकर
• **NESIDS:** जल, बिजली, कनेक्टिविटी, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास करता है। • **PM-DevINE:** राज्यों की आवश्यकताओं के आधार पर **विकास** परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है। • **MOVCDNER:** प्रमाणित जैविक मूल्य श्रृंखला विकास को बढ़ावा देता है। • **शांति और सुरक्षा से संबंधित पहलें:** NLFT और ATTF शांति समझौता 2024, आदिवासी असम शांति समझौता, 2022, DNLA शांति समझौता 2023, उल्फा शांति समझौता 2023 आदि।	• **क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाएं:** कलादान, भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, BBIM, मेकांग-गंगा सहयोग। • **एक्ट ईस्ट फोरम (भारत और जापान):** NER और दक्षिण पूर्व एशिया कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता है। • **SASEC:** दक्षिण एशियाई देशों के बीच क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा देता है।

आगे की राह

* **पूर्वोत्तर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए अलग-अलग मार्गों का विकास: उदाहरण के लिए**, सिलीगुड़ी को बाईपास करते हुए **हिली-महेंद्रगंज कॉरिडोर।**
* **विद्रोही गतिविधियों को कम करना:** त्रिपुरा की **शांति** और पुनर्वास (**ब्रू जनजाति**) सबक प्रदान करते हैं।
* **अवैध प्रवासियों से निपटना और सीमा सुरक्षा बढ़ाना:** उन्नत निगरानी, CIBMS के साथ।
* कानूनी उपायों, मीडिया जागरूकता अभियानों आदि के माध्यम से **भेदभाव और नृजातीय हमलों को रोकना (बेजबरूआ समिति)।**

3.2. प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण (PRIORITY SECTOR LENDING)

सुर्ख़ियों में क्यों?

RBI ने **प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण (PSL)** संबंधी नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी हो गए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

* **दिशा-निर्देश: बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949** के तहत जारी किए गए।
* **कवरेज:** सभी **वाणिज्यिक बैंकों** और **प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (UCB)** पर लागू (वेतन अर्जक बैंकों को छोड़कर)।

प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण (PSL) के बारे में

* **परिभाषा:** सरकार और RBI द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिए चिन्हित 'प्राथमिकता विकास वाले क्षेत्रक'।
* **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:**
  * **1969 - गाडगिल समिति:** एरिया अप्रोच प्रस्तावित किया, जिससे **लीड बैंक योजना** बनी।
  * **1972 - PSL औपचारिक रूप दिया गया:** उन क्षेत्रकों को ऋण देना जिन्हें इसकी जरूरत है पर उन्हें मिल नहीं पा रहा है।
  * **1982 - घोष समिति:** प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक श्रेणियों को संशोधित और पुनर्वर्गीकृत करने का सुझाव दिया।

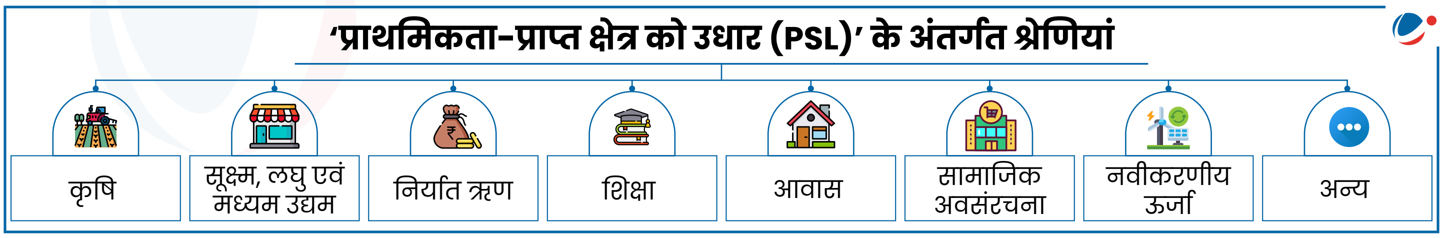

संशोधित दिशा-निर्देश

* **ऋण सीमा में वृद्धि:** शिक्षा (25 लाख रुपये तक), **सामाजिक अवसंरचना** (8 करोड़ रुपये तक) और **आवास और कृषि ऋण** जैसे अन्य क्षेत्रक।
* **विस्तारित नवीकरणीय ऊर्जा ऋण:** सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए ₹35 करोड़ तक और व्यक्तिगत परिवारों के लिए ₹10 लाख तक।
* **प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए संशोधित PSL लक्ष्य:**
  * **कुल प्राथमिकता क्षेत्रक:** 60% (पहले 40%); **सूक्ष्म उद्यम:** 7.5%; **कमजोर वर्ग:** 12%
* **विस्तारित 'कमजओर वर्ग' श्रेणी:** ट्रांसजेंडर, लघु और सीमांत किसान, स्वयं सहायता समूह (SHG), आदि सहित।

प्राथमिकता क्षेत्रक के लिए लक्ष्य/ उप-लक्ष्य

श्रेणियां	लक्ष्य/ उप-लक्ष्य			
	घरेलू वाणिज्यिक बैंक और 20 से अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंक	20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	लघु वित्त बैंक
कुल प्राथमिकता क्षेत्रक	40%	40% (निर्यात ऋण के लिए 32% तक और किसी अन्य प्राथमिकता क्षेत्र के लिए कम से कम 8%)	75%	75%
कृषि	18%	लागू नहीं	18%	18%
सूक्ष्म उद्यम	7.5%	लागू नहीं	7.5%	7.5%
कमजोर वर्ग	12%	लागू नहीं	15%	12%
नोट: उपर्युक्त प्रतिशत **समायोजित निवल बैंक ऋण (ANBC) या ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर के समतुल्य ऋण (CEOBSE)** - इनमें से जो भी अधिक हो, उसके प्रतिशत के रूप में है।				

अतिरिक्त प्रावधान

- **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs)** और **आवासन वित्त कंपनियों (HFCs)** को दिया गया ऋण अब PSL के तहत शामिल होगा।
- PSL पात्रता के लिए **को-लेंडिंग मॉडल (बैंक + NBFCs) को मान्यता** दी गई।
- NBFC स्वर्ण-समर्थित ऋणों को छोड़कर, **प्रतिभूतिकरण मानदंडों को संशोधित किया गया।**
- PSL लक्ष्यों को पूरा करने के लिए **प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण प्रमाण-पत्र (PSLCs) के व्यापार की अनुमति।**
- सटीक वर्गीकरण करने के लिए **अंतर-बैंक भागीदारी प्रमाण-पत्र (IBPCs) और प्रत्यक्ष असाइनमेंट मानदंडों को अपडेट किया गया।**

अन्य हालिया सुधार

- **प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण प्रमाण-पत्र (PSLCs):** दक्षता बढ़ाने के लिए अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया।
  - बैंकों को PSL लक्ष्यों को पूरा करने के लिए **PSL प्रमाण-पत्र (PSLCs) की खरीद-बिक्री की अनुमति** दी गई है। PSLCs एक तरह से **खरीद-बिक्री योग्य इंस्ट्रूमेंट्स** हैं। इसके तहत **जो बैंक अधिक PSLCs प्राप्त करते हैं वे इसे कम PSLCs प्राप्त करने वाले बैंकों से खरीद सकते हैं।**
  - **प्रकार:** PSLC-कृषि, PSLC-MSME, PSLC-सामान्य, PSLC-कमजोर वर्ग।
- **सह-ऋण मॉडल (CLM):** यह व्यवस्था 2020 में बैंकों और NBFCs के लिए शुरू की गई थी, ताकि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को मिलकर संयुक्त रूप से ऋण प्रदान कर सकें।
  - हाल ही में, RBI ने **सभी विनियमित संस्थाओं के बीच सभी ऋण (PSL ऋण या अन्य कोई ऋण)** के लिए **को-लेंडिंग** व्यवस्था हेतु एक मसौदा फ्रेमवर्क जारी किया है।

3.3. संशोधित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण {REVAMPED PERIODIC LABOUR FORCE SURVEY (PLFS)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

NSO ने जनवरी 2025 से PLFS में संशोधन कर उसे नया रूप दिया है।

PLFS के बारे में

- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) **द्वारा संचालित**
- **मंत्रालय:** सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (2017)
- **उद्देश्य:**
  - **'वर्तमान साप्ताहिक स्थिति' (CWS)** में शहरी क्षेत्रों (अब ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल) के लिए **केवल तीन महीने के लघु समय अंतराल में रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित प्रमुख संकेतकों** का अनुमान लगाना।
  - **ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए सामान्य स्थिति और सीडब्ल्यूएस में वार्षिक** रोजगार/बेरोजगारी का अनुमान
- **PLFS में प्रयुक्त प्रमुख शब्दावली**

- **श्रम बल भागीदारी दर (LFPR):** काम करने वाली या काम की तलाश करने वाली या काम के लिए उपलब्ध जनसंख्या का प्रतिशत।
- **वर्कर-जनसंख्या अनुपात (WPR):** जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत।
- **बेरोजगारी दर (UR):** श्रम बल में बेरोजगारों का प्रतिशत।
- **गतिविधि की स्थिति-** संदर्भ अवधि के दौरान गतिविधियों द्वारा निर्धारित।
- **सामान्य स्थिति:** पिछले 365 दिनों की गतिविधि (प्रमुख और सहायक गतिविधि)
- **वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS):** पिछले 7 दिनों के दौरान गतिविधि।
- **वर्तमान दैनिक गतिविधि स्थिति (CDS):** एक दिन में 1 घंटे या उससे अधिक काम किया।

PLFS में किए गए परिवर्तनों का महत्व

- सैंपल साइज में वृद्धि
- उद्योग संबंधी नीति निर्माण में सहायता
- भारत के श्रम बाजार संबंधी आंकड़ों का समय पर अपडेशन
- समय पर ग्रामीण श्रमिकों को सहायता
- जिला स्तर पर योजना निर्माण
- सर्वेक्षण सुधार

PLFS में किए गए मुख्य बदलाव

- **प्रमुख श्रम बाजार संकेतकों के मासिक अनुमान:** CDS में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए।
- **त्रैमासिक सीडब्ल्यूएस अनुमान:** ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित।
- **कैलेंडर वर्ष रिपोर्टिंग:** 2025 से वार्षिक पीएलएफएस परिणाम।
- **सैंपल के आकार में वृद्धि**
- **उन्नत भौगोलिक प्रतिनिधित्व:** जिले को **प्राथमिक भौगोलिक इकाई (मूल स्तर) बनाया गया।** शेष भागों में **NSS क्षेत्र** को **बेसिक स्ट्रेटम** बनाया गया है।
- **सामाजिक संकेतकों के आंकड़ों की बेहतर उपलब्धता**

भारत में रोजगार संबंधी संकेतकों की गणना के लिए अन्य पद्धतियां/रिपोर्ट

- **रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम:** सभी स्तरों पर सार्वजनिक/ निजी क्षेत्र के रोजगार रुझानों पर लगातार अपडेटेड जानकारी प्रदान करना।
  - **रोजगार कार्यालय अधिनियम, 1959** के अंतर्गत कार्यान्वित।
- **ILO रिपोर्ट: वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक आदि।**
- **जनगणना:** मुख्य/ सीमांत श्रमिकों पर डेटा एकत्र करता है।
- **श्रम ब्यूरो:** श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय (मुख्यालय चंडीगढ़)। श्रम सांख्यिकी के आंकड़े वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (ASI), ग्रामीण श्रमिक जांच, तथा ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) - ग्रामीण श्रमिक/ कृषि श्रमिक आदि के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं।

भारत में रोजगार संबंधी संकेतकों की गणना की पद्धतियों से संबंधित मुद्दे

- **आंकड़ों में असंगतताएं:** भिन्न-भिन्न नमूने, समय और पूछे गए प्रश्नों के कारण।
- **कमजोर मापदंड:** CWS प्रति सप्ताह ≥1 घंटे के कार्य को रोजगार के रूप में मानता है, जो अक्सर बेरोजगारी को कम करके गिनता है।
- **परिभाषा में विसंगति:** भारतीय रोजगार की परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी नहीं उतरती।
- **कई सर्वेक्षणों की सीमित प्रकृति:** बेरोजगारी के आंकड़ों पर QES का कोई रुख नहीं है।
- **सैंपल का आकार छोटा होना।**
- **समय लगना, डेटा की गुणवत्ता में कमी एवं सही जवाब नहीं मिलना।**

आगे की राह

- **संयुक्त राष्ट्र-राष्ट्रीय लेखा प्रणाली की परिभाषाओं को अपनाना।**
  - **19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन** द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करने का आग्रह।
- डेटा की गुणवत्ता, डेटा सत्यापन और प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के लिए **AI का उपयोग करना।**
- **नियमित अंतराल पर उद्यम सर्वेक्षण** और आर्थिक जनगणना की आवृत्ति बढ़ाई जानी चाहिए।
- एकसमान पद्धतियों के साथ **केंद्रीकृत सरकारी डेटा।**
- **सर्वेक्षणों के दोहराव को समाप्त करना** और **रिपोर्टों को सुसंगत बनाना।**
- **डेटा सुलभता:** NSS द्वारा सांख्यिकीय अंतर्दृष्टि के साथ अधिक जन जागरुकता और सहभागिता।

3.4. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PRADHAN MANTRI MUDRA YOJANA: PMMY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के 10 वर्ष पूरे हो गए।

PMMY के बारे में

- **मंत्रालय:** केंद्रीय वित्त मंत्रालय
- **शुरुआत:** वर्ष 2015
- **ऋण प्राप्त करने का तरीका:** मध्यवर्तियों (बैंक, सूक्ष्म वित्त संस्थान, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां) तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से। कर्ज लेने वाला व्यक्ति **उदयमित्र पोर्टल** पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकता है।
- **मुद्रा/ MUDRA (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड)** मध्यवर्ती संस्थाओं को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करती है और PMMY के क्रियान्वयन की निगरानी करती है।
- **मुद्रा कार्ड:** ऋण लेने वालों को ओवरड्राफ्ट सुविधा।
- **मुद्रा मित्र:** मुद्रा ऋण प्राप्त में मार्गदर्शन प्रदान करने वाला मोबाइल एप्लिकेशन।
- **मुद्रा ऋण की श्रेणियां: शिशु** (50,000 रुपये तक), **किशोर** (50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक), **तरुण** (5 लाख से 10 लाख रुपये तक) तथा **तरुण प्लस** (10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक)।
- **वित्तीय सहायता के प्रकार:** टर्म लोन (Term Loan); ओवरड्राफ्ट सीमा (Overdraft Limit); कार्यशील पूंजी (Working Capital); पूंजीगत सामानों की खरीद के लिए कंपोजिट ऋण (Composite Loan for Acquiring Capital) आदि।
- **प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के उद्देश्य**
  - बिना कुछ गिरवी रखे (कोलेटरल फ्री) ऋण प्रदान करना।
  - लघु एवं मध्यम उद्यमों (SMEs) को औपचारिक वित्तीय संस्थाओं से जोड़कर वित्त-पोषण से वंचित लोगों को वित्त प्रदान करना।
  - हाशिए पर पड़े और अब तक सामाजिक-आर्थिक रूप से उपेक्षित वर्गों का वित्तीय समावेशन और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना।

PMMY की मुख्य विशेषताएं

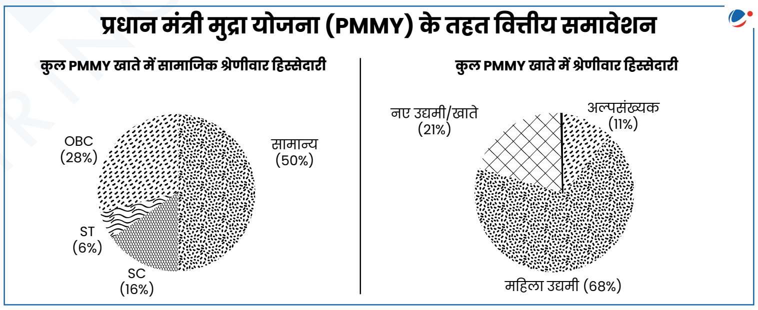

- **गिरवी या जमानत (Collateral) की आवश्यकता के बिना** ऋण की गारंटी **क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स (CGFMU)** द्वारा।
- **ब्याज दर: विनियमन मुक्त, शिशु सेगमेंट ऋण का त्वरित भुगतान करने पर 2% की ब्याज छूट, महिला उद्यमियों** को ऋण प्रदान करने वाले MFIs/ NBFCs को ब्याज दरों में छूट।
- **उच्च ऋण राशि वाली श्रेणी में मांग अधिक बढ़ना (शिशु से तरुण की ओर):** जो व्यवसाय में अपग्रेड का संकेत है।
- **अविकसित क्षेत्रों को ऋण देकर क्षेत्रीय असमानता को कम करने में मदद करना।**
- **पहली बार उद्यम करने वालों को बढ़ावा देना**
- **वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना**
- **अन्य कार्यक्रमों के साथ तालमेल:** मुद्रा मेक इन इंडिया पहल, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आदि के साथ अच्छी तरह से समन्वय करती है।

PMMY से जुड़े मुद्दे

- **मुद्रा ऋण में उच्च NPAs:** कुल NPAs 2.21% हैं, हालांकि NPAs में सुधार हो रहा है।
- **योजना के डिजाइन से संबंधित मुद्दे:** CGFMU के तहत डिफॉल्ट ऋण के लिए कवर की जाने वाली **राशि की ऊपरी सीमा 15%** है, ब्याज की उच्च दरें; जमानत मुक्त ऋण होने के कारण डिफ़ॉल्ट होने का जोखिम।
- **कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियां:** ज्यादातर ऋण लेने वाले को बुनियादी दस्तावेजों के बारे में जानकारी नहीं होती।
- **ऋण अनुशासन का अभाव:** ऋण को व्यक्तिगत उपयोग के लिए खर्च कर दिया जाता है।
- **खराब निगरानी और मूल्यांकन**

मुद्रा ऋण में सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदम

- **वित्तीय जागरूकता का प्रसार करना**
- **संवर्धित ऋण गारंटी योजना (ECGS):** बैंकों द्वारा अधिक ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करना।
- **महिला उद्यमियों के लिए ऋण सीमा बढ़ानी चाहिए, ब्याज में विशेष छूट देनी चाहिए, या महिलाओं के लिए लक्षित योजनाएं** प्रदान की जानी चाहिए।
- प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर **मजबूत निगरानी और मूल्यांकन फ्रेमवर्क लागू करना चाहिए जिससे** पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, ऋण का दुरुपयोग कम होगा और योजना की दक्षता में सुधार होगा और हितधारकों का विश्वास भी बढ़ेगा।

3.5. एक राज्य, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (ONE STATE, ONE RRB)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वित्तीय सेवा विभाग ने **26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के विलय** को अधिसूचित किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- केंद्र सरकार ने **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976** के तहत कदम उठाया है।
- विलय का **पहला चरण (वित्त वर्ष 2006 से वित्त वर्ष 2010) डॉ. व्यास समिति की सिफारिशों** पर आधारित था। **एक राज्य के भीतर एक ही प्रायोजक बैंक के तहत RRBs के विलय** पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यह **विलय का चौथा चरण** है। **अब 28 RRBs होंगे**, पहले **43** थे।
    - उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य के सभी ग्रामीण बैंकों (बड़ौदा यू.पी. बैंक, आर्यावर्त बैंक एवं प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक) को मिलाकर एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - **"उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक"** बना दिया गया है।

RRB के बारे में

- **शुरुआत: नरसिंहम वर्किंग ग्रुप (1975)** की सिफारिशों के आधार पर 2 अक्टूबर, 1975 को RRBs की स्थापना हुई थी।
- **RRBs का स्वामित्व: केंद्र सरकार (50%)**; **राज्य सरकार (15%)**; तथा **प्रायोजक वाणिज्यिक बैंक (35%)** ।
- **विनियमन और पर्यवेक्षण:** RBI द्वारा **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949** के अंतर्गत **NABARD द्वारा पर्यवेक्षण**।
    - कर उद्देश्यों से **आयकर अधिनियम, 1961** के अंतर्गत इन्हें **सहकारी संस्थाओं** के रूप में दर्जा प्राप्त है।
- **RRBs के लिए मुख्य आवश्यकताएं:**
    - **75% ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण (PSL)**।
    - RBI के नियमानुसार **9%** का **जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (CRAR)** बनाए रखना अनिवार्य।

एक राज्य, एक RRB का महत्त्व

- **व्यावसायिक गतिविधियों में तीव्र गति से वृद्धि:** RRBs का कुल कारोबार, **वित्त वर्ष 2030 तक** GDP के **5.2%** तक पहुंचने का अनुमान है।
- **वित्तीय लाभ:** एकीकृत RRBs के पास **अधिक पूंजी आधार होगा और बेहतर तरलता स्थिति होगी।**
- **नियमों एवं मानदंडों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित होगा।**
- **ऋण देने की क्षमता में वृद्धि:** ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर MSMEs और कृषि को अधिक ऋण प्रवाह संभव हो सकेगा।
- **वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा।**
- **प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि:** एकत्रित संसाधन और विशेषज्ञता से विविधीकृत एवं स्थानीय रूप से तैयार उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा।
- तकनीकी प्रणालियों के एकीकरण से **साइबर सुरक्षा में सुधार, धोखाधड़ी की बेहतर निगरानी**, तथा **बिग डेटा एनालिटिक्स** में मदद मिलेगी।
- **अन्य लाभ: परिचालन या कामकाज में दक्षता**, विविध कौशलों में सक्षम **कार्मिकों के एक बड़े समूह की उपलब्धता सुनिश्चित** होगी, **निरीक्षण और परिचालन संबंधी गाइडलाइन को बेहतर** किया जा सकता है।

RRBs के एकीकरण में चुनौतियां	
परिचालनात्मक (Operational)	**प्रशासनिक और हितधारक प्रबंधन**
➤ एकीकृत होने वाले बैंकों की **परिचालनात्मक और संगठनात्मक संरचना में अंतर।** ➤ **अप्रत्याशित देरी**, जिसका ग्राहकों पर प्रभाव पड़ता है। ➤ दस्तावेजों और फाइलों की भौतिक आवाजाही एवं रखरखाव से जुड़ी **परिचालन संबंधी कठिनाई।**	➤ एकीकृत होने वाले बैंकों में **कार्यबल पुनर्गठन और कर्मचारियों की आवाजाही** से संबंधित चिंताएं। ➤ विभागों और प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं के बीच **अपडेट को ट्रैक करने में कठिनाइयां।**
वित्तीय	**तकनीकी**
➤ खातों की संरचना में अंतर और शाखा तथा कॉर्पोरेट लेजर की मैपिंग में विविधता। ➤ एकीकरण के बाद CRAR अनुपात पर **प्रतिकूल प्रभाव की संभावना।** ➤ प्रतिभूतियों, निधियों और निवेशों के **प्रवाह में जटिलताएं।**	➤ CBS: डेटा के सुरक्षित माइग्रेशन को सुनिश्चित करने से संबंधित चिंताएं। ➤ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और माइग्रेट किए गए डेटा के बैकअप सहित विशाल मात्रा में डेटा का सुरक्षित और सही तरीके से स्थानांतरण सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

3.6. माइक्रोफाइनेंस के 50 वर्ष (50 YEARS OF MICROFINANCE)

सुर्ख़ियों में क्यों?

स्व-नियोजित महिला संघ (SEWA) बैंक, जो 1974 में गुजरात में एक सहकारी बैंक के रूप में शुरू हुआ, भारत में माइक्रोफाइनेंस संस्थान (MFI) के 50 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है।

माइक्रोफाइनेंस क्या है?

- **परिभाषा:** माइक्रोफाइनेंस यानी सूक्ष्म वित्त संस्थान **गरीब ग्रामीण परिवारों और लघु उद्यमों** को ऋण प्रदान करता है।
- **सेवाएं:** ऋण, बीमा, वित्तीय सलाह आदि।
- **उत्पत्ति: बांग्लादेश में** नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस की **ग्रामीण बैंक (1976) की योजना।**

भारत में माइक्रोफाइनेंस का विकास

(1974-1990)	(1991-1999)	(2000-2012)	(2012 के बाद)
पारंपरिक माइक्रोफाइनेंस	**आर्थिक सुधार**	**परिवर्तन का युग**	**भविष्य की राह**
सबसे गरीब लोगों को ऋण प्रदान करने के लिए SEWA बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) की स्थापना।	SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम की शुरुआत और महिलाओं और MSMEs के लिए समर्थन।	फॉर-प्रॉफिट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) का प्रवेश, जिसने सूक्ष्म वित्त परिदृश्य को बदल दिया।	वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए वित्तीय समावेशन और विकास विभाग (FIDD) की स्थापना।

भारत में माइक्रोफाइनेंस का महत्व

- **गरीबी उन्मूलन: उदाहरण के लिए, नाबार्ड के स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम** ने 144 लाख SHGs के माध्यम से 17.8 करोड़ परिवारों को सशक्त बनाया।
- **आर्थिक विकास और उद्यमिता: उदाहरण के लिए**, 46% ऋण 20,000 रुपये से कम मासिक आय वाले परिवारों का समर्थन करते हैं।
- **महिला सशक्तिकरण:** उदाहरण के लिए, बैंक से जुड़े 88% SHGs (जैसे केरल का कुदुम्बश्री) महिलाओं के नेतृत्व में संचालित होते हैं।
- **वित्तीय समावेशन:** MFIs उन परिवारों को वित्तीय सेवा प्रदान करते हैं जिन्हें पारंपरिक बैंकों से वित्तीय सेवा प्राप्त नहीं हो रही है।
- **सामाजिक प्रभाव:** उदाहरण के लिए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की **छोटे कदम** पहल ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) का नवीनीकरण किया।

भारत में माइक्रोफाइनेंस से संबंधित चुनौतियां:

- अति-ऋणग्रस्तता, उच्च ब्याज दरें (30% तक), कई विनियामक संस्थाओं द्वारा (RBI, राज्य सहकारी समितियां) विनियमित , MFIs की वित्तीय व्यवहार्यता, और बाह्य प्रभाव (प्राकृतिक आपदाएं) से डिफ़ॉल्ट का खतरा बढ़ जाता है।

माइक्रोफाइनेंस को मजबूत करने के लिए सरकारी पहलें

- **SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम:** SHG को अधिक ऋण प्रदान करना, उत्पादन-आधारित गतिविधियों को अपनाने पर बल।
- **प्रधान मंत्री मुद्रा योजना:** 20 लाख रुपये तक का कोलेटरल-मुक्त माइक्रो क्रेडिट प्रदान करता है।
- **RBI नीति (2014):** NBFC-MFIs को बैंकों के लिए बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (BCs) के रूप में कार्य करने की अनुमति दी।
- **RBI नियामक फ्रेमवर्क (2022):** माइक्रोफाइनेंस ऋण से जुड़ी परिभाषाओं और पुनर्भुगतान सीमाओं को स्पष्ट किया।
- **नाबार्ड पुनर्वित्त:** MFIs को दीर्घकालिक पुनर्वित्त प्रदान करता है।

आगे की राह

- **ऋणदाताओं को सीमित करना:** प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम तीन संस्थाओं से ही ऋण लेने की अनुमति दी जाए। साथ ही एक व्यक्ति को माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं से 3 लाख रुपये की बजाय **अधिकतम दो लाख रुपये ही ऋण** दिए जाएं।
- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) का एकीकरण:** मशीन लर्निंग मॉडल किसी व्यक्ति के ऋण वापस करने के व्यवहार का विश्लेषण करके संभावित डिफ़ॉल्ट की समय रहते पहचान कर सकते हैं।
- **क्षेत्रकों के आधार पर वर्गीकरण:** माइक्रोफाइनेंस संस्थानों को किफायती आवास, जलवायु परिवर्तन, जल और स्वच्छता, स्वास्थ्य-देखभाल जैसे अलग-अलग क्षेत्रकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है।
- **वित्तीय साक्षरता:** वित्तीय साक्षरता वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, बीमा के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और माइक्रोफाइनेंस उद्योग की वृद्धि में सहायक हो सकती है।
- **सर्वोत्तम उदाहरणों से सीखना:** तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल जैसे दक्षिणी राज्यों में माइक्रोफाइनेंस वितरण नेटवर्क अच्छी तरह से विकसित हैं। देश के अन्य क्षेत्रों को भी इन संस्थाओं से सीखने की जरूरत है।

3.7. तरलता घाटा (LIQUIDITY DEFICIT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग प्रणाली में उच्च तरलता घाटा (लिक्विडिटी डेफिसिट) को कम करने के लिए लिक्विडिटी बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की है। वर्तमान लिक्विडिटी डेफिसिट पिछले 15 वर्षों में सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

RBI ने निम्नलिखित तरीके से लिक्विडिटी बढ़ाने का प्रयास किया है:

- **खुले बाजार का परिचालन (OMO):** 1,00,000 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियां की खरीद।
- RBI ने 36 माह की अवधि के लिए **10 बिलियन अमेरिकी डॉलर** की **USD/ INR खरीद/ बिक्री स्वैप नीलामी** आयोजित की है।

बैंकिंग तरलता	
परिभाषा	बैंकिंग तरलता से तात्पर्य **केंद्रीय बैंक द्वारा बैंकिंग प्रणाली को प्रदान की गई आरक्षित निधि (नकदी)** से है
फॉर्मूला	**बैंकिंग तरलता** = चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के अंतर्गत निवल उधारी - बैंकों द्वारा प्रबंधित अधिशेष आरक्षित निधि
तरलता घाटा	बैंकिंग प्रणाली RBI का निवल ऋणी है (बैंकिंग प्रणाली की नकदी की मांग धनात्मक है अर्थात बैंकों के पास नकदी की कमी है और वह RBI से उधार ले रहा है)
तरलता अधिशेष	बैंकिंग प्रणाली RBI का निवल ऋणदाता है (बैंकिंग प्रणाली की नकदी की मांग ऋणात्मक है, अर्थात बैंकों के पास अधिक नकदी है और वह RBI को उधार दे रहा है)
चलन में मुद्रा (Currency in Circulation: CIC) से संबंध	↑ CIC=↓ बैंक में आरक्षित निधि =↓ बैंकिंग तरलता ↓CIC= ↑बैंक में आरक्षित निधि=↑ बैंकिंग तरलता
वर्तमान स्थिति:	जनवरी 2025 में भारतीय बैंकिंग प्रणाली में तरलता घाटा 15 साल के उच्चतम स्तर **(3.15 ट्रिलियन रुपये)** पर पहुंच गया। फरवरी 2025 में यह घाटा 1.59 लाख करोड़ रुपये था।

तरलता घाटे के लिए उत्तरदायी कारण

- **कर के लिए धन निकासी:** 3 ट्रिलियन (दिसंबर 2024) रुपये के अग्रिम करों से तरलता में कमी आई।
- **जस्ट-इन-टाइम SNA-SPARSH ट्रांजिशन:** बैंकिंग प्रणाली में सीमित निधि।
- **विदेशी मुद्रा बाज़ार:** FII द्वारा बिकवाली और रुपये को स्थिर करने के लिए RBI द्वारा डॉलर की बिक्री।
- **त्योहार के लिए बैंक से पैसा निकासी:** दिवाली, क्रिसमस, महाकुंभ 2025 के दौरान नकदी की मांग में वृद्धि।

तरलता घाटे का प्रभाव

- बैंकों से उधार देने के लिए बैंक उच्च ब्याज दर पर उधार लेकर लोगों को उधार देते हैं, मौद्रिक नीति का लाभ मिलने में देरी, ऋण उपलब्धता में कमी, बैंकों के लाभ में कमी और बाजार में अस्थिरता।

तरलता प्रबंधन के लिए RBI के पास उपलब्ध साधन

- तरलता समायोजन सुविधा (LAF), खुले बाजार परिचालन (OMOs), बाजार स्थिरीकरण योजना (MSS), नकद आरक्षित अनुपात (CRR), वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) और विदेशी मुद्रा स्वैप।

3.8. कम मूल्य वाले BHIM-UPI लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना (INCENTIVE SCHEME FOR PROMOTION OF LOW-VALUE BHIM-UPI TRANSACTIONS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कम मूल्य वाले BHIM-UPI (P2M) लेनदेन के लिए एक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।

प्रमुख तथ्य

- **कवरेज:** 1,500 करोड़ रुपये के परिव्यय (वित्त वर्ष 2024-25) के साथ UPI पर्सन-2-मर्चेंट (P2M) लेन-देन।
- **प्रोत्साहन:** छोटे व्यापारियों के लिए प्रति लेनदेन 0.15% (2,000 रुपये तक)।
- **लक्ष्य:** BHIM-UPI को बढ़ावा देना, 20,000 करोड़ लेन-देन प्राप्त करना, टियर 3-6 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में UPI का विस्तार करना ताकि ऋण तक पहुंच बढ़ाई जा सके।

BHIM के बारे में

- **NPCI द्वारा** कैशलेस भुगतान के लिए **UPI-आधारित मोबाइल ऐप, 2016** में लॉन्च किया गया।
- **विशेषताएं:** मोबाइल, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (VPA), QR कोड के जरिए तत्काल हस्तांतरण; **कई भुगतान मोड** से **बहु-स्रोतों से सत्यापन प्रमाणीकरण प्रणाली** (UPI-ID, आधार नंबर) **द्वारा सुरक्षित।**

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के बारे में

- भारत में **खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों** का प्रबंधन करने वाला एक **अम्ब्रेला संगठन।**
- इसे **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007** के तहत **RBI और भारतीय बैंक संघ (IBA)** द्वारा शुरू किया गया।
- RuPay, IMPS और अन्य भुगतान प्रणालियों की शुरूआत की गई।

3.9. इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण में आत्मनिर्भरता (SELF-RELIANCE IN ELECTRONICS COMPONENT MANUFACTURING)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना अधिसूचित की।

योजना के बारे में

- **इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला:** 4 खंडों में विभाजित - **डिज़ाइन, कंपोनेंट्स, असेंबली और मूल उपकरण विनिर्माण।**
- **योजना का फोकस:** निष्क्रिय/ गैर-अर्धचालक घटक जैसे रेसिस्टर्स और कैपेसिटर।
- **प्रोत्साहन:** टारगेट सेगमेंट के उत्पादन के लिए **निर्धारित वित्तीय सहायता** प्रदान करता है।

पुर्जों के विनिर्माण के अनुकूल परिवेश का विकास	
उद्देश्य	**वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs) के साथ घरेलू उद्योगों को एकीकृत करके** वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना।
प्रमुख रणनीतियां	घरेलू मूल्यवर्धन (DVA) बढ़ाने के लिए वैश्विक/ घरेलू निवेश को आकर्षित करना।
वित्तीय प्रोत्साहन	**टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव:** 6 वर्ष + 1 वर्ष का अतिरिक्त प्रोत्साहन शुरुआती अवधि के लिए (इन्क्यूबेशन पीरियड) **कैपेक्स इंसेंटिव:** 5 वर्षों के भीतर निवेश के लिए समर्थन **हाइब्रिड इंसेंटिव:** टर्नओवर-लिंक्ड और कैपेक्स सहायता का मिश्रण
प्रमुख जानकारी	**आधार वर्ष:** वित्त वर्ष 2024-25 **नोडल एजेंसी:** परियोजना प्रबंधन एजेंसी
पात्रता	ग्रीनफील्ड (नई) और ब्राउनफील्ड (मौजूदा), दोनों परियोजनाएं पात्र

भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र: अवलोकन

- **वर्तमान स्थिति:** वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार का 4% हिस्सा है, असेंबली पर मुख्य ध्यान है।
- **घरेलू उत्पादन वृद्धि:** उत्पादन 5 गुना बढ़कर 9.52 लाख करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 24) हो गया; भारत में बिकने वाले 99% स्मार्टफोन स्थानीय रूप से निर्मित हैं।
- **संवृद्धि के चालक:** बड़ा घरेलू बाजार, कम लागत पर कुशल श्रम उपलब्ध होना, सरकारी पहलें (मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया), आदि।
- **प्रभुत्व:** असेंबली पर उच्च निर्भरता, डिजाइन और घटकों में नवाचार पर कम ध्यान।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए की गई प्रमुख पहलें

- **इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM):** यह सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम का निर्माण करता है।
- **चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम:** यह स्वदेशी इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण को बढ़ावा देता है।
- **राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019:** भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) हब बनाने का लक्ष्य।
- **आईटी हार्डवेयर के लिए PLI योजना 2.0:** यह लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पीसी आदि के लिए घटकों/उप-असेंबली का स्थानीयकरण करती है।
- **बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (LSEM) के लिए PLI योजना:** यह मोबाइल फोन विनिर्माण और इसकी मूल्य श्रृंखला में निवेश को बढ़ावा देती है।

भारत को इलेक्ट्रॉनिक सेग्मेंट्स में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता क्यों है?

- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** विदेशी उपकरणों (कंपोनेंट्स) पर निर्भरता (चीन/हांगकांग से 56%) से डेटा उल्लंघनों का खतरा।
- अविकसित स्थानीय विनिर्माण के कारण **अधिक आयात।**
- **रणनीतिक अवसर (चीन+1):** निवेश की क्षमता प्रदान करता है।
- **प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:** कम लागत वाला विनिर्माण (थाईलैंड के न्यूनतम वेतन का 46%, 12 गुना बड़ा श्रम बल - PWC)।

इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्माताओं के लिए चुनौतियां

- **उच्च लॉजिस्टिक्स लागत:** अधिक लीड टाइम, उच्च परिवहन लागत (उदाहरण के लिए, चीन से स्मार्टफोन शिप करने में $0.80 बनाम भारत से $8 - PWC)।
- **वैश्विक अल्पाधिकार:** बाजारों पर जापान (R&D) और ताइवान (अमेरिकी समर्थन) का प्रभुत्व।
- **अविकसित सहायक उद्योग:** उदाहरण के लिए, रासायनिक उद्योगों में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल की कमी।
- **क्रिटिकल मिनरल्स की कमी:** गैलियम, जर्मेनियम जैसे दुर्लभ खनिज (**चीन-प्रभुत्व**) आपूर्ति संबंधी जोखिम बढ़ाते हैं।
- **कुशल कार्यबल की कमी:** सरफेस-माउंट टेक्नोलॉजी (SMT) लाइनों जैसी प्रणालियों के मामले में।

निष्कर्ष

नीति आयोग एक आत्मनिर्भर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स विनिर्माण तंत्र स्थापित करने के लिए R&D/ डिजाइन को प्रोत्साहित करने, टैरिफ को कम करने, कौशल बढ़ाने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सक्षम करने और अवसंरचना को बेहतर करने की सिफारिश करता है।

3.10 . इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना (ELECTRONICS COMPONENT MANUFACTURING SCHEME: ECMS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

MeiTY ने **इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना** को अधिसूचित किया।

इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना (ECMS) के बारे में

- **मंत्रालय:** केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeiTY)
- **उद्देश्य:** इलेक्ट्रॉनिक घटकों (कंपोनेंट्स) के विनिर्माण के लिए एक अनुकूल माहौल बनाना, **ग्लोबल वैल्यू चेन** के साथ एकीकृत करना।
- **लक्षित सेग्मेंट्स: सब-असेंबली** (जैसे- डिस्प्ले मॉड्यूल, कैमरा मॉड्यूल), **बेयर कंपोनेंट** (प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, आदि), **और पूंजीगत उपकरण**
- **अलग-अलग सेग्मेंट्स के लिए प्रस्तावित राजकोषीय प्रोत्साहन के प्रकार:** सब-असेंबली के लिए टर्नओवर के आधार पर, कैपेक्स या पूंजीगत व्यय के आधार पर, चुनिंदा कंपोनेंट्स के लिए हाइब्रिड प्रोत्साहन।
- **योजना अवधि: टर्नओवर आधारित प्रोत्साहन**- 6 वर्षों के लिए; **कैपेक्स प्रोत्साहन**-5 वर्ष तक।
- **पात्रता:** ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड, दोनों प्रकार की परियोजनाओं में निवेश की अनुमति।
- **कार्यान्वयन एजेंसी: MeitY** द्वारा **परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA)** के माध्यम से।

भारत में इलेक्ट्रॉनिक घटक क्षेत्रक का महत्व

- **आर्थिक क्षमता:** सबसे तेजी से वृद्धि करने वाले क्षेत्रकों में शामिल। **वित्त वर्ष 2014-15 से 2023-24** के बीच देश में **इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के घरेलू उत्पादन में पांच गुना वृद्धि** दर्ज।
- **निर्यात वृद्धि:** इस क्षेत्रक ने **वित्त वर्ष 2024** में भारत के कुल निर्यात में **29.12 बिलियन डॉलर** का योगदान दिया; 20% से अधिक की चक्रवृद्धि औसत वृद्धि दर।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा: भारत-USA संयुक्त सहयोग** के तहत भारत का पहला **राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फेब्रिकेशन प्लांट से आयात पर निर्भरता कम होगी।**
- **उद्योगों में तकनीकी इनोवेशन को बढ़ावा:** 5G प्रौद्योगिकी से रिमोट-सर्जरी और ऑटोनोमस वाहनों को बढ़ावा मिल रहा है।

भारत में इलेक्ट्रॉनिक घटक क्षेत्रक के समक्ष चुनौतियां

- **विनिर्माण की उच्च लागत:** कई तरह के टैरिफ स्लैब एवं सरचार्ज, कच्चे माल और लॉजिस्टिक्स की उच्च लागत जैसे कारक भारत में विनिर्मित उत्पादों को विश्व के बाजारों में महंगा बना देते हैं (चीन की तुलना में विनिर्माण सामग्री पर **4% से 5% तक की प्रतिस्पर्धात्मक हानि)**
- **R&D तथा डिजाइन के लिए अनुकूल माहौल का अभाव:** भारत **अपनी GDP का 1% से भी कम खर्च करता** है जो इनोवेशन को हतोत्साहित करता है।
- **वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की मांग में भारत की कम हिस्सेदारी।**
- **क्रिटिकल मिनरल्स के आयात पर बहुत अधिक निर्भरता की वजह से** क्रिटिकल मिनरल्स की निरंतर आपूर्ति पर हमेशा खतरा बना रहता है।
- **इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स विनिर्माण के लिए अनुकूल माहौल की कमी: अधिक पूंजीगत व्यय (कैपेक्स)** की जरूरत और **निवेश पर कम टर्नओवर प्राप्त होना।**
- आवश्यक प्रौद्योगिकियों और कौशल का अभाव जिसकी वजह से अन्य देशों से **प्रौद्योगिकी प्राप्त होने का इंतजार करना पड़ता** है।

भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रक के व्यापक विकास हेतु सरकारी योजनाएं

- मेक इन इंडिया (2014)
- चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (PMP) (2017): मोबाइल डिवाइस के उत्पादन को प्रोत्साहित करना
- उत्पादन-से-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना (2020): वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन
- SPECS: पूंजीगत व्यय पर प्रोत्साहन
- सेमीकॉन इंडिया (2021): सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम का विकास करना
- इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (2021)

आगे की राह (नीति आयोग की एक रिपोर्ट "इलेक्ट्रॉनिक्स: वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs) में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना" के अनुसार)

- **राजकोषीय उपाय:**
    - **इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के विनिर्माण के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन: ओपेक्स/Opex (ऑपरेटिंग व्यय) में मदद करना-पूंजीगत व्यय में**

सहायता और अधिक जटिल कंपोनेंट्स के विनिर्माण में हाइब्रिड सपोर्ट।
- भारतीय कंपनियों के SMEs/ R&D केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए नवाचार योजना शुरू करना।
- बड़े आकार के क्लस्टर विकसित करना, श्रमिकों के लिए आवास सुविधाएं प्रदान करना, स्थानीय नियमों और विनियमों को सरल और अनुकूल बनाना।
- **गैर-राजकोषीय यानी अन्य तरह के समर्थन:**
  - **इनपुट (कच्चे माल) पर प्रशुल्क को कम करना चाहिए।**
  - विदेशों से कुशल लोगों को आमंत्रित करना चाहिए।
  - **शिक्षा एवं उद्योग जगत के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए।**
  - **उच्च प्रौद्योगिकी प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए।**

3.11. राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NATIONAL TECHNICAL TEXTILES MISSION: NTTM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में **राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन** के शुरुआत के 5 वर्ष पूरे हुए।

'राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन' (NTTM) के बारे में

- **उद्देश्य:** 2025-26 तक 1,480 करोड़ रुपये के बजट के साथ भारत को तकनीकी वस्त्रों के मामले में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनाना है।
- **मंत्रालय:** केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय
- **चार घटक:**
  - **अनुसंधान, नवाचार और विकास; प्रचार-प्रसार और बाजार का विकास; निर्यात संवर्धन;** तथा **ज्ञानवर्धन, प्रशिक्षण और कौशल विकास।**
- **राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के उद्देश्य:** तकनीकी वस्त्रों में भारत को विश्व में अग्रणी बनाने के लिए एक बेहतर परिवेश का निर्माण करना।

तकनीकी वस्त्र

- **तकनीकी वस्त्र** सामान्य कपड़ों से अलग होते हैं। इन्हें सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि विशेष ख़ूबियों और बेहतर काम करने की क्षमता के लिए बनाया जाता है। जैसे कि, **डॉक्टरी उपकरण, सुरक्षा गियर और निर्माण सामग्री।**
- **तकनीकी वस्त्र** बाजार को उनके उपयोग के आधार पर **12 सेग्मेंट्स** में बांटा गया है। (बॉक्स देखिए)

तकनीकी वस्त्र के 12 सेग्मेंट्स	
इंडटेक	औद्योगिक ब्रश, कंप्यूटर प्रिंटर रिबन, आदि।
मोबिटेक	सीट कवर, असबाब, टायर कॉर्ड कपड़े, आदि।
स्पोर्टेक	खेल जाल, पैराशूट, कृत्रिम घास और टर्फ, आदि।
बिल्डटेक	फर्श और दीवार कवरिंग, मचान जाल, शामियाना और छतरियां, आदि।
होमटेक	तकिए, गद्दे, ब्लाइंड, आदि।
मेडिटेक	कॉन्टेक्ट लेंस, बेबी डायपर, आदि।
क्लॉथटेक	इंटरलाइनिंग, लेबल, आदि।
एग्रोटेक	पक्षी सुरक्षा जाल, फसल कवर, आदि।
प्रोटेक	बुलेट-प्रूफ सुरक्षात्मक कपड़े, उच्च दृश्यता वाले कपड़े, आदि
पैकटेक	रैपिंग फैब्रिक, मुलायम सामान, आदि।
ओकोटेक	अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, पुनर्चक्रण।
जियोटेक	जियो-कंपोजिट, जियो-बैग, जियोग्रिड, जियोनेट।

भारत के लिए तकनीकी वस्त्र क्यों महत्वपूर्ण है?

- **अलग-अलग क्षेत्रों में उपयोग:** होमटेक जैसे नवाचार (एंटीवायरल मैट्रेस सुरक्षा) ।
- **मांग में वृद्धि:** बढ़ती जनसंख्या और वृद्ध नागरिकों की बढ़ती संख्या के कारण उपभोक्ता सक्रिय वस्त्र, चिकित्सा परिधान और स्वच्छ चिकित्सा उपकरण (मेडिटेक) के लिए टिकाऊ, मजबूत तकनीकी वस्त्रों को प्राथमिकता देते हैं।
- **औद्योगिक उत्पादन:** इंडटेक, सुचालक कपड़े और 3 डी बनावट वाले वस्त्र जैसे उत्पादों के साथ विनिर्माण का समर्थन करता है।

- **पर्यावरण संरक्षण:** जियोटेक और ओकोटेक फ्लोर सीलिंग, एयर क्लीनिंग, जल प्रदूषण की रोकथाम और अपरदन से सुरक्षा में सहायक।
- **आपदा प्रबंधन में सहायक:** ऑस्ट्रिया में, हिमस्खलन को रोकने के लिए जियोटेक अवरोधों का उपयोग किया जाता है।
- **रक्षा आधुनिकीकरण:** मेक इन इंडिया के तहत प्रोटेक आधारित बुलेट प्रूफ जैकेट और कंपोजिट।
- **प्रमुख क्षेत्रकों में मददगार: कृषि, स्वास्थ्य-देखभाल सेवा, परिवहन और अवसंरचना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रकों** को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए, जियोटेक्सटाइल **रेलवे ट्रैक का निर्माण** (राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन) और जियोमेम्ब्रेन (जल जीवन मिशन)।

तकनीकी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कुछ अन्य कदम:

- **PLI योजना:** घरेलू तकनीकी वस्त्र, मानव निर्मित कपड़े और परिधान उत्पादन को बढ़ावा।
- **पी.एम. मित्र योजना:** मैन-मेड फैब्रिक (MMF) और तकनीकी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
- **समर्थ योजना:** संगठित वस्त्र क्षेत्रक और इससे संबद्ध क्षेत्रकों में रोजगार सृजित करने के लिए मांग-आधारित कौशल प्रदान करती है।
- **नए HSN कोड:** 2019 में पहचाने गए 207 वस्तुओं के अतिरिक्त 30 से अधिक नए हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड जोड़े गए।
- **अनिवार्य उपयोग:** दस केंद्रीय मंत्रालयों में अनिवार्य उपयोग के लिए 119 तकनीकी वस्त्र उत्पादों की पहचान की गई है।

तकनीकी वस्त्रों का लाभ उठाने में मौजूद चुनौतियां

- **जागरूकता की कमी:** जानकारी की कमी के कारण इसके लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पाए हैं।
- **आयात पर अधिक निर्भरता:** चीन (कम लागत वाले उत्पाद) और अमेरिका/ यूरोप (हाई-टेक उत्पाद) पर।
- **कुशल कार्यबल की कमी:** प्रशिक्षण योजनाओं में पारंपरिक वस्त्रों पर ही ध्यान दिया जाता है।
- **अनुसंधान एवं विकास की कमी:** सीमित विविधीकरण वाला वस्तु-केंद्रित उद्योग।
- **मानकीकरण से जुड़े मुद्दे:** असंगत HSN कोड और अंतर्राष्ट्रीय मानक व्यापार और गुणवत्ता नियंत्रण को जटिल बनाते हैं।

आगे की राह

- **अनुसंधान एवं विकास (R&D) को बढ़ावा देना:** प्रमुख संस्थानों के साथ सहयोग के माध्यम से।
- **निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना:** बाजारों में मांग बढ़ाने के लिए भारतीय मानकों को वैश्विक मानदंडों के अनुरूप बनाना।
- **सततता पर ध्यान देना:** प्राकृतिक फाइबर तथा एग्रोटेक नेट जैसे पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए।
- **विश्व के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों से सीखना:** उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका (स्पोर्टेक), जर्मनी (जियोटेक), आदि की उन्नत तकनीकें।

3.12. भारत के विकास के लिए कोयला क्षेत्रक (COAL SECTOR FOR INDIA'S DEVELOPMENT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने कोयला उत्पादन में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए वित्त वर्ष 2024-25 में **20 मार्च, 2025** को **एक बिलियन टन उत्पादन आंकड़ा** को पार किया।

कोयला क्षेत्रक की सफलता में योगदान देने वाली सरकारी पहलें

- **कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 (CMSP एक्ट):** निजी संस्थाओं द्वारा वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी की अनुमति दी गई है, जिसकी पहली नीलामी 2020 में शुरू की गई।
- **खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 (MMDR एक्ट):** कैप्टिव कोयला खान के मालिकों को खुले बाजार में अपने वार्षिक खनिज (कोयला सहित) उत्पादन का 50% तक बेचने की अनुमति दी गई है।
- **कोयला लॉजिस्टिक्स योजना और नीति, 2024:** एक लागत प्रभावी और लचीला कोयला निकासी प्रणाली बनाने के लिए।
- **पारदर्शी नीलामी व्यवस्था: राष्ट्रीय कोयला खान सुरक्षा रिपोर्ट पोर्टल** और **माइन क्लोजर पोर्टल** के जरिए दो चरणों वाली ऑनलाइन प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के तहत आयोजित की जाती है।
- **कोयला गैसीकरण योजना (2024):** 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण का लक्ष्य।
- **मिशन कोकिंग कोल:** इस्पात क्षेत्र के लिए आपूर्ति को बढ़ावा देना
- **अन्य उपाय:** राष्ट्रीय कोयला सूचकांक (NCI), सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल, 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति।

भारत के विकास में कोयले का महत्त्व

- **प्राथमिक ऊर्जा स्रोत:** उदाहरण के लिए, कोयला, भारत की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में 46.88% का योगदान देता है (नवंबर 2024 तक)।
- **आयात निर्भरता में कमी:** उदाहरण के लिए, वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 2024 में कोयला आयात में 8.4% की कमी आई है।

इससे विदेशी मुद्रा की बचत हुई है।

- **बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करना:** 2050 तक तीन गुना होने का अनुमान है (अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, IEA)
- **क्षेत्रीय विकास:** कोयला क्षेत्र जीएसटी, जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) फंड आदि के माध्यम से कोयला उत्पादक क्षेत्रों को सालाना ₹70,000 करोड़ से अधिक का योगदान देता है।
- **रोजगार सृजन:** देश के 350 से अधिक कोयला खानों में लगभग 5 लाख खनिकों को रोजगार देता है।
- **अन्य योगदान:** रेलवे के माल ढुलाई राजस्व का आधा हिस्सा (वित्त वर्ष 2022-23 में 49%), बढ़ा हुआ पूंजीगत व्यय और CSR योगदान।

भारत के कोयला क्षेत्र के बारे में अन्य प्रमुख तथ्य

- विश्व में **पांचवां सबसे अधिक कोयला भंडार** भारत में है। साथ ही, भारत कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है।
- **कोयले का कुल अनुमानित भंडार:** 361.41 बिलियन टन (2022 तक)।
- **शीर्ष कोयला भंडार वाले राज्य:** ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ (भारत के भंडार का लगभग 69%)।
- **कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973:** कोयला खनन पात्रता निर्धारित करने वाला केंद्रीय कानून है। 2014 में शुरू की गई नीलामी ने निजी कैप्टिव खनन की अनुमति दी, 2020 में वाणिज्यिक खनन निजी कंपनियों के लिए खोला गया।
- **कोयले के प्रकार: एन्थ्रेसाइट** (उच्चतम ग्रेड), **बिटुमिनस** (बिजली उत्पादन के लिए कोयले का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है), **सब-बिटुमिनस और लिग्नाइट** (सबसे निम्न ग्रेड का कोयला, कार्बन की मात्रा सबसे कम)

भारत के कोयला क्षेत्र के लिए प्रमुख चुनौतियाँ	
खनन और कोयला उत्पादन उद्योग में	• खनन तकनीकों में तकनीकी अप्रचलन • कोयले की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में बेमौसमी और लंबे समय तक बारिश • बिजली क्षेत्र के उपभोक्ताओं द्वारा कोयले के उचित मूल्य का भुगतान न करना और भारी बकाया राशि • कोयला क्षेत्रों में अक्सर श्रम/ औद्योगिक संबंध (IR) संबंधी मुद्दे • भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दे • भारतीय कोयले में राख की मात्रा अधिक होना
कोयला चालित ताप विद्युत संयंत्रों से पर्यावरण संबंधी चिंताएँ	• **हानिकारक गैसें:** सल्फर डाइऑक्साइड (SO2), नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx), कार्बन डाइऑक्साइड (CO2), पार्टिकुलेट मैटर (PM) • **प्रदूषक:** फ्लाई-ऐश, लेड (Pb), आर्सेनिक (As), कैडमियम (Cd), पारा (Hg)

3.13. भारत की जैव-अर्थव्यवस्था (INDIA'S BIO-ECONOMY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) ने अपनी **13वीं वर्षगांठ** पर **"इंडिया बायोइकोनॉमी रिपोर्ट 2025" (IBER 2025)** जारी की।

अन्य संबंधित तथ्य

- बायोटेक स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **"बायोसारथी मेंटरशिप इनिशिएटिव"** नामक वैश्विक मेंटरशिप पहल की भी शुरुआत की गई।
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 2012 में BIRAC की स्थापना की, जो **सार्वजनिक क्षेत्रक का एक गैर-लाभकारी उद्यम** है।
    - फंडिंग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, बौद्धिक संपदा प्रबंधन के माध्यम से उद्योग- अकादमिक जगत के बीच समन्वय का कार्य करता है।
    - **प्रमुख पहलें:** बायो-नेस्ट स्कीम, बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन ग्रांट (BIG), सीड फंड, आदि।

बायो-इकोनॉमी क्या है?

- इसमें आर्थिक क्षेत्रों में उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं को वितरित करने के लिए जैविक संसाधनों का संधारणीय उत्पादन, उपयोग और संरक्षण शामिल है।
- भारत ने 2030 तक जैव अर्थव्यवस्था को 300 बिलियन डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है।

जैव अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रक	प्रमुख क्षेत्रक	उदाहरण
बायोफार्मा और बायोमेडिकल	कैंसर इम्यूनोथेरेपी, जीन एडिटिंग, प्रिसिजन मेडिसिन	CAR-T सेल थेरेपी, CRISPR-Cas9 तकनीक
बायोएग्री	जेनेटिकली मोडिफाइड फसलें, प्रिसिजन एग्रीकल्चर, बायो-आधारित उत्पाद	बीटी कॉटन, बैसिलस थुरिंजिनिसिस, ट्राइकोडर्मा
बायोइंडस्ट्रियल	जैव ईंधन, बायोप्लास्टिक, बायोगैस	इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम, कंप्रेस्ड बायोगैस (SATAT योजना)
बायोरिसर्च और बायो IT (बायो सर्विसेज)	क्लिनिकल परीक्षण, बायोटेक सॉफ्टवेयर	बायोकॉन, इंफोसिस लाइफ साइंसेज

भारत के लिए जैव-अर्थव्यवस्था का महत्त्व

- **आर्थिक विकास:** जैव-अर्थव्यवस्था का आकार 2014 में 10 बिलियन डॉलर था, जो 2024 में बढ़कर 165.7 बिलियन डॉलर हो गया। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 4.25% है।
- **उद्यमिता:** एक दशक में बायोटेक स्टार्टअप 50 से बढ़कर 10,000 से अधिक हो गए (IBER 2025)।
- **ग्लोबल फार्मा हब:** भारत वैश्विक स्तर पर दवाइयों के उत्पादन में मात्रा के हिसाब से तीसरे और मूल्य के हिसाब से 14वें स्थान पर है। इसके अलावा, दुनिया की 65% वैक्सीन का उत्पादन करता है।
- **खाद्य सुरक्षा:** GM फसलों, प्रिसिजन फार्मिंग, आदि के माध्यम से कृषि उत्पादकता में सुधार।
- **रोजगार:** 35 मिलियन रोजगार के अवसर उत्पन्न होने का अनुमान है।
- **ऊर्जा-सुरक्षा:** उदाहरण के लिए, 2024 में 15% इथेनॉल मिश्रण (2025 तक 20% का लक्ष्य), **कच्चे तेल के आयात और CO2 उत्सर्जन दोनों को कम** करता है।
- **पर्यावरणीय लाभ:** उदाहरण के लिए, यह **सर्कुलर इकोनॉमी** (कृषि अवशेषों से इथेनॉल) को बढ़ावा देता है और जैव उर्वरकों, जैव कीटनाशकों और **बायो-रेमेडिएशन** (जैसे, TERI/ टेरी का आयलजैपर) के माध्यम से **प्रदूषण नियंत्रण** करता है।

जैव-अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली नीतियां और योजनाएं

- **BioE3 (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) नीति 2024:** बायो-मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, बायो-फाउंड्री क्लस्टर एवं बायो-ए.आई. हब जैसी प्रमुख पहलों समर्थन करती है।
- **राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन:** जैव प्रौद्योगिकी विभाग और BIRAC के नेतृत्व में यह वैक्सीन, बायोसिमिलर, चिकित्सा उपकरणों में भारत की क्षमताओं को बढ़ावा देता है।
- **जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास (Bio- RIDE) योजना 2024:** जैव-उद्यमिता और उद्योग -अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देती है।
- **जीनोम इंडिया परियोजना:** भारत की आनुवंशिक विविधता की व्यापक सूची तैयार करने के लिए 2020 में शुरू की गई।
- **बायोटेक-किसान (बायोटेक-कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क):** यह वैज्ञानिक- कृषि नवाचारों के माध्यम से किसानों, विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है।
- **राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018:** ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रक में जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देती है।

भारत की जैव-अर्थव्यवस्था के विकास में बाधाएं

- **ओवरलैपिंग विनियमन** (उदाहरण के लिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कार्यों में टकराव)।
- **बायो-पाइरेसी की चिंता:** उदाहरण के लिए, अमेरिका में हल्दी पेटेंट मुद्दा।
- **अनुसंधान एवं विकास में कम निवेश (आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25):** सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.64% है (चीन में लगभग 2%, अमेरिका में लगभग 3%)।
- **अन्य चुनौतियां:** जीएम फसलों के साथ सुरक्षा संबंधी चिंताएं, अपर्याप्त वित्तपोषण, आदि।

आगे की राह

- **सुधार विनियमन: राष्ट्रीय जैव अर्थव्यवस्था मिशन** और सिंगल-विंडो रेगुलेटरी मैकेनिज्म की स्थापना करनी चाहिए।
- **संधियों का लाभ उठाना:** उदाहरण के लिए, IP मुद्दों का समाधान करने के लिए **बौद्धिक संपदा पर WIPO की संधि** का उपयोग करना।
- **निवेश को बढ़ावा देना:** कर प्रोत्साहन, आउटकम-आधारित वित्तपोषण आदि प्रदान करना।
- **प्रतिभा का विकास:** उत्कृष्टता केंद्र और विशेष पाठ्यक्रम शुरू करना।
- **बुनियादी ढांचा:** राष्ट्रीय जैविक डेटा भंडार और ग्लोबल कोएलिशन नेटवर्क स्थापित करना।
- **सेफ्टी सुनिश्चित करना:** प्रोडक्ट डिज़ाइन में ही सुरक्षा सुनिश्चित करने के सिद्धांत को अपनाना (301वीं संसदीय रिपोर्ट)।

3.14. जिला खनिज फाउंडेशन (THE DISTRICT MINERAL FOUNDATION: DMF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

स्थायी समिति ने DMF फंड और **PMKKKY** कार्यान्वयन पर रिपोर्ट दी।

जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) के बारे में

- **गठन:** खान एवं खनिज अधिनियम, 1957 में संशोधन करके 2015 में बनाया गया
- **अवधारणा:** DMF खनन कार्यों से प्रभावित जिलों के लिए एक गैर-लाभकारी ट्रस्ट है।
- **उद्देश्य:** राज्यों द्वारा निर्धारित अनुसार खनन से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों को लाभ पहुंचाना।
- **संरचना:** शासी परिषद (नीति) और प्रबंध समिति (कार्यान्वयन) के साथ दो स्तरीय व्यवस्था।
- **DMF का वित्तपोषण:** खनन पट्टाधारक पट्टे की तिथि के आधार पर रॉयल्टी का 10-30% योगदान करते हैं।
    - फंड का उपयोग जिला स्तर पर **PMKKKY** के दिशा-निर्देशों के तहत किया जाता है।

भारत में खनन क्षेत्राधिकार

- **संवैधानिक ढांचा**
    - **संघ सूची की प्रविष्टि 54:** संसद सार्वजनिक हित में खानों और खनिज विकास को विनियमित कर सकती है।
    - **राज्य सूची की प्रविष्टि 23:** राज्य संघ सूची के प्रावधानों के अधीन खानों और खनिज विकास को विनियमित कर सकते हैं।
- **लघु खनिज प्राधिकरण**
    - **केन्द्र सरकार:** किसी भी खनिज को "लघु खनिज" के रूप में अधिसूचित कर सकती है।
    - **राज्य सरकार:** अपने क्षेत्र के भीतर लघु खनिजों के लिए रियायतें देने के नियम बना सकती है।
- **MMDR (संशोधन) अधिनियम, 2023**
    - **महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिज:**
        - केन्द्र सरकार को खनन पट्टों और समग्र लाइसेंसों की नीलामी करने का विशेष अधिकार है।
        - MMDR अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग D में सूचीबद्ध खनिजों पर लागू होता है।
- **DMF (जिला खनिज फाउंडेशन) क्षेत्राधिकार**
    - **केन्द्र सरकार:** DMF निधियों के गठन और उपयोग के संबंध में निर्देश दे सकती है।
    - **राज्य सरकार:** कार्यान्वयन और दैनिक प्रबंधन का कार्य देखती है।
- **महत्व और स्थिति:**
    - DMF संविधान अनुसूचियों, PESA 1996, FRA 2006 द्वारा निर्देशित है।
    - **645 जिलों (23 राज्यों)** में DMF हैं।
    - **₹1 लाख करोड़ से अधिक** एकत्रित
    - **DMF फंड के मामले में शीर्ष राज्य:** ओडिशा (29%); छत्तीसगढ़ (14%); झारखंड (13%)

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)

- **लॉन्च:** MMDR अधिनियम, 1957 के तहत **2015** में।
- राज्य सरकार ने PMKKKY को DMF नियमों में एकीकृत किया है।
- **उद्देश्य:** खनन क्षेत्रों में सतत विकास; स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बुनियादी ढांचे, जल, आजीविका के लिए धन जुटाना।
- **2024 का संशोधन**
    - प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए 70% निधि; अन्य पर 30% की सीमा।
    - **आजीविका फोकस:** विस्तार, कृषि को जोड़ा गया।
    - **प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र:** 70%
    - **एंडोमेंट फंड:** 10%
    - **योजना को बेहतर करना:** आवश्यकता मूल्यांकन के आधार पर 5 वर्ष।

जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) से जुड़ी चुनौतियाँ

- **शासन संबंधी मुद्दे:** DMF में जिला कलेक्टरों का प्रभुत्व है तथा खनन समुदाय का प्रतिनिधित्व सीमित है; केवल पांच राज्यों में ही प्रभावित लोगों को शासी परिषदों में शामिल किया गया है।
- **योजना एवं लाभार्थी पहचान:** किसी भी जिले ने पाँच साल की परिप्रेक्ष्य योजना (पर्सपेक्टिव प्लान) प्रकाशित नहीं की है। पंचवर्षीय योजना में ग्राम सभा की भागीदारी का अभाव है।
- **फंड का उपयोग:** केवल 40% फंड का उपयोग हुआ; प्रमुख राज्यों ने कम खर्च दिखाया। फंड मानव विकास के बजाय बुनियादी ढाँचे पर केंद्रित है, जो PMKKKY के लक्ष्यों के विपरीत है।
- **कमजोर शिकायत एवं निगरानी:** शिकायत प्रणालियां अक्सर अकार्यात्मक होती हैं; पारदर्शिता के लिए कोई **'DMF फंड उपयोग सूचकांक'** नहीं होता।
- **सोशल ऑडिट नहीं किया जाना:** प्रभावशीलता मूल्यांकन अनुपस्थित।
- **आकांक्षी जिलों का अंतर:** 112 ADP जिलों में से 106 DMF जिले हैं, फिर भी खनन प्रभाव शमन लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है।

सुधार

- यह सुनिश्चित करना चाहिए कि DMF स्वतंत्र, समुदाय-नेतृत्व वाले हों तथा उनमें कम से कम एक-तिहाई खनन प्रभावितों का प्रतिनिधित्व हो।
- सहभागी पंचवर्षीय योजनाएँ विकसित करना।
- PMKKKY के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्रों को 70% निधि आवंटन करना।
- **स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा सोशल ऑडिट और वित्तीय समीक्षा अनिवार्य करना।**
- **पोस्ट-माइन इकोनॉमी (खनन-समाप्ति पश्चात विकास) के लिए एंडोमेंट फंड** की स्थापना के साथ **'जस्ट ट्रांजिशन' पर ध्यान देना** चाहिए।

3.15. राष्ट्रीय जलमार्ग (जेटी/ टर्मिनल का निर्माण) विनियम, 2025 {NATIONAL WATERWAYS (CONSTRUCTION OF JETTIES/TERMINALS) REGULATIONS, 2025}

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) ने **राष्ट्रीय जलमार्ग (जेटी/ टर्मिनल का निर्माण) विनियम, 2025** जारी किए।

विनियम के बारे में

- **विनियमों का निर्माण:** केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) के तहत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) द्वारा।
- **उद्देश्य: निजी क्षेत्र से निवेश** आकर्षित करना और भारत के जलमार्ग नेटवर्क के प्रभावी तरीके से उपयोग को बढ़ावा देना।

विनियम के मुख्य प्रावधान

- **किन पर लागू होगा:** कोई भी इकाई, जिसमें निजी क्षेत्र की इकाई भी शामिल है, जो राष्ट्रीय जलमार्ग पर अंतर्देशीय जलमार्ग को संचालित करना चाहती है।
- **अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NoC) की आवश्यकता:** टर्मिनल का निर्माण या उसे संचालित करने के लिए IWAI से प्राप्त करना।
- **डिजिटल पोर्टल:** दक्षता, पारदर्शी टर्मिनल के अनुप्रयोगों के लिए।
- **जिम्मेदारियां:** टर्मिनल डेवलपर्स और ऑपरेटर्स तकनीकी डिजाइन और निर्माण का कार्यभार संभालते हैं।

अंतर्देशीय जल परिवहन

- **परिभाषा:** अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT) का तात्पर्य नदियों, नहरों, झीलों और अन्य नौगम्य जलाशयों के माध्यम से यात्रियों और माल के आवागमन से है।
- **लाभ:** ईंधन का बेहतर उपयोग, विकसित करने में किफायती, परिवहन और रखरखाव, यातायात पर भीड़ को कम करना, पर्यावरण अनुकूल।

भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों की स्थिति

- **नौगम्य जलमार्ग:** भारत में लगभग **14,500 किलोमीटर** नौगम्य जलमार्ग (नदियां, नहरें, आदि) तथा IWT द्वारा सालाना लगभग **133.03 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) कार्गो** का परिवहन किया जा रहा है।
- **अन्य देशों से तुलना:** भारत में केवल 3.5% व्यापार जलमार्गों से होता है, जबकि चीन में 47%, यूरोप में 40% और बांग्लादेश में 35% व्यापार जलमार्गों से होता है।

उठाए गए कदम

- **भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI):** 1986 में स्थापित यह संगठन केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक नोडल एजेंसी है।
- **सागरमाला कार्यक्रम (2015):** सड़क/ रेल नेटवर्क पर निर्भरता कम करने के लिए तटीय और अंतर्देशीय जलमार्गों के उपयोग को बढ़ावा देता है।
- **राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016:** 111 राष्ट्रीय जलमार्गों (5 मौजूदा और 106 नए जलमार्ग) को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है।
- **अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021:** इसे अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 के स्थान पर लागू किया गया है जो पोत पंजीकरण, वर्गीकरण, प्रदूषण रोकथाम से संबंधित है।
- **जलवाहक योजना (2024):** जलमार्गों के जरिए लागत प्रभावी, सुरक्षित और समय पर कार्गो की डिलीवरी को प्रोत्साहित करता है।

भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्रक के लिए प्रमुख चुनौतियां

- **जलमार्गों की कम गहराई:** अधिकांश नदियाँ (लगभग 2 मीटर गहराई) भारी वाहनों के लिए कम-से-कम 3 मीटर की न्यूनतम गहराई की आवश्यकता होती है।
- **पर्यावरण पर प्रभाव:** जलमार्ग परिवहन के कारण नदी प्रदूषण बढ़ता है, जल के प्राकृतिक अपवाह में व्यवधान और पर्यावास के नष्ट होने का खतरा है।
- **IWT जहाजों की कमी:** उच्च पूंजी लागत और वित्तपोषण संबंधी कठिनाइयां पोत निर्माण को सीमित करती हैं।
- **मॉडल एकीकरण:** मल्टीमॉडल कॉरिडोर, जलमार्ग मानचित्रण और परिवहन केंद्रों की कमी है।

निष्कर्ष

अंतर्देशीय जलमार्गों की क्षमता को अनलॉक करने के लिए अवसंरचना में सुधार करने, निजी निवेश को प्रोत्साहित करने आदि की आवश्यकता है। उचित नीतियां बनाने और क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने से वस्तुओं का परिवहन बढ़ेगा जिससे जलमार्गों को संधारणीय परिवहन का एक प्रमुख आधार बनाया जा सकेगा।

3.16. विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह (VIZHINJAM INTERNATIONAL SEAPORT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने केरल में **विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर बहुउद्देशीय समुद्री बंदरगाह** का उद्घाटन किया।

बंदरगाह के बारे में

- भारत का पहला **डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह।**
- **उद्देश्य: कंटेनर, बहुउद्देशीय और ब्रेक-बल्क कार्गो संभालता है।**
- **विकासात्मक मॉडल: DBFOT** पर **PPP** के साथ **लैंडलॉर्ड मॉडल पर आधारित।**
- लाभ
  - **रणनीतिक स्थिति:** यूरोप, फारस की खाड़ी और सुदूर पूर्व को जोड़ने वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्ग के निकट।
  - **प्राकृतिक लाभ: जल की प्राकृतिक गहराई** नेक्स्ट जनरेशन के बड़े कंटेनर जहाजों को संभालने में सक्षम बनाती है।
  - **स्केलेबल अवसंरचना: 18,000+ TEU** की क्षमता के साथ कार्गो वृद्धि और बहुत कम तलछट का जमाव।

ट्रांसशिपमेंट क्या है?

- यह **इसमें** अंतिम POD तक पारगमन के दौरान जहाजों के बीच **कार्गो या कंटेनर का स्थानांतरण** शामिल है।
- ट्रांसशिपमेंट हब को निम्नलिखित माध्यम से एकीकृत किया गया:
  - **हब-एंड-स्पोक मॉडल:** क्षेत्रीय फीडरों को लंबी दूरी (वैश्विक) की डीप-सी लाइनों से जोड़ता है।
  - **इंटरसेक्शन:** प्रमुख मार्गों पर बड़े जहाजों को जोड़ता है।
  - **रिले:** विभिन्न बंदरगाहों के साथ क्षेत्रीय मार्गों को जोड़ता है।

भारत को ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित करने की आवश्यकता क्यों है?

- **उच्च विदेशी निर्भरता:** भारत का लगभग **75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो विदेशों में मुख्यतः कोलंबो, सिंगापुर और क्लैंग में भेजा जाता है।**
- **व्यापार मार्ग से निकटता:** जहाज (लाइनर्स) **न्यूनतम विचलन को प्राथमिकता देते हैं।**
  - **विझिंजम और गलाथिया बे** स्वेज मार्ग से **लगभग 6-10 नॉटिकल मील की** दूरी पर स्थित हैं।
- **राजस्व की हानि:** भारतीय बंदरगाहों को हर साल **200-220 मिलियन डॉलर** का संभावित राजस्व नुकसान होता है।
- **डीप ड्राफ्ट वाले बंदरगाहों की कमी:** भारतीय बंदरगाहों में **18 मीटर ड्राफ्ट का अभाव है।**
- **बुनियादी ढांचा:** उत्पादकता और सुपरस्ट्रक्चर के साथ वैश्विक मानकों के अनुरूप **विकसित करने की आवश्यकता** है।

भारत को ट्रांसशिपमेंट हब बनाने में विद्यमान चुनौतियां

- **उच्च लागत:** वैश्विक बंदरगाहों की तुलना में जहाज से संबंधित शुल्क के कारण।
- **अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्ग से दूरी:** भारतीय बंदरगाह प्रमुख मार्गों से **5 घंटे से अधिक की दूरी पर स्थित हैं, कोलंबो केवल 0.5-1 घंटे की** दूरी पर है।
- **कोई बड़ा कर प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं: ट्रांसशिपमेंट मुक्त व्यापार क्षेत्र** की स्थापना के लिए।
- **भूमि की कमी:** द्वीपों में **मुक्त व्यापार क्षेत्र** के लिए आवश्यक **न्यूनतम 25 हेक्टेयर भूमि का अभाव है।**
- **जटिल कस्टम: समय लेने वाली** कस्टम मंजूरी की प्रक्रियाएँ।

ट्रांसशिपमेंट को बढ़ावा देने के अन्य प्रयास

- **गैलाथिया खाड़ी में ICTP:** मलक्का जलडमरूमध्य और सिंगापुर के निकट स्थित।
- **कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल:** प्रतिवर्ष **एक मिलियन TEU** तक कार्गो का संचालन करता है।
- **अमृत काल विजन 2047: विश्व स्तरीय बंदरगाहों** का लक्ष्य।
- **कैबोटेज कानून में ढील:** विदेशी जहाजों को अनुमति देने के लिए **EXIM** कंटेनरों का परिवहन
- **कैबोटेज: विदेशी ध्वज वाले जहाजों द्वारा घरेलू माल** की आवाजाही पर **प्रतिबंध लगाने की प्रथा।**

आगे की राह

- **प्रतिस्पर्धी लॉजिस्टिक्स:** कम बंदरगाह शुल्क और सेवा कर माफी के माध्यम से कोलंबो की तुलना में 15-20% कम लागत का लक्ष्य।
- **वैश्विक मानक:** सरकार को ड्रेजिंग लागत को साझा करना चाहिए, जैसा कि अमेरिका और श्रीलंका में किया गया है।
- **मेगा बंदरगाह:** वधावन, पारादीप और दीनदयाल की क्षमता 300 MTPA से अधिक होगी।
- **सीमा शुल्क सुधार:** प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण; ट्रांसशिपमेंट कार्गो को छूट।
- **बुनियादी ढांचा:** लैंडलॉर्ड मॉडल को अपनाना, निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।

3.17. राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड (NATIONAL ROAD SAFETY BOARD)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा बोर्ड में देरी पर केंद्र से सवाल किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- धारा 215B **राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन का प्रावधान** करती है।
- **MORTH ने 2021** में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन के लिए अधिसूचना **जारी** की थी।

भारत में सड़क सुरक्षा की चुनौतियां

- **उच्च मृत्यु दर:** 2022 में विश्व में सड़क दुर्घटनाओं में 11% मौतें भारत में हुई थीं।
- **व्यवहार संबंधी मुद्दे:** 71.2% मौतें तेज गति से वाहन चलाने के कारण हुईं; 5.4% मौतें गलत दिशा में वाहन चलाने के कारण हुईं।
- **सड़क की स्थिति:** 20% से भी कम राष्ट्रीय सड़क नेटवर्क का 'सुरक्षा रेटिंग मूल्यांकन' किया जाता है।
- **राज्य-स्तरीय अंतराल:** अधिकांश राज्य 2030 के संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा लक्ष्यों में पीछे हैं।
- **अन्य मुद्दे:** खराब मानक, मिश्रित वाहन बेड़ा, राहगीरों की उदासीनता, कमजोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट।

सड़क दुर्घटनाओं का प्रभाव

- **आर्थिक:** दुर्घटनाओं से भारत के सकल घरेलू उत्पाद को प्रतिवर्ष 3-5% का नुकसान होता है (विश्व बैंक)।
- **बढ़ती असमानता:** 75% गरीब परिवार दुर्घटनाओं के बाद आय में कमी की रिपोर्ट करते हैं।
- **अमूर्त लागतें:** आघात, कमाने वाले सदस्यों की मृत्यु - 80% पीड़ित 45 वर्ष से कम आयु के हैं।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड (NRSB) के बारे में

- **संरचना:** केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और कम से कम तीन, लेकिन अधिकतम सात सदस्य।
- **मुख्यालय:** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होगा और बोर्ड भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकता है।
- **कार्य:** सड़क सुरक्षा, नवाचार और यातायात विनियमन को बढ़ावा देना; सरकारों को सलाह देना; अच्छे लोगों का समर्थन करना; दुर्घटना जांच।

सड़क सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम:

वैश्विक

- **सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई दशक 2021–2030 के लिए वैश्विक योजना:**
    - **विकासकर्ता:** WHO और संयुक्त राष्ट्र-क्षेत्रीय आयोगों द्वारा तैयार।
    - **उद्देश्य:** 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों और घायलों की संख्या को 50% तक कम करना।
- **सड़क सुरक्षा पर ब्रासीलिया घोषणा-पत्र 2015: SDG 3.6:** 2030 तक वैश्विक स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु को आधा करना।

भारत में

- **राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति 2010:** जागरूकता फैलाने, सड़क सुरक्षा डेटाबेस बनाने, सुरक्षित सड़क अवसंरचना सुनिश्चित करने, आदि पर ध्यान केंद्रित करती है।
- **मोटर वाहन अधिनियम 1988 (MVA 1988)** और **संशोधन:**
    - **गुड सेमेरिटन (धारा 134A):** सहायकों को कानूनी दायित्व से बचाता है
- **सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना, 2025**
- MoRTH द्वारा
    - **पात्रता:** सभी सड़क दुर्घटना पीड़ित।
    - **कवरेज:** निर्दिष्ट अस्पतालों में 7 दिनों के लिए 1.5 लाख रुपये।
    - **नोडल एजेंसी:** राज्य सड़क सुरक्षा परिषद।
    - **भुगतान:** राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा सत्यापित, मोटर वाहन दुर्घटना निधि से भुगतान किया गया।
- **वाहन इंजीनियरिंग:** एयरबैग, ABS, क्रैश टेस्ट आदि के लिए उन्नत मानक।
- **सड़क इंजीनियरिंग:** डिजाइन में अंतर्निहित सुरक्षा।
- **भारत NCAP:** वाहन सुरक्षा के लिए स्टार रेटिंग।

आवश्यक उपाय:

- **गवर्नेंस में सुधार:** सड़क मूल्यांकन को मानकीकृत करना, ऑडिट कराना; के.एस. राधाकृष्णन पैनल ने तीसरे पक्ष द्वारा ऑडिट कराने की सिफारिश की।
- **प्रौद्योगिकी:** ATMS को लागू करना, नागपुर के iRASTE जैसे AI आधारित समाधान को अपना सकते हैं।
- **सुरक्षित प्रणाली:** परिवहन योजना, बुनियादी ढांचे, वाहन सुरक्षा, सड़क उपयोग, दुर्घटना के बाद प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना।
- **आपातकालीन देखभाल:** आघात और अस्पताल-पूर्व प्रणालियों का निर्माण।
- **अन्य:** सुरक्षित ड्राइविंग, हेलमेट, शराब/ नशीले पदार्थों के उपयोग को कम करने आदि को बढ़ावा देना।

3.18. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NATIONAL PROGRAMME FOR DAIRY DEVELOPMENT: NPDD)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग चक्र **(2021-22 से 2025-26)** की अवधि के लिए राशि आवंटन बढ़ाकर **संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम** (NPDD) को मंजूरी प्रदान की।

संशोधित NPDD के उद्देश्य

- देशभर में **5000 नई डेयरी सहकारी समितियों का गठन** करना।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूध की खरीद एवं दुग्ध प्रोसेसिंग क्षमताओं को बढ़ाना।
- NPDD की चल रही परियोजनाओं के अतिरिक्त विशेष अनुदान सहायता के साथ **एक 'दुग्ध उत्पादक कंपनियों'** का गठन करना।
- रोजगार के 1.6 लाख अतिरिक्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर सृजित करना जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता देना। डेयरी क्षेत्रक के कुल कार्यबल में **70% महिलाएं** हैं।

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) के बारे में

- यह **केंद्रीय क्षेत्रक योजना 2014** में शुरू की गई। **2021 में योजना का पुनर्गठन**।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के तहत **पशुपालन और डेयरी विभाग** (DAHD)।
- **उद्देश्य:** दूध उत्पादन, प्रसंस्करण और कोल्ड चेन के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना; डेयरी किसानों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना करना; आदि।
- **NPDD के निम्नलिखित दो मुख्य घटक हैं:**
  - **घटक A:** डेयरी सहकारी समितियों को दुग्ध शीतलन प्लाट्स, दुग्ध परीक्षण प्रयोगशालाएं इत्यादि अवसंरचनाओं के विकास में सहायता करना। इन अवसंरचनाओं में और प्रमाणन प्रणाली शामिल हैं।
  - **घटक B: सहकारिता के माध्यम से डेयरी:** यह **जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA)**-से सहायता प्राप्त कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य 9 राज्यों में दुग्ध उत्पादन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग अवसंरचना में सुधार करके डेयरी सहकारी समितियों का विकास।

डेयरी क्षेत्रक में सहकारी समितियों की भूमिका

- **सामूहिक सशक्तिकरण (सहकार से शक्ति):** लघु कृषकों के विकास के लिए **संस्था के रूप में समर्थन प्रदान करती है, उनकी सौदेबाजी की शक्ति** बढ़ाती है।
- **किसानों का आर्थिक सशक्तिकरण (सहकार से समृद्धि):** हितधारकों के बीच अर्जित आय का **न्यायसंगत तरीके से वितरण सुनिश्चित करती है**। उदाहरण के लिए- **अमूल, नंदिनी**।
- **सहकारी समितियों के बीच सहयोग (सहकार से सहयोग):** सहकारी समितियों के बीच तालमेल बैठाने में सहायता करती है। जैसे- सहकारी बैंकों के माध्यम से प्राथमिक डायरी सहकारी समितियों (PDCS) के लेनदेन में मदद करती है।

भारत में डेयरी क्षेत्रक

- **वैश्विक दूध उत्पादन का 24.76%** (विश्व में प्रथम स्थान)
- **राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान:** 5%
- **कृषि की दृष्टि से महत्त्व:** भारत में डेयरी सबसे बड़ी कृषि कमोडिटी है
- **संवृद्धि दर: 5.62% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR),** जो कि दूध उत्पादन में **मजबूत वृद्धि है** (2014-24)
- **रोजगार: 8+ करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार** मिला हुआ है, जिनमें अधिकतर महिलाएं हैं।
- **दूध की उपलब्धता: 471 ग्राम प्रति-व्यक्ति प्रतिदिन** (वैश्विक औसत 329 **ग्राम प्रति-व्यक्ति प्रतिदिन**) से अधिक
- **अग्रणी डेयरी उत्पादक राज्य:** उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु।

डेयरी क्षेत्रक के समक्ष चुनौतियां:

- **कम उत्पादकता:** पशु नस्ल ब्रीडिंग कार्यक्रम अधिक सफल नहीं रहा है, विस्तार सेवाएं (एक्सटेंशन सर्विसेज) सही से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, आधुनिक तकनीकों का कम उपयोग किया जाता है, पशुओं को उपयुक्त आहार और चारा नहीं मिल पाता है।
- **अनौपचारिक और असंगठित होना:** भारत में लोग स्थानीय दुग्ध उत्पादकों से ही रोजाना दूध खरीद लेते हैं। इससे सहकारी समितियों के पैकेज्ड दूध की मांग कम हो जाती है।
- **दुग्ध की गुणवत्ता को लेकर चिंताएं:** उदाहरण के लिए दूध में पानी मिलाना, यूरिया का उपयोग आदि।
- **पशु स्वास्थ्य:** पशु चिकित्सा केंद्रों की संख्या कम हैं, पशुओं को टीका लगाने के बारे में भी किसानों में जागरुकता की कमी ; **खुरपका और मुंहपका** (Foot and Mouth Disease) **जैसे पशु रोगों के प्रकोप**।

- **प्रशासन:** राज्य सरकारों द्वारा बार-बार हस्तक्षेप करने के कारण **इनकी लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली** भी प्रभावित होती है।
- **प्रसंस्करण एवं भंडारण की कम क्षमता:** वैल्यू एडिशन (दूध से अलग-अलग उत्पाद बनाना), प्रोसेसिंग, भंडारण और मार्केटिंग जैसी अवसंरचनाओं की कमी है।

डेयरी क्षेत्रक को बढ़ावा देने के लिए अन्य पहलें	
राष्ट्रीय गोकुल मिशन	मवेशियों की आबादी में **आनुवंशिक** सुधार तथा **देशी नस्ल की मवेशियों को बढ़ावा देने** और संरक्षित करने के माध्यम से **दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि** करना।
श्वेत क्रांति 2.0	2024 में सहकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू; इसके उद्देश्यों में डेयरी क्षेत्रक में **सततता और सर्कुलेरिटी और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना,** प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक **राज्य स्तरीय डेयरी संघ** का गठन और देश के 80% जिलों में **मिल्क यूनियन** गठन करना शामिल है।
डेयरी उद्यमिता विकास योजना (DEDS)	**नाबार्ड** द्वारा **लाभकारी परियोजनाओं के लिए पूंजी सब्सिडी** प्रदान करके डेयरी उद्योग में **स्वरोजगार** के अवसर पैदा करने का कार्यक्रम।
पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP)	रोगनिरोधी टीकाकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से पशु स्वास्थ्य में सुधार करना।
पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF)	यह डेयरी प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन अवसंरचना स्थापित करने के लिए उद्यमियों, निजी कंपनियों से निवेश को प्रोत्साहित निधि है। **डेयरी अवसंरचना विकास निधि (DIDF)** को AHIDF में शामिल कर दिया गया है।

आगे की राह

- **अवसंरचनाओं का विकास:** दुग्ध **उत्पादन, प्रोसेसिंग, भंडारण और अनुसंधान** से संबंधित बुनियादी ढांचे का विस्तार: कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर, दुग्ध गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं, आदि।
- **तकनीकों को अपनाना:** किसानों को वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन के लिए सलाह, कम कीमत पर नई प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराना, आदि।
- **सहकारिता को बढ़ावा देना:** दूरदराज के क्षेत्रों में सामूहिकता की शक्ति का लाभ उठाना चाहिए और डेयरी कृषकों को सहकारिता के लाभों के बारे में बताना चाहिए।
- **प्रोसेसिंग और मार्केटिंग:** दूध की **प्रोसेसिंग** को बढ़ावा देना-अधिक मांग वाले **A2 घी, पनीर** जैसे दुग्ध उत्पादों की अधिक मात्रा में उत्पादन करना; **निर्यात को बढ़ावा देना**।

अन्य संबंधित सुर्खियां: संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM)

- **अधिक राशि का आवंटन:** अतिरिक्त **1,000 करोड़ रुपये** आवंटित। **2021-22 से 2025-26** के लिए कुल बजट आवंटन **3,400 करोड़ रुपये।**
- **नई पहलें:**
  - **बछिया (गाय बछिया) पालन केंद्र :** 15,000 बछियों के लिए 30 आश्रय सुविधाएं स्थापित करने में लगने वाले खर्च का 35% एकमुश्त सहायता।
  - **हाई जेनेटिक मेरिट (HGM) बछिया के लिए सहायता: हाई जेनेटिक मेरिट**-इन-विट्रो फर्टिलाइज़ेशन बछिया खरीदने के लिए किसानों द्वारा लिए गए ऋण पर **3% ब्याज छूट**।
- **राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत संचालित गतिविधियां**
  - **राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम NAIP):** इसका उद्देश्य **सीमन स्टेशनों** और **कृत्रिम गर्भाधान नेटवर्क** में सुधार करना है।
  - **सैक्स सार्टेड सीमन** का उपयोग करके **बुल प्रोडक्शन** और **नस्ल सुधार**।
    - कौशल विकास और किसान जागरूकता कार्यक्रम।

3.19. किसान उत्पादक संगठन (FARMER PRODUCER ORGANISATIONS: FPOS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने **"10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के गठन और संवर्धन"** योजना के तहत **10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के गठन** का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है।

योजना के बारे में

- इस केंद्रीय क्षेत्रक की योजना को **2020 में शुरू किया** गया था। इसके लिए 2027-28 तक **6,865 करोड़ रुपये** के बजट आवंटित किया गया है।
- **उद्देश्य:** 10,000 नए FPOs के गठन के लिए एक अनुकूल व्यवस्था प्रदान करना, ताकि आय अर्जक, स्थायी और संधारणीय कृषि विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

- **कार्यान्वयन एजेंसियां (IAs):** इनमें लघु कृषक कृषि-व्यवसाय संघ (SFAC), नाबार्ड, नेफेड जैसी **कुल 9 एजेंसियां** शामिल हैं।
- **विशेष ध्यान:** लघु, सीमांत किसान, महिला स्वयं सहायता समूह के लिए मार्केटिंग, ब्रांडिंग सुविधाएं और निर्यात सुनिश्चित किया जा सके।
- **मुख्य प्रावधान:**
  - **प्रोडक्ट क्लस्टर एरिया एप्रोच** एवं विशेष कमोडिटी-आधारित अप्रोच के आधार पर FPOs का गठन।
  - **वित्तीय सहायता:** प्रत्येक FPO को 3 वर्षों के लिए प्रबंधन लागत हेतु 18 लाख रुपये प्रदान करना।
  - **इक्विटी अनुदान:** प्रत्येक किसान सदस्य को 2,000 रुपए तक, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति FPO 15 लाख रुपये है।
  - **क्रेडिट गारंटी:** प्रति FPO **2 करोड़ रुपये** तक के प्रोजेक्ट लोन की गारंटी।
- **उपलब्धि:** 4,761 FPOs को **254.4 करोड़ रुपये** का इक्विटी अनुदान जारी किया गया है और **1,900 FPOs** को 453 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी कवर जारी किया गया है।
  - देश में लगभग **30 लाख किसान** FPOs से जुड़े हैं, जिनमें से लगभग **40% महिलाएं** हैं।

FPOs के बारे में

- **परिभाषा:** FPOs का गठन कृषि उत्पादकों (किसानों, दूध उत्पादकों आदि) के समूह द्वारा शेयरधारकों के रूप में किया जाता है।
- **उद्देश्य:** जीवन स्तर, आय और लाभप्रदता प्रदान करना।
- **पंजीकरण:** कंपनी अधिनियम, 2013 या सहकारी समिति अधिनियम, 1912 के तहत एक विशिष्ट पंजीकृत पहचान संख्या (RIC) द्वारा FPO रजिस्ट्री पोर्टल पर पंजीकृत किया जाता है।
- **सहायता:** कृषि और सहकारिता विभाग (कृषि मंत्रालय) के तहत **लघु किसान कृषि-व्यवसाय संघ (SFAC)** FPO के गठन में राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता है।

FPOs का लाभ	
आर्थिक उत्पादन को दक्ष बनाना	उत्पादन और थोक परिवहन में समन्वय के माध्यम से प्रति इकाई लागत को कम करना।
मूल्य संवर्धन को बढ़ाना	कृषि उत्पादों के **प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलने से मूल्य-वर्धन में वृद्धि होती है।**
किसानों की सौदेबाजी शक्ति बढ़ना	किसानों की सौदेबाजी की क्षमता मजबूत होती है, जिससे वे उत्पादन और प्रसंस्करण में गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं।
मार्केट इंटेलिजेंस	ये संगठन उत्पाद मूल्यों और उत्पादन की मात्रा के बारे आसानी से सूचनाएं उपलब्ध कराकर **बाजार स्थितियों के बारे जानकारी प्रदान करते हैं।**
कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी	ये उत्पादों के संयुक्त भंडारण और संयुक्त वैल्यू-एडिशन केंद्रों की व्यवस्था करके **फसल कटाई के बाद की हानि को कम** करने में सहायक होते हैं।

FPOs के समक्ष मौजूद चुनौतियां

- **पेशेवर प्रबंधन कौशल का अभाव:** ग्रामीण क्षेत्रों में FPOs व्यवसाय को पेशेवर रूप से प्रबंधित करने के लिए योग्य CEO की कमी।
- **फसल कटाई के बाद का नुकसान:** आधुनिक कृषि तकनीकों, भंडारण सुविधाओं एवं परिवहन संबंधी अवसंरचना तक सीमित पहुंच प्रदान करना।
- **निवेश और ऋण प्राप्ति में चुनौती:** प्रोसेसिंग, भंडारण और कोलेटरल फ्री लोन प्राप्त करने में कठिनाई।
- **गुणवत्ता संबंधी मानक और प्रमाणन:** छोटे FPOs के लिए जटिल और महंगी प्रक्रिया।
- **जलवायु परिवर्तन और संधारणीयता:** जलवायु-अनुकूल पद्धतियों को अपनाने के लिए संसाधनों और विशेषज्ञता की कमी।
- **बाजार में अस्थिरता:** एक ही फसल पर ध्यान केंद्रित करने से फसल के नष्ट होने या बाजार के उतार-चढ़ाव से निपटने में समस्याएं पैदा होना।

आगे की राह

- **उत्पादकता बढ़ाने हेतु प्रौद्योगिकी को अपनाना:** प्रिसिजन फार्मिंग, IoT और कृषि प्रबंधन सॉफ्टवेयर जैसी तकनीक को अपनाना।
- **क्षमता निर्माण:** FPO सदस्यों को आधुनिक, संधारणीय खेती और संसाधन प्रबंधन करने पर प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए।
- **स्कोरिंग मॉडल:** संसाधन आवंटन में वित्तीय संस्थानों की मदद करने के लिए FPOs के लिए एक मानकीकृत स्कोरिंग मॉडल विकसित करना।

3.20. डीप टेक के लिए इनोवेशन इकोसिस्टम (INNOVATION ECOSYSTEM FOR DEEP TECH)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने भारतीय स्टार्टअप्स से आग्रह किया कि वे डीप टेक इनोवेशन पर अधिक ध्यान केंद्रित करें।

डीप टेक स्टार्टअप के बारे में

- यह **एडवांस वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताओं** पर आधारित इनोवेशन है जो मौजूदा **एडवांस तकनीकों का उपयोग करके जटिल समस्याओं के नए समाधान** विकसित करते हैं, या फिर **मूलभूत विज्ञान और इंजीनियरिंग सिद्धांतों पर आधारित और भी अधिक एडवांस्ड तकनीकों का आविष्कार** करते हैं।

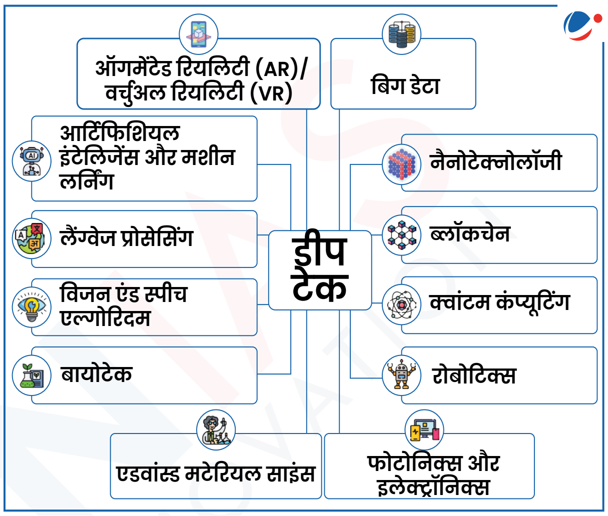

भारत में डीप टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में

- **संख्या:** उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अनुमान के अनुसार, वर्तमान में भारत में 4,000 से अधिक डीप टेक स्टार्टअप्स कार्यरत हैं तथा अनुमान है कि 2030 तक यह संख्या 10,000 तक पहुंच जाएगी।
- **विश्व में भारत की स्थिति:** तीसरी सर्वाधिक संख्या होने के बावजूद, भारत **दुनिया में छठे स्थान पर था।**
- **फंडिंग:** डीप-टेक स्टार्टअप्स ने 2024 में 1.6 बिलियन डॉलर आकर्षित किए, जो पिछले साल की तुलना में 78 प्रतिशत की वृद्धि है।
- **उदाहरण:** अग्निकुल द्वारा **3D-प्रिंटेड रॉकेट इंजन,** इम्यूनोएक्ट **कैंसर के इलाज के लिए स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी, आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी** एडवांस UAV।

भारत में डीप टेक स्टार्टअप्स क्यों पिछड़ रहे हैं?

- **संस्थाओं से समर्थन प्राप्ति में कमी:** सरकार द्वारा वित्त पोषित छह R&D संगठनों में से केवल एक ही डीप टेक स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करता है।
- **लगातार फंडिंग की कमी और** निवेश पर त्वरित लाभ की अपेक्षा।
- **लाभकारी बनने में अधिक समय लेना** और जोखिम अधिक होना।
- **भारत में उपभोक्ता सेवा आधारित स्टार्टअप पर अधिक बल**
- डीप टेक क्षेत्र के लिए विनियमन को लेकर **स्पष्ट और सर्वमान्य दृष्टिकोण का अभाव।**
- **शिक्षा एवं अनुसंधान संबंधी अवसंरचना:** कमजोर।
- **शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग जगत के बीच समन्वय की कमी:** विकास पर नकारात्मक प्रभाव।

भारत के डीप टेक इकोसिस्टम के लिए पहलें

- **डीप टेक फंड ऑफ फंड्स** (केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित)
- **ड्राफ्ट राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्ट-अप नीति**
- **अदिति योजना:** क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अनुदान।
- **अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन:** वैज्ञानिक उपकरण एवं सुविधाओं तक पहुंच।
- **थीमेटिक मिशन:** ब्लॉकचेन पर राष्ट्रीय रणनीति, ऐरावत, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, इंडियाAI मिशन, आदि।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** USA के साथ iCET, जापान के साथ 'रेजिलिएंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन' और क्वाड सदस्यों द्वारा 'QUIN'

आगे की राह

- **स्पिनआउट की सुविधा:** विश्वविद्यालय के भीतर अकादमिक अनुसंधान के आधार पर गठित कंपनियां।
- प्रमुख क्षेत्रों में **इनोवेशन क्लस्टर्स को मजबूत करना** और समर्पित R&D सुविधाएं स्थापित करना
- **निवेश-अनुकूल व्यवस्था को बढ़ावा देना:** वेंचर कैपिटलिस्ट (VCs) के साथ सह-निवेश कार्यक्रम, सरकार समर्थित उपायों को बढ़ावा देना और वेंचर कैपिटल निवेश से जुड़े नियमों को आसान बनाना चाहिए।
- अनुदान और **रेगुलेटरी सैंडबॉक्स** की सुविधा के रूप में R&D **के लिए नीतिगत प्रोत्साहन देना।**
- **नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी (NDTSP) को लागू करना और निगरानी करना।**

3.21. यूनिफाइड पेंशन स्कीम {UNIFIED PENSION SCHEME (UPS)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को शुरू करने के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम का परिचालन) विनियम, 2025 को अधिसूचित किया गया।

विनियमों से संबंधित मुख्य तथ्य

- **UPS की प्रयोज्यता:** मौजूदा केंद्र सरकार के कर्मचारी, 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद शामिल होने वाले नए कर्मचारी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त आदि।
- **लाभों के लिए पात्रता:** अधिवर्षिता प्राप्त करने वाले कर्मचारी (10 वर्ष की अर्हता सेवा के बाद), केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी आदि।
- **अंशदान:** व्यक्तिगत कोष (मूल वेतन का 10%); पूल कोष (केंद्र सरकार मूल वेतन का ~8.5% योगदान करती है)।
- **निधि-आधारित प्रणाली:** अधिवर्षिता/ सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित भुगतान के लिए नियमित योगदान और निवेश पर निर्भर करती है।
- **स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN):** केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (CRA) प्रणाली के जरिए सभी लेन-देन रिकॉर्ड करने वाली विशिष्ट संख्या।
- **भुगतान:**
  - **सुनिश्चित भुगतान:** अधिवर्षिता/ सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% (न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा)।
  - **न्यूनतम गारंटीड भुगतान:** 10 वर्ष की सेवा-अवधि के साथ 10,000/ माह।
  - **आनुपातिक भुगतान:** 10-25 वर्ष की सेवा के लिए।
  - **स्वीकार्य भुगतान:** यदि व्यक्तिगत कोष बेंचमार्क से कम है या निकासी कोष के 60% से अधिक है तो कम किया जाएगा।

सुनिश्चित भुगतान के लिए पात्रता मानदंड

- कर्मचारियों को **न्यूनतम 10 वर्ष की अनिवार्य सेवा** पूरी करनी होगी। पेंशन भुगतान सेवानिवृत्ति की तिथि से शुरू होता है।
- **स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति:** ऐसे कर्मचारी जो न्यूनतम 25 वर्षों की अनिवार्य सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं, तो उनकी मूल सेवानिवृत्ति आयु (यानी, वह आयु जिस पर वे कार्य करना जारी रखते तो सेवानिवृत्त होते) से पेंशन प्राप्त होगी।
- **पारिवारिक पेंशन (फैमिली पेंशन):** विधिवत वैवाहिक जीवनसाथी (पति/पत्नी) को जीवन भर के लिए कर्मचारी को देय पेंशन का 60% पेंशन।
- **महंगाई भत्ता (DR): देय पेंशन राशि** और पारिवारिक पेंशन, दोनों पर लागू।
- **UPS को लागू करने वाले मध्यवर्ती और संस्थाएं:** नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) की संरचना (नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, पेंशन फंड, सेंट्रल रेकॉर्डकीपिंग एजेंसी, ट्रस्टी बैंक, प्रतिभूतियों के संरक्षक आदि)

UPS से संबंधित चुनौतियां

- राजकोष पर बोझ, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वाले कर्मचारियों के भुगतान में विलंब, सीमित पारिवारिक पेंशन, राजनीतिक विरोध।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के बारे में

- **स्थापना:** 2003 में भारत सरकार के एक संकल्प द्वारा अस्तित्व में आया।
- **PFRDA अधिनियम, 2013** के तहत इसे **वैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया।**
- **उद्देश्य:** वृद्धावस्था में आय सुरक्षा सुनिश्चित करना, ताकि पेंशन फंड के अंशधारकों के हितों की सुरक्षा की जा सके और संबंधित विषयों का समुचित प्रबंधन किया जा सके।
- **केंद्रीय वित्त मंत्रालय** के तहत कार्य करती है।
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली
- **संरचना: अध्यक्ष और अधिकतम छह सदस्य।** इनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा अर्थशास्त्र, वित्त या कानून के क्षेत्र (प्रत्येक क्षेत्र से कम से कम एक सदस्य) में विशेषज्ञता रखने वाले लोगों में से की जाती है।
- **कार्य:** मध्यवर्तीयों को पंजीकृत करना और विनियमित करना तथा सब्सक्राइबर्स को समयबद्ध सेवा प्रदान करना; मध्यवर्तीयों के बीच के विवाद तथा मध्यवर्ती और सब्सक्राइबर्स के बीच के विवादों का निपटारा करना।
- यह संस्था **अटल पेंशन योजना (APY), राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS), NPS-वात्सल्य की क्रियान्वयन एजेंसी भी** है।

3.22. भारत को विप्रेषण (REMITTANCES TO INDIA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के सर्वेक्षण से पता चलता है कि पिछले चार वर्षों में **अमेरिका और ब्रिटेन खाड़ी देशों को पीछे छोड़ते हुए** भारत में **रेमिटेंस के शीर्ष स्रोत** बन गए हैं।

भारत में रेमिटेंस अंतर्वाह के मुख्य रुझान

- **रेमिटेंस प्राप्ति:** भारत को **2023-24 में 118.7 अरब डॉलर का रेमिटेंस** प्राप्त हुआ। यह 2011 की तुलना में दोगुना है।
- **पांच देश जहां से भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त हुआ (2023-24): संयुक्त राज्य अमेरिका** (27.7%) पहले स्थान पर है। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात (UAE), यूनाइटेड किंगडम (UK), सऊदी अरब और सिंगापुर का स्थान है।
  - खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देश (38%) उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (> 50%) से पीछे हैं।
- **रेमिटेंस प्राप्त करने वाले भारत के शीर्ष 3 राज्य (2023-24): महाराष्ट्र** (20.5%) पहले स्थान पर है। इसके बाद केरल और तमिलनाडु का स्थान है।

रेमिटेंस प्राप्ति के ट्रेंड में बदलाव की वजहें

- **रेमिटेंस भेजने की लागत:** डिजिटलीकरण के कारण भारत में रेमिटेंस भेजने की लागत वैश्विक औसत से कम हो गई है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में मजबूत श्रम बाजार:** विशेषकर व्हाइट कॉलर जॉब्स की बढ़ती संख्या।
  - खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के देशों में ऑटोमेशन, आर्थिक विविधीकरण और राष्ट्रीयकरण नीतियों (जैसे- सऊदी अरब की निताक़त और कफाला श्रम नीतियां) के कारण अल्प-कुशल श्रमिकों के लिए अवसरों में गिरावट दर्ज की गयी है।
- **कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया का उच्चतर शिक्षा के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभर रहे हैं।** भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच 'माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप' (मई 2021) जैसी नीतियों ने भी इस नए ट्रेंड में योगदान दिया है।
  - उदाहरण के लिए, यूनाइटेड किंगडम में प्रवास करने वाले भारतीयों की संख्या 2020 की 76,000 से तीन गुना बढ़कर 2023 में 2,50,000 हो गई।

अर्थव्यवस्था के लिए धन-प्रेषण का महत्व

- **भुगतान संतुलन (BoP): उदाहरण के लिए**, यह भारत के वस्तु व्यापार घाटे का लगभग 50% का वित्त-पोषण करता है।
- **घरेलू स्तर:** जीवन स्तर में सुधार। **उदाहरण के लिए**, 2021 में केरल के **राज्य घरेलू उत्पाद में 36% का योगदान** दिया।
- **समष्टि-आर्थिक भूमिका:** उदाहरण के लिए, 2000 से भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 3-3.5% का योगदान देता है।
- **ऋण स्थिरता:** ऋण लेने के जोखिम और लागत, दोनों को कम करता है।

3.23. इक्विलाइजेशन लेवी (EQUALISATION LEVY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वित्त अधिनियम, 2016 में प्रस्तावित नए संशोधनों के अनुसार, **ऑनलाइन विज्ञापनों पर इक्विलाइजेशन लेवी या डिजिटल कर 1 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद लागू नहीं होगा।**

इक्विलाइजेशन लेवी के बारे में

- यह **वित्त अधिनियम, 2016** द्वारा शुरू किया गया एक **प्रत्यक्ष कर** है। इसमें विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों को **विज्ञापन** से होने वाली डिजिटल आय पर लगाए जाने वाला टैक्स शामिल है।
- **वित्त अधिनियम, 2020** के तहत इस लेवी के दायरे में ई-कॉमर्स **आपूर्ति और सेवाओं** को भी लाया गया है।

इक्विलाइजेशन लेवी के अधीन लेन-देन

- **ऑनलाइन विज्ञापन सेवाएं (6%):** डिजिटल विज्ञापनों और संबंधित सेवाओं के लिए गैर-निवासियों को किए गए भुगतान पर।
- **ई-कॉमर्स द्वारा वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति (2%):** गैर-निवासी ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा प्राप्त राजस्व पर लगाया जाता है, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है।
  - **शर्त:** शुल्क **आयकर अधिनियम का हिस्सा नहीं है**; वैश्विक फर्म अपने देश में दोहरे कराधान से बचाव समझौतों के तहत कर क्रेडिट का दावा नहीं कर सकती हैं।

इक्विलाइजेशन लेवी लगाने के कारण

- **निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा:** घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के बीच।
- **कर अंतराल को कम करना:** भारत में विदेशी कंपनियों की शाखाएं नहीं होने के बहाने कर से बचने के प्रयास को रोकना।
- **विदेशी डिजिटल कंपनियों पर कर लगाना:** यह सुनिश्चित करना कि बड़ी विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियां भारत में अर्जित राजस्व पर कर का भुगतान करें।
- **राजस्व के स्रोत बढ़ाने का अवसर:** कोविड-19 के कारण डिजिटल लेनदेन में वृद्धि का लाभ उठाना।

संबंधित चिंताएं

- अमेरिका के साथ व्यापार विवाद; प्रतिशोधात्मक टैक्स लगाने का जोखिम; दोहरा कराधान और अधिक नियमों के अनुपालन का बोझ।

3.24. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS)

3.24.1. लोक लेखा समिति ने GST फ्रेमवर्क की समीक्षा की मांग की {PAC CALLS FOR REVIEW OF GST}

संसदीय लोक लेखा समिति ने GST फ्रेमवर्क की व्यापक समीक्षा की मांग की।

GST फ्रेमवर्क को रेखांकित करने वाले मुद्दे

- **MSMEs की समस्याएं:** इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की जटिलता और प्रशासनिक बोझ के कारण मौजूदा प्रावधानों का पालन करने में कठिनाई।
- **निर्यातकों की समस्याएं:** इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) रिफंड में देरी, नकदी प्रवाह की समस्या का सामना करना।
- **स्टील रोलिंग मिलों की समस्याएं:** स्क्रैप डीलरों द्वारा GST का भुगतान न करने के कारण दोहरा कर, ITC के क्लेम में बाधा।
- **ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रक द्वारा कर चोरी:** अलग-अलग बिजनेस मॉडल्स के कारण कर चोरी निरंतर जारी है।
  - 1 अक्टूबर, 2023 से, ऑनलाइन गेमिंग पर **28% GST** लगाया जा रहा है।
  - IGST अधिनियम के तहत **सरलीकृत पंजीकरण योजना में पंजीकरण कराना अनिवार्य** किया गया है।
  - **GST आसूचना महानिदेशालय (DGGI)** को अधिकार दिया गया है कि वह मध्यवर्तियों को IGST अधिनियम का उल्लंघन करने वाले अपंजीकृत ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने का निर्देश दे सकता है।

आगे की राह

- MSMEs के लिए डिजाइन किया गया **सरलीकृत GST अनुपालन फ्रेमवर्क**।
- ITC दावों का शीघ्र निपटारा करने में निर्यातकों के लिए **समर्पित फास्ट-ट्रैक रिफंड प्रोसेसिंग सिस्टम** बनाया जाना चाहिए।
- अलग-अलग **गेमिंग प्लेटफॉर्म्स** द्वारा अपनाए गए **रेवेन्यू स्ट्रीमिंग मॉडल्स को समझने के लिए व्यापक** दिशा-निर्देश तैयार किए जाने चाहिए।

3.24.2. सीएसआर, आईबीसी और ईएसजी को प्रभावी बनाना (MAKING CSR, IBC & ESG EFFECTIVE)

केंद्रीय कारपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) की 'अनुदान मांगों (2025-26)' पर 10वीं रिपोर्ट में विविध मुद्दों जैसे **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR), दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) तथा पर्यावरणीय, सामाजिक एवं गवर्नेंस (ESG) विनियमों को प्रभावी बनाना पर प्रकाश डाला गया है और कई सिफारिशें की गई हैं:-**

क्षेत्र	समस्याएं	सिफारिशें
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)	• CSR फ्रेमवर्क को लागू करने और निगरानी में खामियां मौजूद हैं। • CSR के तहत व्यय की प्रभावशीलता पर विस्तृत विश्लेषण का अभाव है। • बिना खर्च हुई CSR राशि का लेखा-जोखा अभी भी पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है।	• अधिक व्यापक रिपोर्टिंग और निगरानी फ्रेमवर्क स्थापित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, CSR संबंधी परियोजनाओं के प्रभाव की नियमित रिपोर्ट प्रकाशित करना। • अनुपालन न करने की स्थिति में समय पर दंड आरोपित किए जाने चाहिए।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC)	➤ हितों का टकराव और प्रावधानों की असमान व्याख्या के कारण समाधान प्रक्रिया में देरी होती है। ➤ IBC के तहत समाधान पेशेवरों (RPs) के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए कोई मजबूत फ्रेमवर्क नहीं है।	➤ समाधान संबंधी योजनाओं को केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से लागू करने हेतु प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। ➤ RPs के लिए कठोर प्रमाणन मानक और प्रदर्शन के मामले में स्वतंत्र समीक्षा लागू की जानी चाहिए। ➤ परिचालनरत लेनदारों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए कर्जदाताओं की समिति (CoC) की संरचना की समीक्षा करनी चाहिए।
पर्यावरणीय, सामाजिक एवं गवर्नेंस (ESG)	➤ ग्रीनवॉशिंग का जोखिम लगातार बढ़ रहा है। ➤ लघु व्यवसायों को ESG प्रणाली को अपनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।	➤ अनुपालन सुनिश्चित करने और ग्रीनवाशिंग के लिए दंड आरोपित करने हेतु मंत्रालय के तहत एक समर्पित ESG पर्यवेक्षण निकाय गठित करना चाहिए। ➤ निदेशकों के लिए प्राथमिक कर्तव्यों के रूप में ESG उद्देश्यों को शामिल करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन किया जाना चाहिए। ➤ लेखापरीक्षा समितियों के समान स्वतंत्र ESG समितियां गठित की जानी चाहिए।

3.24.3. कृषि पर संसदीय स्थायी समिति ने मात्स्यिकी क्षेत्रक पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की (PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE SUBMITS REPORT ON FISHERIES SECTOR)

इस रिपोर्ट में **मात्स्यिकी क्षेत्रक में सुधार, रोजगार के अवसर बढ़ाने और राजस्व सृजन को बढ़ावा देने** के लिए पूर्व में की गई सिफारिशों पर **सरकार की कार्यवाहियों का मूल्यांकन** किया गया है।

- भारत **विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है (वैश्विक उत्पादन का 8%)**, जिसकी **कृषि GVA में हिस्सेदारी लगभग** 6.72% है।

प्रमुख विशेषताएं

उजागर किए गए मुद्दे	सिफारिशें
समर्पित अनुसंधान निकाय का अभाव: उदाहरण के लिए, क्षेत्र-विशिष्ट फोकस का अभाव।	**भारतीय मत्स्य एवं जलीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICFAR)** की स्थापना करना।
छोटी मछलियों के दोहन पर नियंत्रण की कमी: बुल ट्रॉलिंग जैसी हानिकारक गतिविधियां मछली भंडार को समाप्त कर देती हैं।	**न्यूनतम कानूनी जाल आकार (MLS) विनियमों** को समान रूप से लागू करना और विनाशकारी मछली पकड़ने के तरीकों पर प्रतिबंध लगाना।
मछुआरों के लिए ब्याज मुक्त ऋण का अभाव: केवल कुछ राज्य ही अतिरिक्त ब्याज अनुदान प्रदान करते हैं।	देश भर में **ब्याज मुक्त KCC ऋण** का विस्तार करना।
कटाई के बाद नुकसान और बुनियादी ढांचा: खराब भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं के कारण 20-25% तक नुकसान होता है।	PMMSY के अंतर्गत **शीत भंडारण, प्रसंस्करण और परिवहन** को मजबूत करना।
झींगा ब्रूडस्टॉक में आत्मनिर्भरता का अभाव: आयातित एल. वन्नामेई झींगा ब्रूडस्टॉक पर भारी निर्भरता।	ICAR के माध्यम से घरेलू **ब्रूडस्टॉक विकास** को तीव्र गति से आगे बढ़ाना।
बांध के गेट खुलने और भारी वर्षा के कारण मछलियां बह गईं।	PMFBY की तरह **बांध मछुआरों के लिए बीमा** लागू करना।
सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी (SPS) बाधाएं तथा उचित प्रमाणीकरण एवं पता लगाने की क्षमता का अभाव निर्यात में बाधा डालता है।	**निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि:** SPS अनुपालन, प्रमाणन आदि में सुधार।

3.24.4. MOSPI ने कैपेक्स/ CAPEX (पूंजीगत व्यय) सर्वेक्षण जारी किया {MOSPI RELEASES CAPEX (CAPITAL EXPENDITURE) SURVEY}

'निजी क्षेत्रक के पूंजीगत व्यय निवेश लक्ष्यों पर फॉरवर्ड-लुकिंग सर्वेक्षण (कैपेक्स सर्वेक्षण)' सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008 के तहत आयोजित किया गया था। यह **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)** द्वारा आयोजित अपनी तरह का पहला सर्वेक्षण था।

सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष

- वित्त वर्ष **2022 से 2025 तक निजी क्षेत्रक का पूंजीगत व्यय (CAPEX) 66%** बढ़कर लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
- **निजी क्षेत्रक के कुल पूंजीगत व्यय में विनिर्माण उद्यमों** का योगदान **48%** था।
- अधिकांश उद्यमों ने **पूंजीगत व्यय को मुख्य परिसंपत्तियों पर केंद्रित** किया था, जबकि अन्य ने **मूल्यवर्धन, अवसरवादी परिसंपत्तियों और विविध रणनीतियों** में निवेश किया था।

पूंजीगत व्यय (CAPEX) का महत्त्व

- **प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:** पूंजीगत व्यय में निवेश करके, कंपनियां अपनी परिचालन दक्षता बढ़ा सकती हैं, उत्पादों या सेवाओं में नवीनता ला सकती हैं तथा प्रतिस्पर्धियों से आगे रह सकती हैं।

- **परिसंपत्ति रखरखाव और अपग्रेड्स के लिए,**
- **निवेशकों का विश्वास:** पूंजीगत व्यय निवेशकों को यह संकेत देता है कि कंपनी दीर्घकालिक विकास और मूल्य सृजन के लिए प्रतिबद्ध है।
- **रणनीतिक निर्णय लेना:** पूंजीगत व्यय संबंधी निर्णय रणनीतिक प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। ये प्राथमिकताएं भविष्य की संवृद्धि को गति देने के लिए संसाधनों के आवंटन को निर्धारित करती हैं।

निजी क्षेत्रक के पूंजीगत व्यय में आने वाली प्रमुख चुनौतियां

- बड़ी इक्विटी और किफायती कर्ज जुटाने में कठिनाई आती है;
- जोखिम आकलन और शमन से संबंधित परियोजना संरचना संबंधी मुद्दे;
- मंजूरी और भूमि अधिग्रहण में देरी आदि।

पूंजीगत व्यय के बारे में

- पूंजीगत व्यय वह धन है जो सरकार मशीनरी, भवन, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा आदि के विकास पर खर्च करती है।
- **पूंजीगत व्यय में शामिल हैं:** अचल और अमूर्त परिसंपत्तियों का अधिग्रहण; मौजूदा परिसंपत्तियों का उन्नयन; मौजूदा परिसंपत्तियों को अपग्रेड करना और ऋण का भुगतान।

पहलू	पूंजीगत व्यय	राजस्व व्यय
प्रकृति	भविष्य के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण करता है	परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करता या देनदारियों को कम नहीं करता
प्रभाव	दीर्घकालिक लाभ या रिटर्न प्राप्त होता है	दिन-प्रतिदिन का परिचालन व्यय।
अवधि	एकमुश्त या कभी-कभार व्यय करना	चालू, आवर्ती व्यय

3.24.5. भारत का विदेशी ऋण (INDIA'S EXTERNAL DEBT)

वित्त मंत्रालय की तिमाही विदेशी ऋण रिपोर्ट (दिसंबर 2024) के अनुसार, दिसंबर 2023 की तुलना में **विदेशी ऋण में 10.7% की वृद्धि** हुई है। इस वृद्धि के लिए मुख्य रूप से **मूल्यांकन प्रभाव** जिम्मेदार है।

- **मूल्यांकन प्रभाव** तब होता है, जब **अमेरिकी डॉलर** के मुकाबले **भारतीय रुपये** की कीमत **घटती** है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **GDP और विदेशी ऋण का अनुपात: 19.1%** (दिसंबर, 2024)
- **संरचना:** इसमें **सर्वाधिक हिस्सेदारी अमेरिकी डॉलर के रूप में मूल्य-वर्गित (Denominated) ऋण** की है।
- **डेब्ट सर्विस (मूलधन तथा ब्याज का भुगतान):** इसमें **0.1% की गिरावट** (सितंबर-दिसंबर, 2024) आई है।
- **दीर्घकालीन बनाम अल्पकालीन ऋण:** दीर्घकालीन ऋण में **मामूली वृद्धि** और अल्पकालीन ऋण में **मामूली गिरावट** देखी गई है।

विदेशी ऋण के बारे में

- **अर्थ:** यह वह धन है, जो भारत सरकार और कंपनियों द्वारा देश से बाहर के स्रोतों से उधार लिया जाता है (जैसे बाह्य वाणिज्यिक उधारी)। यह आमतौर पर **अमेरिकी डॉलर, विशिष्ट आहरण अधिकार (SDR)** आदि के रूप में लिया जाता है।
- **स्रोत:** इसमें **विदेशी वाणिज्यिक बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान** (जैसे IMF, विश्व बैंक आदि) **या कोई अन्य देश** हो सकते हैं।

विदेशी ऋण को प्रबंधित करने के लिए मुख्य सिफारिशें:

- **अलग-अलग मुद्राओं में लेन-देन को बढ़ावा देना:** अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना चाहिए, आदि।
- **वहनीय ऋण को अपनाना:** ऋण को खपत की बजाय निवेश के लिए उपयोग करना चाहिए।
- **ऋण और आर्थिक संवृद्धि के बीच संतुलन:** मजबूत राजकोषीय नीतियों, निर्यात-आधारित विकास आदि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

बढ़ते विदेशी ऋण से जुड़ी चुनौतियां

- **ऋण चुकाने का बोझ:** इसलिए, विनिमय दर में बदलाव से ऋण के बोझ में भी वृद्धि हो सकती है।
- **बढ़ती मुद्रास्फीति:** दीर्घकालिक मुद्रास्फीति के चलते ब्याज दरें भी बढ़ सकती हैं। इससे आर्थिक संवृद्धि धीमी हो सकती है और GDP के अनुपात में विदेशी ऋण भी बढ़ सकता है।
- **वैश्विक परिदृश्य:** वैश्विक स्तर पर **स्टैगफ्लेशन** का खतरा भारत से निर्यात की मांग को घटा सकता है, जो डेब्ट सर्विस अनुपात को प्रभावित कर सकता है।

3.24.6. भुगतान विनियामक बोर्ड (PAYMENTS REGULATORY BOARD)

RBI ने भुगतान विनियामक बोर्ड विनियम, 2025 अधिसूचित किए

- यह भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत 2008 के विनियमों का स्थान लेता है।

भुगतान विनियामक बोर्ड के बारे में:

- **अध्यक्ष:** RBI गवर्नर
- **सदस्य:** डिप्टी गवर्नर, 1 RBI अधिकारी, 3 सरकारी नामित व्यक्ति (4 वर्ष का निश्चित कार्यकाल, पुनः नामांकन नहीं)
- **विशेषज्ञों को** आमंत्रित किया जा सकता है
- वर्ष में दो बार **बैठक, कोरम: 3**
- **बहुमत से निर्णय**; अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होता है।

3.24.7. RBI (डिजिटल ऋण) दिशा-निर्देश, 2025 {RBI (DIGITAL LENDING) DIRECTIONS, 2025}

RBI ने भारतीय रिज़र्व बैंक (डिजिटल ऋण) दिशा-निर्देश, 2025 जारी किए।

- **मुख्य उद्देश्य:** उधारकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाना, डेटा पारदर्शिता सुनिश्चित करना और ज़िम्मेदारपरक डिजिटल ऋण (लेंडिंग) पद्धतियों को बढ़ावा देना।

RBI के निर्देशों की मुख्य विशेषताएं

- **डिजिटल ऋण को** पूर्णतः डिजिटल ऋण प्रोसेसिंग के रूप में परिभाषित किया गया है।
- बैंकों, NBFCs, सहकारी बैंकों और AIFIs **पर लागू होता है।**
- को परिभाषित करता है: CIMS के माध्यम से
- **LSPs पर समुचित सावधानी बरतने की** आवश्यकता है

- LSPs को उधारकर्ताओं को सभी जरूरी जानकारी जैसे नियम व शर्तें, गोपनीयता नीति आदि स्पष्ट रूप से बतानी होगी।
- **शिकायत निवारण अधिकारी:** इसे डिजिटल ऋण-संबंधी शिकायतों और मुद्दों का समाधान करने के लिए LSPs द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

डिजिटल ऋण पर RBI के निर्देशों की आवश्यकता

- **अत्यधिक ब्याज दरें एवं छिपे हुए शुल्क:** कुछ प्लेटफॉर्म्स ने जानकारी की कमी का फायदा उठाया है।
- **अनैतिक वसूली प्रथाएँ:** वसूली एजेंटों द्वारा उत्पीड़न एवं जबरदस्ती।
- **अनियमित एवं धोखाधड़ी वाले ऐप्स का प्रसार:** कई ऐप्स उचित निगरानी के बिना संचालित होते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को नुकसान होता है।
- **गलत बिक्री:** उधारकर्ताओं को ऋण की शर्तों की पूरी जानकारी नहीं होती है।
- **डेटा गोपनीयता का उल्लंघन:** संवेदनशील उधारकर्ता डेटा को तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाताओं द्वारा गलत तरीके से संभाला जा सकता है।

3.24.8. पुनर्बीमा (REINSURANCE)

वैल्यूएटिक्स री (Valueattics Re) भारत में **पुनर्बीमा कारोबार शुरू करने** के लिए IRDAI से मंजूरी पाने वाली **पहली निजी कंपनी** बन गई है।

- वर्तमान में, सार्वजनिक क्षेत्रक की **जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (GIC Re) भारत में कार्यरत एकमात्र** पुनर्बीमा कंपनी है।

पुनर्बीमा के बारे में

- पुनर्बीमा **जोखिम प्रबंधन पद्धति** है। इसमें **बीमा कंपनियां** अपने जोखिम का एक हिस्सा किसी **अन्य बीमा कंपनी (रीइंश्योरर/ पुनर्बीमाकर्ता) को हस्तांतरित** करती है।
- **विनियामक:** भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)।
- **कानून: बीमा अधिनियम, 1938** और **IRDAI (पुनर्बीमा) विनियम, 2018**

3.24.9. सहकारी चीनी मिलों के लिए योजना (SCHEME FOR COOPERATIVE SUGAR MILLS)

हाल ही में, केंद्र सरकार ने **संशोधित 'इथेनॉल ब्याज अनुदान योजना'** के तहत सहकारी चीनी मिलों के लिए एक नई योजना अधिसूचित की है।

योजना के बारे में

- **कार्यान्वयन मंत्रालय:** केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
- **उद्देश्य:** मक्का और खाद्य के लिए अनुपयोगी हो चुके खाद्यान्न (DFG) का उपयोग करके गन्ना-आधारित मौजूदा इथेनॉल संयंत्रों को मल्टी-फीडस्टॉक आधारित संयंत्रों में बदलना।
- सरकार **6% प्रतिवर्ष** की दर से ब्याज छूट देगी या **बैंकों/ वित्तीय संस्थानों द्वारा तय ब्याज दर का 50% वहन करेगी** (जो भी कम हो)।

3.24.10. तंबाकू (TOBACCO)

पिछले चार वर्षों में **भारत का तम्बाकू निर्यात दोगुना** हो गया।

तंबाकू

- **भारत की स्थिति:** दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक (चीन के बाद) तथा निर्यातक (ब्राजील के बाद) देश है।
- **प्रमुख उत्पादक राज्य:** गुजरात (कुल खेती योग्य क्षेत्र का 45% और उत्पादन 30%), आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार।
- **अनुकूल परिस्थितियां:**
  - **तापमान (20° से 27°C** के बीच); **वर्षा** (कम-से-कम 500 मिलीमीटर); **मृदा (रेतीली या बलुई दोमट मिट्टी)** सबसे उपयुक्त होती है।
  - आंध्र प्रदेश, जहां **गहरी काली मृदा** में तंबाकू का उत्पादन किया जाता है।

3.24.11. तटीय पोत परिवहन विधेयक, 2025 (COASTAL SHIPPING BILL, 2025)

उद्देश्य

- **तटीय पोत परिवहन** के विनियमन से संबंधित कानूनों को समेकित करना; सभी प्रकार के जलयानों, जिनमें **पोत, नाव, नौकायन पोत, मोबाइल अपतटीय ड्रिलिंग यूनिट्स** शामिल हैं, को विनियमित करना।
- **मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 के भाग XIV को निरस्त करना,** जो तटीय जल के भीतर व्यापार में संलग्न नौकायन पोतों के अलावा अन्य जलयानों को विनियमित करता है।

विधेयक के मुख्य प्रावधान

- विदेशी जलयानों के लिए नौवहन महानिदेशालय (DGS) द्वारा जारी **लाइसेंस लेना अनिवार्य** है, जबकि भारतीय जलयानों को इससे छूट दी गई है।
  - **तटीय व्यापार** से आशय **समुद्री मार्ग से माल या यात्रियों के परिवहन** से है। हालांकि इसमें **मात्स्यिकी शामिल नहीं** है।
- **रणनीतिक योजना और डेटा संग्रह:** विधेयक में **राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय पोत-परिवहन रणनीतिक योजना तथा राष्ट्रीय तटीय पोत-परिवहन डेटाबेस** बनाना अनिवार्य किया गया है।
- **नौवहन महानिदेशालय (DGS)** को **सूचना प्राप्त करने, निर्देश जारी करने और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित** करने जैसे अधिकार प्रदान किए गए हैं।
- **केंद्र सरकार का नियंत्रण:** केंद्र सरकार को **नियमों में छूट देने और नियमों के अनुपालन की निगरानी करने की शक्ति प्रदान** की गई है।

3.24.12. सड़क क्षेत्रक में सबसे बड़ा INVIT मुद्रीकरण (LARGEST INVIT MONETIZATION IN ROADS SECTOR)

नेशनल हाईवेज इंफ्रा ट्रस्ट (NHIT) ने सड़क क्षेत्र में InvITs के माध्यम से सबसे बड़ी धनराशि जुटाई है।

- NHIT **राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा 2020 में स्थापित InvIT** है। इसका उद्देश्य भारत के **परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम** में योगदान देना है।

अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (InvITs) के बारे में

- **परिभाषा:** निवेश जुटाने का एक साधन है, जो वास्तव में म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REIT) की तरह कार्य करते हैं।
- InvITs **किसी व्यक्ति/ संस्थागत निवेशकों को सीधे** या किसी स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV)/ होल्डिंग कंपनी के माध्यम से अवसंरचना परियोजनाओं में प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देते हैं।
- **आय:** InvITs टोल, रेंट, निवेश पर ब्याज या लाभांश के माध्यम से उत्पन्न; यूनिट होल्डर्स के लिए कर योग्य।
- **विनियमन: सेबी (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014** के तहत प्रशासित।
  - सेबी निवेशकों को 90% आय वितरण अनिवार्य करता है।
  - **वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी/ SARFAESI)**, 2002 के तहत **"उधार लेने वाले" के रूप में मान्यता प्राप्त** है।
- **प्रकार:** सार्वजनिक क्षेत्र के InvITs; निजी क्षेत्र के सूचीबद्ध InvITs; तथा निजी क्षेत्र के गैर-सूचीबद्ध InvITs.
- **लाभ:** रिटेल यानी व्यक्तिगत निवेशक द्वारा बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश, कम प्रवेश लागत और स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग के माध्यम से तरलता को सक्षम बनाता है।

InvIT का संरचनात्मक अवलोकन	
प्रायोजक	इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी या प्राइवेट इक्विटी फर्म **मुख्य कार्य:** InvIT की स्थापना; इंफ्रास्ट्रक्चर परिसंपत्तियों को InvIT ट्रस्ट में स्थानांतरित करना।
InvIT	बुनियादी ढांचे की परिसंपत्तियों का प्रबंधन करता है। **प्राथमिक कार्य:** बुनियादी ढांचे की परिसंपत्तियों का रखरखाव; निवेश इकाइयां जारी करना।
निवेशक	InvIT में स्वामित्व हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करने वाली इकाइयां प्राप्त करना।

3.24.13. नई इस्पात नीति (NEW STEEL POLICY)

केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने संशोधित 'घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह और इस्पात उत्पाद (DMI&SP) के लिए नीति-2025' को अधिसूचित किया।

DMI&SP नीति क्या है?

- सरकारी संस्थाएं अपनी खरीद में देश में निर्मित स्टील को प्राथमिकता दें, जिससे घरेलू इस्पात उद्योग को बढ़ावा मिल सके।

संशोधित नीति की मुख्य विशेषताएं

- **नोडल मंत्रालय:** केंद्रीय इस्पात मंत्रालय
- **किन पर लागू होगी:** सरकार के सभी मंत्रालय, विभाग और संबद्ध एजेंसियां - जिनमें सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रम (PSUs), सोसायटी, ट्रस्ट और वैधानिक संस्थाएं शामिल हैं। 5 लाख रुपये से अधिक की सभी प्रकार की सरकारी खरीद पर लागू होगी।
- **शामिल की गई सामग्री: "मेल्ट एंड पोर"** स्थिति में इस्पात, जैसे कि फ्लैट-रोल्ड स्टील, बार, आदि। मेल्ट एंड पोर से तात्पर्य उस इस्पात से है जिसे इस्पात बनाने वाली भट्टी में तैयार किया गया है और पहली बार ठोस आकार में ढ़ाला गया है।
- **वैश्विक निविदाओं पर प्रतिबंध:** कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकतर लौह और इस्पात उत्पादों के लिए कोई ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी (GTE) नहीं होगी।
- **देश में मूल्य संवर्धन (DVA) पर जोर:** भट्टियों (Furnaces) और रोलिंग मिल्स जैसी पूंजीगत वस्तुओं में देश में कम-से-कम 50% मूल्य संवर्धन अनिवार्य किया गया है।
- यह उन देशों के आपूर्तिकर्ताओं पर प्रतिबंध लगाता है जो भारतीय कंपनियों को अपनी सरकारी संस्थाओं द्वारा इस्पात खरीद में तब तक रोक लगाते हैं जब तक कि केंद्रीय इस्पात मंत्रालय कुछ मामलों में इसकी अनुमति न दे।

नीति में संशोधन क्यों किया गया?

- **बढ़ता खतरा:** भारत तैयार इस्पात का शुद्ध आयातक है। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से सस्ते इस्पात के आयात में वृद्धि दर्ज की गई है जबकि निर्यात में गिरावट आई है।
- **वैश्विक बाजारों में मंदी:** देश में इस्पात उत्पादन क्षमता में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की गई है जबकि विश्व में इस्पात की मांग में गिरावट दर्ज की जा रही है।
- **सरकारी खरीद की रणनीतिक भूमिका:** भारत में तैयार इस्पात के 25-30% हिस्से को सरकार बुनियादी ढांचे, रेलवे और रक्षा के लिए खरीदती है। संशोधित नीति सरकारी मांग बढ़ाकर स्थानीय उद्योग को समर्थन प्रदान करेगी।

3.24.14. भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया (INDIA OVERTAKES JAPAN TO BECOME 4TH LARGEST ECONOMY)

IMF की हालिया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।

भारत की आर्थिक छलांग के प्रमुख कारक:

- **संरचनात्मक:** शहरीकरण, बढ़ती आय, जनसांख्यिकीय लाभांश (औसत आयु ~29), मजबूत घरेलू मांग (निजी खपत GDP का ~70%)।
- **नीतिगत:** GST, IBC, कर कटौती, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा (NEP, PM गति शक्ति), आत्मनिर्भर भारत, उत्पादन-से-सम्बद्ध प्रोत्साहन।
- **तकनीकी:** डिजिटल अवसंरचना (UPI, जैम ट्रिनिटी), मजबूत आईटी/ सॉफ्टवेयर निर्यात।
- **बाह्य:** FDI अंतर्वाह में वृद्धि, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव।

भविष्य की संभावनाएं:

- भारत का लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि (2030 तक 500 गीगावाट), वैश्विक हरित नेतृत्व और विनियामक स्थिरता (बैंक सुधार, RBI) के साथ 2.5-3 वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है।

दुनिया की दस सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (GDP के आधार पर)

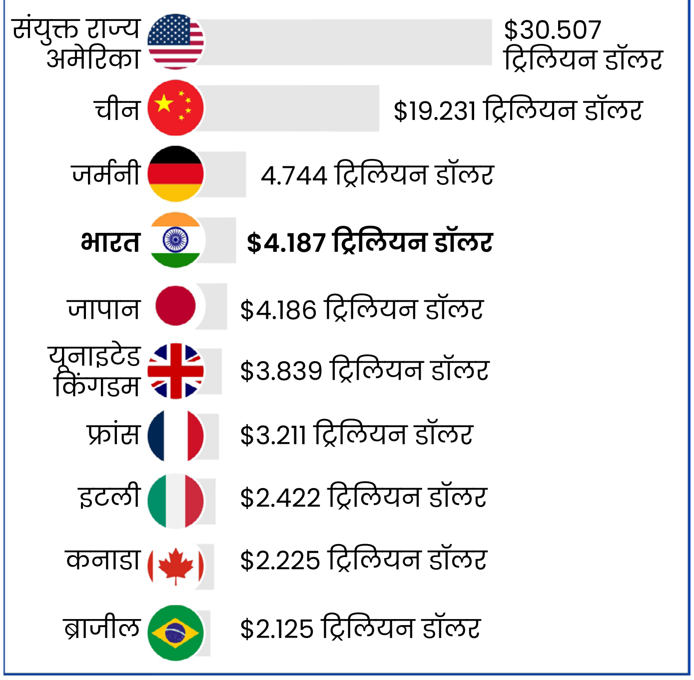

3.24.15. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BOMBAY STOCK EXCHANGE: BSE)

BSE के बारे में

- BSE की स्थापना **वर्ष 1875 में 'द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन'** के रूप में हुई थी। यह **एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज** है और खरीद-बिक्री में लगने वाले समय के मामले में यह **दुनिया का सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज** भी है।
  - वर्ष 2017 में BSE, **शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने वाला (लिस्टेड) भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज** बना था।
- **कार्य:** BSE **इक्विटी, करेंसी, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स, डेरिवेटिव्स और म्यूचुअल फंड्स** में कारोबार के लिए प्रभावी एवं पारदर्शी बाजार प्रदान करता है।
- **विनियामक संस्था:** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI/सेबी)। सेबी एक **वैधानिक संस्था**। इसे **सेबी अधिनियम, 1992 के तहत स्थापित** किया गया है।

3.24.16. वैकल्पिक निवेश कोष (ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS: AIFS)

RBI ने वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) के लिए निवेश नियमों में संशोधन किया

AIF के बारे में: भारत में अनुभवी निवेशकों के लिए निजी तौर पर एकत्रित निवेश साधन, जो 2012 के नियमों के तहत सेबी द्वारा विनियमित हैं।

श्रेणियाँ:

- श्रेणी I: स्टार्ट-अप, SME, इन्फ्रा (जैसे, वेंचर कैपिटल फंड, एंजेल फंड) में निवेश।
- श्रेणी II: कोई लीवरेज नहीं (उदाहरण, प्राइवेट इक्विटी फंड, डेट फंड)।
- श्रेणी III: लीवरेज का उपयोग (उदाहरण के लिए, हेज फंड, PIPE)।

3.24.17. IMF की वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (IMF'S GLOBAL FINANCIAL STABILITY REPORT)

IMF की 'वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट' में भू-राजनीतिक जोखिमों का वैश्विक वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया गया।

मुख्य भू-राजनीतिक जोखिम

- **आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करने वाले विविध जोखिम**
- नए व्यापारिक समूह बन रहे हैं और निवेश के नए केंद्र उभरकर सामने आ रहे हैं। इससे पारंपरिक वैश्विक शक्ति संतुलन में भी बदलाव देखे जा रहे हैं।
- **कर व्यवस्था में एकरूपता का अभाव:** उदाहरण के लिए, जहां एक ओर कई देश **मिनिमम ग्लोबल टैक्स** को अपना रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ देश **बहुपक्षीय टैक्स समझौतों से बाहर** निकल रहे हैं।
- **कार्यबल पर जनसांख्यिकीय, तकनीकी और सांस्कृतिक दबाव:** विकसित देशों की आबादी में जहां एक ओर **वृद्ध लोगों का अनुपात** और **सेवानिवृत्त होने वाले लोगों की जनसंख्या** बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर इन देशों में **जन्म दर कम** हो रही है। देशों और समुदायों के बीच सांस्कृतिक संघर्ष में वृद्धि हुई है। AI के बढ़ते उपयोग से भी जोखिम में वृद्धि हुई है।

भू-राजनीतिक जोखिमों के प्रभाव

- सैन्य खर्च में बढ़ोतरी और आर्थिक मंदी के चलते कई देशों का सरकारी ऋण, उनकी GDP की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। इससे उनकी वित्तीय स्थिरता पर संकट गहराता जा रहा है और बढ़ते कर्ज भार के कारण डिफॉल्ट (ऋण न चुकाने) होने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है।
- **वित्तीय खतरों की चपेट में अन्य देशों का आना:** भू-राजनीतिक जोखिम व्यापार और वित्तीय संबंधों के माध्यम से अन्य देशों में फैल सकते हैं।
- जोखिमों के बढ़ने से आर्थिक व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। इनमें आपूर्ति श्रृंखला का बाधित होना और पूंजी का देश से बाहर निकलना जैसे आर्थिक व्यवधान शामिल हैं।
- **निवेशकों का विश्वास कम होना:** भू-राजनीतिक जोखिम निवेशकों के विश्वास को कम करते हैं। इससे बाजार में अनिश्चितता और अस्थिरता बढ़ती है।
  - उदाहरण के लिए, अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध की वजह से हाल में **दोनों देशों के शेयर बाजारों में भारी गिरावट** दर्ज की गई।

भू-राजनीतिक जोखिमों से निपटने के लिए मुख्य नीतिगत सिफारिशें:

- वित्तीय पर्यवेक्षण को बेहतर बनाना,
- पूंजी बफ़र्स को मजबूत करना,
- सख्त नियमों के साथ वित्तीय बाजारों को मजबूत करना,
- मैक्रोइकोनॉमिक बफ़र्स बनाए रखना
- संकट से निपटने की तैयारी में सुधार करना।

3.24.18. UNCTAD ने 'ए वर्ल्ड ऑफ डेब्ट रिपोर्ट 2024' जारी की (UNCTAD RELEASED 'A WORLD OF DEBT REPORT 2024')

सार्वजनिक ऋण महत्वपूर्ण व्ययों को वित्त-पोषित करके विकास को गति दे सकता है, लेकिन अत्यधिक ऋण वृद्धि विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए चुनौतियां पैदा करता है।

- **व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) की 2024 की रिपोर्ट** में बढ़ते ऋण जोखिमों की चेतावनी दी गई है तथा स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल वैश्विक कार्रवाई का आग्रह किया गया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **वैश्विक ऋण वृद्धि:** 2023 में सार्वजनिक ऋण **97 ट्रिलियन डॉलर** तक पहुंच गया था। (भारत में लगभग $2.9 ट्रिलियन)
- **ऋण भुगतान पर अधिक व्यय:** 54 विकासशील देश अपने सामाजिक क्षेत्रक की तुलना में ब्याज भुगतान पर अधिक धन व्यय करते हैं।
- **असमान वित्तीय प्रणाली:** विकासशील देश 2 से 12 गुना अधिक दर पर ब्याज का भुगतान करते हैं।

बढ़ते वैश्विक सार्वजनिक ऋण से उत्पन्न होने वाली चुनौतियां

- **ऋण का बोझ:** निवेश व उपभोग की क्षमता को कम करके आर्थिक संवृद्धि को बाधित करता है।
- **तरलता संबंधी चुनौती:** विकासशील देशों से निजी ऋणदाताओं द्वारा लगभग 50 बिलियन डॉलर की निकासी ने तरलता की कमी को और बढ़ा दिया है।
- **पश्चिमी प्रभुत्व वाले ऋणदाता संस्थान** (निजी, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय ऋणदाता) ऋण की पुनर्संरचना को महंगा बनाते है।

सिफारिशें

- बेहतर ऋण पुनर्गठन तंत्र, आकस्मिक वित्तपोषण में वृद्धि (ऋण संकट को टालने के लिए) और वैश्विक वित्तीय गवर्नेंस में विकासशील देशों की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए।

सार्वजनिक ऋण

सार्वजनिक ऋण क्या है?
सार्वजनिक ऋण (यानी **संप्रभु ऋण**) किसी सरकार द्वारा कुल **वित्तीय देनदारियां** होती है। इसे घरेलू या बाह्य स्रोतों से लिया जाता है। ऐसे ऋण सरकार अपने उन व्ययों को पूरा करने के लिए लेती है, जो सरकार के राजस्व से अधिक हो जाते हैं।

भारत के सार्वजनिक ऋण का अवलोकन

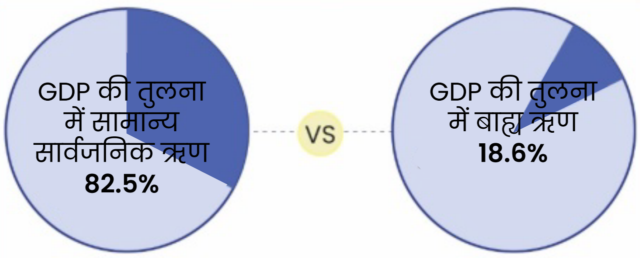

FRBM अधिनियम ने इसे GDP की तुलना में 60% तक सीमित रखने का प्रावधान किया है।

विश्व की शीर्ष 6 अर्थव्यवस्थाओं में दूसरा सबसे कम

3.24.19. वैश्विक व्यापार परिदृश्य और सांख्यिकी-2025 रिपोर्ट (GLOBAL TRADE OUTLOOK AND STATISTICS 2025)

यह रिपोर्ट **विश्व व्यापार संगठन (WTO)** ने जारी की है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- वर्ष 2025 में **विश्व पण्य व्यापार की मात्रा में 0.2% की गिरावट** दर्ज होने का अनुमान है, विशेष रूप से **उत्तरी अमेरिका** में अधिक गिरावट दर्ज की जाएगी।
- रिपोर्ट में विश्व व्यापार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले **कई गंभीर खतरों जैसे कि रेसिप्रोकल टैरिफ का प्रयोग और नीतिगत अनिश्चितता** के प्रभाव का उल्लेख किया गया है।
- इस रिपोर्ट में पहली बार **पण्य (वस्तु) व्यापार अनुमान के साथ-साथ सेवाओं के व्यापार के लिए भी पूर्वानुमान** शामिल किया गया है। **(सेवाओं के व्यापार की मात्रा में 2025 में 4.0% की वृद्धि का अनुमान)**।

3.24.20. अपलिंक इनिशिएटिव (UPLINK INITIATIVE)

विश्व आर्थिक मंच (WEF) के तहत अपलिंक इनिशिएटिव से 2023-2024 के दौरान **कार्बन उत्सर्जन में 142,400 टन की कटौती** हुई।

अपलिंक इनिशिएटिव के बारे में

- यह **प्रभावशाली प्रारंभिक चरण के इनोवेशन** पर केंद्रित है।
- इसे **डेलॉइट और सेल्सफोर्स** के सहयोग से **WEF द्वारा 2020** में लॉन्च किया गया था।
- यह ऐसे **इकोसिस्टम्स** का निर्माण करता है, जो उद्देश्य युक्त, शुरुआती चरण के उद्यमियों को नेट जीरो उत्सर्जन, प्रकृति-अनुकूल और न्यायसंगत भविष्य के लिए अपने व्यवसायों को बढ़ाने में सक्षम बनाता है।
- **उद्देश्य:** प्रारंभिक चरण के इनोवेटर्स को सहायता देना, इनोवेशन आधारित इकोसिस्टम को सक्षम बनाना और धारणा को प्रभावित करना।

3.24.21. अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन और रिपोर्टिंग मानक (INTERNATIONAL STANDARDS OF ACCOUNTING AND REPORTING: ISAR)

ISAR के बारे में

- भारत को **2025–2027** के कार्यकाल के लिए **संयुक्त राष्ट्र-अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन और रिपोर्टिंग मानकों पर विशेषज्ञों के अंतर-सरकारी कार्यदल (ISAR)** में निर्विरोध चुना गया।
- **मैंडेट:** इसका उद्देश्य सदस्य देशों को **वित्तीय रिपोर्टिंग और गैर-वित्तीय डिस्क्लोजर की गुणवत्ता में सुधार** करने तथा उन्हें **अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप** बनाने में सहायता करना है।
- **मिशन:** नीतिगत फ्रेमवर्क और मार्गदर्शक उपायों के माध्यम से कॉर्पोरेट पारदर्शिता और लेखांकन में अच्छे अभ्यासों को बढ़ावा देकर निवेश, विकास और आर्थिक स्थिरता को प्रोत्साहित करना।
- **ISAR का प्रत्येक वर्ष जिनेवा में सत्र** आयोजित होता है। इसमें **कंपनियों के लेखांकन और रिपोर्टिंग से जुड़े नए मुद्दों पर चर्चा** की जाती है।

- **सदस्य:** ISAR में **34 औपचारिक सदस्य** होते हैं। ये **तीन वर्षों** के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। **इन सदस्यों में शामिल हैं:** 9 अफ्रीकी देश, **7** एशियाई देश, **6** लैटिन अमेरिकी देश, **3** पूर्वी यूरोपीय देश तथा **9** पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देश।

3.24.22. केपटाउन कन्वेंशन और प्रोटोकॉल (CAPE TOWN CONVENTION AND PROTOCOL)

राज्य सभा ने **"विमानन वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक, 2025"** पारित किया। इस विधेयक का उद्देश्य विमानन से संबंधित भारतीय कानूनों को **केपटाउन कन्वेंशन (कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन मोबाइल इक्विपमेंट) और विशेष रूप से विमान उपकरणों से संबंधित विषयों पर प्रोटोकॉल** के अनुरूप करना है।

केपटाउन कन्वेंशन और प्रोटोकॉल के बारे में

- **उद्देश्य:** चल संपत्तियों, विशेष रूप से उच्च-मूल्य वाली परिसंपत्तियों (जैसे-विमान, इंजन और हेलीकॉप्टर) से संबंधित लेन-देन को मानकीकृत करना, ताकि **डिफ़ॉल्ट की स्थिति में ऋणदाता अपने अधिकारों को लागू कर सकें।**
- इन्हें **2001 में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ़ प्राइवेट लॉ (UNIDROIT)** द्वारा संयुक्त रूप से अपनाया गया था।
- **पक्षकार: 2016** तक **65 देश** इस कन्वेंशन के पक्षकार बन चुके थे। (**भारत ने इस कन्वेंशन पर 2008 में हस्ताक्षर** किए)।

3.24.23. लवणीय जलीय कृषि केंद्र (SALINE AQUACULTURE HUBS)

लवणीय जलीय कृषि के बारे में

- **अर्थ:** इसके तहत अंतर्देशीय लवणीय जलीय कृषि के लिए **लवणता प्रभावित भूमि** (जो प्रायः पारंपरिक कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है) का उपयोग किया जाता है।
    - **जलीय कृषि:** इसमें जलीय जीवों का पालन किया जाता है।
- **महत्त्व:** रोजगार और आजीविका के अवसर उत्पन्न करेगा
- **भारत में संभावनाएं:**
    - उपर्युक्त 4 राज्यों के **58,000 हेक्टेयर चिन्हित लवणीय क्षेत्रों में से केवल 2,608 हेक्टेयर का ही वर्तमान में उपयोग** किया जा रहा है।
    - भारत **विश्व स्तर पर संवर्धित झींगों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। साथ ही, समुद्री खाद्य निर्यात मूल्य में 65% हिस्सेदारी** अकेले झींगों की है, जिसे लवणीय जल-कृषि के माध्यम से और **बढ़ाया** जा सकता है।

लवणीय जलीय कृषि के लिए किसानों के सामने प्रमुख चुनौतियां

- चीन का बढ़ता प्रभाव
- क्षेत्रीय अस्थिरता, जैसे बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल
- गैर-पारंपरिक खतरे: नशीली दवाओं की तस्करी वाले क्षेत्रों से निकटता

लवणीय जलीय कृषि की क्षमता का उपयोग करने हेतु किए जाने वाले उपाय

- **नीतिगत सुधार:** क्षेत्र संबंधी सीमा को **2 हेक्टेयर से बढ़ाकर 5 हेक्टेयर** किया जाना चाहिए। साथ ही, उत्तर भारतीय राज्यों में लवणीय जलीय कृषि के संधारणीय विकास के लिए रोडमैप तैयार करने हेतु एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का भी गठन किया जाना चाहिए।
- **सिरसा में एक इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क** स्थापित करने की सिफारिश की गई है, ताकि विपणन माध्यमों को बेहतर किए जा सके।
- राज्यों द्वारा लवणीय जलीय कृषि के लिए नए क्षेत्रों की पहचान करने तथा आउटरीच आधारित अनुसंधान करने हेतु **कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) का उपयोग** किया जाना चाहिए।

3.24.24. ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (OPINION TRADING PLATFORMS)

SEBI/ सेबी ने निवेशकों को ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से लेन-देन करने के प्रति सचेत किया है।

ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में

- **अवधारणा:** ये **प्लेटफॉर्म** किसी भी खेल आदि में घटनाओं पर अपने पूर्वानुमानों में निवेश करके पैसा कमाने का विकल्प देते हैं।
- **कानूनी स्थिति:** यह सेबी द्वारा विनियमित नहीं है, क्योंकि पूर्वानुमानों को प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है।
- **अर्थव्यवस्था: 50,000 करोड़ रुपये** से अधिक **लेनदेन और 5 करोड़ उपयोगकर्ता।**

3.24.25. भारत ने अब तक का सर्वाधिक निर्यात हासिल किया (INDIA ACHIEVES HIGHEST EVER EXPORTS)

वैश्विक प्रतिकूलताओं के बावजूद **भारत का निर्यात 2024-25 में बढ़कर 824.9 बिलियन डॉलर हो गया।**

मुख्य आंकड़े

- **वस्तु का निर्यात: मामूली वृद्धि के साथ 437.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है।**
- **सेवा का निर्यात:** 387.5 बिलियन डॉलर (13.6% वृद्धि), IT, परिवहन और वित्तीय सेवाएँ शामिल।

निर्यात वृद्धि को प्रेरित करने वाले कारक

- **नीतिगत प्रोत्साहन:** नई विदेश व्यापार नीति, व्यापार सुविधा, डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब्स इनिशिएटिव और MSMEs को समर्थन।
- **निर्यात बाजारों का विविधीकरण:** बढ़ती मांग ने वैश्विक मंदी के बावजूद निर्यात को बढ़ाया है।
- **व्यापार समझौते:** नए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौते, जैसे- **भारत-UAE CEPA,** बाजार खोले गए और बाधाएं कम की गईं।
- **आपूर्ति श्रृंखला पुनर्निर्धारण:** भारत चीन-प्लस-वन रणनीतियों का विश्वसनीय विकल्प बन रहा है।

3.24.26. रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स (REPAIRABILITY INDEX)

भरत खेड़ा की अध्यक्षता वाली समिति ने DoCA को रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स (RI) फ्रेमवर्क रिपोर्ट प्रस्तुत की।

RI फ्रेमवर्क के बारे में:

- **OEMs को** स्कोरिंग मानदंडों का उपयोग करके **RI की स्व-घोषणा** करनी होगी।

- **RI को** बिक्री केन्द्रों, ई-कॉमर्स और पैकेजिंग पर QR कोड के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।
- प्रारंभ में **स्मार्टफोन और टैबलेट को प्राथमिकता दी गई।**
- RI को 6 मुख्य मापदंडों पर 5 अंक के पैमाने पर रेट किया जाता है: टूल्स, डिसअसेम्बली डेप्थ, मरम्मत की जानकारी, स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता, फास्टनर, सॉफ्टवेयर अपडेट।

RI का महत्व:

- **मरम्मत या रिपेयर की सुविधा में सुधार**
- **संधारणीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा: LiFE की अवधारणा** को मजबूती।
- **'योजनाबद्ध तरीके से अप्रचलन' के मुद्दे का समाधान**
- **रोजगार सृजन:** थर्ड-पार्टी द्वारा मरम्मत की अनुमति से रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।
- **राइट टू रिपेयर:** स्पेयर पार्ट्स और मरम्मत संबंधी जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करता है; DoCA ने 2022 में पोर्टल लॉन्च किया।

3.24.27. वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट (वेव्स/ WAVES), 2025 {WORLD AUDIO VISUAL AND ENTERTAINMENT SUMMIT (WAVES), 2025}

प्रधान मंत्री ने वेव्स शिखर सम्मेलन 2025 में **भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी को** रेखांकित किया।

- **क्रिएटिव इकोनॉमी को** सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि, नवाचार और समावेशिता की कुंजी माना जाता है।
- **वेव्स का** लक्ष्य 2029 तक 50 बिलियन डॉलर का बाजार खोलना है।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा **FICCI** और **CII** के साथ मिलकर **इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी (IICT)** को **राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में शुरू किया गया।**

क्रिएटिव इकोनॉमी के बारे में:

- **इसे 'ऑरेंज इकोनॉमी' भी कहा जाता है।** यह आर्थिक संवृद्धि और विकास में योगदान देने के लिए रचनात्मक परिसंपत्तियों के योगदान एवं क्षमता पर आधारित एक उभरती हुई अवधारणा है।
- इसमें **एनीमेशन, गेमिंग, कॉमिक्स व एक्सटेंडेड रियलिटी (AVGC-XR)** आदि शामिल हैं।

भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी

- **योगदान: GDP में 30 बिलियन डॉलर का योगदान एवं 8% कार्यबल को रोजगार।**
- **चुनौतियाँ:** गलत सूचना, गोपनीयता, सीमित ग्रामीण डिजिटल पहुँच और औपचारिक वित्तपोषण की कमी आदि।
- **पहल: क्रिएटिव इकोनॉमी** निधि, **क्रिएटिव इकोनॉमी** में अखिल भारतीय पहल, नेशनल क्रिएटर पुरस्कार, आदि।

3.24.28. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी (INDIAN INSTITUTE OF CREATIVE TECHNOLOGY)

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने **FICCI** एवं **CII** के सहयोग से **इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी (IICT)** की स्थापना की घोषणा की है।

IICT के बारे में:

- **एनीमेशन, VFX, गेमिंग, कॉमिक्स आदि (AVGC-XR)** के लिए राष्ट्रीय **उत्कृष्टता केंद्र (NCoE)।**
  - **एक्सटेंडेड रियलिटी (XR)** भौतिक और डिजिटल दुनिया का मिश्रण है, जैसे **वर्चुअल रियलिटी (VR), ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) और मिक्स्ड रियलिटी (MR)।**
- IITs/IIMs की तर्ज पर वैश्विक शिक्षा केंद्र बनना।

AVGC-XR सेक्टर की स्थिति

- 2021 में **वैश्विक स्तर पर** इस बाजार का मूल्य **366 बिलियन डॉलर से अधिक है।**
- **भारत:** वैश्विक बाज़ार का 1% से भी कम। 2030 तक **26 बिलियन डॉलर** तक पहुंचना (**कर्नाटक** अग्रणी)।

AVGC-XR सेक्टर के विकास के प्रमुख कारण

- **OTT यूजर्स की संख्या में वृद्धि:** पेनेट्रेशन दर 38.4%।
- **स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की वृद्धि**
- **एप्लिकेशंस का व्यापक दायरा:** गेमिंग, एडटेक, आर्किटेक्चर आदि में।
- **नई प्रौद्योगिकियों का आगमन:** निवेश में वृद्धि।
- **5G**

3.25. अपने ज्ञान का परीक्षण कीजिए (TEST YOUR LEARNING)

MCQ

1. विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/ से कथन सही है/ हैं?

1. यह लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल के अंतर्गत DBFOT के आधार पर विकसित किया गया है।
2. यह भारत का पहला उथला-ड्राफ्ट ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है।
3. यह यूरोप और सुदूर पूर्व को जोड़ने वाले मुख्य शिपिंग मार्ग पर स्थित है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए:

a. केवल 1 और 2
b. केवल 2 और 3
c. केवल 1 और 3
d. 1, 2 और 3

2. भारत में डीप टेक स्टार्टअप्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. भारत में वर्तमान में दुनिया में सबसे अधिक डीप टेक स्टार्टअप्स हैं।
2. भारत में डीप टेक स्टार्टअप्स ने 2024 में 1.6 बिलियन डॉलर का वित्त पोषण आकर्षित किया।
3. इम्यूनो एक्ट एयरोस्पेस क्षेत्र में काम करने वाले डीप टेक स्टार्टअप का एक उदाहरण है।
4. नियामक बाधाएं और पिछड़ा संस्थागत समर्थन भारत में डीप टेक स्टार्टअप्स के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों में से हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

a. केवल 1 और 2
b. केवल 2 और 4
c. केवल 3 और 4
d. केवल 1, 2 और 3

3. इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना (ECMS) के तहत राजकोषीय प्रोत्साहन संरचना के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सर्वोत्तम वर्णन करता है?

1. आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र के लिए टर्नओवर के आधार पर प्रोत्साहन लागू होते हैं।
2. बेयर कंपोनेंट के लिए कैपेक्स के आधार पर प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।
3. चयनित बेयर कंपोनेंट्स के लिए हाइब्रिड प्रोत्साहन प्रदान किए जा सकते हैं।
4. केवल ग्रीनफील्ड निवेश ही इस योजना के लिए पात्र हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए:

a. केवल 1 और 2
b. केवल 3
c. केवल 2 और 4
d. केवल 1, 2 और 3

4. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. मुद्रा योजना सूक्ष्म-उद्यमियों को प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करती है।
2. 'शिशु' श्रेणी के तहत ऋणों पर समय पर भुगतान करने पर 2% ब्याज सब्सिडी दी जाती है।
3. मुद्रा ऋण संपार्श्विक-मुक्त हैं और क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स (CGFMU) द्वारा गारंटीकृत हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

a. केवल 1 और 2
b. केवल 2 और 3
c. केवल 1 और 3
d. 1, 2 और 3

5. 'इंडिया बायोइकोनॉमी रिपोर्ट 2025' के अनुसार भारत के जैव-अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जैव-अर्थव्यवस्था भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 4% से अधिक का योगदान देती है।
2. 2024 में भारत में इथेनॉल मिश्रण 15% तक पहुँच गया।
3. भारत वैश्विक वैक्सीन उत्पादन में 10% से भी कम का योगदान देता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a. केवल 1 और 2
b. केवल 2 और 3
c. केवल 1 और 3
d. 1, 2 और 3

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

Q1. भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण कीजिए। (150 शब्द)

Q2. भारत का लक्ष्य विझिंजम जैसे बंदरगाहों के माध्यम से एक प्रमुख ट्रांसशिपमेंट केंद्र बनना है। इस लक्ष्य से जुड़े अवसरों और चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द)

4. सुरक्षा (Security)

विषय सूची

4.1. भारत का नया सुरक्षा सिद्धांत (INDIA'S NEW SECURITY DOCTRINE) . . . 85

4.2. राज्य प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत के कूटनीतिक प्रयास (INDIA'S DIPLOMATIC OUTREACH AGAINST STATE SPONSORED TERRORISM) . . . 86

4.3. रक्षा प्रौद्योगिकी और ऑपरेशन सिंदूर (DEFENSE TECHNOLOGY AND OPERATION SINDOOR) . . . 87

4.4. जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद (TERRORISM IN JAMMU AND KASHMIR) . . . 89

4.5. ब्रह्मोस एयरोस्पेस परीक्षण सुविधा का शुभारंभ (BRAHMOS AEROSPACE TESTING FACILITY LAUNCHED) . . . 90

4.6. भारत का रक्षा निर्यात (INDIA'S DEFENCE EXPORTS) . . . 91

4.7. सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर्स और राष्ट्रीय सुरक्षा (SOCIAL MEDIA INFLUENCERS' AND NATIONAL SECURITY) . . . 92

4.8. जैविक हथियार अभिसमय (BIOLOGICAL WEAPONS CONVENTION: BWC) . . . 93

4.9. क्रिप्टोकरेंसी और हवाला गठजोड़ (CRYPTOCURRENCY HAWALA NEXUS) . . . 94

4.10. राष्ट्रीय सुरक्षा में क्वांटम कंप्यूटिंग की भूमिका (ROLE OF QUANTUM COMPUTING IN NATIONAL SECURITY) . . . 95

4.11. नक्सलवाद (NAXALISM) . . . 96

4.12. गोल्डन डोम (GOLDEN DOME) . . . 97

4.13. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS) . . . 99

4.14. अपने ज्ञान का परीक्षण कीजिए (TEST YOUR LEARNING) 103

4.1. भारत का नया सुरक्षा सिद्धांत (INDIA'S NEW SECURITY DOCTRINE)

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत के प्रधान मंत्री ने **भारत के नए सुरक्षा सिद्धांत** की रूपरेखा प्रस्तुत की। यह सिद्धांत आतंकवाद के खिलाफ भारत के नजरिये में एक व्यापक बदलाव को दर्शाता है।

भारत के सुरक्षा सिद्धांत में प्रमुख बदलाव

- **ऑपरेशन सिंदूर** भारत के **राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत** में निर्णायक बदलाव का सूचक है। **नया सुरक्षा सिद्धांत निम्नलिखित तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित है:**

भारत का सुरक्षा सिद्धांत: राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तीन रणनीतिक स्तंभ

निर्णायक प्रतिशोध

विवरण	बदलाव और महत्त्व
भारत पर हुए किसी भी आतंकवादी हमले का **मजबूती से और निर्णायक जवाब** दिया जाएगा। भारत **आतंकवाद के मूल ढांचे** को निशाना बनाकर हमला करेगा।	भारत ने बड़े आतंकवादी हमले को रोकने के लिए **जवाबी कार्रवाई की अपनी सहन-सीमा के स्तर को कम** कर दिया है। इससे आतंकवाद का समर्थन करने वाले पक्ष को भी व्यापक आर्थिक व सैन्य क्षति का सामना करना पड़ेगा।

परमाणु हमले की धमकी के प्रति 'जीरो टॉलरेंस'

विवरण	बदलाव और महत्त्व
भारत परमाणु हमले की धमकियों से डरने वाला नहीं है। इस बहाने आश्रय लेने वाले आतंकी ठिकानों पर सटीक और निर्णायक हमले किए जाएंगे।	यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि **भारत की आत्मरक्षा की नीति को परमाणु हमले की धमकियों से नहीं रोका जा सकता।** यह भारत की पहले की **संयमपूर्ण नीति** से पूर्णतया भिन्न है।

आतंकवाद के समर्थकों और आतंकवादियों के बीच कोई भेद नहीं किया जाएगा

विवरण	बदलाव और महत्त्व
भारत **आतंकवादियों और उन्हें आश्रय देने वाली सरकारों को एक ही नजरिए** से देखेगा।	राज्य-प्रायोजित आतंकवाद को प्रॉक्सी (छद्म) अभिकर्ताओं के माध्यम से **युद्ध के राज्य-अनुमोदित कृत्य** के रूप में स्थापित करता है।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के सुरक्षा सिद्धांत के अन्य प्रमुख आयाम

- **दंडात्मक प्रतिरोध:** 'डिटरेंस बाय डिनायल' से दंडात्मक रणनीति की ओर बदलाव।
- **आर्थिक उपाय:** भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया।
- **भू-राजनीतिक संदेश:** भारत के आतंकवाद विरोधी रुख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए सात उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों को भेजा गया।
- **सामरिक अक्षमता:** ग्यारह पाकिस्तानी वायुसेना अड्डों पर हमले किए।
- **समन्वित और तकनीक-आधारित प्रतिक्रिया:** ड्रोन वारफेयर सहित स्वदेशी उच्च-तकनीकी प्रणालियों का निर्बाध एकीकरण।
- **तनाव कम करने की रणनीति:** इसका उद्देश्य पारंपरिक संघर्ष को सीमित करते हुए दंडात्मक नुकसान पहुंचाना और इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालना था।

निष्कर्ष

ऑपरेशन सिंदूर भारत के सैन्य विकास में एक **युगांतकारी क्षण** दर्शाता है। सीमा-पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई उसके रुख में एक स्पष्ट बदलाव को चिह्नित करती है, जिसने **प्रतिरोध को कार्यान्वित करके और आतंकी ठिकानों को निष्क्रिय करके एक परिष्कृत अभियान चलाया है। यह अभियान दक्षिण एशियाई संघर्ष की गतिशीलता को फिर से परिभाषित** करता है।

4.2. राज्य प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत के कूटनीतिक प्रयास (INDIA'S DIPLOMATIC OUTREACH AGAINST STATE SPONSORED TERRORISM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने **पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान-प्रायोजित सीमा-पार आतंकवाद को लक्षित करते हुए एक वैश्विक राजनयिक अभियान** शुरू किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत ने **30 से अधिक देशों में उच्च स्तरीय बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल** भेजे। इनमें अलग-अलग राजनीतिक दलों के **संसद सदस्य, वरिष्ठ राजनेता और अनुभवी राजनयिक** शामिल थे।
- इन प्रतिनिधिमंडलों का कार्य पाकिस्तान द्वारा प्रस्तुत किए गए 'दो-राष्ट्र सिद्धांत' पर आधारित विचारधारा का खंडन करना था। **कोलंबिया** ने अपने पिछले बयान को वापस लेते हुए भारत के आतंकवाद विरोधी रुख का समर्थन किया।

कूटनीतिक प्रयास के प्रमुख उद्देश्य

- **कश्मीर मुद्दे को फिर से परिभाषित करना:** कश्मीर को भारत का आंतरिक संवैधानिक विषय बताते हुए इसे द्विपक्षीय मुद्दा मानने से इनकार करना।
- **आतंकवाद को राज्य की नीति के रूप में उजागर करना:** यह बताना कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद-विरोधी मानदंडों के समक्ष एक वैश्विक खतरा भी है।

राज्य प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की वैश्विक पहुंच की प्रभावशीलता

- **आत्मरक्षा को वैध बनाना:** भारत ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 का आह्वान किया। इसने सशस्त्र आक्रामकता के खिलाफ एक कानूनी प्रतिक्रिया के रूप में ऑपरेशन सिंदूर को उचित ठहराया।
- **आतंक पर शून्य-सहिष्णुता नीति के लिए समर्थन:** भारत ने संयुक्त राष्ट्र में **अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (CCIT)** को अपनाने की अपनी मांगों को नवीनीकृत किया।
- **वैश्विक समर्थन का निर्माण:** संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, इजरायल और जापान जैसी प्रमुख शक्तियों ने पहलगाम हमले की निंदा की।
- **मुस्लिम-बहुल राष्ट्रों से समर्थन हासिल करना: इंडोनेशिया, मिस्र और बहरीन ने इस्लामी सहयोग संगठन** में पाकिस्तान के भारत-विरोधी प्रयासों को विफल कर दिया।
  - OIC में 57 सदस्य देश हैं और यह संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन है।

वैश्विक कूटनीतिक पहुंच से दीर्घकालिक प्रभाव की उम्मीद

- **भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूती:** इसमें भारत को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जो **अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के भीतर आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से कार्य** कर रहा है।
- **पाकिस्तान को अलग-थलग करना:** यह कदम **आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को एक सख्त चेतावनी संकेत** देता है। इससे उसका कूटनीतिक अलगाव होगा और उसकी वैश्विक छवि को भी गंभीर आघात पहुंचेगा।
- **आतंकवाद-रोधी अभियान में नेतृत्व:** यह **आतंकवाद-रोधी अभियान और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों** पर एजेंडा तय करने में भारत की भूमिका को बढ़ावा देता है।

राज्य प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत के कूटनीतिक प्रयासों में मुख्य बाधाएं

- **भारत और पाकिस्तान का री-हाइफनेशन:** वैश्विक मंच पर विशेष रूप से कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत और पाकिस्तान को एक बार फिर एक ही संदर्भ में देखा जाने लगा है। उदाहरण के लिए- ट्रम्प द्वारा संघर्ष विराम की मध्यस्थता करने का दावा।
- **समन्वित वैश्विक कार्रवाई का अभाव:** राज्य प्रायोजित आतंकवाद पर साक्ष्यों के बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ कोई संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई (जैसे प्रतिबंध या प्रस्ताव) नहीं की गई है।
- **पाकिस्तान को कूटनीतिक लाभ:** चीन के समर्थन से पाकिस्तान को UNSC की तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष और आतंकवाद-रोधी समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है।
- **वैश्विक वित्तीय निकायों में भारत का सीमित प्रभाव:** भारत की आपत्तियों के बावजूद, पाकिस्तान को बड़े ऋण प्राप्त हुए।
- **द्विपक्षीय समर्थन:** चीन और तुर्किये समर्थन कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत के कूटनीतिक प्रयासों को विफल करने के लिए विदेशों में राजनयिक प्रतिनिधिमंडल भी भेजे थे।

* **वैश्विक मीडिया द्वारा अधिक ध्यान न देना:** मौजूदा वैश्विक संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने विवाद पर कम ध्यान दिया। इससे पाकिस्तान को अपनी स्थिति को मजबूत करने का अवसर मिला।

निष्कर्ष

भारत द्वारा संप्रभु विशेषाधिकार का प्रतिपादन सामरिक परिपक्वता को दर्शाता है। वैश्विक व्यवस्था समझौते से अधिक स्पष्टता का सम्मान करती है। यह विवाद नक्शों में नहीं, बल्कि मस्तिष्कों में होगा, और बातों में स्पष्टता यह तय करेगी कि भविष्य किसके हाथ में जाएगा। भारत के सामने चुनौती केवल लड़ाइयाँ जीतने की नहीं, बल्कि अपनी कहानी का स्वामी बनने की है, क्योंकि जो पक्ष प्रश्न गढ़ता है, वही अक्सर उत्तर को नियंत्रित करता है।

4.3. रक्षा प्रौद्योगिकी और ऑपरेशन सिंदूर (DEFENSE TECHNOLOGY AND OPERATION SINDOOR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने अपनी **हवाई क्षेत्र क्षमताओं के माध्यम से सैन्य अभियानों में तकनीकी श्रेष्ठता को प्रदर्शित** किया।

ऑपरेशन सिंदूर को सक्षम बनाने वाली प्रमुख रक्षा प्रौद्योगिकियां

भारत की हवाई क्षेत्र निगरानी प्रणालियां

भारत की रक्षा प्रणालियों में
उन्नत एकीकृत कमान एवं नियंत्रण नेटवर्क्स

भारतीय वायुसेना की {एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणाली (IACCS)}
* यह एक **स्वचालित प्रणाली** है, जो सभी वायु रक्षा परिसंपत्तियों जैसे **भूमि आधारित रडार्स, हवाई सेंसर्स, सिविल रडार्स आदि से प्राप्त डेटा** को एकीकृत करती है।
  - यह **युद्ध क्षेत्र की पूरी तस्वीर के बारे में सटीक जानकारी** प्रदान करती है।
* इसे **BEL ने विकसित** किया है।

बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) नेटवर्क का मिशन कंट्रोल सेंटर (MCC)
* यह **स्वोर्डफ़िश रडार सहित 500 कि.मी. से अधिक की रेंज वाले लॉन्ग-रेंज ट्रैकिंग रडार (LRTR)** नेटवर्क के माध्यम से भारतीय हवाई क्षेत्र की निगरानी करता है।
* यह **ELM-2090 टेरा सिस्टम्स, Netra AEW&C (200 कि.मी. तक की रेंज), तथा फाल्कन AWACS (400 कि.मी. तक की रेंज)** से डेटा प्राप्त करता है।

भारतीय थल सेना की 'आकाशतीर' प्रणाली
* यह **स्वचालित प्रणाली** है। इसे शत्रु देश के **ड्रोन्स, मिसाइलों, हवाई वाहनों आदि को रोकने एवं निष्क्रिय** करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
* यह **कम ऊंचाई वाले हवाई क्षेत्र की स्वायत्त निगरानी** को सक्षम बनाती है।
* इसे **BEL** ने विकसित किया है।

भारतीय नौसेना की 'त्रिगुण/ TRIGUN' प्रणाली
* यह **समुद्री डोमेन जागरूकता मंच** है। यह समुद्र-आधारित रडार, सोनार और संचार नोड्स को एकीकृत करता है। इससे **रियल टाइम में खतरों** का पता लगाया जा सकता है।

NavIC के माध्यम से उपग्रह निगरानी (नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन)
* इसरो द्वारा विकसित यह प्रणाली **अवस्थिति, वेग और समय** संबंधी सेवाएं प्रदान करती है। इसमें **7 सैटेलाइट्स** शामिल हैं।
* ये सैटेलाइट्स **ड्यूल बैंड सिग्नल (L5 और S-बैंड)** से लैस हैं। **L5 सिग्नल सैन्य उपयोग** के लिए एन्क्रिप्टेड है।

भारत की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली

भारत की वायु रक्षा प्रणाली चार परतों से बनी है।

भारत की बहु-स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली

पहला स्तर: काउंटर-ड्रोन और मैन-पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम (MANPADS) → **दूसरा स्तर:** पॉइंट एयर डिफेंस और कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें → **तीसरा स्तर:** मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें → **चौथा स्तर:** लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें

प्रत्येक परत के प्रमुख घटक

पहली परत (अत्यंत कम दूरी)

- **डी4 एंटी-ड्रोन सिस्टम:** DRDO द्वारा विकसित, दोहरी मारक क्षमता से युक्त (हार्ड किल: लेजर; सॉफ्ट किल: RF डिटेक्शन और जैमिंग)।
- **MANPADS:** व्यक्तियों द्वारा संचालित रूसी इग्ला-M और इग्ला-S सतह-से-हवा में मार करने वाली मिसाइलें।
- **शिल्का सिस्टम:** 360-डिग्री कवरेज के साथ स्व-चालित रडार-निर्देशित विमान भेदी हथियार।
- **Zu-23 mm प्रणाली:** हवाई लक्ष्यों के लिए 2.5 किमी की मारक क्षमता वाली ट्विन बैरल एंटी-एयरक्राफ्ट गन ।
- **L/70 एंटी-एयरक्राफ्ट गन:** भारत में निर्मित 40 mm बोफोर्स गन, 240-330 राउंड प्रति मिनट, 4 किमी की मारक क्षमता आदि।

दूसरी परत (कम दूरी)

- **आकाश:** DRDO द्वारा विकसित SRSAM, जिसकी 30-35 किमी की मारक क्षमता है। यह एक साथ कई लक्ष्यों को भेद सकती है।
- **स्पाइडर:** पाइथन-5 और डर्बी मिसाइलों के साथ इजरायली निम्न-स्तरीय SAM प्रणाली, जिसकी मारक क्षमता 35 किमी है।
- **लिगेसी सोवियत सिस्टम्स:** S-125 पेचोरा, 9K33 Osa-AK, और 2K12 क्यूब/Kvadrat.

तीसरी परत (मध्यम दूरी)

- **बराक-8:** भारत-इजरायल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित प्रणाली, जो नौसैनिक LRSAM (100 किमी रेंज) और MRSAM (70 किमी रेंज) संस्करणों में उपलब्ध है।

चौथी परत (लंबी दूरी)

- **S-400 सुदर्शन चक्र:** चार प्रकार की मिसाइलों (40-400 किमी मारक क्षमता) वाली रूसी प्रणाली, जो 30 किमी की ऊंचाई तक के सभी हवाई लक्ष्यों को भेद सकती है।
- **BMD कार्यक्रम:** बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए दो-स्तरीय प्रणाली, जिसमें PAD (80 किमी की ऊंचाई) और AAD (30 किमी की ऊंचाई) शामिल हैं, जिनकी मारक क्षमता 2,000 किमी तक है।

अन्य हथियार प्रणालियां जिनका संभावित रूप से उपयोग किया गया

हथियार	विवरण
ब्रह्मोस मिसाइल	भारत-रूस की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल (2-3 मैक गति), 290 किमी मारक क्षमता, जो अचूक सटीकता के साथ 'दागो और भूल जाओ' के सिद्धांत पर काम करती है।
राफेल हथियार प्रणालियां	फ्रांसीसी लड़ाकू जेट विमान, SCALP क्रूज मिसाइलों (450 किमी रेंज), AASM HAMMER बमों (70 किमी रेंज), और मीटियोर हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस।
ड्रोन्स	**भारत द्वारा उपयोग किए जाने वाले ड्रोन के प्रकार** **निगरानी और टोही ड्रोन (ISR Drones):** इन ड्रोन्स का उपयोग मुख्य रूप से खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी और टोही उद्देश्यों के लिए किया जाता है। **भारत के पास:** ▪ **TAPAS-BH-201** (टैक्टिकल एडवांस्ड प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस) ▪ **रुस्तम** (DRDO द्वारा विकसित) ▪ **हेरोन** (इजरायल से) **सशस्त्र/ लड़ाकू ड्रोन (UCAVs):** मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन (UCAVs) मिसाइलें लॉन्च करने या बम गिराने में सक्षम हैं। **भारत के पास:** ▪ **DRDO का घातक** (विकास के चरण में है) ▪ **हेरोन TP** (इजरायल से) **स्वार्म ड्रोन्स:** ▪ दुश्मन की सुरक्षा को ध्वस्त करने के लिए कई ड्रोन्स समन्वय में काम करते हैं। ▪ DRDO और कई निजी कंपनियां स्वार्म ड्रोन तकनीक पर काम कर रही हैं। **लोइटरिंग एरियल म्यूनिशन (LAM) या कामिकेज़ ड्रोन या आत्मघाती ड्रोन (लक्ष्य पर जाकर क्रैश)** इन ड्रोन को लक्ष्य क्षेत्र पर मंडराते रहने और लक्ष्य की पहचान होने पर हमला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। **भारत के पास:** ▪ **नागास्त्र** (सोलर इंडस्ट्रीज और ZMotion द्वारा निर्मित) ▪ **वार्मेट** (पोलिश मूल) ▪ **स्काईस्ट्राइकर** (इजरायल के सहयोग से विकसित)

निष्कर्ष

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, भारत की **स्वदेशी वायु रक्षा तकनीक ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी, नवाचार प्रोत्साहन, सार्वजनिक क्षेत्रक के सशक्त कार्यान्वयन और दीर्घकालिक रक्षा दृष्टिकोण के संयोजन के माध्यम से अपनी दक्षता एवं विश्वसनीयता** का प्रदर्शन किया था।

4.4. जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद (TERRORISM IN JAMMU AND KASHMIR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन **लश्कर-ए-तैयबा (LeT)** से जुड़े संगठन **द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF)** ने जम्मू और कश्मीर के **पहलगाम स्थित बैसरन घाटी** में 26 पर्यटकों की हत्या कर दी।

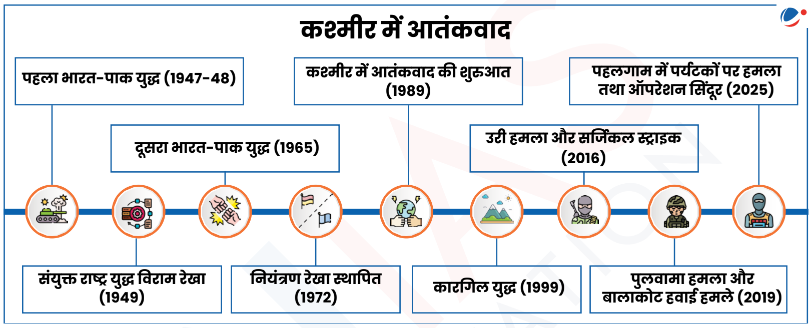

अन्य संबंधित तथ्य

- **भारत ने: सिंधु जल संधि को निलंबित** कर दिया, **अटारी में एकीकृत चेक पोस्ट को बंद** कर दिया, **पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीज़ा छूट योजना को रद्द** कर दिया, **पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीज़ा सेवाओं को निलंबित** कर दिया है आदि।
- **सैन्य कार्रवाई:** भारत ने **"ऑपरेशन सिंदूर"** के तहत **पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK)** के अंदर **9 स्थानों पर सटीक हवाई हमले** भी किए। इसमें जम्मू-कश्मीर और भारत के अन्य हिस्सों में हमलों में शामिल **LeT, JeM** और अन्य पाकिस्तान समर्थित प्रॉक्सी आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया।

कश्मीर आतंकवाद में हालिया रुझान:

- **आतंकवाद में कमी:** गृह मंत्रालय की 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार, 2019 से जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हमलों में लगातार कमी आई है। साथ ही, पर्यटन और अवसंरचना में वृद्धि हुई है, जिससे स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा मिला है।
- **विशेषज्ञ विश्लेषण:** हालिया हमलों का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर की विकास यात्रा को बाधित करना और पूरे भारत में सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करना था।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के पीछे के कारक

- **बाह्य कारक:**
  - **पाकिस्तान का प्रॉक्सी युद्ध:** लश्कर, जैश, हिजबुल मुजाहिदीन और TRF जैसे आतंकी समूहों को राज्य द्वारा समर्थन (प्रशिक्षण, हथियार व सुरक्षित ठिकाने)।
  - **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असहमति:** असंगत अंतर्राष्ट्रीय दबाव; चीन द्वारा UNSC में वीटो के जरिये पाकिस्तान का बचाव।
  - **वैश्विक वैचारिक प्रभाव:** अंतरराष्ट्रीय जिहादी नेटवर्क (ISIS व हमास संबंध) कट्टरता को बढ़ावा देते हैं।
  - **छिद्रिल सीमाएं:** नियंत्रण रेखा के दुर्गम भूभाग से आतंकवादियों और हथियारों की आवाजाही को संभव बनाती हैं।
- **आंतरिक कारक:**
  - **कट्टरता:** ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म (टेलीग्राम, यूट्यूब) और स्थानीय नेटवर्क के जरिए युवाओं को कट्टरपंथी बनाते हैं।
  - **राजनीतिक अलगाव:** AFSPA को लेकर शिकायतों और प्रतिनिधित्व की कमी के कारण अलगाववादी भावनाएं और गहरी हुई हैं।
  - **आर्थिक चुनौतियां:** उच्च बेरोज़गारी युवाओं को आतंकी समूहों द्वारा भर्ती के प्रति संवेदनशील बनाती हैं।
  - **ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGWs) की भूमिका:** वे धन प्रबंधन, भर्ती और प्रचार के ज़रिए आतंकवाद को बनाए रखते हैं।
  - **आतंकवाद का वित्त-पोषण:** अलगाववादी समूह (हुर्रियत, JKLF) स्थानीय आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तानी हवाला धन का उपयोग करते हैं।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से निपटने में चुनौतियां

- **हाइब्रिड और वर्चुअल आतंकवादी संगठन:**
  - **हाइब्रिड आतंकवादी:** असूचीबद्ध व आत्म-कट्टरपंथी व्यक्ति जो समाज में घुलमिलकर हमले करते हैं।
  - **वर्चुअल आतंकवादी समूह: जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स और TRF** जैसे समूह लश्कर के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य करते हैं।
- **छिद्रिल सीमाएं:** दुर्गम भूभाग के कारण घुसपैठ एवं तस्करी को सक्षम बनाती है।
- **पाकिस्तान का सूचना युद्ध:** उदाहरण के लिए- भारत विरोधी दुष्प्रचार हेतु सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है।

* **खुफिया तंत्र की खामियां:** केंद्रीय, राज्य और स्थानीय एजेंसियों के बीच समन्वय में कमी के कारण आतंकवाद विरोधी प्रतिक्रियाओं में देरी होती है।
* **विकसित होती तकनीक:** आतंकवादी ड्रोन, एन्क्रिप्टेड ऐप और उन्नत हथियारों का इस्तेमाल करते हैं।
* **बदलती रणनीति:** बड़े पैमाने पर हमले करने की बजाय लक्षित हत्याओं तथा पर्यटकों जैसे आसान लक्ष्यों पर हमले करना शुरू कर दिया है।

जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद से निपटने के लिए उठाए गए कदम

* **आतंकी संगठनों और उनके नेटवर्क पर कार्रवाई:** उदाहरण के लिए- सर्जिकल स्ट्राइक (2019 पुलवामा, ऑपरेशन सिंदूर 2025 आदि); ऑपरेशन ऑल-आउट (2017); जमात-ए-इस्लामी (**OGW**) पर प्रतिबंध लगाना; ऑपरेशन सद्भावना के माध्यम से पुनर्वास, आदि।
* **विकासात्मक कदम: हिमायत** (कौशल विकास) और **उम्मीद** (महिला सशक्तीकरण); अवसंरचना संबंधी परियोजनाएं। उदाहरण के लिए- **चेनाब ब्रिज और वंदे भारत ट्रेनों** का संचालन।
* **कूटनीतिक: IMF से पाकिस्तान को अपने सहायता कार्यक्रम की समीक्षा** करने और FATF से पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डालने का निवेदन करना; आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका को वैश्विक मंचों पर उजागर करने के लिए **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति का लाभ** उठाया जा रहा है।
* **राजनीतिक:** अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, प्रतिनिधि सरकार के लिए परिसीमन की प्रक्रिया तथा स्थानीय शासन और समय पर चुनाव।
* **सीमा-पार से आतंकवादी घुसपैठ से निपटना:** स्मार्ट बॉर्डर टेक्नोलॉजी, उदाहरण के लिए- लेजर फेंसिंग, ड्रोन, आदि।

आगे की राह

* **खुफिया तंत्र को मजबूत करना: अंतर-एजेंसी समन्वय को बढ़ाना** तथा AI-संचालित विश्लेषण में निवेश करना; **TECHINT (तकनीकी बुद्धिमत्ता)** के पूरक के रूप में **HUMINT (मानव बुद्धिमत्ता)** को मजबूत करना आदि।
* **सीमा सुरक्षा:** LoC पर स्मार्ट फेंसिंग आदि में तेजी लाना **(मधुकर गुप्ता समिति की सिफारिशों के अनुसार)**; निर्बाध संचालन के लिए अंतर-एजेंसी समन्वय में सुधार करना आदि।
* **डी-रेडिकलाइजेशन कार्यक्रम: चरमपंथी व्याख्याओं से निपटने** के लिए स्थानीय पहलों को बढ़ावा देना, जैसे कि शिक्षा।
* **आर्थिक विकास:** रोजगार सृजन और **पर्यटन को बढ़ावा देने** को प्राथमिकता देना।
* **राजनीतिक प्रक्रिया: स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से** समावेशी शासन-व्यवस्था सुनिश्चित करना।
* **अंतर्राष्ट्रीय दबाव: पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए UNSC और FATF** जैसे मंचों का उपयोग करना।

4.5. ब्रह्मोस एयरोस्पेस परीक्षण सुविधा का शुभारंभ (BRAHMOS AEROSPACE TESTING FACILITY LAUNCHED)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, रक्षा मंत्री ने **उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ब्रह्मोस एयरोस्पेस परीक्षण सुविधा** का उद्घाटन किया।

अन्य संबंधित तथ्य

* इस परीक्षण सुविधा के साथ, एक **ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन इकाई** का भी उद्घाटन किया गया।
* ये इकाइयां **उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे** का हिस्सा हैं।

रक्षा औद्योगिक गलियारों के बारे में

रक्षा सामग्री के विनिर्माण को मजबूत करने और रक्षा क्षेत्रक को बढ़ावा देने के लिए, दो रक्षा औद्योगिक गलियारे स्थापित किए जा रहे हैं, एक **उत्तर प्रदेश में और दूसरा तमिलनाडु** में।

* **उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा**
  * **इसमें 6 नोडल बिंदु शामिल हैं:** आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ।
* **तमिलनाडु रक्षा गलियारा: इसमें 5 नोडल बिंदु शामिल हैं:** चेन्नई, कोयंबटूर, होसुर, सेलम और तिरुचिरापल्ली।
* **रक्षा औद्योगिक गलियारों का महत्त्व:** मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता; घरेलू विनिर्माण; रोजगार सृजन; तथा निर्यात सुविधा।

ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में

* यह **लंबी दूरी की एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल** प्रणाली है। इसे **जमीन, समुद्र और हवा** से दागा जा सकता है।
* इसे **भारत के DRDO और रूस के NPOM** के बीच एक संयुक्त उपक्रम **ब्रह्मोस एयरोस्पेस** ने विकसित किया है।

मुख्य विशेषताएं:

- प्रकार: यूनिवर्सल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल (भूमि, समुद्र, वायु से प्रक्षेपण-सक्षम)।
    - **सामान्य गति 2 से 3 मैक है (1 मैक = ध्वनि की गति)।**
- **ब्रह्मोस एयरोस्पेस** (DRDO-भारत और NPOM-रूस संयुक्त उद्यम) द्वारा विकसित।
    - ब्रह्मोस का नाम **ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा** नदियों के नाम पर रखा गया है।

विशेषताएं

- **दो चरणों वाली मिसाइल: ठोस प्रणोदक बूस्टर इंजन** (सुपरसोनिक गति तक ले जाता है) तथा **लिक्विड रैमजेट इंजन** (3 मैक गति पर क्रूज़)।
- **रेंज- 290 कि.मी.** तक।
- **दागो और भूल जाओ सिद्धांत:** स्वायत्त निर्देशन के साथ अलग-अलग प्रकार के प्रक्षेप-पथों को अपनाती है।
- **संस्करण: ब्रह्मोस-एनजी:** हल्का, छोटा और फिर भी स्मार्ट संस्करण। **ब्रह्मोस-II:** हाइपरसोनिक (5 मैक से अधिक की गति)।

ब्रह्मोस मिसाइल का महत्व

- **उच्च गति और सटीकता:** उच्च सुपरसोनिक गति (मैक- 2.8 से 3.0) और अचूक सटीकता।
- **स्टील्थ विशेषता:** कम रडार सिग्नेचर और यह 10 मीटर जितनी कम ऊँचाई पर उड़ान भर सकती है।
- **रक्षा आत्मनिर्भरता:** 200 से अधिक सार्वजनिक और निजी भारतीय उद्योग इसकी उप-प्रणालियों में योगदान करते हैं।
- **रक्षा निर्यात:** ब्रह्मोस की खरीद करने वाला फिलीपींस पहला देश बना।
- **अन्य मिसाइलों से तुलना:**

विशेषताएं	ब्रह्मोस (भारत-रूस)	टॉमहॉक (अमेरिका)	कैलिबर (रूस)	किंजल (रूस)	स्कैल्प (फ्रांस)
गति	सुपरसोनिक (2-3 मैक)	सबसोनिक (मैक 0.7–0.9)	सबसोनिक (लक्ष्य के पास मैक 2.5 तक बूस्ट)	हाइपरसोनिक (10 मैक तक)	सबसोनिक (लगभग मैक 0.8)
रेंज	290 कि.मी. (800 कि.मी. तक विस्तार योग्य)	1,250–2,500 कि.मी.	220-2,500 कि.मी.	1,500-2,000 कि.मी.	140 -550 कि.मी.
लॉन्च प्लेटफॉर्म	जमीन, समुद्र, हवा	जमीन, समुद्र, पनडुब्बियां	समुद्र, पनडुब्बी, हवा	हवा	हवा, जहाज, पनडुब्बी

निष्कर्ष

ब्रह्मोस एयरोस्पेस परीक्षण सुविधा का उद्घाटन **भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने और देश को वैश्विक रक्षा निर्यात परिदृश्य में एक प्रमुख अभिकर्ता के रूप में स्थापित** करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है।

4.6. भारत का रक्षा निर्यात (INDIA'S DEFENCE EXPORTS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का **रक्षा निर्यात 23,622 करोड़ रुपये (लगभग 2.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के रिकॉर्ड उच्च स्तर** पर पहुंच गया।

भारत के रक्षा निर्यात उपकरण

- **फिलीपींस:** ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल।
- **मॉरीशस:** एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ALH), डोर्नियर Do-228 विमान आदि।
- **फ्रांस:** रक्षा क्षेत्रक में सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण।
- **आर्मेनिया:** आकाश एयर डिफेंस मिसाइल, पिनाका मल्टी-लॉन्च रॉकेट सिस्टम, आर्टिलरी गन, स्वाथी वेपन लोकेटिंग रडार आदि।
- **अमेरिका:** विमान और हेलीकॉप्टर के पुर्जे।

भारत का रक्षा निर्यात

23,622 करोड़ रुपये
कुल निर्यात (2024-25)

64.5%
निजी क्षेत्रक का योगदान

1,09,997 करोड़ रुपये
संचयी रूप से (2015-2025)

42.85%
DPSUs की वृद्धि

लक्ष्य 2029
50,000 करोड़ रुपये

शीर्ष खरीदार (100 से अधिक देशों)
संयुक्त राज्य अमेरिका
फ्रांस
आर्मेनिया

प्रमुख निर्यात
मिसाइल
आर्टिलरी
नौसैनिक प्लेटफॉर्म
हल्के लड़ाकू विमान (LCA) तेजस

रक्षा निर्यात में सुधार हेतु शुरू की गई पहलें

- **रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX): 2018** में लॉन्च किया गया, जिसमें MSMEs, स्टार्ट-अप्स और शिक्षाविदों को शामिल किया गया।
- **रक्षा औद्योगिक गलियारे (DIC): उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु** में स्थापित किए गए हैं।
- **रक्षा क्षेत्रक में व्यवसाय करने में सुगमता:** औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रक्रिया का सरलीकरण, निर्यात प्राधिकार प्रदान करने के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) का सरलीकरण।
- **उदारीकृत FDI नीति:** 2020 में उदारीकृत तथा **स्वचालित मार्ग से 74% तक FDI और सरकारी मार्ग से 74% से अधिक** की अनुमति दी गई है; 2000 से कुल FDI 5,516.16 करोड़ रुपये।
- **प्रौद्योगिकी विकास कोष (TDF):** MSMEs और स्टार्ट-अप्स सहित भारतीय उद्योगों को अनुदान सहायता प्रदान करना।
- **सृजन पोर्टल:** विक्रेताओं हेतु स्वदेशीकरण के अवसरों तक पहुँचने के लिए वन-स्टॉप ऑनलाइन पोर्टल।

भारत के रक्षा निर्यात में चुनौतियां

- रक्षा उपकरणों के लिए **महत्वपूर्ण घटकों हेतु आयात पर निर्भरता।**
- AI संचालित सिस्टम सहित उन्नत प्रौद्योगिकियों के लिए **अनुसंधान एवं विकास का अभाव।**
- **संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे स्थापित वैश्विक अभिकर्ताओं** से कड़ी प्रतिस्पर्धा।
- **खरीद और अनुमोदन** में नौकरशाही संबंधी बाधाएं।

आगे की राह

- अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण-पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका के बाजारों में **संपूर्ण रक्षा प्रणालियों के निर्यात को बढ़ावा देना** चाहिए।
- ऑस्ट्रेलिया, UAE, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया जैसे **उभरते रक्षा केंद्रों के साथ साझेदारी** बनानी चाहिए।
- प्रमुख देशों में **विदेशी कार्यालयों के माध्यम से उपस्थिति का विस्तार** करना चाहिए।
- लघु विनिर्माताओं को **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में शामिल होने और ऑफसेट दायित्वों को पूरा करने की क्षमताओं को बढ़ाना** चाहिए।
- **घटकों और उप-प्रणालियों** के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का हिस्सा बनने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

4.7. सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर्स और राष्ट्रीय सुरक्षा (SOCIAL MEDIA INFLUENCERS' AND NATIONAL SECURITY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, हरियाणा की एक **यूट्यूब व्लॉगर/ इन्फ्लुएंसर को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार** किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर **ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा 3 और 5 तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152** के तहत मामला दर्ज किया गया है।
  - BNS की धारा 152 **'भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों'** से संबंधित है।

ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1923 (OSA) के बारे में

- **उद्देश्य:** राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में सरकार की निजता और गोपनीयता की रक्षा करना।
- **लागू होना:** यह कानून **संपूर्ण भारत में लागू** है। किसी भी विभाग के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों, संविदा पर कार्यरत व्यक्तियों या सरकार की ओर से नियुक्त कर्मचारियों और विदेशों में कार्यरत भारतीय नागरिकों पर भी यह लागू है।

OSA, 1923 की महत्वपूर्ण विशेषताएं

- यह कानून **जासूसी, राजद्रोह और राष्ट्रीय अखंडता** के समक्ष खतरों से संबंधित है।
- RTI अधिनियम, 2005 की **धारा 22** RTI अधिनियम को OSA और अन्य कानूनों पर वरीयता देती है।
- RTI अधिनियम की **धारा 8(2)** खुलासा करने की अनुमति देती है, यदि लोक हित नुकसान से अधिक महत्वपूर्ण हो।
- **धारा 8(1)** अनिवार्य सूचना के प्रकटीकरण से छूटों को सूचीबद्ध करती है।

महत्वपूर्ण धाराएं:

- **धारा 3:** जासूसी गतिविधियों, जैसे प्रतिबंधित क्षेत्रों तक पहुँचना या गुप्त कोड साझा करने के लिए दंड।
- **धारा 5:** गुप्त आधिकारिक जानकारी का गलत तरीके से संचार।

राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का खतरा

- **मनोवैज्ञानिक युद्ध:** जनमत को प्रभावित करने के लिए विदेशी-नेतृत्व वाली गलत सूचना फैलाना।
    - **उदाहरण:** चीन वैश्विक आलोचना का जवाब देने के लिए इन्फ्लुएंसर्स का उपयोग करता है।
- **जासूसी:** कुछ इन्फ्लुएंसर्स संवेदनशील डेटा लीक करते हैं; जैसे, ज्योति मल्होत्रा कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से जुड़ी है।
- **सामाजिक ध्रुवीकरण:** सरकार ने पश्चिम बंगाल में फर्जी खबरों और नफरत भरे भाषण के लिए 1,093 खातों को ब्लॉक कर दिया।
- **विदेशी प्रभाव:** खालिस्तान-समर्थक एकाउंट्स अलगाववादी प्रचार फैलाते हैं; भारत ने SFJ से संबंधों के कारण "पंजाब पॉलिटिक्स टीवी" पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- **आतंकी प्रचार:** कट्टरता फैलाने के लिए चरमपंथी यूट्यूब (जैसे- अनवर अल-अव्लकी) जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं।

प्रमुख शब्दावलियां

- **मनोवैज्ञानिक युद्ध:** दुश्मनों को गुमराह करने और उनका मनोबल गिराने के लिए प्रचार एवं गैर-लड़ाकू तकनीकों का नियोजित उपयोग।
- **दुष्प्रचार (Disinformation):** प्राप्तकर्ताओं को धोखा देने के इरादे से जानबूझकर फैलाई गई झूठी जानकारी।
- **गलत जानकारी (Misinformation):** धोखा देने के इरादे के बिना फैलाई गई झूठी जानकारी।

राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष इन्फ्लुएंसर्स के खतरे से निपटने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम

कानूनी ढांचा और नीतियां

- **आईटी अधिनियम, 2000:** धारा 69A सरकार को **राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक** करने की शक्ति प्रदान करती है।
- **आईटी नियम, 2021:** प्लेटफॉर्म को 36 घंटे के भीतर **गैर-कानूनी कंटेंट को हटाने** और संदेश के मूल स्रोत का पता लगाना आवश्यक है।
- **फैक्ट चेक यूनिट (FCU): फर्जी खबरों से निपटने** के लिए PIB के तहत एक आधिकारिक निकाय है।
- **नियमित जागरूकता:** सूचना की अनधिकृत लीक को रोकने के लिए सरकारी अधिकारियों नियमित रूप से **ऑफिसियल सीक्रेट्स एक्ट और केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम की जानकारी** दी जाती है।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रचार युद्ध से निपटना

- गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती राज्यों को सोशल मीडिया पर **राष्ट्र-विरोधी प्रचार पर कड़ी निगरानी** रखने का निर्देश दिया।
- राज्यों को धारा 69A के तहत झूठे नैरेटिव फैलाने वाले **सोशल मीडिया एकाउंट्स को ब्लॉक** करने का निर्देश दिया गया।
- सरकार ने जनता से **PIB फैक्ट चेक को फर्जी खबरों की रिपोर्ट** करने का आग्रह किया।

निष्कर्ष

भारत का बहु-स्तरीय दृष्टिकोण OSA को आधुनिक आईटी नियमों के साथ जोड़ता है। इससे एक ऐसा व्यापक ढांचा तैयार होता है, जो पारंपरिक जासूसी और इन्फ्लुएंसर नेटवर्क के माध्यम से उभरने वाले समकालीन डिजिटल खतरों दोनों से निपटता है।

4.8. जैविक हथियार अभिसमय (BIOLOGICAL WEAPONS CONVENTION: BWC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण मामलों के कार्यालय (UNODA) ने जैविक हथियार अभिसमय (BWC) की **50वीं वर्षगांठ** मनाई।

जैविक हथियार अभिसमय (BWC) के बारे में

- इसका औपचारिक नाम है- **"जीवाणुजन्य (जैविक) और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन एवं भंडारण पर प्रतिबंध तथा उनके विनाश पर अभिसमय।**
- **उत्पत्ति:** BWC पर **1969 से 1971 तक जेनेवा** में वार्ता हुई थी। **1972 में हस्ताक्षर** के लिए प्रस्तुत किया गया था और यह **26 मार्च, 1975** को लागू हुआ था।
- **सदस्यता: 188 सदस्य देशों और चार हस्ताक्षरकर्ता देश (मिस्र, हैती, सोमालिया और सीरिया)।** भारत ने **1974 में हस्ताक्षर** किए थे और **अनुसमर्थन** किया था। इसके **संचालन की समीक्षा** के लिए पक्षकार देश **लगभग हर 5 साल में बैठक** करते हैं।

BWC के बारे में मुख्य तथ्य

- यह **प्रथम बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि** है, जिसके तहत सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD) की एक पूरी श्रेणी पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- यह **जैविक हथियारों** के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, हस्तांतरण, भंडारण एवं उपयोग पर प्रभावी रूप से **प्रतिबंध** लगाता है। यह **1925 के जेनेवा**

प्रोटोकॉल (जैविक हथियारों के उपयोग से संबंधित) का पूरक है।

- प्रशासनिक सहायता के लिए एक **कार्यान्वयन सहायता इकाई (ISU)** गठित की गई है।
- **पांच देशों** (इजरायल, चाड, जिबूती, इरीट्रिया और किरिबाती) **ने न तो इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं और न ही इसे स्वीकार** किया है।

जैविक हथियार अभिसमय (BWC) को लागू करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम

- खतरनाक सूक्ष्म जीवों, आनुवंशिक रूप से संशोधित/ इंजीनियरड जीवों या कोशिकाओं का निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण नियम 1989 बनाए गए हैं।
- सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली (गैर-कानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 लागू किया गया है।
- विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी (SCOMET) सूची बनाई गई है।
- भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से BWC के अनुच्छेद VII के तहत सहायता की सुविधा के लिए एक डेटाबेस स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है।

BWC से संबंधित चुनौतियां

- **सत्यापन तंत्र का अभाव:** जैव विज्ञान की दोहरी- प्रकृति शांतिपूर्ण और आक्रामक अनुप्रयोगों के बीच अंतर करना मुश्किल बनाती है।
- **डेटा संग्रहण के संदर्भ में लागू करने योग्य कानूनी प्रावधान का अभाव:** यह BWC की राजनीतिक रूप से बाध्यकारी विश्वास-निर्माण उपाय (CBM) प्रस्तुतियों पर निर्भरता में योगदान देता है। CBM में राष्ट्रों की भागीदारी सीमित है (2022 में केवल 50% से अधिक सदस्य देशों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी)।
- **सीमित संस्थागत सहायता:** कार्यान्वयन सहायता इकाई (ISU) में कर्मचारियों की कमी है (2006 से केवल 4 कर्मचारी)।
- **राष्ट्रीय स्तर पर समुचित ढंग से क्रियान्वयन की कमी:** भारत के पास रासायनिक हथियार अभिसमय के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण (NACWC) तो है, लेकिन BWC के लिए समान रूप से केंद्रीकृत निकाय का अभाव है।

आगे की राह

- सत्यापन के लिए **मॉड्यूलर-इंक्रीमेंटल अप्रोच को लागू** करना चाहिए।
- चक्रानुक्रम आधारित विशेषज्ञ सत्यापन समूह की नियुक्ति में **स्थायी संस्थागत समर्थन का विस्तार** करना चाहिए।
- **सरलीकरण के लिए AI में हुई प्रगति** का उपयोग करके विश्वास-निर्माण उपाय प्रस्तुतीकरण को सार्वभौमिक बनाना चाहिए।
- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1540** के साथ एकीकृत करके गैर-राज्य अभिकर्ताओं से उत्पन्न होने वाले खतरों का समाधान करना चाहिए।

4.9. क्रिप्टोकरेंसी और हवाला गठजोड़ (CRYPTOCURRENCY HAWALA NEXUS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने एक जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि **बिटकॉइन ट्रेडिंग वास्तव में हवाला लेन-देन** का एक आधुनिक रूप है।

अन्य संबंधित तथ्य

- सुप्रीम कोर्ट ने भारत में **वर्चुअल करेंसी** की निगरानी के लिए स्पष्ट **विनियामक व्यवस्था नहीं होने पर चिंता व्यक्त की।**
- 2020 की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने **RBI के 2018** के उस सर्कुलर को रद्द कर दिया था, जिसमें बैंकों को वर्चुअल करेंसी से संबंधित सेवाएं प्रदान करने से प्रतिबंधित किया गया था।

क्रिप्टोकरेंसी और हवाला प्रणाली के बारे में

- **क्रिप्टोकरेंसी:** यह एक प्रकार की **डिजिटल या वर्चुअल मुद्रा** है, जिसमें लेनदेन को सुरक्षित रखने के लिए **क्रिप्टोग्राफी** का उपयोग होता है।
- **हवाला प्रणाली:** यह मुद्रा लेन-देन की एक **अनौपचारिक प्रणाली** है। इसमें पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए "हवाला दलालों" (हवालादारों) की मदद ली जाती है। हवाला लेन-देन पर **अवैध मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों के वित्त-पोषण में भूमिका** के आरोप लगाए जाते रहे हैं।

क्रिप्टोकरेंसी-हवाला गठजोड़

क्रिप्टोकरेंसी-हवाला गठजोड़ से तात्पर्य पारंपरिक हवाला और आधुनिक क्रिप्टोकरेंसी तकनीकों के संगम से है, जो अवैध धन-शोधन के लिए एक चैनल बनाता है।

- **प्रवर्तन निदेशालय (ED)** ने खुलासा किया कि ऐसे **हाइब्रिड चैनलों** के माध्यम से 1,300 करोड़ रुपये का लेन-देन किया गया था।

क्रिप्टोकरेंसी और हवाला गठजोड़ के कारण

- **गुमनामी और जटिलता:** यह संयोजन वित्तीय प्रवाह पर नज़र रखना मुश्किल बना देता है।
- **पारंपरिक वित्त को दरकिनार करना:** दोनों प्रणालियां औपचारिक और विनियमित वित्तीय संस्थानों को दरकिनार करती हैं।
- **अवैध गतिविधियों को सुविधाजनक बनाना:** दोनों धन शोधन और आतंकवाद के वित्त-पोषण के लिए आकर्षक हैं।
- **ब्लॉकचेन हवाला को मजबूत करता है:** पारदर्शिता और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था के द्वारा ब्लॉकचेन तकनीक हवाला के विश्वास-आधारित लेनदेन मॉडल को और मजबूत बनाती है।

क्रिप्टोकरेंसी-हवाला गठजोड़ से संबंधित चिंताएं

- **ट्रैकिंग में चुनौतियां:** क्रिप्टोकरेंसी की छद्म-गुमनामी बड़े पैमाने पर अवैध हस्तांतरण को संभव बनाती है।
- **अवैध वित्त में उपयोग:** इसका उपयोग धन शोधन और आतंकवाद के वित्त-पोषण के लिए किया जाता है, जिसमें आतंकवादी समूहों द्वारा लाखों रुपये जुटाना भी शामिल है।

क्रिप्टोकरेंसी – हवाला गठजोड़

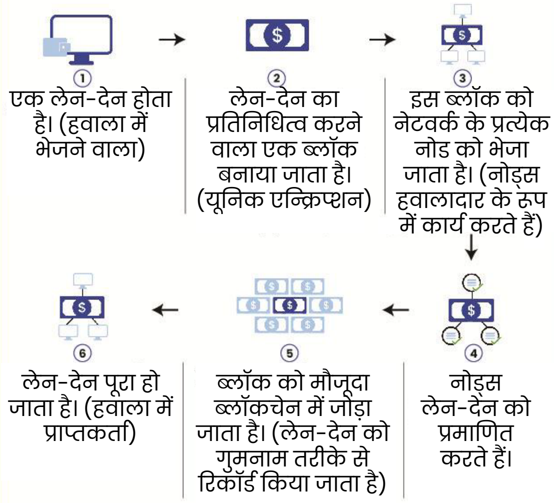

- **विनियामक चुनौतियां:** क्रिप्टोकरेंसी लेन-देन के लिए मौजूदा नियमों को अनुकूलन की आवश्यकता है।
- **कर से बचाव:** इसका उपयोग विप्रेषण और काले धन को टैक्स हैवन में हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है।
- **सुरक्षा जोखिम:** डिजिटल वॉलेट हैकरों का निशाना होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप भारी नुकसान होता है।

आगे की राह

- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** वैश्विक सहयोग और विकसित होते नियम लेन-देन को ट्रैक करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- **बेहतर अनुपालन:** लेन-देन के उपयोग को ट्रैक करने और उचित आवंटन सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जा सकता है।
- **नियमों को मजबूत करना:** FATF के दिशा-निर्देशों को संदर्भ के रूप में लेते हुए वर्चुअल करेंसी पर स्पष्ट कानून बनाना चाहिए।
- **व्यापक दृष्टिकोण:** इस रणनीति में सख्त नियम और निगरानी; मनी लॉन्ड्रिंग व आतंकवाद के वित्त-पोषण से निपटने के प्रयास, तथा AI और मशीन लर्निंग जैसी नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग शामिल हो सकते हैं।

4.10. राष्ट्रीय सुरक्षा में क्वांटम कंप्यूटिंग की भूमिका (ROLE OF QUANTUM COMPUTING IN NATIONAL SECURITY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब (NITI-FTH) ने "क्वांटम कंप्यूटिंग: राष्ट्रीय सुरक्षा निहितार्थ और रणनीतिक तैयारी" पर एक रणनीतिक-पत्र जारी किया।

नोट: क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में और अधिक जानकारी के लिए कृपया जून, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 8.1 देखें।

क्वांटम प्रौद्योगिकी के संबंध में भारत द्वारा उठाए गए कदम

- **राष्ट्रीय क्वांटम मिशन**
  क्वांटम अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को बढ़ावा देता है
- **QuEST कार्यक्रम**
  क्वांटम प्रयोगशालाओं और आवश्यक अवसंरचना विकसित करने का समर्थन करता है
- **अकादमिक अनुसंधान और नवाचार केंद्र**
  संस्थानों में क्वांटम अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करना
- **निजी क्षेत्रक का योगदान**
  क्वांटम सुरक्षित नेटवर्क विकसित करता है
- **अन्य पहल**
  इसमें क्वांटम संचार प्रयोगशाला और QKD सोल्यूशंस शामिल हैं

क्वांटम कंप्यूटिंग राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा को कैसे बदल रही है

- **क्रिप्टोग्राफी और साइबर सुरक्षा:** क्वांटम कंप्यूटर मौजूदा एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम को तोड़ सकते हैं, जिससे डेटा की सुरक्षा के लिए पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी (PQC) को अपनाया जा सकता है।
  - **उदाहरण के लिए-** संयुक्त राज्य अमेरिका का नेशनल क्वांटम इनिशिएटिव एक्ट 2018 साइबर खतरों से निपटने हेतु PQC के उपयोग पर जोर देता है।
- **इंटेलिजेंस द्वारा जुटाई गई जानकारी का बेहतर उपयोग:** क्वांटम कंप्यूटिंग बेहतर खुफिया विश्लेषण के लिए जटिल डेटासेट को काफी बेहतर तरीके से प्रोसेस कर सकती है और संचार को बाधित कर सकती है।
  - **उदाहरण के लिए- नाटो की 2024 की रणनीति क्वांटम-रेडी डिफेंस एप्लीकेशंस को बढ़ावा देती** है।
- **सुरक्षित संचार: क्वांटम-की-डिस्ट्रीब्यूशन (QKD) के तहत** एन्क्रिप्शन कीज़ को साझा करके संचार को प्रमाणित रूप से सुरक्षित बनाया जाता है।

- उदाहरण के लिए- चीन ने बीजिंग और शंघाई के बीच **दुनिया का सबसे लंबा (2,000 कि.मी.) स्थलीय QKD नेटवर्क** बनाया है।
- **सैन्य हार्डवेयर:** क्वांटम प्रौद्योगिकियां **मटेरियल्स साइंस** में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगी। इससे अगली पीढ़ी का सैन्य हार्डवेयर विकसित हो सकेंगे।
  - **उदाहरण के लिए- क्वांटम-आधारित AI** स्वचालित सैन्य ड्रोन और रोबोटिक सिस्टम्स के संचालन को बेहतर बना सकते हैं।
- **इकोनॉमिक वारफेयर:** एन्क्रिप्शन को तोड़ने की क्षमता वित्तीय बाजारों को अस्थिर कर सकती है।
  - **उदाहरण के लिए-** संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल क्वांटम इनिशिएटिव एक्ट जैसी पहल आर्थिक और रणनीतिक सुरक्षा दोनों के लिए क्वांटम संबंधी नवाचार की आवश्यकता को उजागर करता है।
- **भू-राजनीतिक शक्ति:** क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में जल्दी सफलता प्राप्त करने वाले देश इस क्षेत्र से संबंधित तकनीकी और ज्ञान का आधार स्थापित करने में अग्रणी रहेंगे।।
  - उदाहरण के लिए- **चीन के मिसियस उपग्रह (2016) ने क्वांटम आधारित सुरक्षित लंबी दूरी** के संचार को संभव किया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग का लाभ उठाने के समक्ष मौजूद प्रमुख चुनौतियां

- **कार्यबल की कमी:** मैकिन्से (2022) के अनुसार, क्वांटम कम्प्यूटिंग संबंधी हर तीन नौकरियों के लिए केवल एक योग्य उम्मीदवार उपलब्ध है।
- **भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा:** क्वांटम अनुसंधान एवं विकास (R&D) में असमान निवेश रणनीतिक अंतर पैदा कर रहा है: चीन ($15 बिलियन), अमेरिका ($5.8 बिलियन), भारत ($0.758 बिलियन)।
- **संसाधनों में असमानता:** कम निवेश वाले देशों के लिए सुरक्षित क्वांटम संचार का अभाव।
- **तकनीक में परिपक्वता की कमी:** प्रारंभिक चरण के क्वांटम कंप्यूटरों में स्थिरता और स्केलेबिलिटी का अभाव है। उदाहरण के लिए, IBM का 433-क्यूबिट ऑस्प्रे प्रोसेसर अभी भी त्रुटि दरों की समस्या का सामना कर रहा है।
- **डेटा संबंधी जोखिम:** भविष्य में हैकर्स द्वारा डेटा डिक्रिप्शन का खतरा।

प्रमुख सिफारिशें

- **निरंतर निगरानी:** वैश्विक स्तर पर क्वांटम के क्षेत्र में प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक **क्वांटम टास्क फोर्स** की स्थापना करनी चाहिए।
- **क्रिप्टोग्राफिक इंटेलिजेंस:** क्वांटम से संबंधित सुभेद्यताओं की पहचान करने के लिए नियमित ऑडिट किया जाना चाहिए।
- **PQC ट्रांजिशन प्लान:** PQC को अपनाने के लिए एक रोडमैप विकसित करना और क्रॉस-सेक्टर सहयोग सुनिश्चित करें।
  - **उदाहरण के लिए,** Google Chrome का Kyber जैसे PQC एल्गोरिदम का परीक्षण।
- **क्वांटम कार्यबल को सशक्त बनाना:** उच्चतर शिक्षा स्तर पर क्वांटम सूचना विज्ञान (QIS) संबंधी शिक्षा की शुरुआत करनी चाहिए; तथा वैश्विक प्रतिभा के लिए इमिग्रेशन नीति में सुधार करना चाहिए।
- **क्वांटम इकोसिस्टम का निर्माण:** यूएस क्वांटम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंसोर्टियम (QED-C) जैसे संघों के माध्यम से एक जीवंत क्वांटम उद्योग बनाएँ।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** QIS प्रौद्योगिकी विकास में समन्वय हेतु सहयोग करने के लिए समान विचारधारा वाले भागीदारों के साथ क्वांटम पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना चाहिए।
  - उदाहरण के लिए- भारत और यूरोपीय आयोग ने 2022 में **"HPC, वेदर एक्सट्रीम्स एंड क्लाइमेट मॉडलिंग एंड क़्वांटम टेक्नोलॉजीस पर सहयोग हेतु इंटेंट ऑफ़ को-ऑपरेशन"** पर हस्ताक्षर किए थे।
- **अन्य:** संभावित नवाचारों के लिए अग्रिम चेतावनी प्रणाली, एन्क्रिप्शन संबंधी बदलावों को तेजी से अपनाने में मदद करने हेतु क्रिप्टो एजिलिटी फ्रेमवर्क अनुसंधान एवं विकास (R&D) फंडिंग में लचीलापन।

निष्कर्ष:

क्वांटम कंप्यूटिंग भारत की रणनीतिक व सामरिक लचीलापन तथा विकसित भारत @2047 के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध होगी।

4.11. नक्सलवाद (NAXALISM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुरक्षा बलों ने **छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर स्थित करेंगुट्टालु हिल** पर नक्सलवादियों के खिलाफ **अब तक का सबसे बड़ा अभियान** चलाया।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह अभियान **31 मार्च, 2026 तक भारत को नक्सल-मुक्त बनाने के लक्ष्य** के अनुरूप संचालित किया गया था।

भारत में नक्सलवाद

- **पृष्ठभूमि:** नक्सलवाद या वामपंथी उग्रवाद (LWE) की उत्पत्ति **1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी आंदोलन** से हुई थी।
- **विचारधारा:** नक्सलवाद की जड़ें **सामाजिक-आर्थिक असमानताओं** में निहित हैं और यह **माओवादी सिद्धांतों** से प्रेरित है। इसने देश के कुछ **सबसे दुर्गम, पिछड़े और जनजातीय बहुल क्षेत्रों को प्रभावित** किया है।

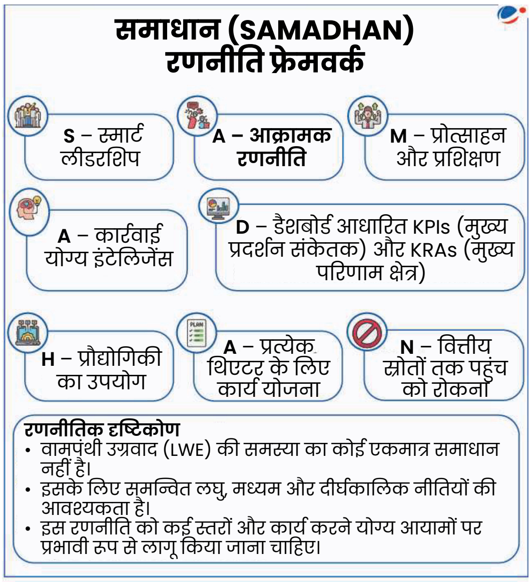

- **उद्देश्य:** इस आंदोलन का उद्देश्य **सशस्त्र विद्रोह और समानांतर शासन व्यवस्थाओं के माध्यम से भारतीय राज्य को कमजोर** करना है।
- **भारत का 'लाल गलियारा':** इसमें **नक्सलवाद से प्रभावित** राज्य शामिल हैं- **छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के कुछ हिस्से।**
- **नक्सलियों की कार्यप्रणाली: सशस्त्र हिंसा, फिरौती वसूली और सरकारी अवसंरचना को नष्ट** करते हैं तथा बच्चों व नागरिकों की भर्ती करते हैं।

नक्सलवादी गतिविधियों में गिरावट के कारण

भारत की **LWE रणनीति में सुरक्षा, विकास और प्रभावित समुदायों तक पहुंच** जैसे कदम शामिल हैं। इसने नक्सलवादी गतिविधियों को काफी हद तक कम कर दिया है।

सुदृढ़ सुरक्षा संरचना

- **समाधान (SAMADHAN) सिद्धांत:** सुरक्षा अभियानों के लिए एक व्यापक रणनीति।
- **सुरक्षा संबंधी व्यय योजना:** राज्यों की सुरक्षा लागतों की प्रतिपूर्ति करती है।
- **विशेष अवसंरचना योजना:** राज्य आसूचना एजेंसियों और विशेष बलों को वित्त-पोषित करती है।
- **इंटेलिजेंस एवं ऑपरेशन:** वास्तविक समय में बहु-एजेंसी समन्वय।
- **वित्तीय कार्रवाई:** PMLA के प्रवर्तन के माध्यम से फंडिंग को लक्षित किया जाता है।

विकास अभियान

- **विशेष केंद्रीय सहायता:** सबसे अधिक प्रभावित जिलों के लिए महत्वपूर्ण अवसंरचना कमियों को पूरा करने हेतु।
- **वित्तीय समावेशन के प्रयास:** इसमें बैंकिंग सेवाएं और कौशल विकास पहलें शामिल हैं।
- **रोड कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी और फाइनेंशियल कनेक्टिविटी** को सुदृढ़ करने पर ध्यान दिया जाता है।

सामुदायिक सहभागिता

- **सिविल एक्शन प्रोग्राम:** सुरक्षा बलों को मानवीय बनाता है और स्थानीय लोगों के साथ तालमेल स्थापित करता है।

नक्सलवाद को खत्म करने में लगातार चुनौतियां

- **हिंसक विचारधारा:** माओवादी सिद्धांत राज्य के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह को बढ़ावा देता है।
- **फ्रंट संगठन:** कानूनी मोर्चे भर्ती, फंडिंग और प्रचार में सहायता करते हैं।
- **कठिन भूभाग:** घने जंगल और पहाड़ियां सुरक्षा अभियानों में बाधा डालती हैं।
- **विश्वास की कमी:** जनजातीय अलगाव अधिकारियों के साथ सहयोग को सीमित करता है।

आगे की राह

- **विश्वास की कमी को दूर करना:** प्रशासन में स्थानीय भागीदारी बढ़ाना और जनजाति-अनुकूल नीतियों को सुनिश्चित करना।
- **वैचारिक अपील का मुकाबला करना:** हिंसक माओवादी विचारधारा के प्रतिवाद के रूप में लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा देना।
- **सुरक्षा और क्षमता निर्माण:** स्थानीय पुलिस बलों के आधुनिकीकरण को प्राथमिकता देना और खुफिया-आधारित इकाइयों का उपयोग करना।
- **केंद्र-राज्य समन्वय:** कट्टरता से लड़ने और विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए समन्वित प्रयासों को मजबूत करना।

4.12. गोल्डन डोम (GOLDEN DOME)

सुर्ख़ियों में क्यों

अमेरिकी राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम नामक एक महत्वाकांक्षी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का अनावरण किया।

गोल्डन डोम के बारे में

- गोल्डन डोम **जमीन और अंतरिक्ष से संचालित होने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसे संपूर्ण अमेरिकी क्षेत्र की रक्षा के लिए डिज़ाइन** किया जाना है।
- यह **हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइल के खतरों से निपटने** वाला एक **बहु-स्तरीय डिफेंस सिस्टम** होगा। इस सिस्टम में अंतरिक्ष से संचालित **इंटरसेप्टर और एडवांस्ड ट्रैकिंग प्रौद्योगिकियां** शामिल होंगी।
- यह प्रणाली मिसाइलों को **उनकी उड़ान के कई चरणों में पहचान सकेगी, ट्रैक और नष्ट** कर सकेगी, और **यहां तक कि उड़ान भरने से पहले भी नष्ट कर सकती है।**

- गोल्डन डोम के कंपोनेंट्स अमेरिका के पास पहले से मौजूद डिफेंस सिस्टम्स से तैयार की जा रही है, जिनमें शामिल हैं- **पैट्रियट मिसाइल बैटरियां, THAAD (टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस), एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, ग्राउंड-बेस्ड मिडकोर्स डिफेंस (GMD)** आदि।

गोल्डन डोम से जुड़ी चिंताएं

- **अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण: चीन ने चिंता जताई** है कि इस डिफेंस सिस्टम से "**अंतरिक्ष, युद्ध का मैदान बन सकता है**" और यह "**हथियारों की होड़ को बढ़ावा देगा।**"
- **बाह्य अंतरिक्ष संधि (आउटर स्पेस ट्रीटी) की भावना के खिलाफ:** अंतरिक्ष संधि के अनुसार, कोई भी देश **परमाणु हथियार या सामूहिक विनाश के हथियार** को न ही **अंतरिक्ष की कक्षा में** या न ही **किसी आकाशीय पिंड पर,** और न ही किसी अंतरिक्ष स्टेशन में किसी भी प्रकार से तैनात कर सकता है।

दुनिया की विभिन्न एयर डिफेंस सिस्टम्स के बीच तुलना

देश	एयर डिफेंस सिस्टम्स
रूस	**S-400 ट्रायंफ (SA-21 ग्रोलर):** एडवांस्ड फेज़्ड-अरे रडार से युक्त प्रणाली जिसकी रेंज 40 से 400 किलोमीटर तक है।
संयुक्त राज्य अमेरिका	**THAAD (टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस):** "हिट-टू-किल" तकनीक से लैस, 1,000 किलोमीटर तक की दूरी पर लक्ष्य की पहचान, निगरानी और ट्रैकिंग करने में सक्षम; मैक-8 (ध्वनि की गति से 8 गुना) की गति वाले इंटरसेप्टर मिसाइल का उपयोग।
इजरायल	**आयरन डोम: तामीर इंटरसेप्टर** मिसाइल से युक्त; लॉन्चर, युद्ध प्रबंधन और हथियार नियंत्रण प्रणाली (BMC) शामिल और **डेविड्स स्लिंग** प्रणाली के लिए फायर कंट्रोल रडार के रूप में कार्य करना। **आयरन बीम:** हाई एनर्जी लेज़र प्रणाली (100–150 किलोवाट)। असीमित मैगज़ीन क्षमता। आयरन डोम की पूरक प्रणाली।
चीन	**HQ-9:** S-300 और पैट्रियट प्रणाली से प्रेरित, S-400 के रडार की तुलना में कम एडवांस्ड।
भारत	**बराक-8:** भारत और इजरायल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली; 360 डिग्री कवरेज तथा नौसेना और थल सेना, दोनों के लिए उपलब्ध। **आकाश:** राजेन्द्र" रडार प्रणाली से लैस, मोबाइल प्लेटफॉर्म पर आधारित, 100% स्वदेशी, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, सुपरसोनिक गति से उड़ान भर सकती है, रैमजेट-रॉकेट प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करती है।

निष्कर्ष

अंतरिक्ष से संचालित इंटरसेप्टर्स की तैनाती, भले ही **रक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम** हो, लेकिन इससे **अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून** का उल्लंघन और **नई हथियारों की दौड़** शुरु होने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। असली चुनौती **राष्ट्रीय सुरक्षा की ज़रूरतों** और **मानवता के लिए अंतरिक्ष शांतिपूर्ण उपयोग के बीच संतुलन** बनाए रखने की है।

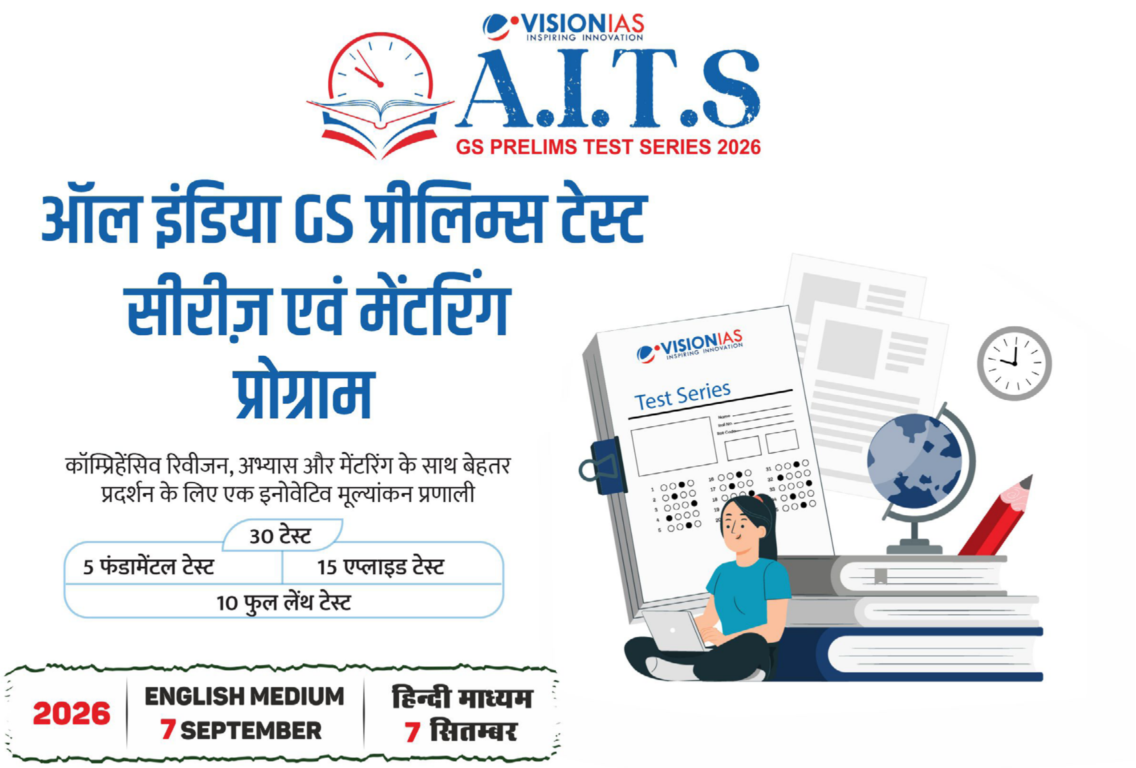

4.13. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS)

4.13.1. वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम-II {VIBRANT VILLAGES PROGRAMME-II (VVP-II)}

कैबिनेट की मंजूरी और अवलोकन

- **वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम-I की निरंतरता,** अब **100% केंद्रीय वित्त पोषण** के साथ **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है। गौरतलब है **VVP-I केंद्र प्रायोजित योजना थी।**
- **कवरेज:** 17 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में सामरिक अवस्थिति वाले गांव। इसमें **VVP-I (2023-24)** के तहत कवर किए गए **पूर्वोत्तर सीमा के ब्लॉक्स शामिल नहीं** होंगे।
- **उद्देश्य:** आजीविका के अवसर प्रदान करना तथा अवसंरचना और सुरक्षा एकीकरण को बढ़ावा देना।
- **अवधि:** वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक।

मुख्य विशेषताएं

- **अवसंरचना का विकास: सभी मौसम के लिए उपयुक्त सड़क संपर्क** के साथ सड़क, आवास, स्वच्छता, पेयजल और स्मार्ट कक्षाओं में निवेश करना।
- **आजीविका:** सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों तथा सीमा-विशिष्ट आउटरीच गतिविधियों के लिए समर्थन जुटाना।
- **कन्वर्जेंस:** कन्वर्जेंस मॉडल के अंतर्गत मौजूद कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना।
- **सॉफ्ट पावर:** सांस्कृतिक त्योहारों, पर्यटन आदि को बढ़ावा देना, विरासत के प्रति जागरूकता बढ़ाना इत्यादि।
- **कार्यान्वयन:** परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पीएम गति शक्ति का उपयोग करना।

सीमावर्ती गांवों की आबादी का सामरिक महत्त्व

- **सुरक्षा:** स्थानीय लोग "आँख और कान" की तरह काम करते हैं (जैसे- ताशी नामग्याल ने कारगिल युद्ध के दौरान घुसपैठ की सूचना दी थी)।
- **क्षेत्रीय दावे:** बस्तियाँ संप्रभुता को मजबूत करती हैं (उदाहरण के लिए, भारत-चीन समझौता, 2005)।
- **लॉजिस्टिक्स:** गाँव आश्रय, श्रम और खुफिया जानकारी के साथ सेना की सहायता करते हैं।
- **पहलें:** सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (1986), आदर्श ग्राम पहल (2005), स्मार्ट गांव (2015) आदि।

4.13.2. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NATIONAL SECURITY ADVISORY BOARD: NSAB)

भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB) में **एक नए अध्यक्ष के साथ-साथ 7 नए सदस्यों की नियुक्ति** की है।

NSAB के बारे में

- इसे **1998 में उद्योग, मीडिया और नागरिक समाज के विशेषज्ञों के एक सलाहकार निकाय** के रूप में गठित किया गया था।
- यह **राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS)** द्वारा समर्थित है।
- **कार्य**
  - यह **राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) को दीर्घकालिक विश्लेषण** प्रदान करता है।
  - यह **NSC द्वारा संदर्भित मुद्दों पर नीतिगत उपायों** की सिफारिश करता है।

4.13.3. वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (FINANCIAL FRAUD RISK INDICATOR)

दूरसंचार विभाग (DoT) ने **मोबाइल आधारित साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (FRI)** शुरू किया है।

- यह संकेतक दूरसंचार और वित्तीय दोनों क्षेत्रकों में **संदिग्ध धोखाधड़ी के खिलाफ त्वरित, लक्षित एवं सहयोगात्मक कार्रवाई को सक्षम** बनाता है।

वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (FRI) क्या है?

- यह मोबाइल नंबरों के लिए एक **जोखिम-आधारित वर्गीकरण प्रणाली** है (मध्यम/ उच्च/ बहुत उच्च धोखाधड़ी जोखिम)।
- **डेटा स्रोत:**
  - नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP);
  - दूरसंचार विभाग (DoT) की **चक्षु सुविधा;**
  - डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP);
  - बैंकों/ वित्तीय संस्थानों की खुफिया जानकारी आदि।
- यह **बैंकों, NBFCs और UPI प्रदाताओं** को सुरक्षात्मक कार्रवाई करने में सक्षम बनाएगा।

भारत में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की स्थिति पर एक नजर

- **₹3,207 करोड़ का नुकसान** (2020-2024 के बीच 5.82 लाख मामलों में)।
- **धोखाधड़ी के सामान्य प्रकार:**
  - केवाईसी, यूपीआई, कार्ड से जुड़ी धोखाधड़ी;
  - ग्राहक सेवा और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़े घोटाले;
  - निवेश संबंधी धोखाधड़ी आदि।

भारत में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के उपाय

- **डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP):** कानून प्रवर्तन एजेंसियों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं आदि बीच समन्वय की सुविधा प्रदान कर वास्तविक समय में खुफिया जानकारी साझा करना।
- **संचार साथी पोर्टल पर चक्षु सुविधा:** यह नागरिकों को कॉल, SMS या व्हाट्सएप पर प्राप्त धोखाधड़ी के संदेहास्पद संचार को रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करता है।
- **म्यूलहंटर:** यह RBI द्वारा मनी म्यूल्स की पहचान करने के लिए लॉन्च किया गया AI-आधारित एक टूल है, जिसका बैंकों में उपयोग करने के लिए सलाह दी गई है।
- **नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली:** इसे 2021 में I4C के तहत वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग और रोकथाम हेतु शुरू किया गया था।
- **ई-जीरो FIR:** यह 10 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी वाली वित्तीय साइबर अपराध शिकायतों को स्वचालित रूप से FIR में परिवर्तित कर देती है।

4.13.4. राफेल मरीन (M) लड़ाकू विमान {RAFALE MARINE (M) FIGHTER JETS}

केंद्र ने **फ्रांस से 26 राफेल मरीन (M) लड़ाकू विमानों के सौदे** को मंजूरी दी।

- इन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल **भारतीय नौसेना** द्वारा किया जाएगा। इन्हें देश के पहले **स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत** पर तैनात किया जाएगा।
- पहले से खरीदे गए **36 राफेल जेट विमानों का उपयोग भारतीय वायु सेना** द्वारा किया जा रहा है।

राफेल विमान के बारे में

- **निर्माता:** डसॉल्ट एविएशन, एक फ्रांसीसी एयरोस्पेस कंपनी है।
- **"ओमनीरोल" क्षमताएं:** वायु रक्षा, हमला, टोही, परमाणु प्रतिरोध सहित सभी प्रकार के युद्धक मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है।
- **पीढ़ी:** 4.5 पीढ़ी, अधिकतम गति 1.8 मैक।

अलग-अलग नवीनतम पीढ़ी के विमान

- **चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान (1970-1980 के दशक): हवा-से-हवा और हवा-से-जमीन दोनों तरह की मारक** क्षमता से युक्त थे। उदाहरण के लिए- मिग-29, एफ-16, मिराज-2000 आदि।
- **4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमान:** चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की सीमा बढ़ाने के लिए इनमें 'स्टील्थ', रडार अवशोषक सामग्री, थ्रस्ट वेक्टर नियंत्रित इंजन आदि शामिल किए गए। उदाहरण के लिए- यूरोफाइटर टाइफून, राफेल आदि।
- **पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान: उन्नत स्टील्थ प्रौद्योगिकियां** और उन्नत हथियार। उदाहरण के लिए- F-22 रैप्टर, चेंग्दू जे-20, आदि।

संयुक्त राज्य अमेरिका-चीन के छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान

- **संयुक्त राज्य अमेरिका: F-47 नामक अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान की योजना।**
- **चीन:** दिसंबर 2024 में छठी पीढ़ी के **दो प्रोटोटाइप लड़ाकू विमानों (J-36 और J-50)** की उड़ान का परीक्षण।
- छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एकीकरण, हाइपरसोनिक क्षमताओं, मानव रहित क्षमताओं** से

4.13.5. लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम 'गौरव' (LONG-RANGE GLIDE BOMB 'GAURAV')

DRDO ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम 'गौरव' का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

'गौरव' के बारे में

- **प्रकार:** लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम (LRGB)।
- **वजन:** 1,000 किलोग्राम श्रेणी।
- **रेंज:** यह लगभग **100 किलोमीटर** की रेंज में सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने में सफल रहा।
- **विकास:** इसे स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है।

4.13.6. MK-II (A) DEW सिस्टम {MK-II(A) DEW SYSTEM}

DRDO ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में नेशनल ओपन एयर रेंज (NOAR) में **Mk-II(A) लेजर- डायरेक्टेड एनर्जी वेपन (DEW) सिस्टम** का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

- इस परीक्षण के बाद **संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत दुनिया का ऐसा चौथा** देश बन गया है।

Mk-II (A) DEW सिस्टम के बारे में

- इसे **DRDO की हैदराबाद स्थित संस्था सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेज (CHESS)** ने विकसित किया है।
- **संभावित लक्ष्य:** यह ड्रोन, मिसाइलों और एयरक्राफ्ट को निष्क्रिय कर सकता है।
- **कार्य प्रणाली:** एक बार जब रडार या इनबिल्ट इलेक्ट्रो ऑप्टिक (EO) सिस्टम द्वारा लक्ष्य का पता लगा लिया जाता है, तब यह **तीव्र उच्च-ऊर्जा युक्त 30 किलोवाट लेजर बीम** छोड़ता है, जिससे संरचनात्मक विफलता होती है।
- **विशेषताएं:** यह अत्यधिक सटीकता से तीव्र गति से हमला करता है। इससे कुछ सेकंड के भीतर ही लक्ष्य ध्वस्त हो जाता है।

डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स (DEW) के बारे में

- ये लक्ष्यों को नष्ट करने या प्रभाव कम करने के लिए गतिज ऊर्जा की बजाय विद्युत चुम्बकीय या कण प्रौद्योगिकी से केंद्रित ऊर्जा का उपयोग करते हैं।
- **प्रकार:** हाई एनर्जी लेजर्स (HELS), हाई-पॉवर माइक्रोवेव वेपन्स (HPM), मिलीमीटर वेव्स, पार्टिकल बीम वेपन्स आदि।

DEW सिस्टम का महत्त्व:

- **युद्ध की आर्थिक संरचना में बदलाव की क्षमता:** महंगे गोला-बारूद पर निर्भरता कम होगी और यह अन्य ऑब्जेक्ट्स (कोलैटरल डैमेज) से होने वाले नुकसान को भी कम करेगा।
- **इलेक्ट्रॉनिक समस्या:** बिना किसी भौतिक विनाश के **रडार्स और संचार को निष्क्रिय** कर सकते हैं।
- **बहुमुखी उपयोग:** सामरिक वायु रक्षा, एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा और एंटी-सैटेलाइट (A-SAT) मिशन, भीड़ नियंत्रण को रोकने में उपयोगी हो सकते हैं।

4.13.7. प्रोजेक्ट वर्षा (PROJECT VARSHA)

प्रोजेक्ट वर्षा के अंतर्गत **INS वर्षा 2026 तक बनकर तैयार** हो जाएगा।

प्रोजेक्ट वर्षा के बारे में

- यह एक **नौसैनिक परियोजना है,** जिसका उद्देश्य **भारत की जल के भीतर परमाणु क्षमताओं को मजबूत** करना है।
- **उद्देश्य:** 12 से अधिक **परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों (SSBNs)** के बेड़े को रखने के लिए एक **सुरक्षित भूमिगत बेस विकसित** करना।
- **स्थान: आंध्र प्रदेश** का तटीय गांव **रामबिल्ली।**
- **पश्चिमी तट** की सुरक्षा के लिए **कर्नाटक के करवार बेस को प्रोजेक्ट सीबर्ड** के तहत विकसित किया गया है, जो प्रोजेक्ट वर्षा के समान है। प्रोजेक्ट वर्षा **पूर्वी तट** की सुरक्षा के लिए है।

4.13.8. गांडीव मिसाइल (MISSILE 'GANDIVA')

DRDO ने अपनी हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल तकनीक को आधिकारिक तौर पर "गांडीव" (अस्त्र MK-3) नाम दिया।

विशेषताएं: 'सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट प्रणोदन प्रणाली' का उपयोग किया गया है। यह 300-350 किलोमीटर की विस्तारित रेंज में मैक 4.5 तक की सुपरसोनिक गति पर रहते हुए यात्रा कर सकती है।

4.13.9. अश्विनी (ASHWINI)

रक्षा मंत्रालय ने **भारतीय वायु सेना के लिए लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार (LLTR) 'अश्विनी'** की खरीद अधिग्रहण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

- **मुख्य विशेषताएं:**
  - यह **तेज गति से उड़ने वाले लड़ाकू विमानों से लेकर धीमी गति से चलने वाले ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स** जैसे हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है।
  - यह रडार **200 कि.मी. तक के क्षेत्र में लक्ष्य को ट्रैक** कर सकता है।

4.13.10. भारत में सोने की तस्करी (SMUGGLING OF GOLD IN INDIA)

हाल ही में, एक अभिनेत्री को **सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार** किया गया।

- सोने की तस्करी से विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है और संगठित अपराध को बढ़ावा मिलता है।
- अवैध सोने का एक बड़ा हिस्सा संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब सहित खाड़ी देशों से भारत में आता है।
- **कानून:** सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और भारतीय न्याय संहिता, 2023; आर्थिक दंड लगाया जाता है, और UAPA तस्करी को "आतंकवादी कृत्य" मानता है यदि यह भारत की मौद्रिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाता है।

4.13.11. क्लस्टर म्यूनिशंस कन्वेंशन (CONVENTION ON CLUSTER MUNITIONS)

लिथुआनिया ने रूस से सुरक्षा चिंताओं के कारण **क्लस्टर म्यूनिशंस कन्वेंशन (CCM) से हटने** की घोषणा की।

क्लस्टर म्यूनिशंस कन्वेंशन (CCM) के बारे में

- यह संधि **क्लस्टर म्यूनिशंस/ हथियारों के उपयोग, भंडारण, उत्पादन और स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध** लगाती है। 2010 से प्रभावी है। भारत, रूस, चीन और अमेरिका इस पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं

4.13.12. आतंकवाद पीड़ित संघों का नेटवर्क (VICTIMS OF TERRORISM ASSOCIATIONS NETWORK: VOTAN)

संयुक्त राष्ट्र-आतंकवाद-रोधी कार्यालय (UNOCT) ने आतंकवाद पीड़ित संघों का नेटवर्क (VoTAN) शुरू किया है। यह **आतंकवाद के पीड़ितों और बचे लोगों को सहायता देने वाला एक वैश्विक नेटवर्क है।**

VoTAN के बारे में

- **पृष्ठभूमि: स्पेन और इराक** की अध्यक्षता में **"द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म"** की स्थापना लगभग छह साल पहले **आतंकवाद पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के लिए की गई थी।**
- **स्थापना:** यह नेटवर्क **"आतंकवाद के पीड़ितों पर संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कांग्रेस 2022"** का एक प्रमुख आउटकम है।
- **लक्ष्य:**
  - **आतंकवाद से पीड़ितों और बचे लोगों** को एक-दूसरे का समर्थन करना,
  - उन्हें चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाना;
  - उन्हें अधिवक्ताओं, और शांति-स्थापकों के रूप में संलग्न होने के लिए अवसर प्रदान करना।
- **वित्तीय सहायता: स्पेन** से प्राप्त होती है।

4.13.13. भार्गवास्त्र (BHARGAVASTRA)

भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित **एंटी-ड्रोन सिस्टम, भार्गवास्त्र** का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

भार्गवास्त्र के बारे में

- यह एक कम लागत वाली, **'हार्ड किल'** एंटी-ड्रोन प्रणाली है। इसे **स्वार्म ड्रोन्स को निष्क्रिय** करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इसे **सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड (SDAL)** ने विकसित किया है।
- **मुख्य विशेषताएं**
  - **दो-परत (लेयर) सुरक्षा प्रणाली:**
    - ◊ **लेयर 1:** गैर-निर्देशित माइक्रो-रॉकेट्स- 20 मीटर के भीतर **स्वार्म ड्रोन्स** को निष्क्रिय करने की क्षमता।
    - ◊ **लेयर 2:** सटीक निशाने के लिए निर्देशित माइक्रो-मिसाइल्स।
  - **रेंज:** ड्रोन को **2.5 कि.मी.** की रेंज तक पहचान सकता है। रडार से **6 से 10 कि.मी.** तक हवाई खतरे का पता लगा सकता है।
  - **क्षेत्र की अनुकूलता:** 5000 मीटर से अधिक की ऊंचाई।
  - **मॉड्यूलर डिजाइन:** इसमें **जैमिंग और स्पूफिंग जैसे "सॉफ्ट किल" विकल्प** भी जोड़े जा सकते हैं।
  - **C4I-सक्षम कमांड सेंटर:** यह **नेटवर्क आधारित वारफेयर** को और बेहतर बनाता है।

4.13.14. मल्टी-इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन (MULTI-INFLUENCE GROUND MINE: MIGM)

भारतीय नौसेना तथा DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित MIGM का सफल परीक्षण किया।

MIGM के बारे में

- यह एक **अत्याधुनिक अंडरवाटर नौसैनिक माइन** है। इसे शत्रुओं के **आधुनिक स्टील्थ पोतों और पनडुब्बियों की पहचान करने की भारतीय नौसेना** की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए विकसित किया गया है।
- इसे DRDO के तहत **नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी (NSTL)** ने डिजाइन और विकसित किया है।
- **मुख्य विशेषताएं:**
  - यह कई प्रकार के सेंसर्स का उपयोग करके दुश्मन के समुद्री जहाजों से निकलने वाले **ध्वनिक, चुम्बकीय, और दबाव संकेतों** का पता लगाती है।
  - इसमें **प्रोसेसर युक्त इलेक्ट्रॉनिक्स** लगे हैं, जो डेटा को प्रोसेस करके उचित करवाई करते हैं।
  - इसे **जहाजों और पनडुब्बियों से तैनात** किया जा सकता है।

4.13.15. हॉकआई 360 प्रौद्योगिकी (HAWKEYE 360 TECHNOLOGY)

हाल ही में, **अमेरिका ने भारत को हॉकआई 360 तकनीकी उपकरण की बिक्री को मंजूरी दी है**, ताकि भारत अपनी निगरानी क्षमता को बढ़ा सके।

हॉकआई 360 तकनीक के बारे में

- इसके तहत **रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) सिग्नल्स** का पता लगाने, जिओलोकेट करने और उनका विश्लेषण करने के लिए **निम्न भू-कक्षा** में मौजूद **तीन उपग्रहों** के समूहों का उपयोग किया जाता है।

भारत के लिए महत्त्व

- यह उन जहाजों का पता लगा सकता है जो विवादित या संवेदनशील क्षेत्रों में ट्रैकिंग से बचने के लिए **अपने ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (AIS) को बंद कर देते हैं।**
- इससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की **समुद्री क्षेत्र संबंधी जागरूकता** बढ़ेगी।
- यह अवैध **मत्स्यन, तस्करी और शत्रुतापूर्ण निगरानी** पर नजर रखने में सक्षम बनाती है।

4.13.16. इग्ला-एस (IGLA-S)

भारतीय थल सेना को शत्रुओं के ड्रोन, हेलीकॉप्टर और जेट विमानों से निपटने के लिए नए रूसी **इग्ला-एस मिसाइल सिस्टम** प्राप्त हुए हैं।

इगला-एस (Igla-S) के बारे में

- इगला-एस **मैन-पोर्टेबल** है यानी इसे एक आदमी भी ढो सकता है। यह कंधे से दागी जाने वाली व **सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल** है। इसे अधिक **खतरे वाले क्षेत्रों में तैनात** जमीनी सुरक्षा बलों द्वारा उपयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है।
  - यह **वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम (VSHORADS)** का एक अत्याधुनिक संस्करण है।
- **प्रमुख विशेषताएं:**
  - यह **इन्फ्रारेड (IR) होमिंग तकनीक** का उपयोग करती है। यह हवाई लक्ष्यों की हीट सिग्नेचर को पहचान करके उन्हें निशाना बनाती है।
  - मिसाइल दागे जाने के बाद, यह स्वतः **टारगेट के इंजन से निकलने वाली हीट का पीछा करती** है।
    - ◊ यह विशेषता इसे **ड्रोन, हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने में कुशल** बनाती है।
  - **रेंज: 6 किलोमीटर दूर तक** तथा यह 3.5 किलोमीटर की ऊँचाई तक के लक्ष्य को भेद सकती है।

4.13.17. सुर्ख़ियों में रहे अभ्यास (EXERCISES IN NEWS)

अभ्यास	विवरण
अभ्यास डेजर्ट फ्लैग-10	• **भारतीय वायु सेना** ने **अभ्यास डेजर्ट फ्लैग-10** में भाग लिया। • यह एक प्रमुख **बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास** है। इसका आयोजन **संयुक्त अरब अमीरात (UAE)** द्वारा किया गया था।
ऑपरेशन अटलांटा (operation ATALANTA)	• **यूरोपीय संघ नौसैनिक बल (EUNAVFOR) के ऑपरेशन अटलांटा** ने भारतीय नौसेना के साथ एक **संयुक्त अभ्यास का प्रस्ताव** दिया है। • **फोकस: समुद्री सुरक्षा, समुद्री डकैती (पायरेसी), मादक पदार्थों की तस्करी, गैर-कानूनी तरीके से मछली पकड़ना आदि।** • यह ऑपरेशन **पश्चिमी हिंद महासागर और लाल सागर क्षेत्र में** संचालित किया जाता है।
अभ्यास 'दस्तलिक' (Exercise 'Dustlik')	• यह **भारत और उज्बेकिस्तान का वार्षिक** संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह दोनों देशों **में बारी-बारी** से आयोजित होता है।
टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास (Exercise Tiger Triumph)	• **भारत और अमेरिका** के बीच **त्रि-सेवा अभ्यास का चौथा संस्करण विशाखापट्टनम तट** पर शुरू हुआ। • **उद्देश्य:** मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) कार्यों के लिए अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ाना और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) विकसित करना।
IMDEX एशिया 2025	• यह **एशिया का अग्रणी नौसेना और समुद्री रक्षा कार्यक्रम** है। • **उत्पत्ति:** 1997 में। • **आयोजक:** सिंगापुर गणराज्य की नौसेना।
नोमैडिक एलीफेंट युद्धाभ्यास	• **भारत-मंगोलिया** के मध्य **संयुक्त युद्धाभ्यास नोमैडिक एलीफेंट का 17वां संस्करण मंगोलिया के उलानबटोर** में आयोजित किया जाएगा।
युद्ध अभ्यास इंद्र 2025	• इसका **14वां संस्करण** 28 मार्च, 2025 से 02 अप्रैल, 2025 तक **चेन्नई** में आयोजित किया गया। • यह **भारत और रूस की नौसेनाओं** के मध्य द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है, जो **2003** से शुरू हुआ था।
प्रचंड प्रहार अभ्यास	• **भारतीय सशस्त्र बलों (थल सेना, नौसेना और वायुसेना) ने अरुणाचल प्रदेश में तीनों सेनाओं के एकीकृत बहु-क्षेत्रीय** अभ्यास, प्रचंड प्रहार का आयोजन किया।

वरुण सैन्य अभ्यास 2025	हाल ही **अरब सागर** में **वरुण सैन्य अभ्यास 2025** संपन्न हुआ। यह **भारत और फ्रांस** की नौसेना के बीच **द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है।**
बोंगो सागर 2025	यह **भारत-बांग्लादेश नौसैनिक** अभ्यास बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। **अन्य द्विपक्षीय अभ्यास:** अभ्यास सम्प्रीति-वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसमें आतंकवाद-रोधी अभियान और आपदा प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
युद्ध अभ्यास खंजर	यह **भारत-किर्गिज़स्तान संयुक्त विशेष बलों** का युद्ध अभ्यास है, इसे **वार्षिक रूप से दोनों देशों में बारी-बारी** से आयोजित किया जाता है। **उद्देश्य: आतंकवाद-रोधी और विशेष बल अभियानों** में सहयोग करना।
ट्रोपेक्स/ TROPEX - 2025	यह **भारतीय नौसेना का प्रमुख युद्ध अभ्यास** है। **उद्देश्य:** भारतीय थल सेना, वायु सेना और तटरक्षक बल के समन्वय में परिचालन तैयारियों का आकलन करना।

युद्ध अभ्यास डेजर्ट हंट 2025	यह तीनों सेनाओं के **विशेष बल का युद्ध अभ्यास** है। इसमें **पैरा (विशेष बल), मरीन कमांडो (MARCOS)**, और **गरुड़ स्पेशल फोर्स** शामिल होते हैं। **उद्देश्य:** आपसी सहयोग, समन्वय और तेजी से प्रतिक्रिया करने की क्षमताओं को परखना।
INIOCHOS-25	यह **ग्रीस की हेलेनिक एयर फोर्स** द्वारा आयोजित एक **वार्षिक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास** है। भारतीय वायु सेना ने सामरिक ज्ञान और सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए इसमें भाग लिया।

4.13.18. ऑपरेशन हॉक (OPERATION HAWK)

CBI ने **'ऑपरेशन हॉक'** शुरू किया है, जिसका उद्देश्य बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण से जुड़े **वैश्विक साइबर अपराध नेटवर्क** के खिलाफ कार्रवाई करना है।

- यह कार्रवाई **ऑपरेशन कार्बन (2021)** और **ऑपरेशन मेघ चक्र (2022)** की अगली कड़ी है। इनका उद्देश्य **बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क जुड़े संदिग्धों की पहचान करना और उनके नेटवर्क को समाप्त** करना है।

4.14. अपने ज्ञान का परीक्षण कीजिए (TEST YOUR LEARNING)

MCQ

1. भारत के एंटी-ड्रोन सिस्टम और वायु रक्षा उपकरणों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. DRDO और BEL द्वारा विकसित D4 सिस्टम में दोहरी-परत वाली किल मेकेनिज्म का उपयोग किया गया है, जिसमें हार्ड किल के लिए लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम और सॉफ्ट किल के लिए RF जैमिंग शामिल है।
2. इग्ला-S जैसे MANPADS ऐसी पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणालियां हैं, जो कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों से निपटने में सक्षम हैं, लेकिन इन्हें संचालित करने के लिए कम से कम तीन व्यक्तियों के दल की आवश्यकता होती है।
3. Zu-23 mm प्रणाली एक रडार-गाइडेड एंटी-एयरक्राफ्ट हथियार प्रणाली है जिसकी मारक क्षमता 4 कि.मी. तक है और इसका उपयोग मुख्य रूप से भूमि लक्ष्यों के विरुद्ध किया जाता है।
4. इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सेंसरों से उन्नत एल/70 एंटी-एयरक्राफ्ट, लक्ष्यों को स्वचालित रूप से ट्रैक करने में सक्षम है और इसकी फायरिंग दर 200 राउंड प्रति मिनट से अधिक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

a. केवल 1 और 2
b. केवल 1 और 4
c. केवल 2 और 3
d. 1, 2 और 3

2. भारत में ब्रह्मोस मिसाइल और रक्षा गलियारों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी अधिकतम गति 3 मैक और परिचालन क्षमता 290 कि.मी. है।
2. उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे में छह नोड शामिल हैं, जिनमें लखनऊ और झांसी प्रमुख केंद्र हैं, जबकि तमिलनाडु गलियारा चेन्नई और कोयंबटूर के आसपास केंद्रित है।
3. ब्रह्मोस-NG निर्माणाधीन अगली हाइपरसोनिक मिसाइल (मैक 5+) है, जबकि ब्रह्मोस-II मौजूदा मिसाइल का हल्का और छोटा संस्करण होगा।
4. फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइलों का आयात करने वाला पहला देश है, जो भारत के रक्षा निर्यात में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

a. केवल 1, 2 और 4
b. केवल 1 और 3
c. केवल 2, 3 और 4
d. 1, 2, 3 और 4

3. राष्ट्रीय सुरक्षा में क्वांटम कंप्यूटिंग की भूमिका के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. क्वांटम-की-डिस्ट्रीब्यूशन (QKD) एन्क्रिप्शन कीज़ के सुरक्षित संचरण को सक्षम बनाता है।

2. क्वांटम कंप्यूटिंग में स्वायत्त सैन्य प्रणालियों की बढ़ोतरी करने की क्षमता है।
3. पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी (PQC) को परंपरागत कंप्यूटरों द्वारा हमलों के प्रति प्रतिरोधी बनाया गया है।
4. चीन का मिसियस उपग्रह क्वांटम आधारित सुरक्षित संचार का प्रदर्शन करने वाला पहला उपग्रह है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

a. केवल 1 और 3

b. केवल 1, 2 और 4

c. केवल 2, 3 और 4

d. केवल 1, 2 और 4

4. वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम-II (VVP-II) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. VVP-II, VVP-I द्वारा रखी गई नींव पर आधारित है, जो उत्तरी सीमा पर स्थित सीमावर्ती गांवों पर केंद्रित है।
2. VVP-II केंद्र सरकार से आंशिक वित्त पोषण के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
3. VVP-II का उद्देश्य जीवन स्थितियों में सुधार करना, आजीविका के अवसर प्रदान करना और सीमा पार अपराध को नियंत्रित करना है।
4. VVP-II में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (MGSY-IV) के तहत सड़कों, आवास और स्मार्ट कक्षाओं जैसे बुनियादी ढांचे में निवेश शामिल है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a. केवल 1

b. केवल 2 और 3

c. केवल 1, 3 और 4

d. उपर्युक्त सभी

5. राफेल मरीन (M) लड़ाकू विमान के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 1. राफेल मरीन (M) लड़ाकू विमान विशेष रूप से भारतीय नौसेना के लिए हैं और इन्हें आईएनएस विक्रांत पर तैनात किया जाएगा।
2. भारतीय वायु सेना वर्तमान में पहले से खरीदी गई 26 राफेल जेट विमानों का संचालन कर रही है।
3. राफेल जेट विमानों को 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो वायु रक्षा और परमाणु निवारक सहित विभिन्न लड़ाकू अभियानों को अंजाम देने में सक्षम हैं।
4. राफेल जेट विमानों का निर्माण फ्रांसीसी एयरोस्पेस कंपनी डसॉल्ट एविएशन द्वारा किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

a. केवल 1, 3 और 4

b. केवल 1, 2 और 4

c. केवल 1, 3 और 2

d. केवल 1, 3 और 4

मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न

1. राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा पैदा करने में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ऐसे ख़तरों का सामना करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए क़ानूनी और नीतिगत उपायों पर चर्चा कीजिए। (150 शब्द)
2. राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतियों को आकार देने में क्वांटम कंप्यूटिंग की परिवर्तनकारी भूमिका पर चर्चा कीजिए। क्वांटम प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में भारत के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डालिए और रणनीतिक तैयारियों के लिए एक रोडमैप सुझाइए। (250 शब्द)

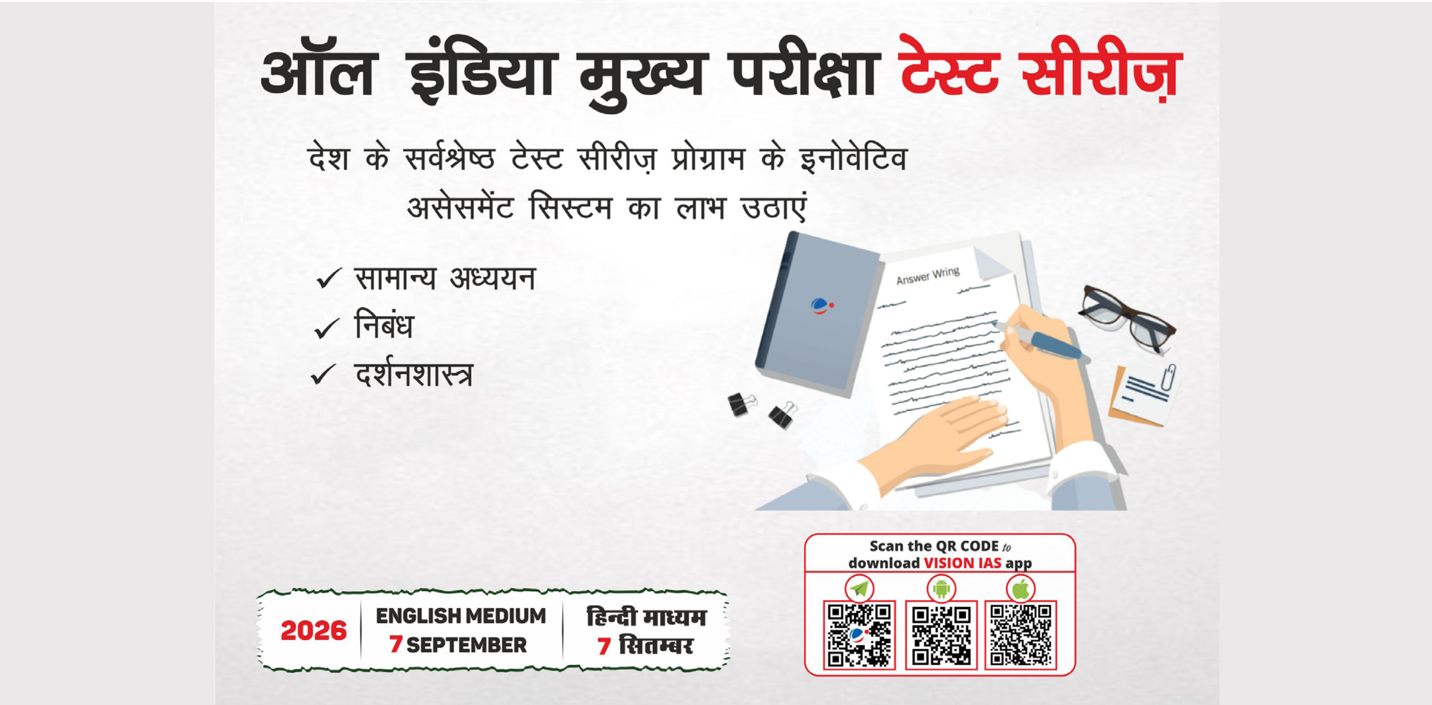

5. पर्यावरण (ENVIRONMENT)

विषय सूची

5.1. बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन के पक्षकारों का सम्मेलन 2025 (2025 CONFERENCES OF THE PARTIES TO THE BASEL, ROTTERDAM, AND STOCKHOLM CONVENTION) 106

5.2. पारिस्थितिकी-केंद्रित दृष्टिकोण (ECO-CENTRIC APPROACH) 107

5.3. जैव-विविधता (पहुंच और लाभ साझाकरण) विनियमन 2025 {BIOLOGICAL DIVERSITY (ACCESS AND BENEFIT SHARING) REGULATION 2025} 108

5.4. हिमालय पर्वतमाला की पारिस्थितिकी (THE HIMALAYAN MOUNTAIN SYSTEM ECOLOGY) 109

5.5. FAO की "वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियों (GIAHS)" में छह नवीन साइटें शामिल की गई (SIX NEW SITES JOIN FAO'S GIAHS) 110

5.6. जैव ईंधन (BIOFUELS) 111

5.7. बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर (BIO-INPUT RESOURCE CENTRES) 112

5.8. राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NATIONAL BOARD FOR WILDLIFE: NBWL) 112

5.9. फंक्शनल डी-एक्सटिंक्शन (FUNCTIONAL DE-EXTINCTION) 113

5.10. प्रोजेक्ट लायन और IUCN ग्रीन स्टेटस ऑफ़ स्पीशीज (PROJECT LION AND IUCN GREEN STATUS OF SPECIES) 114

5.11. नदी डॉल्फिन (RIVER DOLPHINS) 115

5.12. जंपिंग स्पाइडर्स (JUMPING SPIDERS) 116

5.13. मरीन हीटवेव्स (MARINE HEATWAVES) 117

5.14. शहरी बाढ़ (URBAN FLOODS) 118

5.15. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA: GSI) 119

5.16. उद्योगों का संशोधित वर्गीकरण (REVISED CLASSIFICATION OF INDUSTRIES) 120

5.17. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS) 121

5.18 अपने ज्ञान का परीक्षण कीजिए (TEST YOUR LEARNING) अपने 131

5.1. बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन के पक्षकारों का सम्मेलन 2025 (2025 CONFERENCES OF THE PARTIES TO THE BASEL, ROTTERDAM, AND STOCKHOLM CONVENTION)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **बेसल कन्वेंशन** के पक्षकारों की 17वीं, **रॉटरडैम कन्वेंशन** के पक्षकारों की 12वीं और **स्टॉकहोम कन्वेंशन** के पक्षकारों की 12वीं बैठक **जिनेवा** में आयोजित की गई।

(COP)' के प्रमुख आउटकम्स:

- **संयुक्त प्रतिबद्धता:** तीनों COP में अन्य पर्यावरणीय समझौतों और पहलों के साथ सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।
- **बेसल कन्वेंशन (BC COP-17):** परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स (POPs) अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए तकनीकी दिशा-निर्देशों को अपडेट किया गया और नया रणनीतिक फ्रेमवर्क (2025 से 2031 तक के लिए) अपनाया गया।
- **रॉटरडैम कन्वेंशन (RC COP-12):** कार्बोसल्फान (कीटनाशक) और फेन्थियन नामक दो रसायनों को एनेक्स-III में जोड़ा गया।
- **स्टॉकहोम कन्वेंशन (SC COP-12): एनेक्स A में जोड़े गए रसायन:** क्लोरपाइरीफॉस (कीटनाशक), लॉन्ग-चेन परफ्लोरोकार्बोक्सिलिक एसिड (LC-PFCAs), और मीडियम-चेन क्लोरीन युक्त पैराफ़िन (MCCPs)।

बेसल कन्वेंशन

- **परिचय:** इसे **22 मार्च 1989 को स्विट्जरलैंड के बेसल** में अपनाया गया था। भारत इस संधि का एक पक्षकार है।
- **उद्देश्य:** खतरनाक अपशिष्टों और विशेष ध्यान देने योग्य अन्य अपशिष्टों के हानिकारक प्रभावों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना।
- **दायरा:** यह खतरनाक अपशिष्टों की उनके स्रोत, संघटन (संरचना) या विशेषताओं के आधार पर पहचान करता है। इसमें "अन्य अपशिष्टों" जैसे- घरेलू अपशिष्ट, कुछ विशेष प्रकार के प्लास्टिक अपशिष्ट, आदि।
- **पूर्व सहमति नियम:** खतरनाक अपशिष्ट के शिपमेंट से पहले संबंधित देशों की मंजूरी अनिवार्य करता है।
- **नए फोकस क्षेत्र**
  - **टेक्सटाइल अपशिष्ट:** दान या पुनर्चक्रण के रूप में गलत तरीके से लेबल करने से ग्लोबल साउथ में इनका विनियमन जटिल हो रहा है।
  - **जहाजों को तोड़ना (शिप ब्रेकिंग):** 15,000 जहाजों को स्क्रैप किया जाना है, जिनमें **POPs** और **भारी धातुएं** मौजूद होंगी।

रॉटरडैम कन्वेंशन

- **उत्पत्ति:** रॉटरडैम कन्वेंशन ऑन **प्री इनफॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर (PIC) 2004** में लागू हुआ। भारत ने 2006 में इस कन्वेंशन को स्वीकार किया।
- **उद्देश्य:** कुछ खतरनाक रसायनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पक्षकारों के बीच साझा उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना
- **इसमें शामिल हैं:** कीटनाशक और औद्योगिक रसायन जिन पर प्रतिबंध या गंभीर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं।
- **कानूनी रूप से बाध्यकारी PIC:** निर्यातकों को सूचित सहमति के लिए **प्रतिबंधित या निषिद्ध** पदार्थों का खुलासा करना होगा।
- **मुद्दे**
  - **असूचीबद्ध रसायन:** रॉटरडैम कन्वेंशन ने मिथाइल ब्रोमाइड, पारा आदि की सूची में देरी की। **रॉटरडैम कन्वेंशन** ने मिथाइल ब्रोमाइड, पारा आदि **को सूची में शामिल करने का निर्णय टाल दिया** है।
  - **विज्ञान पर व्यापार:** उत्पादक देशों ने आर्थिक आशंकाओं के कारण सूची में शामिल किए जाने से रोक दिया।
  - **एक-दूसरे से मिलते-जुलते समझौते:** सख्त समझौतों के सहित टकराव के कारण देरी हुई। उदाहरण के लिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मिनामाटा और स्टॉकहोम कन्वेंशन।

दीर्घ-स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (PoPs) पर स्टॉकहोम कन्वेंशन

- **उत्पत्ति:** 2001 में स्टॉकहोम, स्वीडन में अपनाया गया; यह 2004 में लागू हुआ। भारत ने 2006 में इसका अनुसमर्थन किया।
- **उद्देश्य:** मनुष्यों और वन्यजीवों में संचित होने वाले दीर्घकालिक, व्यापक रसायनों से सुरक्षा प्रदान करना।
- **मुद्दे:** MCCPs जैसे जटिल रसायनों को विनियमित करने में कठिनाई, अत्यधिक छूट अनुरोध, और UV-328 मामले में उजागर हुई उद्योग जगत की गलत जानकारी।

BRS कन्वेंशन का महत्व

- **प्रमुख ग्लोबल फ्रेमवर्क:** ये खतरनाक रसायनों और अपशिष्टों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण ग्लोबल फ्रेमवर्क हैं।
- **जीवनचक्र विनियमन:** ये संपूर्ण रासायनिक जीवनचक्र—उत्पादन, उपयोग और निपटान—को विनियमित करते हैं।

- **सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भूमिका:** ये लक्ष्य 2 (**जीरो हंगर**), 3 (**बेहतर स्वास्थ्य और सेहतमंदी**), 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता), 11 (**संधारणीय शहर**), और 12 (**जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन**) में योगदान देकर, रसायनों और अपशिष्टों के सुरक्षित प्रबंधन को बढ़ावा देकर 2030 के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

निष्कर्ष

"अदृश्य को दृश्य बनाना" थीम हमें यह याद दिलाती है कि छोटे-छोटे बदलाव भी रॉटरडैम कन्वेंशन जैसी संधियों को प्रासंगिक बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। लोगों और पर्यावरण की वास्तविक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पक्षकारों को अनुकूलन और कार्य करना चाहिए।

5.2. पारिस्थितिकी-केंद्रित दृष्टिकोण (ECO-CENTRIC APPROACH)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने यह उल्लेख किया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायनिर्णय के क्षेत्र में भारत पहला देश है जिसने **मानव-केंद्रित (Anthropocentric) दृष्टिकोण** से हटकर **पारिस्थितिकी-केंद्रित दृष्टिकोण** अपनाया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- सुप्रीम कोर्ट ने **तेलंगाना** के **वन्यजीव वार्डन** को **कांचा गाचीबोवली 'वन' क्षेत्र** की 100 एकड़ वन भूमि के विनाश से प्रभावित वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
    - जब **तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास लगभग 400 एकड़ वन भूमि की नीलामी कर IT पार्क बनाने का प्रस्ताव** रखा, जिसके बाद **छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू** कर दिया।

पारिस्थितिकी-केंद्रित दृष्टिकोण के बारे में

- यह **सम्पूर्ण पारिस्थितिक-तंत्र के संरक्षण को प्राथमिकता** देता है एवं यह **प्रकृति को स्वयं में मूल्यवान** मानता है, न कि केवल मानव उपयोग के लिए। उदाहरण के लिए, **एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (1986) मामला।**
    - **इसके विपरीत,** मानव-केंद्रित दृष्टिकोण मनुष्यों की आवश्यकताओं को केंद्रीय मानता है।
- यह सोच **डीप इकोलॉजी मूवमेंट (अर्ने नेस द्वारा)** के अनुरूप है जिसमें प्रकृति को केवल मानव के लिए उपयोगी मानने के स्थान पर प्रकृति के अंतर्निहित मूल्य को स्वीकार किया गया है।
- यह विचार **हित सिद्धांत (Interest Theory)** के भी अनुरूप है, जिसके अनुसार किसी 'अधिकार' का उद्देश्य "अधिकार-धारक" (यानी प्राणी) के हितों को आगे बढ़ाना है।

पर्यावरण-केंद्रित दृष्टिकोण का महत्व

- इसमें प्रकृति के अंतर्निहित मूल्य को स्वीकार किया जाता है।
- यह गवर्नेंस और कानून में व्याप्त कमियों को दूर करके वन्यजीव एवं जैव विविधता का संरक्षण करता है।
- यह पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं को कानूनी फ्रेमवर्क के दायरे में लाती है।
- यह दृष्टिकोण भारत को वैश्विक पर्यावरणीय नैतिकता से जोड़ती है। उदाहरण के लिए, इक्वाडोर दुनिया का पहला देश बन गया जिसने अपने संविधान में प्रकृति के अधिकारों को मान्यता दी है।

पारिस्थितिकी-केंद्रित दृष्टिकोण के लिए प्रमुख निर्धारक

- **संवैधानिक आधार:** अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 51A (g)।
- **न्यायिक सक्रियता:** बेजुबानों (जैसे; जानवर, जंगल) को आवाज दी। इसके अलावा, कार्यकर्ताओं द्वारा दायर PIL, आदि भी सहायक थीं।
- **पर्यावरणीय न्याय-निर्णय का विकास:** उदाहरणार्थ, **पब्लिक ट्रस्ट सिद्धांत** और **एहतियाती सिद्धांत।**
- **पर्यावरणीय क्षरण और पारिस्थितिकी संकट:** जैसे वनों की कटाई, नदी प्रदूषण, आदि।
- **सांस्कृतिक लोकाचार:** भारत की पारंपरिक विचारधारा में पर्यावरण को एक जीवित इकाई माना गया है और मनुष्य उसका एक हिस्सा है न कि उससे श्रेष्ठ है।
- **विधायी उपाय:** उदाहरणार्थ, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (1960); वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (1972), आदि।

पर्यावरण-केंद्रित दृष्टिकोण से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

- **टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ एवं अन्य (1996):** 'वन' की परिभाषा का विस्तार किया गया।
- **WWF-1 बनाम भारत संघ एवं अन्य, सुप्रीम कोर्ट (2013):** 'प्रजातियों के सर्वोत्तम हित मानक' का उदाहरण दिया गया।
- **भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए. नागराज (2014):** सुप्रीम कोर्ट ने इंसान की परंपराओं (जैसे, जल्लीकट्टू) के ऊपर पशुओं के अधिकारों को प्राथमिकता दी।
- **एन.आर. नायर बनाम भारत संघ (2000):** सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पशु सचेत प्राणी हैं और उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार है।

निष्कर्ष

भारत की न्यायपालिका द्वारा पारिस्थितिक तंत्र को केंद्र में रखकर निर्णय लेना एक बड़ा और परिवर्तनकारी कदम है। यह प्रकृति के अपने आप में मूल्यवान होने को मान्यता देता है। यह हमारे संविधान की उस सोच को फिर से मजबूत करता है जिसमें मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलित सह-अस्तित्व की बात की गई है।

5.3. जैव-विविधता (पहुंच और लाभ साझाकरण) विनियमन 2025 {BIOLOGICAL DIVERSITY (ACCESS AND BENEFIT SHARING) REGULATION 2025}

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने **'जैव विविधता (पहुँच और लाभ साझाकरण) विनियम, 2025"** नाम से नए नियम जारी किए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- नए नियम यह विनियमित करते हैं कि **जैविक संसाधनों और संबंधित ज्ञान से प्राप्त लाभों को कैसे निष्पक्ष रूप से साझा किया जाए।**
- NBA द्वारा **जैव विविधता अधिनियम (BDA) 2002** के अनुसार नियम अधिसूचित किए गए हैं, जो **2014 के नियमों का स्थान** लेते हैं।
- प्रसिद्ध **NBS मामला** केरल के **कानी आदिवासी समुदाय** और जीवनी औषधि के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले **आरोग्यपचा पौधे (ट्राइकोपस ज़ेलैनिकस)** से जुड़ा है।

पहुँच और लाभ साझाकरण (ABS) पर भारत का कानूनी फ्रेमवर्क

- **उद्देश्य:** इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य **जैव विविधता के संरक्षण** को सुनिश्चित करना है, जो **जैव विविधता पर कन्वेंशन (CBD)** के अनुरूप है।
- **दायरा:** यह अधिनियम **सभी जैविक संसाधनों** को शामिल करता है, जिससे इसका दायरा **नागोया प्रोटोकॉल** से भी व्यापक हो जाता है।
- **कार्यान्वयन:** इसके लिए **त्रि-स्तरीय प्रणाली** स्थापित की गई है, जिसमें **NBA**, **SBB** और **BMC** शामिल हैं।

नियमों की मुख्य विशेषताएं

- **DSI समावेशन:** डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन सहित जैविक संसाधनों के लिए लाभ-साझाकरण को शामिल करता है।
- **पूर्व सूचित सहमति: NBA की अनुमति** आवश्यक होगी। हालांकि, कुछ उगाए जाने वाले औषधीय पौधों को इससे छूट दी गई है।
- **स्लैब-आधारित साझाकरण:** लाभ-साझाकरण का स्तर **वार्षिक कारोबार के आधार पर** होगा।
- **उच्च-मूल्य संसाधन:** व्यावसायिक उपयोग के लिए, **5-20% लाभ-साझाकरण** अनिवार्य होगा।
- **अनुसंधान हस्तांतरण:** अनुसंधान परिणामों के लिए **मौद्रिक/गैर-मौद्रिक साझाकरण** सुनिश्चित किया जाएगा।
- **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) का व्यावसायीकरण:** IPR-आधारित उत्पादों की **वार्षिक एक्स-फ़ैक्ट्री बिक्री का 1% तक** लाभ साझा किया जाएगा।
- **NBS का महत्व:** संप्रभुता, जैव विविधता संरक्षण सुनिश्चित करता है और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाता है।

कार्यान्वयन की चुनौतियां

- **सीमा पार संबंधी मुद्दे:** आनुवंशिक संसाधन अक्सर देशों की सीमाओं को पार करते हैं, जिससे सहमति प्राप्त करना और लाभ साझा करना जटिल हो जाता है।
- **कमजोर क्षमता:** सीमित संसाधन CBD और राष्ट्रीय कानूनों को लागू करने में बाधा डालते हैं।
- **प्रथागत कानून का अंतर:** पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों में औपचारिक कानूनी एकीकरण का अभाव है।
- **दस्तावेजीकरण बाधाएं:** जन जैव विविधता रजिस्टर के रखरखाव की प्रक्रिया धीमी और जटिल है।
- **अनुसंधान अस्पष्टता:** शैक्षणिक और व्यावसायिक अनुसंधान के बीच अंतराल जैविक संसाधनों और संबंधित ज्ञान के दुरुपयोग का जोखिम पैदा करता है।
- **खराब निगरानी:** कई सरकारी एजेंसियों की भागीदारी और उनके अधिकार क्षेत्रों में टकराव के कारण ABS नियमों का पालन और समन्वय ठीक से नहीं हो पाता।
- **जागरूकता की कमी:** विभिन्न हितधारकों में ABS कानूनों की पर्याप्त समझ का अभाव है।

आगे की राह

- **वैश्विक तंत्र:** सीमा-पार जैविक संसाधनों के लिए **बहुपक्षीय लाभ-साझाकरण** तंत्र को अपनाना आवश्यक है।
- **स्वदेशी अधिकार:** प्रथागत कानूनों को ABS ढाँचों में कानूनी रूप से शामिल करना महत्वपूर्ण है।

- **डिजिटल PBR:** दक्षता और पारदर्शिता के लिए तकनीक-संचालित दस्तावेज़ीकरण जरूरी है।
- **अनुसंधान स्पष्टता:** सख्त शैक्षणिक और व्यावसायिक अनुसंधान मानदंड निर्धारित करना आवश्यक है।
- **केंद्रीकृत निगरानी: NBA-SBB-BMC** के बीच बेहतर समन्वय के लिए एक **एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म** विकसित करना चाहिए।

5.4. हिमालय पर्वतमाला की पारिस्थितिकी (THE HIMALAYAN MOUNTAIN SYSTEM ECOLOGY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने **काठमांडू (नेपाल)** में आयोजित **सागरमाथा संवाद** के उद्घाटन सत्र में **भारत का प्रतिनिधित्व** किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- **सागरमाथा संवाद:** यह वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर एक बहु-हितधारक संवाद मंच है।
- **शिखर सम्मेलन की थीम:** 'जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य'।
- भारत ने पर्वतीय क्षेत्रों में पारिस्थितिक चुनौतियों के समाधान हेतु **वैश्विक कार्रवाई के लिए पांच-सूत्रीय सुझाव** पेश किए है।

वैश्विक कार्रवाई हेतु पांच-सूत्रीय सुझाव

- वैज्ञानिक सहयोग में वृद्धि,
- जलवायु लचीलापन निर्माण,
- पर्वतीय समुदायों का सशक्तिकरण,
- हरित वित्त प्रदान करना,
- पर्वतीय दृष्टिकोण को मान्यता देना।

हिमालय पर्वतमाला की भू-आकृति विशेषताएं

- यह दुनिया की **सबसे युवा और सबसे ऊँची वलित पर्वत श्रेणी** है। यह **पांच देशों** भारत, नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान में विस्तृत है।
- यह पर्वतमाला लगभग **5 करोड़ वर्ष** पहले **भारतीय प्लेट** और **यूरेशियन प्लेट** के टकराव के परिणामस्वरूप बनी थी।
- **प्रमुख हिमनद:** गंगोत्री, यमुनोत्री, अलकनंदा।
- **13 भारतीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (2,500 किमी)** में फैला हुआ।
- **विविध वनस्पति:** उष्णकटिबंधीय (**गिरिपाद क्षेत्रों**) से लेकर अल्पाइन (शिखर) तक।

पारिस्थितिक महत्व

- **जैव विविधता:** भारत के दो हॉटस्पॉट (हिमालय और इंडो-बर्मा); 32% स्थानिक पौधे, दुर्लभ जीव (हिम तेंदुआ, लाल पांडा) यहां पाए जाते है।
- **वाटर-टावर: तीसरा सबसे बड़ा हिमनद**; 10 नदियों (लगभग 1.3 अरब लोग आश्रित) का उद्गम स्थल है।
- **जलवायु भूमिका:** मानसून को प्रभावित करता है; 5.4 बिलियन टन कार्बन संग्रहीत करता है, और **पृथ्वी की एल्बीडो प्रणाली** में **महत्वपूर्ण भूमिका** निभाता है।
- अर्थव्यवस्था: रेशा/ लकड़ी का स्रोत; 2025 तक हर साल **24 करोड़ पर्यटक** हिमालयी राज्यों में आने का अनुमान।

हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरे

- **वनों की कटाई:** 2019 से 2021 के बीच 1,072 वर्ग किमी वन क्षेत्र नष्ट हुआ। इस वजह से कई प्रजातियां खतरे में है।
- **तेजी से ग्लेशियरों का पिघलना:** 1935-2022 के बीच गंगोत्री ग्लेशियर 1,700 मीटर सिकुड़ गया है, जिससे GLOF जोखिम बढ़ गया।
- **जलवायु परिवर्तन:** 90% क्षेत्र +3°C पर सूखे के जोखिम का सामना कर रहा है; वैश्विक औसत से 2-5 गुना तेजी से हिमालयी क्षेत्र का तापमान बढ़ रहा है।
- **अनियंत्रित पर्यटन:** अनियंत्रित पर्यटन से **भूस्खलन और भू-धंसाव की समस्याएं** बढ़ रही हैं।
- **अनियंत्रित जलविद्युत विकास:** 115 से अधिक बड़ी जलविद्युत परियोजनाएं नदी पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण के लिए खतरा बन रही हैं।

हिमालय पर्वतमाला के पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए शुरू की गई पहलें

भारत की पहलें

- **नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम (NMSHE):** हिमनद निगरानी, जैव विविधता संरक्षण और आपदा प्रतिरोधक क्षमता पर केंद्रित है।

- **हिम तेंदुआ परियोजना:** भारत में 718 हिम तेंदुए पाए गए (वैश्विक जनसंख्या का लगभग 10-15%)।
- **हिमस्खलन और जलवायु परिवर्तन अध्ययन केंद्र:** हिमालयी हिमनदों की निगरानी करता है।
- **आपदा तैयारी:** इसमें GLOF जोखिम मानचित्रण शामिल है।
- **सतत पर्यटन और अपशिष्ट प्रबंधन:** स्वदेश दर्शन योजना और सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध।

वैश्विक पहलें

- **अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष (2025) और हिमस्खलन दशक (2025-2034):** यह यूनेस्को और विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा संचालित है।
- **ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम (GSLEP):** 12 देश संरक्षण के लिए सहयोग कर रहे हैं।
- **इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMOD):** हिंदू कुश-हिमालय क्षेत्र का संरक्षण करता है।
- **सिक्योर (SECURE) हिमालय परियोजना:** GEF द्वारा वित्त पोषित वैश्विक वन्यजीव कार्यक्रम का एक भाग है।
- **इंटरनेशनल बिग कैट्स एलायंस (IBCA):** संधि-आधारित संगठन जो सात बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों का संरक्षण करता है।

निष्कर्ष

भारतीय हिमालय का भू-राजनीतिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्व है। हालांकि इस क्षेत्र में **भूमि उपयोग में बदलाव, वन्यजीव का अवैध व्यापार, जंगल की आग**, और **इंसानी गतिविधियों का बढ़ता दबाव** इस **नाजुक जैव विविधता हॉटस्पॉट** के लिए लगातार खतरा बने हुए हैं। इससे यह साफ होता है कि इस क्षेत्र के संरक्षण के लिए और अधिक प्रयासों की जरूरत है।

5.5. FAO की "वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियों (GIAHS)" में छह नवीन साइटें शामिल की गईं (SIX NEW SITES JOIN FAO'S GIAHS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

FAO की "वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियों (GIAHS)" में छह नवीन पारंपरिक कृषि प्रणालियों को शामिल किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

कृषि प्रणालियां जिन्हें शामिल किया गया: ब्राजील में एरवा-माटे पादप के लिए पारंपरिक कृषि वानिकी प्रणाली; **चीन में पर्ल मसेल्स, सफेद चाय और नाशपाती** के लिए विशेष खेती प्रणालियां; **मेक्सिको में महत्वपूर्ण खाद्य फसलों और जैव विविधता** को संरक्षित करने वाली पारंपरिक प्रणाली; तथा **स्पेन के लैंजारोटे द्वीप के ज्वालामुखीय क्षेत्र** में एक विशिष्ट कृषि प्रणाली।

विश्वव्यापी GIAHS प्रोग्राम के बारे में

- **उत्पत्ति: 2002 में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन** में फैमिली फार्मर्स और पारंपरिक कृषि प्रणालियों को गंभीर वैश्विक प्रवृत्तियों से बचाने के लिए शुरू किया गया है।
- **उद्देश्य:** पारंपरिक कृषि प्रणालियों को जलवायु परिवर्तन, समुदायों के विस्थापन और जैव विविधता की हानि जैसे खतरों से बचाना।
- **दृष्टिकोण:** इसमें **बहु-हितधारक दृष्टिकोण को अपनाते** हुए कृषि समुदायों को तकनीकी सहायता देता है और पारंपरिक कृषि संबंधी ज्ञान के महत्व को बढ़ावा देता है।
- **वर्तमान स्थिति: 28 देशों में 95 GIAHS प्रणालियां हैं। भारत के संदर्भ में कश्मीर की केसर विरासत; ओडिशा की कोरापुट** पारंपरिक कृषि; तथा **केरल की कुट्टनाड वेटलैंड कृषि प्रणाली** (धान की खेती **समुद्र तल से नीचे** लवणीय जल में डेल्टाई दलदलों को सूखाकर प्राप्त की गई भूमि पर की जाती है।) इसमें शामिल है।

GIAHS क्या है?

- ये **कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र** हैं जिनमें ऐसे समुदाय निवास करते हैं जो अपने क्षेत्र के साथ एक जटिल संबंध में रहते हैं।
- **विशेषताएं:** उल्लेखनीय कृषि-जैव विविधता, पारंपरिक ज्ञान, अमूल्य संस्कृतियां, सुंदर परिदृश्य।

फैमिली फार्मिंग और पारंपरिक कृषि को क्यों संरक्षित किया जाए?

- **खाद्य सुरक्षा:** फसल की किस्मों को संरक्षित और संसाधनों का संधारणीय उपयोग करते हुए विविधतापूर्ण व पौष्टिक तत्वों से संपन्न भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु।
- **आय सुरक्षा:** देशज लोगों सहित कृषि पर निर्भर 2.5 बिलियन लोगों के जीवन एवं आजीविका की सुरक्षा को बढ़ने हेतु।
- **सांस्कृतिक विरासत:** वैश्विक समुदायों, संस्कृतियों, इतिहास और परंपराओं में व्यापक विविधता का संरक्षण करने हेतु।
- **नवाचार का आधार:** समकालीन और भविष्य के कृषि संबंधी नवाचार एवं प्रौद्योगिकियों के लिए आधार प्रदान करने हेतु।

मौजूदा समय में युवा पीढ़ी तेजी से शहरों की ओर पलायन कर रही है। इसलिए फैमिली फार्मिंग की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, संयुक्त राष्ट्र ने **2019-2028 को "संयुक्त राष्ट्र फैमिली फार्मिंग दशक"** घोषित किया है।

5.6. जैव ईंधन (BIOFUELS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत विश्व का **तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश** बन गया है।

जैव ईंधन के बारे में

- **नवीकरणीय संसाधनों से उत्पादित ईंधन को जैव ईंधन** कहा जाता है। इसका उपयोग जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर या उनके साथ मिश्रित कर किया जाता है।
- **प्रकार:** इन्हे **चार पीढ़ियों** में वर्गीकृत किया गया है।
- **प्रमुख उत्पादक देश:** यूएसए जैव ईंधन का सबसे बड़ा उत्पादक है, उसके बाद **ब्राजील** का स्थान है।
- इसमें **एथेनॉल और बायोडीजल, संपीडित बायोगैस (CBG), सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF)** आदि शामिल हैं।

जैव ईंधन का महत्त्व

- **पर्यावरणीय लाभ:** जीवाश्म ईंधन की तुलना में उत्सर्जन को 80% तक कम कर सकते हैं और पराली जलाने की समस्या को हल कर सकते हैं।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** इथेनॉल मिश्रण की वजह से **1,13,007 करोड़ रुपये से अधिक विदेशी मुद्रा** की बचत हुई है। इसने **तेल क्षेत्रक की अस्थिरता को कम** करने में मदद की है।
- **चक्रीय अर्थव्यवस्था:** यह **अपशिष्ट से धन सृजन करके व्यापक सामाजिक-आर्थिक लाभ** प्रदान करता है।
- **ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना:** यह किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करता है।
- **डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोग:** औद्योगिक अनुप्रयोगों के साथ नवीकरणीय मेथनॉल और उपोत्पादों का उत्पादन करता है।

जैव ईंधन का विकास

- **पहली पीढ़ी:** खाद्य फसलों से प्राप्त ईंधन।
- **दूसरी पीढ़ी:** जैविक अपशिष्ट से प्राप्त ईंधन।
- **तीसरी पीढ़ी:** शैवाल आधारित ईंधन।
- **चौथी पीढ़ी:** आनुवंशिक रूप से संशोधित सूक्ष्मजीवों से तैयार ईंधन।

जैव ईंधन के साथ चुनौतियां

- **फ़ीडस्टॉक चुनौतियां:** फीडस्टॉक को अन्य व्यावसायिक अनुप्रयोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। कृषि अपशिष्ट की मौसमी उपलब्धता और विघटन से जुड़ी बाधाएं।
- **अवसंरचना संबंधी बाधाएं:** विकेन्द्रीकृत भंडारण सुविधाओं का अभाव है।
- **खाद्य सुरक्षा बनाम ईंधन दुविधा:** खाद्य फसलों की जगह इनकी खेती, खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करती है।
- **वित्त-पोषण की आवश्यकता:** लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2030 तक 100-270 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता है।
- **पारंपरिक ईंधन से प्रतिस्पर्धा:** SAF पारंपरिक जेट ईंधन की तुलना में 2-10 गुना अधिक महंगा है।
- **कम ऊर्जा दक्षता:** जैव ईंधन में जीवाश्म ईंधन की तुलना में कम ऊर्जा घनत्व होता है।

जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देने वाली/ वाले प्रमुख पहलें/ कदम

नीतिगत और रोडमैप संबंधी पहलें:

- **राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति (2018, 2022 में संशोधित):** फीडस्टॉक आधार का विस्तार किया गया है और वित्तीय प्रोत्साहन की शुरुआत की गई है।
- **एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम:** जनवरी 2025 तक पेट्रोल में 19.6% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है।

अवसंरचना और उत्पादन सहायता:

- **प्रधान मंत्री जी-वन योजना (2019):** 2G एथेनॉल क्षमता में प्रगति को बढ़ावा देना।
- **गोबर-धन योजना:** कृषि अपशिष्ट और पशुओं के गोबर से बायोगैस को बढ़ावा देना।
- **सतत/ SATAT पहल (2018):** बायोमास अपशिष्ट से आर्थिक मूल्य प्राप्त करना।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:

- **ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस (2023):** जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए भारत के नेतृत्व वाली पहल।
  - **द्विपक्षीय तंत्र:** इंडिया-ब्राजील सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन एथेनॉल।
- **अन्य:** जैव डीजल की खरीद पर GST दर को 12% से घटाकर 5% किया गया है। E20 ईंधन, एथेनॉल 100 आदि को लॉन्च किया गया है।

5.7. बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर (BIO-INPUT RESOURCE CENTRES)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने **राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF)** के अंतर्गत **बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर्स (BRCs) की स्थापना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।**

बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर्स (BRCs) के बारे में

- BRC **क्लस्टर-स्तरीय उद्यम** होते हैं। ये किसानों को किसी निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में परीक्षण किए गए और स्थानीय रूप से तैयार जैविक तत्वों से बने इनपुट/ फार्मूलेशन को खरीदने के लिए उपलब्ध कराते हैं।
- **केंद्रीय बजट 2023-24 में** सरकार ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत **10,000 BRCs** स्थापित करने की घोषणा की थी।

BRCs द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाएं

- **जैव-उर्वरकों** और **जैव-कीटनाशकों की किस्मों को संरक्षित करना** तथा उनकी बिक्री करना ताकि उनकी संख्या अधिक की जा सके और यह अधिक किसानों को प्राप्त हो सके।
- **तत्काल उपयोग** के लिए बायो इनपुट्स तैयार करना और बिक्री करना
- **किसानों** को वनस्पति अर्क और पशु आधारित इनपुट्स तैयार करने का **प्रशिक्षण देना**
- प्राकृतिक कृषि पद्धतियों पर **ज्ञान साझा करना**
- फेरोमोन ट्रैप्स, ल्यूर, स्टिकी ट्रैप्स और अन्य सामग्री की **बिक्री करना**

मुख्य दिशा-निर्देशों पर एक नज़र:

- **वित्तीय सहायता:** प्रति BRC 1 लाख रुपये (अवसंरचनाओं की लागत को छोड़कर)।
- **अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ समन्वय:** उदाहरण के लिए- उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन, **राष्ट्रीय तिलहन मिशन** आदि।
- **बायो-इनपुट तैयार करना:** स्थानीय आवश्यकताओं, भूमि उपयोग पैटर्न, मृदा के प्रकार और फसल प्रणालियों को ध्यान में रखकर इनपुट तैयार किए जाएंगे।
- **BRCs का संचालन कौन कर सकता है:** ग्राम पंचायत स्तर पर प्राकृतिक खेती करने वाले किसान, FPOs, SHGs, सहकारी समितियां, गौशालाओं सहित कृषि विज्ञान केंद्र (KVKs) आदि।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF) के बारे में

- **उद्देश्य:** सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्राकृतिक कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देना।
- **योजना का प्रकार:** केंद्र प्रायोजित योजना। (केंद्र और राज्य द्वारा वित्त-पोषण: पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 तथा शेष सभी राज्यों के लिए 60:40)।
- **कार्य अवधि:** 2025-26 तक
- **राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC):** राष्ट्रीय स्तर पर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में।
- **प्रमुख लक्ष्य:** इच्छुक ग्राम पंचायतों के 15,000 क्लस्टर्स; एक करोड़ किसानों को लाभान्वित करना तथा 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती शुरू करना; लगभग 2000 प्राकृतिक खेती संबंधी मॉडल प्रदर्शन फार्म स्थापित करना; 30,000 कृषि सखियों (कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन) को प्रशिक्षित करना।

5.8. राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NATIONAL BOARD FOR WILDLIFE: NBWL)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के प्रधान मंत्री ने **गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक** की अध्यक्षता की।

अन्य संबंधित तथ्य

- NBWL की हाल ही में हुई बैठक **10 वर्षों के बाद हुई (पिछली पूर्ण बैठक 2012** में हुई थी)।
- 2025 में **शेरों की संख्या का आकलन करने के 16वें चक्र** की शुरुआत की घोषणा की।

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के बारे में

- यह एक **वैधानिक निकाय** है। इसका गठन **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972** में संशोधन के बाद **2003 में** किया गया था।
- **उत्पत्ति:** 1952 में गठित भारतीय वन्यजीव बोर्ड (IBW) से विकसित।
- **सदस्य:**
    - **अध्यक्ष:** प्रधान मंत्री।
    - **उपाध्यक्ष:** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रभारी केंद्रीय मंत्री।
    - NGO प्रतिनिधि और प्रख्यात संरक्षणवादी।
- **स्थायी समिति** की अध्यक्षता पयविरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा की जाती है।
- इसके कार्यों में **वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देना, नीतियां बनाना, संरक्षित क्षेत्रों पर सिफारिशें करना और वन्यजीवों पर परियोजनाओं के प्रभाव** का आकलन करना शामिल है।

NBWL से जुड़ी चिंताएं

- पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बावजूद **संरक्षित क्षेत्रों में परियोजनाओं को मंजूरी** दी गई है।
- स्वीकृत परियोजनाओं से **लुप्तप्राय प्रजातियों को खतरा** है।
- निर्णय लेने में **स्वतंत्र सदस्यों की सीमित** भूमिका।
- परियोजना मंजूरी में **स्थानीय समुदायों की राय की उपेक्षा** की जाती है।
- परियोजना मंजूरी के बाद **अनुपालन की अपर्याप्त निगरानी** की जाती है।

आगे की राह

- **योग्य वन्यजीव वैज्ञानिकों एवं संरक्षण के क्षेत्र में संलग्न NGOs** की उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- वार्षिक प्रमाण-पत्रों के माध्यम से **अनुपालन की बेहतर निगरानी सुनिश्चित** करनी चाहिए।
- वन-आश्रित समुदायों से **स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति के माध्यम से स्थानीय समुदाय की भागीदारी को संस्थागत** बनाया जाना चाहिए।
- **पारिस्थितिकी के प्रति अनुकूल विकल्पों को प्रोत्साहित** करके विकास और पर्यावरण में संतुलन स्थापित करना चाहिए।
- बेहतर प्रभाव आकलन के लिए **वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल** किया जाना चाहिए।

5.9. फंक्शनल डी-एक्सटिंक्शन (FUNCTIONAL DE-EXTINCTION)

सुर्खियों में क्यों?

एक अमेरिकी बायोटेक कंपनी **कोलोसल बायोसाइंसेस** का दावा है कि उसने आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीक का उपयोग करके ग्रे वुल्फ से जन्मे तीन बच्चों में विलुप्त डायर वुल्फ की विशेषताओं को शामिल किया है। इसलिए इसे दुनिया का पहला सफल **फंक्शनल डी-एक्सटिंक्शन** कहा जा रहा है।

फंक्शनल डी-एक्सटिंक्शन क्या होता है?

- ट्रू डी-एक्सटिंक्शन के विपरीत, **फंक्शनल डी-एक्सटिंक्शन में** जीन एडिटिंग और क्लोनिंग तकनीकों का उपयोग करके विलुप्त प्रजातियों की **पारिस्थितिक भूमिकाओं और लक्षणों को पुनर्जीवित करने** पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ।
- इन पुनर्जीवित जीवों को सटीक प्रतिरूप नहीं माना जाता, बल्कि इन्हें विलुप्त प्रजातियों से मिलते-जुलते रूप या कार्यों के लिए आनुवंशिक रूप से इंजीनियर किया जाता है।
- **इसमें CRISPR जीन एडिटिंग, क्लोनिंग** और **जीनोम मैपिंग** जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाता है।

डायर वुल्फ के बारे में

- **डायर वुल्फ (Aenocyon dirus):** ये बड़े आकार के भेड़िये थे, जो दक्षिणी कनाडा और अमेरिका में पाए जाते थे। ये आज से लगभग 13,000 साल पहले विलुप्त हो गए।
- **शारीरिक विशेषताएं:** ये 3.5 फीट तक ऊंचे, 6 फीट से ज्यादा लंबे और लगभग 68 किलोग्राम वजन के होते थे।
- **ग्रे वुल्फ के साथ तुलना:** डायर वुल्फ आज के **ग्रे वुल्फ** (कैनिस ल्यूपस) **जैसे दिखते थे**। हालांकि ग्रे वुल्फ की तुलना में इनका आकार बड़ा, सफेद फर वाला बाहरी आवरण, चौड़ा सिर, बड़े दांत, अधिक शक्तिशाली कंधे और सुडौल पैर आदि थे।
- **विलुप्त होने के कारण:** इनका आहार बनने वाली बड़ी शिकार प्रजातियों का विलुप्त होना और इंसानी गतिविधियां।

कोलोसल बायोसाइंसेस कैसे डायर वुल्फ को वापस लाया?

प्राचीन DNA सैंपल्स के आधार पर क्लोनिंग और जीन-एडिटिंग तकनीक का उपयोग किया गया:

- **प्राचीन DNA प्राप्त करना:** ओहायो से 13,000 साल पुराना एक दांत और आइडाहो से 72,000 साल पुरानी एक कान की हड्डी से।
- **जीनोम मैपिंग:** डायर वुल्फ के जीनोम का अनुक्रमण किया गया और इसकी आधुनिक ग्रे वुल्फ के साथ तुलना की गई।
- **CRISPR जीन एडिटिंग:** ग्रे वुल्फ के जीन को एडिट करके डायर वुल्फ के विशिष्ट जीन वेरिएंट को शामिल किया गया।
- **क्लोनिंग एवं जन्म:** एडिटेड DNA को **केन्द्रक रहित अंडाणु (Enucleated ova) में प्रत्यारोपित किया गया और इन्हें मादा कुत्ते के गर्भ में प्रतिस्थापित किया गया। इससे रोमुलस, रेमस** और **खलेसी** नामक तीन शावकों का जन्म हुआ।
    - पारंपरिक क्लोनिंग तकनीक के बजाय, वैज्ञानिकों ने एक कम इनवेसिव विधि का उपयोग किया जिसमें ग्रे वुल्फ से एंडोथेलियल प्रोगेनिटर कोशिकाओं (EPCs) का उपयोग किया गया।

फंक्शनल डी-एक्सटिंक्शन (कार्यात्मक पुनर्जीवन) का महत्त्व

- यह खाद्य श्रृंखला, पोषक चक्र आदि को पुनर्बहाल करने के लिए फंक्शनल प्रॉक्सी को प्रस्तुत करके **पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली** करता है।
- **खाली निकेत (Niche) में जीवों को बसाकर** जैव विविधता में वृद्धि करता है।
- बीमारी प्रतिरोधकता या जैव विविधता को बढ़ाने के लिए संरक्षण का एक साधन प्रदान करता है।

फंक्शनल डी-एक्सटिंक्शन के बारे में चिंताएं

- **पारिस्थितिकीय विघटन:** "डी-एक्सटिंक्ट" प्रजातियां पूर्णतः विलुप्त प्रजातियों की भूमिका को पूरी तरह से दोहरा नहीं सकती हैं। ये मौजूदा पारिस्थितिकीय संतुलन को बिगाड़ भी सकती हैं।
- **नैतिक चिंताएं:** पशु कल्याण से संबंधित चिंताएँ, क्योंकि इसमें गंभीर आनुवंशिक परिवर्तन शामिल होते हैं।
- **संसाधनों पर दबाव:** डी-एक्सटिंक्शन परियोजनाओं पर खर्च किए गए संसाधन को वर्तमान संकटों का सामना कर रहे मौजूदा संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण में बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है।
- **विनियमन का अभाव:** डी-एक्सटिंक्शन के लिए कोई स्पष्ट वैश्विक नैतिक या कानूनी फ्रेमवर्क की कमी है।
- **फंक्शनल डी-एक्सटिंक्शन का महत्त्व:** पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली और जैव विविधता को बढ़ाने के लिए संरक्षण उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

निष्कर्ष

डी-एक्सटिंक्शन की सफलता वास्तव में वैज्ञानिक इनोवेशन को पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ी नैतिकता और संधारणीय तरीके से संरक्षण की जिम्मेदारी के साथ संतुलित करने पर निर्भर करती है।

5.10. प्रोजेक्ट लायन और IUCN ग्रीन स्टेटस ऑफ़ स्पीशीज (PROJECT LION AND IUCN GREEN STATUS OF SPECIES)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र ने शेरों के संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए **'प्रोजेक्ट लायन' के लिए वित्त-पोषण** को मंजूरी दी।

अन्य संबंधित तथ्य

- सरकार ने वन्यजीवों में बीमारियों की निगरानी के लिए **गुजरात के जूनागढ़ जिले में नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ (NRC-W)** की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
- IUCN ने शेरों के लिए **पहला ग्रीन स्टेटस असेसमेंट** भी जारी किया है। इसमें शेरों को **"बहुत अधिक गिरावट"** श्रेणी में रखा है।
- आकलन से यह भी पता चला कि **मानवीय गतिविधियों का प्रभाव शेरों** को उनके संपूर्ण प्राकृतिक पर्यावास में **पारिस्थितिक रूप से पूरी भूमिका निभाने में बाधा** डालता है।

IUCN ग्रीन स्टेटस ऑफ़ स्पीशीज

- यह प्रजातियों की **पुनर्प्राप्ति को मापने और संरक्षण प्रभाव का आकलन** करने के लिए **एक वैश्विक मानक प्रदान** करता है।
- **सूक्ष्मजीवों को छोड़कर सभी प्रजातियों का कवरेज,** आठ ग्रीन स्टेटस श्रेणियां और रेड लिस्ट को पूरक बनाना इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं में शामिल है।
- **कोई प्रजाति पूर्णतः पुनर्प्राप्त** हो जाती है, यदि वह अपने ऐतिहासिक पर्यावास के सभी भागों में मौजूद है। वह अपने पूरे पर्यावास में व्यवहार्य आबादी में मौजूद है। वह अपने पर्यावास के सभी भागों में **पारिस्थितिकी कार्य को संपन्न** करती है।

प्रोजेक्ट लायन (2020) के बारे में

- **उद्देश्य: व्यापक संरक्षण संबंधी प्रयासों** के माध्यम से एशियाई शेरों के भविष्य को सुरक्षित करना।
- **मुख्य फोकस क्षेत्र:** परिदृश्य **पारिस्थितिकी-आधारित संरक्षण, शेरों के पर्यावास का पुनरुद्धार**, सामुदायिक भागीदारी और रोग प्रबंधन।
- **समय अवधि:** 10 वर्ष।
- **कार्यान्वयन:** गुजरात सरकार और अन्य हितधारकों द्वारा।

एशियाई शेर (भारतीय शेर) के बारे में

- **पर्यावास:** घास के मैदान, सवाना, घनी झाड़ियां और खुले वन।
- **वितरण:** वर्तमान में **केवल गुजरात के गिर भू-परिदृश्य** में पाए जाते हैं।
- **मुख्य विशेषताएं:** वयस्क नर शेर मादाओं की तुलना में काफी बड़े होते हैं। इनका **जीवनकाल** लगभग 16-18 वर्ष का होता है। शेर बड़े झुंडों में रहते हैं। शेर **रात में ही शिकार** करते हैं। मादाओं की **गर्भधारण अवधि** लगभग 100 से 119 दिनों तक रहती है। **नर शेर नियमित रूप से अपने क्षेत्रों में गश्त** लगाते हैं।
- **पारिस्थितिक भूमिका:** शेर **शीर्ष शिकारी** होते हैं। वे शाकाहारी जानवरों की आबादी को नियंत्रित करते हैं और बीमारी के प्रसार पर रोक लगाते हैं।
- **आबादी:** 2020 में 674 (2015 में 523) थी।
- **संरक्षण स्थिति:** वल्नरेबल (IUCN); **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972:** अनुसूची-I में सूचीबद्ध; तथा **CITES:** परिशिष्ट-I में सूचीबद्ध।
- **उप-प्रजातियां: नॉर्दन लायन (पैंथरा लियो लियो):** उत्तर, मध्य और पश्चिम अफ्रीका में पाई जाती है। इसमें **एशियाई शेर** शामिल हैं। **सदर्न लायन:** पूर्वी और दक्षिण अफ्रीकी शेर।

कई अन्य पहलों ने एशियाई शेरों के संरक्षण को और मजबूत किया है

- **इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस** (2023)।
- **एशियाई शेर संरक्षण परियोजना।**
- अतिरिक्त उपयुक्त पर्यावास विकसित करने के लिए **ग्रेटर गिर कॉन्सेप्ट।**
- **वन्यजीव अपराध प्रकोष्ठ** सहित मजबूत सुरक्षा तंत्र।
- अन्य पहलों में **CSS-DWH समर्थन, पर्यावास सुधार उपाय और विश्व शेर दिवस** मनाना शामिल हैं।

5.11. नदी डॉल्फिन (RIVER DOLPHINS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नदी डॉल्फिनों के पहले व्यापक सर्वेक्षण से पता चला है कि मुख्य रूप से **गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु** नदी घाटियों में डॉल्फिनों की अनुमानित संख्या **6,327** है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह सर्वेक्षण **भारतीय वन्यजीव संस्थान ने 'प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020'** के तहत किया।
- इस सर्वेक्षण के निष्कर्ष **"भारत में नदी डॉल्फिन की आबादी की स्थिति 2024"** शीर्षक वाली रिपोर्ट में प्रकाशित हुए हैं।

"भारत में नदी डॉल्फिन की आबादी की स्थिति 2024" रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- 20वीं सदी के अंत तक गंगा नदी में डॉल्फिन की संख्या **4,000-5,000** थी, लेकिन यह घटकर लगभग **1,800** रह गई है।
- **भारत में नदी डॉल्फिन की कुल संख्या 6,327** है, जिसमें **गंगा** नदी की डॉल्फिन (6324) और **सिंधु** नदी की डॉल्फिन (केवल 3) हैं।
- **उत्तर प्रदेश** में डॉल्फिन की **सबसे ज्यादा** आबादी है। इसके बाद **बिहार, पश्चिम बंगाल, असम झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान** का स्थान है।
- सिंधु नदी डॉल्फिन की संख्या **चिंताजनक रूप से कम** है। इसके **संरक्षण पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता** है।
- डॉल्फिन **पर्यावास और जैव विविधता संरक्षण के लिए अंब्रेला प्रजाति** के रूप में कार्य करती हैं।

भारतीय वन्यजीव संस्थान

- **उत्पत्ति:** 1982, WII को **अप्रैल 1986** में स्वायत्तता प्रदान की गई थी।
- **मुख्यालय:** देहरादून
- **मंत्रालय:** पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- **गवर्नेंस:** भारतीय वन्यजीव संस्थान का शासन केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री की अध्यक्षता वाली सोसायटी के अधीन चलता है।
- **मिशन:** वन्यजीव विज्ञान के विकास को बढ़ावा देना और हमारे सांस्कृतिक एवं सामाजिक-आर्थिक परिवेश के अनुरूप संरक्षण में इसके अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करना।

- **कार्य:** वन्यजीव और जैव विविधता अनुसंधान एवं प्रबंधन में प्रशिक्षण कार्यक्रम, शैक्षणिक पाठ्यक्रम व सलाह।
- **महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ:** पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय वन्यजीव डेटाबेस, पर्यावरण सूचना प्रणाली केंद्र (ENVIS) आदि।

गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में तथ्य

- मुख्य रूप से **गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना और कर्णफुली-सांगु** नदी प्रणालियों में पाई जाती है।
- भारत में **दुनिया की 90% गंगा नदी डॉल्फिन** पाई जाती हैं।
- यह भारत का **राष्ट्रीय जलीय जीव** है। स्थानीय रूप से इसे **'सूंस'** कहा जाता है
- यह शीर्ष **शिकारी व संकेतक** प्रजाति है, जिस कारण से इसे **"टाइगर ऑफ गंगा"** कहा जाता है।
- **CITES:** परिशिष्ट-I; **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम:** अनुसूची-I; **IUCN स्थिति:** एंडेंजर्ड।
- आमतौर पर एकांतवासी एवं **दृष्टिहीन** जीव। **इकोलोकेशन** के जरिए नदी के जल में अपना मार्ग और शिकार खोजती है।

सिंधु नदी डॉल्फिन के बारे में मुख्य तथ्य

- इसे 2019 में **पंजाब ने राजकीय जलीय जीव घोषित** किया गया था।
- रंग भूरा या धूसर (ग्रे) होता है, **दृष्टिहीन** होती हैं तथा दिशा और शिकार के लिए **इकोलोकेशन तकनीक का उपयोग** करती हैं
- पाकिस्तान में **सिंधु नदी प्रणाली और पंजाब में ब्यास नदी** में पाई जाती है।
- इनका स्थानीय नाम **"भूलन"** है।
- **वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022** में गंगा नदी डॉल्फिन और सिंधु नदी डॉल्फिन को दो अलग-अलग प्रजातियों के रूप में शामिल किया गया है।

गंगा नदी की डॉल्फिन के समक्ष खतरा

- **मछली पकड़ने** के दौरान गलती से मृत्यु, **बायकैच और जानबूझकर हत्या** की जाती है।
- मानव निर्मित **जलीय अवसंरचना पर्यावास संपर्क** को बाधित कर रही है।
- **खनन, कृषि और औद्योगिक गतिविधियां** जल की गुणवत्ता को खराब कर रही हैं।
- **नावों की आवाजाही में वृद्धि और मानवीय गतिविधियों** से होने वाला ध्वनि प्रदूषण इन्हें नुकसान पहुंचा रहा है।
- **जलवायु परिवर्तन** के कारण नदियों में खारा पानी भी प्रवेश कर रहा है।

नदी डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए भारत की पहलें

- संरक्षण और पर्यावास सुधार के लिए **व्यापक कार्य योजना (2022-2047)।**
- **वन्यजीव पर्यावास विकास योजना** के माध्यम से वित्तीय सहायता
- **विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य** जैसे संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना।
- **चंबल नदी संरक्षण क्षेत्र** को नामित किया गया।
- जागरूकता के लिए **5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस** मनाया जाता है।
- **पटना** में भारत के पहले **राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र** की स्थापना।
- 2024 में **गंगा नदी डॉल्फिन की पहली सैटेलाइट-टैगिंग।**

5.12. जंपिंग स्पाइडर्स (JUMPING SPIDERS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

एक सहयोगात्मक शोध में **पश्चिमी घाट के शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य (केरल) से जंपिंग स्पाइडर्स की दो नई प्रजातियों** की खोज की गई।

नई प्रजातियों के बारे में

- दोनों नई प्रजातियां **एपिडेलैक्सिया कुल** से संबंधित हैं।
- इस जीनस को **भारत में पहली बार दर्ज** किया गया है। पहले इसे **श्रीलंका की स्थानिक प्रजाति** माना जाता था।

जंपिंग स्पाइडर्स के बारे में:

- **कुल:** यह **मकड़ियों (स्पाइडर्स)** के सबसे बड़े कुल से संबंधित हैं।
- **पर्यावास:** उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्य।
- **विशेषताएं:**

- अपने शरीर की लंबाई से **30 गुना अधिक दूरी** तक छलांग लगा सकती हैं।
- इनके सामने के बड़े पैर इन्हें शिकार को **पकड़ने और पकड़े रहने** में मदद करते हैं। ये अपने **पिछले पैरों का उपयोग छलांग लगाने** के लिए करती हैं।

- अधिकांश मकड़ियों की **आठ या छः आंखें होती हैं, लेकिन उनकी दृष्टि कमजोर** होती है।
  - जंपिंग स्पाइडर्स की **8 आंखें** होती हैं, जो **युग्मों में व्यवस्थित** होती हैं। साथ ही, **मनुष्यों की तुलना में कहीं ज्यादा रंग देख** सकती हैं।
  - दिन में शिकार करते समय जंपिंग स्पाइडर्स **लाल स्पेक्ट्रम, हरा स्पेक्ट्रम और पराबैंगनी प्रकाश** में देख सकती हैं।
- **व्यवहार:**
  - जंपिंग स्पाइडर्स **सक्रिय शिकारी** होती हैं और कीड़ों तथा अन्य मकड़ियों का शिकार करती हैं।
  - जंपिंग स्पाइडर्स अपने **रेशम से "प्यूप टेंट"** नामक आश्रय बनाती हैं।

मकड़ियां बनाम कीट

- **वर्गीकरण:**
  - **मकड़ियां:** वर्ग अरचिन्डा
  - **कीट:** वर्ग इन्सेक्टा
- **शरीर की संरचना:**
  - **मकड़ियां:** 2 खंड (सेफालोथोरेक्स और वक्ष), 8 पैर
  - **कीट:** 3 खंड (सिर, वक्ष व पेट), 6 पैर
- **मुख्य विशेषताएं:**
  - **मकड़ियां:** एंटीना नहीं होते, कोई पंख नहीं, कोई कायांतरण नहीं।
  - **कीट:** एंटीना होते हैं, अक्सर पंख होते हैं, कायांतरण से गुजरते हैं।
- **समानताएं:**
  - दोनों ही **फाइलम आर्थ्रोपोडा** से संबंधित हैं।
  - दोनों में **एक्सोस्केलेटन और जोड़दार पैर** होते हैं।

5.13. मरीन हीटवेव्स (MARINE HEATWAVES)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, 2023-24 की गर्मियों में मरीन हीटवेव्स (MHWs) के दिनों की औसत संख्या में **240 प्रतिशत** की वृद्धि हुई।

अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- पिछले दो वर्ष (2023-2024) **स्थल और महासागर** दोनों पर अब तक के सबसे गर्म साल रहे हैं।
- पूरे विश्व में मरीन हीटवेव्स की घटनाएं देखी गई हैं। **महासागरों के 8.8% भाग में** अब तक रिकॉर्ड किया गया सबसे अधिक **समुद्री सतही तापमान** दर्ज किया गया है।
- प्रचंड घटनाएं विशेष रूप से **उत्तरी अटलांटिक, दक्षिण-पश्चिम प्रशांत, पूर्वी प्रशांत और पश्चिमी हिंद महासागर** में स्पष्ट रूप से देखी गई।

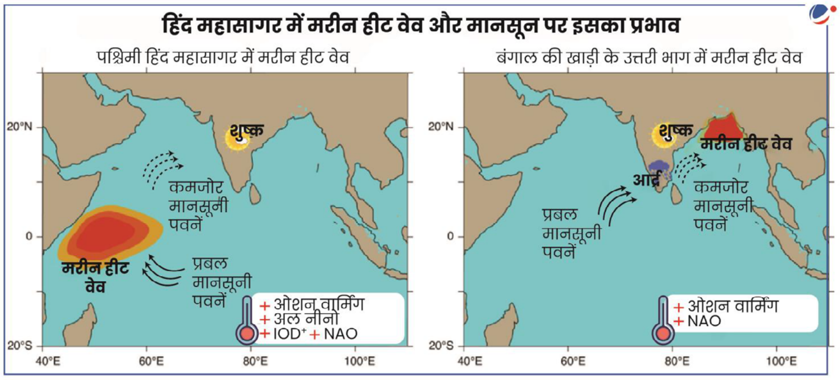

मरीन हीटवेव (MHWs) क्या होती है?

- यह तब घटित होती है, जब समुद्र के किसी क्षेत्र विशेष का सतही तापमान कम-से-कम **पांच दिनों तक औसत तापमान से 3 या 4 डिग्री सेल्सियस अधिक** बना रहता है।
- कोई **निश्चित तापमान** मरीन हीटवेव्स को परिभाषित नहीं करता, क्योंकि महासागर का तापमान स्थान और समय के हिसाब से बदलता रहता है। इनका आमतौर पर तब पता चलता है जब समुद्री जल का तापमान पिछले माप की तुलना में अधिक गर्म होता है।
- MHWs की स्थिति **कई दिनों, हफ्तों, महीनों या यहां तक कि वर्षों** तक बनी रह सकती है।
- **1982** के बाद से समुद्री **MHWs की घटनाओं की संख्या दोगुनी** हो गई है।

समुद्री हीटवेव के कारक

- उच्च दाब प्रणालियों सहित **वायुमंडलीय और महासागरीय प्रक्रियाओं का संयोजन** मरीन हीटवेव्स का कारण बन सकते हैं।
- जब वायुमंडलीय उच्च दबाव प्रणालियां अधिक समय तक जल क्षेत्रों पर बनी रहती हैं, तो वे **सतही ऊष्मा प्रवाह** बढ़ाती हैं।
- **अभिवहन:** समुद्री धाराओं द्वारा किसी क्षेत्र में गर्म समुद्री जल पहुँचाना।
- **मानव-प्रेरित ग्लोबल वार्मिंग:** महासागर ग्रीनहाउस गैसों से उत्सर्जित 90% अतिरिक्त गर्मी को अवशोषित करते हैं।

समुद्री हीटवेव के प्रभाव

- **जैविक प्रभाव:** प्रवाल विरंजन, केल्प फॉरेस्ट्स घास और प्रवाल भित्तियों जैसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी-तंत्रों की क्षति।
- **प्रभावित मौसम पैटर्न** की वजह से रिकॉर्ड तूफान और वर्षा।
- मरीन हीटवेव के कारण विशेष रूप से **उथले जल क्षेत्र के समुद्री जल में ऑक्सीजन की कमी।**
- भारत जैसे क्षेत्रों में **मानसूनी वर्षा के पैटर्न पर प्रभाव।**
- **समुद्र के अम्लीकरण** में वृद्धि।
- जलीय कृषि, पर्यटन और मछली पकड़ने पर प्रभाव डालकर **आजीविका को नुकसान।**
- **जल के तापीय विस्तार** के जरिए समुद्र के जलस्तर में वृद्धि।

मरीन हीटवेव से निपटने की रणनीतियां

- इसमें **कोरल्स को गहरे और ठंडे पानी में स्थानांतरित** करने जैसे पूर्व सक्रिय हस्तक्षेप।
- **मात्स्यिकी को बंद करना और मछली पकड़ने की प्रथाओं को बदलने** सहित प्रतिक्रियात्मक हस्तक्षेप।
- लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए **बाह्य-स्थाने संरक्षण विधियां।**
- **समुद्री बादल की चमक बढ़ाने** जैसे जियो-इंजीनियरिंग हस्तक्षेप।
- पेरिस समझौते के तहत **जलवायु परिवर्तन पहलों का प्रभावी कार्यान्वयन।**
- **तैयारी और प्रतिक्रिया योजना को सक्षम करने के लिए मरीन हीटवेव पूर्वानुमान विधि।**

5.14. शहरी बाढ़ (URBAN FLOODS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **बेंगलुरु में थोड़े समय की भारी प्री-मानसून वर्षा** के कारण **भीषण बाढ़** आ गई।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस तरह की शहरी बाढ़ की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जैसे- **हैदराबाद (2020-21), चेन्नई (2021), बेंगलुरु और अहमदाबाद (2022), दिल्ली (2023)**। ये सभी घटनाएं यह दर्शाती हैं कि शहरी बाढ़ अब नियमित समस्या बन गई है।

शहरी बाढ़ क्या है?

- यह एक प्रकार की बाढ़ है, जिसमें **जल निकासी व्यवस्था अचानक, अत्यधिक वर्षा को संभालने में असमर्थ होने के कारण शहर या शहरी क्षेत्र जलमग्न** हो जाता है।
- शहरी बाढ़ और ग्रामीण बाढ़ में अंतर होता है, क्योंकि शहरों में जमीन पर अधिक निर्माण होता है। इस वजह से **बाढ़ की तीव्रता 1.8 से 8 गुना तक बढ़ सकती है।**

शहरी बाढ़ के कारण

प्राकृतिक कारक

- **मौसम संबंधी कारक:** अत्यधिक वर्षा की घटनाओं के कारण अचानक जल का जमाव हो जाता है, जैसा कि 2005 की मुंबई बाढ़ और 2015 की चेन्नई बाढ़ में देखा गया था।
- जलवायु परिवर्तन ने इन पैटर्न को और तीव्र कर दिया है।
- **जलविज्ञान संबंधी कारक:** बाढ़ का खतरा तब उत्पन्न होता है जब **सतही अपवाह वर्षा** के दौरान **अंतःस्यंदन दर से अधिक** होता है।
    - यमुना जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण दिल्ली में बाढ़ आती है।

मानवजनित कारक: अनियोजित शहरीकरण:

- **बेंगलुरु की नालियां केवल वर्षा जल के निकास** के लिए बनाई गई थी, लेकिन उनसे प्रतिदिन लगभग 2000 MLD सीवेज प्रवाहित होता है। बिल्डर्स अतिक्रमण कर उन्हें समाप्त कर देते है।
- **झीलों पर अतिक्रमण:** उदाहरण के लिए- पुडुचेरी में ओस्टेरी झील, महाराष्ट्र में चारकोप झील।
- **बांधों से पानी की अनियोजित निकासी:** उदाहरण के लिए- **चेम्बरमपक्कम झील के कारण 2015 में चेन्नई में आई बाढ़।**
- **अवैध खनन गतिविधियां:** उदाहरण- **कावेरी नदी (तमिलनाडु)** में नदी तल की गहराई कम होने से बाढ़ की तीव्रता बढ़ी है।

शहरी बाढ़ प्रबंधन में चुनौतियां

- **संवैधानिक ज़िम्मेदारियों का विभाजन: जल राज्य सूची का विषय** है, जबकि जल **निकास प्रणालियों के प्रबंधन की जिम्मेदारी** शहर की नगरपालिकाओं की होती है।
- **अवसंरचना की चुनौतियां:** पुरानी और अपर्याप्त अवसंरचना वर्तमान वर्षा की तीव्रता को संभाल नहीं सकते।
- **सामाजिक असमानता:** निम्न-आय वाले समुदाय अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे वाले बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में रहते हैं।
- **तीव्र शहरीकरण:** यह प्राकृतिक जल निकासी पैटर्न को बाधित कर रहा है।
- **जल निकासी डिजाइन के लिए आवश्यक आंकड़ों का अभाव:** भारत के प्रमुख शहरों के लिए **इंटेंसिटी ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी (IDF)** कर्व IMD से आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है।

शहरी बाढ़ से निपटने के उपाय

- **NDMA दिशा-निर्देश: आपदा प्रबंधन योजनाएं** तैयार करने के लिए मार्गदर्शन देने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- **बाढ़ पूर्वानुमान केंद्र:** केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ पूर्वानुमान केंद्रों का एक नेटवर्क विकसित किया है।
- **तकनीकी उपाय: IFLOWS-मुंबई, CFLOWS-चेन्नई वेब GIS आधारित निर्णय समर्थन प्रणालियां** हैं। **मिशन मौसम के तहत 39 डॉप्लर मौसम रडार** स्थापित किए गए हैं।
- **भूजल पुनर्भरण कार्यक्रम:** मास्टर प्लान में **1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन संरचनाओं** की परिकल्पना की गई है।
- **जल निकाय विकास योजनाएं:** वर्षा जल संचयन के लिए **अमृत सरोवर मिशन**।
- **शहरी अवसंरचना उपाय: अमृत 2.0 योजना** जल निकासी प्रणालियों को सुदृढ़ करने का प्रावधान करती है।

वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ आगे की राह

- **सिंगापुर का ABC कार्यक्रम:** इसमें जल को **"सक्रिय, सुंदर और स्वच्छ" बनाने के लिए "ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर" का उपयोग** किया जाता है।
- **वियना का न्यू डेन्यूब सिस्टम:** यह **डेन्यूब नदी के किनारे बनाया गया चैनल** है जिसकी लंबाई 21 किलोमीटर है।
- **चीन की स्पॉन्ज सिटीज़:** इसमें **प्रकृति-आधारित समाधानों जैसे कि छिद्रदार सतहों, पुनर्बहाल आर्द्रभूमि और जल चैनलों का उपयोग** किया जाता है।
- **डेनमार्क की ग्रीन क्लाइमेट स्क्रीन:** यह वर्षा जल प्रबंधन प्रणाली है जो **प्राकृतिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके इमारतों से उत्सर्जित जल को प्रोसेस** करती है।
- अन्य संभावित उपाय: समोच्च मानचित्र तैयार करना, वर्षा जल निकासी नेटवर्क का विस्तार, क्रॉस-ड्रेनेज कार्य, और पंपिंग क्षमता में वृद्धि।

5.15. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA: GSI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) की **स्थापना के 175 वर्ष पूरे हुए।**

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) के बारे में

- इसकी परिकल्पना **जॉन मैक्लेइलैंड** ने की थी। **डेविड हीरॉ विलियम्स को 1846** में पहला भूवैज्ञानिक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था।
- **1851** में नए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षक **थॉमस ओल्डहम की नियुक्ति के बाद** GSI द्वारा कार्यों की शुरुआत हुई थी।
- यह सर्वे ऑफ इंडिया (1767) के बाद **भारत का दूसरा सबसे पुराना सर्वेक्षण संगठन** है।
- GSI को शुरु में **रेलवे के लिए कोयले के भंडार** का पता लगाने के लिए स्थापित किया गया था। **अब यह ख्याति प्राप्त भूविज्ञान संस्थान** है।
- इसका **मुख्यालय कोलकाता** में है और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं।
- **खान मंत्रालय** से संबद्ध।

GSI के कार्य

- इसका मुख्य कार्य **राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक जानकारी जुटाना, उसे अपडेट करना और खनिज संसाधन का आकलन** करना है।
- यह **सर्वेक्षण, संसाधन मूल्यांकन, सूचना प्रसार, अनुसंधान और क्षमता निर्माण** को कवर करने वाले **पांच मिशनों** के तहत काम करता है।

GSI की उपलब्धियां

- **1877 में भारत का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र प्रकाशित किया और राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी** की शुरुआत की।
- वर्तमान में **448 खनिज अन्वेषण परियोजनाओं** पर काम कर रहा है। इसमें **दुर्लभ भू-तत्व, लिथियम** जैसे महत्वपूर्ण खनिज भी शामिल हैं।
- यह **GNSS आधारित स्टेशनों का संचालन** करता है और इसने **भूकोष** नामक भू-स्थानिक पोर्टल विकसित किया है।
- **रिचर्ड डिक्सन ओल्डम के अध्ययन की मदद से भूकंप के बारे में बेहतर समझ विकसित की** और **भूकंपीय तरंगों के तीन अलग-अलग प्रकारों की** पहचान की।
- यह **भूस्खलन के कारणों की जांच** करने के संबंध में नोडल एजेंसी है। प्रोटोटाइप के रूप में **अग्रिम चेतावनी प्रणाली** विकसित की है।
- यह **अंटार्कटिका का अध्ययन** करता है तथा **भू-विरासत स्थलों और राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारकों** की घोषणा करता है।
  - हाल ही में, GSI ने **फ्यूचर मिनरल फोरम 2024 (सऊदी अरब) और 37वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस (साऊथ कोरिया)** में भाग लिया है।

5.16. उद्योगों का संशोधित वर्गीकरण (REVISED CLASSIFICATION OF INDUSTRIES)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने **राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स (SPCBs) को उद्योगों का संशोधित वर्गीकरण** अपनाने का निर्देश दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- संशोधित वर्गीकरण, पारदर्शी कामकाज तथा व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना है।
- नए वर्गीकरण में, **CPCB ने कुल 419 क्षेत्रकों को रेड (125), ऑरेंज (137), ग्रीन (94), व्हाइट (54) और ब्लू (9)** श्रेणी में वर्गीकृत किया है।
  - **ब्लू श्रेणी को** हाल ही में शामिल किया गया है।
- **CPCB ने प्रदूषण सूचकांक (PI)** पर आधारित **संशोधित कार्य-प्रणाली को अपनाया** है।
- पर्यावरण प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले उद्योगों के लिए प्रोत्साहन: **उदाहरण के लिए**, रेड श्रेणी के लिए **कंसेंट टू ऑपरेट (CTO)** परमिट अधिकतम 10 वर्षों की वैधता के लिए दिया जा सकता है।

उद्योगों का वर्गीकरण

- **पृष्ठभूमि:** इसकी शुरुआत 1989 में **MoEFCC** द्वारा जारी की गई **दून घाटी (उत्तराखंड) अधिसूचना के साथ हुई थी।** PI-आधारित **वर्गीकरण की शुरुआत 2016 में की गई थी।**
- **उद्देश्य:** यह सुनिश्चित करना कि उद्योग की स्थापना पर्यावरणीय उद्देश्यों के अनुरूप हो। यह वर्गीकरण **सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्रक के लिए है, न कि अलग-अलग इकाइयों के लिए।**
- **वर्गीकरण का उपयोग/ प्रासंगिकता:** उद्योगों की स्थापना हेतु स्थल निर्धारण में; क्षेत्रक विशेष क्लस्टर योजना बनाने में, आदि।

ब्लू श्रेणी के बारे में

- इसमें घरेलू/ औद्योगिक अपशिष्ट प्रदूषण का प्रबंधन के लिए आवश्यक पर्यावरणीय सेवाओं (ESSs) को शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, नगरपालिका अपशिष्ट सुविधाएं (लैंडफिल)।
  - कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट (नगरपालिका/कृषि अपशिष्ट पर आधारित) 'ब्लू श्रेणी' में हैं। औद्योगिक अपशिष्ट कंप्रेस्ड बायोगैस 'रेड श्रेणी' में बने हुए हैं।
- **उद्देश्य:** वैज्ञानिक तरीके से अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना।
- **मुख्य लाभ:** CTO वैधता- अन्य श्रेणियों की तुलना में 2 वर्ष अधिक।

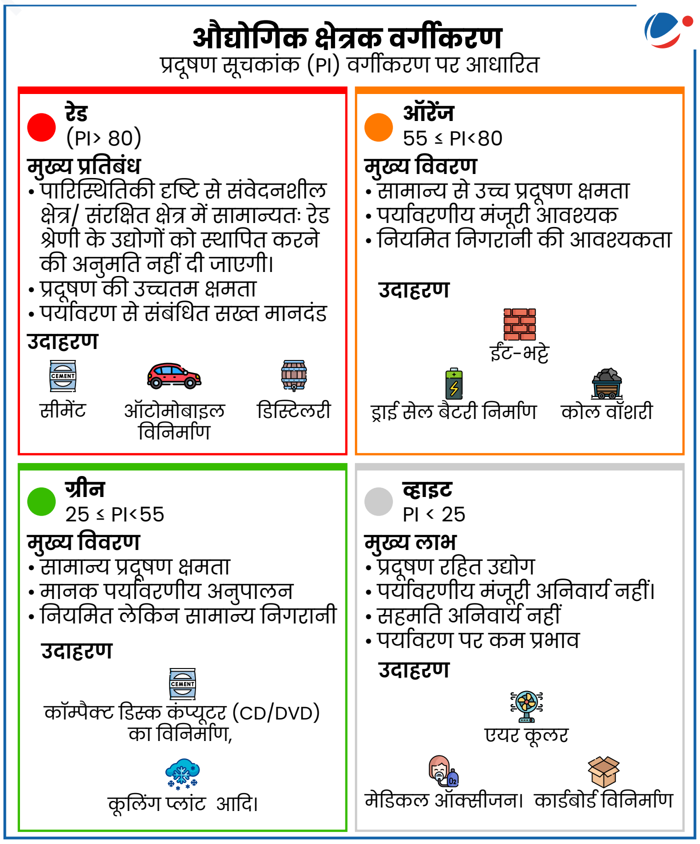

5.17. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS)

5.17.1. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होने वाली पर्यावरणीय मंज़ूरी को रद्द कर दिया (SUPREME COURT STRIKES DOWN RETROSPECTIVE ENVIRONMENTAL CLEARANCES)

वनशक्ति बनाम भारत संघ (2025) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को **खनन परियोजनाओं को पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंज़ूरी (EC) देने या EIA अधिसूचना, 2006 का उल्लंघन करने वाली कार्रवाइयों को नियमित** करने से रोक दिया है।

- **EIA अधिसूचना, 2006** के तहत किसी परियोजना को शुरू करने से पहले **'पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी'** प्राप्त करना अनिवार्य है।
- न्यायालय ने यह भी माना कि ऐसी अधिसूचना अवैध, मनमानी और संविधान के **अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 21** का उल्लंघन है।
- इससे पहले, **कॉमन कॉज बनाम भारत संघ एवं अन्य (2017)** में, सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी की अवधारणा **पर्यावरणीय न्यायशास्त्र के लिए पूरी तरह से अलग** है।

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) के बारे में

- **EIA अधिसूचना 2006,** विकास संबंधी परियोजनाओं को मंजूरी देने से पहले उनके संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए एक विनियामकीय ढांचा है।
- **इसने परियोजनाओं को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है:**
  - **श्रेणी A: राष्ट्रीय स्तर का मूल्यांकन**
    - केंद्र सरकार यानी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत से **पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति** की आवश्यकता होगी।
    - **विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC)** की सिफारिशों के आधार पर निर्णय किया जाता है।
  - **श्रेणी B: राज्य स्तरीय मूल्यांकन**
    - **राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA)** से पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता होगी।
    - **राज्य या संघ राज्य क्षेत्र स्तर की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC)** की सिफारिशों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

5.17.2. कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण {COMMAND AREA DEVELOPMENT AND WATER MANAGEMENT (M-CADWM)}

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण (M-CADWM)' योजना को मंजूरी दी।

- **M-CADWM को 2025-2026 के लिए PMKSY की एक उप-योजना के रूप में मंजूरी** दी गई है।
- PMKSY को **खेतों तक पानी को पहुँचाने और सिंचित क्षेत्रों का विस्तार** करने के लिए 2015-16 में लॉन्च किया गया था। इसकी शुरुआत **2015-16** में की गई थी।

M-CADWM के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **उद्देश्य:** सिंचाई जल आपूर्ति नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना, ताकि मौजूदा नहरों या अन्य स्रोतों से सिंचाई जल को नामित क्लस्टर में पहुंचाया जा सके।
- **प्रणाली: अंडरग्राउंड प्रेसराइज़्ड पाइप्ड सिंचाई** के माध्यम से किसानों की **1 हेक्टेयर तक की भूमि को सूक्ष्म-सिंचाई सुविधा** उपलब्ध कराई जाएगी।
- **प्रौद्योगिकी:** जल-उपयोग की निगरानी (वाटर एकाउंटिंग) और जल प्रबंधन के लिए SCADA और IoT
- **योजना के संभावित लाभ:**
  - **खेतों की जल उपयोग दक्षता (WUE) में सुधार होगा;** कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी; आदि।
  - **संधारणीय कृषि:** सिंचाई प्रबंधन की जिम्मेदारी **जल-उपयोग समितियों (WUS)** को हस्तांतरित करता है। आर्थिक व्यवहार्यता के लिए WUS को FPO से जोड़ता है।
  - आधुनिक सिंचाई पद्धतियों को अपनाने से **युवाओं को कृषि गतिविधियों में आकर्षित** किया जा सकेगा।

कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (CAD&WM) कार्यक्रम के बारे में

- **शुरुआत:** इसे **1974-75** में शुरू किया गया था। वर्ष **2004** में बदलाव लाकर इसे वर्तमान नाम - CAD&WM कार्यक्रम - दिया गया।
- **उद्देश्य:** विकसित सिंचाई सुविधाओं की क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना और सतत रूप से **कृषि उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि** करना।
- इसे **2015-16 से प्रधान-मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के 'हर खेत को पानी' घटक** के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है।
- **इस योजना के निम्नलिखित दो उप-घटक हैं:**
  - **सिंचाई संरचना का विकास:** खेत में सिंचाई सुविधाओं का विकास; फील्ड, इंटरमीडिएट व लिंक नहरों का निर्माण करना; आदि।
  - **गैर-संरचनात्मक उपाय:** पंजीकृत जल उपयोगकर्ता समितियों को एकमुश्त अनुदान देना; जल उपयोग दक्षता पर प्रशिक्षण प्रदान करना; खेतों में इसे वास्तविक रूप में दर्शाना और इसे अपनाने का परीक्षण करना।

5.17.3. 58वां टाइगर रिजर्व {58TH TIGER RESERVE (TR)}

मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का **58वां टाइगर रिजर्व** घोषित किया गया।

- यह मध्य प्रदेश का **नौवां टाइगर रिजर्व है।** मध्य प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व में **रातापानी, वीरांगना दुर्गावती, संजय धुबरी, सतपुड़ा, पन्ना, बांधवगढ़, पेंच** आदि शामिल हैं।

माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में

- **अवस्थिति:** यह **चंबल क्षेत्र के शिवपुरी जिले में भारत की मध्य उच्चभूमि** के उत्तरी छोर पर स्थित है। मध्य उच्चभूमि **ऊपरी विंध्य पहाड़ियों** का भाग है।

- इसे **1958 में राष्ट्रीय उद्यान** के रूप में अधिसूचित किया गया था।
- **झीलें:** इसके **दक्षिणी भाग में साख्य सागर और माधव सागर** हैं।
- **जीव-जंतु:** नीलगाय, चिंकारा, मार्श क्रोकोडाइल, तेंदुआ, आदि।
- **वनस्पति: उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मिश्रित वन जिसमें करधई वृक्ष** अधिक पाए जाते हैं।

भारत में टाइगर रिजर्व घोषित करने की प्रक्रिया

- राज्य सरकारें **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के प्रावधानों** के अनुसार **टाइगर रिजर्व** अधिसूचित करती हैं।
- **अधिसूचना में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं:**
    - **राज्य से प्रस्ताव प्राप्त होना;**
    - **NTCA** विस्तृत विवरणों की मांग करते हुए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी देता है;
    - **NTCA** समुचित जांच के बाद राज्य को प्रस्ताव की सिफारिश करता है;
    - **राज्य सरकार** संबंधित क्षेत्र को टाइगर रिज़र्व के रूप में अधिसूचित करती है।

बाघ (पैंथेरा टाइग्रिस)

- **पर्यावास:** उष्णकटिबंधीय वन, मैंग्रोव दलदल, घास के मैदान आदि।
- **विशेषताएं:** सभी एशियाई विडाल वंशियों में सबसे बड़ा। यह **देखने की क्षमता और शिकार की हलचल एवं आवाज के जरिए शिकार** करता है। यह प्राय: एकांतवासी जीव है। यह **रात्रिचर प्राणी है और घात लगाकर शिकार** करता है। यह **अच्छा तैराक** होता है।
- **संरक्षण स्थिति:** एंडेंजर्ड (IUCN)); परिशिष्ट-I (CITES); अनुसूची-1 {वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972}।

बाघों के संरक्षण के लिए भारत और वैश्विक प्रयास

- **प्रोजेक्ट टाइगर:** MoEFCC की एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसके तहत बाघों वाले राज्यों को आर्थिक सहायता दी जाती है।
- **कंज़र्वेशन अस्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स (CA/TS):** यह टाइगर रिजर्व के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है। भारत के 23 टाइगर रिजर्व को यह मान्यता मिल चुकी है।
- **इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस:** इसे बिग कैट्स और उनके परिदृश्यों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भारत ने शुरू किया है।
- **ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम:** इसे विश्व बैंक ने बाघों के पर्यावासों को बढ़ाने के लिए शुरू किया है। इसकी शुरुआत **2010 में ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव** के तत्वावधान में की गई थी।
- **टाइगर्स अलाइव इनिशिएटिव:** यह WWF का वन्य बाघों की संख्या को दोगुना करने का प्रयास है।

5.17.4. जैव विविधता विरासत स्थल {BIODIVERSITY HERITAGE SITES (BHS)}

कसमपट्टी सेक्रेड ग्रोव को तमिलनाडु का दूसरा BHS घोषित किया गया है। यह **डिंडीगुल जिले में अलगर्मलै रिजर्व फॉरेस्ट** के पास स्थित है।

जैव विविधता विरासत स्थल (BHS) के बारे में

- BHS **विशिष्ट पारिस्थितिकी-तंत्र** है। यह अपने कुछ महत्वपूर्ण घटकों के साथ **जैव-विविधता के मामले में समृद्ध** होता है। यहां **प्रजातियों की उच्च समृद्धता; उच्च स्थानिकता; दुर्लभ, स्थानिक और संकटग्रस्त प्रजातियां; कीस्टोन प्रजातियां** आदि पाई जाती हैं।
- इन स्थलों को **जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37(1) के तहत अधिसूचित** किया जाता है।
- **राज्य सरकार स्थानीय निकायों के परामर्श** से जैव-विविधता महत्त्व वाले क्षेत्र को आधिकारिक राजपत्र में BHS के रूप में अधिसूचित कर सकती है।

5.17.5. IUCN ग्रीन लिस्ट (IUCN GREEN LIST)

IUCN ग्रीन लिस्ट में **चार नए स्थल** जोड़े गए।

IUCN ग्रीन लिस्ट के बारे में

- इसमें **सऊदी अरब का शरान नेचर रिजर्व और किंग अब्दुलअजीज रॉयल नेचर रिजर्व, जॉर्डन का अकाबा मरीन रिजर्व, और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का सिर बु नैर संरक्षित क्षेत्र** शामिल है।
- यह प्रभावी, न्यायसंगत और सफल संरक्षित क्षेत्रों के लिए **प्रमाणन से संबंधित वैश्विक कार्यक्रम है।**
- संरक्षण संबंधी प्रबंधन में **सर्वोत्तम पद्धतियों** को उजागर करना तथा प्रगति के लिए **मानक निर्धारित** करना।
- **उद्देश्य:** बेहतर तरीके से **संरक्षित एवं प्रबंधित क्षेत्रों में वृद्धि करना और ऐसे संरक्षण संबंधी परिणाम** पैदा करना जो **SDG-15 तथा CBD आईची लक्ष्य 11 को प्राप्त** करने में मदद करते हैं।

5.17.6. जलवायु कार्रवाई के लिए बजट (BUDGET FOR CLIMATE ACTION)

अहमदाबाद नगर निगम (AMC) अपने बजट में अलग जलवायु अध्याय शामिल करने वाला पहला शहरी स्थानीय निकाय बना।

- AMC ने 2025-26 के **बजट का एक-तिहाई हिस्सा जलवायु कार्रवाई के लिए निर्धारित** किया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत द्वारा **2070 तक नेट-जीरो क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटी एक्शन प्लान** को लागू करना है।
- इससे पहले, **बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC)** ने भी **33% पूंजीगत व्यय** जलवायु-संबंधी परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया था।

जलवायु बजटिंग के बारे में

- इसके तहत जलवायु प्रतिबद्धताओं को **नीतियों, कार्यवाहियों और बजटीय आवंटन में प्रमुखता से शामिल** किया जाता है।
- इसके तहत, **शहरों की जलवायु कार्य योजना** से जुड़े लक्ष्यों को बजट प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया जाता है।
- **शहरों के लिए जलवायु बजट का महत्त्व:**
    - यह **जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त** करने में सहायता करते हुए **जलवायु परिवर्तन के अनुकूल विकास को बढ़ावा** देता है।
    - इससे **जलवायु वित्त की कमी की पहचान** होती है तथा **नवोन्मेषी जलवायु वित्त मॉडल्स** को बढ़ावा मिलता है।

स्थानीय सरकार जलवायु वित्त के लिए तंत्र

- ग्रीन और सस्टेनेबिलिटी से जुड़े बॉन्ड **(जैसे, वडोदरा ग्रीन मुनि बॉन्ड)।**
- स्थानीय सरकारों को प्रदर्शन-आधारित राजकोषीय हस्तांतरण **(जैसे, UNCDF और LOCAL)।**
- प्रदूषण और भीड़भाड़ शुल्क **(जैसे, लंदन कंजेशन चार्ज और लो-एमिशन ज़ोन्स)।**

5.17.7. संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट (UNITED NATIONS WORLD WATER DEVELOPMENT REPORT)

यूनेस्को द्वारा प्रकाशित इस रिपोर्ट में **पारिस्थितिकी-तंत्र, पहाड़ों एवं अल्पाइन ग्लेशियर्स (वाटर टावर्स) की भूमिका** का उल्लेख किया गया है।

पर्वतीय पारिस्थितिकी-तंत्र

- **पारिस्थितिकी-तंत्र:** वैश्विक पर्वतीय क्षेत्र के लगभग 40% भाग पर वन हैं तथा अधिक ऊंचाई पर घास के मैदान और अल्पाइन टुंड्रा वनस्पति है।
- **जल विनियमन:** दुनिया की दो-तिहाई सिंचित कृषि पहाड़ों से बहकर आने वाले जल पर निर्भर करती है।
- **कार्बन भंडारण:** पहाड़ी पर्माफ्रॉस्ट मिट्टी में लगभग **66 पेटाग्राम (Pg)** जैविक कार्बन जमा होता है, जो वैश्विक मृदा जैविक कार्बन का **4.5%** है।
- **जैव विविधता:** दुनिया के **34 जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में से 25 पहाड़ी क्षेत्रों** में स्थित हैं। इनमें उच्च स्थानिक जैव विविधता पाई जाती है।

पर्वतीय पारिस्थितिकी-तंत्र की सुभेद्यताएं:

- **ग्लेशियर्स की हानि: एंडीज (1980 के दशक से 30-50%) और हिंदू कुश हिमालय (2100 तक 50% अनुमानित)** में तेजी से बर्फ पिघलना जल सुरक्षा के लिए ख़तरा है।
- **वाटरमेलन स्नो इफेक्ट:** ग्लेशियर्स की सतह पर होने वाला लाल शैवाल प्रस्फुटन इनके एल्बिडो को कम करता है, जिसके कारण बर्फ तेजी से पिघलने लगती है।
- **शहरीकरण:** यह जल विज्ञान चक्र को गंभीर रूप से बदलता है, जो संसाधनों के अत्यधिक दोहन का कारण बनता है और आपदाओं को बढ़ाता है।
- **वायुमंडलीय प्रदूषण:** लंबी दूरी तक पहुंचने वाले प्रदूषण के कारण बर्फ के कोर और झील की तलछट में ब्लैक कार्बन की मात्रा में वृद्धि दर्ज की गई है।

हिंदू कुश हिमालय (HKH)

- यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊँचा अल्पाइन पारिस्थितिकी-तंत्र है। इसकी **औसत ऊँचाई 4,000 मीटर है और यह लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र** में फैला है।
- इसमें **1,00,000 वर्ग किलोमीटर ग्लेशियर** हैं, जो ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर सबसे बड़ा बर्फ भंडार है। ये **12,000+ झीलों और 10+ प्रमुख नदियों को जल** प्रदान करते हैं।
- HKH, तिब्बती पठार, पामीर, हेंगडुआन, तिएन शान और चिलियन पर्वत मिलकर **"तीसरा ध्रुव"** या **"एशिया का जल स्तंभ"** कहलाते हैं।

5.17.8. विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, 2024 (WORLD AIR QUALITY REPORT, 2024)

IQAir ने **7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, 2024** जारी की। यह रिपोर्ट **2024 में विश्व में वायु गुणवत्ता की स्थिति** का मूल्यांकन करती है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **केवल 7 देशों ने WHO की वार्षिक औसत PM2.5 गाइडलाइन** को पूरा किया है। **ये देश हैं:** ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बारबाडोस, एस्टोनिया, ग्रेनेडा, आइसलैंड और न्यूजीलैंड।
- **2024 के 5 सर्वाधिक प्रदूषित देश हैं: चाड > बांग्लादेश > पाकिस्तान > कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य > भारत।**
  - **दिल्ली अब भी दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर** बना हुआ है।
- **भारत का बर्नीहाट (असम) 2024 में सबसे प्रदूषित महानगरीय** क्षेत्र रहा है।
- **ओशिनिया** विश्व का **सबसे स्वच्छ क्षेत्र है।**

5.17.9. अंटार्कटिक सरकम्पोलर करंट {ANTARCTIC CIRCUMPOLAR CURRENT (ACC)}

वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि **2050 तक ACC में लगभग 20 प्रतिशत की कमी** आ सकती है।

ACC क्या है?

- यह **पृथ्वी पर सबसे मजबूत पवन-चालित महासागरीय धारा** है। यह **अंटार्कटिका** के चारों ओर **दक्षिणावर्त घूमती** है।
- यह **एकमात्र महासागरीय धारा** है, जो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करती है। यह **अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागरों** के जलों को जोड़ती है।
- यह **गर्म जल को अंटार्कटिका तक पहुंचने से रोकती** है। यह **ऊष्मा और CO2 के अवशोषण** में बड़ी भूमिका निभाती है।

ACC के कमजोर होने के कारण

- **महासागरीय लवणता में परिवर्तन:** हिमखंड के तेजी से पिघलने की वजह से अंटार्कटिक बॉटम वॉटर (AABW) कमजोर हो जाता है।
- **पवन के पैटर्न में परिवर्तन:** जलवायु परिवर्तन दक्षिणी गोलार्ध की **पछुआ पवनों की दिशा व वेग** को बदल देता है।
- **पॉजिटिव फीडबैक लूप:** समुद्री बर्फ में कमी से वार्मिंग चक्र बनता है, जो ACC को और कमजोर करता है।

अंटार्कटिक सरकम्पोलर करंट (ACC)

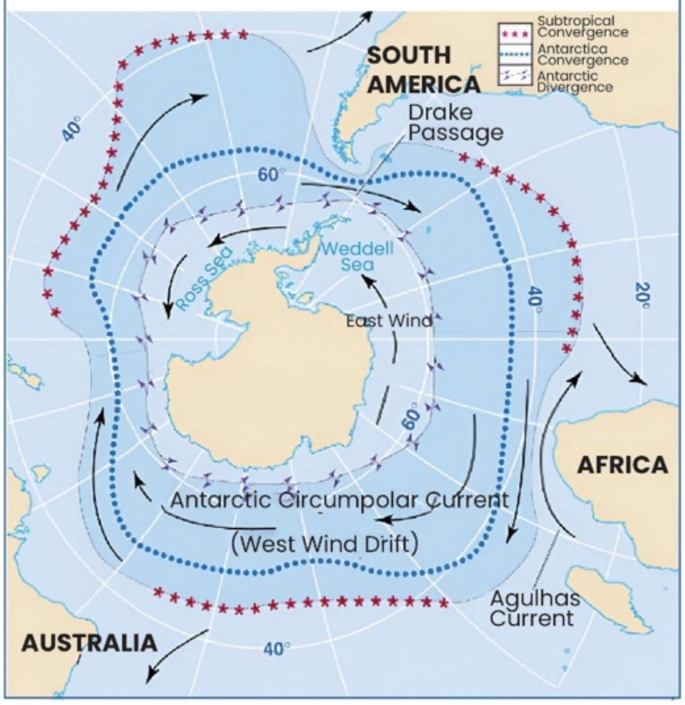

संभावित प्रभाव

- कुछ क्षेत्रों में **अधिक चरम मौसमी घटनाओं और जलवायु परिवर्तनशीलता में वृद्धि।**
- महासागर की **कार्बन अवशोषण क्षमता घटने** से ग्लोबल वार्मिंग में तेजी।
- **अंटार्कटिका तक पहुंचने वाली आक्रामक प्रजातियों से खाद्य जाल में व्यवधान।**
- AABW के कमजोर होने से विश्व की महासागरीय धाराओं की परिसंचरण प्रणाली पर प्रभाव।

5.17.10. अंटार्कटिका में गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी-तंत्र की खोज की गई (DEEP-SEA ECOSYSTEMS DISCOVERED IN ANTARCTICA)

जॉर्ज VI आइस शेल्फ से हिमखंड के अलग होने के बाद अंटार्कटिका में समृद्ध गहरे समुद्री पारिस्थितिकी-तंत्र की खोज हुई।

- यह खोज **चैलेंजर 150 पहल** के तहत की गई है। इस पहल को **महासागर दशक कार्रवाई (2021-2030)** के हिस्से के रूप में **यूनेस्को/ अंतर-सरकारी महासागरीय विज्ञान आयोग (IOC) से समर्थन** प्राप्त है।

इस खोज के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **समृद्ध पारिस्थितिकी-तंत्र: 1,300 मीटर (मेसोपेलैजिक जोन) की गहराई पर बड़े कोरल और स्पंज वाले** पारिस्थितिकी-तंत्र मौजूद हैं। ये **आइसफिश और जायंट सी स्पाइडर्स** जैसे विविध जीवों का समर्थन करते हैं।
  - ये पारिस्थितिकी-तंत्र सदियों से **150 मीटर मोटी बर्फ के नीचे अलग-थलग अपना अस्तित्व** बनाए हुए हैं। ये **सतही पोषक तत्वों** से पूरी तरह कटे हुए थे।
- **खोजी गई नई प्रजातियां:** जायंट सी स्पाइडर्स, ऑक्टोपस, जायंट फैंटम जेलीफ़िश (1 मीटर तक के आकार वाली), फूलदान के आकार का स्पंज (संभवतः सैकड़ों वर्ष पुराना) आदि।

गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी-तंत्र के बारे में

- **परिभाषा:** ये समुद्र में **200 मीटर से अधिक गहरे** क्षेत्र या समुद्र नितल होते हैं। इसे अप्रकाशी/ एफोटिक ज़ोन कहा जाता है। ये कुल समुद्री क्षेत्र का लगभग **90%** हिस्सा हैं। ये पृथ्वी के **सबसे बड़े बायोम भी हैं।**
- **गहरे समुद्री पर्यावास और जैव विविधता संबंधी अनूठी विशेषताएं:**
  - **विशाल सागर नितल मैदान:** ये प्रकाश रहित क्षेत्र हैं। यहां मौजूद प्रजातियां **जीवित रहने के लिए समुद्री बर्फ पर निर्भर** रहती हैं। **उदाहरण के लिए-** समुद्री खीरा।
  - **हाइड्रोथर्मल वेंट्स:** ये खनिज युक्त टावर हैं। यहां पाई जाने वाली प्रजातियां जीवित रहने के लिए **रसायन-संश्लेषक बैक्टीरिया पर निर्भर** रहती हैं। **उदाहरण के लिए-** ट्यूबवर्म और येति क्रेब्स।
  - **व्हेल फॉल्स:** जब व्हेल का मृत शरीर समुद्र की गहराई में डूबता है, तो यह अस्थायी पारिस्थितिकी-तंत्र का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए: हैगफिश।

गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी-तंत्र का अवलोकन

जैव विविधता का अनुकूलन

- **बायोल्यूमिनिसेंस:** कुछ प्रजातियाँ शिकार, साथी को आकर्षित करने या शिकारियों को भ्रमित करने के लिए प्रकाश उत्पन्न करती हैं।
- **ऊर्ध्वाधर प्रवास:** ज़ूप्लैंकटन और मछलियां प्रतिदिन ऊपर-नीचे जाती हैं। रात में सतह पर भोजन करती हैं और दिन में गहरे समुद्र में वापस लौट जाती हैं।
- **धीमा चयापचय:** भोजन की कमी वाले क्षेत्रों में जीव बहुत कम ऊर्जा में जीवित रहते हैं।

महत्त्व

- **जलवायु विनियमन:** गर्म और ठंडे समुद्री जल के मिश्रण (थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन) के माध्यम से पृथ्वी का तापमान नियंत्रित करता है, जिससे वैश्विक जलवायु पर असर पड़ता है।
- **कार्बन भंडारण:** विशाल सागर नितल मैदान में 5 किमी मोटी कार्बन युक्त परतें होती हैं, जो कार्बन को पृथ्वी में लंबे समय तक संचित करने में मदद करती हैं।

5.17.11. ओकजोकुल/ ओह-युकुल ग्लेशियर (OKJÖKULL GLACIER)

यह पहला ग्लेशियर है, जिसे जलवायु परिवर्तन के कारण **आधिकारिक रूप से पूर्णतया विलुप्त** घोषित किया गया है।

- **2014 में आइसलैंड के ओह-युकुल ग्लेशियर को डेड (मृत)** घोषित किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था, क्योंकि इसका द्रव्यमान इतना कम हो गया था कि इसकी आगे की और बढ़ने की गति रुक गई थी।
- **अन्य ग्लेशियर जिनका अस्तित्व समाप्त हो गया है:** एंडरसन ग्लेशियर, क्लार्क ग्लेशियर और ग्लिसन ग्लेशियर (संयुक्त राज्य अमेरिका); बाउमन ग्लेशियर (न्यूजीलैंड); काल्डेरोन ग्लेशियर (इटली) आदि।

ग्लेशियर के बारे में

- ग्लेशियर बर्फ और हिम का एक विशाल व बारहमासी संचय होता है। यह अपने वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से **ढलान की दिशा में आगे बढ़ता** रहता है।
- ग्लेशियर आमतौर पर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां **औसत वार्षिक तापमान हिमांक बिंदु के करीब** होता है और **शीत ऋतु में वर्षण से अत्यधिक मात्रा में बर्फ** गिरती है।

ग्लेशियरों का महत्त्व:

- **जल भंडार:** ग्लेशियरों में पृथ्वी के लगभग **तीन-चौथाई ताजे जल** का भंडारण मौजूद है।
- **खाद्य प्रणालियां:** कृषि भूमि के लिए **सिंचाई और उर्वरता** का स्रोत है।
- **जैव विविधता:** जलीय पारिस्थितिकी-तंत्रों को पोषक तत्व पहुँचाते हैं, तथा पादपप्लवकों और खाद्य श्रृंखलाओं का समर्थन करते हैं।

जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों के पिघलने के प्रभाव

- **जल चक्र में व्यवधान:** ताजे जल की उपलब्धता और पारिस्थितिकी-तंत्र व कृषि के समक्ष खतरा।
- **प्राकृतिक आपदाएं:** हिमनदीय झील के तटबंध टूटने से आने वाली बाढ़ और हिमस्खलन का खतरा।
- **समुद्री जल स्तर में वृद्धि:** तटीय कटाव, पर्यावास की क्षति, जैव विविधता हानि आदि।
- **क्लाइमेट फीडबैक लूप:** पृथ्वी की सतह के एल्बिडो में कमी, वैश्विक तापमान में वृद्धि आदि।

ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए शुरू की गई पहलें

- **वैश्विक:** संयुक्त राष्ट्र ने **2025 को 'ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष'** घोषित किया तथा यूनेस्को अंतर-सरकारी जल विज्ञान कार्यक्रम आदि।
- **भारत:** नेटवर्क प्रोग्राम ऑन हिमालयन क्रायोस्फीयर, क्रायोस्फीयर एवं जलवायु परिवर्तन अध्ययन केंद्र, हिमांश (HIMANSH) अनुसंधान केंद्र आदि।

5.17.12. नरव्हेल (NARWHAL)

हाल ही में **नरव्हेल** का पहली बार उनके **'टस्किंग बिहेवियर'** के लिए अध्ययन किया गया।

नरव्हेल के बारे में

- **नरव्हेल** का एक लंबा टस्क होता है, जो वास्तव में दांत है।
- नर के टस्क होता है, जबकि आमतौर पर मादा के पास टस्क नहीं होता है। हालांकि, यह आम लक्षण नहीं है। कुछ मादाओं में छोटा टस्क देखा गया है, वहीं कुछ नर में टस्क होता ही नहीं है। **कुछ नरव्हेल में दो-दो टस्क** रिकॉर्ड किए गए हैं।
- **टस्क के उपयोग:** जल में लवणता और तापमान का पता लगाने में सहायक होता है, शिकार करने और पर्यावरण में बदलाव के अनुसार ढ़लने में मदद करता है आदि।
- **वैज्ञानिक नाम: मोनोडोन मोनोसेरोस।** इसका अर्थ है: **एक टस्क और एक सींग वाली व्हेल।**
- **पर्यावास क्षेत्र:** कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे और रूस में फैला आर्कटिक जल।
- **IUCN रेड लिस्ट स्थिति:** लीस्ट कंसर्न।
- **जीवनकाल: मादा** लगभग **100 वर्ष**, जबकि **नर** लगभग **84 वर्ष।**
- **प्रजनन:** गर्भकाल **(लगभग 13 से 16 महीने)।**

5.17.13. ब्लू फ्लैग (BLUE FLAG)

रुशिकोंडा बीच ने फिर से ब्लू फ्लैग टैग हासिल किया। ज्ञातव्य है कि **खराब रखरखाव के कारण रुशिकोंडा से यह टैग वापस ले लिया** गया था।

- यह **आंध्र प्रदेश** का एकमात्र **ब्लू फ्लैग बीच** है। यह **भारत के 13 ब्लू फ्लैग बीचों** में शामिल है।

ब्लू फ्लैग टैग के बारे में

- **किसे दिया जाता है:** इसे समुद्र तटों, मरीनों और संधारणीय नौका विहार पर्यटन संचालकों को प्रदान किया जाता है। प्रत्येक **श्रेणी के लिए अलग-अलग** मानक होते हैं।
- **प्रदाता:** डेनमार्क स्थित **फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंटल एजुकेशन (FEE)** द्वारा।
- **मानदंड:** कठोर **पर्यावरणीय, शैक्षिक, सुरक्षा और अभिगम्यता मानदंडों** की एक श्रृंखला को पूर्ण करना तथा बनाए रखना आवश्यक है।

5.17.14. CAQM ने धान की पराली जलाने की रोकथाम हेतु निर्देश जारी किए (CAQM ISSUES DIRECTION FOR PADDY STUBBLE BURNING)

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने **पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को खेतों में धान की पराली जलाने की घटनाओं को रोकने हेतु निर्देश** जारी किए हैं। ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के **एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ मामले** में दिए गए निर्णय के अनुसरण में जारी किए गए हैं।

- CAQM की स्थापना **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में समन्वय और समाधान** के लिए की गई है।

CAQM के मुख्य निर्देशों पर एक नजर

- **विशेष 'पराली सुरक्षा बल:** इसमें पुलिस अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी शामिल होंगे।
- **धान पराली को-फायरिंग अनिवार्य:** ईंट भट्टों में धान के भूसे की पेलेट्स/ ब्रिकेट्स की को-फायरिंग अनिवार्य किया है।
- **कृषि मानचित्रण:** पराली निपटान के लिए **ग्राम-वार योजनाएं** तैयार की गई है।
- **पराली खरीद दर:** पंजाब और उत्तर प्रदेश हरियाणा के मूल्य निर्धारण मॉडल अपनाए जाएंगे।
- **बाह्य समाधान:** इसके लिए बेलर, रेकर और अन्य मशीनों का समुचित उपयोग किया जाना चाहिए।
- **डिजिटल निगरानी: CRM मशीन ट्रैकिंग और डेटा रिपोर्टिंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल।**

फसल अवशेष जलाने के दुष्प्रभाव

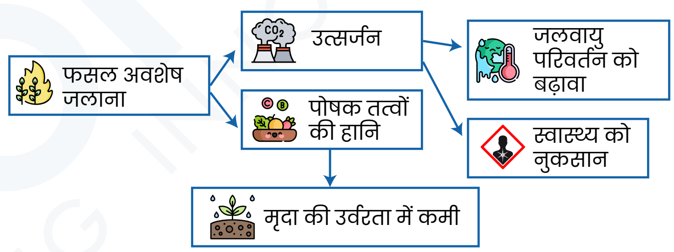

5.17.15. राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र (NCPOR) की स्थापना के 25 वर्ष पूरे हुए {NATIONAL CENTRE OF POLAR AND OCEAN RESEARCH (NCPOR) CELEBRATES 25 YEARS}

NCPOR के बारे में

- NCPOR का **मुख्यालय गोवा** में स्थित है।
- **स्थापना:** वर्ष 1998 में स्थापित NCPOR **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान** है।
- **शासी निकाय:** इसमें **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अध्यक्षता में** देश के अग्रणी **13 प्रतिनिधि** शामिल हैं।

NCPOR की मुख्य भूमिकाएं:

- **ध्रुवीय और दक्षिणी महासागर अनुसंधान:** यह **अंटार्कटिका** में **मैत्री और भारती; आर्कटिक** में **हिमाद्रि** तथा **हिमालय** में **हिमांश** अनुसंधान स्टेशन के रखरखाव में योगदान देता है।
- **डीप ओशन मिशन:** यह हिंद महासागर में खनिज संसाधनों की खोज एवं संभावनाएं तलाशता है।
- यह **भारत की आर्कटिक नीति (2022) और भारतीय अंटार्कटिका अधिनियम (2022)** का क्रियान्वयन करता है।
  - **अंटार्कटिका अधिनियम:** यह **कानूनी दर्जा; CAG-EP** के गठन का प्रावधान करता है।

- **आर्कटिक नीति:** इस नीति के **छह स्तंभ** है: विज्ञान, जलवायु, अर्थव्यवस्था, संपर्क, गवर्नेंस, क्षमता।
- **महत्व:** बर्फ निगरानी, महासागर भू-राजनीति, अनुसंधान सुविधा।

NCPOR में दो महत्वपूर्ण केंद्रों का उद्घाटन:

- **पोलर भवन:** इसमें **भारत का पहला ध्रुवीय और महासागरीय संग्रहालय** स्थित होगा।
- **सागर भवन:** जैविक/ महासागर नमूनों के लिए **प्रयोगशालाएं और अभिलेखागार**।

5.17.16. ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 (GLOBAL METHANE TRACKER 2025)

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने 'ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025' जारी किया।

ग्लोबल मीथेन ट्रैकर के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- मीथेन **ग्रीनहाउस गैस** है। औद्योगिक क्रांति के बाद से **वैश्विक तापमान में लगभग 30% वृद्धि के लिए जिम्मेदार** है।
- **मीथेन उत्सर्जन के तीन प्रमुख स्रोत हैं:** कृषि, ऊर्जा और अपशिष्ट क्षेत्रक।
- ऊर्जा क्षेत्र मानवीय गतिविधियों से होने वाले मीथेन उत्सर्जन का 35% से अधिक के लिए जिम्मेदार है।
- यदि खनिजों को निकालने में **मीथेन का प्रभावी उपयोग** किया जाए या **गैस फ्लेयरिंग और ऑक्सीकरण** जैसी तकनीकों को अपनाया जाए, तो **मीथेन उत्सर्जन को 50% तक कम** किया जा सकता है।
  - **गैस फ्लेयरिंग वास्तव में तेल उत्पादन के दौरान उपोत्पाद** के रूप में प्राप्त **प्राकृतिक गैस के दहन की प्रक्रिया** है।

5.17.17. त्सराप चू कंजर्वेशन रिजर्व (TSARAP CHU CONSERVATION RESERVE)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने **स्पीति घाटी में "त्सराप चू कंजर्वेशन रिजर्व"** अधिसूचित किया। यह **भारत का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र** है।

त्सराप चू के बारे में:

- यह **उनाम नदी और चरप नाला** के संगम का क्षेत्र है।
- **सीमाएं:** इसके **उत्तर में लद्दाख, पूर्व में किब्बर वन्यजीव अभयारण्य, दक्षिण में कबजीमा नाला और पश्चिम में चंद्रताल वन्यजीव अभयारण्य** स्थित है।
- **वन्यजीव: हिम तेंदुआ** (जिसे 'पहाड़ों का भूत'/ Ghost of the mountains भी कहा जाता है)।
- **अन्य प्रजातियां:** तिब्बती भेड़िया, भड़ल (नीली भेड़/ Blue Sheep), हिमालयन आइबेक्स, क्यांग (जंगली गधा), तिब्बती अर्गली आदि। यहां **रोज फिंच, तिब्बती रैवेन जैसी दुर्लभ पक्षी प्रजातियां** भी पाई जाती हैं।

5.17.18. याला ग्लेशियर विलुप्त हुआ (YALA GLACIER DECLARED DEAD)

ग्लेशियोलॉजिस्ट और स्थानीय समुदायों ने **नेपाल के लांगटांग क्षेत्र में स्थित याला ग्लेशियर के "मृत" यानी विलुप्त** होने पर शोक व्यक्त किया है। 1970 के दशक से अब तक **यह ग्लेशियर 66% तक सिकुड़** चुका है।

ग्लेशियर फ्यूनरल

- यह **जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों के तेजी से विलुप्त होने पर आयोजित प्रतीकात्मक शोक समारोह** है।
- **मृत (विलुप्त) घोषित अन्य प्रमुख ग्लेशियर: पिज़ोल ग्लेशियर**, स्विट्ज़रलैंड (2019); **क्लार्क ग्लेशियर**, संयुक्त राज्य अमेरिका (2020); **अयोलोको ग्लेशियर**, मैक्सिको (2021) आदि।
  - **दुनिया का पहला ग्लेशियर फ्यूनरल आइसलैंड के ओकजोकुल्ल** के लिए 2019 में आयोजित किया गया था।

ग्लेशियरों के विलुप्त होने के दुष्परिणाम

- **ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि: एल्बीडो प्रभाव कम** होता है, जिससे पृथ्वी अधिक गर्मी अवशोषित करती है।
- **समुद्री जल स्तर में वृद्धि:** ग्लेशियरों के पिघलने से **समुद्री जल स्तर में लगभग 2 सेंटीमीटर की वृद्धि** दर्ज की गई है।
- **जल चक्र में व्यवधान उत्पन्न होना:** पृथ्वी का **लगभग तीन-चौथाई ताजा जल ग्लेशियरों में संग्रहित** है। इनके तेजी से पिघलने से **नियमित जल आपूर्ति और जैव विविधता को खतरा** पहुंच सकता है।
- **प्राकृतिक आपदाएं: हिमनदीय झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ (GLOF) और हिमस्खलन** जैसी आपदाओं का खतरा बढ़ जाता है।

ग्लेशियर के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयास

वैश्विक स्तर पर प्रयास

- **संयुक्त राष्ट्र (UN) के प्रयास:** 2025 को **अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष** घोषित; हर साल **21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस**।
- **UNESCO-अंतर-सरकारी जल कार्यक्रम (IHP); IUCN** ने **हिमालय एडेप्टेशन नेटवर्क;** WWF ने **लिविंग हिमालयाज इनिशिएटिव** शुरू किया है।

भारत के प्रयास

- **नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम; नेटवर्क प्रोग्राम ऑन हिमालयन क्रायोस्फीयर** शुरू किया गया है।
- भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) **ग्लेशियर में बदलावों पर निगरानी;** और **GLOF पर चेतावनी** जारी करता है।
- **हिमांश अनुसंधान केंद्र** हिमालयी ग्लेशियरों की **गतिविधियों और उनमें परिवर्तन** का अध्ययन करता है।
- **आर्कटिक और अंटार्कटिका में कई मिशन** शुरू किए गए हैं; जैसे कि **2014 का IndARC**.

5.17.19. सौर पैनल दक्षता मानदंड (SOLAR PANEL EFFICIENCY NORMS)

MNRE ने ऑफ-ग्रिड ग्रामीण परियोजनाओं के लिए सौर पैनल दक्षता मानदंडों को आसान बनाया। इसका अर्थ है कि **कम दक्षता वाले सौर मॉड्यूल्स भी अब सरकार की अनुमोदित मॉडल और विनिर्माताओं की सूची (ALMM)** में शामिल किए जा सकते हैं।

सौर दक्षता मानदंडों में मुख्य परिवर्तन (मई 2025 संशोधन)

- **दक्षता मानकों में कमी:**
  - **पहले:** क्रिस्टलीय सिलिकॉन- 19%, CdTe - 18%
  - **अब:** दोनों प्रौद्योगिकियाँ- 18%
- **परिवर्तन का दायरा:** यह केवल ऑफ-ग्रिड सौर अनुप्रयोगों पर लागू होता है, बड़े सिस्टम्स पर नहीं।

- **ऑफ-ग्रिड सिस्टम:** बैटरी स्टोरेज का उपयोग करके पावर ग्रिड से स्वतंत्र रूप से संचालित होते हैं।

एक नई श्रेणी की शुरुआत:

- **वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (DRE)**:नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित ऐसी विद्युत जिसका उपयोग उत्पादन स्थल के नजदीक किया जाता है।
- लघु विनिर्माताओं का समर्थन करना तथा व्यापक ग्रामीण विद्युतीकरण का समर्थन।

चिंताएं:

- **प्रति इकाई क्षेत्र में कम ऊर्जा उत्पादन।**
- सोलर पैनल्स के **जल्दी खराब होने** का खतरा।
- घटिया गुणवत्ता के मॉड्यूल से **बाजार प्रभावित** हो सकता है।

महत्व

- किफायती और पहुंच में सुधार;
- स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा;
- बिना किसी बड़े तकनीकी समझौते के ग्रामीण ऊर्जा पहुंच को बढ़ावा देता है।

5.17.20. दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई-मेथनॉल संयंत्र डेनमार्क में शुरू हुआ (WORLD'S FIRST COMMERCIAL-SCALE E-METHANOL PLANT OPERATIONALISED IN DENMARK)

ई-मेथनॉल **शिपिंग और रासायनिक विनिर्माण** जैसे हार्ड-टू-अबैट क्षेत्रकों में **उत्सर्जन को कम** करने के लिए एक व्यवहार्य समाधान प्रदान करता है।

ई-मेथेनॉल क्या है?

- यह एक **निम्न-कार्बन ऊर्जा ईंधन** है। इसे **ग्रीन हाइड्रोजन को कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर** बनाया जाता है।
- **ई-मेथनॉल के उत्पादन में आमतौर पर तीन प्रमुख चरण शामिल होते हैं:**
  - **ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन:** नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा जल के विद्युत-अपघटन से हाइड्रोजन फीडस्टॉक का निर्माण किया जाता है।
  - **CO2 को कैप्चर करना:** CO2 को औद्योगिक इकाइयों से या सीधे हवा से कैप्चर किया जाता है।
  - **मेथनॉल संश्लेषण:** हाइड्रोजन और CO2 को कैटेलिटिक रिएक्टर में दबाव के तहत संयोजित किया जाता है। इससे **मेथनॉल** प्राप्त होता है।
- **लाभ:**
  - इसे अवसंरचना में बदलाव के बिना इस्तेमाल; कमरे के तापमान पर स्थिर भंडारण; बहुमुखी ईंधन अनुप्रयोग।
- **उपयोग:** शिपिंग उद्योग के अलावा, व्युत्पन्न **ई-गैसोलीन और ई-केरोसिन सड़क एवं हवाई परिवहन** के लिए बेहतर समाधान प्रदान करते हैं।
- **चुनौतियां:** नवीकरणीय विद्युत की उच्च लागत और उत्पादन संबंधी अदक्षता के कारण ई-मेथनॉल जीवाश्म-आधारित मेथनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम (नीति आयोग)
- **मेथनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम (नीति आयोग)**
  - **उद्देश्य:** कोयला, अपशिष्ट और co2 को मेथनॉल, जो एक कम कार्बन हाइड्रोजन वाहक ईंधन है, में परिवर्तित करके तेल आयात और GHG उत्सर्जन में कटौती करना।
  - **लाभ:** लगभग **50 लाख नौकरियों** का सृजन होगा। LPG में 20% **मेथनॉल डेरिवेटिव** मिलाने से सालाना **6000 करोड़ रुपये** की बचत होगी।

5.17.21. क्षेत्रीय एकीकृत बहु-आपदा पूर्व-चेतावनी प्रणाली (REGIONAL INTEGRATED MULTI-HAZARD EARLY WARNING SYSTEM: RIMES)

कोलंबो में आयोजित **RIMES की चौथी मंत्रिस्तरीय बैठक** में **"आपदा से निपटने की तैयारी पर घोषणा-पत्र"** को अपनाया गया।

RIMES, 2009 के बारे में:

- यह एक **अंतर-सरकारी संस्था** है। यह अपने सदस्य देशों को **पूर्व-चेतावनी सेवाएं, आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियां, और क्षमता निर्माण सेवाएं** प्रदान करता है।
- यह प्रणाली **2004** की हिंद महासागर सुनामी के बाद **अफ्रीका, एशिया और प्रशांत** क्षेत्र के देशों के प्रयासों से विकसित हुई है।
- **सदस्य:** RIMES में **22 सदस्य राष्ट्र और 26 सहयोगी राष्ट्र** शामिल हैं।
- **कार्यालय:** इसका क्षेत्रीय पूर्व-चेतावनी केंद्र **थाईलैंड के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी** में स्थित है।

5.17.22. सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व (SIMILIPAL TIGER RESERVE)

ओडिशा सरकार ने **सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व को नेशनल पार्क** अधिसूचित किया।

- **2,750 वर्ग कि.मी. के इस टाइगर रिजर्व में से 845.70 वर्ग कि.मी.** को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस तरह **सिमिलिपाल ओडिशा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क** बन गया है। **भितरकनिका** का क्षेत्रफल इससे **कम** है।
- सिमिलिपाल **भारत का 107वां और ओडिशा का दूसरा नेशनल पार्क** है।

सिमिलिपाल वन के बारे में

- **अवस्थिति:** सिमिलिपाल नेशनल पार्क **ओडिशा के मयूरभंज जिले में छोटानागपुर क्षेत्र** में स्थित है।
- **मुख्य नदियां: बुद्धबलंगा, पलपला, बंदन, सालंदी, कहैरी और देव** नदी।
- सिमिलिपाल **वन्यजीव अभयारण्य, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व (यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत, 2009 से) और मयूरभंज हाथी रिजर्व के हिस्से** के रूप में संरक्षित है।

नेशनल पार्क क्या होता है?

- ऐसा अधिसूचित क्षेत्र जिसे उसकी **पारिस्थितिकी तथा उसमें पाए जाने वाले जीव-जंतु, वनस्पति, स्थलाकृति या वन्य-जीवों की**

वैज्ञानिक महत्ता के कारण उसके **वन्य-जीवों और पर्यावरण को सर्वोत्तम संरक्षण** प्रदान किया जाता है।

- **मुख्य वन्यजीव संरक्षक द्वारा अनुमति प्राप्त गतिविधियों को छोड़कर** अन्य इंसानी गतिविधि निषिद्ध होती है।
- **वन अधिकार अधिनियम 2006** के तहत, कुछ आदिवासी समूहों को भीतर रहने की अनुमति है।
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत **राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित**।
- नेशनल पार्क की सीमाओं में परिवर्तन के लिए **राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से अनुशंसा** की आवश्यकता होती है।

सिमिलिपाल की जैव-विविधता

- **वनस्पति:** आर्द्र मिश्रित पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय अर्द्ध-सदाबहार वन; शुष्क पर्णपाती वन (जैसे- साल वृक्ष); घास के मैदान आदि।
- **वन्य-जीव:** सिमिलिपाल में विशेष रूप से **मेलानिस्टिक बाघ** भी पाए जाते हैं। यहां पाए जाने वाले अन्य जानवरों में **फिशिंग कैट, बार्किंग डियर, माउस डियर** आदि शामिल हैं।

5.17.23. एटमोस्फियरिक मेमोरी (ATMOSPHERIC MEMORY)

एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि मानसून का आगमन और वापसी केवल सूर्य के प्रकाश पर नहीं, बल्कि **एटमोस्फियरिक मेमोरी** पर भी निर्भर करती है।

अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- वायुमंडल **जलवाष्प के रूप में भौतिक जानकारी को संचित** करता है। इसके आधार पर यह **मानसून के आगमन और वापसी को नियंत्रित** करता है।
  - पहले यह माना जाता था कि मानसून मौसम के आगमन या वापसी की प्रक्रिया मुख्यतः सौर विकिरण में परिवर्तन की तात्कालिक प्रतिक्रिया होती है।
- **नया सिद्धांत:** वायुमंडल की स्थिति उसके **मौसम के इतिहास पर निर्भर** करती है। यदि **पहले से वर्षा** हो रही है, तो वह जारी रहती है, लेकिन यदि वातावरण पहले से शुष्क है, तो **वर्षा की शुरुआत कठिन** हो जाती है। यह व्यवहार **"द्विस्थिरता" (Bistability)** कहलाता है।
- **समान सौर विकिरण स्तर** पर भी वायुमंडल या तो शुष्क या गहन वर्षा वाला हो सकता है।

5.17.24. ग्रीन म्युनिसिपल बॉण्ड (GREEN MUNICIPAL BONDS)

गाजियाबाद नगर निगम ने भारत के पहले प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉण्ड की शुरुआत की।

- इसे **स्वच्छ भारत मिशन-शहरी** के तहत जारी किया गया। इससे अत्याधुनिक **टर्शियरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (TSTP)** के विकास के लिए 150 करोड़ रुपये जुटाए गए।
- TSTP यह सुनिश्चित करेगा कि **उपचारित जल उच्चतम मानकों को पूरा करे।**
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (PPP-HAM) के तहत 40% नगरपालिका वित्त-पोषण** के साथ विकसित किया गया था।

ग्रीन म्युनिसिपल बॉण्ड (GMB)

- म्युनिसिपल बॉण्ड **ऐसी गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियां हैं** जो भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 243W के तहत नगरपालिका निकायों द्वारा जारी की जाती** हैं।
- **ग्रीन बॉण्ड** का उपयोग **विशेष रूप से जलवायु शमन, अनुकूलन और अन्य पर्यावरण अनुकूलन एवं कम कार्बन उत्सर्जक परियोजनाओं (विश्व बैंक)** के लिए धन जुटाने हेतु किया जाता है।

GMB का महत्त्व

- **सतत विकास:** निवेशक अपनी निवेश प्रक्रियाओं में **पर्यावरणीय, सामाजिक एवं गवर्नेंस (ESG)** कारकों को एकीकृत करने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
- **कम लागत व दीर्घकालिक पूंजी:** वे **अन्य बॉण्ड्स के साथ लागत-प्रतिस्पर्धी** होते हैं तथा **वाणिज्यिक बैंकों के ऋण की तुलना में कम ब्याज दर पर पूंजी** प्रदान कर सकते हैं।
- **निवेशक आधार को व्यापक बनाना:** घरेलू बैंक ऋण जैसे मौजूदा पारंपरिक वित्त-पोषण स्रोत क्षमता वृद्धि का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

GMB के माध्यम से पूंजी जुटाने के समक्ष चुनौतियां: कमजोर राजकोषीय स्थिति, आंतरिक क्षमता से राजस्व सृजन क्षमता का अभाव, वित्तीय अनुशासन की कमी, आदि।

5.17.25. इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (INTERNATIONAL BIG CAT ALLIANCE)

भारत और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) ने 'मुख्यालय समझौते' पर हस्ताक्षर किए।

- इस समझौते के माध्यम से **IBCA का मुख्यालय और सचिवालय** भारत में स्थापित किए जाएंगे।
- इससे IBCA को अपने आधिकारिक कार्यों को कुशलतापूर्वक निष्पादित करने में मदद मिलेगी।

समझौते के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- यह IBCA सचिवालय और कर्मियों, परिसरों आदि को दिए जाने वाले **वीजा, विशेषाधिकारों एवं उन्मुक्तियों** से संबंधित है।
- भारत **IBCA को 2023-24 से 2028-29 तक 5 वर्षों** के लिए एक कोष बनाने, अवसंरचना के निर्माण और आवर्ती (नियमित) व्यय को पूरा करने के लिए **150 करोड़ रुपये का बजटीय समर्थन** प्रदान करेगा।

इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA)

- **मुख्यालय:** भारत
- **स्थापना:** इसे **प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष** पूरे होने के उपलक्ष्य में **2023 में भारत** ने शुरू किया था।
- **संस्था का प्रकार: पूर्ण संधि आधारित अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनी संस्था।**
- **सदस्य: 7 देशों (निकारागुआ, एस्वातिनी, भारत, सोमालिया, लाइबेरिया, गिनी और कंबोडिया)** ने औपचारिक रूप से इसके फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- **उद्देश्य:** सात बड़ी बिडाल (बिग कैट) प्रजातियों **(बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा)** के संरक्षण को बढ़ावा देना। इनमें से केवल **5 प्रजातियां- बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता** भारत में पाई जाती हैं।

बिग कैट्स के संरक्षण के लिए शुरू किए गए अन्य प्रयास

- **बाघों के संरक्षण के लिए सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा (2010): 13 टाइगर रेंज वाले सदस्य देशों ने Tx2 लक्ष्य** पर सहमति व्यक्त की है। 'Tx2 लक्ष्य' **2022 तक विश्व में जंगली बाघों की संख्या को दोगुना करने** की वैश्विक प्रतिबद्धता है।
- **भारत:** प्रोजेक्ट टाइगर (1973); एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट लायन (2020), आदि।

5.17.26. ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क (GLOBAL GEOPARKS NETWORK: GGN)

यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क (UGGP) की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर यूनेस्को ने 11 देशों के 16 नए स्थलों को ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क (GGN) में शामिल किया है।

GGN के बारे में

- यह यूनेस्को के तहत स्थापित एक **गैर-लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संघ** है। यह उन नैतिक मानकों की स्थापना करता है जिन्हें ग्लोबल जियोपार्क्स द्वारा अपनाया जाना चाहिए।

GGN में शामिल किए गए प्रमुख जियोपार्क्स

- **कंबुला (चीन):** यह **किंघई-तिब्बत पठार** के किनारे स्थित है। इसमें बेहतर तरीके से संरक्षित **प्राचीन मैक्सिउ ज्वालामुखी** और **येलो रिवर के क्षेत्र** शामिल हैं।
- **माउंट पैक्टू (उत्तर कोरिया):** 1000 ई. के विशाल "मिलेनियम उद्गार" का स्थान।
- **उत्तरी रियाद (सऊदी अरब):** प्राचीन प्रवाल भित्तियों के पारिस्थितिक तंत्र एवं महत्वपूर्ण जल भंडारों वाली ओबैथरान घाटी (वादी ओबैथरान)।

यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क (UGGP) के बारे में

- यूनेस्को के भू-विज्ञान कार्यक्रम के तहत **2015 में** बनाया गया।
- **अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक महत्व** वाले एकीकृत क्षेत्रों के रूप में परिभाषित, संरक्षण, शिक्षा और संधारणीयता के लिए प्रबंधित।
- **4-वर्षीय पुनर्मूल्यांकन** और GGN की अनिवार्य सदस्यता की आवश्यकता है।

5.17.27. गुजरात में पार्टिकुलेट एमिशन ट्रेडिंग मार्केट (PARTICULATE EMISSION TRADING MARKET IN GUJARAT)

एक नए अध्ययन से पता चला है कि **2019 में शुरू की गई सूरत एमिशन ट्रेडिंग स्कीम (ETS) पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन को नियंत्रित** करने में सफल रही है।

- इसकी वजह से **प्रदूषण रोकथाम लागत में भी 10% से अधिक की गिरावट** आई है। साथ ही, इसमें शामिल उद्योग अब पर्यावरण कानूनों का बेहतर ढंग से पालन कर रहे हैं।

सूरत ETS के बारे में

- **एक नज़र:** यह **दुनिया का पहला बाजार है, जहां पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन का व्यापार** किया जाता है। यह भारत की किसी भी तरह की **पहली प्रदूषण ट्रेडिंग योजना** है। ETS की अवधारणा सबसे पहले **अमेरिका में सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) प्रदूषण को रोकने** के लिए शुरू की गई थी।
- **उद्देश्य: प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत** के अनुसार वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाना।
- **कार्य प्रणाली:** कैप-एंड-ट्रेड सिस्टम (EU/चीन में प्रयुक्त), जिसमें NeML के प्लेटफॉर्म पर परमिट का कारोबार होता है।
- **अनुपालन:** संस्थाएं उद्योग के आकार के अनुसार **'पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि'** जमा करती है।

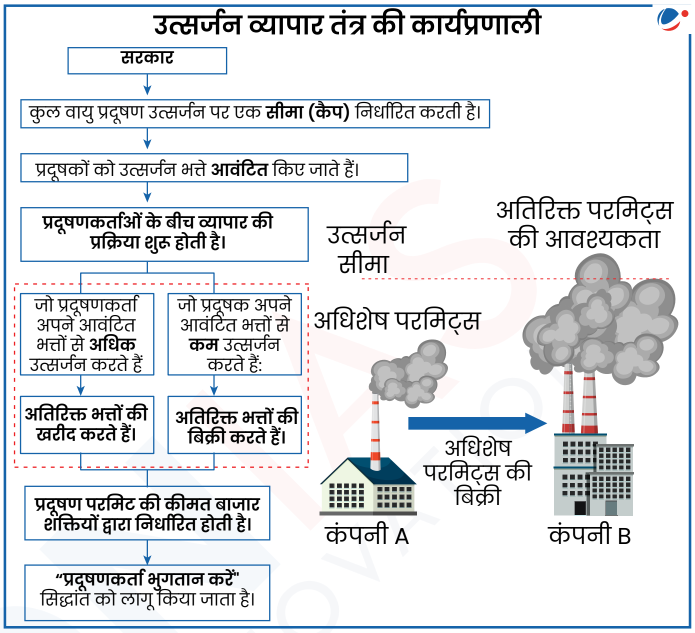

5.17.28. वैश्विक पोत परिवहन के लिए नेट-जीरो फ्रेमवर्क (NET ZERO FRAMEWORK FOR GLOBAL SHIPPING)

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) ने वैश्विक पोत परिवहन के लिए **दुनिया के पहले नेट-जीरो फ्रेमवर्क** को मंजूरी दी। यह **संपूर्ण उद्योग क्षेत्रक में अनिवार्य उत्सर्जन सीमा और GHG मूल्य निर्धारण** का प्रावधान करता है।

- पोत परिवहन **वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में लगभग 3%** का योगदान देता है।

मुख्य विशेषताएं

- **MARPOL/ मार्पोल के एनेक्स VI** (जहाज वायु प्रदूषण नियम) में शामिल किया जाएगा।
- **उद्देश्य: 2050** के आसपास या उससे पहले **शून्य उत्सर्जन** प्राप्त करना; 2027 से लागू (अक्टूबर 2025 को अपनाया गया)।
- यह **5,000 सकल टन से अधिक बड़े समुद्री जहाजों** के लिए अनिवार्य हो जाएगा, (शिपिंग उत्सर्जन का 85% कवर करता है)।
- **वैश्विक ईंधन मानक के अनुपालन की आवश्यकता है + वैश्विक आर्थिक उपाय।**
- **नेट-ज़ीरो फंड:** उत्सर्जन मूल्य निर्धारण से प्राप्त राशि जमा की जाएगी।

MARPOL के बारे में

- MARPOL **एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन** है। इसका उद्देश्य संचालन या दुर्घटना के कारण जहाजों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम करना है। इसे **1973 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन** द्वारा अपनाया गया था।
- **MARPOL को छह एनेक्स में बांटा** गया है तथा प्रत्येक एनेक्स अलग प्रकार के प्रदूषण से निपटने से संबंधित है।

5.17.29. AIM4NATURE पहल (AIM4NATURE INITIATIVE)

खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने पृथ्वी दिवस (22 अप्रैल) पर 'एक्सीलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रेस्टोरेशन (AIM4NatuRe)' पहल शुरू की।

AIM4NatuRe पहल के बारे में

- AIM4NatuRe का अर्थ है- **एक्सीलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रेस्टोरेशन (प्रकृति पुनर्स्थापन के लिए अभिनव निगरानी को तेज करना)।**
- **उद्देश्य:** वैश्विक पारिस्थितिकी-तंत्र पुनर्बहाली प्रयासों की निगरानी और रिपोर्टिंग में सुधार करना। यह पहल **वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (GBF) के लक्ष्य 2 में उल्लिखित 2030 तक कम-से-कम 30% खराब पारिस्थितिकी-तंत्र को पुनर्स्थापित** करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक, मानकीकृत डेटा फ्रेमवर्क और क्षमता विकास का लाभ उठाएगी।
- यह FAO के **AIM4Forests कार्यक्रम का हिस्सा** है, जो प्रकृति पुनर्स्थापन निगरानी के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने हेतु वनों से परे दायरे का विस्तार करता है।

5.17.30. गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र (VULTURE CONSERVATION AND BREEDING CENTRE: VCBC)

पिंजौर (हरियाणा) स्थित गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र (VCBC) से **34 क्रिटिकली एंडेंजर्ड गिद्धों को महाराष्ट्र स्थानांतरित** किया गया।

गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र (VCBC), पिंजौर के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसे वर्ष **2001 में यूनाइटेड किंगडम सरकार के 'डार्विन इनिशिएटिव फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़'** फंड द्वारा स्थापित किया गया।
- **साझेदार:** इसे **हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BHNS)** ने संयुक्त रूप से स्थापित किया है।
- **लक्ष्य:** गिद्धों की **तीन प्रजातियों (सफेद पुट्ठे वाले गिद्ध, लंबी चोंच वाले गिद्ध और पतली चोंच वाले गिद्ध)** को बचाना।
- **अवस्थिति: बीर शिकारगाह वन्यजीव अभ्यारण्य, हरियाणा।**
- **उपलब्धि:** इसके द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की गई है कि **डाईक्लोफेनाक (एक गैर-स्टेरायडल एंटी-इंफ्लेमेटरी दवा) गिद्धों की मृत्यु** का मुख्य कारण थी।

5.17.31. स्मॉल हाइव बीटल {SMALL HIVE BEETLE (SHB)}

स्मॉल हाइव बीटल (एथिनाट्टमिडा) को भारत में पहली बार **पश्चिम बंगाल** में देखा गया। यह एक **विदेशी या गैर-स्थानिक बीटल** है।

SHB के बारे में

- **मूल स्थान:** उप-सहारा अफ्रीका जहाँ यह **शायद ही कभी नुकसान पहुंचाता** है, लेकिन **दूसरे क्षेत्रों में यह भारी तबाही** मचाता है।
- **विशेषताएं: अंडाकार** आकार, **लाल-भूरा रंग** और **लंबाई 5 से 7 मि.मी.** तक होती है। इसका जीवनचक्र **अंडा, लार्वा, प्यूपा और व्यस्क** के चरणों से गुजरता है।
- **नुकसान:** स्मॉल हाइव बीटल की मादाएं मधुमक्खियों के छत्तों में **दरारों और सुराखों से प्रवेश** करती हैं और अंडे देती हैं। अंडों से निकलने वाले लार्वा **संग्रहीत शहद, पराग और मधुमक्खियों के अंडों को खा** जाते हैं, और **छत्तों में मल त्यागते हैं।** इससे **शहद मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त** हो जाता है।

5.17.32. अरल सागर (ARAL SEA)

शोध से पता चला है कि **अरल सागर के सूख जाने के बाद उसके बेसिन की भूमि ऊंची** हो रही है, जो संभावित **भूवैज्ञानिक बदलाव** का संकेत है।

अरल सागर के बारे में

- यह **कभी मध्य एशिया में खारे पानी की बड़ी झील** थी।
- **अवस्थिति: कजाकिस्तान (उत्तर) और उज्बेकिस्तान (दक्षिण)** की सीमा पर अवस्थित है। इसे मुख्य रूप से **अमू दरिया और सिर दरिया** नदियों से पानी मिलता था।
- **सूखने का कारण: सोवियत संघ के दौर में, अमू दरिया और सिर दरिया** नदियों का पानी **खेती के लिए मोड़ दिया गया,** जिससे अरल सागर धीरे-धीरे सूख गया।
  - सूखने के बाद यह सागर **खतरनाक अरलकुम रेगिस्तान** में बदल गया है। आज यह क्षेत्र **दुनिया के प्रमुख धूल-उत्पादक क्षेत्रों** में से एक माना जाता है।

अरल सागर

5.18 अपने ज्ञान का परीक्षण कीजिए (TEST YOUR LEARNING) अपने

MCQ

1. 'भारत में नदी डॉल्फिन की आबादी की स्थिति 2024' रिपोर्ट के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह सर्वेक्षण भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा 'प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020' के तहत संचालित किया गया था।
2. उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की डॉल्फिन की सबसे अधिक आबादी है, उसके बाद बिहार का स्थान है।
3. सिंधु नदी की डॉल्फिन की संख्या चिंताजनक रूप से कम है, जिसके लिए तत्काल संरक्षण उपायों की आवश्यकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a. केवल 1
b. केवल 1 और 2
c. केवल 2 और 3
d. 1, 2 और 3

2. भारत में एशियाई शेरों के संरक्षण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. IUCN ग्रीन स्टेटस असेसमेंट ने एशियाई शेरों को उनकी ऐतिहासिक सीमा में सीमित पारिस्थितिक कार्यक्षमता के कारण "बहुत अधिक गिरावट" के रूप में वर्गीकृत किया है।
2. प्रोजेक्ट लॉयन के तहत स्वीकृत नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ (NRC-W) वन्यजीवों से संबंधित रोगों की निगरानी करने और संरक्षण प्रयासों को बढ़ाने के लिए गुजरात में स्थापित किया गया है।
3. गिर भू-क्षेत्र, एशियाई शेरों का एकमात्र वर्तमान पर्यावास है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन इसकी विशेषता है और मालधारी आदिवासी समुदाय इस क्षेत्र में निवास करते हैं।
4. उप-प्रजाति नॉर्दन लायन (पैंथेरा लियो लियो), जिसमें एशियाई शेर शामिल हैं, उत्तरी और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a. केवल 1 और 2
b. केवल 1, 2 और 4
c. केवल 2 और 3
d. केवल 1 और 4

3. फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट द्वारा जारी '2030 ग्लोबल फॉरेस्ट विज़न (GFV)' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट (FDA) को 2015 में न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट्स (NYDF) प्रोग्रेस असेसमेंट के रूप में स्थापित किया गया था।
2. NYDF एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है जिसका समर्थन भारत ने 2014 के जलवायु शिखर सम्मेलन में किया था।
3. 2030 GFV की प्राथमिकता वाली कार्रवाइयों में से एक में देशज लोगों और स्थानीय समुदायों के भूमि अधिकारों को सुरक्षित करना शामिल है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

a. केवल एक
b. केवल दो
c. केवल तीन
d. कोई नहीं

4. रॉटरडैम कन्वेंशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत 2006 में इस कन्वेंशन में शामिल हुआ
2. यह 2004 में लागू हुआ
3. यह पूर्व सूचित सहमति (PIC) प्रक्रिया के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्व बनाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

a. केवल 1, 2 और 3
b. केवल 2 और 3
c. केवल 1 और 3
d. केवल 1 और 2

5. एशियाई शेर (पेंथेरा लियो पर्सिका) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ये गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य (गुजरात) में ही पाए जाते हैं।
2. इसे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I और CITES के परिशिष्ट II में सूचीबद्ध किया गया है।
3. इस प्रजाति के पेट पर एक विशिष्ट अनुदैर्ध्य त्वचा की तह पाई जाती है।
4. इसके संरक्षण के लिए बर्दा वन्यजीव अभयारण्य को एक अतिरिक्त आवास के रूप में चिन्हित किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

a. केवल 1 और 2
b. केवल 1, 3 और 4
c. केवल 2, 3 और 4
d. 1, 2, 3 और 4

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

Q1. मरीन हीटवेव्स में हाल ही में हुई वृद्धि के कारणों और प्रभावों का परीक्षण कीजिए। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, आजीविका और भारतीय मानसून जैसे क्षेत्रीय जलवायु पैटर्न पर उनके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए अपनाई जा सकने वाली रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। (150 शब्द,)

Q2. पर्यावरण न्यायशास्त्र में मानव-केंद्रित से पर्यावरण-केंद्रित दृष्टिकोण में भारत के परिवर्तन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। हाल के न्यायिक हस्तक्षेपों के उदाहरणों के साथ, पर्यावरणीय अधिकारों को बढ़ावा देने में न्यायिक सक्रियता के दार्शनिक, कानूनी आधार और भूमिका पर चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

6. सामाजिक मुद्दे (SOCIAL ISSUES)

विषय सूची

6.1. महिलाओं के नेतृत्व में विकास (WOMEN-LED DEVELOPMENT) . . . 133

6.2. सिनेमा और समाज (CINEMA AND SOCIETY) . . . 134

6.3. सोशल मीडिया और किशोर (SOCIAL MEDIA AND ADOLESCENTS) . . . 135

6.4. पारिवारिक संस्था में बदलाव (CHANGING INSTITUTION OF FAMILY) . . . 136

6.5. कार्यस्थल ऑटोमेशन (WORKPLACE AUTOMATION) . . .137

6.6. मानव विकास रिपोर्ट 2025: बढ़ती असमानता (HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2025: WIDENING INEQUALITY)138

6.7. सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) रिपोर्ट 2021 (SAMPLE REGISTRATION SYSTEM (SRS) REPORT 2021) . . . 139

6.8. शहरी गरीबी (URBAN POVERTY) . . .141

6.9. मिजोरम ने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर हासिल की (MIZORAM ACHIEVES FULL FUNCTIONAL LITERACY) . 142

6.10. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS). . . 143

6.11. अपने ज्ञान का परीक्षण कीजिए (TEST YOUR LEARNING) 145

6.1. महिलाओं के नेतृत्व में विकास (WOMEN-LED DEVELOPMENT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफ़ॉर्म फ़ॉर एक्शन** की 30वीं वर्षगांठ पर, विश्व भर की सरकारों ने महिलाओं और लड़कियों के सशक्तीकरण पर एक घोषणा-पत्र अपनाया। यह घोषणा-पत्र महिलाओं के नेतृत्व में विकास के सिद्धांत की पुष्टि करता है।

बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफ़ॉर्म फ़ॉर एक्शन (BPfA)

- इसे मूल रूप से **1995** में **महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन** में अपनाया गया था। इसमें बिना किसी अपवाद के हर महिला और लड़की के लिए सभी प्रकार के **मानवाधिकारों** और **मौलिक स्वतंत्रता** को बनाए रखने पर जोर दिया गया था।
- इसकी 30वीं वर्षगांठ पर, **बीजिंग +30 एक्शन एजेंडा** जारी किया गया, जिसमें **निम्नलिखित 6 प्रमुख प्राथमिकताएं शामिल थीं:**
  - **डिजिटल क्रांति:** नए कौशल की प्राप्ति, महिलाओं के मामले में डिजिटल डिवाइड को दूर करना,आदि।
  - **गरीबी से मुक्ति:** सामाजिक सुरक्षा तथा बेहतर सार्वजनिक सेवाएं (स्वास्थ्य, शिक्षा और केयर) प्रदान करना।
  - **हिंसा की समाप्ति:** समुदाय-आधारित संगठनों को शामिल करते हुए व्यापक राष्ट्रीय कार्य योजनाएं अपनाना।
  - **निर्णय प्रक्रिया में पूर्ण और समान शक्ति:** निजी और सार्वजनिक, दोनों क्षेत्रों में।
  - **शांति और सुरक्षा:** लैंगिक-प्रतिक्रियाशील मानवीय कार्रवाइयों को बढ़ावा देना।
  - **क्लाइमेट जस्टिस:** आदिवासी समुदायों की महिलाओं के अधिकारों को प्राथमिकता देना, ग्रीन जॉब्स को बढ़ावा देना, आदि।

महिलाओं का विकास बनाम महिलाओं के नेतृत्व में विकास

महिलाओं का विकास	महिलाओं के नेतृत्व में विकास
इसमें ऐसे **कार्यक्रम** शामिल हैं, जो महिलाओं को शामिल किए बिना उनकी **मदद करने** के लिए बनाए गए हैं।	महिलाएं केवल लाभार्थियों के रूप में नहीं, बल्कि **नेताओं, निर्णय लेने वालों और नवप्रवर्तकों** के रूप में देखी जाती हैं।
इसके तहत, महिलाओं को **निष्क्रिय प्राप्तकर्ता** के रूप में देखा जाता है।	यह मानता है कि महिलाओं के पास अक्सर **अद्वितीय अंतर्दृष्टि** होती है।
यह एक **शीर्ष-से-नीचे (Top-down) दृष्टिकोण** है।	यह एक **नीचे-से-ऊपर (Bottoms-up) दृष्टिकोण** है।

समाज के लिए महिलाओं के नेतृत्व में विकास क्यों महत्वपूर्ण है?

- **सशक्तीकरण की एजेंट के रूप में महिलाएं।**
- **लैंगिक समानता: ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024** में, भारत 146 देशों में से 129वें स्थान पर रहा।
- **आर्थिक सशक्तीकरण:** रोजगार में लैंगिक अंतर को कम करने से देश की GDP में **30% तक की वृद्धि** हो सकती है।
- **ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन: दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)** के तहत महिलाओं को संगठित करने से उनके घरों की आय में 22% की वृद्धि हुई है।
- **समावेशी विकास और संधारणीयता: डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी** जैसी पहल इसका एक बेहतरीन उदाहरण हैं, जो लगभग **5,000 दलित और स्वदेशी महिला किसानों** के साथ सहयोग करती है।

महिलाओं के नेतृत्व में विकास के मार्ग में बाधाएं

- **पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंड: NFHS-5 (2019-21)** के अनुसार, केवल **3% महिलाएं** ही स्वतंत्र रूप से निर्णय लेती हैं।
- **शिक्षा:** विश्व में औसत महिला साक्षरता दर **79.9%** है, जबकि भारत में यह **62.3%** है।
- **कार्यस्थल पर भेदभाव: WEF की जेंडर गैप रिपोर्ट, 2023** के अनुसार, समान काम के लिए महिलाओं को पुरुषों की तुलना में **20% कम वेतन** मिलता है।
- **लैंगिक डिजिटल डिवाइड: मोबाइल जेंडर गैप रिपोर्ट, 2021** के अनुसार, भारत में केवल **15% महिलाओं** के पास इंटरनेट की सुविधा है।
- **कम उम्र में शादी और मातृत्व:** NFHS-5 के अनुसार, 20-24 वर्ष की **23% महिलाओं** की शादी 18 वर्ष से पहले हो गई थी।
- **महिला सुरक्षा: NCRB (2022)** ने महिलाओं के खिलाफ 4.5 लाख अपराधों की सूचना दी है।

सरकार की पहलें: महिला सशक्तीकरण से महिलाओं के नेतृत्व में विकास की ओर

- **जेंडर बजटिंग:** वित्त वर्ष 2024-25 में 6.8% की तुलना में 2025-26 में बजट बढ़ाकर 8.86% किया गया।
- **परिसंपत्ति स्वामित्व: पीएम आवास योजना ग्रामीण** के तहत 72% घरों का स्वामित्व महिलाओं के पास है।
- **राजनीतिक सशक्तीकरण: नारी शक्ति अधिनियम** पारित किया गया है, जो महिलाओं को 33% आरक्षण देता है।
- **शिक्षा और STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित:** STEM में 43% स्नातक महिलाएं हैं।

- **उद्यमिता और कौशल विकास: स्टार्ट-अप एवं स्टैंड-अप इंडिया** जैसी योजनाएं महिलाओं को उद्यमी बनने में मदद करती हैं।
- **आर्थिक सशक्तीकरण:** मुद्रा योजना, लखपति दीदी आदि।

6.2. सिनेमा और समाज (CINEMA AND SOCIETY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केरल उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि मीडिया में वायलेंट कंटेंट (हिंसा फैलाने वाले कंटेंट) का समाज पर प्रभाव गहरा हो सकता है, परंतु इससे निपटने के लिए उठाए गए किसी भी कदम को 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' जैसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

सिनेमा के बारे में

- सिनेमा, **जनसंचार का एक लोकप्रिय** माध्यम है, जिसे **"सातवीं कला"** माना जाता है।
  - अन्य छह कलाएं चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, साहित्य, रंगमंच और संगीत हैं।
- भारतीय सिनेमा विभिन्न कलात्मक और सांस्कृतिक तत्वों का मिश्रण करके **व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों ही कहानियों** को दर्शाता है।

भारतीय सिनेमा का विकास (1950s-2025)

- **1950-60 का दशक:** राष्ट्रवाद, सामाजिक यथार्थवाद।
- **1970 का दशक:** सामाजिक अन्याय, समानांतर सिनेमा और सामाजिक व्यंग्य।
- **1990 का दशक:** वैश्वीकरण, भौतिकवाद और पहचान, पितृसत्ता और सुधार, रिश्ते एवं व्यक्तिवाद।
- **प्रारंभिक 2000 का दशक:** यथार्थवाद, वैश्वीकरण और पहचान, सामाजिक मुद्दे।
- **2020 के बाद:** ओटीटी सिनेमा और क्षेत्रीय सिनेमा।

सिनेमा समाज को कैसे आकार देता है?

भारतीय समाज पर सिनेमा के सकारात्मक प्रभाव

- **भारतीय संस्कृति को वैश्विक पहचान।**
- **सांस्कृतिक विविधता का प्रतिबिंब: डेढ़ इश्किया** जैसी फिल्में लखनऊ की नवाबी संस्कृति को उजागर करती हैं।
- **बदलते पारिवारिक मूल्यों का प्रतिबिंब।**
- **महिला सशक्तीकरण: दुर्गा सोहे** जैसी फिल्में।
- **शिक्षा के प्रति जागरूकता।**
- **सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली उपकरण:** सामाजिक जागरूकता बढ़ाकर, सामाजिक दृष्टिकोण को बदलकर और राष्ट्रवादी विचारों को आकार देकर।

भारतीय समाज पर सिनेमा के नकारात्मक प्रभाव

- **लैंगिक रूढ़िवादिता और विषाक्त मर्दानगी।**
- **अवास्तविक शारीरिक मापदंडों को बढ़ावा देना:** यह शारीरिक बनावट को लेकर शर्मिंदगी (Body shaming) को भी बढ़ावा देता है।
- **पारिवारिक संस्था पर सवाल:** सिनेमा अक्सर प्रेम विवाह और लिव-इन रिलेशनशिप को दर्शाता है।
- **सांस्कृतिक प्राथमिकताओं में बदलाव:** सिनेमा का बढ़ता ध्यान शास्त्रीय नृत्य शैलियों की बजाय पश्चिमी नृत्य शैलियों पर है।
- **सुभेद्य समुदाय का खराब प्रतिनिधित्व।**
- **नशीले पदार्थों के उपयोग का महिमामंडन।**
- **समाज में विभाजन को बढ़ावा देना:** प्रचार-आधारित फिल्में तेजी से विशिष्ट राजनीतिक विचारधाराओं को बढ़ावा दे रही हैं।

सिनेमा में कंटेंट का विनियमन

- **भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023:** अश्लील कृत्यों को अपराध मानता है, जिसके लिए जुर्माना और कारावास का प्रावधान है।
- **स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986:** यह अधिनियम महिलाओं के अश्लील चित्रण पर रोक लगाता है।
- **केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995:** यह सुनिश्चित करता है कि प्रसारित होने वाले कार्यक्रम सामाजिक शालीनता और नैतिकता के मानकों को पूरा करें।
- **सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952:** फिल्मों के लिए **केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC)** द्वारा प्रमाणन को अनिवार्य बनाता है।
- **भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI):** यह एक स्व-नियामक निकाय है जिसका उद्देश्य विज्ञापनों को विनियमित करना है।

6.3. सोशल मीडिया और किशोर (SOCIAL MEDIA AND ADOLESCENTS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में रिलीज हुई एक वेब सीरीज "एडोलेसेंस (Adolescence)" ने वैश्विक स्तर पर ऑनलाइन कट्टरपंथवाद और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किशोरों की सुरक्षा को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। यह उन ज्वलंत मुद्दों को उजागर करती है, जिनका सामना बच्चे इंटरनेट के अनियंत्रित प्रभाव और उससे उत्पन्न सामाजिक परिणामों के चलते कर रहे हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- यूनाइटेड किंगडम अपने स्कूलों में इस **वेब सीरीज** को दिखाने की योजना बना रहा है, जिसमें शिक्षकों और अभिभावकों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए **डिस्कशन गाइड्स** भी शामिल होंगे।
- 2024 में, **ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट खोलने पर प्रतिबंध** लगा दिया।

ऑनलाइन स्पेस/ सोशल मीडिया के किशोरों पर हानिकारक प्रभाव

- **नकारात्मक सामाजिक कंडीशनिंग:** जैसे- अश्लीलता, **महिलाओं के प्रति नफरत फैलाने वाले कंटेंट लोगों में गुस्सा और नफरत** बढ़ाते हैं; सौंदर्य मानकों से संबंधित कंटेंट आत्म-संदेह पैदा कर सकता है।
- **ऑनलाइन कट्टरता:** उदाहरण के लिए- **"मैनोस्फीयर" से जुड़े चैट फोरम, जो नारीवादी विचारधारा** के जवाब में महिलाओं के प्रति नफरत और प्रभुत्व वाली पुरुषवादी सोच को उचित ठहराते हैं।
- **सोशल मीडिया की लत और अलगाव:** ऑनलाइन स्पेस का लंबे समय तक उपयोग बच्चों को वास्तविक दुनिया से अलग कर देता है।
- **मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं:** चिंता, अवसाद, और शरीर की बनावट को लेकर असुरक्षा।
- **सहानुभूति की कमी और साइबर-बुलिंग:** उदाहरण के लिए- **दिल्ली में "बॉयज़ लॉकर रूम" की घटना (2020)** जिसमें स्कूली लड़कों के एक ग्रुप में आपत्तिजनक इमेजेज साझा किए गए थे।

विभिन्न हितधारक किशोरों के व्यक्तित्व निर्माण को कैसे आकार देते हैं?

- **समकक्ष:** मूल्य, व्यवहार।
- **सामाजिक:** परिवार, समाज।
- **संस्थागत:** इंटरनेट, सोशल मीडिया, स्कूल, और सरकारें।

किशोरों पर सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों को रोकने की चुनौतियां क्या हैं?

- **पुराना नीतिगत दृष्टिकोण:** डिजिटल क्षेत्र में बदलाव की तेज गति नीतिगत बदलावों को पीछे छोड़ देती है।
- **डिजिटल साक्षरता की कमी।**
- **कंटेंट मॉडरेशन बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नियम-कानून के दायरे में लाना **विवादास्पद** बना हुआ है, मुख्य रूप से इस तर्क के कारण कि इस तरह का रेगुलेशन **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लोकतांत्रिक सिद्धांत को कमजोर** करता है।
- **कंटेंट मॉडरेशन में खामियां: किसी कंटेंट को बच्चों के लिए प्रतिबंधित करने से भी कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि बच्चे डार्क वेब, पाइरेसी** आदि के जरिए इस कंटेंट तक पहुंच सकते हैं।
- **अंतर-पीढ़ीगत डिजिटल अंतराल:** किशोर नई तकनीकों को तेज़ी से अपनाते हैं, जबकि वृद्ध लोग इसका विरोध कर सकते हैं या इसे समझ नहीं पाते हैं।
- **जागरूकता की कमी।**

आगे की राह

- **किशोरों में डिजिटल नागरिकता को बढ़ावा देना:** जब आप इंटरनेट का उपयोग कानूनी, सुरक्षित, सम्मानजनक तरीके से करते हैं।
- **देखभाल की डिजिटल नैतिकता:** डिजिटल जिम्मेदारी, डिजिटल सहानुभूति, डिजिटल देखभाल और दया, और डिजिटल सम्मान।
- **डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना।**
- **माता-पिता द्वारा निगरानी।**
- **स्कूल प्रणाली में सुधार:** जैसे, यूके की तरह **रिलेशनशिप, सेक्स और स्वास्थ्य शिक्षा (RSHE) पाठ्यक्रम** को शामिल करना।
- **नीतिगत सुधार:** बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना, शिक्षा नीतियां, किशोर न्याय कानून।
- **तकनीकी कंपनियों की जवाबदेही।**

6.4. पारिवारिक संस्था में बदलाव (CHANGING INSTITUTION OF FAMILY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि **पारिवारिक मूल्य क्षीण हो रहे हैं**, क्योंकि **माता-पिता और बच्चे** संपत्ति और भरण-पोषण के मामलों को लेकर **एक-दूसरे के खिलाफ मुकदमेबाज़ी कर रहे हैं।** इससे देश **"एक व्यक्ति, एक परिवार"** मॉडल की ओर बढ़ रहा है, जो कि **"वसुधैव कुटुंबकम्"** की भावना के विपरीत है।

भारत में बदलती परिवार संस्था

पहलू	पारंपरिक परिवार	नवीन रुझान
संरचना	**संयुक्त परिवार प्रणाली** जिसमें कई पीढ़ियां दादा-दादी, चाचा-चाची, भतीजी और भतीजे एक ही घर में एक साथ रहते हैं।	मुख्यतः **एकल परिवार**, जिनमें अक्सर केवल माता-पिता और गैर-वयस्क बच्चे ही होते हैं।
निर्णय-निर्माण	**पितृसत्तात्मक पदानुक्रम** जिसमें निर्णय **सामूहिक रूप से बुजुर्गों** द्वारा लिए जाते हैं।	पुरुषों और महिलाओं के बीच साझा निर्णय लेने के साथ **अधिक समतावादी दृष्टिकोण।**
विवाह प्रथाएं	**अक्सर बड़े-बुजुर्गों द्वारा तय की गई विवाह व्यवस्था;** वंश और पारिवारिक एकता पर ज़ोर।	**प्रेम विवाह, लिव-इन रिलेशनशिप** और गैर-पारंपरिक विवाह जैसे **समलैंगिक रिश्तों** की बढ़ती स्वीकार्यता।
मूल्य	**सामूहिकतावाद,** व्यक्तिवाद की तुलना में पारिवारिक निष्ठा, एकता और परस्पर निर्भरता पर ज़ोर देता है।	**गोपनीयता, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत आकांक्षाओं** पर ध्यान केंद्रित करते हुए **व्यक्तिवाद** का विकास।

भारतीय परिवार संस्था में बदलाव के कारक

- **आर्थिक कारक:** शहरीकरण, बढ़ते श्रम बाजार की मांग आदि।
- **बदलती लैंगिक भूमिका:** महिलाओं की शिक्षा और औपचारिक रोजगार तक बेहतर पहुंच।
- **पश्चिमीकरण: व्यक्तिवाद** जैसे मूल्यों पर जोर।
- **वैश्वीकरण:** उदाहरण के लिए- बहुराष्ट्रीय निगमों (MNCs) की कार्य संस्कृति अक्सर छोटे और लचीले परिवार इकाइयों के पक्ष में होती है।
- **प्रौद्योगिकी की भूमिका:** आधुनिक उपकरणों (जैसे स्काइप, व्हाट्सएप) के माध्यम से बेहतर संचार, जो रिश्तों और भावनात्मक जुड़ाव की गहराई को प्रभावित कर रहा है।

बदलती परिवार संस्था का प्रभाव

सकारात्मक प्रभाव

- **सक्रिय पालन-पोषण:** पिता अपने बच्चों के पालन-पोषण में अधिक शामिल हो रहे हैं।
- **मजबूत माता-पिता-बच्चे का बंधन।**
- **कम पारिवारिक संघर्ष।**
- **अधिक स्वायत्तता:** व्यक्ति, विशेषकर महिलाएं, स्वतंत्र जीवन जी सकती हैं।

नकारात्मक प्रभाव

- **अंतर-पीढ़ीगत संघर्ष।**
- **पारंपरिक मूल्यों का ह्रास।**
- **अकेलापन:** बच्चों और माता-पिता दोनों में अकेलापन।
- **सामाजिक बुनियादी ढांचे पर दबाव:** संस्थागत बुजुर्गों की देखभाल, बच्चों की देखभाल और लोक स्वास्थ्य सहायता के लिए अधिक मांग।

आगे की राह

- **समुदाय-आधारित समर्थन प्रणालियों को मजबूत करना:** पड़ोस-आधारित बेहतर बुजुर्ग देखभाल सेवाएं, बाल देखभाल केंद्र (क्रेच) और मानसिक कल्याण केंद्र स्थापित करना। **उदाहरण:** केरल का **कुदुम्बश्री** नेटवर्क समुदाय और देखभाल अर्थव्यवस्था को एकीकृत करता है।
- **शिक्षा और सामाजिक जागरूकता।**
- **शहरी नियोजन के माध्यम से अंतर-पीढ़ीगत जीवन को बढ़ावा देना।**
- **परिवार की अवधारणा को फिर से परिभाषित करना:** राज्यों की नीतियों और शासन ढांचे को पारंपरिक परिभाषा से आगे बढ़ने की आवश्यकता है।
- **नीतिगत हस्तक्षेप: माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007** का प्रभावी कार्यान्वयन। साथ ही, बुजुर्गों के लिए **मुफ्त कानूनी सहायता।**

6.5. कार्यस्थल ऑटोमेशन (WORKPLACE AUTOMATION)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियां जनरेटिव AI सहित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी नई प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपना रही हैं, जिससे ग्राहक संपर्क और कार्यस्थल दक्षता में सुधार हो रहा है। हालांकि कर्मचारियों पर इसकी वजह से पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।

कार्यस्थल ऑटोमेशन के बारे में

- **आशय:** यह **मानव के न्यूनतम हस्तक्षेप** के साथ कार्यों और प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग, ऑग्मेंटेड रियलिटी जैसी **प्रौद्योगिकियों का उपयोग** है।
- **भारत और ऑटोमेशन: वित्त वर्ष 2029 तक** भारत के औद्योगिक ऑटोमेशन बाजार का आकार **29.43 बिलियन डॉलर** तक पहुंचने की संभावना है।
  - **प्रमुख कारक:** बढ़ता डिजिटलीकरण और तकनीकी नवाचार में तेजी, ग्राहकों की बदलती अपेक्षाएं, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, बढ़ती श्रम लागत, बुजुर्गों की बढ़ती आबादी, आदि।

कार्यस्थल ऑटोमेशन से जुड़े सामाजिक लाभ

- **कौशल अंतर को कम करना और उत्पादकता को बढ़ावा देना:** AI कौशल के आधार पर कार्य सौंपता है, अपस्किलिंग की जरूरतों की पहचान करता है तथा समग्र दक्षता को बढ़ाता है।
- **समानता और विविधता को बढ़ावा देना:** स्वचालन (Automation) भर्ती एवं मूल्यांकन में पूर्वाग्रह को कम करता है।
- **सुरक्षित कार्य परिवेश:** मशीनें खतरनाक और श्रमसाध्य कार्यों को संभालती हैं।
- **बेहतर कार्य-जीवन संतुलन:** यह दोहराए जाने वाले कार्यों में कमी करता है, थकान को कम करता है और अधिक सार्थक भूमिकाओं को सक्षम बनाता है।
- **बेहतर ग्राहक सेवा:** यह तेज़, सुसंगत और अधिक सुलभ सहायता सुनिश्चित करता है।

कार्यस्थल ऑटोमेशन से जुड़ी सामाजिक चुनौतियां

- **बढ़ती आय असमानता:**
  - **कुछ ही लोगों को अधिक वेतन मिलना तथा रोजगार से वंचित होना:** ऑटोमेशन का लाभ मुख्यतः उच्च-कौशल वाले कर्मचारियों को मिलता है, जबकि कम-कुशल कामगारों को नौकरी छूटने या वेतन स्थिर रहने की समस्या का सामना करना पड़ता है।
  - **पुनर्कौशल में बाधाएं:** डिजिटल साक्षरता और प्रशिक्षण तक असमान पहुंच के कारण।
  - **रोजगार में लैंगिक असमानता:** ऑटोमेशन कम-कुशल नौकरियों, जैसे कि लिपिक और सचिवीय भूमिकाओं की जगह लेता है, जहां महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व अधिक होता है।
  - **गिग वर्कर्स और नौकरी की असुरक्षा:** ऑटोमेशन विशेष रूप से प्लेटफ़ॉर्म-आधारित गिग इकोनॉमी में, अल्पकालिक अनुबंधों को प्रोत्साहित कर सकता है और नौकरी की स्थिरता को कम कर सकता है।
- **मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण:** एल्गोरिदम निगरानी और निरंतर कनेक्टिविटी तनाव को बढ़ाती है, स्वायत्तता को कम करती है, तथा कार्य-जीवन संतुलन को नुकसान पहुंचाती है, जिससे डिजिटल थकान होती है।
- **मानवीय निरीक्षण में कमी:** ऑटोमेशन पर अत्यधिक निर्भरता से त्रुटियां और सुरक्षा जोखिम हो सकते हैं, खासकर स्वास्थ्य सेवा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, जहां मानवीय निर्णय अभी भी महत्वपूर्ण हैं।

समावेशी, सुरक्षित और न्यायसंगत कार्यस्थल ऑटोमेशन सुनिश्चित करने के लिए आगे की राह

- **आय समानता सुनिश्चित करना:**
  - **सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा:** ऑटोमेशन के कारण रोजगार छूटने को श्रम कानूनों के तहत शामिल किया जाना चाहिए। सबसे अधिक खतरा झेल रहे अनौपचारिक, गिग और अनुबंध क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान किया जाना चाहिए।
    - **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020** का उद्देश्य **संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रकों के सभी कामगारों** को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है।
    - **औद्योगिक संबंध संहिता, 2020** में कामगार पुनर्कौशल कोष का प्रावधान है।
  - **न्यायसंगत ऑटोमेशन को बढ़ावा देना:** समावेशी नीतियों और लक्षित अपस्किलिंग के माध्यम से **लैंगिक ऑटोमेशन अंतराल** को समाप्त करना।
- **कानूनी और नीतिगत ढांचे को मजबूत करना:** व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (OSH) संबंधी कानूनों को अपडेट करना। साथ ही, कानूनों को **1981 के ILO कन्वेंशन संख्या 155** (OSH कन्वेंशन) और **2006 के कन्वेंशन संख्या 187** (OSH के लिए प्रसारात्मक फ्रेमवर्क) के अनुरूप करना चाहिए।
- **रोबोटिक्स को विनियमित करना:** मानव-रोबोट सहयोग के लिए सुरक्षा मानदंडों को परिभाषित करना।
- **डिस्कनेक्ट होने का अधिकार:** कामगारों को अत्यधिक काम और डिजिटल थकान से बचाएं।

- **मानव-केंद्रित एल्गोरिदम प्रबंधन:**
  - पारदर्शिता, मानवीय निरीक्षण, और कामगार शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करना।
  - तनाव कम करने और विश्वास बनाने के लिए कामगार फीडबैक को एकीकृत करना।
- **जागरूकता बढ़ाना:** अभियानों के माध्यम से डिजिटल अधिकारों और मानसिक स्वास्थ्य साक्षरता को बढ़ावा देना।
- **ग्रीन ऑटोमेशन:** पर्यावरण की दृष्टि से सतत ऑटोमेशन प्रथाओं को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष

एक सहयोगी व कामगार-केंद्रित दृष्टिकोण यह सुनिश्चित कर सकता है कि ऑटोमेशन सुरक्षा, समानता एवं कल्याण को बढ़ाए, जिससे अधिक समावेशी और संधारणीय कार्यस्थल निर्मित हो।

6.6. मानव विकास रिपोर्ट 2025: बढ़ती असमानता (HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2025: WIDENING INEQUALITY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने मानव विकास रिपोर्ट 2025** जारी की है। इस रिपोर्ट में मानव विकास में भारत की प्रगति की सराहना की गई है। साथ ही, **भारत में बढ़ती असमानता, विशेष रूप से आय और लैंगिक असमानताओं के बारे में चिंता** भी प्रकट की गई है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **मानव विकास सूचकांक (HDI)**
  - निम्न-HDI और बहुत उच्च-HDI वाले देशों के बीच का अंतर लगातार चौथे वर्ष बढ़ा है।
  - **शीर्ष 3 देश:** आइसलैंड, नॉर्वे व स्विट्ज़रलैंड।
  - **भारत:** 193 देशों में से 130वें स्थान पर आया; HDI बढ़कर 0.685 हो गया।
- **असमानता-समायोजित HDI**
  - असमानता के कारण भारत में मानव विकास में **30.7% की हानि** हुई।
  - **आय वितरण:** सबसे गरीब 40% के पास 20.2% हिस्सा है, जबकि सबसे अमीर 10% के पास 25.5% हिस्सा है।
- **बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI)**
  - **16.4%** भारतीय बहुआयामी रूप से गरीब हैं; **4.2%** अत्यधिक गरीबी में हैं।
  - **18.7%** अतिरिक्त लोग गरीबी के प्रति संवेदनशील हैं।
- **लैंगिक असमानता सूचकांक (GII)**
  - भारत **193 देशों में से 102वें** स्थान पर रहा।
  - भारत में **15+ वर्ष की महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 35.1% है, जबकि पुरुषों की 76.4%** है।

असमानता और इसका मापन

- **असमानता:** स्थिति, अधिकारों और अवसरों में समानता की कमी।
- **असमानता के प्रकार:** आय असमानता, सामाजिक असमानता, अवसरों की असमानता आदि।
- **असमानता का मापन:**
  - **गिनी गुणांक:** यह आय/उपभोग में असमानता (संकेन्द्रण की डिग्री) को मापता है (0 = पूर्ण समानता, 1 = पूर्ण असमानता)।
  - **लॉरेंज वक्र पर आधारित:लोरेन्ज वक्र** यह दिखाता है कि असमानता कितनी ज्यादा है। **वक्र जितना अधिक झुका हुआ होता है, असमानता उतनी ही अधिक** होती है।
  - **पाल्मा अनुपात:** इसमें आय के मामले में **शीर्ष पायदान पर मौजूद 10% आबादी की प्रति घंटा कुल आय को निचले पायदान पर मौजूद 40% आबादी की प्रति घंटा कुल आय से विभाजित** किया जाता है।

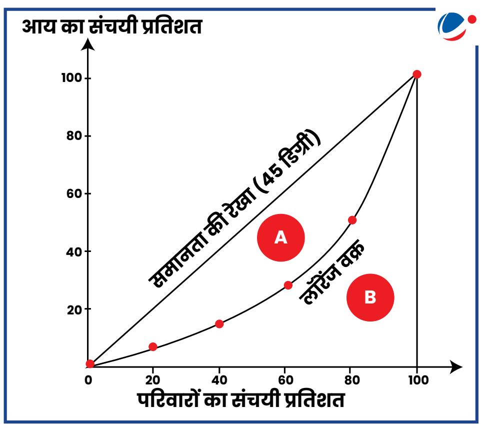

भारत में असमानता बने रहने के कारण

- **सामाजिक-सांस्कृतिक असमानताएं: जाति, लिंग** आदि पर आधारित।
    - **लैंगिक वेतन असमानता:** महिलाएं **श्रम आय का केवल 18%** कमाती हैं (विश्व असमानता रिपोर्ट 2022)।
    - **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की कमी** अंतर-पीढ़ीगत गरीबी को कायम रखती है। उदाहरण: स्वास्थ्य पर **उच्च आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च**।
- **आर्थिक विकास की प्रकृति:** भारत की अर्थव्यवस्था में 'रोजगारहीन वृद्धि', 'मिसिंग मिडिल' की समस्या (लघु और मध्यम आकार के उद्यमों की कम संख्या), क्षेत्रकवार असंतुलन (कृषि का कुल उत्पादन केवल 15% था, जबकि यह 42% रोजगार दे रही थी)।
    - **ग्रामीण-शहरी विभाजन:** औसत मासिक प्रति व्यक्ति **उपभोग व्यय**- ₹4,122 (ग्रामीण) बनाम ₹6,996 (शहरी) है (घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24)।
- **श्रम नीतियां:** श्रमिकों की सौदेबाजी की शक्ति में कमी।
- **कर पूर्वाग्रह:** दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कम दरें मजदूरी की तुलना में पूंजी का पक्ष लेती हैं।
- **अन्य कारक:** तकनीकी विभाजन, संघर्ष, जलवायु आघात, संप्रभु ऋण संकट, COVID-19, शासन संबंधी मुद्दे (भ्रष्टाचार, सुधारों का प्रतिरोध आदि)।

आगे की राह

- **नीति निर्माण:** जैसे, राष्ट्रीय असमानता न्यूनीकरण योजनाएं (NIRPs), प्रगतिशील कराधान जो स्थानीय स्तर पर गांव/ ब्लॉक पर केंद्रित हो।
- **समावेशी संपदा दृष्टिकोण:** संपदा की परिभाषा का विस्तार करके इसमें प्राकृतिक, मानवीय और सामाजिक पूंजी को शामिल करना चाहिए; जातिगत और लैंगिक बाधाओं को दूर करना चाहिए। उदाहरण के लिए- जेंडर बजटिंग एक अच्छा कदम है।
- **अन्य:** लैंगिक समानता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच, व्यावसायिक प्रशिक्षण को बाजार की मांग के अनुरूप बनाना।
- **सामाजिक सुरक्षा उपायों को मजबूत करन**ा।

निष्कर्ष

एक **'समग्र-समाज दृष्टिकोण'**, जो सरकारी नीतियों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र की जिम्मेदारी को एकजुट करता है, को **हर विकास पहल के डिजाइन, वितरण एवं मूल्यांकन में समानता को समाहित** करना चाहिए।

6.7. सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) रिपोर्ट 2021 (SAMPLE REGISTRATION SYSTEM (SRS) REPORT 2021)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) द्वारा हाल ही में **SRS रिपोर्ट, 2021** जारी की गई थी।

SRS के बारे में

- यह एक **जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण** है, जो राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों पर **जन्म दर, मृत्यु दर और अन्य प्रजनन तथा मृत्यु दर** संकेतकों का अनुमान प्रदान करता है।
- SRS नमूने को **हर दस साल में नवीनतम जनगणना** के आधार पर संशोधित किया जाता है।

SRS रिपोर्ट 2021 के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

मानदंड और परिभाषाएं	SRS रिपोर्ट 2021 द्वारा उजागर किए गए रुझान
क्रूड बर्थ रेट (CBR) = (एक वर्ष के दौरान हुए जीवित जन्मों की संख्या ÷ वर्ष के मध्य की जनसंख्या) × 100	• **2021 में घटकर 19.3** रह गई। • **राज्यवार स्थिति:** सबसे ज्यादा **बिहार (25.6)**, सबसे कम **केरल (12.9)**।
जनसंख्या की संरचना (कुल जनसंख्या का प्रतिशत)	• **0-14 आयु वर्ग:** 2021 में घटकर **24.8%** तक आ गई है। • **आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या (15-59 वर्ष): बढ़ोतरी**- 2021 में **66.2%** हो गई। • **वृद्ध आबादी:** इसमें **बढ़ोतरी** हुई है (60+ वर्ष: 9% तथा 65+ वर्ष: 5.9%)। • **महिलाओं के लिए प्रभावी विवाह की औसत आयु: बढ़ोतरी**- 2021 में **22.5 वर्ष** तक हो गई।

मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) मातृ मृत्यु अनुपात किसी निर्धारित अवधि में **प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर होने वाली माताओं की मृत्यु** की संख्या है।	➤ **गिरावट:** 2019-21 में घटकर **93** रह गई। ➤ SDG के MMR लक्ष्य **(2030 तक ≤ 70)** के करीब है।
शिशु मृत्यु दर ➤ **नवजात मृत्यु दर (NMR):** प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर जन्म से लेकर 29 दिनों तक के नवजात शिशुओं की मृत्यु की संख्या। ➤ **शिशु मृत्यु दर (IMR):** प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु तक के शिशुओं की मृत्यु की संख्या। ➤ **पांच वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर (U5MR):** प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु की संख्या।	**नवजात मृत्यु दर (NMR)** ➤ **गिरावट:** 2021 में घटकर **19** हो गई है। ➡ SDG के NMR लक्ष्य **(2030 तक ≤ 12)** के करीब है। ➤ **राज्यों में: सबसे कम:** केरल तथा **सबसे ज़्यादा:** मध्य प्रदेश **शिशु मृत्यु दर (IMR)** ➤ **गिरावट:** 2021 में **27** हो गई है। ➤ **राज्यों में: सबसे कम:** केरल (6) और **सबसे ज़्यादा:** मध्य प्रदेश (41) ➤ राष्ट्रीय स्तर पर जन्म लेने वाले **प्रत्येक 37 शिशुओं में से एक शिशु की अपनी आयु के पहले साल में ही मृत्यु** हो जाती है। **पांच वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर (U5MR)** ➤ **गिरावट:** 2021 में घटकर **31** हो गई है। ➤ SDG के U5MR लक्ष्य **(2030 तक ≤ 25)** के करीब है। ➤ **राज्यों में: सबसे कम:** केरल और **सबसे ज्यादा:** मध्य प्रदेश
जन्म के समय लिंगानुपात जन्म के समय प्रति 1000 लड़कों पर जन्म लेने वाली लड़कियों की संख्या	➤ **बढ़ोतरी:** 2019-21 में बढ़कर **913** हो गया है। ➤ **राज्यों में: सबसे ज्यादा:** केरल (962) और **सबसे कम:** उत्तराखंड (852) ➤ **ग्रामीण (2019-21):** 912 और **शहरी (2019-21):** 918.
कुल प्रजनन दर (TFR) यह एक महिला द्वारा उसके जनन काल के दौरान जन्म देने वाले बच्चों की औसत संख्या होती है।	**कुल प्रजनन दर (TFR) = 2.0** ➤ **गिरावट:** इसमें 2016-2021 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर **गिरावट** आई है। ➤ **राज्यों में: सबसे ज्यादा:** बिहार (3.0) और **सबसे कम:** दिल्ली और पश्चिम बंगाल (1.4) ➤ **प्रतिस्थापन स्तर (TFR) यानी 2.1, राष्ट्रीय स्तर पर 16 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों** के साथ हासिल कर लिया गया है। ➤ **ग्रामीण:** 2.2 तथा **शहरी:** 1.6
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा	➤ 2017-21 की अवधि के लिए **69.8 वर्ष** थी, जो 2016-20 की तुलना में **0.2 वर्ष की गिरावट** को दर्शाती है। ➤ **पुरुषों** के लिए जीवन प्रत्याशा **68.2 वर्ष** और **महिलाओं** के लिए **71.6 वर्ष** अनुमानित है।
संस्थागत प्रसव	➤ 2021 में, लगभग **91.1% प्रसव संस्थागत** थे, जिनमें सरकारी और निजी अस्पताल दोनों शामिल हैं। ➡ **शहरी क्षेत्रों में:** 95.5% तथा **ग्रामीण क्षेत्रों में:** 89.7%

निष्कर्ष

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार भारत के भविष्य के **जनसांख्यिकीय लाभांश** को सुनिश्चित करता है। स्थायी प्रभाव के लिए योजनाओं, जागरूकता, बुनियादी ढांचे और सेवा की गुणवत्ता को मजबूत करना आवश्यक है।

6.8. शहरी गरीबी (URBAN POVERTY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, ओडिशा सरकार ने एक सहयोगात्मक पहल **'सहयोग/ SAHAYOG'** शुरू की है। इसका उद्देश्य **शहरी गरीबों की सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच** को सुगम बनाना है।

सहयोग (SAHAYOG) पहल के बारे में

- **उद्देश्य:** सरकारी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना।
- **लक्ष्य:** जागरूकता और घर-घर सेवाएं प्रदान करके शहरी गरीबों की पहचान करना तथा उन्हें विभिन्न योजनाओं से जोड़ना।

भारत में शहरीकरण और शहरी गरीबी की वर्तमान स्थिति

- शहरी आबादी **31.16%** तक बढ़ी (2011 में); 2050 तक 50% से अधिक होने का अनुमान है।
- अत्यधिक शहरी गरीबी **10.7% से गिरकर 1.1%** हो गई है।
- व्यापक गरीबी **17.2%** तक कम हो गई है।
- **गिनी सूचकांक 25.5** तक सुधर गया है।
- शहरी बेरोजगारी **6.6%** तक गिर गई है।

शहरी और ग्रामीण गरीबी में अंतर

- **बुनियादी सुविधाएं:** शहरी गरीबों के पास पर्याप्त आवास और स्वच्छता की कमी होती है; ग्रामीण गरीब भू-स्वामित्व की सुरक्षा के लिए संघर्ष करते हैं।
- **रहने की स्थिति:** शहरी क्षेत्रों में भीड़भाड़, स्वच्छता की समस्याएं, बीमारी और अपराध का खतरा होता है; ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के घरों की कमी होती है और उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
- **मनोवैज्ञानिक प्रभाव:** शहरी गरीबी अधिक दिखाई देती है—जिससे **सापेक्ष अभाव**, अलगाव और अकेलापन पैदा होता है (जैसे- गगनचुंबी इमारतों के बगल में **धारावी**); ग्रामीण गरीबी सांस्कृतिक रूप से संस्थागत है, जो **जातिगत/ लैंगिक मानदंडों** से बंधी है।
- **आर्थिक संदर्भ:** ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं कृषि पर निर्भर करती हैं; शहरी अर्थव्यवस्थाएं विविध होती हैं, जो अधिक अवसर प्रदान करती हैं, लेकिन शहरी गरीबी को अधिक जटिल एवं बहुआयामी भी बनाती हैं।

शहरी गरीबी के बने रहने के कारण

- **नियोजित शहरी विकास की कमी:** जैसे- अव्यवस्थित शहरीकरण, किफायती आवास परियोजनाओं की कमी आदि।
- **शहरीकरण में क्षेत्रीय असमानता:** टियर-II और टियर-III शहरों का अपर्याप्त विकास।
- **सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच का अभाव:** जैसे, निवास प्रमाण की कमी के कारण सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से अपवर्जन।
- **गरीबी का दुष्चक्र:** गरीबी सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता के अवसरों तक पहुंच को सीमित करती है।

शहरी गरीबी को खत्म करने के लिए सरकारी पहलें

- **वन नेशन वन राशन कार्ड:** आधार-आधारित पोर्टेबल राशन कार्ड (जिसमें आंतरिक प्रवासी भी शामिल हैं)।
- **स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0:** घरेलू शौचालय का निर्माण।
- **पीएम आवास योजना-शहरी:** EWS/ LIG/ MIG और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों के लिए आवास प्रदान करना।
- **DAY-NULM (दीन दयाल योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन) और पीएम स्वनिधि:** आजीविका और किफायती सूक्ष्म-ऋण के लिए।
- **अन्य: अमृत 2.0** और **स्मार्ट सिटीज़ मिशन।**

आगे की राह

- **समावेशी शहरीकरण:** सामुदायिक भागीदारी के साथ योजना को विकेंद्रीकृत करना; मिश्रित-उपयोग ज़ोनिंग और SHGs की भूमिका को बढ़ावा देना {उदाहरण के लिए- मलिन बस्ती पुनर्विकास में केरल का कुदुम्बश्री (महिला SHG)}।
- **टियर-II/III शहरों का विकास:** संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए, मेगासिटीज़ में प्रवास को रोकने हेतु ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार करना।
- **संधारणीयता:** उदाहरण के लिए- SBM के तहत इंदौर के स्वच्छता अभियान।
- **अन्य:** शहरी गरीबों का सशक्तीकरण, लक्षित सामाजिक सुरक्षा आदि।

निष्कर्ष

2050 तक, भारतीय शहर **जीडीपी में 75% से अधिक और ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में लगभग 60%** का योगदान कर सकते हैं। इससे **सतत विकास, "विकसित भारत" और $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था** के लक्ष्य के लिए शहरी गरीबी को कम करना आवश्यक हो जाता है।

6.9. मिजोरम ने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर हासिल की (MIZORAM ACHIEVES FULL FUNCTIONAL LITERACY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मिजोरम के मुख्यमंत्री ने मिजोरम को पूर्ण साक्षर राज्य (PLFS सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 98.2% साक्षरता) घोषित किया। इससे यह पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इससे पहले, **लद्दाख पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश** बना था।
- **गोवा दूसरा** ऐसा राज्य था।
- शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, **95% से अधिक साक्षरता दर को पूर्ण साक्षरता** माना जाता है।
- ये उपलब्धियां **उल्लास (ULLAS)- नव भारत साक्षरता कार्यक्रम** के कारण संभव हुई हैं।
- **नोट:** 1991 में केरल की पूर्ण साक्षरता **राष्ट्रीय साक्षरता मिशन** (>90% साक्षरता दर) पर आधारित थी।

साक्षरता बनाम कार्यात्मक साक्षरता

- **साक्षरता:** एक व्यक्ति जिसकी उम्र 7+ है और जो **किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख** सकता है (भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय के अनुसार)।
- **कार्यात्मक साक्षरता:** पढ़ने, लिखने, समझने और लिखित जानकारी का उपयोग करने की क्षमता - जैसे मौलिक निर्देशों को पढ़ना और समझना, फॉर्म भरना, तकनीक का उपयोग करना आदि।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2023-24 के अनुसार भारत में साक्षरता

- **कुल साक्षरता दर (7+ आयु):** 80.9% है।
- **शहरी साक्षरता दर 88.9%** है, जबकि **ग्रामीण साक्षरता दर 77.5%** है।
- पुरुष साक्षरता दर **87.2%** है, जबकि महिला साक्षरता दर **74.6%** है।
- **शीर्ष 5 राज्य:** मिजोरम, लक्षद्वीप, नागालैंड, केरल और मेघालय।
- **निचले 5 राज्य:** आंध्र प्रदेश (**72.6%**), बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड।

उल्लास (ULLAS)- नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (NILP) के बारे में

- **परिभाषित साक्षरता:** ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ व लिख सकते हैं, बुनियादी गणितीय कौशल से युक्त हैं और डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता रखते हैं (सिर्फ अपने नाम का हस्ताक्षर करना या लिखना नहीं)।
- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है, जो **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020** के अनुरूप है।
- **लक्ष्य: 5 करोड़ शिक्षार्थियों को साक्षर** बनाना है। इसमें **"ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम (OTLAS)"** की मदद से हर साल **1 करोड़ शिक्षार्थियों को साक्षर** बनाया जाएगा।
  - OTLAS एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है, जो ULLAS योजना के वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप में जुड़ी हुई है। इसे **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC)** ने विकसित किया है।
- **अवधि:** वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक।
- **मंत्रालय:** शिक्षा मंत्रालय।
- **लक्षित समूह: 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वयस्क**, जिन्होंने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की है।
- **घटक:** इसमें **बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और सतत शिक्षा** शामिल हैं।
- **कार्यान्वयन:** यह **स्वयंसेवा** के माध्यम से **'कर्तव्य बोध'** की भावना को बढ़ावा देता है।
  - स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों आदि में **'सामाजिक चेतना केंद्र'** स्थापित किए जाते हैं, जिसमें स्कूल कार्यान्वयन की इकाई के रूप में कार्य करते हैं।
- **क्षेत्रीय भाषाएं:** दीक्षा (DIKSHA) पोर्टल और उल्लास मोबाइल ऐप/ पोर्टल पर।
- **मूल्यांकन एवं प्रमाणन: FLNAT (फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी असेसमेंट टेस्ट) वर्ष में दो बार या मांग पर स्थानीय स्कूलों में आयोजित** किया जाता है।

साक्षरता के लिए अन्य पहलें:

- **राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (NLM) 1988.**
- **साक्षर भारत मिशन:** लक्ष्य- राष्ट्रीय साक्षरता स्तर को 80% तक पहुंचाना और साक्षरता के लिंगानुपात अंतर को 10% तक कम करना।
- **निपुण (NIPUN) भारत मिशन (NEP, 2020 के अंतर्गत):** इसका उद्देश्य **2025 तक सभी बच्चों को प्राथमिक कक्षा स्तर पर बुनियादी साक्षरता और गणना कौशल** प्रदान करना है।

6.10. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS)

6.10.1. संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने न्यूनतम आहार विविधता (MDD) के लिए नया SDG संकेतक अपनाया (NEW SDG INDICATOR ON MINIMUM DIETARY DIVERSITY (MDD) ADOPTED BY UN STATISTICAL COMMISSION)

FAO और यूनिसेफ संयुक्त रूप से इस नए संकेतक का **प्रबंधन** करेंगे। यह स्वस्थ आहार के लिए एक SDG माप की अनुपस्थिति का समाधान करेगा।

- यह संकेतक **उन पहलुओं पर ध्यान देगा, जो कुपोषण को समाप्त करने और SDG-2 (शून्य भुखमरी) को हासिल करने तथा व्यापक एजेंडा 2030 की प्रगति को ट्रैक** करने हेतु उपलब्ध नहीं थे।

MDD के बारे में

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, न्यूनतम आहार विवि!धता को तब हासिल किया जा सकता है जब आहार में **निम्नलिखित 8 खाद्य समूहों में से 5 या उससे अधिक शामिल हों:**
  - **माता का दूध; अनाज; फलियां; डेयरी उत्पाद; मांस खाद्य पदार्थ; अंडे; फल और सब्जियां तथा विटामिन A से भरपूर फल और सब्जियां।**

MDD संकेतक का महत्त्व

- **बेहतर पोषण मूल्यांकन:** विशेष रूप से महिलाओं (MDD-W) और बच्चों (MDD-C) के पोषण का मूल्यांकन करने में मदद करता है।
- **वैश्विक स्वास्थ्य लक्ष्यों को ट्रैक करना:** यह SDG-2 का समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य भुखमरी को खत्म करना और पोषण में सुधार करना है।
- **नीतिगत उपकरण:** यह नीति निर्माताओं को रणनीतियां विकसित करने में सहायता करता है।
- **कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन:** पोषण कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मदद करता है।

भारत में न्यूनतम आहार विविधता विफलता (MDDF) की स्थिति (वर्ष 2019-21 के लिए)

- **क्षेत्रीय असमानताएं:** उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 80% से अधिक बच्चों में MDDF है।
- **उम्र का MDDF पर प्रभाव:** भारत में 6-23 महीने की उम्र के **77%** बच्चों में न्यूनतम आहार विविधता की कमी है।
- **कमजोर वर्ग:** अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के बच्चों में MDDF सबसे अधिक (**79%**) है, इसके बाद अनुसूचित जाति (**77.2%**) और अनुसूचित जनजाति (**76%**) के बच्चे हैं।

6.10.2. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट (WORLD HAPPINESS REPORT)

यह रिपोर्ट **ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबीइंग रिसर्च सेंटर ने गैलप, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क (UN-SDSN) और एक स्वतंत्र संपादकीय बोर्ड** के साथ मिलकर प्रकाशित की है।

रिपोर्ट के बारे में

- यह रिपोर्ट **कैंट्रिल सेल्फ-एंकरिंग स्ट्राइविंग स्केल (कैंट्रिल लैडर) से प्राप्त एक प्रश्न** पर आधारित है।
  - स्केल का सबसे ऊपरी हिस्सा **'बहुत खुशहाल जीवन'** का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि स्केल का सबसे नीचे वाला हिस्सा **'बिल्कुल भी खुशहाल नहीं'** जीवन का प्रतिनिधित्व करता है।
- **मानदंड:** प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक समर्थन, जन्म के समय स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणाएं।
- **सबसे खुशहाल देश: फिनलैंड (पहला स्थान), इसके बाद डेनमार्क और आइसलैंड** का स्थान है। **भारत का स्थान: 147 देशों में से 118वां स्थान**।

6.10.3. MOSPI ने "भारत में महिला और पुरुष 2024: चयनित संकेतक एवं डेटा" रिपोर्ट जारी की (MOSPI RELEASED "WOMEN AND MEN IN INDIA 2024: SELECTED INDICATORS AND DATA")

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **जन्म के समय लिंगानुपात:** 2014-16 और 2018-20 के बीच, **शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात (910) ग्रामीण क्षेत्रों (907) से अधिक** हो गया था।
- **स्वास्थ्य: MMR** 2015-17 में 122 से घटकर 2018-20 में **97** हो गई थी।
- **शिक्षा:** 2017 में पुरुष साक्षरता दर **84.7%** और महिला साक्षरता दर **70.3%** थी।
  - **केरल** में **सबसे कम** लैंगिक साक्षरता अंतराल है, जबकि **राजस्थान में सबसे अधिक** है।
- **आर्थिक भागीदारी:**
  - महिला LFPR 2017-18 की **23.3% से बढ़कर 2023-24 में 41.7%** हो गई।

- सभी बैंक खातों में **39.2% महिलाओं के बैंक खाते** हैं और वे कुल जमा में **39.7% का योगदान** देती हैं।
- वित्त वर्ष 2025 में महिलाओं की निदेशक मंडल में **28.7% हिस्सेदारी** हो गई है, जो वित्त वर्ष 2020 में **26.7%** थी।
- **राजनीतिक भागीदारी:** महिला मतदान 2019 में **67.2%** था, लेकिन 2024 में कुछ कम होकर **65.8%** हो गया।
- **महिलाओं के खिलाफ हिंसा: 18-49 आयु वर्ग की 31.9% विवाहित महिलाएं वैवाहिक हिंसा** से पीड़ित होती हैं। **कर्नाटक (48.4%), बिहार (42.5%) और मणिपुर (41.6%)** में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

6.10.4. ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज-फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज (GLOBAL NETWORK OF AGE-FRIENDLY CITIES AND COMMUNITIES: GNAFCC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कोझिकोड शहर को WHO के **GNAFCC** की सदस्यता से सम्मानित किया गया है।

GNAFCC के बारे में

- **स्थापना:** 2010 में।
- **सदस्य:** 51 देशों के 1300 सदस्य शहर और समुदाय।
- **उद्देश्य:** विश्व भर के **शहरों, समुदायों और संगठनों को जोड़ना,** ताकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए रहने योग्य समाज विकसित किया जा सके।

6.10.5. पीएम-युवा 3.0 (PM-YUVA 3.0)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पीएम-युवा 3.0 (यंग, अपकमिंग और वर्सटाइल ऑथर्स) लॉन्च किया।

PM-YUVA 3.0 के बारे में

- **उद्देश्य:** 30 वर्ष से कम उम्र के युवा लेखकों को पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षित करना।
- **चयन और प्रशिक्षण प्रक्रिया:** एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता के माध्यम से 50 लेखकों का चयन किया जाएगा।

कार्यान्वयन और महत्व

- **कार्यान्वयन: नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया** कार्यान्वयन एजेंसी है, जो संरचित मार्गदर्शन सुनिश्चित करती है।
- **महत्त्व:** यह सांस्कृतिक और साहित्यिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देकर **एक भारत श्रेष्ठ भारत** की भावना को मजबूत करता है।

6.10.6. स्वावलंबिनी (SWAVALAMBINI)

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से **स्वावलंबिनी- महिला उद्यमिता कार्यक्रम** शुरू किया है।

स्वावलंबिनी-महिला उद्यमिता कार्यक्रम के बारे में

- यह **लैंगिक रूप से समावेशी उद्यमिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।**
- **उद्देश्य:** इस कार्यक्रम का लक्ष्य उच्चतर शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को उद्यमिता के लिए आवश्यक **कौशल, संसाधन और मार्गदर्शन** उपलब्ध कराकर उन्हें सक्षम बनाना है।
- **संरचना:** इसमें **उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम,** महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम, मार्गदर्शन और फैकल्टी ट्रेनिंग भी शामिल हैं।
- **कार्यान्वयन निकाय: राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान।**
- **प्रभाव:** इसका लक्ष्य **प्रशिक्षित प्रतिभागियों में से 10% को उद्यम स्थापित करने के लिए प्रेरित करना है,** जिससे भारत में महिलाओं के नेतृत्व में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

6.10.7. अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE: IOC)

जिम्बाब्वे की पूर्व तैराक **क्रिस्टी कोवेंट्री** IOC की **पहली महिला अध्यक्ष** बनीं।

- IOC एक **गैर-लाभकारी स्वतंत्र** निकाय है, जो **ओलंपिक गतिविधियों का प्रबंधन** करता है।

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) के बारे में

- **मुख्यालय:** लॉज़ेन (ओलंपिक राजधानी), स्विट्ज़रलैंड।
- **उत्पत्ति: पेरिस में आयोजित प्रथम ओलंपिक कांग्रेस** में स्थापित (1894)।
- **विज़न:** खेल के माध्यम से एक बेहतर विश्व का निर्माण करना।
- **वित्त-पोषण:** पूर्णतः **निजी तौर पर वित्त-पोषित तथा अपने राजस्व का 90%** सभी स्तरों पर खेलों एवं एथलीटों के विकास के लिए वितरित करता है।
- **कार्य:**
  - **ओलंपिक खेलों में शामिल किए जाने वाले खेलों और मेजबान शहर के चयन** का निर्णय लेना।
  - एथलीटों, राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों (NOCs) और खेल महासंघों सहित ओलंपिक हितधारकों के बीच **सहयोग को सुगम** बनाना।
    - **भारतीय ओलंपिक संघ (IOC)** भारत के NOC के रूप में कार्य करता है।

6.10.8. आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट (GLOBAL REPORT ON INTERNAL DISPLACEMENT: GRID, 2025)

IDMC द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, **भारत में आंतरिक विस्थापन की स्थिति इस प्रकार है:**

- **आंतरिक विस्थापन** का अर्थ है, जब लोग **(आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति)** किसी कारणवश अपने ही देश के भीतर अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **2024 के अंत में आंतरिक रूप से विस्थापित लोग (IDP):** 83.4 मिलियन। इनमें से **73.5 मिलियन लोग संघर्ष और हिंसा तथा 9.8 मिलियन आपदाओं** के कारण विस्थापित हुए।
- **भारत: संघर्ष और हिंसा** के कारण आंतरिक विस्थापन **(1,700)** तथा **आपदाओं** के कारण आंतरिक विस्थापन **(5.4 मिलियन)।**

6.11. अपने ज्ञान का परीक्षण कीजिए (TEST YOUR LEARNING)

1. निम्नलिखित में से कौन-सा बीजिंग + 30 एक्शन एजेंडा के तहत महिलाओं और लड़कियों के सशक्तीकरण का फोकस क्षेत्र नहीं है?

a. डिजिटल क्रांति और डिजिटल लैंगिक अंतराल को पाटना

b. सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि के माध्यम से गरीबी से मुक्ति

c. समुदाय के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कार्य योजनाओं के माध्यम से शून्य हिंसा

d. महिलाओं की सुरक्षा का समर्थन करने के लिए सैन्य खर्च में वृद्धि

2. हालिया सरकारी पहलों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. स्वावलंबिनी कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं के बीच परामर्श, कौशल विकास और उद्यम निर्माण के माध्यम से महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
2. PM-YUVA 3.0 को 30 वर्ष से कम उम्र के युवा लेखकों के बीच साहित्यिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
3. राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD) PM-YUVA 3.0 कार्यक्रम को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a. केवल 1

b. केवल 1 और 2

c. केवल 2 और 3

d. 1, 2 और 3

3. हाल ही में, IMF की रिपोर्ट में रेखांकित किया गया पद "सिल्वर इकोनॉमी", किससे संबंधित है?

a. ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो चांदी के खनन पर बहुत अधिक निर्भर हैं

b. बढ़ती उम्र वाली आबादी से संबंधित आर्थिक अवसर

c. युवाओं के बीच उच्च डिजिटल पहुंच वाली अर्थव्यवस्थाएं

d. AI और रोबोटिक्स का उपयोग करने वाले औद्योगिक क्षेत्र

4. निम्नलिखित में से कौन-सा मानव विकास सूचकांक (HDI) की गणना में उपयोग किया जाने वाला संकेतक नहीं है?

a. जन्म के समय जीवन प्रत्याशा

b. स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष

c. प्रति व्यक्ति (PPP) सकल राष्ट्रीय आय (GNI)

d. शिशु मृत्यु दर

5. हाल ही में, मुख्य जनसांख्यिकीय विवरणों वाला नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण जारी किया गया। सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा गलत है?

a. मातृ मृत्यु दर ने SDG लक्ष्य को प्राप्त करने के मामले में गिरावट दर्ज की है।

b. शिशु मृत्यु दर ने भी गिरावट दर्ज की है।

c. संस्थागत प्रसव ने 90% का आंकड़ा पार कर लिया है।

d. कुल प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन दर से नीचे थी।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

Q1. . सिनेमा समाज का दर्पण और निर्माता दोनों है। भारतीय समाज पर सिनेमा के प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही, सिनेमा द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को दूर करने में विनियामक तंत्र की भूमिका पर भी चर्चा कीजिए। (150 शब्द)

Q2. कार्यस्थल ऑटोमेशन भारत में रोजगार की प्रकृति को कैसे नया रूप दे रहा है? कार्यबल के लिए इसके निहितार्थों पर चर्चा कीजिए और ऑटोमेशन के युग में समावेशी एवं न्यायसंगत संवृद्धि सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत उपायों का सुझाव दीजिए। (250 शब्द)

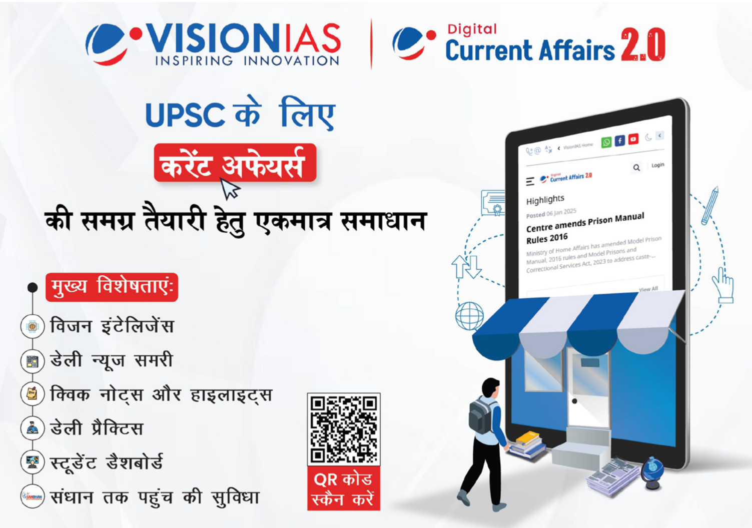

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

विषय सूची

7.1. सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं (SATELLITE INTERNET SERVICES) . . . 147
7.2. मानव संवर्धन (HUMAN ENHANCEMENT) . . . 148
7.3. भारत की हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना (GREEN HYDROGEN CERTIFICATION SCHEME OF INDIA: GHCI) 149
7.4. रणनीतिक क्रिप्टो रिजर्व (STRATEGIC CRYPTO RESERVE: SCR) . . . 150
7.5. लाइट सुपरसॉलिड (LIGHT SUPERSOLID) . . . 151
7.6. एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी दवाइयां {ANTI-RETROVIRAL THERAPY (ART) DRUGS} . . . 152
7.7. जीन एडिटिंग (GENE EDITING) . . . 153
7.8. डीपफेक (DEEPFAKES) . . . 154
7.9. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS) . . . 155
7.10. अपने ज्ञान का परीक्षण कीजिए (TEST YOUR LEARNING) . 161

7.1. सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं (SATELLITE INTERNET SERVICES)

सुर्ख़ियों में क्यों?

एयरटेल और जियो ने स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को भारत में लाने के लिए SpaceX के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में

- **परिभाषा:** पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली दूरसंचार सैटेलाइट्स के माध्यम से प्रदान किया जाने वाला एक वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है।
- **अंतर:** यह फाइबर, केबल या DSL अलग होता है, यह डेटा ट्रांसमिट करने के लिए तारों पर निर्भर नहीं होता।
- **अवसंरचना:** तीन खंड शामिल होते हैं:
  - **स्पेस सेगमेंट:** कई संचार उपग्रहों से बना एक कॉन्स्टेलेशन सिस्टम, जो सैटेलाइट से सिग्नल को प्राप्त करने और फॉरवर्ड करने तथा उपयोगकर्ताओं को सैटेलाइट सिग्नल की कवरेज प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है, और इसे आवश्यकतानुसार विभिन्न कक्षाओं में स्थापित किया जाएगा।
  - **ग्राउंड सेगमेंट:** इसमें उपग्रहों को सैटेलाइट इंटरनेट और ग्राउंड संचार नेटवर्क से जोड़ने वाले नियंत्रण नेटवर्क और गेट-वे स्टेशन शामिल होते हैं
  - **यूजर सेगमेंट:** इसमें उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संचार टर्मिनल शामिल होते हैं।

विभिन्न प्रकार की कक्षाएं और सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं

	भूस्थिर भू-कक्षा (GEO)	मध्यम भू-कक्षा (MEO)	निम्न भू-कक्षा (LEO)
पृथ्वी से दूरी	लगभग 35,786 कि.मी.	लगभग 2,000 कि.मी. से 35,786 कि.मी.	लगभग 160 कि.मी. से 2,000 कि.मी.
विलंब या देरी (Latency)	मध्यम देरी	कम देरी	बहुत कम देरी
स्थापना लागत	स्थापना में बहुत अधिक लागत	मध्यम लागत	अपेक्षाकृत कम लागत
पृथ्वी का कवरेज	बहुत विस्तृत	विस्तृत	लघु
एंटीना गति	स्थिर एंटीना (वैश्विक कवरेज के लिए तीन उपग्रह)	1-घंटे धीमी ट्रैकिंग (कवरेज के लिए छह उपग्रह)	10-मिनट तेज़ ट्रैकिंग (कवरेज के लिए सैकड़ों से लेकर हजारों उपग्रहों की आवश्यकता)
उपयोग	मौसम डेटा, प्रसारण टीवी, इमेजिंग, कम गति के साथ डेटा संचार	संचार, रक्षा उद्योग में इस्तेमाल, GPS जैसी नेविगेशन प्रणालियाँ	रिमोट सेंसिंग, मानव अंतरिक्ष उड़ान, डेटा संचार
इस कक्षा का उपयोग करने वाले अभिकर्ता	जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड (यह GEO और MEO उपग्रह समूह के संयोजन का उपयोग करेगा)		स्टारलिंक, वनवेब, प्रोजेक्ट कुइपर, टेलीसैट

विश्व में विभिन्न प्रमुख सैटेलाइट इंटरनेट परियोजनाएं

- **प्रोजेक्ट कुइपर:** अमेज़ॅन द्वारा सस्ती, उच्च गति वाली वैश्विक ब्रॉडबैंड के लिए **3,200 से अधिक LEO उपग्रहों** को लॉन्च किया गया।
- **स्टारलिंक: स्पेसएक्स द्वारा** लॉन्च किया गया।
- **वनवेब:** फ्रांसीसी उपग्रह ऑपरेटर यूटेलसैट द्वारा स्थापित वनवेब वर्तमान में SpaceX के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह समूह है।
- **क़ियानफ़ान कॉन्स्टेलेशन: चीन की** शंघाई स्पेसकॉम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी (SSST) **द्वारा निम्न-भू कक्षा उपग्रह इंटरनेट मेगा-कॉन्स्टेलेशन की योजना** बनाई गई है।

उपग्रह इंटरनेट सेवाओं का महत्व

- **डिजिटल समावेशन: दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों** को जोड़ता है; **~40% भारतीयों** को इंटरनेट तक पहुंच नहीं है।
- **आपदा कनेक्टिविटी: आपातकालीन स्थलों** और विमानों तथा जहाजों जैसे **गतिशील प्लेटफार्मों** के लिए उपयोगी।
- **डिजिटल अर्थव्यवस्था: ई-कॉमर्स, प्लेटफार्मों** और **डिजिटल बुनियादी ढांचे** में मदद करता है।
- **रणनीतिक स्वायत्तता: नेटवर्क में कटौती** या **भू-राजनीतिक जोखिमों** से कम प्रभावित।
- **सैन्य उपयोग:** उदाहरण के लिए, **रूस-यूक्रेन संघर्ष** में **स्टारलिंक सेवाएं।**

उपग्रह इंटरनेट सेवाओं से संबंधित मुद्दे

- **आंतरिक सुरक्षा के लिए चिंताएं:** NIA को संदेह है कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान ने अपने ठिकानों से संपर्क करने के लिए **सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल** किया होगा।
- **प्रभावी नियंत्रण का अभाव: प्राइवेट प्लेयर्स** और **सीमाहीन वैश्विक नेटवर्क** ने **नियामक इकोसिस्टम** के लिए चुनौतियां पेश की हैं।
- **एकाधिकारवादी प्रवृत्तियां:** अपने व्यापक उपग्रह नेटवर्क के कारण, SpaceX द्वारा एकाधिकारवादी बाजार संरचना बनाने का जोखिम उत्पन्न होता है।
- **सैटेलाइट लेटेंसी या विलंबता:** पारंपरिक वायर्ड कनेक्शन की तुलना में उच्च लेटेंसी होती है, स्टारलिंक जैसी LEO प्रणालियाँ 25-50 ms का लक्ष्य रखती हैं।
- **वायुमंडलीय परिवर्तन:** एल्युमिनियम के जलने पर उत्पन्न एल्युमिना ओजोन क्षरण का कारण बनता है और वायुमंडल की ऊष्मा को परावर्तित करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है।
- **लाइसेंसिंग और स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण:** वार्ता के तहत **VSAT लाइसेंस, Ku और Ka बैंड** का मूल्य निर्धारण करने की आवश्यकता है।
- **अन्य मुद्दे: मौसम** का प्रभाव, **उच्च लागत, अंतरिक्ष मलबा, खगोलीय हस्तक्षेप**, आदि।

आगे की राह

- **पायलट प्रोग्राम:** दूरदराज के क्षेत्रों (जैसे- ऑयल फील्ड्स या रेगिस्तानी समुदाय) में इसकी उपयोगिता प्रदर्शित कर सकते हैं।
- **व्यापक नियामक फ्रेमवर्क:** भारत को **लाइसेंसिंग, डेटा गवर्नेंस और स्पेक्ट्रम आवंटन** के लिए स्पष्ट नीतियां बनानी चाहिए।
- **निजी ऑपरेटरों के साथ सहयोग करना:** राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक उद्देश्यों को शामिल करना, जिससे **टैक्स में छूट और ग्रांट** जैसी प्रोत्साहन योजनाओं से निजी क्षेत्रक को बढ़ावा मिलेगा।
- **हाइब्रिड मॉडल:** सैटेलाइट और टेरेस्ट्रियल नेटवर्क दोनों का उपयोग किया जायेगा।
- **अन्य:** ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों को एकीकृत करने को प्राथमिकता देना, मजबूत क्षेत्रीय और कूटनीतिक पहल आदि।

7.2. मानव संवर्धन (HUMAN ENHANCEMENT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मानव संवर्धन उद्योग का आकार **2024 में 125 बिलियन डॉलर** था और इसके **2033 तक बढ़कर 348.5 बिलियन डॉलर** तक होने की संभावना है। (IMARC रिपोर्ट)

मानव संवर्धन क्या होता है?

- **व्यक्ति के शरीर में प्राकृतिक, कृत्रिम तथा तकनीकी माध्यमों से ऐसे परिवर्तन किए जाते हैं, जो उसकी संज्ञानात्मक और शारीरिक क्षमताओं में वृद्धि** करते हैं।
- यह कार्य **दवाइयों, हार्मोन, इम्प्लांट्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, आहार सप्लीमेंट्स और कॉस्मेटिक सर्जरी** जैसे तरीकों से पूरा किया जाता है।
  - इसमें **पारंपरिक चिकित्सा** की तरह बीमारी का इलाज करने की बजाय इसका **उद्देश्य मानव की सामान्य क्षमता के दायरे को बढ़ाना है।**
  - उदाहरण के लिए, मानव संवर्धन प्रौद्योगिकियां मलेरिया, टी.बी. और लाइम जैसी बीमारियों से लड़ने की क्षमता या उनके प्रति प्रतिरोध प्रदान करती हैं।
- **मुख्य विचार:**
  - **ट्रांसह्यूमैनिस्ट:** मानव क्षमताओं में अत्यधिक वृद्धि करने और जीवनकाल को बढ़ाने वाली उन्नत प्रौद्योगिकियों का समर्थन करती है।

मानव संवर्द्धन के प्रकार

फेनोटाइपिक	सोमैटिक (गैर-वंशानुगत)	जर्मलाइन (वंशानुगत)
जीन में बदलाव किए बिना शरीर को बेहतर बनाया जाता है।	इसमें शरीर के कोशिकाओं में बदलाव किया जाता है, लेकिन यह अगली पीढ़ियों तक नहीं पहुंचता है।	इसमें भ्रूण के जीन में बदलाव किया जाता है, जिससे यह बदलाव आने वाली पीढ़ियों में भी दिखता है।
उदाहरण: ◉ बायोनिक अंग ◉ विशेष ग्लासेज ◉ एक्सोस्केलेटन	**उदाहरण:** ◉ रोगों के लिए जीन थेरेपी ◉ सोमैटिक सेल मॉडिफिकेशन ◉ टार्गेटेड सेल ट्रीटमेंट	**उदाहरण:** ◉ भ्रूण जीन एडिटिंग ◉ वंशानुगत संशोधन ◉ डिजाइनर बेबी
यह सामान्य रूप से स्वीकार्य है।	**इसे ज्यादातर स्वीकार किया जाता है।**	**इसको लेकर नैतिक सवाल उठाए जाते हैं।**

- बायोकंजरवेटिव: मानवीय तत्त्व को नुकसान पहुंचाने से डरते हुए, **मानव की प्राकृतिक स्थिति** को बनाए रखने का समर्थन करती है।

मानव संवर्धन से जुड़ी चिंताएं

- **समानता:** सभी तक सीमित पहुंच से **सामाजिक असमानता बढ़** सकती है।
- **पहचान:** मूल गुणों में बदलाव से मानव की प्राकृतिक पहचान प्रभावित हो सकती है।
- **सहमति:** बिना सहमति के मानव संवर्धन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकता है।
- **सामाजिक दबाव:** बिना संवर्धन वाले लोगों के खिलाफ भेदभाव हो सकता है।
- **स्वास्थ्य संबंधी जोखिम:** इसके दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में अभी भी ज्यादा जानकारी नहीं है।
- **पर्यावरण: लंबे जीवनकाल** से संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव बढ़ सकता है।
- **आनुवंशिक विविधता:** आनुवंशिक इंजीनियरिंग से विविधता में कमी आ सकती है, जिससे बीमारियों के प्रति सुभेद्यता बढ़ सकती है।
- **विनियमन:** इन प्रौद्योगिकियों के सुरक्षित, न्यायपूर्ण और नैतिक उपयोग के लिए प्रभावी विनियमन की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

हालांकि मानव संवर्धन मानव के जीवनकाल को लंबा तथा क्षमताओं को बढ़ा सकता हैं। इसे मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए **नैतिक विनियमन, समानता** और **दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में जागरुकता** द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।

7.3. भारत की हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना (GREEN HYDROGEN CERTIFICATION SCHEME OF INDIA: GHCI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने भारत की **हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना (GHCI)** का शुभारंभ किया है।

GHCI के बारे में

- **इसे राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM)** के तहत **शुरू किया गया** है।
- **उद्देश्य:** हरित हाइड्रोजन (GH) को **पारदर्शिता, पता लगाने की क्षमता** और **विश्वसनीयता** के साथ प्रमाणित करना।
- **संबंधित मंत्रालय: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)**।
- **पात्रता मापदंड:** इलेक्ट्रोलिसिस और बायोमास रूपांतरण।
- **सत्यापन:** एक **मान्यता प्राप्त कार्बन सत्यापन (ACV) एजेंसी** द्वारा वार्षिक ऑडिट किया जाएगा।
- **हरित प्रमाणन मानदंड:** इसका गैर-जैविक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन **2 किलोग्राम CO_2 समकक्ष प्रति किलोग्राम H_2** से कम या उसके बराबर होना चाहिए।
  - प्रमाण-पत्र **अहस्तांतरणीय** हैं, **कार्बन क्रेडिट** के लिए मान्य नहीं हैं।

हाइड्रोजन के अन्य प्रकार

रंग	(काला/भूरा)	(धूसर)	(नीला)	(फ़िरोज़ी)	(गुलाबी)	(पीला)	(सफ़ेद)
प्रकार	ब्लैक/ब्राउन हाइड्रोजन	ग्रे हाइड्रोजन	ब्लू हाइड्रोजन	टर्क्वाइज़ हाइड्रोजन	पिंक हाइड्रोजन	येलो हाइड्रोजन	व्हाइट हाइड्रोजन
प्रक्रिया	कोयला गैसीकरण	मीथेन रिफॉर्मेशन	कोयला गैसीकरण और मीथेन रिफॉर्मेशन के साथ कार्बन कैप्चर, यूटिलाइज़ेशन और स्टोरेज (CCUS)	पायरोलिसिस	इलेक्ट्रोलिसिस	इलेक्ट्रोलिसिस	प्राकृतिक रूप से उत्पन्न
स्रोत	कोयला	प्राकृतिक गैस	जीवाश्म ईंधन	मीथेन	परमाणु ऊर्जा	सौर ऊर्जा	भूमिगत भंडार में प्राप्त

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM), 2023 के बारे में

- **उद्देश्य:** भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक **वैश्विक केंद्र** बनाना।
- **अवधि:**
  - **चरण I:** 2022-23 से 2025-26
  - **चरण II:** 2026-27 से 2029-30
- **मुख्य घटक:**
  - **मांग सृजन: निर्यात** और **घरेलू उपयोग** दोनों के लिए।
  - **हरित हाइड्रोजन संक्रमण के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप (SIGHT) कार्यक्रम: इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण** और हरित हाइड्रोजन **उत्पादन** के लिए प्रोत्साहन देना।
  - **पायलट परियोजनाएं: इस्पात, गतिशीलता, शिपिंग, बायोमास, हाइड्रोजन भंडारण** आदि क्षेत्रों में।
  - **हरित हाइड्रोजन हब:** क्षेत्रीय **हरित हाइड्रोजन हब** का विकास करना।
  - **नियम और मानक:** मजबूत **नियामक फ्रेमवर्क** लागू करना।
  - **अनुसंधान एवं विकास (R&D) कार्यक्रम।**
- **अपेक्षित परिणाम:** हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कम-से-कम **5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष** तक पहुंच जाएगी, जिससे प्रति वर्ष **50 मिलियन मीट्रिक टन CO2 उत्सर्जन** को रोका जा सकेगा आदि।

हरित हाइड्रोजन (GH_2) क्या है?

- **नवीकरणीय ऊर्जा** (जैसे- सौर) **इलेक्ट्रोलिसिस** के माध्यम से या **बायोमास गैसीकरण** का उपयोग करके उत्पादित;
- **प्रक्रिया:** हरित बिजली का उपयोग करके पानी के अणुओं (H_2O) को हाइड्रोजन (H2) और ऑक्सीजन (O_2) में विभाजित करना। {$H_2O \rightarrow H_2+O_2$}
- **अनुप्रयोग: FCEVs** (फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन); **उद्योग:** (उर्वरक, पेट्रोलियम रिफाइनरी) **परिवहन** (सड़क, रेल) आदि।

निष्कर्ष

भारत में हरित हाइड्रोजन की क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए एक **बहु-आयामी दृष्टिकोण** की आवश्यकता है - जिसमें - **उत्पादन लागत** को कम करना, **इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण** को प्रोत्साहित करना, **R&D** को बढ़ावा देना और **PPP मॉडल** को बढ़ावा देना आदि शामिल है।

7.4. रणनीतिक क्रिप्टो रिजर्व (STRATEGIC CRYPTO RESERVE: SCR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत एक **रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व (SBR)** और एक **यू.एस. डिजिटल एसेट स्टॉकपाइल** की स्थापना की गई है, ताकि एक **रणनीतिक क्रिप्टो रिजर्व (SCR)** तैयार किया जा सके।

अन्य संबंधित तथ्य

- इसका उद्देश्य **क्रिप्टो प्रबंधन में मौजूद कमियों को दूर करना** और यू.एस. को **डिजिटल एसेट रणनीति में एक अग्रणी लीडर** बनाना है।

क्रिप्टोकरेंसी क्या है?

- यह एक **डिजिटल या वर्चुअल मुद्रा** है, जो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है और विकेंद्रीकृत ब्लॉकचेन तकनीक पर काम करती है।
- पारंपरिक फिएट मुद्राओं के विपरीत, इसे कोई **सरकार या केंद्रीय बैंक नियंत्रित नहीं** करता है।
- **क्रिप्टोकरेंसी की मुख्य विशेषताएं:**
  - **विकेंद्रीकरण:** यह एक **डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर** का उपयोग करती है, जिससे बिचौलियों पर निर्भरता कम हो जाती है।
  - **सीमित आपूर्ति: बिटकॉइन (अधिकतम 21 मिलियन)** की तरह कई आपूर्ति निश्चित होती है।
  - **पारदर्शिता: ब्लॉकचेन** लेनदेन को **खुला और सत्यापन योग्य** बनाता है।
  - **सुरक्षा: क्रिप्टोग्राफिक एन्क्रिप्शन** धोखाधड़ी और जालसाजी से सुरक्षा प्रदान करता है।
  - **सीमा-रहित लेनदेन:** यह सीमा-रहित **तेज़, कम लागत वाले वैश्विक ट्रांसफर** की अनुमति देता है।

रणनीतिक क्रिप्टो रिजर्व (SCR) के बारे में

- **परिभाषा:** SCR एक **सरकारी क्रिप्टो भंडार** है। इसे आर्थिक लचीलापन, वित्तीय संप्रभुता और अनिश्चितता के खिलाफ बचाव को बढ़ावा देने के लिए **राष्ट्रीय भंडार में शामिल** किया गया है।
- यह **विदेशी मुद्रा भंडार और स्वर्ण भंडार के बजाय** एक डिजिटल मुद्रा भंडार के रूप में कार्य करता है।
- SCR के **संचालन की प्रक्रिया अभी पूरी तरह से तय** नहीं की गई है।
    - इसे **रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व** की अवधारणा के समान समझा जा सकता है, जिसका उपयोग बाहरी व्यवधानों के खिलाफ सुरक्षा के लिए किया जा सकता है।

क्या भारत को भी रणनीतिक क्रिप्टो रिजर्व स्थापित करना चाहिए?

पक्ष में तर्क	विपक्ष में तर्क
• **विविधीकरण:** स्वर्ण, बॉण्ड और शेयर से ज्यादा संबंधित नहीं होती है, जिससे जोखिम कम हो जाता है। • **आर्थिक झटकों से बचाव:** यह USD के उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक तनावों (जैसे कि आर्थिक प्रतिबंध, व्यापार युद्ध) के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। • **लागत प्रभावी विप्रेषण:** विप्रेषण शुल्क को 6.4% से घटाकर 1% कर सकते हैं, जिससे अरबों रुपये की बचत होगी। • **तकनीकी रूप से अग्रणी:** भारत की **ब्लॉकचेन और DeFi (डिसेंट्रलाइज फाइनेंस) नवाचार क्षमता** का लाभ उठाता है। • **उच्च रिटर्न की क्षमता:** क्रिप्टो के तहत असममित लाभ प्रदान करते है। **उदाहरण के लिए;** बिटकॉइन ने 200 गुना, **NVIDIA (50 गुना)** और **Apple (10 गुना)** ने बेहतर प्रदर्शन किया है। • **वित्तीय संप्रभुता:** यह SWIFT जैसी **बाहरी प्रणालियों** पर निर्भरता को कम करता है।	• **अस्थिरता: उच्च मूल्य उतार-चढ़ाव** (जैसे, 2022 में बिटकॉइन की 80% गिरावट) रिजर्व स्थिरता के लिए जोखिम पैदा करते हैं। • **RBI का रुख:** RBI बार-बार **वित्तीय अस्थिरता** की चेतावनी देता है; विकेंद्रीकृत क्रिप्टो की तुलना में **सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC)** को प्राथमिकता देता है। • **विनियामक मुद्दे:** इसमें **मौजूदा वित्तीय कानूनों** से टकराव और भविष्य में संभावित विनियमों के संबंध में अनिश्चितता शामिल है। • **सुरक्षा खतरे:** क्रिप्टो वॉलेट्स पर साइबर हमले हो सकते है। • **पर्यावरण संबंधी चिंताएं: माइनिंग प्रक्रिया** (जैसे: बिटकॉइन) में **बिजली की खपत अधिक** होती है। • **स्वीकृति संबंधी बाधाएं:** इसमें क्रिप्टो के प्रति आम लोगों में **संदेह** और रिजर्व संपत्ति के रूप में इसकी सीमित संस्थागत विश्वसनीयता, और **तरलता संबंधी मुद्दे** आदि शामिल हैं।

आगे की राह

- **लघु स्तर पर शुरूआत:** विदेशी मुद्रा भंडार का 1-2% (लगभग 6-12 बिलियन डॉलर) हिस्सा क्रिप्टोकरेंसी के लिए निर्धारित कर सकता है।
- **विनियामक फ्रेमवर्क:** विनियमन और नवाचार के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए भारत **सिंगापुर और जापान के संतुलित मॉडल** से सीख ले सकता है।
- **तकनीकी विशेषज्ञता:** सुरक्षित अभिरक्षा और ब्लॉकचेन अवसंरचना के निर्माण के लिए भारत की प्रतिभा का उपयोग किया जा सकता है।
- **उपयोगिता पर ध्यान देना:** विप्रेषण और DeFi में क्रिप्टो के उपयोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- **वैश्विक प्रवृत्तियों पर नजर रखना:** भारत अंतर्राष्ट्रीय **वैश्विक मानकों** (उदहारण के लिए; **अमेरिकी बिटकॉइन ETFs**) के अनुरूप नियम बना सकता है।

7.5. लाइट सुपरसॉलिड (LIGHT SUPERSOLID)

सुर्खियों में क्यों?

इटली के नेशनल रिसर्च काउंसिल के वैज्ञानिकों ने पहली बार **प्रकाश से सुपरसॉलिड का निर्माण** किया है।

सुपरसॉलिड के बारे में

- **परिभाषा:** यह पदार्थ की एक दुर्लभ अवस्था है, जो **ठोस जैसी संरचना** और **घर्षण रहित प्रवाह** दोनों का प्रदर्शन करती है।
- **प्रारंभिक शोध:** 1960 के दशक में इसकी भविष्यवाणी की गई; 2017 में **अल्ट्राकोल्ड बोस-आइंस्टीन कंडेनसेट्स (BECs)** का उपयोग करके प्रदर्शित किया गया।
    - **अत्यधिक निम्न तापमान (0 केल्विन या -273.15°C) अनिवार्य होता था,** जिस पर क्वांटम प्रभाव दिखाई देते हैं।
    - इस तापमान पर **परमाणुओं में न्यूनतम ऊर्जा** होती है जिसे **पदार्थ की पाँचवीं अवस्था, BECs** के रूप में जाना जाता है।
- **वर्तमान शोध:** नए शोध में **"पोलारिटॉन" सिस्टम** की विशेषताओं पर आधारित एक **नई तकनीक** का उपयोग किया गया है।
    - **पोलारिटॉन** वस्तुतः प्रबल विद्युत-चुम्बकीय इंटरएक्शन के तहत **प्रकाश और क्वासि-पार्टिकल्स** जैसे **एक्साइटोन** के आपस में जुड़ने से बनते हैं।
    - **क्वासि पार्टिकल्स** गणितीय सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, जिसके तहत ठोस पदार्थों में होने वाले मूलभूत बदलावों (जैसे- स्पिन वेव्स) को कणों के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो वास्तविक पदार्थ से नहीं बना होता है।

प्रकाश को सुपरसॉलिड में बदलने का क्या महत्व है?

- **क्वांटम कंप्यूटिंग:** यह **क्वांटम कंप्यूटिंग में अधिक स्थिर क्वांटम बिट्स (क्यूबिट्स)** बनाने में मदद कर सकता है।
- **ऑप्टिकल और फोटोनिक डिवाइस: ऑप्टिकल उपकरणों, फोटोनिक सर्किट्स,** और **यहां तक कि बुनियादी क्वांटम यांत्रिकी** संबंधी शोध में क्रांति ला सकती है।
- **मैटेरियल साइंस और एनर्जी:** शोधकर्ताओं को **मटेरियल साइंस** के नए क्षेत्रों का अन्वेषण करने में सक्षम बनाती है और ऊर्जा तथा समझ के हमारे तरीके में भी नए मार्ग खोल सकती है।

प्रकाश के बारे में

- ब्रह्मांड में **प्रकाश की गति सबसे अधिक** है। **प्रकाश की गति 2,99,792.458 किलोमीटर प्रति सेकंड** है।
- प्रकाश वेव-पार्टिकल **ड्युअलिटी** प्रदर्शित करता है। इसका मतलब है कि प्रकाश **कभी-कभी तरंग की तरह** व्यवहार करता **है और कभी-कभी कण की तरह।**
- **क्वांटम यांत्रिकी** हमें बताती है कि प्रकाश एक साथ **कण और तरंग, दोनों के रूप में व्यवहार कर सकता है।**

7.6. एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी दवाइयां {ANTI-RETROVIRAL THERAPY (ART) DRUGS}

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को **HIV/AIDS (PLHIV)** से पीड़ित रोगियों के लिए एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (ART) दवाओं की आपूर्ति और खरीद में आ रही समस्याओं पर जवाब देने का निर्देश दिया है।

एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (ART) दवाइयां क्या होती हैं?

- HIV से **संक्रमित** रोगी का इलाज **ART** से किया जाता है, जिसमें रोगी को **एंटी-HIV दवाइयां** दी जाती हैं। ART का मुख्य उद्देश्य **शरीर में वायरस की मात्रा या प्रभाव को बहुत कम स्तर (अनडिटेक्टेबल) तक लाना** है। इसे **"अनडिटेक्टेबल=अनट्रांसमिटेबल" (U=U)** कहा जाता है।
- ART में **2 से 4 दवाइयों का संयोजन** शामिल है। इसे **हाइली एक्टिव एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (HAART)** भी कहा जाता है।
- ART **इसका इलाज नहीं** है, लेकिन यह HIV से संक्रमित लोगों को **लंबे और स्वस्थ जीवन जीने** में मदद कर सकता है।
- भारत में ART दवाओं का प्रबंधन **राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO)** द्वारा किया जाता है।

HIV/AIDS के बारे में

- **HIV (ह्यूमन इम्यूनोडेफिशियेंसी वायरस):** यह शरीर के **इम्यून सिस्टम** को प्रभावित करता है और खासतौर पर **CD4 (T) कोशिकाओं** को नष्ट करता है। ये कोशिकाएं शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं।
- **AIDS (एक्वायर्ड इम्यून डेफिसिएंसी सिंड्रोम):** यह HIV संक्रमण का अंतिम चरण है। इसमें इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो जाता है कि वह **जीवन-घातक संक्रमणों** से नहीं लड़ पाता है।
- हर HIV संक्रमित व्यक्ति को AIDS हो जाए, यह जरूरी नहीं है, खासकर जब समय पर सही इलाज और देखभाल मिल रही हो।
- **संक्रमण:** असुरक्षित **यौन संपर्क, ब्लड-टू-ब्लड संपर्क,** और **संक्रमित माँ से बच्चे में संक्रमण** फैलना, आदि।
- **भारत में स्थिति:** भारत में **2.5 मिलियन** से अधिक लोग HIV से पीड़ित हैं। (इंडिया HIV अनुमान 2023)

उठाए गए उपाय

- **वैश्विक स्तर पर किए गए प्रयास:**
  - **UNAIDS 95-95-95 लक्ष्य (2030 तक)**: HIV से संक्रमित 95% लोगों को उनकी बीमारी की स्थिति के बारे में बताना, निदान किए गए 95% लोगों को ART उपलब्ध कराना, ART प्राप्त कर रहे 95% लोगों में वायरस के स्तर को कम-से-कम करना।
  - **एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने के लिए वैश्विक कोष।**
- **भारत में किए गए प्रयास:**
  - **राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (NACP):** इसे **1992** में शुरू किया गया था। अब इसका- चरण V चल रहा है। (अवधि 2021-2026 तक)
  - **नि:शुल्क ART उपचार और देखभाल:** भारत में 700+ ART केंद्रों पर उपलब्ध है।
  - **कानूनी संरक्षण: HIV/ AIDS अधिनियम, 2017** HIV से संक्रमित सभी व्यक्तियों के लिए नि:शुल्क ART की व्यवस्था करना अनिवार्य करता है।

7.7. जीन एडिटिंग (GENE EDITING)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राज्य अमेरिका की एक शोध टीम ने **एक लाइलाज आनुवंशिक बीमारी** से पीड़ित एक शिशु के इलाज के लिए **एक व्यक्तिपरक जीन एडिटिंग थेरेपी** विकसित की है और इसे सफलतापूर्वक लागू किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- शिशु को **कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेस 1 (CPS-1) की कमी** नामक **आनुवंशिक उपापचय संबंधी विकार (metabolic disorder)** से पीड़ित पाया गया था।
  - **CPS1 की कमी** से जहरीले **अमोनिया का जमाव** होता है, जो **मस्तिष्क और यकृत** को नुकसान पहुंचाता है।
- शोधकर्ताओं ने **जीन उत्परिवर्तन** को ठीक करने के लिए **CRISPR** का उपयोग किया।

जीन एडिटिंग के बारे में

- **जीन एडिटिंग** DNA अनुक्रमों को **सम्मिलित करके, हटाकर, या बदलकर, या आवश्यकता के अनुरूप नए जीनों को जोड़कर** संशोधित करता है।
- **कदम: प्रविष्टि, विलोपन** और जीन के **संशोधन।**
- **जीन एडिटिंग के प्रकार:**
  - **सोमैटिक जीन एडिटिंग: गैर-जनन कोशिकाओं** (जैसे- **त्वचा, यकृत, गुर्दा**) की मांसपेशियों को बदलता है और ये बदलाव वंशानुगत नहीं होते हैं।
  - **जर्मलाइन जीन एडिटिंग:** जनन कोशिकाओं (जैसे- **जर्मलाइन, युग्मक कोशिकाएं, भ्रूण**) में बदलाव करता है और इसके प्रभाव **आने वाली पीढ़ियों तक** पहुंच सकते हैं।

जीन एडिटिंग के लिए प्रयुक्त तकनीकें

विशेषता	ZFNs (जिंक फिंगर न्यूक्लिएसिस)	TALENs (ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर-लाइक इफ़ेक्टर न्यूक्लिएसेस)	CRISPR-Cas9
घटक	जिंक फिंगर प्रोटीन (लक्ष्यीकरण) + FokI एंजाइम (कटिंग)	TALE प्रोटीन (लक्ष्यीकरण) + FokI एंजाइम (कटिंग)	गाइडिंग RNA अणु + Cas9 एंजाइम (कटिंग)
कार्य	जिंक फिंगर प्रोटीन विशिष्ट DNA अनुक्रमों को बांधता है; FokI DNA को काटता है	TALE प्रोटीन विशिष्ट DNA अनुक्रमों को बांधते हैं; FokI DNA को काटता है	विशिष्ट DNA के अंशों को काटने के लिए RNA Cas9 का गाइड करता है
मुख्य विशेषता	"जीनोम एडिटिंग" न्यूक्लिएसिस में से पहला	ZFN की तुलना में डिजाइन और प्रोग्राम करना आसान	तेज़, किफायती, अधिक सटीक तथा उपयोग में आसान

जीन एडिटिंग क्रांति

चिकित्सा

HIV उपचार
HIV प्रतिरोध के लिए ZFN तकनीक का इस्तेमाल करके शरीर की प्रतिरक्षा कोशिकाओं बदलाव

कैंसर थेरेपी
बदली हुई प्रतिरक्षा कोशिकाएं 3 प्रकार के कैंसर पर हमला करती हैं

सिकल सेल
ऑक्सीजन परिवहन उत्परिवर्तन को ठीक करता है

दवा खोज
विकास की प्रक्रिया को गति देता है

Agriculture

सूखा प्रतिरोधी धान
सूखा सहन करने वाली पूसा DST1 किस्म

विटामिन A से युक्त केले
पोषक तत्वों से भरपूर केले

सींग रहित मवेशी
डी-हॉर्निंग की पीड़ा को दूर करता है

फ्लू-प्रतिरोधी कुक्कुट
डिकॉय अणु बर्ड फ्लू को रोकते हैं

हाई-ओलेइक मूंगफली
उन्नत तेल गुणवत्ता वाली मूंगफली की किस्में

Materials

मकड़ी से रेशम उत्पादन
संशोधित रेशमकीट मजबूत रेशम बनाते हैं

संधारणीय जैव ईंधन
अनुवांशिक रूप से संशोधित शैवाल फ़्यूल लिपिड का उत्पादन करते हैं

ड्रग डिलीवरी
लक्षित दवा के लिए शैवाल-जनित कण

Environment

बेहतर जैव ईंधन उत्पादन
सस्ते ईंधन के लिए सूक्ष्मजीवों को कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने में सक्षम बनाता है

कार्बन प्रदूषण में कमी
स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा विकल्प तैयार किए जा रहे हैं

पर्यावरणीय परिवर्तनों पर निगरानी
बेहतर प्रदूषण निगरानी उपकरण बनाता है

जीन एडिटिंग से जुड़ी चुनौतियां

- **नैतिक चिंताएँ**
  - **भ्रूण अनुसंधान में नैतिकता:** इसमें भ्रूणों में **बदलाव करना** आदि शामिल है, जिसे नैतिक रूप से गलत माना जाता है।
  - **सहमति का अभाव: जर्मलाइन थेरेपी** से भ्रूण और भावी पीढ़ियां प्रभावित होती हैं, जो स्वयं सहमति नहीं दे सकती हैं।
  - **न्याय और समानता: इस बात की भी चिंता है कि जीनोम एडिटिंग केवल धनी व्यक्तियों के लिए ही सुलभ** होगा। इससे स्वास्थ्य देखभाल संबंधी असमानताएं बढ़ सकती हैं।
- **सुरक्षा संबंधी चिंताएं**
  - **सुरक्षा संबंधी मुद्दे: ऑफ-टारगेट इफेक्ट्स** और **मोज़ेसिज़्म** शामिल हैं। इसलिए, नैदानिक प्रजनन उपयोग के लिए **जर्मलाइन एडिटिंग** अभी तक सुरक्षित नहीं है।
  - **विनियामक असंगतता:** अलग-अलग **वैश्विक विनियमनों** के कारण **डिजाइनर बेबी** जैसे विवादास्पद उपयोगों को बढ़ावा मिल सकता है।

निष्कर्ष

जीन एडिटिंग तकनीकें लाइलाज **आनुवंशिक बीमारियों के इलाज, कृषि में सुधार और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान** करने की क्रांतिकारी क्षमता प्रदान करती हैं। हालांकि, इस लक्ष्य को साकार करने के लिए **सुरक्षा, समानता और सहमति पर नैतिक चिंताओं,** विशेषकर जर्मलाइन एडिटिंग के संदर्भ में **सावधानीपूर्वक विचार करने** की आवश्यकता है।

7.8. डीपफेक (DEEPFAKES)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राज्य अमेरिका ने नुकसान पहुंचाने वाले ऑनलाइन **डीपफेक** से निपटने के लिए **"टेक इट डाउन एक्ट"** कानून बनाया है।

डीपफेक क्या हैं?

- **परिभाषा:** AI एल्गोरिदम का उपयोग करके वीडियो, फोटो, या ऑडियो में **हेरफेर** किया गया।
- **प्रौद्योगिकी: डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग** और AI के उप-समूह का उपयोग करके बनाया गया।
  - इसमें किसी व्यक्ति की मूल इमेज या वीडियो में **चेहरे बदलना, चेहरे के भावों में हेरफेर करना, कहे गए कथनों में बदलाव करना**, या लोगों को ऐसे कार्य करते हुए दिखाना शामिल है जो वास्तव में नहीं किए गए हैं।

डीपफेक में शामिल प्रौद्योगिकी

ऑटोएन्कोडेर: सरल रिप्रजेंटेशन से इनपुट का पुनर्निर्माण करने के लिए प्रशिक्षित एक कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क।

जेनरेटिव एडवर्सीरियल नेटवर्क्स (GANs): ये दो मशीन लर्निंग नेटवर्क का उपयोग करते हैं, अर्थात् जनरेटर और एडवर्सरी।

इनपुट डेटा → **जेनरेटर** (प्रशिक्षित मॉडल जो मूल डेटा को प्रदर्शित करने वाले डेटा के **नए उदाहरण** बनाता है)। → **विरोधी (Adversary)** यह मूल डेटा की कुछ विशिष्ट विशेषताओं को प्रदर्शित न करने वाले **दोषों या नकली तत्वों का पता लगाता है** और उनकी पहचान करता है।

नकली डेटा को पहले नेटवर्क में वापस भेजता है, ताकि नया डेटा बनाने की प्रक्रिया को **बेहतर** बनाया जा सके।

विनियमन

- **भारत में विनियमन:** इसके लिए कोई **विशेष कानून** नहीं हैं। हालांकि कुछ मौजूदा कानूनों के तहत **सिविल/ आपराधिक मामले दर्ज** किए जा सकते हैं।
- **विश्व में कानून और नियम :**
  - **यूरोपीय संघ: AI Act** भरोसेमंद AI सिस्टम को बढ़ावा देता है।
  - **इटली: संविधान** और **सिविल कोड**, दोनों ही अनाधिकृत उपयोग को प्रतिबंधित करते हैं।
  - **संयुक्त राज्य अमेरिका:** डीपफेक के विनियमन से संबंधित कानून बनाए गए हैं। (सितंबर 2024 तक)

डीपफेक के संभावित उपयोग

मनोरंजन: फिल्मों में क्रिएटिव इफ़ेक्ट लाने के लिए	**ई-कॉमर्स:** ग्राहक कपड़ों को वर्चुअली आजमाकर पसंद कर सकते हैं	**संचार:** दूसरी भाषा में बोलने के लिए स्पीच सिंथेसिस का इस्तेमाल यानी टेक्स्ट को बोले जाने वाली भाषा में बदलना

डीपफेक से जुड़ी चिंताएं

- **राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम:** राजनीतिक हिंसा, **घृणित जांच, झूठी अफवाहें** पैदा कर सकता है।
- **सार्वजनिक विश्वास का क्षरण: फर्जी राजनीतिक सामग्री** जनता को गुमराह कर सकती है।
- **पीड़ितों का नुकसान: 90-95%** डीपफेक में **गैर-सहमति वाली पोर्नोग्राफी** शामिल होती है।
- **साइबरबुलिंग: अफवाहें** फैलाना, **प्रतिष्ठा को नुकसान** पहुंचाना।
- **पहचान की चोरी: नकली आईडी** बनाना, **सुरक्षित प्रणालियों** तक पहुंच।
- **लागत: वीडियो का पता लगाने** के लिए **उच्च निवेश** की आवश्यकता होती है।

डीपफेक से निपटने की पहल

- कानूनी ढांचा
  - **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act), 2000:** AI-जनरेटेड टूल उत्पन्न कंटेंट पर भी लागू होता है।
  - **आईटी नियम, 2021:** ये नियम **साइबर स्पेस** पर उत्पन्न होते नए मामलों का समाधान करते हैं; **अपील के लिए शिकायत अपीलीय समितियां उपलब्ध करावाना।**
- संस्थागत पहल
  - **CERT-In: डीपफेक से संबंधित सलाह जारी करता है; साइबर स्वच्छता केंद्र और CIRT-Fin के लिए शिकायत समितियों का नेतृत्व करता है।**
  - **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C):** यह साइबर-अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटता है।
- **राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल:** इसके तहत एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 चालू किया गया है।

डीपफेक के मुद्दों से निपटने के लिए आगे की राह

- **नियम-कानून में सुधार करना:** AI से वास्तविक दुनिया के खतरों को देखते हुए प्रभावी एवं स्पष्ट कानून और नियम बनाने की आवश्यकता है।
- **संस्थाओं को मजबूत बनाना:** इनके लिए स्पष्ट सुरक्षा मानक तय करने की भी आवश्यकता है।
- **तकनीकी उन्नति:** डीपफेक का पता लगाने के लिए **एल्गोरिदम, मेटाडेटा** और **MIT के टूलकिट जैसे उपकरणों का उपयोग** करना।
- **सभी हितधारकों का सहयोग:** सभी हितधारकों से **दिशा-निर्देश** और **सुझावों** को शामिल करना चाहिए।

7.9. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS)

7.9.1. मोटापा (OBESITY)

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि **वैश्विक स्तर पर हर आठ में से एक व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त** है और **5 से 19 वर्ष के बच्चों व किशोरों में इसके मामले चार गुना बढ़ गए हैं।**

- प्रधान मंत्री ने मोटापा कम करने के लिए खाद्य तेल की खपत में लोगों से 10% की कटौती करने का आह्वान किया है।

मोटापा के बारे में

- WHO के अनुसार, मोटापा शरीर में **अत्यधिक वसा का संचय** है, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा करता है।
- **BMI मोटापे** का माप है।
  - **25 या इससे अधिक BMI** वाले व्यक्ति को **अधिक वजन** वाला माना जाता है।
  - **30 या इससे अधिक BMI** वाले व्यक्ति को मोटापे की श्रेणी में रखा जाता है।
- **स्वास्थ्य जोखिम:** हृदय रोग में वृद्धि, मधुमेह, कैंसर, तंत्रिका संबंधी विकार, श्वसन संबंधी गंभीर बीमारियां, आदि।

भारत में मोटापे की स्थिति (NFHS-5, 2019-2021)

- **24% महिलाएं और 23% पुरुष** अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं।
- **2015-16 से 2019-21** के बच्चों (5 वर्ष से कम आयु) में **अधिक वजन की दर 2.1% से बढ़कर 3.4%** हो गई।

भारत में मोटापे को बढ़ावा देने वाले कारक

- **उच्च-कैलोरी एवं कम-पोषक तत्व वाले आहार:** रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट एवं सैचुरेटेड फैट्स यानी संतृप्त वसा और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का बढ़ता सेवन।
- **भाग-दौड़ वाली जीवन-शैली :** लंबे समय तक बैठे रहना, स्क्रीन के सामने बहुत अधिक समय बिताना, शारीरिक गतिविधियों पर बहुत कम ध्यान देना, आदि।
- **आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों का उपयोग:** आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें मानव शरीर की चयापचय प्रक्रियाओं को बाधित कर सकती हैं और वजन में अवांछित वृद्धि का कारण बन सकती हैं।

मोटापे की समस्या की रोकथाम के लिए भारत में कुछ रणनीतिक उपाय

- **पोषण अभियान**
- **फिट इंडिया मूवमेंट**
- **गैर-संचारी रोगों (NCDs) की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम**
- **ईट राइट इंडिया**
- **RUCO (रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल) पहल**

7.9.2. राष्ट्रीय जीन बैंक (NATIONAL GENE BANK)

भारत ने **दूसरे राष्ट्रीय जीन बैंक (NGB) की स्थापना की घोषणा** की। इसका उद्देश्य **भविष्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10 लाख क्रॉप (फसल) जर्मप्लाज्म का संरक्षण** करना है।

जीन बैंक के बारे में

- जीन बैंक ऐसे **जैव-भंडार** होते हैं, जहां जैव विविधता को संरक्षित करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए **पादपों, जानवरों और सूक्ष्मजीवों की आनुवंशिक सामग्री को संरक्षित** किया जाता है।
- **जीन बैंक के प्रकार**
  - **सीड बैंक (बीज बैंक)** (उदाहरण के लिए, **स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट, नॉर्वे**)
  - **फील्ड जीन बैंक**- (जीवित पादपों का संरक्षण)
  - **क्रायो-प्रिजर्वेशन बैंक**- (ऊतक, भ्रूण)
  - **पोलन (पराग) और DNA बैंक।**

भारत में अन्य जीन बैंक

- **पशु जीन बैंक:** ICAR-NBAGR, हरियाणा।
- **माइक्रोबियल जीन बैंक:** ICAR-NBAIM, उत्तर प्रदेश।

7.5.3. ट्रांसजेनिक जीव (TRANSGENIC ORGANISM)

'ट्रांसजेनिक चूहों' के लिए फंडिंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति के गलत बयान के बाद ट्रांसजेनिक चूहे सुर्ख़ियों में आए।

Bt कॉटन ट्रांसजेनिक प्रक्रिया

दाता जीव:
बैसिलस थुरिंजिएंसिस (Bt)
(बैक्टीरिया, जो बॉलवर्म्स के लिए विषाक्त टॉक्सिन उत्पन्न करता है)

↓ *(CryIAc जीन का निष्कर्षण)*

जीन निष्कर्षण:
CryIAc टॉक्सिन के लिए जीन को Bt से निकाला जाता है

↓ *(वेक्टर में प्रवेश कराना)*

रिकॉम्बिनेंट DNA:
(विविध स्रोतों से जीन को मिलाकर DNA बनाना)
CryIAc जीन को प्लाज्मिड (वेक्टर) में प्रवेश कराया जाता है

↓ *(कपास के पौधे में रुपांतरण)*

ट्रांसफॉर्मेशन:
रिकॉम्बिनेंट DNA को कॉटन कोशिकाओं में शामिल किया जाता है।

↓

ट्रांसजेनिक जीव:
कॉटन Cry प्रोटीन उत्पन्न करता है, जो बॉलवर्म को मारता है।

ट्रांसजेनिक जीवों के बारे में

- **अवधारणा:** ऐसे जीव जो अपनी प्रजाति के प्राकृतिक गुणों की बजाय नए गुण या प्रोटीन निर्माण को प्रदर्शित करते हैं। 'ट्रांस' का अर्थ है 'एक से दूसरे तक' और 'जेनेटिक' का अर्थ है 'जीन'।
- **ट्रांसजेनिक चूहा:** मनुष्यों के साथ फिजियोलॉजिकल तथा जीनोमिक समानता के कारण जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
- **उद्देश्य एवं उपयोग**
  - **सामान्य शारीरिक प्रक्रियाओं (फिजियोलॉजिकल) को समझना:** उदाहरण के लिए- **चयापचय और रक्त कोशिका का अध्ययन** करने के लिए **ट्रांसजेनिक चूहों** का उपयोग।
  - **मानव रोगों का मॉडल बनाना:** उदाहरण के लिए- **अल्जाइमर जैसे रोगों के अध्ययन हेतु ट्रांसजेनिक सूअरों** का उपयोग।
  - **नये उपचारों का विकास करना:** उदाहरण के लिए- **दवा के परीक्षण हेतु ट्रांसजेनिक जेब्राफिश** का उपयोग।
  - **चिकित्सीय प्रोटीन का उत्पादन:** **ह्यूमन एंटीथ्रोम्बिन** का उत्पादन करने के लिए **ट्रांसजेनिक बकरियों** का विकास किया गया है।
  - **रोग प्रतिरोधी फसलें:** उदाहरण के लिए- **Bt कॉटन** आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है, जो **बॉलवर्म के खिलाफ प्रतिरोधी** है।
- **चुनौतियां**
  - **नैतिक चिंताएं:** इसमें पशु कल्याण और अनपेक्षित परिणाम आना शामिल है।
  - **पर्यावरणीय जोखिम:** पारिस्थितिकी-तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है।
- **भारत में विनियमन:** पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 'नियम, 1989'; जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) आदि द्वारा विनियमित।

7.9.4. आर्यभट्ट उपग्रह (ARYABHATA SATELLITE)

भारत के पहले उपग्रह, आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के **50 साल पूरे हुए।**

आर्यभट्ट उपग्रह के बारे में

- यह ISRO द्वारा निर्मित **भारत का पहला उपग्रह** था।
- **प्रक्षेपण:** 1975 में **सोवियत कॉसमॉस-3M** द्वारा **वोल्गोग्राड (रूस)** से लॉन्च किया गया।
- **कक्षा:** निम्न भू-कक्षा (Low Earth Orbit)।
- **उद्देश्य: एक्स-रे खगोल विज्ञान, एयरोनॉमिक्स, सौर भौतिकी** से जुड़े प्रयोग।
- **नामकरण:** प्राचीन भारतीय **गणितज्ञ और खगोलशास्त्री आर्यभट्ट** के नाम पर।

7.9.5. PSLV रॉकेट में तकनीकी खराबी के कारण इसरो का 101वां मिशन विफल हुआ (ISRO'S 101ST MISSION FAILS AS PSLV ROCKET SUFFERS MALFUNCTION)

"PSLV-C61/EOS-09" मिशन, **PSLV रॉकेट के तीसरे चरण में तकनीकी खराबी के कारण** विफल हो गया।

- यह इसरो का **63वां PSLV मिशन** था; PSLV **1993 और 2017** के बाद केवल दो बार विफल हुआ है।

PSLV-C61/EOS-09 मिशन के बारे में

- PSLV-C61 का उद्देश्य **EOS-09** को **सूर्य-तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा (SSPO) में स्थापित** करना था।
  - इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया।
- **EOS-09** पृथ्वी का पर्यवेक्षण करने वाला अत्याधुनिक सैटेलाइट है। यह **C-बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) तकनीक** से युक्त है।
  - **उद्देश्य: किसी भी मौसम में और दिन या रात में, हाई-रिज़ॉल्यूशन रिमोट सेंसिंग डेटा** प्रदान करना है।

PSLV के बारे में

- यह ISRO द्वारा विकसित भारत का **थर्ड जनरेशन प्रक्षेपण यान** है।
- यह **चार चरणों वाला रॉकेट** है, जिसमें **तरल ईंधन चरण** शामिल हैं।
- **प्रदर्शन:** इसकी लगातार सफलता के कारण इसे **"ISRO का वर्कहॉर्स"** कहा जाने लगा।
- यह **LEO, भू-तुल्यकालिक कक्षा** और **भू-स्थिर कक्षा** में उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में सक्षम है।
- इसने **चंद्रयान-1 (2008) और मंगलयान (2013) जैसे प्रमुख मिशनों को भी** सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है।

7.9.6. नासा के अंतरिक्ष यात्री 286 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर वापस लौटे (NASA'S ASTRONAUTS RETURN TO EARTH AFTER BEING STUCK IN SPACE FOR 286 DAYS)

नासा के अंतरिक्ष यात्री **सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने बोइंग के CST-100 स्टारलाइनर पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) की यात्रा** की।

लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से मिलने वाले अवसर:

- **चिकित्सा अनुसंधान:** अंतरिक्ष में रहने के प्रभावों का अध्ययन करने का दुर्लभ अवसर प्रदान करता है।
- **प्रौद्योगिकी परीक्षण:** इस तरह का मिशन स्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रणालियों का आकलन करने में मदद करता है।
- **डीप स्पेस मिशन की तैयारी:** यह भविष्य में मंगल और चंद्रमा पर मिशन भेजने के लिए मूल्यवान डेटा प्रदान करता है।

अंतरिक्ष में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां:

- **अंतरिक्ष विकिरण: कैंसर का खतरा बढ़** जाता है।
- **माइक्रोग्रैविटी:** इससे मांसपेशियों और हड्डी के घनत्व में कमी आ सकती है। साथ ही, पृथ्वी पर आने के बाद शारीरिक संतुलन एवं तालमेल प्रभावित हो सकता है।
  - माइक्रोग्रैविटी से **प्रति माह 1% से 1.5% तक** का नुकसान हो सकता है।
- **अकेलापन:** यह **मानसिक स्वास्थ्य और टीम के तालमेल को प्रभावित** कर सकता हैं।

7.9.7. AI वॉशिंग (AI WASHING)

कई **वेंचर कैपिटलिस्ट**, स्टार्ट-अप्स द्वारा फंड प्राप्त करने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले **AI-वॉशिंग** तरीके **से चिंतित हैं।**

AI-वॉशिंग के बारे में

- AI वॉशिंग में कंपनियां अपने **उत्पादों, सेवाओं या व्यापार रणनीतियों** में **AI के उपयोग** को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करती हैं या गलत तरीके से प्रस्तुत करती हैं।
- **यह शब्द ग्रीनवॉशिंग" से प्रेरित** है जिसका मतलब है पर्यावरण से जुड़े झूठे दावे करना।
- **उदाहरण:** ऑटोमेशन को AI बताकर गलत तरीके पेश करना;

7.9.8. नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च {NATIONAL INNOVATION CHALLENGE FOR DRONE APPLICATION AND RESEARCH (NIDAR)}

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने **ड्रोन फेडरेशन इंडिया (DFI)** के सहयोग से **स्वयान/ SwaYaan पहल** के तहत **NIDAR** का शुभारंभ किया।

- NIDAR का उद्देश्य **आपदा प्रबंधन और परिशुद्ध कृषि** के लिए **सहयोगात्मक स्वायत्त ड्रोन विकसित करने में** छात्रों और शोधकर्ताओं को शामिल करना है।

स्वयान के बारे में

- इसे **2022 में MeitY ने मंजूरी प्रदान** की थी।
- यह **ड्रोन और संबंधित प्रौद्योगिकियों** सहित मानव रहित विमान प्रणालियों (UAS) में **क्षमता निर्माण पर ध्यान** देता है।

7.9.9. उत्तर भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना (NORTH INDIA'S FIRST NUCLEAR POWER PROJECT)

उत्तर भारत की **पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना हरियाणा के गोरखपुर** में स्थापित की जाएगी।

- गोरखपुर परियोजना में **दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर** (PHWRs) वाली **दो जुड़वा इकाइयां** शामिल है जिनकी **कुल क्षमता 2800 MW** होगी।

PHWR के बारे में

- **शीतलक और मंदक** दोनों के लिए **भारी जल (D2O)** तथा ईंधन के रूप में **प्राकृतिक यूरेनियम** का उपयोग किया जाता है।
    - भारी जल में **ड्यूटेरियम होता है** जो **न्यूट्रॉन को प्रभावी ढंग से धीमा** कर देता है। इसमें **न्यूट्रॉन के अवशोषण की संभावना भी कम** होती है।
- **भारत के PHWR संयंत्र का विकास**
- 1960 के दशक में **भारत-कनाडा परमाणु सहयोग** के माध्यम से शुरू हुई थी।
- **राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन (RAPS-1)** में पहला **220 MW का रिएक्टर** बनाया गया था।
- **पोखरण-1 (1974)** के बाद, कनाडा ने भारत को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में सहयोग देना बंद कर दिया था। इसके बाद **भारत ने 220 MW के PHWR डिजाइन को स्वदेशी रूप से विकसित** किया था।

भारत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हाल ही में हुए विकास

- **परमाणु ऊर्जा मिशन** का लक्ष्य **2047 तक 100 गीगावाट (GWe) क्षमता हासिल करना** है। वर्तमान क्षमता **8.1 GW** है।
- **झारखंड की जादुगुड़ा माइंस** में नए यूरेनियम भंडार की खोज की गई है।
- **गुजरात के काकरापार में 700 MWe के PHWR की पहली दो इकाइयों (KAPS- 3 और 4)** ने वित्त वर्ष 2023-24 में **वाणिज्यिक परिचालन शुरू** कर दिया है।
- **देश के पहले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR 500 मेगावाट)** ने 2024 में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं।
- **NPCIL** और **NTPC** ने **अश्विनी (ASHVINI)** का गठन किया है। **4x700 मेगावाट PHWR माही-बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना** इसी के अंतर्गत शुरु की जा रही है।

7.9.10. गैर-परमाणु हाइड्रोजन बम (NON-NUCLEAR HYDROGEN BOMB)

चीन ने हाल ही में एक **गैर-परमाणु हाइड्रोजन बम** का विस्फोट परिक्षण किया है।

गैर-परमाणु हाइड्रोजन बम की मुख्य विशेषताएं

- **रासायनिक अभिक्रिया:** इसमें **मैग्नीशियम हाइड्राइड** के माध्यम से विस्फोट किया जाता है, जिसमें कोई परमाणु सामग्री नहीं होती है।
- **प्रक्रिया:** यह **हाइड्रोजन** का उत्सर्जन करता है, जो हवा के साथ प्रज्वलित होकर दहन उत्पन्न करता है।
- **क्षति का विस्तार:** यह ट्राई नाइट्रो टॉलुइन (TNT) की विस्फोट क्षमता का लगभग 40% ही उत्पन्न करता है, किंतु यह **उच्च तापीय क्षति** उत्पन्न करता है, जो **एल्यूमीनियम मिश्र धातुओं** को भी पिघला देता है।
- **प्रज्वलन और विकिरण:** इसके लिए **कम प्रज्वलन ऊर्जा** की आवश्यकता होती है, और यह कोई **विकिरण उत्सर्जित नहीं करता** है।

परमाणु बम बनाम हाइड्रोजन बम

मानदंड	परमाणु बम	हाइड्रोजन बम (थर्मोन्यूक्लियर बम)
अभिक्रिया का प्रकार	नाभिकीय विखंडन	नाभिकीय संलयन
प्रक्रिया	› इसके अंतर्गत एक बड़ा परमाणु दो या दो से अधिक छोटे परमाणुओं में विभाजित होता है। इसे बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। › विखंडन या तो स्वतः या न्यूट्रॉन के उपयोग के माध्यम से होता है।	› इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक हल्के परमाणु जुड़कर एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं। › परमाणु बमों से भी अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है।
प्रयोग किया जाने वाला ईंधन	यूरेनियम-235, प्लूटोनियम-239	ड्यूटेरियम व ट्रिटियम (हाइड्रोजन के समस्थानिक)
अभिक्रिया	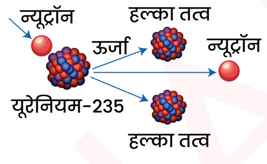	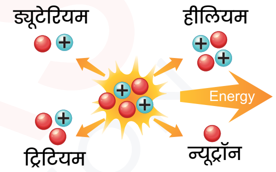

7.9.11. ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स {GLOBAL ASTROMETRIC INTERFEROMETER FOR ASTROPHYSICS (GAIA)}

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) ने अपने अंतरिक्ष वेधशाला मिशन, GAIA को बंद कर दिया।

GAIA के बारे में

- यह हमारी आकाशगंगा, **मिल्की वे का त्रि-आयामी मानचित्र बनाने** का एक मिशन था।
- इसे **लैग्रेंज पॉइंट-2 (L-2)** में स्थापित किया गया है। यदि सूर्य से अवलोकन किया जाए तो, यह पृथ्वी से लगभग **1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी** पर है।
    - **लैग्रेंज पॉइंट्स** वे स्थान हैं जहाँ **गुरुत्वाकर्षण बल और कक्षीय गति** संतुलित होती है।
- **उद्देश्य:** इसे तारों और अन्य खगोलीय पिंडों की अवस्थिति एवं गति की सटीक माप के माध्यम से एस्ट्रोमेट्री के लिए डिज़ाइन किया गया था।

7.9.12. मिशन फ्रेम2 (MISSION FRAM2)

"फ्रेम2" नामक मिशन को SpaceX के **ड्रैगन अंतरिक्ष यान का उपयोग करके लॉन्च** किया गया है।

- इसके द्वारा किए जाने वाले प्रयोगों में **अंतरिक्ष में लिए गए पहले एक्स-रे** और **माइक्रोग्रैविटी में मशरूम उगाना** शामिल है।
- यह **पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ान भरने** वाली पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान है।

पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा के बारे में

- **परिभाषा:** उपग्रह **उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों** के ऊपर से गुजरता है; **10° तक का विचलन (deviation)** अनुमत है।
- **ऊंचाई: निम्न भू-कक्षा (200-1000 कि.मी.)** का एक प्रकार।
- **महत्व:** वैश्विक अवलोकन (global observation) को सक्षम बनाता है; **मौसम, मानचित्रण, जासूसी उपग्रहों के लिए आदर्श।**
- **चुनौती: अधिक ईंधन की आवश्यकता** होती है क्योंकि रॉकेट लिफ्ट-ऑफ के लिए **पृथ्वी के घूर्णन बल** का उपयोग नहीं कर पाता है।

सैटेलाइट ऑर्बिट	अनुप्रयोग	प्रमुख विशेषताएं
निम्न भू कक्षा (LEO)	सैटेलाइट इमेजिंग, संचार, भू-अवलोकन, नेविगेशन और वैज्ञानिक अनुसंधान **उदा.** RISAT-2B	**ऊंचाई:** 2000 कि.मी. से कम अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) को इसी कक्षा में स्थापित किया गया है।
सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा (SSO)	भूमि-उपयोग का अध्ययन, बर्फ पिघलने और मौसम का अध्ययन **उदा.** भू अवलोकन के लिए HysIS	**ऊंचाई:** 600 से 800 कि.मी. यह एक विशेष प्रकार की ध्रुवीय कक्षा में स्थापित, जिसमें उपग्रह सूर्य के साथ एक विशिष्ट अवस्थिति में स्थित रहता है।
मध्य पृथ्वी कक्षा (MEO)	नेविगेशन उपग्रह और टेलीफोन संचार **उदा.** यूरोपीय गैलीलियो सिस्टम	**ऊंचाई:** 2,000 से 36,000 कि.मी. MEO में उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर विशिष्ट मार्ग पर परिक्रमा करते हैं।
भू-स्थैतिक कक्षा (GEO)	दूरसंचार, मौसम उपग्रह, GPS आदि **उदा.** भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली (INSAT)	**ऊंचाई:** 35,786 कि.मी. ये पृथ्वी के भू-मध्य रेखा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, जो पृथ्वी के घूर्णन से ठीक मेल खाते हैं।

7.9.13. विलवणीकरण प्रौद्योगिकियां (DESALINATION TECHNOLOGIES)

IIT बॉम्बे के वैज्ञानिकों ने खारे जल के उपचार के लिए नए **हाइड्रोफोबिक ग्राफीन-आधारित सामग्री** का उपयोग करके **कमल के पत्ते जैसे सौर वाष्पीकारक** विकसित किए हैं।

- यह कुशल **जल विलवणीकरण** को सक्षम बनाता है; वैश्विक स्तर पर ताजे पानी के संकट के लिए संभावित समाधान प्रदान करता है।

विलवणीकरण प्रौद्योगिकियां और प्रक्रियाएं

थर्मल टेक्नोलॉजी

- **अवधारणा: खारे जल** को गर्म किया जाता है, शुद्ध जल के लिए **संघनित वाष्प** को एकत्र किया जाता है।
- **उपयोग:** मुख्य रूप से **समुद्री जल** के लिए।
- **उदाहरण:** लक्षद्वीप (कवरत्ती, मिनिकॉय, अगाती) में निम्न तापीय थर्मल विलवणीकरण (LTTD) संयंत्र।

मेंब्रेन टेक्नोलॉजी (Membrane Technology)

- **अवधारणा: अर्ध-पारगम्य झिल्लियों** का उपयोग करके **खारे जल को फ़िल्टर** करता है।
- **उपयोग:** खारे पानी का विलवणीकरण।
- **प्रयुक्त विधि:** इलेक्ट्रोडायलिसिस/ इलेक्ट्रोडायलिसिस रिवर्सल (ED/EDR) और रिवर्स ऑस्मोसिस (RO)।
- **उदाहरण:** नेमेली समुद्री जल विलवणीकरण संयंत्र, तमिलनाडु - दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र।

7.9.14. विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA) ने औपचारिक रूप से दुनिया का पहला 'महामारी समझौता' अपनाया {WORLD HEALTH ASSEMBLY (WHA) ADOPTED WORLD'S FIRST PANDEMIC AGREEMENT}

यह WHO के संविधान के **अनुच्छेद 19** के तहत किया गया **तम्बाकू नियंत्रण पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, 2003** के बाद दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कानूनी समझौता है।

- **अनुच्छेद 19** WHA को **दो-तिहाई मत** के साथ अभिसमय/ समझौते को अपनाने का अधिकार देता है।

इस समझौते के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **वैश्विक महामारी की रोकथाम और निगरानी:** रोग के प्रसार को रोकने और उससे निपटने के लिए **अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR), 2005 के अनुरूप।**
- **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क: लोक स्वास्थ्य आपात स्थितियों** के दौरान **स्वास्थ्य उत्पादों** तक सुलभ पहुंच सुनिश्चित करना।
- **संधारणीय वित्त-पोषण:** IHR के अंतर्गत **समन्वयकारी वित्तीय तंत्र का उपयोग इसके कार्यान्वयन** के लिए किया जाएगा।
- **पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (PABS):**
  - **अंतर-सरकारी कार्य समूह (IGWG)** के माध्यम से मसौदा तैयार करना।
  - **पैथोजन डेटा** के त्वरित साझाकरण को कवर करता है
  - PABS में भाग लेने वाले **दवा विनिर्माता** WHO को अपने टीकों, उपचार और डायग्नोस्टिक किट के उत्पादन के **20% तक तुरंत पहुंच** उपलब्ध कराएंगे।
- **प्रवर्तन:** यह समझौता **हस्ताक्षर और 60 देशों द्वारा अनुसमर्थन** के बाद लागू किया जाएगा।

समझौते का महत्व

- **वैश्विक एकजुटता: महामारी प्रतिक्रिया** में **अंतराल** और असमानताओं को दूर करता है।
- **वन हेल्थ अप्रोच: मानव, पशु** और **पर्यावरणीय स्वास्थ्य** को जोड़ता है।
- **समग्र-सरकार और समाज:** इसमें देशज और **स्थानीय समुदायों** के साथ समन्वय करना शामिल है।

7.9.15. विश्व की पहली 'पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट' जारी की गई (THE 1ST STATE OF THE WORLD'S ANIMAL HEALTH REPORT)

विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) द्वारा जारी, इसका **मुख्यालय पेरिस** में है, इसकी स्थापना **1924** में हुई थी।

- यह रिपोर्ट बदलती हुई दुनिया में **पशु स्वास्थ्य** का पहला वैश्विक अवलोकन प्रदान करती है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **रोग पैटर्न में बदलाव:** अब संक्रामक पशु रोग **नए भौगोलिक क्षेत्रों में फैल** रहे हैं। इनमें से लगभग **47% रोग जूनोटिक** हैं। उदाहरण के लिए, **यूरोप** में **पेस्टे डेस पेटिट्स रुमिनेंट्स** का पुनः उभरना।
- **रोग की बढ़ती तीव्रता: अफ्रीकी स्वाइन फीवर, एवियन इन्फ्लूएंजा** और **खुरपका-मुंहपका** जैसी बीमारियों की आवृत्ति एवं तीव्रता बढ़ रही है।
- **रोगों के वाहक: जलवायु परिवर्तन** और **वैश्विक व्यापार।**
- **एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (AMR): 2050** तक, **2 बिलियन** लोगों के लिए **खाद्य सुरक्षा को खतरा** हो सकता है, जिससे **$100 ट्रिलियन का नुकसान** हो सकता है।

सिफारिशें

- **सुरक्षित व प्रभावी टीकों की सामान पहुंच,** बेहतर स्वच्छता और जैव सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- राष्ट्रीय पशु चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने, समन्वय बढ़ाने, निगरानी प्रणाली में सुधार आदि के लिए निवेश को बढ़ावा देना चाहिए।

7.9.16. ट्रेकोमा (TRACHOMA)

WHO ने **भारत को ट्रेकोमा को लोक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने के लिए प्रमाण-पत्र** प्रदान किया।

- **दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र** में **नेपाल** और **म्यांमार** के बाद **भारत तीसरा देश** बन गया है, जिसने **ट्रेकोमा का उन्मूलन** किया है।

ट्रेकोमा के बारे में

- **कारण:** यह **क्लैमाइडिया ट्रेकोमैटिस नामक बैक्टीरिया** से होने वाला **नेत्र रोग** है।
- **प्रभाव: कॉर्नियल क्षति** के कारण **आजीवन दृष्टिहीनता** हो सकती है।
- **संक्रमण का माध्यम:** यह रोग **संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने** से फैलता है।

7.9.17. तरल कार्बन (LIQUID CARBON)

वैज्ञानिकों ने **पहली बार इन-सीटू एक्स-रे विवर्तन का उपयोग करके तरल कार्बन की संरचना का अध्ययन** किया।

तरल कार्बन के बारे में

- इसका अध्ययन करना व्यावहारिक रूप से लगभग असंभव था, क्यों कि यह **4,500°C और बहुत उच्च दबाव** की स्थिति में तरल अवस्था में तब्दील होता है और सामान्य दबाव में **कार्बन द्रवित नहीं** होता है।
- ऐसी स्थिति में **कोई भी कंटेनर टिक नहीं** सकता है; यह केवल **ग्रहों के आंतरिक भाग** में पाया जा सकता है।

यह **परमाणु संलयन जैसी भविष्य की प्रौद्योगिकियों** में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

7.9.18. एबेल पुरस्कार (ABEL PRIZE)

जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवारा (78) को 2025 के एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को अक्सर **"गणित का नोबेल"** कहा जाता है। यह पुरस्कार उन्हें **बीजगणितीय विश्लेषण, रिप्रजेंटेशन थ्योरी, डी-मॉड्यूल्स और क्रिस्टल बेसिस** में उनके कार्यों के लिए दिया गया है।

एबेल पुरस्कार के बारे में

- यह पुरस्कार **हर साल गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान** के लिए दिया जाता है। इसका नाम **नील्स हेनरिक एबेल (1802-1829)** के नाम पर रखा गया है।
  - एबेल ने **सामान्य पंचम समीकरण को मूलांकों की मदद से हल करने की असंभवता को सिद्ध** किया था। वे **दीर्घवृत्तीय फलनों (एबेलियन फलनों)** के क्षेत्र में भी अग्रणी थे।
- यह पुरस्कार **नॉर्वे सरकार द्वारा 2002 में स्थापित** किया गया था। इसे **नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स** द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

नोट: अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ ने यूनेस्को के सहयोग से वर्ष 2000 को विश्व गणितीय वर्ष घोषित किया था।

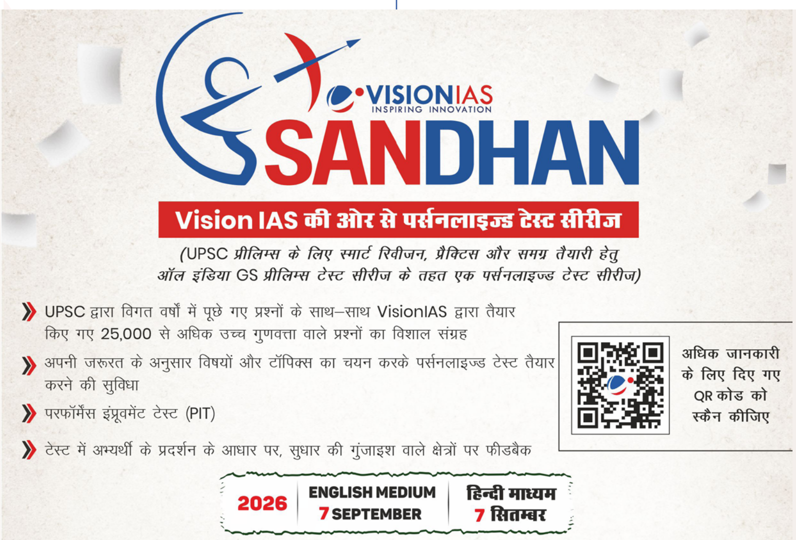

7.10. अपने ज्ञान का परीक्षण कीजिए (TEST YOUR LEARNING)

1. क्रिप्टोकरेंसी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. क्रिप्टोकरेंसी राष्ट्रीय बैंकों द्वारा प्रबंधित केंद्रीय रूप से जारी किए गए डिजिटल टोकन हैं।
2. बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करती है और विकेंद्रीकृत, सीमा से परे लेनदेन प्रदान करती हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a. केवल 1

b. केवल 2

c. 1 और 2 दोनों

d. न तो 1, न ही 2

2. अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा लैग्रेंजियन पॉइंट्स का सर्वोत्तम वर्णन करता है?

a. सूर्य के निकट के क्षेत्र जहाँ उच्च-ऊर्जा युक्त सौर ज्वालाएं उत्पन्न होती हैं

b. पृथ्वी की कक्षा में सबसे मजबूत चुंबकीय हस्तक्षेप वाले स्थान

c. ऐसे बिंदु जहाँ गुरुत्वाकर्षण और कक्षीय गति स्थिर स्थिति के लिए संतुलन बनाती हैं

d. उच्च वेग के कारण अंतरग्रहीय मिशन लॉन्च करने के लिए आदर्श क्षेत्र

3. HIV और एड्स के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. HIV सुइयों के साझाकरण और असुरक्षित यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है।
2. एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (ART) HIV संक्रमण के प्रबंधन और इसके एड्स में परिवर्तित होने में देरी करने में मदद करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a. केवल 1

b. केवल 2

c. 1 और 2 दोनों

d. न तो 1, न ही 2

4. सुर्ख़ियों में रहने वाला Cas9 प्रोटीन क्या है?

a. लक्षित जीन संपादन में प्रयुक्त आणविक कैंची

b. रोगियों में रोगजनकों का सटीक पता लगाने में प्रयुक्त बायोसेंसर

c. पौधों को कीट-प्रतिरोधी बनाने वाला जीन

d. आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों में संश्लेषित शाकनाशी पदार्थ

5. PSLV की क्षमताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. PSLV केवल पृथ्वी की निम्न कक्षा (LEO) में ही उपग्रहों को प्रक्षेपित कर सकता है।
2. इसका उपयोग मंगल ग्रह परिक्रमा मिशन जैसे अंतरग्रहीय मिशनों में किया गया है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/ से सही है/ हैं?

a. केवल 1

b. केवल 2

c. 1 और 2 दोनों

d. न तो 1 और न ही 2

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

Q1. . भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने में सैटेलाइट इंटरनेट की क्षमता पर चर्चा कीजिए। इसके व्यापक उपयोग से जुड़ी प्रमुख चिंताएँ क्या हैं? (150 शब्द)

Q2. भारत की डीकार्बोनाइजेशन रणनीति में ग्रीन हाइड्रोजन को एक प्रमुख स्तंभ के रूप में देखा जाता है। परीक्षण कीजिए कि राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और इसका प्रमाणन ढांचा इस क्षमता को कैसे साकार करने का लक्ष्य रखता है। (250 शब्द)

8. संस्कृति (CULTURE)

विषय सूची

8.1. यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल (UNESCO WORLD HERITAGE SITES) 164

8.2. भगवद् गीता और नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियां (MANUSCRIPTS OF BHAGAVAD GITA AND NATYASHASTRA) 169

8.3. सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि {AGRICULTURE IN INDUS VALLEY CIVILIZATION (IVC)} 170

8.4. वायकोम सत्याग्रह (VAIKOM SATYAGRAHA) 171

8.5. सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व: सर चेत्तूर शंकरन नायर (1857-1934) {PERSONALITY IN FOCUS: SIR CHETTUR SANKARAN NAIR (1857-1934)} 172

8.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS) 173

8.7. अपने ज्ञान का परीक्षण कीजिए (TEST YOUR LEARNING) 176

8.1. यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल (UNESCO WORLD HERITAGE SITES)

सुर्ख़ियों में क्यों?

यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र ने **2025 में भारत के लिए संभावित सूची में छह स्थलों/ स्मारकों** को शामिल करने का निर्णय लिया।

अन्य संबंधित तथ्य

- संभावित सूची **उन स्थलों/ स्मारकों की एक "सूची"** है, जिनके बारे में किसी देश का मानना है कि वे विश्व धरोहर स्थल बनने के योग्य हैं।
- **प्रक्रिया:** सूची में शामिल होने के बाद, नामांकन दस्तावेज़ तैयार किया जाता है जिसे भारतीय राष्ट्रीय सहयोग आयोग (INCCU) और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) मिलकर यूनेस्को को प्रस्तुत करते हैं।
- **भारत के 62 स्थल/ स्मारक** यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हैं।
- **नवीनतम शामिल 6 स्थल/ स्मारक हैं- मुदुमल मेन्हिर** (तेलंगाना); **कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान** (छत्तीसगढ़); विविध राज्यों में स्थित **अशोक के अभिलेख**; मध्य प्रदेश और ओडिशा का **चौसठ योगिनी मंदिर**; उत्तर भारत में **गुप्तकालीन मंदिर**; तथा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित **बुंदेलों के महल-किले**।

यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल/ स्मारक (WHS) क्या है?

- विश्व धरोहर स्थल/ स्मारक वे स्थल/ स्मारक होते हैं, जिन्हें यूनेस्को द्वारा उनके **"विशिष्ट सार्वभौमिक मूल्य"** के लिए मान्यता दी जाती है।
- **श्रेणियां:** सांस्कृतिक, प्राकृतिक तथा मिश्रित धरोहर।

चयन के लिए मानदंड

- **किसी स्थल/ स्मारक को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के लिए निम्नलिखित में से कम-से-कम एक मानदंड को पूरा करना चाहिए:** मानव की रचनात्मक प्रतिभा का उत्कृष्ट उदाहरण हो; सांस्कृतिक या ऐतिहासिक महत्त्व का प्रदर्शन करता हो, स्थापत्य कला, पारिस्थितिकी या भूवैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, या असाधारण प्राकृतिक सौंदर्यता और जैव विविधता का प्रदर्शन करता हो।
- **अन्य कारक:** संरक्षण, प्रबंधन, प्रामाणिकता और सत्यनिष्ठा।

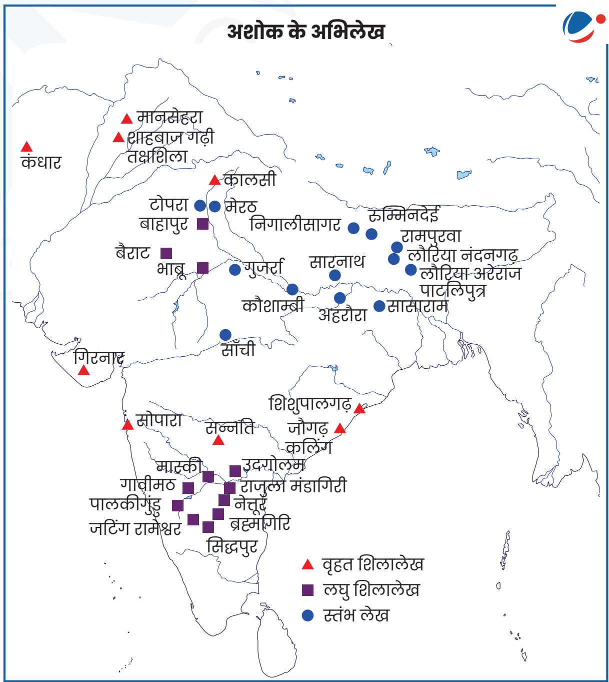

विश्व धरोहर अभिसमय (यूनेस्को की महासभा द्वारा 1972 में अपनाया)

- यह 1975 से प्रभावी है। यह **विश्व धरोहर सूची में अभिलेख के लिए मानदंड परिभाषित** करता है।
- **विश्व धरोहर समिति (WHC)**, **'वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर'** सूची और **'वर्ल्ड हेरिटेज फंड'** की स्थापना की गई थी।
- **भारत** ने इस अभिसमय की **अभिपुष्टि** 1977 में की थी।

विश्व धरोहर अभिसमय के अंतर्गत प्रमुख विकास

- **विश्व धरोहर पर बुडापेस्ट घोषणा-पत्र (2002):** रणनीतिक उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया- **"4Cs"** अर्थात् **विश्वसनीयता (Credibility), संरक्षण (Conservation), क्षमता निर्माण (Capacity-building)** और **संचार (Communication)**।
    - 4Cs को रणनीतिक उद्देश्यों के लिए **'समुदाय (Community)'** शब्द जोड़कर **"5Cs"** के रूप में संशोधित किया गया है।
- **सांस्कृतिक विरासत की पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण पर वारसॉ अनुशंसा (2018):** सशस्त्र संघर्षों, आपदाओं एवं प्राकृतिक खतरों के बाद WHS की पुनर्प्राप्ति व पुनर्निर्माण हेतु सार्वभौमिक दिशा-निर्देश प्रदान करना।
- **विश्व धरोहर साझेदार पहल (PACT) (1992): सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को प्रोत्साहित** करना और WHSs के संरक्षण में विविध संस्थाओं एवं व्यक्तियों को शामिल करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना।

यूनेस्को विश्व धरोहर समिति (असाधारण सार्वभौमिक मूल्य की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अंतर-सरकारी समिति)

- **संरचना:** यह समिति **भारत सहित 196 सदस्य देशों** में से **6 वर्षों (स्वेच्छा से 4 वर्षों तक)** तक चुने गए प्रतिनिधियों से बनी होती है।
- **कार्य:** इसकी **वर्ष में कम-से-कम एक बार बैठक** होती है, जिसमें WHS की **सूची में नए स्थलों/ स्मारकों को शामिल करने, पुराने स्थलों/ स्मारकों को हटाने या संशोधित** करने पर विचार-विमर्श किया जाता है।
- भारत ने **जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ASI द्वारा आयोजित 46वीं बैठक की मेजबानी की**, जहां 'मोईदम्स' (अहोम राजवंश की दफन प्रणाली) भारत के 43वें WHS बन गए।
- 1977 में स्थापित **विश्व धरोहर फंड**, सदस्य देशों के योगदान और स्वैच्छिक दान के माध्यम से संरक्षण का समर्थन करता है।

8.1.1. अशोक के अभिलेख स्थल (ASHOKAN EDICT SITES)

अवधि: मौर्य सम्राट अशोक (268 ई.पू. - 232 ई.पू.) ने अपने शासनकाल के दौरान **प्रस्तर, स्तंभों, शिलाओं और गुफा की भित्तियों** पर 30 से अधिक अभिलेख उत्कीर्ण कराए थे।

- ये अभिलेख हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद **भारत में पहले लिखित अभिलेख** हैं, जिनमें **14 वृहद शिलालेख, 7 स्तंभ अभिलेख और कुछ लघु शिलालेख** उत्कीर्ण करवाए थे।
- **उद्देश्य:** अशोक के अभिलेख मौर्य साम्राज्य के **शाही आदेश** थे। ये आदेश **सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक मामलों** से संबंधित हैं। इनके माध्यम से अशोक ने **कुलीनों, अधिकारियों तथा आम जनता को संबोधित** किया था।
- **भाषा:** मुख्यतः **प्राकृत**, लेकिन **उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र** में कुछ की **अरामाईक और ग्रीक।**
- **लिपि: ब्राह्मी** (मुख्य लिपि), **खरोष्ठी** (गांधार क्षेत्र में प्रयुक्त), **ग्रीक** और **अरामाईक।**
- **निर्माण सामग्री:** अशोक के स्तंभ अभिलेखों का निर्माण **चुनार से लाए गए बादामी रंग के कठोर बलुआ पत्थर और मथुरा से लाए गए धब्बेदार लाल एवं सफेद बलुआ पत्थर** से किया गया है।
- **अभिलेखों की अन्य विशेषताएं:**
  - अशोक ने अभिलेखों (धम्म लिपि) का उत्कीर्णन मुख्यतः अपनी धम्म नीति का प्रचार करने के लिए कराया था। हालांकि, इन अभिलेखों से अशोक के विशाल साम्राज्य की सीमाओं का भी पता चलता है।
  - चार स्थानों, यथा- **मास्की व ब्रह्मगिरी (कर्नाटक), गुज्जरा (मध्य प्रदेश), और नेट्टूर (आंध्र प्रदेश)** से मिले अभिलेखों में **अशोक का नाम "देवानांपिय"** (देवताओं का प्रिय) मिलता है।
  - **कर्नाटक** में एक स्तूप पर उत्कीर्ण **कंगनहल्ली अभिलेख** में अशोक को **"राञो अशोक"** (राजा अशोक) कहा गया है।

वृहत शिलालेख	विवरण
I	पशु वध और उत्सवों में हत्याओं पर प्रतिबंध; अशोक ने शिकार करना बंद कर दिया।
II	सभी के लिए चिकित्सा देखभाल; चोल, पांड्य, केरलपुत्र, सत्यपुत्र और एण्टियोकस द्वितीय का उल्लेख है।
III	राज्याभिषेक के 12 वर्ष बाद; उदारता को बढ़ावा, अधिकारियों को धम्म के प्रचार का निर्देश।
IV	भेरीघोष (युद्ध) पर धम्मघोष (शांति) को प्राथमिकता; नैतिक शासन को बढ़ावा।
V	"प्रत्येक मनुष्य मेरा पुत्र है"; धम्म महामात्रों की नियुक्ति; दासता को संबोधित करता है।
VI	जनकल्याण और जनसंपर्क पर केंद्रित।
VII	धार्मिक सहिष्णुता और सम्मान को बढ़ावा देता है।
VIII	बोधगया की पहली "धम्म यात्रा" का उल्लेख।
IX	दिखावटी अनुष्ठानों का विरोध; सादगी को प्राथमिकता।
X	यश और प्रसिद्धि की आलोचना; धम्म को महत्त्व।
XI	धम्म को राज्य की नीति घोषित किया; नैतिकता और दासों के प्रति करुणा पर जोर दिया।
XII	धार्मिक समरसता को प्रोत्साहन; कंधार शिलालेख में यूनानी संपर्क का उल्लेख।
XIII	सबसे लंबा शिलालेख; कलिंग युद्ध पर पश्चाताप; यूनानी और दक्षिण भारतीय राजाओं से कूटनीतिक संबंध।
XIV	अभिलेखों के व्यापक प्रचार-प्रसार का उल्लेख।

8.1.2. गुप्तकालीन मंदिर (GUPTA TEMPLES)

गुप्त काल (लगभग 320 ई. - 550 ई.) **प्राचीन भारत का "स्वर्ण युग"** माना जाता है। इसकी मुख्य वजह इस काल में मंदिर स्थापत्य कला में आया महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी बदलाव है।

- **स्थापत्य शैली: नागर (उत्तर भारतीय)** और **द्रविड़ (दक्षिण भारतीय)** दोनों शैलियों का मिश्रण।
  - आरंभिक मंदिर **साधारण व सपाट छत** वाले थे। हालांकि, इस काल में बाद में इनमें विविध नई संरचनाएं {जैसे- **गर्भगृह, मंडप (स्तंभों वाले सभाकक्ष), मुखमंडप और ऊंचे शिखर** आदि} देखने को मिलती हैं।
- **संरक्षण: चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय** जैसे गुप्त शासकों के समय **विष्णु, शिव एवं शक्ति** को समर्पित मंदिरों को **राजकीय संरक्षण** प्राप्त था।
- **गुप्तकालीन मंदिरों की मुख्य विशेषताएं:**
  - प्रारंभिक विकास चरण **बौद्ध और हिंदू दोनों परंपराओं से प्रभावित** था।
  - **संरचनात्मक स्थायित्व:** नाशवान सामग्रियों की जगह पत्थर और ईंटों का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने लगा था।
  - **गुप्त काल में पांच प्रकार के मंदिरों का निर्माण हुआ:** वर्गाकार सपाट छत वाले मंदिर, प्रदक्षिणा पथ वाले वर्गाकार मंदिर, अर्ध-बेलनाकार छत वाले आयताकार मंदिर, वक्रीय शिखर वाले वर्गाकार मंदिर और गोलाकार/ अष्टकोणीय मंदिर।

- **स्तंभ:** स्तंभों में **मौर्य काल के उल्टे कमल या घंटीनुमा शीर्ष** की जगह नए प्रकार का शीर्ष भाग देखने को मिलता है, जिसे **"कलश शीर्ष"** या **"पूर्णकलश"** कहा जाता है।
- **अन्य विशेषताएं:** सोपानिक चबूतरे, बारीक और सुंदर नक्काशी, धार्मिक प्रतीकों का अंकन आदि।

- **सामाजिक-आर्थिक महत्त्व:** मंदिर केवल धार्मिक केंद्र नहीं थे, बल्कि **आर्थिक केंद्र** भी बने – इन्हें **भूमि दान (देवदान)** के ज़रिए आय प्राप्त होती थी। मंदिर **कृषि व्यवस्था** को भी नियंत्रित करते थे। **उत्तरापथ** जैसे व्यापार मार्गों पर स्थित होने से **शहरीकरण व श्रमिक संघों** का विकास हुआ।

गुप्तकालीन मंदिर

- **दशावतार मंदिर, देवगढ़ (उत्तर प्रदेश):** यह मंदिर बेतवा नदी के तट पर छठी शताब्दी में बना था, जो भगवान विष्णु के 10 अवतारों को समर्पित है। इस मंदिर ने **शिखर शैली** की शुरुआत की थी। इसका शिखर **ब्रह्मांडीय केंद्र के रूप में मेरु पर्वत** का प्रतीक है। यह मंदिर **'पंचायतन' शैली** में निर्मित है। मुख्य मंदिर के **4 कोनों पर 4 छोटे सहायक मंदिर** बनाए गए हैं।
- **भितरगांव मंदिर, कानपुर (उत्तर प्रदेश):** यह **पूर्व दिशा की ओर मुख वाला तथा ईंटों से बना 5वीं सदी** का मंदिर है। मंदिर योजना **वर्गाकार** है। मंदिर की अन्य संरचनाओं में **अर्धमंडप, अंतराल और गर्भगृह** शामिल हैं।
- **नचना-कुठार मंदिर, पन्ना (मध्य प्रदेश): 5वीं-6वीं शताब्दी ई.** में निर्मित, यह **मंदिर भगवान शिव/ पार्वती को समर्पित** है।
- **महाबोधि मंदिर, बोधगया (बिहार):** मूल मंदिर का निर्माण **सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी ई.पू.** में करवाया था। वर्तमान मंदिर **5वीं-6वीं शताब्दी** के बीच का है। यह **पूर्णतया ईंटों से निर्मित भारत के सबसे शुरुआती बौद्ध मंदिरों** में से एक है।

गुप्तकालीन अन्य मंदिर

- **मध्य प्रदेश:** वामन मंदिर, देवरी; गुफा संख्या 1, उदयगिरि; मंदिर क्रमांक 17, साँची में गुप्त मंदिर; आदि।
- **बिहार:** सोपानबद्ध ईंटों से बना मंदिर, लौरिया- नंदनगढ़; नालंदा महाविहार में गुप्त मंदिर; मुंडेश्वरी मंदिर, रामगढ़ (अष्टकोणीय योजना) आदि।
- **उत्तर प्रदेश:** भीतरी मंदिर, आदि।
- **राजस्थान:** भीम की चौरी (दर्रा) आदि।

8.1.3. तेलंगाना के मुदुमल मेन्हिर (MUDUMAL MENHIRS OF TELANGANA)

- भारत की सबसे विशाल और बेहतर तरीके से संरक्षित **महापाषाण (मेगालिथिक) खगोलीय वेधशालाओं** में से एक, लगभग 3500-4000 वर्ष प्राचीन, तेलंगाना में **कृष्णा नदी** के तट के निकट स्थित है।
- **मुख्य विशेषताएं:**
  - **सबसे बड़ा महापाषाण समाधि स्थल:** दक्षिण भारत में।
  - **रात्रिकालीन आकाश का चित्रण:** यह **दक्षिण एशिया** का एकमात्र स्थल है, जहां रात्रि में आकाश के विविध नक्षत्रों जैसे- **सप्तऋषि (Ursa Major), सिंह (Leo) तारामंडल** आदि को पत्थरों के माध्यम से भौतिक रूप से दर्शाया गया है।
  - **प्राचीन वेधशाला:** यहां के मेन्हिर (सीधे खड़े पत्थर) खगोलीय घटनाओं जैसे **संक्रांति, विषुव** आदि के अनुरूप स्थापित हैं।
  - **सांस्कृतिक महत्त्व: मेन्हिर को स्थानीय लोग पवित्र मानते थे,** और उन्हें "निलुरल्ला तिमप्पा" (खड़े पत्थरों के तिमप्पा) कहते थे। इन मेन्हिर में से एक को **देवी येल्लम्मा** के रूप में पूजा जाता था।

महापाषाण स्थल

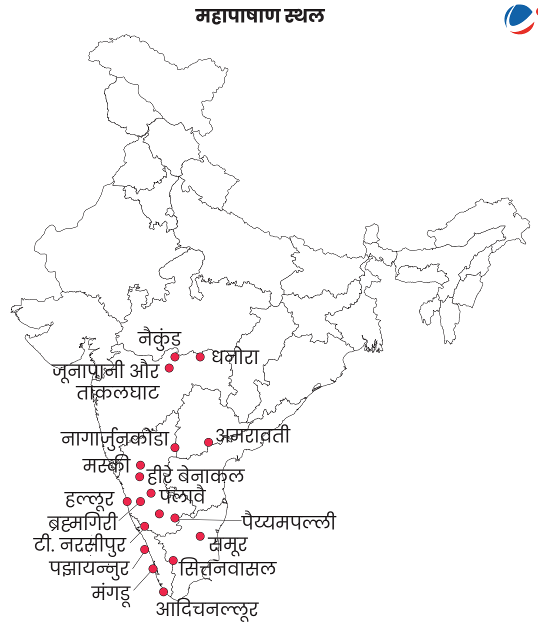

महापाषाण स्थल क्या हैं?

- बड़े पत्थर की संरचनाएं जिनका उपयोग **शवाधान स्थलों या स्मारक स्मारकों** (जैसे- मेन्हिर, डोल्मेन) के रूप में किया जाता था। ये **नवपाषाण काल से लेकर लौह युग** तक की हैं।

भारत में महापाषाण संस्कृति (लगभग 1000 ईसा पूर्व से - पहली शताब्दी ईस्वी तक)

- दक्षिण भारत में **महापाषाण संस्कृति पूर्ण रूप से विकसित एक लौह युगीन संस्कृति** थी।
- महापाषाण संस्कृति मुख्य रूप से **समाधि स्थलों और काले व लाल (BRW) रंग के मृदभांड** से संबंधित थी।
- **कर्नाटक के ब्रह्मगिरि क्षेत्र में स्थित पिकलीहल और हल्लूर** नामक स्थानों पर ऐसे सबसे पुराने महापाषाणिक शवाधान खोजे गए हैं।
- **प्रकार: बहु-पाषाणीय** (डोल्मेन, केयर्न, क्रोमलेख, सिस्ट, आदि) तथा **एकल-पाषाणीय** (मेन्हिर, आदि)।
- **भौगोलिक वितरण: महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना** में पाए गए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में **1400 से अधिक स्थल** हैं। **1116 स्थल केवल प्रायद्वीपीय भारत** में हैं।

- **जीवन निर्वाह:** प्रारंभिक लौह युग के समुदायों में कृषि, शिकार और मछली पकड़ने का संयुक्त प्रयोग होता था, जो गतिहीन जीवन जीने का संकेत देता है।
- **मृदभांड के प्रकार:** इसमें **काले एवं लाल (BRW) तथा लाल एवं चमकदार काले मृदभांड** शामिल हैं।

8.1.4. मध्य प्रदेश और ओडिशा में चौसठ योगिनी मंदिर (CHAUSATH YOGINI TEMPLES IN MADHYA PRADESH AND ODISHA)

चौसठ योगिनी मंदिर में मंदिर की **परिधि** में स्थित कक्षों में **योगिनियों की 64 प्रतिमाएं** स्थापित हैं।

- **योगिनी** योग का अभ्यास करने वाली महिला को संदर्भित करता है और **चौसठ** हिंदी में **संख्या 64** के लिए शब्द है।
- **मंदिर के खुले केंद्रीय प्रांगण में भगवान शिव या शक्ति** को समर्पित एक **गर्भगृह** है, जो प्रत्येक कक्ष से दिखाई देता है। ऐसा माना जाता है कि नर्तक/ नर्तकियां संभवतः इसी केंद्रीय प्रांगण में प्रदर्शन करते थे/ करती थीं।
- **मुख्य विशेषताएं:**
  - ये मंदिर आमतौर पर **वृत्ताकार** हैं, **ऊँचे स्थान (या पीठ)** पर बने होते हैं और **आसमान की ओर खुले** होते हैं।
  - अधिकांश मंदिर **वृत्ताकार**, लेकिन **खजुराहो, बड़ोह और रिखियां में आयताकार।**
  - वृत्ताकार योजना **समय चक्र, ब्रह्मांडीय व्यवस्था और ऊर्जा के निरंतर प्रवाह** को दर्शाती है।
  - ये मंदिर **सरल पत्थर का भार वहन करने वाली संरचनाएं** हैं। इनमें मुख्य मंदिर संरचना पर **साधारण नक्काशी** होती है, जबकि **मूर्तियां बारीकी से उकेरी** गई हैं।
  - इन मंदिरों में **नारी शक्ति, कामुकता और प्रजनन क्षमता** का उत्सव मनाते हुए **तांत्रिक एवं योगिक अनुष्ठान** किए जाते थे।

चौसठ योगिनी मंदिर, मुरैना

- **भारत में चौसठ योगिनी मंदिर**
  - **मध्य प्रदेश:** खजुराहो, मितौली (मुरैना), दुधई (जबलपुर), बड़ोह, हिंगलाजगढ़, शहडोल और नारेसर
  - **उत्तर प्रदेश:** लाखेरी व रिखियां
  - **तमिलनाडु:** कांचीपुरम
  - **ओडिशा:** हीरापुर व रानीपुर
- **चौसठ योगिनी मंदिर, मुरैना (इकत्तरसो महादेव मंदिर):** यह एक **वृत्ताकार** मंदिर है, जिसका निर्माण **कच्छपघात वंश के महाराजा देवपाल** ने **1323 ईस्वी** में करवाया था।
  - **पुराने संसद भवन की संरचना** इस मंदिर की **वृत्ताकार आकृति** वाली **संरचना से प्रेरित** है। इसका वृत्ताकार विन्यास **श्री यंत्र का प्रतीक** माना जाता है, जो **ब्रह्मांड और दिव्य नारी शक्ति (शक्ति)** का प्रतीक माना जाता है।
- **चौसठ योगिनी मंदिर, खजुराहो (9वीं शताब्दी में चंदेल वंश के संरक्षण में निर्मित):** भारत के सभी चौसठ योगिनी मंदिरों में से खजुराहो का मंदिर निर्माण में **सबसे प्राचीन** है। इसका **आयताकार** स्वरूप इसे विशिष्ट बनाता है। यह पूरी तरह से **स्थानीय** रूप से पाए जाने वाले **बड़े दानों वाले ग्रेनाइट पत्थर** से बना है, जबकि खजुराहो के अन्य मंदिर मुख्य रूप से **बलुआ पत्थर (सैंडस्टोन)** से निर्मित हैं।
- **चौसठ योगिनी मंदिर, बड़ोह (गदरमल मंदिर):** इसमें एक **आयताकार गर्भगृह** है, जिसके ऊपर एक **विशाल शिखर** बना हुआ है। इसके सामने एक छोटा सा **द्वारमंडप** है। इस मंदिर के ऊपर **छत बाद में जोड़ी** गई थी। मूल रूप से बड़ोह मंदिर अन्य योगिनी मंदिरों की तरह बिना छत (Hypaethral) वाला रहा होगा।

8.1.5. मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बुंदेलों के महल-किले (PALACE-FORTRESSES OF THE BUNDELAS IN MADHYA PRADESH AND UTTAR PRADESH)

बुंदेलों के महल-किलों में **बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित 6 प्रमुख संरचनाएं शामिल हैं-**

- **गढ़कुंडार किला:** यह **गढ़कुंडार** में स्थित है, जो बुंदेल राजपूतों की **प्रारंभिक राजधानी** थी।
- **राजा महल (ओरछा):** यह महल बुंदेला शासक **मधुकर शाह** के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। **16वीं शताब्दी** में राजधानी को **ओरछा स्थानांतरित** कर दिया गया था।
- **जहांगीर महल (ओरछा):** इसका निर्माण **मधुकर शाह** के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था और इसका प्रमुख निर्माण **बीर सिंह देव** के शासनकाल में हुआ था।
- **दतिया महल: 1620 ई. में निर्मित। पांच मंजिला** भवन, जिसे **बीर सिंह देव महल**

गढ़कुंडार किला

के नाम से भी जाना जाता है।

- **झाँसी का किला:** यह किला **17वीं शताब्दी के प्रारंभ में बीर सिंह देव** ने बनवाया था।
- **धुबेला महल: 17वीं शताब्दी में महाराजा छत्रसाल** ने बनवाया था। **धुबेला झील** के पास स्थित है।

राजा महल ओरछा

बुंदेलों के महल-किलों की मुख्य विशेषताएं:

- **बुंदेल राजपूत शैली और मुगल शैली का संश्लेषण:** पारंपरिक राजपूत विशेषताओं को बरकरार रखते हुए मुगल तत्वों को शामिल किया गया है।
- **मुगल रूपांकनों व भित्ति चित्रों की स्थानीय पुनर्व्याख्या:** मुगल शैली के साथ-साथ **रागमाला और रासलीला** जैसे प्रतीकात्मक विषयों से प्रेरित हैं।
- **रक्षा और सौंदर्यशास्त्र का एकीकरण:** अलंकरणीय तत्वों के साथ-साथ किलेबंदी रणनीतियों का समन्वय किया गया है।
- **स्थापत्यकला:** यह **मंडल** रूपी सममित योजना पर आधारित है। इसके केंद्र में एक खुला प्रांगण है, जो आसमान की ओर खुला है।

बुंदेलों के बारे में

- बुंदेला राजपूत मूल रूप से **गहरवार क्षत्रिय** हैं।
- **राजा पंचम** ने बुंदेल साम्राज्य की स्थापना **12वीं शताब्दी के अंतिम चरण** में की थी।
- जब **चंदेलों** की सत्ता का पतन हो रहा था, तब बुंदेलों ने **गढ़कुंडार को अपनी राजधानी** बनाया था।

8.1.6. कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान (बस्तर, छत्तीसगढ़) {KANGER VALLEY NATIONAL PARK (NP) (BASTAR, CHHATTISGARH)}

- **अवस्थिति:** यह **दक्कन प्रायद्वीप-पूर्वी उच्च भूमि** का हिस्सा है।
- **स्थापित:** वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत **1982** में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित।
- **प्रमुख विशेषताएं:**
  - **प्रमुख नदी: कांगेर** नदी।
  - **अवस्थिति: खोलाबा नदी (गोदावरी की एक सहायक नदी)** के तट पर स्थित है।
  - **विविध स्थलाकृति:** निम्न समतल भूमि, ढलान, पठार, गहरी खाइयां, घाटियां, घुमावदार जलधाराएं आदि।
  - **वनस्पति:** उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, और उष्णकटिबंधीय अर्द्ध-सदाबहार वनों का समर्थन करता है।
    - ◊ यह **प्रायद्वीपीय भारत में साल और सागौन वनों के बीच एक प्राकृतिक संक्रमण क्षेत्र (इकोटोन क्षेत्र)** बनाता है।
  - **भू-आकृति विज्ञान संबंधी विशेषताएं: कार्स्ट स्थलाकृति-** इसमें **भूमिगत चूना पत्थर की गुफाएं** पाई जाती हैं, जिनमें **स्पेलोथेम्स** पाए जाते हैं।
  - **तीन अद्वितीय गुफाएं: कुटुंबसर, कैलाश और दंडक** पाई जाती हैं। यहां **स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स** हैं।
  - **अन्य आकर्षण:** तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर धारा जलप्रपात (एक टेक्टोनिक घटना द्वारा निर्मित) आदि।
  - **मुख्य जीव-जंतु:** तेंदुए, लकड़बग्घा और ढोल (जंगली कुत्ते); **पूर्वी पहाड़ी मैना (छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी), विशाल गिलहरी आदि।**
    - ◊ **उच्च स्तर की स्थानिकता:** इस राष्ट्रीय उद्यान की **चूना पत्थर की गुफाओं में मकड़ी की ऐसी 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो केवल** यहीं पाई जाती हैं।

8.2. भगवद् गीता और नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियां (MANUSCRIPTS OF BHAGAVAD GITA AND NATYASHASTRA)

सुर्खियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) ने **भगवद् गीता एवं नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियों के संग्रह को अपने 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर'** में शामिल किया।

यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड (MOW), 1992 प्रोग्राम के बारे में

- **उद्देश्य:** दस्तावेज के रूप में उपलब्ध विरासत का संरक्षण करना (संघर्ष और/ या प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में), उन्हें सभी के लिए सुलभ बनाना, महत्त्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना आदि।
- **अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति (IAC)** यूनेस्को को संपूर्ण कार्यक्रम की योजना बनाने और कार्यान्वियन पर सलाह देने वाली मुख्य संस्था है।
  - अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति में **14 सदस्य** होते हैं, जिनकी **नियुक्ति यूनेस्को के महानिदेशक** द्वारा की जाती है।
- **वर्तमान स्थिति: 1995 से** अब तक **"मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड" अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में कुल 570 दस्तावेज़ी विरासतों को सूचीबद्ध** किया गया है। **74 नई** हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर के अलावा, UNESCO ने **4 क्षेत्रीय रजिस्टर** और **राष्ट्रीय "मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड"** समितियों की स्थापना करने में सहायता की है।

भगवद् गीता के बारे में

- **महर्षि वेदव्यास** द्वारा रचित, **कुल 700 श्लोक और 18 अध्याय** तथा **'महाभारत'** के **भीष्म पर्व** (अध्याय 23-40) का हिस्सा।
- यह वैदिक, बौद्ध, जैन और चार्वाक विचारों का संश्लेषण करने वाला एक केंद्रीय ग्रंथ है।
- यह युद्ध से पहले कृष्ण और अर्जुन के बीच एक संवाद है, जिसमें निस्वार्थ कर्म (निष्काम कर्म) और अर्जुन को निराशा (विषाद) से मुक्त करने का उपदेश दिया गया है।
- **गीता में जीवन पथ के तीन मार्ग बताए गए हैं: कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, और भक्ति मार्ग।**
- **असम में वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक शंकरदेव की शिक्षाएं** भगवद गीता से प्रेरित थीं।

नाट्यशास्त्र के बारे में

- **भरतमुनि** द्वारा **दूसरी शताब्दी ई.पू.** में रचित।
- **नाट्यवेद** का सार। **36,000 श्लोकों में निष्पादन कला तथा गंधर्ववेद** के नाम से ज्ञात।
- **नाट्योत्पत्ति** नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति की कथा को संदर्भित करता है। नाट्यशास्त्र का निर्माण सभी 4 वेदों- **पाठ्य या सस्वर पाठ (ऋग्वेद से), संगीत (सामवेद से), अभिनय या प्रदर्शन (यजुर्वेद से) और रस या भावनाएं (अथर्ववेद से)** के सार से हुआ है। इसलिए, नाट्यशास्त्र को अक्सर **'पंचम वेद'** भी कहा जाता है।
- इसमें **नाट्य, अभिनय, रस, भाव और संगीत** आदि को परिभाषित करने वाले नियमों का **विस्तृत विवरण** दिया गया है।
- इसे अनुभूति रंगमंच और रंगमंच-सज्जा से जुड़े हर व्यक्ति को **स्पष्ट निर्देश** देकर उत्पन्न किया जाता है।
- यह **भारत में वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण** पर उपलब्ध **सबसे पहला ग्रंथ** माना जाता है।

यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत की अन्य महत्वपूर्ण प्रविष्टियां

- 2023: गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पहली शिखर बैठक के अभिलेखागार तथा अभिनवगुप्त (940-1015 ई.): उनकी कृतियों की पांडुलिपियों का संग्रह
- 2017: मैत्रेयवराकरण और गिलगित पांडुलिपि
- 2013: शांतिनाथ चरित्र
- 2011: लघुकालचक्रतंत्रराजटिका (विमलप्रभा), तारीख-ए-खानदान-ए-तिमुरिया
- 2007: ऋग्वेद
- 2005: पांडिचेरी में शैव पांडुलिपि
- 2003: डच ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेखागार
- 1997: आई.ए.एस. तमिल चिकित्सा पांडुलिपि संग्रह

8.3. सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि {AGRICULTURE IN INDUS VALLEY CIVILIZATION (IVC)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

मेहरगढ़ की कृषि बस्तियों की समयावधि 8000 ईसा पूर्व की जगह 5200 ईसा पूर्व बताई गई है। यह **पाकिस्तान में स्थित दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी ज्ञात नवपाषाणकालीन कृषि बस्ती** है।

अन्य संबंधित तथ्य

- प्रारंभ में शोधकर्ताओं ने जली हुई लकड़ी के अवशेष से तिथि निर्धारित की थी।
- नई शोध टीम ने जली हुई **लकड़ी की बजाय दांतों के इनेमल में मौजूद कार्बन से तिथि निर्धारित की।**
- यह नवीन अध्ययन सिंधु घाटी सभ्यता (IVC) में कृषि की शुरुआत की टाइमलाइन को भी आगे बढ़ाता है।
- **सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि: प्रारंभिक शिकारी-संग्राहक समुदायों की मौसम के अनुसार गतिशीलता पशुपालन के साथ** धीरे-धीरे एक अधिक स्थायी कृषि आधारित जीवन शैली में बदल गई। पुरातात्विक उत्खनन जैसे अनाज भंडारणगृह, मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा मूर्तियों और सजावटी कलाकृतियों से इसके प्रमाण मिले हैं।

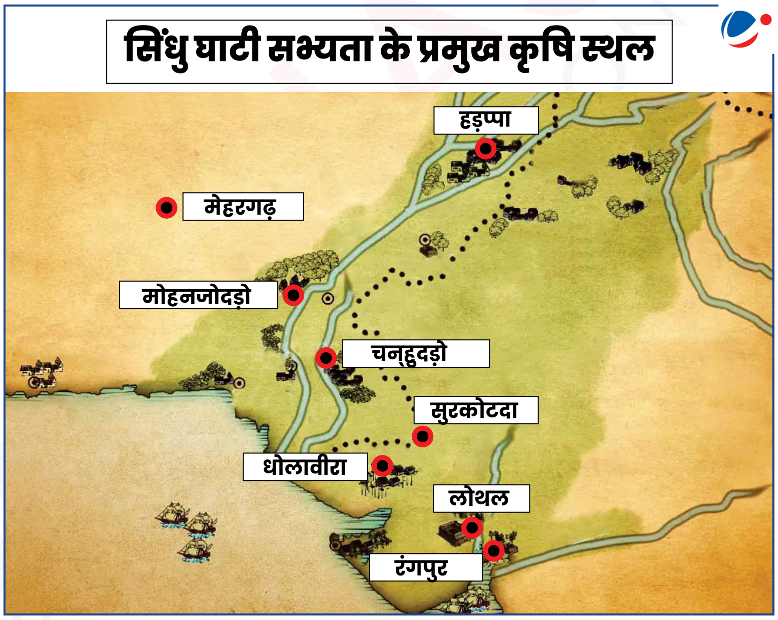

- **उगाई जाने वाली फसलें:**
    - **गेहूँ (हड़प्पा, मोहनजोदड़ो) और जौ (शोर्तुघई): रबी की फसलें।**
    - **सरसों, तिल, कपास, खजूर और फलीदार पौधे: खरीफ की फसलें।**
    - **चावल के साक्ष्य गुजरात तक सीमित (लोथल, रंगपुर)।**
    - **दालें: मूंग, उड़द, कुल्थी** और **मटर** उगाई जाती थीं।
    - **ब्रेसिका (चन्हूदड़ो एवं सुरकोटदा)** से प्राप्त हुए हैं। इनका उपयोग **तेल, औषधि या पक्षियों के चारे** के रूप में किया जाता था।
    - सिंधु घाटी सभ्यता (IVC) विश्व की **पहली कपास उत्पादक** सभ्यता थी। **कपास के लिए बेबीलोनियन और ग्रीक नाम क्रमशः सिंधु एवं सिंदों थे। मोहनजोदड़ो से कपड़े का टुकड़ा मिला है।**
    - **फल: बेर** (जुजूब) के साक्ष्य **मेहरगढ़** से मिले हैं; खजूर, **अखरोट और पीपल के साक्ष्य भी** प्राप्त हुए हैं।
- **कृषि तकनीक और उपकरण:**
    - **हल:** हड़प्पावासियों ने संभवतः **हल** की तकनीक **सुमेरियन सभ्यता** से सीखी थी। **वे लकड़ी के हल** का उपयोग करते थे। **टेराकोटा हल** मॉडल मिला है।
    - **पहिएदार गाड़ियां: हड़प्पा और चन्हूदड़ो से बैलगाड़ियों के कई कांस्य मॉडल** पाए गए हैं। साथ ही, **हड़प्पा में गाड़ियों के पहियों के निशान (Cart-ruts)** भी पाए गए हैं। यह **पशु बल और पहिये की तकनीक** को उजागर करता है।
    - **फसल पैटर्न: कालीबंगन** में उत्खनन से **ग्रिड पैटर्न** वाले एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जहां **मिश्रित फसल (जैसे- सरसों और चना)** उगाई गई थी।
    - **सैडल-क्वेर्न (अवतल चक्की):** इसका उपयोग **भुने हुए जौ जैसे अनाज को पीसने** के लिए किया जाता था।
    - **फसल सुरक्षा:** हड़प्पा स्थलों पर पाए गए **टेराकोटा गोफन/ गुलेल की गेंदों** से।
    - **भूमि और सिंचाई पद्धतियां:** खेत मुख्य रूप से नदी के किनारे स्थित थे, **जहां सिंचाई के लिए मौसमी बाढ़ का लाभ** उठाया जाता था। रबी की फसलें बाढ़ के बाद बोई जाती थीं, जबकि खरीफ की फसलें बाढ़ की शुरुआत में बोई जाती थीं। उन्नत सिंचाई (गबरबंद, नहरें व कुएं) से साल भर खेत की सिंचाई करने में सहायता मिलती थी।

8.4. वायकोम सत्याग्रह (VAIKOM SATYAGRAHA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इस वर्ष **वायकोम सत्याग्रह की आधिकारिक तौर पर वापसी की शताब्दी (100वीं वर्षगांठ)** मनाई जा रही है। वायकोम सत्याग्रह को **30 नवंबर, 1925** को वापस ले लिया गया था।

वायकोम सत्याग्रह के बारे में

- वायकोम सत्याग्रह **केरल के त्रावणकोर में हिंदू जातिगत भेदभाव, विशेष रूप से अस्पृश्यता के खिलाफ एक अहिंसक नागरिक अधिकार आंदोलन** था।
- इस आंदोलन ने **अवर्णों को वायकोम में शिव मंदिर के चारों ओर की सार्वजनिक सड़कों का उपयोग करने से रोकने वाले निषेध** का विरोध किया था।
- **प्रतिदिन तीन स्वयंसेवकों को सड़क पर** भेजकर सत्याग्रह की शुरुआत की गई। खादी पहने तीन युवक **गोविंदा पणिक्कर (नायर), बहुलेयन (एझवा) और कुंजप्पू (पुलया)**, मंदिर की ओर कूच करते हुए आगे बढ़े।
  - इसके बाद, सत्याग्रहियों ने शांतिपूर्ण विरोध के तरीके अपनाए, जैसे-**सड़कों को अवरुद्ध करना, शांत प्रदर्शन करना और सभाएं आयोजित** करना।
  - सत्याग्रह आश्रम में सभी जातियों के स्वयंसेवक रहते थे, जिससे उसे राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन प्राप्त हुआ।
- **गांधी और त्रावणकोर के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर डब्ल्यू. एच. पिट के बीच** विचार-विमर्श के बाद सत्याग्रह को वापस ले लिया गया था।

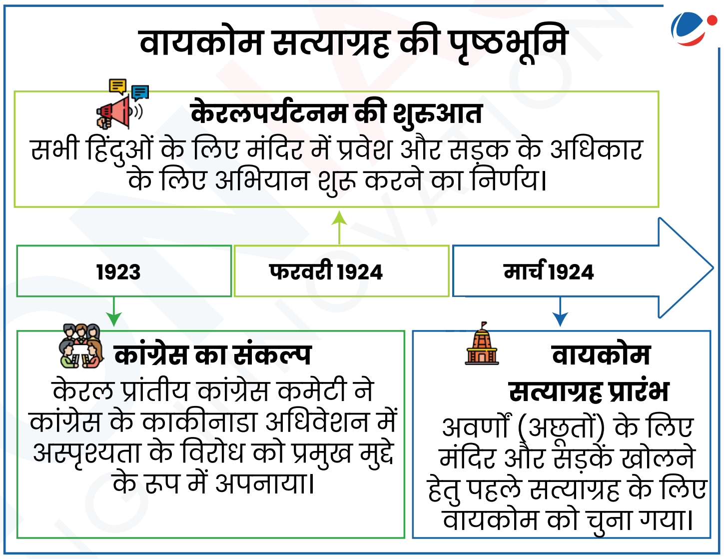

प्रमुख नेतृत्व

- मंदिर में प्रवेश का मुद्दा सबसे पहले **एझवा नेता टी. के. माधवन ने 1917 में अपने अखबार देशाभिमानी** के माध्यम से उठाया था।
  - उनके प्रयासों के कारण **जनवरी, 1924 में अस्पृश्यता विरोधी समिति (AUC)** का गठन हुआ। इसमें **के. पी. केशव मेनन और के. केलप्पन (केरल का गांधी) जैसे अन्य जाति-विरोधी उग्र सुधारवादी** भी शामिल थे।
  - ये तीनों **वायकोम सत्याग्रह आंदोलन के अग्रदूत** माने जाते हैं।
- **जॉर्ज जोसेफ और ई. वी. रामासामी नायकर (पेरियार या वायकोम वीरर)** ने सत्याग्रह का नेतृत्व किया।
- **गांधी ने मार्च, 1925 में वायकोम का दौरा किया और नंबूदरी पुजारी से बहस की।** उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि **अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि स्वराज की लड़ाई।**
- **महिलाओं की भागीदारी: नागम्मई (पेरियार की पत्नी), एस. आर. कन्नम्मा और भाग्यम स्तानुमालय पेरुमल, कय्यालक्कल नारायणी (टी. के. माधवन की पत्नी)।**
- **अन्य समर्थक:** सी. राजगोपालाचारी, श्री नारायण गुरु, चट्टम्पी स्वामीकल आदि।

सत्याग्रहियों के समक्ष चुनौतियां

- **रूढ़िवादी प्रतिरोध:** उच्च जाति के हिंदुओं और मंदिर प्राधिकारियों ने **सत्याग्रहियों पर हिंसक हमले** किए थे।
- **वित्त-पोषण और मनोबल संबंधी चुनौतियां:** लगातार **गिरफ्तारियों और धन की कमी।**
- **आंतरिक मतभेद:** सत्याग्रह के तरीकों को लेकर **गांधी जी और श्री नारायण गुरु के बीच मतभेद** उत्पन्न हो गया था।
- **बाढ़:** आंदोलन के दौरान एक गंभीर बाढ़ में **सत्याग्रहियों को कमर तक पानी में खड़ा** रहना पड़ा था।

वायकोम सत्याग्रह का महत्त्व

- **आंशिक सफलता (नवंबर 1925):** मंदिर की चार में से तीन सड़कों को **सभी के लिए खोल दिया गया, जबकि चौथी सड़क** को केवल **ब्राह्मणों** के लिए आरक्षित रखा गया था।
- इस आंदोलन ने **त्रावणकोर में 1936 के मंदिर प्रवेश अधिनियम** का मार्ग प्रशस्त किया।
- **राष्ट्रीय महत्त्व: डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने इसे अस्पृश्यों के लिए "सबसे महत्वपूर्ण घटना"** कहा था, जिससे व्यापक जागरूकता फैली।
- **सांप्रदायिक सद्भाव:** इस आंदोलन ने **सांप्रदायिक** एकता को बढ़ावा दिया था तथा **लोगों की एकजुटता** का उदाहरण प्रस्तुत किया था।
- **गांधीवादी सिद्धांत:** इस आंदोलन ने **सत्याग्रह की प्रभावशीलता को एक अहिंसात्मक सामाजिक सुधार के उपकरण** के रूप में सिद्ध किया है।

8.5. सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व: सर चेत्तूर शंकरन नायर (1857-1934) {PERSONALITY IN FOCUS: SIR CHETTUR SANKARAN NAIR (1857-1934)}

परिचय: प्रधान मंत्री ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए **वकील, न्यायाधीश और राजनीतिज्ञ रहे सर चेत्तूर शंकरन नायर** को याद किया। साथ ही, उन्होंने **1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए अंग्रेजों और विशेष रूप से पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ'डायर के खिलाफ कानूनी लड़ाई का नेतृत्व** भी किया था।

पृष्ठभूमि और प्रारंभिक जीवन

- **जन्म: 1857 में केरल के पलक्कड़** जिले में।
- **शिक्षा: 1877 में मद्रास के प्रेसीडेंसी कॉलेज में कला की पढ़ाई** की थी और **1879 में मद्रास लॉ कॉलेज से कानून** की।
- **करियर**
  - 1897 में अमरावती अधिवेशन में वे भारतीय **राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष** बने थे।
  - वे **मद्रास विधान परिषद के सदस्य बने थे।**
  - सरकार के **महाधिवक्ता** रहे थे।
  - वे **मद्रास हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश** भी रहे थे।
  - 1915 में वे **वायसराय की कार्यकारी परिषद** के सदस्य बने थे और **शिक्षा विभाग** की जिम्मेदारी संभाली थी।
  - 1920-21 में वे **लंदन में भारत के सचिव के लिए सलाहकार** रहे थे।
  - 1925 से **भारतीय राज्य परिषद** के सदस्य रहे थे।
  - **1928 में साइमन कमीशन के साथ सहयोग हेतु गठित भारतीय केंद्रीय समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे।**
- **सम्मान:**
  - 1904 में ब्रिटिश-सम्राट द्वारा उन्हें **'कमांडर ऑफ़ द इंडियन एम्पायर'** की उपाधि से सम्मानित किया गया था।
  - 1912 में उन्हें **नाइटहुड की उपाधि** प्रदान की गई थी।
- **साहित्यिक योगदान:**
  - **1919 में भारतीय संवैधानिक सुधारों** पर लिखे दो प्रसिद्ध **मिनट्स ऑफ़ डिसेंट्स;**
  - **गांधी एंड अनार्की** (1922);
  - **मद्रास रिव्यू** और **मद्रास लॉ जर्नल** आदि।
- **मृत्यु:** उनकी मृत्यु **1934 में मद्रास** में हुई थी।

प्रमुख योगदान

- **ऐतिहासिक निर्णय: बुद्धसना बनाम फातिमा वाद (1914)** में उन्होंने **हिंदू धर्म में धर्मांतरण** को वैध ठहराया था और यह निर्णय दिया था कि ऐसे धर्मांतरित लोगों को बहिष्कृत नहीं माना जा सकता।
- **जलियांवाला बाग के लिए न्याय:** 1919 के नरसंहार में **माइकल ओ'डायर** की भूमिका के खिलाफ उन्होंने स्पष्ट और साहसिक रुख अपनाया था।
- **सामाजिक सुधार:** नस्लीय हीनता और **राष्ट्रीय अपमान** के रूप में असमानता की निंदा करते हुए उन्होंने पूर्ण समानता का समर्थन किया था।
- **राष्ट्रीय दृष्टिकोण:** उन्होंने पहले चरण में भारत के लिए **डोमिनियन स्टेटस** का समर्थन किया था और माना कि दूसरे चरण में **पूर्ण स्वतंत्रता** प्राप्त की जानी चाहिए।
- **लिबरल और उदारवादी राजनीति:** उन्होंने गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन की आलोचना की थी तथा शांतिपूर्ण संवैधानिक सुधार एवं राज्यों के भाषाई पुनर्गठन का समर्थन किया था।
- **महिला अधिकारों के पक्षधर:** उन्होंने **1920 में साउथबोरो समिति** में भारत की ओर से गए प्रतिनिधिमंडल में भाग लिया था। इस प्रतिनिधिमंडल में **हीराबाई टाटा और मिथन लैम** भी थीं। उन्होंने भारत में **महिलाओं को मतदान का अधिकार** दिलाने की वकालत की थी।

प्रमुख मूल्य

- **साहस:** जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की परिषद से इस्तीफा दिया।
- **नीतिपरायणता:** मानहानि का मुकदमा हारने के बाद माफी मांगने से इनकार कर दिया।
- **देशभक्ति:** वे एक **प्रखर राष्ट्रवादी** थे। उन्होंने **ब्रिटिश लोकतांत्रिक संस्थाओं** की प्रशंसा की थी। लेकिन साथ ही, भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को उजागर भी किया था।
- **प्रतिबद्धता:** जब वायसराय लार्ड इरविन ने भारत के लिए **डोमिनियन स्टेटस** को अंतिम लक्ष्य के रूप में घोषित किया था, तो उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था।
- **दूरदर्शी:** उन्होंने अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक विवाहों का समर्थन किया था।

8.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS)

8.6.1. विक्रमशिला विश्वविद्यालय (VIKRAMSHILA UNIVERSITY)]

राजगीर के बाद बिहार में शिक्षा के एक अन्य प्राचीन केंद्र **विक्रमशिला** को पुनर्जीवित करने का कार्य चल रहा है।

विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में

- **स्थापना:** इसका निर्माण **पाल शासक धर्मपाल (8वीं-9वीं शताब्दी ई.)** ने कराया था। यह नालंदा के साथ-साथ विकसित हुआ था।
  - धर्मपाल ने ही **आधुनिक बांग्लादेश में सोमपुर महाविहार** की स्थापना की थी।
- **वज्रयान/ तंत्रयान बौद्ध धर्म, गुप्त विद्या (Occult studies) और धर्मशास्त्र** का अध्ययन कराया जाता था।
- **तिब्बत** से कई विद्वान यहां अध्ययन के लिए आते थे। कई पांडुलिपियों की **संस्कृत में रचना की गई थी और उनका तिब्बती भाषा में अनुवाद भी** किया गया था।
- **पाल साम्राज्य** के बौद्ध विद्वान **आतिश दीपांकर (980-1054 ई.)** विक्रमशिला विश्वविद्यालय के **अध्यक्ष** थे।
- 12वीं शताब्दी के अंत में **कुतुबुद्दीन ऐबक के सैन्य कमांडर बख्तियार खिलजी** ने इसे नष्ट कर दिया था।

8.6.2. गीत गवई (GEET GAWAI)

मॉरीशस की राजकीय यात्रा के दौरान भारतीय प्रधान मंत्री का स्वागत **पारंपरिक बिहारी सांस्कृतिक प्रस्तुति गीत गावई** के साथ किया गया।

गीत गवई के बारे में

- यह **विवाह-पूर्व समारोह है।** इसमें अनुष्ठान, प्रार्थना, गीत, संगीत और नृत्य शामिल होते हैं।
- इसे **यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची (2016) में भी शामिल** किया गया है।
- इसका प्रदर्शन मॉरीशस में भारतीय मूल के **भोजपुरी भाषी समुदायों** द्वारा किया जाता है।
  - **प्रतिभागी:** परिवार की महिला सदस्य और पड़ोसी।
- **मुख्य वाद्य यंत्र:** ढोलक।
- इसका प्रदर्शन **सार्वजनिक रूप** से भी किया जा सकता है और वर्तमान में **पुरुष भी इसमें भाग** लेते हैं।

8.6.3. भारत के पारंपरिक नववर्ष (INDIA'S TRADITIONAL NEW YEAR FESTIVALS)

भारत के अलग-अलग भागों में **विविध पारंपरिक नववर्ष उत्सव मनाए** जा रहे हैं।

- **चैत्र:** यह हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, जो **चंद्र पंचांग (कैलेंडर) पर आधारित** है।
- **सुक्लादी:** उत्तर भारत में प्रचलित विक्रम संवत भी चैत्र से ही शुरू होता है।
- **उगादी: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक** में इसे तेलुगु नववर्ष के रूप में मनाया जाता है।
  - **"उगादी" शब्द "युग" (काल) और "आदि" (शुरुआत) से मिलकर बना है।**
- **गुड़ी पड़वा:** मुख्य रूप से **महाराष्ट्र, गोवा** आदि में मनाया जाता है।
- **चेटी चंड:** यह **सिंधी समुदाय के लिए नए साल की शुरुआत का प्रतीक** है। इसे **"झूलेलाल जयंती"** भी कहा जाता है, जो **सिंधी का धार्मिक पर्व** है।
- **साजिबू चेइराओबा:** साजिबू नोंग्मा पानबा **चेइराओबा मेइतेइ** नव वर्ष का प्रतीक है। यह **मणिपुर** में मनाया जाता है।
  - **यह साजिबू माह (मार्च / अप्रैल) के प्रथम चंद्र दिवस पर आता है।**

8.6.4. बनारसी शहनाई और बनारसी तबला (BANARSI SHEHNAI AND TABLA)

बनारसी शहनाई और बनारसी तबले को **भौगोलिक संकेतक (GI) टैग** प्रदान किया गया।

बनारसी शहनाई

- यह एक भारतीय **सुषिर वाद्य यंत्र** है।
- शहनाई का संबंध **देश के मंदिर संगीत** से है।
- अधिकांश **भारतीय विवाहों** में शहनाई वादन शुभ माना जाता है।
- इसे वैश्विक पहचान महान शहनाई वादक **उस्ताद बिस्मिल्लाह खान** के माध्यम से मिली।

बनारसी तबले के बारे में

- बनारस तबला घराने का विकास **200 साल पहले सुविख्यात पंडित राम सहाय** ने किया था।
- बनारस घराना **भारतीय शास्त्रीय संगीत में छह प्रमुख तबला घरानों** में से एक है।
- **संबंधित व्यक्तित्व: पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज।**

8.6.5. कन्नडिप्पया जनजातीय शिल्प (KANNADIPPAYA TRIBAL CRAFT)

कन्नडिप्पया भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्राप्त करने वाला केरल का पहला जनजातीय हस्तशिल्प बन गया है।

- इसे **"मिरर मैट" (दर्पण चटाई)** भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी बनावट में **विशिष्ट परावर्तक पैटर्न** होता है।
- यह चटाई **रीड बांस की कोमल भीतरी परतों** से बनाई जाती है।
- **विशेषता:** इसकी विशेषता यह है कि यह **सर्दियों में गर्माहट और गर्मियों में ठंडक** प्रदान करती है।

8.6.6. फसल कटाई उत्सव (HARVEST FESTIVALS)

- ये त्यौहार **वसंत ऋतु के आगमन और अच्छी फसल के लिए धन्यवाद** के रूप में मनाए जाते हैं। ये **नए साल का पहला दिन** भी होते हैं, जो नई शुरुआत का प्रतीक है।

भारत में पारंपरिक फसल उत्सव

- **बैसाखी (पंजाब):** यह **रबी** फसल की कटाई की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन **भांगड़ा और गिद्दा** नृत्य किए जाते हैं।
- **विशु (केरल और तमिलनाडु):** यह त्यौहार **वसंत विषुव** (जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है) का प्रतीक है।
- **पोइला बोइशाख (पश्चिम बंगाल):** इस दिन **व्यापारी नए वित्त वर्ष की शुरुआत** नई खाता बही खोलकर करते हैं, जिसे **हाल खाता** के नाम से भी जाना जाता है।
- **अन्य प्रमुख उत्सव:**
  - बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू (असम),
  - पुथंडु (तमिलनाडु),
  - मकर संक्रांति (महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना),
  - लोहड़ी (पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर),
  - पोंगल (तमिलनाडु) आदि।

8.6.7. करणी माता मंदिर (KARNI MATA TEMPLE)

प्रधान मंत्री ने राजस्थान स्थित करणी माता मंदिर की यात्रा की।

करणी माता मंदिर के बारे में

- यह **राजस्थान के बीकानेर जिले** में स्थित है।
- यह **करणी माता** को समर्पित है, जिन्हें **मां दुर्गा का अवतार** माना जाता है।
- इस मंदिर का निर्माण **राव जैतसी** ने बीकानेर के राजा की **मुगल शासक कामरान पर विजय** की याद में करवाया था।
- यह मंदिर **शाक्त संप्रदाय से संबंधित है।**
- यह दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां **हज़ारों चूहे** खुलेआम घूमते हैं; इसके बावजूद **यहां कभी प्लेग नहीं फैला।**

8.6.8. पद्म पुरस्कार (PADMA AWARDS)

भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं।

- ये **भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों** में शामिल हैं।
- **प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या** पर व्यक्तियों के नाम घोषित किए जाते हैं।
- **पद्म पुरस्कारों की निम्नलिखित तीन श्रेणियां हैं:**
  - **पद्म विभूषण**- असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए;
  - **पद्म भूषण**- उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए; तथा
  - **पद्म श्री**- विशिष्ट सेवा के लिए।
- ये पुरस्कार उन सभी क्षेत्रों में उपलब्धियों को सम्मानित करते हैं, जहां **सार्वजनिक सेवा का कोई तत्व** शामिल हो।
- **पद्म पुरस्कारों का इतिहास:** 1954 में प्रारंभ किए गए थे।
  - **1978-79 और 1993-97 के दौरान पद्म पुरस्कार प्रदान नहीं** किए गए थे।
- **पद्म पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया:**
  - नामों की सिफारिशें **पद्म पुरस्कार समिति** द्वारा की जाती है। इस समिति का **गठन प्रत्येक वर्ष प्रधान मंत्री** द्वारा किया जाता है।
  - **आम लोग भी किसी व्यक्ति के नाम का सुझाव** दे सकते हैं। हालांकि, कोई व्यक्ति **अपने स्वयं के नाम की सिफारिश नहीं** कर सकता।
- **यह कोई 'उपाधि' (टाइटल) नहीं है:** पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस पुरस्कार का नाम अपने नाम के आगे या पीछे नहीं जोड़ सकता।

8.6.9. वीरता पुरस्कार (GALLANTRY AWARDS)

राष्ट्रपति ने सशस्त्र बल, CAPF और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र पुलिस बल के कार्मिकों को **कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र** प्रदान किए।

वीरता पुरस्कारों के बारे में

- **युद्धकालीन पुरस्कार:** इसमें **परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र** शामिल हैं, जिनकी शुरुआत **1950** से हुई थी।
- **शांतिकालीन पुरस्कार:** इसमें **अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र** शामिल हैं।
- **ये पुरस्कार वर्ष में दो बार घोषित किए जाते हैं।**
- पुरस्कार **मरणोपरांत भी दिए** जा सकते हैं।

8.6.10. ज्ञानपीठ पुरस्कार (JNANPITH AWARD)

विनोद कुमार शुक्ल को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया। यह पुरस्कार **भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान** माना जाता है।

ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में

- **ज्ञानपीठ पुरस्कार** भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए **1965 से हर साल भारतीय ज्ञानपीठ** द्वारा दिया जाता है।
- **भारतीय ज्ञानपीठ** की स्थापना **1944** में हुई थी। यह भारत की प्रमुख **साहित्यिक संस्थाओं** में से एक है।
- यह पुरस्कार **भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक साहित्यिक कृति के लेखक को हर साल** दिया जाता है।
- 2013 से **अंग्रेजी भाषा** में लिखित साहित्यिक कृतियों को भी इसमें शामिल किया गया है।
- यह पुरस्कार **केवल भारतीय नागरिकों** को ही दिया जाता है।

8.6.11. मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार (MAJOR DHYAN CHAND KHEL RATNA AWARD)

सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और **चिराग शेट्टी** को 2023 में रैंकिंग में नंबर 1 रैंक और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के लिए **मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार** प्रदान किया गया।

पुरस्कार के बारे में

- **नोडल मंत्रालय:** युवा मामले और खेल मंत्रालय
- यह भारत का **सर्वोच्च खेल सम्मान** माना है।
- **उत्पत्ति:** यह पुरस्कार **1991-92** में स्थापित हुआ था; **2021** में इसका नाम बदल दिया गया।
- पिछले 4 वर्षों में किए गए **सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन** को मान्यता देने के लिए दिया जाता है।
- **पुरस्कार में शामिल: 25 लाख रुपये नकद पुरस्कार, पदक** और **सम्मान प्रमाण पत्र।**

8.6.12. पुलित्जर पुरस्कार (PULITZER PRIZE)

2024 में पत्रकारिता के लिए **न्यूयॉर्क टाइम्स ने चार** पुलित्जर पुरस्कार और **द न्यू यॉर्कर ने तीन** पुरस्कार जीते।

पुलित्जर पुरस्कार के बारे में

- यह पुरस्कारों का एक प्रतिष्ठित समूह है, जिसे 1917 से हर साल **कोलंबिया यूनिवर्सिटी** द्वारा दिया जाता है।
- इसकी शुरुआत **जोसेफ पुलित्जर** द्वारा की गई थी।
- यह **पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के** क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है।

8.6.13. मीटर कन्वेंशन (METRE CONVENTION)

उपभोक्ता कार्य विभाग ने **मीटर कन्वेंशन की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2025 का आयोजन** किया।

मीटर कन्वेंशन के बारे में

- **उद्भव: 1875** में हस्ताक्षरित; **1921** में संशोधित किया गया।
- **उद्देश्य:** मीट्रिक प्रणाली का अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण सुनिश्चित करना।
- **स्थापना:** पूरे विश्व की मानक मापन प्रणाली के विकास के लिए BIPM को बढ़ावा देता है।
- **सदस्य देश:** 64 सदस्य देश और 37 एसोसिएट राष्ट्र **अंतर्राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी सहयोग** से जुड़े हैं। (**भारत सहित**)

8.7. अपने ज्ञान का परीक्षण कीजिए (TEST YOUR LEARNING)

1. भारत में महापाषाण स्थलों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. मुदुमल महापाषाण स्थल खगोलीय वेधशालाओं और उरसा मेजर जैसे नक्षत्रों के चित्रण के लिए जाना जाता है।
2. लोहे की वस्तुओं के साथ सबसे पुराने महापाषाण समाधि स्थल तेलंगाना में पाए गए थे।
3. काले और लाल (BRW) रंग के मृदभांड आमतौर पर भारत में महापाषाण संस्कृतियों से जुड़े होते हैं।
4. मेन्हिर जैसी महापाषाण संरचनाओं का उपयोग विशेष रूप से समाधि स्थलों के उद्देश्यों के लिए किया जाता था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a. केवल 1 और 3
b. केवल 2 और 4
c. केवल 1, 2 और 3
d. केवल 1, 3 और 4

2. ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे पहली बार 1965 में दिया गया था, हालांकि भारतीय ज्ञानपीठ संगठन की स्थापना 1944 में हुई थी।
2. यह पुरस्कार केवल भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं में साहित्य में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है।
3. 2013 से अंग्रेजी भाषा में लिखित साहित्यिक कृतियों को भी इसमें शामिल किया गया है।
4. केवल भारतीय नागरिक ही इस पुरस्कार को प्राप्त करने के पात्र हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a. केवल 1, 2 और 4
b. केवल 1, 3 और 4
c. केवल 2 और 3
d. 1, 2, 3 और 4

3. सुश्रुत के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. उन्हें प्लास्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है।
2. मौर्य वंश के दौरान वे राजवैद्य थे।
3. उनका ग्रंथ सुश्रुत संहिता आयुर्वेदिक महान त्रयी का हिस्सा है।
4. उन्होंने जीवित शल्यक्रियाओं का अवलोकन करके मानव शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन किया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a. केवल 1 और 2
b. केवल 1 और 3
c. केवल 1, 3 और 4
d. केवल 2, 3 और 4

4. आयुर्वेदिक दर्शन में "त्रिदोष" शब्द सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है

a. सुश्रुत संहिता
b. अष्टांग हृदय
c. चरक संहिता
d. भाव प्रकाश

5. निम्नलिखित में से कौन-सी फसल सिंधु घाटी सभ्यता की स्थलों जैसे लोथल और रंगपुर से विशेष रूप से संबंधित है?

a. जौ
b. गेहूं
c. चावल
d. सरसों

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

Q1. ."प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक चिंतन ने वैश्विक ज्ञान प्रणालियों में गहरा योगदान दिया है।" सुश्रुत और चरक के संदर्भ में मूल्यांकन कीजिए। (150 शब्दों में)

Q2. अशोक के शिलालेख भारतीय इतिहास के सबसे शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण अभिलेखीय स्रोतों में से एक हैं। मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक विचारधारा, प्रशासनिक दृष्टि और सांस्कृतिक लोकाचार को समझने के लिए प्राथमिक स्रोतों के रूप में उनके महत्व का आकलन करने हेतु उनके भौगोलिक वितरण, भाषाई विविधता और सामग्री का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (250 शब्दों में)

9. नीतिशास्त्र (ETHICS)

विषय सूची

9.1. अनुनय (PERSUASION) 178

9.2. प्रसन्नता/ सुख (HAPPINESS) 179

9.3. परोपकार: सामाजिक भलाई के लिए एक नैतिक अनिवार्यता (PHILANTHROPY: A MORAL IMPERATIVE FOR SOCIAL GOOD) 180

9.4. मृत्युदंड और नैतिक आयाम (ETHICS OF CAPITAL PUNISHMENT) 181

9.5. गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार (RIGHT TO DIE WITH DIGNITY) 182

9.6. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और उपभोक्ता व्यवहार (SOCIAL MEDIA INFLUENCER AND CONSUMER BEHAVIOR) . . 183

9.7. व्यावसायिक छंटनी की नैतिकता (ETHICS OF BUSINESS DOWNSIZING) 184

9.8. बॉडी शेमिंग के नैतिक आयाम (ETHICAL DIMENSIONS OF BODY SHAMING) 185

9.9. अपने ज्ञान का परीक्षण कीजिए (TEST YOUR LEARNING) 186

9.1. अनुनय (PERSUASION)

परिचय

सोशल मीडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और स्मार्टफोन्स की पहुंच में भी बढ़ोतरी से समाज का एक बड़ा हिस्सा भ्रामक सूचनाओं की चपेट में आ गया है। ऐसे समय में अनुनय एक सामाजिक साधन के रूप में लोगों के विश्वास, दृष्टिकोण और व्यवहार को प्रभावित करके भ्रामक सूचनाओं का मुकाबला करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है।

अनुनय के तरीके (Modes of Persuasion)

एथोस (विश्वास और विश्वसनीयता संबंधी आग्रह)	पैथोस (भावना संबंधी आग्रह)	लोगोस (तर्क संबंधी आग्रह)
उदाहरण: शोधकर्ता अपनी योग्यता और पिछले कामों का हवाला देते हैं, ताकि वे नए निष्कर्ष प्रस्तुत करने से पहले अपनी विश्वसनीयता साबित कर सकें।	**उदाहरण:** राष्ट्रीय प्रतीकों या ऐतिहासिक घटनाओं का उपयोग करके गर्व और एकता की भावना जागृत करना।	**उदाहरण:** एंटी-टोबैको अभियान में धूम्रपान को रोकने के लिए फेफड़े के कैंसर के आंकड़े दिखाना।

अनुनय के बारे में

- यह ऐसा प्रयास है जिसमें दूसरों के **विश्वासों या कार्यों को तर्क, भावना या विश्वास के जरिए बदलने** का प्रयास किया जाता है। इसमें जबरन या सूचनाओं का हेरफेर करके अपनी बात मनवाना शामिल नहीं है।
- **विशेषताएं:** यह ज्यादातर जानबूझकर स्पष्ट, मौखिक और समानता तथा साझे हितों पर आधारित होता है।
- **अनुनय को प्रभावित करने वाले कारक**
    - **स्रोत:** स्रोत की विश्वसनीयता और अधिकार इसके स्रोत हैं। **उदाहरण के लिए**, डॉ. रणदीप गुलेरिया द्वारा कोविड-19 से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचाना।
    - **संदेश सामग्री:** दर्शकों के लिए संदेश की प्रासंगिकता, संदेश की स्पष्टता और अस्पष्टता, आदि। **उदाहरण के लिए**, स्वच्छ भारत अभियान का स्वास्थ्य और गरिमा पर संदेश।
    - **दर्शकों की विशेषताएं:** दर्शकों का मौजूदा विश्वास और जानकारी, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आदि। **उदाहरण के लिए**, ग्रामीण बनाम शहरी समूहों के अनुरूप वित्तीय साक्षरता।
    - **पारस्परिकता:** अनुरोध करने से पहले कुछ मूल्यवान चीज देना। **उदाहरण के लिए**, LPG सब्सिडी के लिए 'गिव इट अप' अभियान के बाद पी.एम. उज्ज्वला योजना लॉन्च करना।
    - **सामाजिक प्रमाण:** यह प्रदर्शित करना कि दूसरे लोगों ने पहले से ही इस विश्वास या व्यवहार को अपना लिया है। **उदाहरण के लिए**, 'आदर्श ग्राम योजना' के मॉडल गांव।
    - **समय और संदर्भ:** वह परिवेश जिसमें संदेश दिया जाता है, जैसे- वर्तमान मुद्दे, आदि। **उदाहरण के लिए**, महामारी-जनित आर्थिक चिंताओं के दौरान **'वोकल फॉर लोकल' अभियान**।

भ्रामक सूचना के विरुद्ध अनुनय कैसे काम कर सकता है?

- **विश्वास बनाना और विरोध को कम करना:** अनुनयकारी संचार में सहानुभूति और भरोसेमंद संदेशवाहकों (जैसे- समुदाय के नेतृत्वकर्ता या परिचित लोग) का उपयोग करके अनुनय के लिए एक सामान्य आधार तैयार किया जाता है।
- **व्याप्त धारणाओं के विरुद्ध नई धारणाओं का सहारा लेना:** केवल आंकड़ों पर निर्भर रहने के बजाय, अनुनयकारी संचार में कहानियों, दृश्यों और भावनात्मक अपील का प्रयोग किया जाता है।

गलत जानकारी के खतरे

हिंसा और अशांति	राजनीतिक हेरफेर	पर्यावरणीय मुद्दों पर निष्क्रियता	आर्थिक कुप्रबंधन	सामाजिक सद्भाव पर असर
झूठी जानकारी के कारण हिंसा और अशांति फैलने की संभावना।	राजनीतिक परिणामों को प्रभावित करने के लिए गलत जानकारी का उपयोग।	पर्यावरणीय मुद्दों पर गलत जानकारी के कारण उपयुक्त कार्रवाई न करना।	गलत आंकड़ों के आधार पर खराब आर्थिक फैसले लेना।	झूठ और गलत जानकारी के कारण विश्वास की कमी एवं समुदाय की एकता के समक्ष बाधा।

- **टकराव के बिना आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना: सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग** और वैकल्पिक स्पष्टीकरण का उपयोग करते हुए बहस के बजाय संवाद के माध्यम से चिंतन को प्रोत्साहित करना।
    - **उदाहरण के लिए**, चरमपंथी विश्वासों पर खुले प्रश्नों के माध्यम से कट्टरता को दूर करना।
- **समय के साथ निरंतर जुड़ाव:** यदि कोई व्यक्ति किसी **भ्रामक सूचना या विश्वास** को मानता है, तो वह **सिर्फ एक बार समझाने से नहीं समझेगा।** इसके लिए अनुनयकारी को बार-बार सम्मानजनक तरीके से उससे बात करनी होगी।

9.2. प्रसन्नता/ सुख (HAPPINESS)

परिचय

"प्रसन्नता एक चयन है जो कभी-कभी प्रयास की मांग करता है" - ऐस्चिलस। यह उद्धरण हाल ही में जारी **वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025** में भारत की स्थिति को देखते हुए और महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें **147 देशों की सूची में भारत 118वें स्थान** पर है। भारत की स्थिति इसके पड़ोसी देशों, जैसे- नेपाल और पाकिस्तान से भी खराब है।

प्रसन्नता क्या है?

- **प्रसन्नता** को आम तौर पर **"अपने संपूर्ण रूप से जीवन के व्यक्तिपरक आनंद"** के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह दर्शाता है कि कोई व्यक्ति **अपने जीवन को कितना अनुकूल और आनंदमय** मानता है।

प्रसन्नता की खोज: एक दार्शनिक यात्रा, पूर्व और पश्चिमी दृष्टिकोणों के आधार पर

भारतीय परिप्रेक्ष्य	पश्चिमी परिप्रेक्ष्य
चार्वाक नीतिशास्त्र: काम जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है और **अर्थ** उस लक्ष्य को पाने का साधन है।	**एपिक्यूरियनवाद (मध्यम सुखवाद):** शारीरिक दर्द और मानसिक चिंता से मुक्ति असली प्रसन्नता है।
भगवद् गीता (निष्काम कर्म): तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं।	**कांट (कर्तव्यशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य):** नैतिक कर्तव्य ही व्यक्ति को वास्तविक प्रसन्नता की ओर ले जाता है।
बौद्ध धर्म (मध्यम मार्ग): सुख कहीं पहुँचने में नहीं, बल्कि जीवन को अनुभव करने में है।	**जॉन लॉक:** प्रसन्नता की खोज नैतिकता और सभ्यता की नींव है।
भक्ति परंपरा: भक्ति, प्रसाद और दिव्य प्रेम के माध्यम से सुख।	**उपयोगितावाद:** अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख।
गुरु नानक (संतोख): संतोष शाश्वत सुख है।	**स्टोइकवाद:** केवल नियंत्रण योग्य को नियंत्रित करना।
पारलौकिक परिप्रेक्ष्य: जब व्यक्ति सांसारिक सीमाओं से ऊपर उठकर ईश्वर या ब्रह्म से जुड़ जाता है तब उसे **"आनंद"** यानी परम सुख की प्राप्ति होती है।	**ईसाई धर्मशास्त्र (संट ऑगस्टीन):** वास्तविक प्रसन्नता विश्वास और दिव्य अनुग्रह के माध्यम से ईश्वर के साथ अंतिम मिलन में निहित है।

वर्तमान जीवन-शैली में प्रसन्नता के समक्ष मौजूद बाधाएं

- बाह्य कारक
  - **नकारात्मक सामाजिक तुलनाएं:** अवास्तविक मानक (जैसे- शरीर, सुंदरता, आदि) व्यक्तियों के आत्म-मूल्य और प्रसन्नता में कमी लाने का काम कर रहे हैं।
  - **सामाजिक समर्थन प्रणालियों की कमी:** दुनिया भर में 19% युवाओं ने बताया कि उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पर वे सामाजिक सहयोग के लिए विश्वास कर सकें। (2023 में हुए एक सर्वे के अनुसार)
  - **वित्तीय दबाव:** उदाहरण के लिए, गरीबी एक ऐसा बोझ है जो व्यक्तियों की सोचने-समझने की शक्ति को कम कर देती है।
  - **हानिकारक पदार्थों के संपर्क में आना:** उदाहरण के लिए, मादक पदार्थों का सेवन मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ देती है।
- आंतरिक कारक
  - **आत्म-संदेह एवं आत्म-सम्मान में कमी:** इससे चिंता, अवसाद और दूसरों के प्रति कृतज्ञता की भावना कम हो जाती है।
  - **वर्तमान क्षण में न जीना:** लगातार नकारात्मक सोचना, हर बात को ज़्यादा सोचते रहना और अनसुलझे मानसिक आघात इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देते हैं।
  - **अत्यधिक स्क्रीन टाइम:** आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, स्क्रीन टाइम में वृद्धि और खुले में खेलने के समय में कमी युवाओं को एक 'चिंतित पीढ़ी' के रूप में तब्दील कर रही है।

सिविल सेवक नागरिकों के बीच प्रसन्नता के स्तर को कैसे बढ़ा सकते हैं

- **जन-केंद्रित गवर्नेंस** प्रणाली अपनाकर प्रसन्नता को बढ़ाया जा सकता है, जैसे ग्राम पंचायत विकास योजनाएं।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** ई-गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, सामाजिक लेखा-परीक्षण आदि के माध्यम से भ्रष्टाचार को कम करना।
- **मानसिक और भावनात्मक कल्याण:** टेली-मानस (टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन), लचीले काम के घंटे आदि के प्रावधानों द्वारा वर्क-लाईफ संतुलन, आदि।
- **सामाजिक सद्भाव:** सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिए अंतर-धार्मिक संवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **प्रसन्नता को नीति का एक घटक बनाना:** शासन में प्रसन्नता को शामिल करना, उदाहरण के लिए, भूटान की सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता नीति या "हैप्पीनेस मिनिस्ट्री" का विचार।

निष्कर्ष

- यद्यपि प्रसन्नता प्राप्त करना जटिल हो सकता है, लेकिन यह व्यक्तिगत अभ्यास, नीति निर्माताओं की सोच और समाज की संरचना में बदलाव लाकर संभव है। इसमें **सुख-समृद्धि** और **अर्थपूर्ण जीवन** दोनों का संतुलन होना चाहिए।

9.3. परोपकार: सामाजिक भलाई के लिए एक नैतिक अनिवार्यता (PHILANTHROPY: A MORAL IMPERATIVE FOR SOCIAL GOOD)

परिचय

"दूसरों की सेवा करना इस पृथ्वी पर हमारे रहने का किराया है" - मुहम्मद अली। यह उद्धरण भारत के बढ़ते **परोपकारी परिदृश्य में परिलक्षित होता है,** जिसका मुख्य कारण है- कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के तहत व्यय, अल्ट्रा-हाई-नेट-वर्थ वाले व्यक्तियों (UHNIs) का योगदान, और मध्य वर्ग में परोपकारिता की बढ़ती की संस्कृति। **परोपकारिता प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक कई संस्कृतियों का हिस्सा रही है।**

आधुनिक संदर्भ में परोपकारिता

- इसका शाब्दिक अर्थ है **"मानवता के लिए प्रेम"।** इसमें सामाजिक कल्याण, शिक्षा, विज्ञान आदि के लिए संस्थाओं को स्वैच्छिक दान शामिल है।
- दान की अल्पकालिक राहत के विपरीत, परोपकार का लक्ष्य **व्यापक स्तर पर और दीर्घकालिक रूप से सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाना** होता है।

परोपकारिता का दार्शनिक आधार

- **भारतीय परिप्रेक्ष्य**
  - **चाणक्य का अर्थशास्त्र:** राज्य को अपने राजस्व का 1/6 भाग दान करना चाहिए।
  - **विवेकानंद का 'दरिद्र नारायण' का विचार:** गरीबों की सेवा करना ईश्वर की पूजा करने के समान है।
  - **गांधीजी का न्यासिता का सिद्धांत:** धनवान व्यक्तियों को केवल सामाजिक धन के न्यासी के रूप में कार्य करना चाहिए।
  - **धार्मिक परंपराएँ: हिंदू धर्म:** दान और दक्षिणा की अवधारणाएं, **इस्लाम:** ज़कात (निर्धारित दान) और सदकात (स्वैच्छिक दान), **बौद्ध धर्म:** भिक्षा (भोजन या अन्य दान), **सिख धर्म:** लंगर (सामुदायिक रसोई)।
- **पश्चिमी परिप्रेक्ष्य**
  - **परिणामवादी दृष्टिकोण (सद्गुण नीतिशास्त्र):** उदारता और करुणा महत्वपूर्ण सदगुण हैं।
  - **कांट का नीतिशास्त्र (नैतिक दायित्व):** परोपकारी होना हमारा कर्तव्य है।
  - **रॉल्स का सिद्धांत (निष्पक्षता के रूप में न्याय):** सबसे वंचित वर्गों को प्राथमिकता देना।
  - **उपयोगितावाद:** अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना।
  - **उदारवाद:** राज्य कल्याण की अपेक्षा परोपकार को प्राथमिकता दी जाती है

विकास के साधन के रूप में परोपकार का महत्त्व

- **वित्त-पोषण की कमी को समाप्त करना:** यह सरकारों द्वारा दी गई **बजटीय सहायता के पूरक** के रूप में कार्य करता है।
- **विकास संबंधी खामियों को दूर करना:** यह गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करता है। उदाहरण के लिए, **अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का** ग्रामीण शिक्षा कार्य।
- **नवाचार को बढ़ावा देना:** विकास में तकनीक आधारित समाधान को बढ़ावा देना। उदाहरण के लिए, गेट्स फाउंडेशन ने स्वच्छ भारत मिशन के अनुरूप स्वच्छता संबंधी नवाचारों को बढ़ावा दिया है।

परोपकारिता से जुड़ी नैतिक चुनौतियां

- **सामाजिक एजेंडे पर अभिजात वर्ग का कब्जा:** बड़े दानदाता नीतिगत निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। परोपकारिता का उपयोग प्रायः कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा सकता है।
- **कॉर्पोरेट दुविधा:** व्यवसायों का लाभ कमाने और परोपकारी खर्चों को शेयरधारकों की संपत्ति के दुरुपयोग के रूप में देखा जा सकता है।
- **कल्याणकारी जवाबदेही में कमी:** परोपकार के चलते कल्याणकारी जिम्मेदारियाँ सरकार से निजी क्षेत्र की ओर स्थानांतरित होने का खतरा बना रहता है।
- **क्षेत्रीय और भौगोलिक असमानता: दान शहरों तक केंद्रित हो गए हैं।** महाराष्ट्र और कर्नाटक को अधिकतम CSR फंड मिलता है, जबकि बिहार और ओडिशा इस मामले में काफी पीछे हैं।
- **सांस्कृतिक और धार्मिक पूर्वाग्रह:** दान **व्यक्तिगत मान्यताओं से जुड़ा हो सकता है,** तथा व्यापक आवश्यकताओं की अनदेखी की जा सकती है।
- **जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी:** कुछ ही संगठन आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं। इससे संप्रभुता संबंधी चिंताओं बनाम विकास की आवश्यकताओं पर बहस छिड़ गई है।

निष्कर्ष

- परोपकार की आधारशिला समानता और न्याय जैसे नैतिक मूल्यों पर टिकी होनी चाहिए। इसे ऐसे क्षेत्रों तक पहुंचना चाहिए जहां न तो राज्य की योजनाएं प्रभावी रूप से पहुंच पाती हैं और न ही बाजार की ताकतें।
- भविष्य में परोपकारिता का स्वरूप विश्वास आधारित देना, व्यापक जन-भागीदारी और प्रणालीगत सुधार को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए, न कि केवल अस्थायी राहत देने तक सीमित होना चाहिए।

9.4. मृत्युदंड और नैतिक आयाम (ETHICS OF CAPITAL PUNISHMENT)

परिचय

ऐतिहासिक रूप से, समाज में जघन्य अपराधों को रोकने के लिए मृत्युदंड या प्राणदंड का उपयोग किया जाता था। 20वीं सदी के मध्य से, लगभग 170 देशों में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया है या इस पर रोक लगा दी गई है। **एमनेस्टी इंटरनेशनल की 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार** चीन, ईरान, सऊदी अरब और सिंगापुर जैसे देशों में फांसी की सजा के मामलों में **32% की वृद्धि दर्ज** की गई है। ऐसे में, मृत्युदंड आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली और नैतिकता के संदर्भ में एक अत्यंत विवादास्पद विषय बन गया है।

मृत्युदंड और इसके पीछे का दर्शन?

- **परिभाषा: दोषसिद्धि के बाद अपराधी को कानूनी रूप से फांसी दी जाती है।**
- **दर्शन:** यह **प्रतिशोधात्मक न्याय** के सिद्धांत पर आधारित है। सजा की प्रकृति अपराध की गंभीरता पर आधारित होती है।

भारत में मृत्युदंड की सजा का क्रम विकास

- **प्राचीन भारत:**
  - हिंदू विधि के तहत विभिन्न रूपों में मनुस्मृति और अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों में मृत्युदंड का उल्लेख है।
- **मध्यकालीन भारत:**
  - **मुगल काल:** शरीयत के तहत विद्रोह, हत्या और चोरी जैसे गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड प्रचलित था।
  - **हिंदू साम्राज्य:** हिंदू साम्राज्यों में स्थानीय रिवाजों के अनुसार दंडों में भिन्नता पाई जाती थी।
- **आधुनिक भारत:**
  - **औपनिवेशिक काल:** IPC (1860) ने हत्या, राजद्रोह, हत्या के साथ डकैती के लिए मृत्युदंड को औपचारिक रूप दिया।
  - **स्वतंत्रता के बाद:** IPC के तहत मृत्युदंड की सजा जारी रही, मुख्य रूप से जघन्य अपराधों के लिए। हालांकि, अनुच्छेद 21 के तहत संविधान इसके लिए विधि की सम्यक् प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।

मृत्युदंड के पक्ष में तर्क

- **निवारक उपाय: उपयोगितावाद नैतिकता (परिणामवादी नैतिकता)** पर आधारित - भविष्य के गंभीर अपराधों को रोकता है और समाज की रक्षा करता है।
- **प्रतिशोधात्मक न्याय:** अपराधियों को **उनके अपराध के अनुपात में** ("आँख के बदले आँख") सजा मिलनी चाहिए।
- **आपराधिक पुनरावृत्ति की रोकथाम:** फांसी दिए जाने के बाद अपराधी आगे कोई अपराध नहीं कर सकते।
- **मानसिक शांति और संतुष्टि:** पीड़ितों के परिवारों को **भावनात्मक राहत** और **न्याय** प्रदान करता है।
- **सार्वजनिक वित्त पर बोझ: उच्च जोखिम वाले, हिंसक अपराधियों** को सुरक्षा के साथ जेलों में रखना सरकार के लिए महंगा साबित होता है।

प्रमुख हितधारक और उनकी चिंताएं	
हितधारक	**हित और चिंताएं**
दोषी व्यक्ति	जीवन जीने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई और उचित प्रक्रिया का अधिकार, भेदभाव आदि।
पीड़ितों के परिवार	**न्याय और संतोष, बदला लेने की भावना (सजा)** और सुलह-संवाद आधारित न्याय, लंबी कानूनी प्रक्रिया, आदि।
व्यापक समाज	सार्वजनिक सुरक्षा, न्याय, सामूहिक विवेक और नैतिक मानक
कानूनी और न्यायिक प्रणालियां	**निष्पक्ष सुनवाई** सुनिश्चित करना, संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखना, मानवाधिकारों के साथ गतिरोध को संतुलित करना, गलती को सुधारा नहीं जा सकता है।
मानवाधिकार संगठन	प्रतिशोध के बजाय सुधार को वरीयता देना, मानवीय गरिमा, **जीवन का अधिकार** और न्यायिक त्रुटियों की संभावना।
सरकार और नीति निर्माता	**जनमत का दबाव, अंतर्राष्ट्रीय दायित्व**, निवारक के रूप में मृत्युदंड की **प्रभावशीलता** का पता लगाना।

मृत्युदंड के विपक्ष में तर्क

- **मानवाधिकारों का उल्लंघन:** कान्ट की कर्त्तव्य-मूलक नैतिकता (Deontological Ethics) के अनुसार, कुछ कृत्य (जैसे- किसी का जीवन लेना) नैतिक रूप से गलत होते हैं, भले ही उनके परिणाम अच्छे क्यों न हों।
- **ठीक न की जा सकने वाली त्रुटि:** कभी-कभी निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से दोषी ठहरा दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को फांसी दे दी जाती है, तो इसे पलट नहीं सकते।
- **अपराध निवारण की कमी:** इस बात का बहुत कम प्रमाण है कि मृत्युदंड अपराध को रोकने में आजीवन कारावास से अधिक प्रभावी है।

- **मृत्युदंड का विपरीत प्रभाव:** कुछ मामलों में अपराधियों ने पीड़ितों को गवाही देने से रोकने और मृत्युदंड की सजा से बचने के लिए उन्हें मारने की कोशिश की है।

भारत में मृत्युदंड

- **कानूनी ढाँचा:** भारतीय न्याय संहिता (BNS) आतंकवाद, बलात्कार, लोक अधिकारियों की हत्या आदि के लिए मृत्युदंड का प्रावधान करती है।
- **न्यायिक सिद्धांत:** बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) मामले में "अत्यंत दुर्लभतम" (rarest of rare) सिद्धांत प्रस्तुत किया गया और कहा गया कि मृत्युदंड केवल जघन्य अपराधों के लिए ही दिया जाना चाहिए।
- **क्षमा शक्ति:** सभी अपीलों के बाद, दया याचिकाएँ राष्ट्रपति या राज्यपाल को प्रस्तुत की जा सकती हैं।
- **हालिया प्रवृत्तियाँ:**
  - 500 से अधिक कैदी फाँसी की सज़ा पर हैं, लेकिन फाँसी बहुत ही दुर्लभ है।
  - अधिकांश सजाओं को आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है।

निष्कर्ष

1948 में **मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा-पत्र (UNDHR)** को अपनाने के बाद से, दुनिया भर में मृत्युदंड के खिलाफ एक बड़ा रुझान देखा गया है। इसके बावजूद, कई देशों में मृत्युदंड अभी भी लागू है और यह अक्सर अन्यायपूर्ण मुकदमों या गैर-हिंसक अपराधों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार, न्याय और जीवन के सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए मानवीय और साक्ष्य-आधारित विकल्पों की आवश्यकता होती है।

9.5. गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार (RIGHT TO DIE WITH DIGNITY)

परिचय

हाल ही में, जैन समुदाय की एक 3 वर्षीय बच्ची की संथारा (मृत्यु तक उपवास) की प्रथा के जरिए मृत्यु हो गई। इस घटना को लेकर विवेक से निर्णय (Informed decision) पर चर्चा शुरू हो गई है।

इसके अतिरिक्त, **फ्रांस ने एक विधेयक पारित किया है,** जो असहनीय रोगों से पीड़ित **वयस्कों को चिकित्सकीय सहायता से मृत्यु (Assisted dying)** चुनने की अनुमति देता है। ये घटनाक्रम **गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार** के सिद्धांतों को उजागर करते हैं।

गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार के बारे में

- **अर्थ:** गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति लंबे समय तक **दर्द और पीड़ा से** बचने के लिए **जीवन के अंतिम क्षणों के बारे में निर्णय ले सकते हैं।**
- **इच्छामृत्यु** या यूथेनेशिया (अर्थात, **"सम्मानजनक मृत्यु"**) गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को यह अधिकार प्रदान करने का एक अनिवार्य साधन है। यह दो प्रकार की होती है:
  - **सक्रिय यूथेनेशिया (Active):** जानलेवा दवा देना - **भारत में गैर-कानूनी है।**
  - **निष्क्रिय यूथेनेशिया (Passive):** जीवन रक्षक प्रणाली से हटाना - भारत में वैध है।
- **भारत में स्थिति:**
  - **2011 – अरुणा शानबाग मामला: निष्क्रिय इच्छामृत्यु की** अनुमति है।
  - **2018 – कॉमन कॉज केस: अनुच्छेद 21 में गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार,** वैध निष्क्रिय इच्छामृत्यु और **लिविंग विल** शामिल हैं।

प्रमुख हितधारक और संबंधित नैतिक मुद्दे

गंभीर रोग से ग्रसित मरीज और उनका परिवार	**मरीज़: असहनीय शारीरिक पीड़ा,** भावनात्मक और **वित्तीय संकट** सहते हैं। **परिवार:** दुःख से संघर्ष और **पीड़ा को कम करने की इच्छा।**
स्वास्थ्य सेवा प्रदाता (डॉक्टर, नर्स, प्रशामक देखभाल पेशेवर)	**दुखों को कम करने** के लिए **हिप्पोक्रेटिक शपथ** से बंधे हुए हैं, लेकिन **स्वायत्तता** और जीवन को संरक्षित करने के बीच **नैतिक दुविधाओं का सामना करते हैं।**
विधि और नीति निर्माता	**अधिकारों की रक्षा करनी** चाहिए और **सम्मान के साथ मृत्यु के अधिकार** के **दुरुपयोग को रोकना चाहिए।**
समाज	**व्यक्तिगत स्वायत्तता** और **गरिमा** पर बढ़ते जोर के साथ **जीवन की पवित्रता को** संतुलित करता है।

नैतिक दुविधाएं

- **जीवन की गुणवत्ता बनाम जीवन की पवित्रता:** यदि असहनीय पीड़ा या गरिमा की हानि जीवन पर हावी हो जाए, तो क्या केवल जीवित रहना अर्थपूर्ण है?
- **संवैधानिक नैतिकता बनाम स्वायत्तता का सम्मान:** क्या किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा कानूनी और नैतिक सीमाओं से ऊपर होनी चाहिए?
- **उपशामक देखभाल (Palliative Care) बनाम न्याय:** क्या जब देखभाल प्रणाली विफल हो जाती है, तब गरिमापूर्ण इच्छामृत्यु की अनुमति दी जानी चाहिए?
- **गैर-हानिकारक सिद्धांत बनाम दोहरे प्रभाव का सिद्धांत:** क्या डॉक्टरों द्वारा दर्द से राहत प्रदान की जानी चाहिए, भले ही इससे जीवन काल छोटा हो जाए?

पक्ष में तर्क	विपक्ष में तर्क

• **जीवन की गुणवत्ता:** जीवित रहने से कहीं बढ़कर है- इसमें **कल्याण** और **संबंध भी शामिल हैं।**
• **स्वायत्तता का सम्मान:** व्यक्तियों को अपने **जीवन के अंतिम निर्णय स्वयं लेने चाहिए।**
  ➡ उदाहरणार्थ, **भीष्म की इक्षा मृत्यु, सुकरात की मृत्यु का विकल्प।**
• **दोहरे प्रभाव का सिद्धांत: डॉक्टर कई बार दर्द से राहत देने** के इरादे से दवाएं लिखते हैं, यह जानते हुए भी कि दवाएं रोगी के जीवन को छोटा कर देंगी।
• **न्याय:** जब देखभाल विफल हो जाती है, तो निरंतर उपचार **हानिकारक** और **बोझिल हो सकता है।**
	• **जीवन की पवित्रता:** जीवन का **आंतरिक मूल्य है।**
	  ➡ उदाहरणार्थ, **बौद्ध धर्म में अहिंसा।**
	• **संवैधानिक नैतिकता: धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25** द्वारा सीमित है।
	• **उपशामक देखभाल:** विकसित हो रही चिकित्सा, इच्छामृत्यु के बिना भी **पीड़ा का प्रबंधन कर सकती है।**
	• **अहिंसा:** डॉक्टरों को **"कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए"** (हिप्पोक्रेटिक शपथ)।
	• **काण्टीय दृष्टिकोण:** जीवन समाप्त करना **नैतिक कर्तव्य का उल्लंघन है।**
	• **संभावित दुरुपयोग:** नाबालिगों या दबाव के कारण स्वायत्तता का **दुरुपयोग हो सकता है।**

गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए आगे की राह

- **विस्तृत संवाद स्थापित करना:** निरंतर रोगी-केंद्रित संवाद।
- **प्रभावी विनियमन:** इच्छामृत्यु की प्रक्रिया केवल **अस्पताल सेटिंग्स में कम-से-कम 2 चिकित्सकों के प्रमाणन** के बाद ही पूरी की जा सके।
- **दुरुपयोग को रोकना:** एक **पूर्ण मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, परामर्श, प्रतीक्षा अवधि** होनी चाहिए।
- **देखभाल एक नैतिक दृष्टिकोण:** विशेष रूप से **नाबालिगों** और **मानसिक रूप से कमजोर रोगियों** के मामलों में सहानुभूति और करुणा पर आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

निष्कर्ष

आधुनिक चिकित्सा लोगों के जीवन को लंबा बना सकती है, लेकिन यह पीड़ा को हमेशा समाप्त नहीं कर सकती है। जब दर्द असहनीय हो जाता है, तो **गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार** विचारणीय हो जाता है।

9.6. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और उपभोक्ता व्यवहार (SOCIAL MEDIA INFLUENCER AND CONSUMER BEHAVIOR)

परिचय

डिजिटल युग ने लोगों की पहचान और मूल्यों को गढ़ने के तरीके को भी नया रूप दिया है। इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म अब लोगों की इच्छाओं और उपभोक्तावादी व्यवहारों को आकार देने के शक्तिशाली साधन बन गए हैं। E&Y रिपोर्ट के अनुसार, भारत के इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग उद्योग के तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, जो 2026 तक 3,375 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। यह डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के बढ़ते प्रभाव को उजागर करता है।

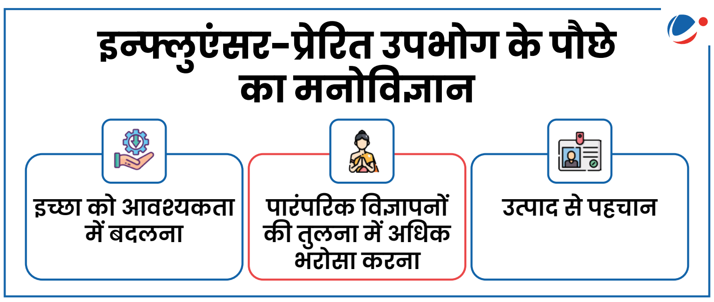

उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करने में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर द्वारा निभाई गई सकारात्मक भूमिका

- **सामाजिक बदलाव को बढ़ावा देना:** इन्फ्लुएंसर **मानसिक स्वास्थ्य, बॉडी पॉजिटिविटी** और **महिलाओं के अधिकारों पर** जागरूकता को बढ़ाते हैं।
  - **भारत के #MeToo** आंदोलन ने कार्यस्थल पर उत्पीड़न को उजागर किया।

- **सचेत उपभोक्तावाद:** "डी-इन्फ्लुएंसिंग" का उदय सोच-समझकर खर्च करने को बढ़ावा देता है।
- **समावेशिता और विविधता: लैंगिक रूढ़ीवाद** को चुनौती देते हैं और **हाशिए पर मौजूद समुदायों** की आवाज़ों को उठाते हैं।
- **सूचनाओं की उपलब्धता: सरकारी अपडेट, करियर टिप्स** और **सार्वजनिक योजनाओं** के प्रसार के लिए उपयोग किया जाता है।

इन्फ्लुएंसर संस्कृति से जुड़े नैतिक मुद्दे

- **विवेकहीन उपभोग:** इससे **भौतिकवाद** को बढ़ावा मिलता है। यह गांधीवादी नैतिकता के **आत्म-संयम** के विपरीत है।
- **मनोवैज्ञानिक हेरफेर:** FOMO को बढ़ावा देता है, और सामाजिक तुलना, तत्काल उपभोग की प्रवृति को बढ़ावा देते हैं।
- **जवाबदेही की कमी:** इन्फ्लुएंसर्स पर कोई विनियामकीय जांच नहीं, जिससे उपभोक्ता गलत सूचनाओं और धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं।
- **बेईमानी:** कंटेंट की चोरी करना या क्रियेटर्स को श्रेय देने में विफल रहना बौद्धिक संपदा का अनादर और फॉलोवर्स के साथ धोखा है।
- **गोपनीयता का उल्लंघन:** सुरक्षा उपायों के बिना **उपयोगकर्ता डेटा** का दुरुपयोग करना।
- **मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान:** ऑनलाइन आदर्श जीवन-शैली व्याकुलता, आत्म-सम्मान में कमी और असंतोष को बढ़ावा देती है। यह सामूहिक कल्याण को कम करता है।

इन्फ्लुएंसर्स के लिए मानकों की संहिता

- **पेड पार्टनरशिप्स:** इन्फ्लुएंसर्स को किसी भी ब्रांड के साथ अपनी साझेदारी को स्पष्ट रूप से प्रकट करना होगा।
- **AI इन्फ्लुएंसर्स:** यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो उन्हें यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि वे मानव नहीं हैं।
- **ब्रांड रिलेशन:** इन्फ्लुएंसर्स केवल उन्हीं उत्पादों का समर्थन कर सकते हैं जिनसे वे वास्तव में सहमत हैं। वे एक साथ प्रतिस्पर्धी ब्रांड्स का भी प्रचार नहीं कर सकते हैं।
- **डिफ्लुएंस:** इन्फ्लुएंसर्स को ब्रांड की ईमानदारी से आलोचना करने की अनुमति है, लेकिन यह सच्चाई और जिम्मेदारी के साथ करनी होगी।
- **बच्चों के लिए सुरक्षित कंटेंट:** कंटेंट का बच्चों के लिए सुरक्षित, सकारात्मक और उपयुक्त होना अनिवार्य है।
- **शिकायत हेतु फोरम:** IIGC के तहत उपभोक्ता शिकायत फोरम की स्थापना करनी होगी।

इन्फ्लुएंसर जवाबदेही के लिए भारत में मौजूदा विनियामक फ्रेमवर्क

- **केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA):** यह उपभोक्ता अधिकारों, अनुचित व्यापार प्रथाओं एवं झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करता है।
- **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI):** इसने विनियमित वित्तीय संस्थाओं और अपंजीकृत फिनफ्लुएंसर्स के बीच साझेदारी पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- **भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI):** सशुल्क प्रचार की स्पष्ट लेबलिंग अनिवार्य करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए।
- **उपभोक्ता मामले का विभाग:** नैतिक और पारदर्शी प्रचार प्रथाओं का पालन करने हेतु 'एंडोर्समेंट नो-हाउज़' प्रकाशित किया गया है।
- **इंडिया इन्फ्लुएंसर गवर्निंग काउंसिल (IIGC):** यह एक स्व-विनियामक निकाय है। इसने **आचार संहिता और साप्ताहिक इन्फ्लुएंसर रेटिंग** शुरू की है।

9.7. व्यावसायिक छंटनी की नैतिकता (ETHICS OF BUSINESS DOWNSIZING)

परिचय:

माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न और **IBM** जैसी कंपनियों ने **AI-संचालित पुनर्गठन, स्वचालन** और **प्रबंधन पुनर्गठन** के कारण लगभग **60,000 कर्मचारियों की** छंटनी की है। **उत्पादकता** और **प्रतिस्पर्धात्मकता** बढ़ाने के उद्देश्य से, इस तरह की **छंटनी** कर्मचारियों और समाज के लिए गंभीर **नैतिक चिंताएँ पैदा करती है।**

व्यावसायिक नैतिकता के बारे में

- **अर्थ: आधुनिक कॉर्पोरेट संस्कृति** का एक महत्वपूर्ण आयाम, जो **व्यक्तियों, कंपनियों** और **व्यावसायिक उद्यमों** का मार्गदर्शन करता है।
- **विशेषताएँ:** विश्वास निर्माण, न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा, सत्यनिष्ठा, वैधता, कॉर्पोरेट प्रशासन पर आधारित।
- **प्रकृति: कानूनी अनुपालन से कहीं अधिक; नैतिक मूल्यों** और **सामाजिक कल्याण** में निहित।
  - यह **सद्गुण नीतिशास्त्र (Virtue Ethics)** के तत्वों द्वारा निर्देशित होती है। **सद्गुण नीतिशास्त्र** के तत्व ऐसे सकारात्मक लक्षण हैं, जो व्यक्तियों के कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं।
  - उदाहरण के लिए, **इन्फोसिस** ने नैतिक मार्गदर्शन हेतु **आचार संहिता और नैतिकता को** लागू किया है।

विभिन्न हितधारकों के प्रति व्यवसाय की जिम्मेदारी	
कर्मचारी	**नैतिक मूल्यों** और एक मजबूत **नैतिक संस्कृति का** निर्माण करता है। ➡ उदाहरण के लिए, **हिल्टन को** नैतिक प्रथाओं के लिए **ग्रेट प्लेस टू वर्क (2024)** में शीर्ष स्थान दिया गया।
उपभोक्ताओं	**अनुचित** या **भ्रामक प्रथाओं** में शामिल होने से रोकता है। ➡ उदाहरण के लिए, **एप्पल का एडवांस्ड डेटा प्रोटेक्शन (ADP) एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन** सुनिश्चित करता है।
समाज	**न्यायसंगत** और **ईमानदार प्रतिस्पर्धा को** बढ़ावा देता है। ➡ उदाहरण के लिए, **रतन टाटा**: "व्यवसायों को केवल अपनी कंपनियों के हितों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन समुदायों की सेवा भी करनी चाहिए जिनसे वे जुड़े हैं।"

व्यावसायिक छंटनी में शामिल नैतिक दुविधाएं

- **उपयोगितावाद बनाम कांटीय पूंजीवाद: कर्मचारियों** की संख्या में कटौती से बहुसंख्यकों (**उपयोगितावादी**) को लाभ होता है, लेकिन **कांट** कर्मचारियों को एक साधन के रूप में उपयोग करने को अस्वीकार करते हैं।
- **व्यक्तिवाद बनाम CSR: लाभ को अधिकतम करना** छंटनी को उचित (व्यक्तिवादी दृष्टिकोण) ठहराता है, लेकिन **CSR के सिद्धांत से टकराता है,** जो कर्मचारी कल्याण को महत्व देता है।
- **कर्तव्यनिष्ठ बनाम परिणामवादी दृष्टिकोण: कर्तव्यनिष्ठ नैतिकता** नैतिक जिम्मेदारी को प्राथमिकता देती है, जबकि **परिणामवाद** केवल परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **नैतिक सापेक्षवाद बनाम न्याय: सापेक्षवाद** विभिन्न मानदंडों की अनुमति देता है, लेकिन **न्याय हेतु सभी के लिए निष्पक्षता** की आवश्यकता होती है।

आगे की राह

- **अंतिम उपाय:** छंटनी से पहले विकल्पों पर विचार करें - लागत में कटौती करें, भर्ती पर रोक लगाएं, व्यापक प्रभावों का आकलन करें।
- **स्वैच्छिक छंटनी:** आकर्षक सेवा निवृत्ति पैकेज या नई करियर का विकल्प देकर स्वैच्छिक रूप से छंटनी।
- **व्यावसायिक नैतिकता:** सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, पारदर्शिता, करुणा आदि जैसे नैतिक मूल्यों को आत्मसात करना। उदाहरण के लिए, **स्टारबक्स ने** अंशकालिक कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा की पेशकश की (1988)।
- **त्वरित प्रतिभा रणनीति:** करियर विकास और निरंतर सीखने की संस्कृति में निवेश करना। उदाहरण के लिए, **एजुकेशन ऐज़ ए बेनिफिट प्रोग्राम।**
- **छंटनी से प्रभावित कर्मचारियों की सहायता करना:** नेटवर्क आदि का लाभ उठाकर छंटनी किए गए कर्मचारियों को नया सार्थक रोजगार खोजने में सक्रिय रूप से मदद करना। **नोकिया के ब्रिज कार्यक्रम** ने 2014 में छंटनी किए गए अपने 60% कर्मचारियों की मदद की।

निष्कर्ष

- कर्मचारियों की संख्या में कटौती अंतिम विकल्प होना चाहिए, उसके बाद कौशल उन्नयन और नैतिक कार्यबल प्रबंधन होना चाहिए। निरंतर जुड़ाव और सामाजिककरण के माध्यम से अच्छे व्यावसायिक आचरण की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए।

9.8. बॉडी शेमिंग के नैतिक आयाम (ETHICAL DIMENSIONS OF BODY SHAMING)

परिचय

बॉडी शेमिंग में **शारीरिक बनावट के आधार पर लोगों की आलोचना या उपहास करना शामिल** है और यह किसी के साथ भी हो सकता है। सुंदरता के व्यवसायीकरण के दौर में, बॉडी इमेज को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाने लगा है- उदाहरण के लिए, एक **थाई कैफे ने पतले ग्राहकों को छूट दे रहा** है।

बॉडी इमेज शेमिंग को बढ़ावा देने वाले सामाजिक-सांस्कृतिक कारक

- **सुंदरता के अव्यवहारिक मानक:** प्रायः मीडिया और विज्ञापन गोरी त्वचा और पतले शरीर को बढ़ावा देते हैं, जिससे अव्यवस्थित खानपान को बढ़ावा मिलता है।
- **सोशल मीडिया का दबाव:** र फिल्टर और एडिटेड इमेज अव्यवहारिक सुंदरता को बढ़ावा देते हैं।
  - उदाहरण के लिए, अत्यधिक उपवास के बाद केरल की एक 18 वर्षीय लड़की की मौत ऑनलाइन ट्रेंड्स से प्रभावित थी।
- **सांस्कृतिक और पारिवारिक पूर्वाग्रह:** महिलाओं को अक्सर उनके रंग-रूप के आधार पर महत्व दिया जाता है, जबकि पुरुषों की मस्कुलर या लंबे कद वाला होने के आधार पर ।
  - उदाहरण के लिए, लड़कियों को शादी के अच्छे रिश्ते के लिए वजन कम करने या गोरा होने का सुझाव दिया जाता है।
- **साथियों की स्थिति का दबाव:** बचपन में चिढ़ाना और धमकाना, बचपन से ही इस सोच को सामान्य बना देता है कि किसी के रूप-रंग या आकार के आधार पर उसे आंका जाए।

नैतिक फ्रेमवर्क और उल्लंघन

- **कांट का नैतिक सिद्धांत:** बॉडी शेमिंग किसी व्यक्ति की मानवीय गरिमा का अपमान है। यह उसे एक इंसान नहीं, बल्कि एक 'उपयोग की वस्तु' बना देता है।
- **उपयोगितावाद:** इससे दीर्घकालिक नुकसान होता है, तथा अल्पकालिक लाभ की अपेक्षा अधिक हानि होती है।
- **सद्गुण आधारित नैतिकता:** यह करूणा या समावेशिता को नहीं, बल्कि घमंड और बहिष्करण को प्रोत्साहित करता है।
- **निष्पक्षता के रूप में न्याय (रॉल्स):** शरीर के प्रकार के आधार पर भेदभाव निष्पक्षता और समानता को कमजोर करता है।

शामिल प्रमुख हितधारक	
हितधारक	**भूमिका/ हित**
समाज	समानुभूति दिखाना, समावेशिता, और विविधता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना।
मीडिया और इन्फ़्ल्युएन्सर्स	नैतिक जिम्मेदारी, अस्वास्थ्यकर सौंदर्य मानकों को बढ़ावा देने से बचना, समावेशी संदेशों को अपनाना।
व्यवसाय/ मार्केटिंग	नैतिकता परक विज्ञापन, ग्राहक का विश्वास बनाए रखना, और अल्पकालिक लाभ की बजाय ब्रांड की दीर्घकालीन छवि पर ध्यान देना।
स्वास्थ्य पेशेवर	बॉडी इमेज से जुड़ी समस्याओं, ईटिंग डिसऑर्डर और मानसिक तनाव की स्थिति में सहयोग देना।
सरकार	हानिकारक कंटेंट को विनियमित करना, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, और विज्ञापन के नैतिक मानकों को लागू करना।

निष्कर्ष

बॉडी शेमिंग को समाप्त करना एक साझा जिम्मेदारी है। इसलिए हर व्यक्ति को मिलकर काम करना होगा ताकि दिखावट पर ध्यान देने की जगह स्वीकार्यता को बढ़ावा दिया जा सके। सच्ची प्रगति तभी होगी जब हम लोगों को उनके स्वभाव और अच्छे गुणों से पहचानें, न कि उनके रंग, आकार या शरीर से। हमें ऐसा समाज बनाना चाहिए जहाँ हर किसी को सम्मान और गरिमा के साथ देखा और समझा जाए।

9.9. अपने ज्ञान का परीक्षण कीजिए (TEST YOUR LEARNING)

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

Q1. "सुख की खोज व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही प्रयास है।" पूर्वी एवं पश्चिमी दार्शनिक दृष्टिकोणों के आधार पर चर्चा कीजिए कि सिविल सेवक नागरिकों में सुख की स्थितियाँ निर्मित करने में कैसे योगदान दे सकते हैं। (150 शब्द)

Q2. गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार की कानूनी मान्यता स्वायत्तता, करूणा और जीवन की पवित्रता पर प्रश्न उठाती है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS)

10.1. अटल पेंशन योजना (ATAL PENSION YOJANA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अटल पेंशन योजना (APY) की शुरुआत के 10 वर्ष पूरे हुए।

विशेषताएँ

- **मंत्रालय: केंद्रीय** वित्त मंत्रालय
- **शुरुआत:** वर्ष 2015 में
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)
- **योजना का प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक योजना
- **पात्रता:** 18-40 वर्ष की आयु के बैंक खाताधारक, आयकर दाता नहीं; परिवार के सभी पात्र सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं।
- **उद्देश्य:** सेवानिवृत्ति के लिए स्वैच्छिक बचत को प्रोत्साहित करना तथा विशेष रूप से गरीब और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।
- **लाभ:** 60 वर्ष की आयु से मृत्यु होने तक ₹1,000 से ₹5,000 के बीच आजीवन पेंशन का प्रावधान; मृत्यु की स्थिति में जीवनसाथी/ नामित व्यक्ति को पारिवारिक पेंशन
- **भुगतान:** आयु और पेंशन राशि के आधार पर मासिक/ तिमाही/ अर्धवार्षिक अंशदान
- **निकासी:** 60 वर्ष की आयु में (पूर्ण पेंशन); 60 वर्ष से पहले (केवल मृत्यु/ बीमारी की स्थिति में); सीमित लाभों के साथ स्वैच्छिक निकासी।
- **सह-अंशदान:** सरकार ने शुरुआती सदस्यों के लिए सह-सह-अंशदान दिया (2015-2016)
- **उपलब्धियां:** अप्रैल 2025 तक 7.66+ करोड़ सब्सक्राइबर; लगभग 47% महिलाएं

10.2. प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PRADHAN MANTRI JEEVAN JYOTI BIMA YOJANA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत के 10 साल पूरे हुए।

विशेषताएँ

- **मंत्रालय:** केंद्रीय वित्त मंत्रालय
- **योजना का प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक योजना
- **प्रकृति:** जीवन बीमा योजना (55 वर्ष की आयु तक जीवन बीमा कवर)
- **उद्देश्य:** किसी भी कारण से **मृत्यु होने पर जीवन बीमा कवरेज प्रदान करती है।**
- **प्रीमियम:** ₹436/वर्ष; एक किस्त में स्वतः डेबिट
- **शर्तें:** बैंक/ डाकघर खाता, ऑटो-डेबिट के लिए सहमति; प्रति व्यक्ति केवल एक खाता
- **पात्रता:** सभी 18-50 वर्ष आयु वर्ग के लिए, जिसमें अनिवासी भारतीय भी शामिल हैं।
- किसी मेडिकल परीक्षा की आवश्यकता नहीं।
- **मृत्यु के सभी प्रकार के कारणों को कवर** (दुर्घटनाओं को पहले दिन से कवर किया जाता है) **करती है।**
- मध्य-वर्ष नामांकन के लिए आनुपातिक प्रीमियम (प्रो-राटा प्रीमियम)
- **कवरेज:** ₹2 लाख, प्रतिवर्ष नवीकरणीय
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** LIC और साझेदार बीमा कंपनियां
- **प्रभाव:** 23 करोड़ से अधिक नामांकित; 9 लाख दावे; 53% महिलाएं, 74% ग्रामीण लाभार्थी

10.3. प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PRADHAN MANTRI SURAKSHA BIMA YOJANA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना को **10 वर्ष पूरे हुए।**

विशेषताएं

- **मंत्रालय:** वित्त मंत्रालय
- **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक योजना
- **उद्देश्य:** दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु और दिव्यांगता के लिए कवरेज प्रदान करने वाली दुर्घटना बीमा योजना।
- **पात्रता:** 18-70 वर्ष की आयु के नागरिक (NRI सहित)
- **प्रीमियम:** ₹20/वर्ष, स्वचालित रूप से डेबिट किया जाएगा
- **नामांकन अवधि:** 1 जून से 31 मई (1-वर्षीय कवर)
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** सार्वजनिक क्षेत्र की जनरल बीमा कंपनियाँ और सहभागी बैंकों के माध्यम से अन्य।
- **शर्तें:** बैंक/ डाकघर खाता और ऑटो-डेबिट की सहमति।
- **कवरेज:** आकस्मिक मृत्यु/ पूर्ण दिव्यांगता के लिए ₹2 लाख; आंशिक विकलांगता के लिए ₹1 लाख
- **विशेषताएं:** प्राकृतिक आपदाओं को कवर करता है; पुनः जुड़ने की अनुमति; जन सुरक्षा पोर्टल के माध्यम से डिजिटल नामांकन।
- **प्रभाव:** 44+ करोड़ नामांकित; 50.16% महिलाएं, 72.24% ग्रामीण लाभार्थी।

10.4. स्टार्ट-अप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (CGSS) {CREDIT GUARANTEE SCHEME FOR STARTUPS (CGSS)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने स्टार्ट-अप्स के लिए **पूंजी जुटाने को बढ़ाने के उद्देश्य से क्रेडिट गारंटी योजना (CGSS) के विस्तार** को अधिसूचित किया है।

प्रमुख विशेषताएँ

- **नोडल मंत्रालय:** वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
- **उद्देश्य:**
  - **उद्देश्य:** पात्र स्टार्ट-अप्स को दिए गए **ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान** करना।
  - **स्टार्ट-अप्स को बिना किसी ज़मानत के ऋण सुविधा** उपलब्ध कराना।
- **प्रक्रिया:** उन **सदस्य संस्थानों** (MIs) को गारंटी कवर प्रदान करती है जो स्टार्ट-अप्स को ऋण देते हैं।
- **गारंटी सीमा:** प्रति उधारकर्ता अधिकतम ₹20 करोड़; अन्य गारंटी योजनाओं के साथ कोई ओवरलैप नहीं; आंशिक रूप से सुरक्षित ऋणों के असुरक्षित हिस्से को कवर करता है।
- **साधन:** उद्यम ऋण, कार्यशील पूंजी, अधीनस्थ/ मेजेनाइन ऋण, डिबेंचर, परिवर्तनीय ऋण और अन्य ऋण दायित्व।

पात्रता मानदंड

S स्टार्ट-अप पात्रता
- **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) से मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स**
- **डिफ़ॉल्ट की स्थिति में नहीं** कोई NPA नहीं होना
- **MI प्रमाणित** सदस्य संस्थान प्रमाणन

L ऋण देने वाले संस्थान (MIs)
- **B अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक** और वित्तीय संस्थाएं
- **N NBFCs (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां)**
  - **रेटिंग:** BBB और उससे ऊपर (RBI मान्यता प्राप्त एजेंसियां)
  - **न्यूनतम नेटवर्थ:** ₹100 करोड़
- **A वैकल्पिक निवेश निधि** SEBI के पास पंजीकृत

10.5. शक्ति/ SHAKTI (भारत में पारदर्शी तरीके से कोयला दोहन व आवंटन करने की योजना) नीति {SHAKTI (SCHEME FOR HARNESSING AND ALLOCATING KOYALA TRANSPARENTLY IN INDIA) POLICY}

सुर्ख़ियों में क्यों?

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विद्युत क्षेत्र को कोयला आवंटन के लिए संशोधित शक्ति नीति को मंजूरी दे दी है।

शक्ति पॉलिसी की विशेषताएं:

- वर्ष 2017 **में शुरूआत**
- **मंत्रालय:** कोयला मंत्रालय
- **कार्यान्वयनकर्ता:** CIL और SCCL
- ईंधन आपूर्ति समझौते (FSA) के अंतर्गत 2007 की NCDP कोयला लिंकेज प्रणाली की जगह लेती **है।**
- LoA-आधारित से नीलामी/ टैरिफ-आधारित बोली तंत्र में **बदलाव।**
- **उद्देश्य**
  - निष्पक्ष एवं पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करना
  - सस्ता घरेलू कोयला उपलब्ध कराकर उत्पादन लागत कम करना
  - अंतिम उपभोक्ताओं को लाभ
  - आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू कोयला उद्योग को मजबूत करना
- **सरलीकृत ढाँचा:** 8 पूर्ववर्ती श्रेणियों को 2 में समेकित करता है:
  - विंडो-I: सरकारी स्वामित्व वाले विद्युत संयंत्रों के लिए अधिसूचित मूल्यों पर लिंकेज।
  - विंडो-II: सभी ताप विद्युत उत्पादकों के लिए नीलामी-आधारित आवंटन
- **कोई अनिवार्य PPAs नहीं:** विंडो-II के तहत बिजली बिक्री में लचीलापन प्रदान करता है।
- **मांग आधारित खरीद:** आवश्यकता के आधार पर 1 से 25 वर्षों के लिए कोयला आवंटन।
- **'पिटहेड' विद्युत संयंत्रों को प्राथमिकता:** कोयला स्रोतों के निकट संयंत्रों को प्रोत्साहित किया जाता है।
- **आयात प्रतिस्थापन एवं लिंकेज का युक्तिकरण:** कोयला लागत और रेल भार को कम करता है।
- **अधिशेष बिजली की बिक्री एवं FSA लचीलापन:** दक्षता एवं बाजार पहुंच को बढ़ाता है।
- **प्रमुख लाभार्थी:** बिजली कंपनियां, उपभोक्ता, कोयला क्षेत्र, बैंक, राज्य और रेलवे।

10.6. राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RASHTRIYA GOKUL MISSION)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **पशुधन क्षेत्रक** के विकास को बढ़ावा देने के लिए **संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM)** को मंजूरी दी। इस मिशन के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिश अवधि (वित्त-वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक) के लिए 1,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट निर्धारित किया गया है।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) के बारे में

- **शुभारंभ:** वर्ष 2014 में **राष्ट्रीय गोजातीय प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम** के तहत शुरू।
- **मंत्रालय:** मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय।
- **कार्यान्वयन विभाग: पशुपालन एवं डेयरी** विभाग।
- **वित्त पोषण: केंद्र सरकार द्वारा 100% अनुदान** (कुछ अपवादों को छोड़कर)।
- **उद्देश्य:** दुग्ध उत्पादन एवं उत्पादकता में **निरंतर** वृद्धि करना, **आनुवंशिक सुधार** को बढ़ावा देना, **ब्रीडिंग नेटवर्क को मजबूत** करके **कृत्रिम गर्भाधान** के दायरे का विस्तार करना, **वैज्ञानिक और समग्र दृष्टिकोण** का उपयोग **करके देशी नस्ल की मवेशियों** का संरक्षण करना।

मिशन में जोड़े गए नए घटक:

- **बछिया पालन केंद्र:** कुल 15000 बछियों की क्षमता वाले 30 आश्रय केंद्रों के निर्माण हेतु 35% सब्सिडी।
- **इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) सहायता:** उच्च-आनुवांशिक गुणों वाली बछियों की खरीद के लिए 3% ब्याज अनुदान।

मिशन के तहत पहले से मौजूद घटक

- **आनुवंशिक सुधार:** इसमें वंश परीक्षण, IVF तकनीक, कृत्रिम गर्भाधान नेटवर्क का विस्तार (MAITRIs के माध्यम से) शामिल हैं।
- **स्वदेशी नस्लें:** देशी नस्लों के संरक्षण हेतु गौशालाओं, गोकुल ग्रामों और राष्ट्रीय कामधेनु केंद्रों को समर्थन दिया जाता है।
- **डिजिटल एकीकरण:** इसके तहत ई-पशु हाट पोर्टल और राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन को भी विकसित किया गया है।
- **क्षमता निर्माण:** किसानों के प्रशिक्षण और गोपाल/कामधेनु पुरस्कार जैसी क्षमता निर्माण की पहलें भी चलाई जाती हैं।

प्रभाव

- **दूध उत्पादन:** 2014 से 2024 के बीच भारत में **दूध उत्पादन में 63.55% की वृद्धि** हुई है और प्रति व्यक्ति **उपलब्धता 307 ग्राम से बढ़कर 471 ग्राम प्रतिदिन** हो गई है।
- **उत्पादकता:** पिछले दस वर्षों में डेयरी उत्पादकता में **26.34% की** वृद्धि दर्ज की गई है।

10.7. पी.एम. श्री स्कूल (पी.एम. स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया) {PM SHRI SCHOOLS (PM SCHOOLS FOR RISING INDIA)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **कुछ राज्यों ने पी.एम. श्री स्कूल योजना के कार्यान्वयन का विरोध** किया है।

विशेषताएं

- **संबंधित मंत्रालय:** शिक्षा मंत्रालय
- **योजना का प्रकार:** केंद्र प्रायोजित योजना
- **लाभार्थी:** इस योजना से **20 लाख से अधिक छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने** की उम्मीद है।
- **अवधि:** 5 वर्ष **(2022-23 से 2026-27)**
- **उद्देश्य: देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों को पी.एम. श्री स्कूलों के रूप में विकसित** करना।
  - समतापूर्ण, समावेशी और आनंदपूर्ण शिक्षा, समग्र व्यक्तित्व का विकास।
- **स्कूलों के चयन की विधि:** एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्कूलों द्वारा स्व-आवेदन के साथ पारदर्शी चैलेंज मोड के जरिए।
  - **समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर:** राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र
  - **पात्रता पूल:** न्यूनतम बेंचमार्क के आधार पर पात्र स्कूलों की पहचान की जाएगी
  - **चुनौती पद्धति:** कुछ मानदंडों को पूरा करने की स्थिति में
- **कार्यान्वयन रणनीति:** इसे समग्र शिक्षा, KVS और NVS के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।
- **ग्रीन स्कूल:** सौर पैनल, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और प्लास्टिक मुक्त जैसी पहलें।
- **उन्नत अवसंरचना:** स्मार्ट कक्षाएं, डिजिटल पुस्तकालय, व्यावसायिक प्रयोगशालाएं, खेल के मैदान और विज्ञान संबंधी अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं। साथ ही, जादुई पिटारा जैसे अलग-अलग ग्रेड्स के लिए उपयुक्त फर्नीचर एवं सीखने के उपकरण।
- **कौशल विकास:** व्यावसायिक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और उद्यमिता के अवसरों को शामिल करना। स्थानीय उद्योगों और सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ सहयोग करना।
- **मेंटरिंग और नेतृत्व:** आस-पास के स्कूलों का मार्गदर्शन और नेतृत्व करेंगे। इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक क्रमिक प्रभाव उत्पन्न होगा।
- **समावेशी शिक्षा:** लड़कियों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के लिए सुरक्षित अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करना। शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा/ स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना।
- **निगरानी और गुणवत्ता संबंधी आश्वासन: स्कूल गुणवत्ता आकलन फ्रेमवर्क (SQAF)** का उपयोग करके नियमित मूल्यांकन करना। चयन प्रक्रिया और निगरानी के लिए स्कूलों की जियो-टैगिंग करना।
- **अभिसरण और सामुदायिक भागीदारी:** अवसंरचना के विकास और संसाधन जुटाने के लिए सहयोग करना।

10.8. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIS) के उन्नयन के लिए राष्ट्रीय योजना {NATIONAL SCHEME FOR UPGRADATION OF INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTES (ITIS)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कैबिनेट ने **"ITIs के उन्नयन और कौशल विकास हेतु पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय योजना"** को मंजूरी दी। इस योजना को **केंद्र प्रायोजित योजना** के रूप में लागू किया जाएगा।

विशेषताएँ

- **मंत्रालय:** कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
- **प्रकार:** केंद्र प्रायोजित योजना
- **उद्देश्य:** कुशल कार्यबल की बढ़ती मांग को पूरा करना।
- **वित्तपोषण:** पांच वर्षों में ₹60,000 करोड़ (केंद्र: ₹30,000 करोड़, राज्य: ₹20,000 करोड़, उद्योग: ₹10,000 करोड़); केंद्रीय हिस्से का 50% ADB और विश्व बैंक द्वारा सह-वित्तपोषित।
- **ITI का पुनरुद्धार:** हब-एंड-स्पोक मॉडल के तहत 1,000 सरकारी ITI को उन्नत करना तथा पांच NSTIs (भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर, लुधियाना) को राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए उन्नत करना।
- **उद्योग सहयोग:** पाठ्यक्रम, बुनियादी ढांचे और प्रबंधन के लिए उद्योग-नेतृत्व वाली SPV मॉडल।
- **वित्तीय लचीलापन:** व्यापार-विशिष्ट और बुनियादी ढांचे की जरूरतों के लिए आवश्यकता-आधारित निवेश।
- **कौशल-उद्योग के अनुरूप:** स्थानीय कार्यबल की उपलब्धता और उद्योगों की मांग के बीच तालमेल बनाना, ताकि MSMEs को लाभ हो।
- **प्रशिक्षक फोकस:** उन्नत NSTIs में TOT प्रोग्राम के माध्यम से गुणवत्ता में वृद्धि।
- **विजन:** यह समावेशी विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए विकसित भारत 2047 का समर्थन करता है।

10.9. अपने ज्ञान का परीक्षण कीजिए (TEST YOUR LEARNING)

1. राष्ट्रीय गोकुल मिशन का कार्यान्वयन कौन-सा मंत्रालय कर रहा है?

a. मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय।

b. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

c. ग्रामीण विकास मंत्रालय।

d. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।

2. PM SHRI स्कूल योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है ?

a. यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य NEP 2020 के आधार पर मॉडल स्कूल विकसित करना है।

b. इस योजना में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और हरित बुनियादी ढांचे जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

c. यह परिवर्तन के लिए विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों के निजी स्कूलों को लक्षित करता है।

d. इसका क्रियान्वयन समग्र शिक्षा, KVS और NVS के माध्यम से किया जाता है।

3. अटल पेंशन योजना (APY) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका कार्यान्वयन पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा किया जाता है।
2. यह केवल आयकरदाताओं के लिए खुला है।
3. ग्राहकों को 60 वर्ष की आयु से गारंटीकृत मासिक पेंशन प्राप्त होती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

a. केवल 1 और 2

b. केवल 2 और 3

c. केवल 1 और 3

d. 1, 2 और 3

4. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वार्षिक प्रीमियम की राशि ग्राहक के बैंक या डाकघर खाते से स्वतः डेबिट कर ली जाती है।
2. यह केवल आकस्मिक मृत्यु के लिए कवरेज प्रदान करता है, दिव्यांगता के लिए नहीं।
3. 18 से 70 वर्ष की आयु के नागरिक इसमें शामिल होने के पात्र हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

a. केवल 1 और 2

b. केवल 1 और 3

c. केवल 2 और 3

d. 1, 2 और 3

5. हाल ही में संशोधित SHAKTI नीति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है?

a. नवीकरणीय ऊर्जा

b. ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कोयला आवंटन

c. शहरी आवास

d. दूरसंचार स्पेक्ट्रम आवंटन

उत्तर

राजव्यवस्था

1	2	3	4	5
उत्तर: A	उत्तर: A	उत्तर: D	उत्तर: D	उत्तर: B

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

1	2	3	4	5
उत्तर: C	उत्तर: B	उत्तर: D	उत्तर: B	उत्तर: C

अर्थव्यवस्था

1	2	3	4	5
उत्तर: C	उत्तर: B	उत्तर: B	उत्तर: C	उत्तर: A

सुरक्षा

1	2	3	4	5
उत्तर: B	उत्तर: A	उत्तर: D	उत्तर: C	उत्तर: A

पर्यावरण

1	2	3	4	5
उत्तर: D	उत्तर: A	उत्तर: B	उत्तर: A	उत्तर: B

सामाजिक मुद्दे

1	2	3	4	5
उत्तर: D	उत्तर: A	उत्तर: B	उत्तर: D	उत्तर: A

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

1	2	3	4	5
उत्तर: C	उत्तर: C	उत्तर: C	उत्तर: C	उत्तर: C

संस्कृति

1	2	3	4	5
उत्तर: B	उत्तर: C	उत्तर: C	उत्तर: B	उत्तर: B

सुर्ख़ियों में रही योजनाएं

1	2	3	4	5
उत्तर: A	उत्तर: B	उत्तर: B	उत्तर: C	उत्तर: C

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

OUR ACHIEVEMENTS

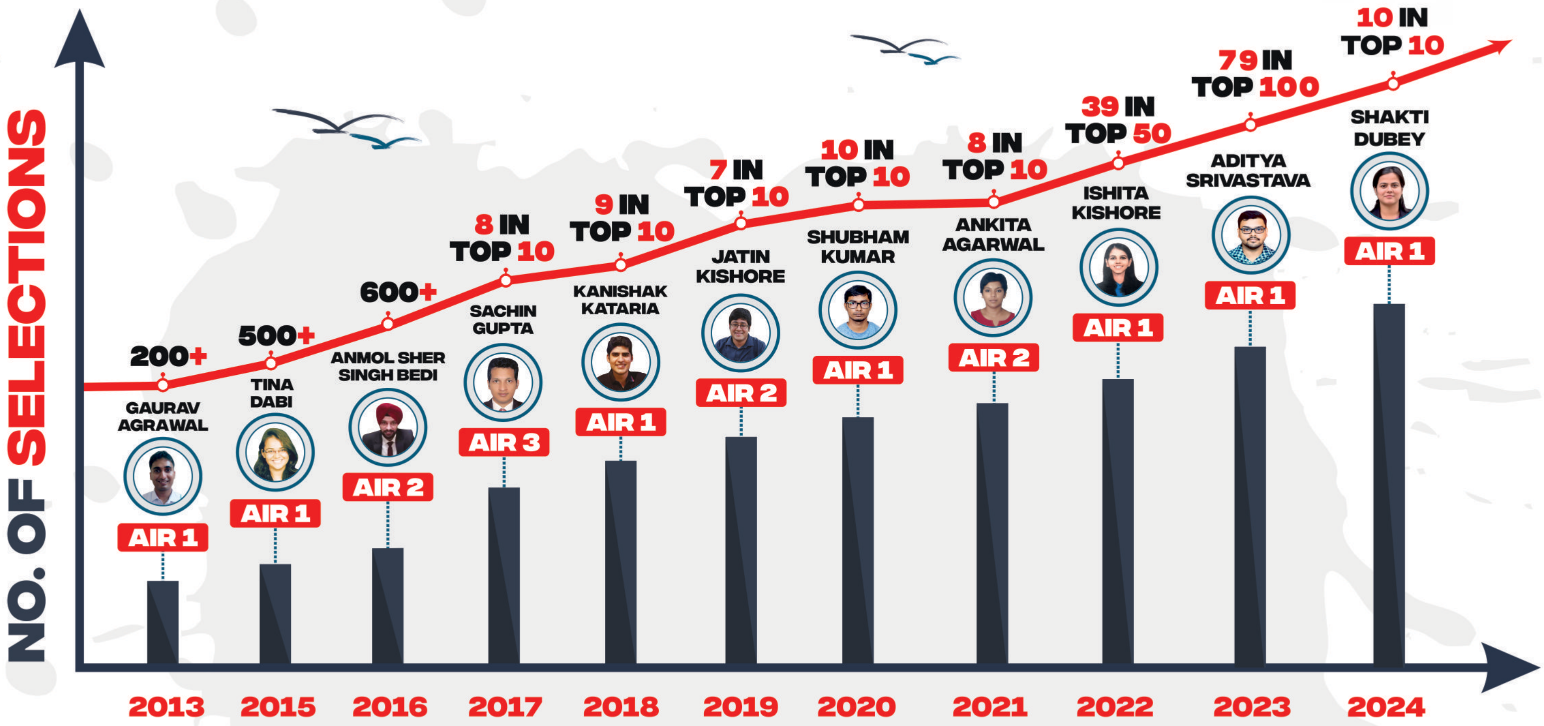

LIVE/ONLINE Classes Available

www.visionias.in

Foundation Course
GENERAL STUDIES
PRELIMS cum MAINS 2026, 2027 & 2028

DELHI : 26 AUGUST, 2 PM | 30 AUGUST, 8 AM | 9 SEPT, 11 AM | 18 SEPT, 8 AM | 25 SEPT, 5 PM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 29 JULY, 6 PM | 22 AUG, 6 PM

हिन्दी माध्यम 11 सितम्बर, 2 PM

AHMEDABAD: 12 JULY | BENGALURU: 25 AUG | BHOPAL: 18 AUG | CHANDIGARH: 18 JUNE

HYDERABAD: 3 SEP | JAIPUR: 5 & 10 AUG | JODHPUR: 10 AUG | LUCKNOW: 29 AUG | PUNE: 14 JULY

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2026

▸ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI : 11 सितम्बर, 2 PM | JAIPUR : 20 जुलाई | JODHPUR : 15 सितम्बर

Scan the QR CODE *to* download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

/visionias.upsc | /c/VisionIASdelhi | /c/VisionIASdelhi | /t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: GMMR 33, Pusa Road, Near Karol Bagh Metro Station, Opposite Pillar No. 113, Delhi - 110005 | **CONTACT:** 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

Heartiest
Congratulations
to all Successful Candidates
79
in TOP 100 Selections in CSE 2023
from various programs of Vision IAS
1 AIR
Aditya Srivastava
2 AIR Animesh Pradhan
5 AIR Ruhani
6 AIR Srishti Dabas
7 AIR Anmol Rathore
9 AIR Nausheen
10 AIR Aishwaryam Prajapati
हिंदी माध्यम में 35+ चयन CSE 2023 में
हिंदी माध्यम टॉपर
53 AIR मोहन लाल
136 AIR अर्पित कुमार
238 AIR विपिन दुबे
257 AIR मनीषा धार्वे
313 AIR मयंक दुबे
517 AIR देवेश पाराशर
UPSC TOPPERS/OPEN SESSION: QR स्कैन करें
2 AIR Animesh Pradhan
TOPPERS' TALK
53 AIR मोहन लाल
TOPPERS' TALK
AIR 136 अर्पित कुमार
TOPPERS' TALK
UPSC 2025 के लिए व्यापक रणनीति
DELHI
HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station
MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar
GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009
FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call: +91 8468022022, +91 9019066066
enquiry@visionias.in
/c/VisionIASdelhi
/visionias.upsc
/vision _ias
VisionIAS_UPSC
अहमदाबाद
बेंगलूरु
भोपाल
चंडीगढ
दिल्ली
गुवाहाटी
हैदराबाद
जयपुर
जोधपुर
लखनऊ
प्रयागराज
पुणे
रांची